अप्रैल १९३९

ऋग्वेद यजुर्वेद

सार्वदेशिक

हैदराबाद सत्याग्रह

दिसम्बर से फ़रवरी ३९ तक

का

विवरण

वर्ष १३ चैत्र १९९६

अङ्क २ दया० ११४

सम्पादक—प्रो० सुधाकर, एम०ए०,

स० सम्पादक—श्री रघुनाथप्रसाद पाठक

वार्षिक मू० स्वदेश २), एक प्रतिका ≡), विदेश से ५ शि० वार्षिक

अथर्ववेद सामवेद

॥ ओ३म् ॥

आर्य्य सत्याग्रह हैदराबाद

की

त्रैमासिक रिपोर्ट

भूमिका

आर्य्य समाज एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था है, इसका उद्देश्य भारतवर्ष तथा संसार भर में वैदिक धर्म का प्रचार करना है।

आर्य्य समाज सबसे पहले १८७५ ई० में बम्बई में खोला गया था। उस समय से अब तक ६३ वर्ष में भारत वर्ष में दो हज़ार से अधिक आर्य्य समाज बन गये हैं, इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, दक्षिणीय तथा पूर्वीय अफ्रीका, फिजी, मौरीशस, दक्षिणी अमेरिका, ट्रिनिडाड में तथा अन्य स्थानों में भी आर्य्य समाजें हैं।

ये सब आर्य्य समाजें संगठित रूप से एक केन्द्रिय सभा के आधीन हैं जिसका नाम सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा (International-Aryan League) है, इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली (श्रद्धानन्द बलिदान भवन) में है। इस प्रकार संसार भर में कहीं भी कोई समाज हो उसका सम्बन्ध सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से होना अत्यावश्यक तथा स्वाभाविक है।

आर्य्य समाज न तो राजनीतिक संस्था है न साम्प्रदायिक, क्योंकि आर्य्य समाज का धर्म मनुष्य मात्र के लिए है। उसमें जन्म, जाति, प्रान्त या देश की सीमा नहीं है। आर्य्य समाज का मुख्य उद्देश्य यह है कि संसार का उपकार करे। उसका द्वार मनुष्य मात्र के लिए खुला हुआ है। प्रत्येक आर्य्य समाजी अपने राजनीतिक कार्य के लिए स्वतन्त्र है, परन्तु आर्य्य समाज समष्टि रूप से किसी संकुचित विचार को स्थान नहीं देता। वह साम्प्रदायिकता के झमेलों से सर्वथा ऊपर है। उसके सिद्धान्त विश्वव्यापी हैं।

अन्य प्रान्तों की भाँति हैदराबाद (निज़ाम) स्टेट में भी आर्य्य समाज बहुत दिनों से कार्य्य कर रहा है, समस्त स्टेट में डेढ़ सौ (१५०) के लगभग आर्य्य

समाज हैं। जब से आर्य्य समाजें की स्थापना निज़ाम राज्य में हुई है, जो हिन्दू लोग अपनी प्राचीन संस्कृति को भूलते जा रहे थे वे फिर अपनी अवस्था पर विचार करने लग गये हैं। समस्त हिन्दुओं में एक नई जाग्रति उत्पन्न हो गई है। वह अपने अधिकारों को समझने लगे हैं।

हैदराबाद एक प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी रियासत है। इसकी जन संख्या १,४४,३६,००० है, जिनमें १५,३४,००० अर्थात् १०·६ प्रतिशतक मुसल्मान हैं। १,२७,४८,२८१ अर्थात् ८८·३ प्रतिशतक हिन्दू हैं। और १,५०,००० अर्थात् एक प्रतिशतक के लगभग पारसी आदि हैं। हैदराबाद नरेश एक मुसल्मान हैं जिनको निज़ामुल्मुल्क कहते हैं। मुसल्मानी राज्य में वह मुग़ल सम्राट् की ओर से सूबेदार थे। ब्रिटिश राज्य में यह हिन्दुस्तानी रियासत के अधिपति समझे जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट की इनके साथ सन्धि है और ब्रिटिश वायसराय इन पर देखभाल रखते हैं।

प्रत्येक शासक का कर्तव्य है कि उसका निज धर्म चाहे जो कुछ हो वह अपनी प्रजा को पूरी धार्मिक और नागरिक स्वतन्त्रता दे और किसी धर्म के प्रति पक्षपात न करे। निज़ाम स्टेट कई बातों में एक बड़ी चढ़ी रियासत है परन्तु शासक का धर्म मुसल्मान है और इसी कारण स्वभावतः सरकार की ओर से मुसल्मानों के साथ विशेष पक्षपात किया जाता है। प्रत्येक मुसल्मान अपने को शासक समझता है और वह अन्य धर्मावलम्बियों के साथ अच्छा वर्ताव नहीं करता। उसको सरकार का डर नहीं है, वह जानता है कि उसके सभी उचित अथवा अनुचित बातों में पुलिस तथा समस्त राज कर्मचारी उसकी तरफ़दारी करेंगे। राज की ओर से एक धर्म-विभाग या सीग़ा-अमूर-मज़हबी है, जिसमें सब मुसल्मान हैं। यह विभाग केवल मुसल्मानी धर्म-मन्दिरों या इस्लाम सम्बन्धी बातों के लिये ही नहीं है। राज की समस्त धर्म-सम्बन्धी बातों का निश्चय यह विभाग करता है। इस प्रकार हैदराबाद के शासन में मुल्ला-पन का बहुत कुछ स्थान है। बीसवीं शताब्दी एक सभ्य शताब्दी समझी जाती है। हैदराबाद नगर में इस शताब्दी की चमक दमक का पुष्कल प्रमाण मिलता है। परन्तु यदि कोई पुरुष शासन की जटिलता की परीक्षा करना चाहें तो उसे झट पता लग जायगा कि पुरानी मुल्ला-गवर्नमेंटों के समान यह भी एक मुल्ला-गवर्नमेंट है। यहाँ के उच्च कर्मचारियों तथा शासकों का बाह्यजीवन और प्रकार का है। परन्तु दृष्टि-कोण सर्वथा मुल्लापन का है। यों तो कहा जाता है कि प्रत्येक धर्म वालों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता है परन्तु शासकों की

इच्छा यही रहती है येनकेन प्रकारेण इस्लाम की तबलीग़ की जाय और अन्य धर्म वालों का ह्रास हो। ८८.६ प्रतिशतक हिन्दुओं की जेबों से जो धन सरकारी कोष में आता है उसका अधिकतर भाग मुसल्मानों की शिक्षा और इस्लामी संस्कृति के फैलाने में व्यय होता है। इसका स्वाभाविक परिणाम हिन्दुओं का ह्रास है। धर्म-विभाग के मुल्लाशाही अफ़सर प्रत्येक नियम को इस्लामी दृष्टि से बनाते हैं। हिन्दुओं को अपने धर्म-मन्दिर बनाने या उनकी मरम्मत करने के लिये भी इसी विभाग की आज्ञा चाहिए। कथा और व्याख्यान के लिए भी इसी की आज्ञा चाहिए। पाठ-शाला तथा अखाड़ा बनाने के लिए भी इसी विभाग की आज्ञा चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि हिन्दू जीते हैं तो मुसल्मानों की आज्ञा और उनकी कृपा से। उनके अपने अधिकार कुछ नहीं हैं।

शासन की इस नीति का फल नीचे की बातों से जाना जा सकता है:—

(१) गज़टिड कर्मचारियों की संख्या:—

नाम विभाग	मुसल्मान	हिन्दू	अन्य
सैक्रेटेरियट	५४	१६	५
अर्थ विभाग	२६	१५	३
रैवीन्यू	१९६	२०	६
पुलिस, जेल	४०	१३	५
मैडीकल	४१	४५	२४
पी. डब्ल्यू. डी.	६२	३४	११
विविध	१२६	४०	२०
	५४५	१८३	७४ = ८०२

संख्या के हिसाब से ८० के लगभग मुसल्मान होने चाहिए थे, परन्तु हैं ५४५ अर्थात् सात गुने। हिन्दू ७०० होने चाहिए थे, परन्तु हैं १८३ अर्थात् एक चौथाई। इस प्रकार प्रजा में जिधर देखो हिन्दू, शासकों में जिधर देखो मुसल्मान। इस प्रकार जब कभी हिन्दू-मुसल्मानों का स्वत्व-सम्बन्धी झगड़ा हो जाता है तो मुसल्मानों की चढ़ बनती है और हिन्दुओं के अधिकार पद दलित हो जाते हैं।

(२) हिन्दू मन्दिरों की दशा खराब है। एक दृष्टि डालने से ही पता चल जाता है कि मस्जिदें नई नई बनती जा रही हैं और हिन्दू मन्दिर गिर रहे हैं, नये बन नहीं सकते और

पुरानों की मरम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि या तो आज्ञा मिलती नहीं या उसको खटाई में डाल दिया जाता है।

(३) उर्दू में शिक्षा दी जाती है। अन्य भाषायें मर रही हैं। हिन्दुओं की मातृ भाषा मराठी, कनाड़ी और तिलगू है। इसलिए उनकी शिक्षामें बाधा होती है। ४,०५,६१४ हिन्दू साक्षार हैं अर्थात् ३ प्रतिशतक और १,५८,८५६ मुसलमान साक्षार हैं अर्थात् १०.५ प्रतिशतक। हर १० मुसलमानों में एक साक्षार है और हर तीस हिन्दुओं में एक साक्षार है। मुसलमान अध्यापक अधिक हैं और सरकार हिन्दुओं को पढ़ाने की चिन्ता नहीं करती।

(४) सरकार की ओर से हैदराबाद स्टेट की मस्जिदों और इस्लामी संस्थाओं को बहुत दान मिलता है, और हैदराबाद के बाहर अन्य भारतीय तथा विदेशी इस्लामी संस्थाओं को भी बहुत रुपया दिया जाता है। हिन्दू संस्थाओं को नाम मात्र।

(५) हैदराबाद में एक ख़ाकसार पार्टी है जिसका काम है लोगों को मुसलमान बनाना। इसमें सरकारी नौकर भी खुल्लम खुल्ला भाग लेते हैं और यह हिन्दुओं को बहुत त्रास देती है। यदि कोई हिन्दू इन खाकसारों के अत्याचार के विरुद्ध शिकायत करता है तो कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं देते। कभी कभी तो हिन्दुओं को ही फांस लिया जाता है। वे विचारे मुकद्दमों में सड़ते रहते हैं और यदि निर्दोष होकर छूटते भी हैं तो उस समय जब बिल्कुल बरबाद हो जाते हैं।

(६) हिन्दू स्त्रियों को मुसलमान गुण्डे फांस लेते हैं। और यदि कोई बचाने का यत्न करता है तो उसी पर विपत्ति आती है।

इस प्रकार हिन्दुओं का न जीवन सुरक्षित है, न माल, न मान।

जब आर्य्य समाजियों ने अपना प्रचार आरम्भ किया तो हिन्दू लोग अपने वैदिक धर्म के गौरव को अधिक समझने लगे। स्वभावतः मुसलमानों को बुरा मालूम हुआ और उन्होंने आर्य्यों का दमन करने के कई उपाय निकाले। इसके लिये हैदराबाद सरकार के पास कई हथियार उपस्थित थे। प्रथम तो पुलिस अपनी खुफ़िया रिपोर्ट में आर्य्य व्याख्याताओं के व्याख्यान की मनमानी रिपोर्ट दे सकती थी। दूसरे यह कि उनका धर्म विभाग यदा-कदा आक्षेप कर सकता था। तीसरे मुसलमान जनता को उभारा जा सकता था और आर्य्य समाजियों के विरुद्ध आन्दोलन करने को उद्यत हो सकते थे।

निज़ाम सरकार की ओर से इन सब हथियारों का प्रयोग होता रहा है।

बहुत दिन हुए श्री स्वामी नित्यानन्द जी को जो बहुत बड़े विद्वान् और आर्य्य

समाज के एक प्रसिद्ध नेता थे, देश-बहिष्कृत कर दिया गया था। श्री स्वामीजी एक सर्व-प्रिय वक्ता थे। वह खण्डन मण्डन भी नहीं किया करते थे। उनके साथ निज़ाम सरकार ने जो व्यवहार किया था उस पर उस समय जनता में बहुत रोष प्रकट किया गया था।

वर्तमान आपत्तियों का अंकुर

हमारी वर्तमान विपत्तियों का आरम्भ १७ सितम्बर सन् १९३२ को होता है जब आर्य उपदेशक श्री चन्द्रभानु जी को देश निकाला दिया गया। हमने समझा कि शायद पुलिस ने कोई खुफिया रिपोर्ट की है। जब निज़ाम राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा ने पोलीटिकल मेम्बर को लिखा तो उन्होंने कहा, "तुम्हारे उपदेशक के विरुद्ध हमारी पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं की। गवर्नमेंट आफ इण्डिया का कहना है कि इनका सम्बन्ध अनिष्ट नैतिक संस्थाओं से है।" स्वभावतः हमने २० अक्टूबर १९३२ को गवर्नमेंट आफ इण्डिया के फ़ौरेन और पोलीटिकल डिपार्टमेण्ट सेक्रेटरी को लिखा। हमको हैदराबाद के रेज़ीडेण्ट से यह जान कर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि श्री पं० चन्द्रभानु जी के बहिष्कार का निश्चय हैदराबाद गवर्नमेण्ट ने ही किया है और रेज़ीडेण्ट ने किसी प्रकार का संकेत नहीं किया था, हमने फिर निज़ाम सरकार को लिखा। परन्तु उत्तर मिला कि सरकार इस मामले पर पुनर्विचार नहीं करना चाहती।

२१ मई १९३३ को आर्य्य समाज हलीखेड़ का वार्षिकोत्सव वहाँ के तालुक़ेदार ने इसलिए बन्द कर दिया कि यह कोई धार्मिक कृत्य नहीं है। जब सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली ने दीवान साहेब को लिखा तो उत्सव के लिये आज्ञा मिल गई, परन्तु नगर कीर्तन के लिए नहीं। दूसरे वर्ष से उत्सव की आज्ञा भी न मिली उस समय से अब तक उत्सव बन्द चले आते हैं।

एक और विचित्र घटना हुई। सद्दीक़ दीनदार नामी एक मुसलमान प्रचारक है जो हिन्दुओं को बहुत गालियां दिया करता है। आर्यों ने उसका उत्तर देने के लिये श्री पं रामचन्द्र देहलवी को जो जगत् प्रसिद्ध वक्ता और उपदेशक हैं निमन्त्रण दिया। श्री पंडित जी के मधुर और युक्ति युक्त भाषणों का जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और वह लगातार वैदिक धर्म का प्रचार करते रहे। इसका प्रभाव यह पड़ा कि लोग सद्दीक दीनदार के व्याख्यानों की असत्यता से परिचित हो गए। मुसलमानों को यह बुरा मालूम हुआ। उन्हों ने पुलिस के कान भरे और सितम्बर १९३३ के हलीखेड़ स्थान के किसी व्याख्यान के आधार पर उन पर मुक़द्दमा चला दिया गया।

इस समाचार ने समस्त आर्य संसार में खलबली उत्पन्न करदी क्योंकि श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी अपने मधुर भाषण और सर्व प्रियता के लिये प्रसिद्ध हैं। श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी ने जो उस समय सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे निज़ाम सरकार को एक तार दिया और श्री प्रो० सुधाकर जी मन्त्री सभा ने भारत सरकार को लिखा। निजाम सरकार ने पत्र संख्या ६०१५, ता० २ अगस्त १९३४ द्वारा सभा को सूचित किया कि मुक़द्दमा उठा लिया गया है परन्तु श्री पं० जी को देश-बहिष्कृत कर दिया गया है। यह कोई न्याय न था। मुक़द्दमा चलता तो कम से कम यह मालूम हो जाता कि श्री पं० जी पर जो दोष लगाया गया है उसका क्या आधार है? निज़ाम सरकार को जाँच करनी चाहिये थी। परन्तु उक्त सरकार इसके लिए उद्यत न थी इस मामले से आर्य समाज के लोगों के दिलों में शंका होगई कि दाल में कुछ काला है।

यह शंका आगे को बढ़ती गई जैसा कि निम्न घटनाओं से प्रतीत होगाः—

(१) अक्टूबर सन् १९३४ ई० में श्री पं० बन्शीलाल जी वकील उद्गीर धर्म प्रचार के लिए चिटगोपे गए। वहाँ के पुलिस सब-इन्स्पैक्टर ने एक नोटिस दिया कि आप चिटगोपे तथा पड़ोस में कुछ प्रचार नहीं करसकते। श्री पं० जी ने इस नोटिस को नियम-विरुद्ध बतला कर इसको मानने से इन्कार कर दिया और वे उपदेश देते रहे। इस प्रकार के नोटिस तीन बार दिए गए और तीन बार उन्होंने इनको मानने से इन्कार करदिया।

(२) २४ मई सन् १९३५ ई० को सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस की रिपोर्ट पर कलक्टर जिला बीदर ने नीलंगा जिला बीदर का समाज मन्दिर इस कारण तुड़वा दिया कि समाज मन्दिर के बनाने की आज्ञा नहीं ली गई। अखाड़ा तथा हवन कुण्ड भी तोड़ डाला गया आर्य समाज का सब सामान भी जब्त कर लिया गया। (मेहर सन् १३४४ फ० में)

पं० बन्शी लाल जी ने इस अनुचित आज्ञा के विरुद्ध हवन और उपदेश दिया। यह मामला महकमा सरकार (Home office) तक गया। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को अपनी ग़लती माननी पड़ी। मुकामी उहदेदारों की मदद से मिट्टी की दीवार और टीन के सायवान को दुबारा बनवा दिया गया।

(३) श्री निज़ाम राज्य प्रतिनिधि सभा के अवैतनिक प्रचारक महाशय गणपतराय को बैलपुर (तालुक़ा आरमूर) में प्रचार करने से १६ अरफंदार सन् १३४७ फसली को रोक दिया गया।

(४) हिसामाबाद के एक देवल में दो आर्य प्रचारक श्री भगवानराव और श्री

हौगी राव जी ६ खुरदाद सन् १३४७ फ़०' को व्याख्यान दे रहे थे। पुलिस ने उनको रोका।

इन घटनाओं से प्रतीत होता है कि पुलिस आर्यों के पीछे पड़ी थी और बिना कारण के भी केवल धमकाने के लिए नोटिस दे दिया करती थी।

जब इन गीदड़-भभकियों का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो दफ़ा १०४ का दौड़ दौड़ा चलने लगा अर्थात् शान्ति भङ्ग करने के अनिश्चित अपराध पर हर जगह आर्यों पर धड़ाधड़ मुक़द्दमे क़ायम होने लगे और उनसे जमानतें माँगी जाने लगीं। कुछ ने जमानत दे दीं। कुछ ने मुक़द्दमों की पैरवी भी की। श्री पं बन्शी लाल जी पर से मुक़द्दमा उठा लिया गया परन्तु श्री गणपत राय जी को क़ैद होगई। निज़ाम सरकार के इस दमन चक्र का अन्त नहीं हुआ। यह अब तक निरन्तर चल रहा है।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने इन कठिनाइयों और अत्याचारों के निराकरण के लिये ६ वर्ष पर्यन्त कोई वैध यत्न उठा न रक्खा। अत्याचारों तथा सभा के यत्नों का पूर्ण परिचय The case of Arya Samaj in Hyderabad State (हैदराबाद और आर्य समाज) से मिलता है।

अन्त में सार्वदेशिक सभा ने ता० ९-१०-३८ की अपनी अन्तरंग सभा में इस विषय पर पूर्ण विचार किया और विचार के पश्चात् श्री नारायण स्वामी जी महाराज को प्रथम डिक्टेटर के रूप में मनोनीत करके इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही का भार उनके सुपुर्द कर दिया।

श्री स्वामी जी ने सब से पहिला कार्य यह किया कि शोलापुर आर्य काँग्रेस का अधिवेशन सामूहिक रूप में सत्याग्रह के प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाया। इस कांग्रेस का विवरण पृथक् प्रकाशित हो चुका है।

इसी बीच में हैदराबाद के आर्य भाइयों ने व्यक्तिगत स्थिति में सत्याग्रह आरम्भ कर दिया था।

इसका मुख्य कारण यह था कि निज़ाम सरकार के कर्मचारियों के अत्याचारों से लोग तंग आगये थे। दिन पर दिन कठिनाइयां बढ़ती जारही थीं। हैदराबाद दिल्ली से बहुत दूर है। हैदराबाद के लोगों में यह बात फैल रही थी कि सार्वदेशिक सभा मामले को टालना चाहती है। यद्यपि यह बात नहीं थी। सार्वदेशिक सभा ने इस प्रश्न को कभी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा। यहां से उत्तर दाता सज्जनों को स्थानिक स्थिति देखने के लिये भेजा गया और जो कुछ उस समय संभव था वह सब किया गया। फिर भी इस प्रकार के उपाय जनता के

सामने नहीं आ रहे थे और निज़ाम राज्य के आर्य्यों को एक एक पल भारी पड़ रहा था। वह चुपके चुपके अत्याचार सहन करने में असमर्थ थे। उनके असन्तोष का पारा चढ़ रहा था।

इसी समय निज़ाम राज्य की ओर से एक और कार्य्यवाही की गई जिसने आग पर थोड़ा-सा घी डालकर उसको अधिक तेज़ कर दिया। सरकार की ओर से दस्तूर-उल अमल तहफ़्फ़ज़ अमनोअमान के नाम से कुछ आज्ञायें निकलीं जिनके अनुसार किसी आदमी को इस अपराध में पकड़ा जा सके कि इसने हिन्दू मुसलमानों के बीच में वैमनस्य फैलाने का उद्योग किया है। इसका नाम ताज़ीरात आसफिया में धारा १०७ है। इस धारा के अनुकूल किसी सरकार को अधिक परिश्रम उठाना नहीं पड़ता। हर्रा लगे न फिटकरी और रंग आवे चोखा। न सबूत की ज़रूरत, न प्रमाण की, जिस किसी को चाहा पकड़ लिया। इस पकड़ धकड़ ने लोगों के असन्तोष को बढ़ा दिया।

सब से पहले इस धारा का प्रयोग श्री भुवाशंकर रड्डी और श्री पं० बलदेव जी उपदेशक निज़ाम राज्य प्रतिनिधि सभा पर हुआ। यह लोग २५ दिसम्बर ३८ को गिरफ़्तार किये गये। कहा जाता है कि उन्होंने अपने व्याख्यानों में आक्षेप जनक बातें कहीं। वस्तुतः ऐसा नहीं था। परन्तु पुलिस को तो केवल रिपोर्ट कर देनी थी।

पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक़।
आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था।

इन वीरों पर अक्टूबर १९३८ में केस चला! उन्होंने ज़मानत देने से इनकार किया। फलतः वह अभी तक जेल में पड़े हुये हैं।

दूसरे सज्जन श्री देवीलाल जी हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के १४ वें समुल्लास में से कुछ पढ़ा था। यह तो घोर अपराध था जिसका सहन हैदराबाद जैसी मुल्लाशाही रियासत में कैसे हो सकता था। उन पर मुकद्दमा चला। वह भी ज़मानत देने को तैयार न थे। इसलिये २६ अक्टूबर १९३८ को "आर्य्य रक्षा समिति" की स्थापना की गई और वे जेल चले गये।

१५ अक्टूबर १९३८ को एक और दुर्घटना होचुकी थी। श्री नरेन्द्र जी आर्य्य-समाज के एक योग्य उपदेशक हैं। इनका युवकों पर बहुत प्रभाव था। पुलिस की आंख में यह कंकड़ी बहुत दिनों से पीड़ा दे रही थी। अब किसी प्रकार अवसर मिल गया। एक हिन्दू सी० आई० डी० ने पं० जी को भोजन के लिये निमंत्रित किया। उधर चुपके से पुलिस वालों को सूचित कर दिया, ज्योंही पं० जी प्रीति भोज कर चुके उनको उनके

जत्था नं० ४२६, ४३०, ४३१

पहिली लाइन—(१) पं० वाचस्पतिजी सिद्धान्तभूषण लाहौर (२) खुशहालचन्द्र जी तृतीय डिक्टेटर (३) प्रो० देवप्रकाश जी शास्त्री दयानन्द आयुर्वेद कालेज लाहौर (४) पं० चान्दकरण जी शारदा द्वितीय डिक्टेटर (५) शंकरदेव जी उमनाबादी।

दूसरी लाइन—(१) देशबन्धुजी उपदेशक विद्यालय लाहौर (२) विद्याधरजी सिद्धान्त भूषण (३) मनोरञ्जन जी उपदेशक विद्यालय लाहौर (४) महेन्द्रकुमार उपदेशक विद्यालय लाहौर (५) रामलखन जी उपदेशक विद्यालय लाहौर (६) प्रेमप्रकाश सिद्धान्त भूषण लाहौर (७) कविराज ओ३म्प्रकाश जी (८) सत्यप्रिय सिद्धान्त भूषण

कांस्टेबिल मित्रों ने पकड़ लिया। उन पर केस चलाने की हिम्मत किसको थी? अतः सीधासाधा काला पानी कर दिया गया। वह काला पानी भोग रहे हैं।

इस दमन चक्र ने हैदराबाद के वायुमंडल में विचित्र बेचैनी उत्पन्न कर दी। सभी तंग आगये। करें तो क्या करें। करो तो भी जेल, न करो तो भी जेल। जब अकारण जेल जाना पड़े तो जेल भी उतनी भयानक नहीं रहती और असन्तोष बढ़ जाता है। परिणाम यह हुआ कि २१ अक्टूबर ३८ को हिन्दूमहासभा की ओर से तथा २३ अक्टूबर ३८ को स्टेट कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह शुरू होगया।

आर्य्य सत्याग्रह अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में आरम्भ हुआ था। मुखेड़ के मन्त्री महाशय श्री राम जी चौधरी ने सरकारी प्रतिबन्ध तोड़कर हवन किया था, अतः वे जेल चले गये। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, २६-१०-३८ को श्री देवीलाल जी ने आर्यरक्षा-समिति का प्रधान होकर हैदराबाद में सत्याग्रह किया था, उस समय आठ दस सहस्र लोग उपस्थित थे। जयघोष से आकाश गूँज उठा था। इनके साथ ६ व्यक्ति और थे, जिनमें श्री मुन्नालालजी भजनोपदेशक भी शामिल हैं, जो सत्याग्रह इस प्रकार आरम्भ हुआ वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। नवम्बर, दिसम्बर तथा जनवरी मास तक बराबर जत्थे जाते रहे। इनकी संख्या इस प्रकार है।

सेफ़्टी बिल के तोड़ने पर	१०४
ज़मानत व मुचलका न देने पर	३३४
अन्य सत्याग्रही	४७७
योग	९१५

इनके अतिरिक्त कुछ और भी सत्याग्रही हैं जिन्होंने हेड आफिस को बिना सूचना दिये स्टेट के भिन्न भिन्न स्थानों में सत्याग्रह किया और जेल चले गये। इनका वृत्त हमको नहीं मिल सका। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। परन्तु निश्चित सूचना के अभाव में हम अधिक कुछ नहीं कह सकते।

इस सत्याग्रह के विषय में अनेक मनोरंजक बातें भी हैं। कोई युद्ध भी हास्यरस से शून्य नहीं होता। युद्ध पुलिस और जनता के बीच में था। पुलिस की इच्छा थी कि सत्याग्रह ज़ोर न पकड़ने पावे। जनता की इच्छा थी कि सत्याग्रह ज़ोर से चलाया जाय। दोनों ओर से प्रयास का प्रारम्भ हुआ। जब कोई सत्याग्रह करता था तो पुलिस मारती थी या लालच देती थी। कभी कभी धमका कर मांफ़ी भी मँगवा देती थी। एक बार एक जत्था माफ़ी के लिए तैय्यार न हुआ। पुलिस ने उनमें से एक व्यक्ति के पिता से माफ़ी

मँगवाकर उसको छोड़ दिया। उसके दो साथियों ने भी माफ़ी माँग ली। परन्तु ऐसी घटनायें बहुत कम हुईं क्योंकि सत्याग्रही लोगों में जोश था। कहीं कहीं पुलिस ने नक़ली सत्याग्रही खड़े करके उनसे माफ़ी मंगवाई और अपनी कार्य्य-कुशलता का परिचय दिया। परन्तु जनता को ऐसी चालाकियों का शीघ्र ही पता चल गया और लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई।

स्टेट कांग्रेस को तो सरकार ने बनने से पहले ही ग़ैर-क़ानूनी क़रार दे दिया था। इसलिए जिस किसी को सत्याग्रह करना होता था वह स्टेट कांग्रेस का सदस्य बन जाता था नाम लिखाना ही सत्याग्रह था। परन्तु आर्यों को वक्तव्य पढ़ना अथवा जयघोष लगाना आवश्यक था। कभी कभी तो वक्तव्य पढ़ने की नौबत भी नहीं आने पाती थी। पुलिस सन्देह पर ही पकड़ लेती थी। १० नौम्बर १९३८ को पुलिस ने आर्य रक्षा समिति के चौथे जत्थे को गिरफ़्तार किया। कुछ सबूत तो था नहीं केवल सन्देह मात्र था। पुलिस ने चाहा कि लारी में बिठाकर उनको दूर छोड़ दिया जाए। अभी थोड़ी दूर गए थे कि मोटर का एक पहिया फट गया। किसी प्रकार उस में घास भरी। परन्तु १२वें मील पर दूसरा पहिया भी फट गया। अब क्या होता? सत्याग्रही छोड़ दिए गए। उन्हों ने नगर में लौट कर सत्याग्रह किया और जेल चले गए।

हैदराबाद पुलिस के लिए सत्याग्रह एक नई चीज़ है। उसने इससे पहिले ऐसी हलचल देखी न थी। जब कभी पुलिस को पता चलता कि अमुक स्थान पर सत्याग्रह होने वाला है तो पुलिस सड़कों पर मोर्चा बन्दी कर देती थी। तांगे रोक लिए जाते थे परन्तु मोटरों के रोकने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए सत्याग्रही लोग भी मोटर से आने लगे पहले पहल पुलिस सत्याग्रहियों से डरती थी। उनके पास तो जाती परन्तु पकड़ने का साहस न करती थी। कभी कभी तो पुलिस यही नहीं समझती थी कि सत्याग्रह क्या चीज़ है। एक बार गुलीग्रोड में सत्याग्रह होना था। पुलिस मोर्चा बन्दी किये पड़ी थी। एक मुसलमान मुसाफिर उधर से गुज़रा पुलिस कहने लगी "उधर न जाओ सत्याग्रह बैठा है"। कभी कभी लोग झूठी ख़बर भी उड़ा देते थे और पुलिस दस दस घन्टे लारी लिए खड़ी रहती थी।

हैदराबाद दिवस

ता० २२ जनवरी सन् १९३९ ई०

शोलापुर के आर्य सम्मेलन के पश्चात् आर्य सत्याग्रह के डिक्टेटरों की एक समिति बनाई गई जिनके सदस्य निम्न हैं

१ श्री नारायण स्वामी जी
२ ,, स्वतन्त्रानन्द जी
३ ,, कुँवर चांदकरण जी शारदा अजमेर
४ ,, वेदव्रत जी पटना (राजपुर)
५ ,, आनन्द प्रिय जी बड़ौदा
६ ,, श्री राम जी, माईथान आगरा
७ ,, काली चरण जी मेरठ सदर
८ ,, खुशहाल चन्द जी लाहौर
९ ,, गिरधारी लाल जी लाहौर
१० ,, पं० बुद्धदेव जी प्रा० स० लाहौर
११ ,, सावन मल दत्त जी लाहौर
१२ ,, कृष्ण जी लाहौर
१३ ,, खानचन्द देव जी लाहौर
१४ ,, स्वामी वेदानन्द जी लाहौर
१५ ,, शिवदयाल जी एम० ए० लाहौर
१६ ,, चिरंजीव लाल जी कश्मीर
१७ ,, उमाशंकर जी फतहपुर
१८ ,, शिवदयालु जी तिलक पार्क मेरठ सदर
१९ ,, रत्न चन्द जी अमृतसर
२० ,, कुन्दन लाल जी चूनियाँ लाहौर
२१ ,, दीवान चन्द जी हिसवानी
२२ ,, रामचन्द्र जी देहलवी हापुड़-मेरठ
२३ ,, दत्तात्रेय जी गुलबर्गा
२४ ,, बन्शी लाल जी शोलापुर
२५ ,, नारायण दत्त जी नई देहली

इसके पश्चात् जो अन्य डिक्टेटर चुने गए उनके नाम यह

२६ श्री देशबन्धु जी गुप्त, देहली
२७ ,, आर. सी. मसानिया, नागपुर
२८ ,, ज्ञानेन्द्र जी, मरौली सूरत

२९ श्री धुरेन्द्र जी शास्त्री

३० ,, चन्द्रमणि जी पाणिरत्न, मारका प्रेस देहरादून

३१ ,, देवेन्द्र नाथ जी शास्त्री, सिकन्दराबाद (यू० पी०)

३२ ,, स्वामी चिदानन्द जी, श्रद्धानन्द शुद्धि सभा देहली

३३ ,, स्वामी रामानन्द जी दानापुर पटना

३४ ,, स्वामी भजनानन्द जी दानापुर पटना

३५ ,, विश्वनाथ जी, नई बस्ती नागपुर

३६ ,, पन्ना लाल जी व्यास, खामगाम (बरार)

३७ ,, सुधाकर जी, देहली

३८ ,, कृष्ण शर्मा, राजकोट स्टेट

३९ ,, चौ० जयदेव जी एडवोकेट, मेरठ

४० ,, देवदत्त जी, दीनानगर गुरुदास पुर

४१ ,, धर्म दत्त जी, दीना नगर गुरुदास पुर

४२ ,, लक्ष्मैया नरसैया जी ग्रामगाम (सी. पी.)

४३ ,, डी. डी. चन्धानी, कराची

४४ ,, श्री रामलाल जी, दीनानगर गुरदासपुर

४५ ,, ओंकार दत्त जी P. O. नागरी (चाँदा)

४६ ,, तिलक राज कोहाली, (सदर पेशावर)

सब से पहले डिक्टेटर श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज बनाए गए। इन्होंने रियासत के महा सचिव श्री सर अकबर हैदरी के नाम एक पत्र लिखा जिसमें प्रस्ताव सं० ४, ५ की लिपि भेजी गई और प्रार्थना की गई कि १५ दिवस के भीतर आर्य्य सम्मेलन की माँगों को स्वीकार करलिया जाय अन्यथा सत्याग्रह आरम्भ हो जायगा। परन्तु निज़ाम सरकार ने इस का उत्तर देने का कष्ट न उठाया। सम्मेलन ने २२ जनवरी १९३९ को भारतवर्ष भर में हैदराबाद दिवस मनाने का प्रस्ताव पास किया था। श्री पूज्य प्रथम सर्वाधिकारी ने इसकी विज्ञप्ति समस्त भारत वर्ष में दे दी। उस समय तक सार्वदेशिक सभा की ओर से सत्याग्रह नहीं किया गया। परन्तु आर्य्य रक्षा समिति की ओर से सत्याग्रहियों के जत्थे जाते रहे और उनको सज़ायें भी होती रहीं।

२२ जनवरी का दृश्य बड़ा ही विचित्र था। प्रत्येक नगर में हैदराबाद दिवस मनाने की तैयारियाँ होने लगीं। २२ जनवरी को प्रातः काल ही प्रभात फेरियों की धूम

मच गई। हैदराबाद स्टेट के अत्याचारों के विरोध में बाज़ार बन्द रहे। नगर कीर्तन निकाले गए और सायंकाल को सभायें करके प्रस्ताव सं० ४ और ५ को स्वीकार किया गया। परन्तु इन समारोहों में ग़ैरजिम्मेवार मुसलमानों के निराधार विरोध व आन्दोलन के कारण कुछ कटुता आ गई जिसका वर्णन मौडर्न रिव्यू के शब्दों में हम प्रस्तुत करते हैं:—

"गत मास भारतवर्ष के बहुत से स्थानों में हैदाबाद के आर्यों (हिन्दुओं) के साथ सहानुभूति प्रगट करने के लिए हैद्राबाद दिवस मनाया गया। यह दिवस किसी अंश में भी मुसल्मानों के ख़िलाफ नहीं था अतः बहुत से स्थानों पर जलूस और जल्से शान्ति पूर्वक निकल गए क्योंकि सर्वसाधारण मुसल्मानों ने उनका विरोध न करने की बुद्धिमत्ता की थी। परन्तु कुछ स्थानों यथा देहली और बरेली में स्थानीय ग़लत फ़हमियों अथवा बाहरी शरारत पूर्ण प्रोपैगैंडा के कारण साम्प्रदायिक बलवे हो गए और कुछ अवस्थाओं में परिणाम घातक सिद्ध हुए।" उस दिन देश भर में जो जोश था, वह पहले कभी देखा नहीं गया। २३ ता० को प्रातःकाल से ही शोलापुर सत्याग्रह आफ़िस में तारों का तांता बंध गया और पत्र तो सप्ताह भर आते रहे। सामाजिक पत्रों के उस सप्ताह के अंकों के कालम के कालम इसी समाचार से भरे पड़े हैं।

सत्याग्रह का समष्टि रूप

२३ जनवरी १९३९ से शोलापुर सत्याग्रह शिविर से सत्याग्रहियों के जत्थे जाने आरम्भ हुए। प्रथम डिक्टेटर पूज्य नारायण स्वामी जी ने घोषणा की कि जितने सत्याग्रही अब तक आर्य समिति की ओर से जा चुके हैं अथवा जिनकी गिरफ़्तारी सेफ़्टी आर्डीनेन्स के द्वारा हुई है वे सब आज से आर्य सत्याग्रह समिति के सत्याग्रहियों की कोटि में गिने जायंगे। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित हुआ कि हैदराबाद सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया अतः सत्याग्रह को बल पूर्वक जारी कर दिया जाय।

श्री पूज्य नारायण स्वामीजी पहिलेसे ही निश्चय कर चुके थे कि जितनी जल्दी सम्भव हो वह स्वयं सत्याग्रह करेंगे। इस प्रकार का संकेत पाकर कई नेताओं ने उनसे प्रार्थना भी की थी कि वे अपने स्वयं जाने में जल्दी न करें। क्योंकि डिक्टेटर का मुख्य काम आन्दोलन पर दृष्टि रखना है। श्री स्वामी जी ने अपने मस्तिष्क से सत्याग्रह का जो प्रबन्ध किया था उसे देखने से पता चल जायगा कि उनकी जेल के बाहर अधिक आवश्यकता थी। परन्तु श्री स्वामी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया।

अब प्रश्न यह था कि सत्याग्रह कैसे किया जाय। स्टेट की ओर से चारों ओर नाका बन्दी होगई है हैदराबाद नगर स्टेट राज्य के बीच में हैं। वहां तक इक्के, ताँगे, मोटर या रेल में पहुचना असम्भव है। पुलिस सीमा पर ही उतार लेती है और भीतर जाने नहीं देती। कई दिन के सोच विचार के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि स्वामी जी बम्बई से हवाई जहाज़ में बैठें और अचानक हैदराबाद पहुँच कर बीच बाज़ार में सत्याग्रह करें। इसके लिए ३१ जनवरी बियत की गई और बम्बई वालों से हवाई जहाज़ में एक सीट रिज़र्व कराने के लिए कह दिया गया। स्वामी जी ३० ता० की रात को बम्बई रवाना होने वाले थे। जब बिस्तर बंध चुका था और गाड़ी का समय निकट ही था कि तार मिला कि ६ फ़रवरी तक हवाई जहाज़ में स्थान मिलना असम्भव है। बड़ी भारी अड़चन आपड़ी, अब क्या किया जाय। बम्बई जाना तो व्यर्थ ही था। थोड़ी देर विचार हुआ। अन्त को निश्चित हुआ कि रेल से ही हैदराबाद पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिये। ११॥ बजे रात के एक गाड़ी हैदराबाद जाने वाली थी। निज़ाम की ओर से शोलापुर में भी सी० आई० डी० रहती है जो यहीं से यात्रियों को नोट करलेती हैं और गुलबर्गा या वाड़ी स्टेशन पर जो निज़ाम राज्य के भीतर है लोगों को रोक लेती है। परन्तु किसी प्रकार अव्वल दर्जे का टिकट लिया गया और श्री स्वामी जी रवाना होगए। उधर निज़ाम पुलिस को पता चल गया था कि स्वामीजी हवाई जहाज़ से आने वाले हैं। इसलिए उनका ध्यान उसी ओर था अतः स्वामी जी के डिब्बे की तलाशी न ली और स्वामी जी हैदराबाद स्टेशन पर पहुँचते ही वेटिंग रूम में चले गए। जब भीड़ समाप्त हो गई तो एक ताँगा करके वे सुल्तान बाज़ार आर्य समाज को चले गए। समाज का उस समय ताला बन्द था। इसलिए स्वामी जी को आध घण्टे तक सड़क पर टहलना पड़ा। इसी बीच में एक हिन्दू सी. आई. डी. आ गया और पूछने लगा "आप कौन हैं?"

स्वामी जी—"तुम्हीं पहिले बताओ कि तुम कौन हो।"

सी. आई. डी.—"मैं पुलिस वाला हूं। क्या करूं? मेरा काम बहुत बुरा है।"

स्वामी जी—"घबराओ मत! अपना कर्तव्य पालन करो। मैं अमुक हूं"

सी. आई. डी.—"क्या आप पुलिस स्टेशन तक चल सकेंगे"

स्वामी जी—"मैं क्यों चलूं? तुम कार्ड ले जाओ और वहाँ जाकर मेरा नाम बता दो।"

अब क्या था? थोड़ी देर में एक मोटर कार आई और स्वामी जी को पुलिस सुप्रिन्टेण्डेंट के दफ़्तर ले गई। वहाँ अफ़सरों ने स्वामी जी को बहुत शिष्टाचार और आदर

से बिठलाया और बातचीत होने लगीं। अफ़सरों ने पूछा "आप क्यों सत्याग्रह करते हैं? एक अंग्रेज़ अफ़सर बोला, "चार साल से मैं यहाँ हूं। एक भी ऐसी शिकायत नहीं आई जिसका प्रतीकार न किया गया हो।" स्वामीजी ने इन सब का समुचित उत्तर दिया। उन को प्रतीत होता था कि पुलिस के अफ़सर अपने राज्य की घटनाओं से भी अभिज्ञ नहीं हैं। इसी कहने सुनने में ३ बज गए। पुलिस चाहती थी कि स्वामी जी लौट जायं स्वामी जी क्यों लौटने लगे? अन्त में उनके सामने एक आज्ञा पत्र रख दिया गया। इस में यह लिखा था कि आप के निज़ाम स्टेट के भीतर रहने से शान्ति भङ्ग की आशंका है अतः आप शीघ्र ही पहली गाड़ी से स्टेट के बाहर होजायं और फिर कभी न आवें।" स्वामी जी ने आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए परन्तु उसके मानने से इन्कार करदिया। कई घण्टे बीतने पर स्वामी जी ने कहा, "अब बहस फ़िजूल है। आप मुझे वहाँ पहुँचा दें जहाँ रात को रहना है" कुछ देर में एक पुलिस अफ़सर के साथ स्वामीजी मोटर में बैठ गए स्वामी जी समझते थे कि हवालात में जारहे हैं। परन्तु जब मोटर शीघ्रता से नगर के बाहर होगई तो उनको आशंका होने लगी। पूछने से मालूम हुआ कि उनको रियासत से बाहर पहुंचाने का यत्न किया जारहा है। रात के समय स्वामी जी ५२ मील दूर काम कोल के सुनसान रही, अतिथि-गृह या डाक बंगले में ठहराए गए। जहाँ पीने के लिए पानी तक का प्रबन्ध न था और जिसकी मुद्दत से सफ़ाई नहीं हुई थी। दूसरे दिन स्वामी जी को खानापुर तक पहुँचा दिया गया। ब्रिटिश सीमा यहीं से आरम्भ होती है। स्वामी जी एक लारी में बैठ कर १ली फ़र्वरी को २ बजे दोपहर के सत्याग्रह शिविर शोलापुर में पहुंच गए।

स्वामी जी यह तो कह ही आए थे कि इस प्रकार धोखे से वापिस भेजने में कोई लाभ नहीं है मैं फिर आजाऊंगा। उन्होंने आते ही फिर जाने की ठान ली और ४ फ़र्वरी को गुलबर्गा के लिए चल पड़े। इस बार वहाँ के सूबेदार को तार द्वारा सूचित कर दिया गया कि मैं गुलबर्गे में सत्याग्रह करूँगा। चलते समय शोलापुर में जलूस निकाला गया। स्टेशन पर नगर के कई प्रतिष्ठित पुरुष जैसे हिन्दू सभा के नेता श्री राजवाड़े जी वकील तथा व्यापारियों के नेता कई मारवाड़ी सज्जन उपस्थित थे। स्वामी जी के साथ बीस स्वयं सेवकों का जत्था था। स्टेशन पर फोटो लिया गया। स्त्रियों की ओर से श्री पं० बन्शीलाल जी की पत्नी ने एक नारियल भेट किया और श्री पं० विश्वनाथ कनाले जी की पत्नी ने आरती उतारी। कई सज्जनों ने मालायें पहनाईं। इस प्रकार स्वामीजी १० बजे दोपहर की गाड़ी से जयघोष के साथ गुलबर्गे को चल पड़े।

गाड़ी दो बजे के लगभग गुलबर्गे पहुँचती है। पुलिस पहले से ही लारी लिये तैयार थी। पहले तो कहा गया कि आप वापिस जाइये। जब स्वामी जी राजी न हुए तो उनको अन्य साथियों सहित लारी में बिठाल कर हवालात ले जाया गया।

५ फ़रवरी को गुलबर्गा मजिस्ट्रेट की कचहरी में मुकद्दमा हुआ। जब स्वामी जी कचहरी में कुर्सी पर बैठे हुए थे तो उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। परन्तु किसी ने ध्यान न दिया। उस समय एक आर्य्य बालक ११ वर्ष की आयु का व्यंकट नामी कचहरी के दरवाज़े पर उपस्थित था। उसे पुलिस कुछ जब्त किताबें रखने के जुर्म में पकड़ ले गई थी और धमका रही थी कि आर्य समाज छोड़ दो। उसने स्वामी जी की इच्छा को सुना और निकटवर्ती होटल से एक ग्लास पानी का लाकर उनको पिलाया। उस समय देखा गया कि स्वामी जी के दाहिने पैर में लोहे का कड़ा डाल दिया गया है। स्वामी जी और उनके साथियों को एक एक वर्ष की सख़्त क़ैद हो गई।

जब आर्य्य जगत् को यह बात ज्ञात हुई कि ७५ वर्ष के बूढ़े महात्मा को सख़्त सज़ा हुई और उनके पैर में कड़ा डाला गया तो समस्त भारत में सनसनी फैल गई और निज़ाम सरकार के इस असभ्य बर्ताव की हर तरफ़ से घोर निन्दा की गई। कुछ अखबारों में लोहे के कड़े के स्थान में 'बेड़ियाँ' छाप दिया था। निज़ाम सरकार को यह बहाना मिल गया और उसने घोषणा की कि हमने बेड़ियाँ नहीं डाली हैं। यह एक प्रकार से शाब्दिक सत्य था, परन्तु भाव तो वही था। लोहे के कड़े और लोहे की बेड़ियों में काठिन्य के विचार से तो अवश्य भेद है, परन्तु आदर अनादर की पुष्टि से तो दोनों एक ही हैं। निज़ाम सरकार की इस घोषणा का सत्याग्रह समिति के कार्य्यालय से खण्डन कर दिया गया है। गत शिवरात्री के दिन हमारे एक आदमी ने आज्ञा लेकर श्री स्वामी जी के जेल में दर्शन किये। वह क़ैदी के लिबास में थे। टोपी सिर पर नहीं रखते, हाथ में रखते हैं। सुना जाता है कि सत्याग्रहियों के घोर अनुरोध पर शिवरात्री के दिन जेल में हवन भी हुआ और श्री स्वामी जी महाराज का सदुपदेश भी।

पुलिस की घबराहट का पता इस बात से लग सकता है कि केवल 'जय' शब्द के सुनते ही पुलिस चल पड़ती और लोगों को दो दो घण्टे पकड़ बिठाती। एक बार एक सनातनी पंडित कथा करके आ रहे थे। हाथ में नारियल था और गले में माला। बस पुलिस समझ गई कि यह सत्याग्रही है। इस प्रकार पं० जी को भी आध घण्टे तक निरपराध होते हुए भी पुलिस की शंका का शिकार होना पड़ा।

लाठी चार्ज पुलिस के हाथ में एक अच्छा हथियार है, निज़ाम पुलिस को इसके

२४-२-३९

बांई ओर से —(१) पं० शिवदत्त जी जोधपुर (२) पं० रुद्रदेव जी जोधपुर (३) लक्ष्मी नारायण जी साहित्याचार्य जोधपुर (४) पं० रामसुख जी लाला पाटन वाला (५ पं० परशुराम जी जोधपुर

जत्था न० ४३२, ४३३. ४३४ ता० २-३-३९

पहली पंक्ति—(१) बुद्धदेव जी बिहार शरीफ (२) स्वामी आत्मानन्द जी गिरजी (३) चुन्नी लाल जी किराची गुरुवाड़ा

दूसरी पंक्ति—(१) दर्शनानन्द जी सीतापुर (२) भूषण लाल बिहार शरीफ (३) गङ्गा सिंह जबनपुर (४) नन्द सिंह मान्सा मण्डी पंजाब (५) रामेश्वर जी बिहार शरीफ (६) कृष्ण दास किराची (७) रिजूमल किराची

ता० २०।२।३९
जत्था नं० ५१२, ५१३, ५१४

ऊपर बाईं ओर से—(१) राजदेव ब्रह्मचारी बरेली (२) इन्द्रदेव प्र० बरेली (३) राजकरण-सिंह जी प्रतापगढ़ (४) नरसिंहराव निरगुडी (५) शामराव निरगुडी (६) एकनाथराव कल्याण (७) रामचन्द्र निरगुडी।

नीचे बाईं ओर से—(१) रोशनलाल पीलीभीत (२) स्वामी सत्यप्रकाश जी मीनापुर (३) स्वामी विवेकानन्द जी बरेली (४) स्वामी मुनीश्वरानन्द पीलीभीत (५) स्वामी ज्ञानानन्द जी (६) स्वामी गंगाराम जी खीरी लखीमपुर (७) पं० छोटेलाल देहाती।

ता० २१-३-३९
श्री चान्दकरण जी शारदा हमाराष्ट्रीय सत्याग्रहियों के साथ

आयुर्वेदिक कालिज लाहौर का जत्था

ऊपरी लाइन में—(१) प्रेमप्रकाश (२) रणसिंह (३) एम० आर० सागर (४) रामनारायण (५) सुमेरचन्द्र पाराशर (६) ब्रह्मदत्त विद्यारत्न (७) दयोवसिंह रपतम

दूसरी लाइन में—(८) ओ३मप्रकाश शारदा (९) प्रो० दयानन्द (१०) मधुसूदन मराठ (११) वृन्दीनाथ मित्र (१२) प्रो० देवप्रकाश जी शास्त्री (१३) रामलक्ष्मण विद्यारत्न (१४) रोशनलाल विद्यारत्न (१५) रामदास पाडय (१६) इन्द्रजीत शर्मा।

बालकों का जत्था

बाईं ओर से—(१) बाबूराम गुलबर्गा (२) शङ्करपुरी कलम (३) धर्मेन्द्र गुलबर्गा (४) रामचन्द्र बोरगांव (५) व्यंकट गुलबर्गा (६) मोतीलाल गुलबर्गा (७) पन्नालाल लातूर (८) पुण्डरीक हुमनाबाद।

ता० २३।७।२९

ऊपर बांई ओर से—(१) देशबन्धु जी यू० पी० (२) केसरी आन्ध्र (३) वाचस्पति जी यू० पी० (४) चन्द्रकांत जी मद्रास (५) महेन्द्रजी यू०पी० (६) मनोरञ्जन जी बङ्गाल
दूसरी पंक्ति—(१) कृष्ण जी यू० पी० (२) विद्याधर जी चम्बा (३) सोमदेव जी मद्रास (४) दीनबन्धु जी हैद्राबाद (५) वीरेश्वर जी यू० पी० (६) सत्यप्रिय जी यू० पी० ।

तत्था नं० ४३९ से ४५२

श्री चान्दकरण शारदा जी द्वितीय डिक्टेटर के साथ जाने वाले जत्थे

प्रयोग करने का अच्छा अवसर मिल गया। सत्याग्रह देखने के लिये उत्सुकता से लोग जमा हो जाया करते थे। और पुलिस लाठी चार्ज करके उनको भगा देती थी। २८ अक्टूबर ३८ को प्रातःकाल वामन नायक जी के चित्र का जुलूस निकलने वाला था। लोग इकट्ठे हो गये। पुलिस ने बेवक्त लाठी चार्ज किया। चार व्यक्ति घायल हुए। जुलूस भी न निकला। सायंकाल को सत्याग्रह हुआ। पुलिस ने कुछ हलकी सी लाठी चलाई। लोग भयभीत होकर भाग गये। जूते सड़क पर छोड़ गये। पुलिस की बुद्धिमत्ता देखिये। जूते इकट्ठे कर लिये। दूसरे दिन पत्रों में निकला कि पुलिस पर जूतों की बौछार हुई।

पुलिस ने सत्याग्रह को ढीला करने की बहुत सी तरकीबें निकालीं। कभी-कभी मार मार कर माफ़ी नामा लिखवाते। स्टेट कांग्रेस के बारहवें जत्थे को भी पीटा था। इसकी सरकारी तौर पर जाँच की गई और पुलिस का दोष सिद्ध हो गया। उस समय से आज्ञा हो गई है कि पुलिस २४ घण्टे से अधिक किसी सत्याग्रही को अपने चार्ज में न रक्खे।

भिन्न भिन्न लोगों द्वारा वक्तव्य भी समाचार पत्रों में निकलवाये गये कि आर्य्य सत्याग्रह अकारण और विघ्न कारक है। आवेदन पत्रों पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर कराके भी भिजवाये गये। जब कोई पुरुष हस्ताक्षर न करता तो उसपर झूठा केस चला देते। परन्तु इस प्रकार की कार्य्यवाहियाँ आन्दोलन को रोक नहीं सकीं।

श्री कुँवर चांदकरण शारदा द्वितीय डिक्टेटर

जब श्री नारायण स्वामी जी सत्याग्रह को जाने लगे तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मेरे पीछे श्री कुँवर चाँदकरण शारदा जी अजमेर निवासी दूसरे डिक्टेटर होंगे।

श्री शारदा जी का स्थान आर्य्य-जगत् में बहुत ऊँचा है। वह कांग्रेस की ओर से रियासत आन्दोलन में पहले सत्याग्रह कर चुके हैं। उनमें जोश इतना है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका प्रभाव भी आर्य्य जगत् पर बहुत है। इसके अतिरिक्त वे हिन्दू महा सभा के उपप्रधान हैं। ऐसे प्रसिद्ध नेता का श्री स्वामी जी का उत्तराधिकारी होना समुचित ही था। इस सूचना को युवक मंडल ने बड़े सन्तोष से सुना और अजमेर, दिल्ली आदि बड़े नगरों में उनकी विदाई अपूर्व समारोह से की गई। जब श्री शारदा जी दिल्ली से शोलापुर को चले तो मार्ग में कई स्थानों पर विशेष स्वागत हुआ। बम्बई में ८ फरवरी को चौपाटी के विशाल मैदान में एक बड़ी सभा हुई और वहां अभिनन्दन पत्र तथा थैली भेंट की गई। ९ ता० को प्रातःकाल शोलापुर निवासियों की एक भारी भीड़ मालाएँ लिये शोलापुर स्टेशन पर अपने प्रसिद्ध नेता के स्वागत के लिये उपस्थित हो गई और ज्यों ही गाड़ी स्टेशन पर आई जयघोष की एक तुमुलध्वनि हुई।

शारदा जी ने आते ही काम करना आरम्भ कर दिया था। विज्ञप्तियाँ हज़ारों की संख्या में छाप छाप कर आर्य्य जगत् को भेजी जाती रही हैं। तार द्वारा नित्य समाचार पत्रों को समाचार जाते रहे हैं। शोलापुर में बाहर से आने वाले जत्थों का विशेष स्वागत होता रहा है। जाने वाले जत्थों का विशेष स्वागत होता रहा है। जाने वाले जत्थों का फ़ोटो लिया जाता रहा है और सत्कार पूर्वक विदाई दी जाती रही है। रात को निरन्तर चाटी गली में श्री पं० बुद्धदेव जी मीरपुरी की महाभारत की कथा तथा अन्य लोगों के व्याख्यान होते रहे हैं। इस प्रकार दिनों दिन जोश बढ़ रहा है।

कार्य्यालय

दफ़्तर का आन्तरिक प्रबन्ध श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के हाथ में है जो स्थायी रूप से सत्याग्रह के स्थायी प्रश्नों पर विचार किया करते हैं। सभा की पालिसी का स्थायी रूप से चलाना और समस्त विभागों पर दृष्टि रखना यह सत्याग्रह आन्दोलन के वर्तमान और भविष्य के लिये बड़े महत्व की चीज़ है। श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का यह विशेष कार्य्य है। स्वामी जी सार्वदेशिक सभा के उपप्रधान तथा स्थानीय प्रधानकार्य्यकर्ता हैं। समस्त मशीन उन्हीं के हाथ में है। उनकी सहायता के लिये कई और सज्जन भी हैं। श्री स्वामी जीवनमुनि जी तथा श्री स्वामी विज्ञानानन्द जी जो कार्यालय के कई विभागों में उपयुक्त कार्य्य कर रहे थे, सत्याग्रह करके कारावास में चले गये। श्री स्वामी शुक्लानन्द जी कोषाध्यक्ष हिसाब किताब का कार्य्य करते हैं। इनके सिवाय श्री म० दुर्गाप्रसाद जी अजमेरा तथा श्री हरिश्चन्द्र जी विद्यार्थी बी. ए. बी. टी. पंजाब गुजरात के प्रकाशन विभाग में बड़ी तत्परता से कार्य्य कर रहे हैं। प्रयाग के श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय एम. ए. भी १२ जनवरी से २८ फरवरी तक कार्य्यालय में रहे और कार्य्यालय को प्रकाशन विभाग में सहायता देते रहे। वस्तुतः इस संग्राम के इतिहास में पं० जी की सेवाएँ एक विशिष्ट स्थान रखती हैं।

सत्याग्रह शिविर का आन्तरिक कार्य्य श्री पं० शम्भुगिरि और श्री पं० शिवचन्द्र जी की सहायता से चल रहा है। श्री अप्पा जी शिविर के भोजन का प्रबन्ध करते है। श्री पं० बन्शी लाल जी जो हैदराबाद प्रतिनिधि सभा के प्रसिद्ध नेता हैं सत्याग्रहियों को नित्य प्रति उपदेश देते हैं।

सत्याग्रही जत्थे

जिस समय लोगों को मालूम हुआ कि आर्य्य समाज सत्याग्रह करने जा रहा है

उस समय से ही आर्य्य समाजों से स्वयं सेवकों के नाम आने लगे थे। अक्टूबर के पीछे भारतवर्ष की किसी आर्य्य समाज में कोई सत्संग या कोई जलसा ऐसा नहीं हुआ जिसमें सत्याग्रह के लिये लोगों ने उत्सुकता प्रकट न की हो। शोलापुर सम्मेलन के पहले ही पूज्य श्री नारायण स्वामी जी महाराज की सेवा में इतने पत्र उपस्थित हो गये कि उनकी समझ में नहीं आया कि इनका क्या किया जाय। प्रथम तो सत्याग्रह की अन्तिम स्वीकृति सम्मेलन से लेनी थी। पूर्ण विचार तो सम्मेलन को ही करना था। दूसरे यह कि यदि इतने सत्याग्रही शोलापुर में इकट्ठे होजाते तो उनको कहाँ और किस प्रकार भेजा जाता। 'सत्याग्रह' कहना तो सुगम है, परन्तु 'सत्याग्रह'-की शर्तों को पूरा करना अति कठिन है। इसका पूर्ण उत्तर दायित्व डिक्टेटर के मत्थे हैं।

इन सब बातों पर विचार करके श्री पूज्य नारायण स्वामी जी ने घोषणा कर दी कि जो पुरुष केवल सत्याग्रह के लिए आना चाहें वह शोलापुर आर्य सम्मेलन में न आवें जब आवश्यकता होगी तब उनको बुला लिया जायगा।

यह घोषणा अत्यावश्यक थी परन्तु इससे भ्रम भी बहुत फैला। वे लोग जो जोश के आगे 'होश' का अधिक आदर नहीं करते थे यह कहने लगे कि शायद आर्य नेता सत्याग्रह करना नहीं चाहते केवल निज़ाम को गीदड़ भभकी देकर ही काम निकालना चाहते हैं। वस्तुतः इस असन्तोष के लिए कोई कारण न था परन्तु आर्य युवक जोश से भरे हुए थे, उनका ख़ून निज़ाम सरकार के अत्याचारों को सुन सुन कर उबलने लगता था। ये देरी को सहन नहीं कर सकते थे। नेताओं के लिए एक समस्या खड़ी होगई। इसी जोश का नतीजाथा कि शोलापुर आर्य-सम्मेलन ने हज़ारों की संख्या में एक स्वरसे सत्याग्रह का प्रस्ताव पास कर दिया और २७ दिसम्बर १९३८ को सम्मेलन के अन्त पर श्री पूज्य स्वामी जी ने हर्ष पूर्वक सूचित किया कि बाईस हज़ार पुरुषों ने सत्याग्रह के लिए नाम दिए हैं।

इधर निज़ाम गवर्नमेण्ट का कहना था कि निज़ाम रियासत में रहने वाले लोग शान्ति पूर्वक रहते हैं। उनको कोई शिकायत नहीं है। शोर मचाने वाले केवल बाहर के लोग हैं। उन्होने प्रसिद्ध कर दिया था कि निज़ाम राज्य की प्रजा सत्याग्रह करना नहीं चाहती। इस बात ने आर्य समाज के बाहर के नेताओं को भी शंका में डाल रक्खा था उनका कहना था कि किसी बाहरी को निज़ाम के शासन में दख़ल नहीं देना चाहिए।

इस में तो सन्देह नहीं कि यदि निज़ाम के लोग सत्याग्रह नहीं चाहते तो दूसरों को क्या पड़ी। परन्तु निज़ाम सरकार का यह केवल बहाना मात्र था। वास्तविक बात यह थी

कि निज़ाम की प्रजा तङ्ग थी। २२ जनवरी तक उन्हीं ने सत्याग्रह किया। बाहर वाला कोई न आया।

इस बीच में बाहर वालों में फिर सन्देह उत्पन्न हुआ, लोग कहने लगे कि क्या सत्याग्रह न होगा। परन्तु जब २२ जनवरी को हैदराबाद दिवस मनाया गया तो लोग जाग पड़े। पहले ही दिन हैदराबाद के भिन्न २ स्थानों में ५५ सत्याग्रही गिरफ़्तार हुए। और उसी दिन से बाहरसे लोगों का ताँता बंध गया। निज़ाम की रियासत से आनेवालों की संख्या बहुत है। दूसरे प्रान्तों से आने वालों के सामने कई कठिनाइयाँ हैं हज़ारों मील की यात्रा और केवल रेल का २०) प्रति पुरुष भाड़ा। परन्तु जोश के सामने कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं हैं। बाहर से जो जत्थे अब तक आए हैं उन में से बहुत से तो प्रचार के लिए ब्रिटिश इण्डिया के सीमा प्रान्तों में भेज दिए गए हैं। कुछ कार्यालय में काम करते हैं और बहुत से जाने की तय्यारियाँ कर रहे हैं। परन्तु जो अब तक जेल में चले गए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है।

पटना से	१	बम्बई से	६
अजमेर से	१८	इन्दौर से	१
एटा से	१	गुरुकुल काँगड़ी से	१५
कानपुर से	१	सिरसा से	१
बदायूं से	१	देहरा गाज़ी ख़ाँ से	१
इन्दौर से	४	हुबली से	१
मुज़फ़्फ़र नगर	२	शोलापुर से	२
सावर से	१	ग्वालियर से	६
अयोध्या से	१	मलावार से	१
मऊ से	२	गाज़ीपुर से	१
बरेली से	७	सीतापुर से	४
पीलीभीत से	२	हरदोई से	२
काशी से	१	सातारा से	१

इस प्रकार बाहर के लोग जो जेल में गए हैं उनकी संख्या १०० से कम है और दो हज़ार के लगभग जो सत्याग्रही निज़ाम की जेलों में हैं उन में शेष सब निज़ाम स्टेट के निवासी हैं।

ऊपर की सूची में वे ५३ सत्याग्रही शामिल नहीं हैं जो श्री ला० खुशाल चन्द जी के साथ आए हैं और जो अभी सत्याग्रह में जाने के लिए डिक्टेटर की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

ला० खुशहालचन्द जी खुरसंद

तृतीय डिक्टेटर

२५ फरवरी १९३९ का सायंकाल शोलापुर नगर निवासियों को बहुत दिनों तक याद रहेगा। उस दिन दोपहर को तार से सूचना मिली कि आर्य्य सत्याग्रह समिति के तीसरे सर्वाधिकारी श्री लाला खुशालचन्द जी खुरसंद अपने जत्थों सहित आज सायंकाल को आने वाले हैं। झट से एक छोटा सा विज्ञापन छपवाकर बाँटा गया। श्री लाला जी की ख्याति आर्य्य जगत् में पहले से ही बहुत कुछ फैली हुई है। पंजाब का तो बच्चा बच्चा इनकी समाज सेवाओं से परिचित है। आप २० फरवरी को लाहौर से चले थे। उस समय हज़ारों नर-नारी प्लैटफार्म पर उनको बिदा करने के लिये आये थे। लाहौर स्टेशन पर जोश का सैलाब आया हुआ था। डेढ़ घण्टे तक व्याख्यान आदि होते रहे। श्री लाला जी फिर दिल्ली आये वहाँ भी बड़ा समारोह रहा। वहाँ से चलते हुए शायद ही कोई स्टेशन हो जहाँ उनका स्वागत न किया गया हो। मथुरा आदि सभी स्थानों के आर्य्य भाई अपने तीसरे डिक्टेटर के स्वागत के लिये रेल आने से पहले ही तैय्यार रहते थे। लाला जी को सोना कठिन हो गया। उनका व्याख्यान देते देते गला बैठ गया। २४ फर्वरी को बम्बई में एक बहुत बड़ी सभा हुई उसमें भी लाला जी को बधाइयाँ दी गईं। २५ फर्वरी को पूना में प्रचार किया।

शोलापुर स्टेशन पर साढ़ेपाँच बजे से ही लोग आने आरम्भ हो गये थे। जब साढ़े छः बजे, गाड़ी स्टेशन पर आई और जयघोष से आकाश गूँज उठा। लाला जी के साथ ५३ सत्याग्रही थे जिनमें ब्रह्म विद्यालय लाहौर तथा महा विद्यालय ज्वालापुर आदि के जत्थे भी आये थे।

स्वामी विवेकानन्द जी ज्वालापुर चार वृद्ध और योग्य संन्यासी तथा एक पंजाबी वृद्ध लखपति श्री गंडू शाह जी भी इसी जत्थे में शामिल थे। इन्होंने अपनी गाड़ियों में बाहर की ओर कपड़ों के बोर्ड लगा रक्खे थे और झंडियाँ बाहर को लहरा रहीं थीं। पूना से शोलापुर तक छोटे बड़े सभी स्टेशनों के लोग इस समारोह को देखकर चकित थे।

गाड़ी से उतरते ही लोगों ने लाला जी का स्वागत किया। उनके तथा उनके साथियों के गले में हार पहनाये और स्टेशन के बाहर से एक जुलूस निकाला गया।

श्री लाला जी मोटर में थे अन्य जनता पैदल थी। जब जलूस नवी पेठ के बीच में पहुँचा तो मोटर का पैट्रोल कम हो गया : लाला जी ने उतर कर पैदल चलने का प्रस्ताव किया। परन्तु शोलापुर के युवकों को यह बात गवारा न हुई। बीसियों युवक आ जुटे और मोटर चलने लगी। इस प्रकार दो फर्लांग तक जलूस चला। लाला जी ने आगे इस प्रकार जाना पसन्द न किया और पैदल हो लिये मार्ग में कई जगह पुष्प वर्षा हुई। 'ऋषि दयानन्द की जय' 'आर्य्यसमाज की जय' 'वैदिक धर्म की जय' से नगर में शोर मच गया। इस प्रकार लगभग मंगलवार पैठ सत्याग्रह शिविर में आते आते आठ बज गये।

९ बजे से चाटी गली में विराट् सभा हुई, हज़ारों लोग इकट्ठे थे। लाऊडस्पीकर का प्रबन्ध था। श्री कुँवर चाँदकरण शारदा द्वितीय डिक्टेटर ने सभापति का आसन ग्रहण किया था और उन्हीं ने सबको माला पहनाई थीं। श्री लाला जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि शोलापुर में सत्याग्रह का मुख्य शिविर स्थापित होने से शोलापुर की वही स्थिति है जो रामायण के समय रामेश्वरम् की थी। जैसे आर्य्य जाति रामेश्वर को तीर्थ स्थान मानती है उसी प्रकार शोलापुर भी आर्य्य संस्कृति के पुनरुत्थान के लिये तीर्थ स्थान का काम देगा। वीर राणा प्रताप, वीर गुरुगोविन्द और वीर शिवाजी राजपूताना, पंजाब और महाराष्ट्र में उस समय हुए, जब यह तीनों प्रान्त अलग अलग थे। परन्तु आज यह तीनों प्रान्त एक हो गये हैं। इनके संयोग और सहयोग से वैदिक संस्कृति के उद्धार में अवश्य ही सफलता मिलेगी और इसकी विरोधिनी शक्तियाँ स्वयं ही विलीन हो जायँगी।

श्री लाला जी के इस व्याख्यान का जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और 'पंजाब केसरी लाला खुशाल चन्द जी की जय की तुमुल ध्वनि हुई' वस्तुतः लाला जी केवल पंजाब केशरी नहीं हैं इनको तो दक्षिण का केशरी कहना चाहिए। क्योंकि मलाबार में मोपला कांड के भीषण समय में यही लाला खुशहालचन्द खुरसंद अपना सिर हथेली पर रख कर मलाबार के पीड़ित हिन्दुओं की रक्षा के लिये आये थे।

लाला जी के अतिरिक्त अन्य कई विद्वानों के व्याख्यानों के बाद रात को ११ बजे सभा विसर्जित हुई।

CIVIL LIBERTIES IN HYDERABAD

By S. RAMACHAR

To talk of Civil Liberties in Hyderabad is to be guilty of a verbal jugglery, for, the simple fact is that there is no Civil Liberty in Hyderabad.

By the term Civil Liberty is implied primary and fundamental rights such as the right to hold meetings, make speeches, print news-papers, and the right to be tried openly by a lawfully constituted tribunal.

To take the last thing first, there are scores of instances where people have been denied the right of open trial, The Government simply gets rid of any person it does not want to stay in the province by externment without any trial and without vouchsafing any reason for its order of externment. The case of Pandit Taranath, Raghavendra Sharma, and Pandit Ramchanderji Dehlavi are wellknown. Even to appeal against an order is a crime in Hyderabad. One Abdal Sathar Thaimuri was externed from Hyderabad for publishing *An Appeal to His Exalted Highness* (*Bombay Chronicle*, 28th July, 1936). In England even a man who shot at the most popular king was given a fair trial and sentenced to a short term of imprisonment. In Hyderabad an appeal to the ruling monarch is met by an order of exterument. Mr. K. Tata Char, a non-political worker was externed from Hyderabad as he happened to be an externee from the cantonment area The latest instance of such externment being that of Krishna Sharma of the *United Press*.

In 1921, a Firman of H. E. H. the Nizam said:

"Any political meeting or any meeting calculated to bring about political results should not be held without the permission of the Executive Council [the Executive Council shall obtain my sanction before granting such permission]. Otherwise th conveners of the meeting will be held responsible in every way Besides this, it will be necessary to submit previously by way of information the Agenda to the Executive Council of all proceedings to be held in the meeting, which is thus sanctioned, and until the Executive Concil sanctions the Agenda, the proceedings shall not be gone through.

It is impossible to know what exactly the authorities mean by the term "political" or "political results." The words are very vaguely put in the Firman Once an attempt was made to get the word "political" defined by the Government. On the 14th Ardebahisth 39, a letter was addressed to the Commissioner of Police to define the word "political."

The Commissioner forwarded the letter to the higher authorities and asked the applicant to wait for an answer. The Commissioner was reminded as often as possible. At last on 5th Azar 41—after the lapse of twenty-four long months—the Commissioner kindly wrote:

"The Government have not forwarded an explanation. It would be better however if the matter is dropped at this."

Finally, on 20th Khurdad 1342, a Government *Communique* declared:

"H. E. H. the Nizam's Government are not prepared to make any changes in their policy about political meetings In the category of political meetings are to be included all meetings which are likely to lead to any .communal disturbance or which are likely to create any disaffection against the Government or in which opposition is shown to the administration of H. E. H. the Nizam, the Nizam's dominon or British India, the more especially so when they are organized or when there is a possibility that the Government or their officials may be blasphemed."

The result of these rules is that no meeting which is regarded as "political" by the authorities can be held in Hyderabad. Not only that but in fact *no meeting of any kind can be held in Hyderabad.*

In 1929, an executive fiat ran:

"Every person desirous of holding a meeting shall in writing intimate his intention to the local authorities at least ten days prior to the holding of the meeting" and the local authorities were given the power "to send for all rules in force of such meetings, copies of speeches, and list of persons convening such meetings."

The result of such rules was that even condolence meetings could not be held anywhere in the State. Even meetings to mourn the death of Sjt. G. K. Devedhar and Dr. M. A. Ansari could not be held because permission could not be got. The latest instance being the ban on a meeting which was to be held to mourn the loss which the entire world has sustained by the demise of Kemal Ataturk. Even a meeting to congratulate the Nawab of Rampur for granting certain political concessions to his people was not allowed to be held. And finally, no less a person than Mahatma Gandhi was not allowed to visit the Harijan colony and declare open the Khadi Bhandar on the occasion of his last visit to Hyderabad. This was on 9th March, 1934. Meetings in connection with Libraries, magic-lantern lectures and even temperance meetings are not allowed to be held in spite of the fact that Temperance is a semi-official work of the Government and no less a man than the Chief Justice of the Hyderabad High Court happens to be the President of the Temperance Association.

The holding of any conference in the Nizam's Dominion is of course out of question. Permission is very rarely granted and even if permission

सत्याग्रही जत्था जिसने हैदराबाद में १७ फरवरी शिवरात्रि को सत्याग्रह किया।

(१ श्री माणिकराव जी, (२) श्री भीमसेन जी, (३) श्री यशवन्त राव जी।

सत्याग्रही जत्था नं० ४१०

१८।२।३९

१ वासुदेव कलम।

२ रामेश्वरदास, अमदाबाद।

३ रामगोपाल, शोलापुर।

४ पन्नालाल, लातूर।

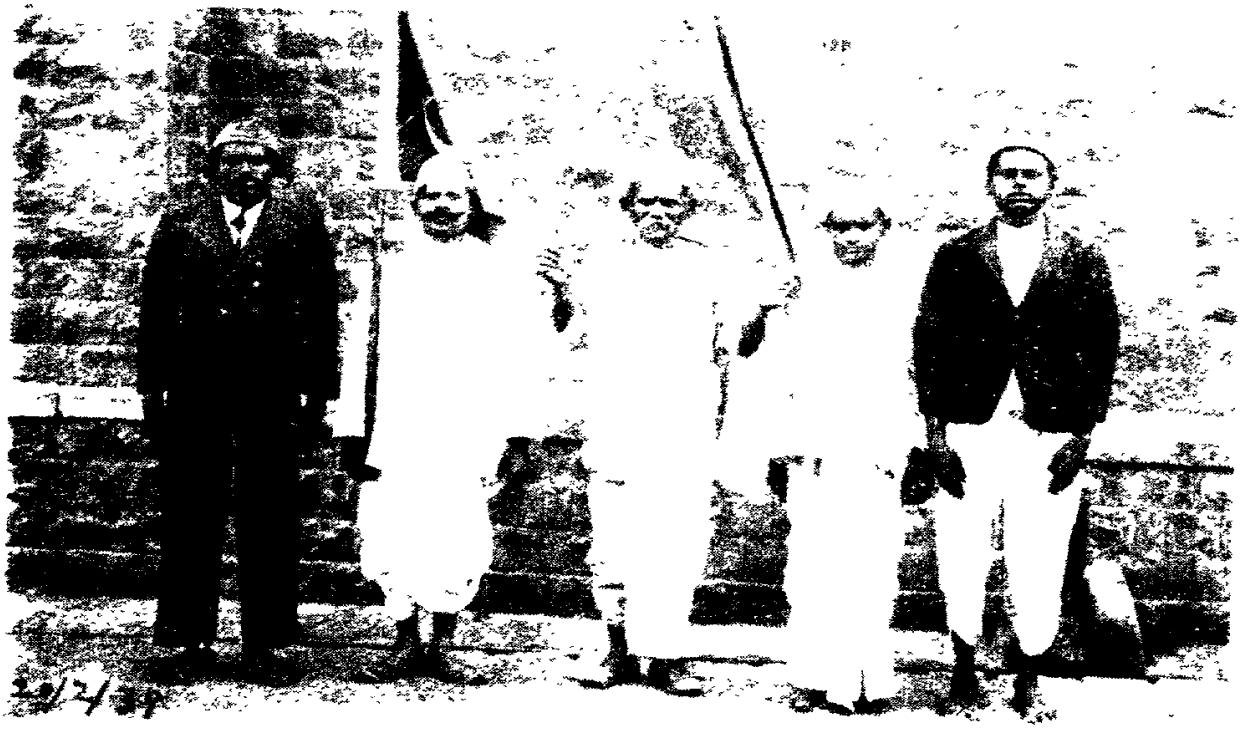

सत्याग्रही जत्था (२० । २ । ३९)

बायें ओर से—

(१) तिपण्णा सोंत, (२) रघुवीर जी साहु, गाज़ीपूर यू० पी०, (३) चुन्नीलाल महु, (४) श्रीकृष्ण रामरत्न महु, (५) विश्वनाथ सोंत ।

हैदराबाद सत्याग्रह (२४ । २ । ३९)

(१) रंगनाथराव, (२) ,नामदेव राव (३) तुकाराम जी, (४) संभावी, (५) मारुती राव, (६) बापूराव, (७) भागवत राव, (८) नरसिंह राव ।

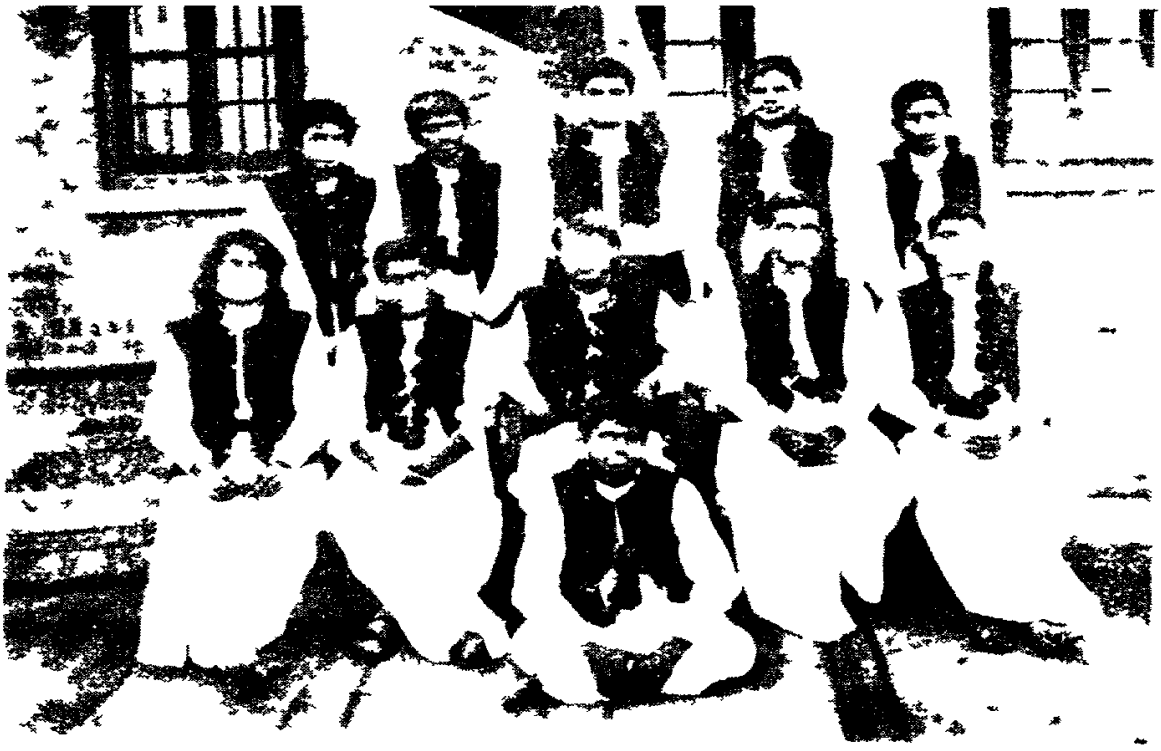

गुरुकुल विश्वविद्यालय कागड़ी के वे ब्रह्मचारी जो हाल ही मे हैदराबाद सत्याग्रह मे गिरफ्तार हुए हैं

नीचे बैठे हुए (१) श्री सतीशकुमार

बैठे हुए दाइ ओर से—

१ श्री सत्येन्द्र २ श्री इन्द्रसेन ३ श्री क्षेत्रपाल ४ ओ३म् प्रकाश ५ श्री उदयवीर ६ श्री सतीशकुमार।

खड़े हुए—

१ श्री देवराज २ श्री चन्द्रगुप्त ३ श्री मनोहर ४ श्री रामनाथ ५ श्री विश्वमित्र।

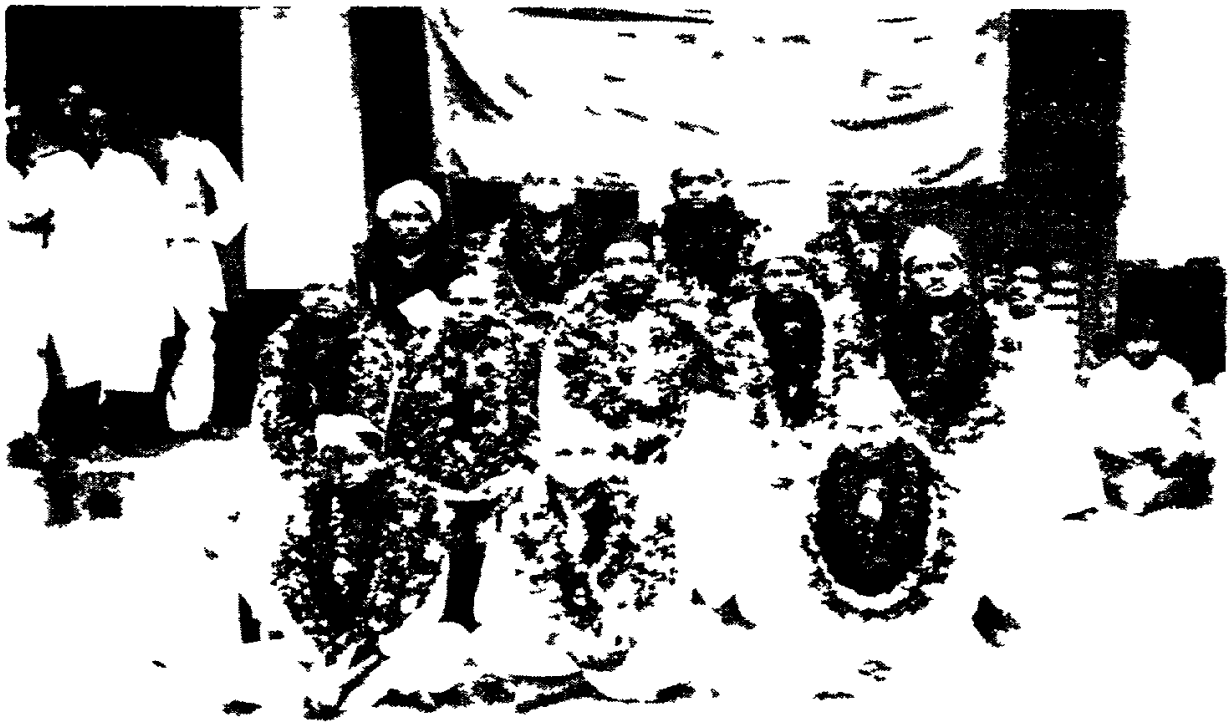

आर्य प्रतिनिधि सभा बङ्गाल, आसाम का सत्याग्रही जत्था

सत्याग्रही जत्था (२७।२।३९)
दयानन्द ब्रह्म विद्यालय

(बाईं ओर से)

ऊपर की लाइन—१ सत्येन्द्र नाथ, मुज़फ्फरनगर २ विजयपाल रोहतक ३ महिपाल मेरठ ४ लक्ष्मीनारायण, प्रो० उड़सा जिला कटक ५ ब्रह्मदत्त, फिरोज़पुर पटियाला।

दूसरी लाइन—१ नन्दसिंह पटियाला २ रौनकराय भटंग ३ देवेन्द्र शर्मा ४ सत्यदेव मेरठ ५ बलदेव हिसार ६ मुक्तीराम मिरथ ७ चन्द्रप्रकाश।

सत्याग्रही जत्था नं० ४०१

is granted such humiliating restrictions are imposed that any man with a grain of self-respect in him would think a hundred times before attending such a conference. Even men like the late Pandit Keshav Rao, a High Court Judge of Hyderabad and Mr. Waman Naik were forced to summon meetings and conferences beyond the borders of the State. The Andhra conference could not be held for three years because the Government would not give the necessary permission. The following conditions were enforced on the organisers of the Andhra conference which was held in in Sirsilla in the district of Warangal :

(1) All the resolutions were directed to be submitted to the Taluqdar and the resolutions disapproved by him were asked to be deleted.

(2) The resolutions were directed to be placed before the Taluqdar at least a week before the seasion of the conference and organisers were directed in accept all the amendments to the resolutions proposed by him.

(3) All resolutions that were passed by the subjects committee were asked to be re-submitted to the Taluqdar for approval and only such resolutious were allowed to be placed before the open session which were approved by him.

(4) The President was asked to take the necessary instructions from the Taluqdar.

(5) The Taluqdar had the right to stop any speech which he considered improper.

(6) It was incumbent on the organisers not to allow any outsider (Non-Hyderabadi) to speak at the conferenee.

(7) And further, a list of speakers and names of organisers were asked to be submitted."

In 1936, the third session of the People's Educational Conference was to be held in Hyderabad. Mr. Ramchandra Naik, a Mulki of Hyderabad, was to preside over the Conference. The Government would not agree to his Presidentship. This happened in September, 1936, and Mr. Naik was made a Judge of the Hyderabad High Court in June, 1937.

Thus we see that Freedom of Association is completely absent. But it goes so far in Hyderabad that even schools and *akhadas* are not free from such restrictions. While the popular Governments of Madras and Bombay are thinking of handing over as many educational institutions as possible to private hands, Hyderabad Government has made it impossible for individuals or societies to run educational institutions. An order of the Government prohibits the starting of running or any educational institution without the sanction of the authorities. If such an institution is run, the Director of Public Instruction or the Divisional Inspector of Schools is empowered to take necessary steps

"either through the first Taluqdar of the district concerned, or the Police Commissioner of Hyderabad City, to have such schools closed,"

The harmful result of this policy is revealed by the fact that while in the year Fasli 1335 there were 3,142 private institutions with a strength of 76,654 boys at the end of the year Fasli 1343 there were only 868 institutions with a strength of 25,262 pupils. That the public should be deprived of even the right of educating their children is simply unbearable.

Every State is interested in the physical well-being of its subjects. And with a view to help its people to grow stronger it provides amenities for physical exercise. Almost every University in India have a volunteer corps and the provincial Governments today are thinking of making physical culture compulsory. But here we have the premier state of India which has placed a ban on the formation of "Akhadas." A circular of the Home Secretary dated 29th Khurdad, Fasli 1344 (27-4-35) prohibited the forming of any Akhadas without the permission of the authorities. The circular defines an Akhada as :

"any place where the public or any particular group or community generally gather for Physical Exercise but it shall not include a place where members of a family especially do Physical exercise."

"Members of a family" is not properly defined in the circular. Hence it is doubtful if the members of a family can engage an instructor who is not a member of the family.

Here are the instructions, which the Nizam's Government have given to their officials regarding lawyers. A Government Circular says

"The conduct of pleaders should be generally watched-for Firstly, they are educated. secondly, owing to profession, the public looks upon them with respect and honour and in connection with the work in courts, different classes of subjects perforce have to deal with them It is found that they entertain more or less *modern ideas* and it is likely that those who come in contact with them will be influenced by their views and carry the poison to their environment."

Not satisfied with the present position, the Nizam's Government have enforced Public Safety Regulations which give unlimited authority to the police and render almost every public activity illegal. It goes to the extent of saying that:—

"if the guilty person is found to be a minor under 16 years of age, his parents or guardians will be liable to penalty."

We have seen the fate of individuals, meetings and conferences. Now let us turn to the press.

"The Liberty of the Press" Lord Mansfield says "consists in printing without any pervious license subject to the consequences of the Law."

What is the extent of Liberty that the Press enjoys in Hyderabad ? At the outset let me make it clear that there is no regular legislation regarding newspapers or periodical publications in Hyderabad. The department concerned has framed certain rules which it enforces. If any individual intends to start a paper he has to apply to the Home Secretary for permission. The Home Secretary calls for a report of the conduct of the applicant, his political views, etc. If he is satisfied he grants the permission. In most cases it is not granted. Recently Mr. Vinayak Rao, Bar-at-Law, son of the late Mr. Keshav Rao, was refused permission to start a paper. Not only are people not allowed to start papers in Hyderabad but as many as fifty newspapers and magazines are not allowed to enter Hyderabad Not only papers like *Riyasat* but even conservative and moderate papers like the *Hindu* of Madras and the *Servant of India,* the organ of the Servant of India Society, were not allowed to enter Hyderabad for some time. Even the *Bombay Chronicle* was thus honoured. Not satisfied with this the Government recently banned the entry of about thirty newspapers and magazines into the State. Under such circumstances there is no wonder that for a population of fourteen-and-a-half millions there are only one English daily, one Marathi weekly, one Telugu bi-weekly, a couple of the Urdu newspapers and magazines. The highest circulation claimed in the State is by a weekly which boasts of its circulation being 3 000 copies !

Finding that in spite of all this extraordinary precaution the public indignation against the Government is growing and with the object of at least checking such discontent the Government have changed their tactics. A recent *Jarida* publishes a Firman sanctioning the grant of a sum of Rs. 15,000 to the *Associated Press* and *Reuters,* Hyderabad Branch. This type of subsidies to news agencies by Government is very injurious. That itself is against all canons of Civil Liberty. We have already seen how the Government externed Mr. Krishna Sharma, the representative of the *United Press.* It is needless to point out the effect of this double-edged policy on the circulation of news regarding the State.

In May 1936, the Nizam's Government by a notification banned all books which have any bearing on Communistic topics. This notification is so vague that it may be possible to bring even books by Bernard Shaw or any other prominent writer into the category of Communist Literature, only the police have to describe them as Communistic or that they have some bearing on Communist doctrines.

The result is that a large number of books which you could read with impunity in British India are not suffered to enter Hyderabad State. Even a moderate book like *Whither Hyderabad* by Syed Abid Hassan was proscribed in Hyderabad. This was done, I suppose, because the words "Freedom," or "Liberty" occur in the book. The result of this indiscriminate suppression of all intellectual food to the people can be seen in the small number of books published in the State. In Fasli 1343 (1933-34) the total number of books published in the State were 560.

"The bulk of these consisted of works on Ethics and Theology [125] and on miscellaneous subjects [223]. Education ranked next in order, with 62 publications to its credit. The next in order were those of poetry with 40, Science with 24, Calendars with 19, Law with 13, Biology with 12, History with 11, Agriculture with 10, Stories with 9, Sociology and Drama with 5, each, Dictionary with 2, Novel and Music with one each."

Not one among the books published in the State is on the dangerous subject of Economics and Politics. Yet the Nizam's Government claim to have established the first National University in India !

Congress & the Arya Samaj Satyagraha

General Secretary's Letter
to
L. DESHBANDHU GUPTA M.L.A, (Panjab)

The following is the full text of Acharya Kripalani's letter:—

"The difference between the Arya Samajists and the Congress in this matter is merely one of approach. Every Congressman believes that the restrictions imposed on the Arya Samaj by Hyderabad State are of an undesirable nature. They may also be resisted. But the question should not be given a communal colouring as a struggle between Hindus and Muslims. The grievances of the Arya Samajists are against the State authorities and not against the Muslim Community. It is because confusion was being created in the public mind that some of our leaders advised the suspension of the movement of direct action inaugurated by the Hyderabad Congress.

I have absolutely no doubt in my mind that individual Arya Samajists belonging to the Congress have a perfect right to participate in the struggle for the assertion of their religious liberties. Congress may have no religious predilections but we believe that in religious matters the utmost freedom consistently with public morals should be allowed to all denominations. If this liberty is denied to any section it has a perfect right to put forward its efforts at getting justice.

Congress as an organization does not fight for every righteous cause. In this matter we feel that our interference as an organization instead of easing the situation will complicate matters. Non-participation is not a question of principle, but it is a question of policy, of counting profit and loss. We feel that the loss to the political movement will be greater than the gain to the Arya Samajists who are fighting their own fight quite bravely".

कांग्रेस और आर्य्य सत्याग्रह

प्रत्येक आर्य्य समाजी कांग्रेसमैन अपनी व्यक्तिगत स्थिति में आर्य्य-सत्याग्रह में भाग ले सकता है।

(काँग्रेस के भूतपूर्व प्रधान-मन्त्री श्री आचार्य कृपलानी के विचार)

१० फ़रवरी को श्री आचार्य कृपलानी जी ने श्री लाला देशबन्धु जी को एक पत्र के दौरान में इस प्रकार लिखा है:—

"इस मामले में आर्य्य समाज और कांग्रेस के मध्य केवल इस सम्बन्ध में भेद है कि इस प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाय। प्रत्येक कांग्रेसी का यह विश्वास है कि हैद्राबाद रियासत ने आर्य्य समाज पर जो प्रतिबन्ध लगा रखे हैं वे अवांछनीय हैं। उनका विरोध भी किया जा सकता है। परन्तु हिन्दुओं और मुसल्मानों के मध्य संघर्ष के रूप में इस प्रश्न को साम्प्रदायिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। आर्य्य समाजियों की शिकायतें निज़ाम सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध हैं, मुसल्मानों के विरुद्ध नहीं हैं। चूँकि जनता में भ्रम फैलाया जा रहा था इसलिये हमारे कुछ नेताओं ने स्टेट कांग्रेस को अपना सत्याग्रह स्थगित करने की सलाह दी थी।

मुझे इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है कि व्यक्तिगत स्थिति में आर्य्य समाजी कांग्रेसमैनों को अपनी धार्मिक स्वतन्त्रता की रक्षा के संघर्ष में भाग लेने का पूरा २ अधिकार है। कांग्रेस भले ही धार्मिक प्रश्नों से पृथक हो परन्तु हमारा विश्वास है कि जहाँ तक धार्मिक स्वतन्त्रता समाज के सदाचार के अनुकूल हो, वहाँ तक सब धर्मों को उसके अधिक से अधिक उपयोग की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यदि इस स्वतन्त्रता से कोई जाति वंचित की जाती है तो उसका पूर्ण अधिकार है कि वह न्याय प्राप्ति के लिये यत्न करे।

संस्था के रूप में प्रत्येक पवित्रोद्देश्य के लिए कांग्रेस नहीं लड़ती है। इस मामले में हम यह अनुभव करते हैं कि संस्था के रूप में कांग्रेस के हस्ताक्षेप से स्थिति के संभलने के बजाय मामला पेचीदा हो जायँगे।

आर्य्य समाज के आन्दोलन में भाग न लेना असूल का प्रश्न नहीं है वरन् लाभ और हानि का अंदाज़ा लगाने की नीति का प्रश्न है। हमारी यह भी धारणा है कि आर्य्य समाजियों को जो अपनी लड़ाई वीरता से लड़ रहे हैं, कांग्रेस के संस्था के रूप में उनके सत्याग्रह में भाग लेने से जो लाभ होगा उससे अधिक राजनैतिक दृष्टि से हानि होगी।

As Others See Us

Mahatma Gandhi.

"Arya Samaj agitation in Hyderabad State is purely religious and is aimed at the removal of religious grievances."

Pt. Jawahar Lal Nehru writing to Sayad Husan Baqai on 9th February.

"It appears to me that certain improper restrictions denying religious freedom, have been imposed on the religious ceremonies of the Arya Samaj in Hyderabad State and we have already resolved that every individual must have religious freedom."

Maulana Abdul Kalam Azad.

"Although the Satyagrah movement in Hyderabad is started by a sect, it is of the religious nature. I have sympathy with those who are suffering for the cause."

Master Tara Singh Akali.

The Akali Leader Master Tara Singh says:—

"I congratulate the Arya Samaj for its fight for the cause of religious liberty."

Acharya Kriplani.

"Every Congress man blieves that the restrictions imposed on the Arya Samaj by the Hyderabad State are of an undesirable nature. They may be resisted."

Shrimati Kamla Devi Chattopadhyaya.

"Personally I am in favour of Hyderabad Satyagrah Movement."

॥ ओ३म् ॥

सार्वदेशिक

* सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र *

वर्ष १३ | वैसाख १९९६ | मई १९३९ ई०] [दयानन्दाब्द ११४ | अङ्क ३

* वेद की शिक्षाएँ *

पनो मा निगां कतमच्च नाहम्। अथर्व० ५—३—४

मैं कोई भी पाप न करूं।

May I never commit sins!

जीवतां ज्योति रभ्येहि। अथर्व० ८—२—२

जीवन वाले लोगों से ज्योति प्राप्त कर।

Seek Light from the lighted and Life from the Liviug.

Swami Dayanand

(*By*—Ganga Prasad Upadhyaya M.A.)

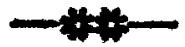

My view point

Dr. M. H. Syed's beautiful short article on Swami Dayanand which is published in rhe Leader of 31st Jan. 1939 invites "The attention of *Independent thinker and cultured members* of the Arya Samaj to certain draw-backs in their movement as they strike him." As I claim to belong to the category mentioned above, it will not be out of place for me to express my view-point. Dr. Syed has long been known to me as a friend and cannot but be sincere. It is quite true that Swami Dayanand did not know Hebrew, English or Arabic and depended for his criticism on the Quran and the Bible on the then existing authentic translations of these books. Since then there has been a great change in the outlook of a corresponding change in the translations also. It is why "some of his remarks and points of criticism" *appear now* to be "Misplaced and faulty." Any man can verify my statement by comparing carefully the translations of the Bible and the Quran of 1880 with those of today. These criticisms are no part of the Arya Samajic doctrines and it is a question whether it will be fair for the author or for the future historian, to make alterations in his book. Is it not a credit to him that his criticism could bring about such a change ?

Dr. Syed is quite right when he says that "Some of the injunctions of Manu (let me say, of present Manusmriti) need revision and rehabilitation." The Arya Samajic Scholars have long been trying to expurgate the book of the excresences and interpolations which have brought bad name to Manu and held him so condemnable in the eye of the public. I shall beg leave

to refer to my own edition of the Manusmriti which has been brought out very recently by the Kala Press, Allahabad.

Dr. Syed indeed touches a very weak point when he remarks that "Whenever an enquirer visits an Arya Samaj Mandir he is given a copy of Satyarth Prakash only and not of the Vedas." This weakness of ours nobody feels better or keener than ourselves. But the reason is not that we want to conceal the Vedas or hold Satyarth Prakash superior to them; but because we believe that Satyarth Prakash is a key to the Vedas as understood by Swami Dayanand and the Arya Samaj. Besides we have not yet been able to bring out a popular translation of the Vedas—a vacuum which we are strenuously trying to fill. Dr. Syed is perfectly right when he says that "If the Vedas are the repository of divine knowledge and contain the deeper meaning of life, they surely deserve to be known by seekers after truth all over the world. They should be published with Swamiji's commentary, and their mysteries unravelled. This is the most important work that still waits to be done by the Votaries of Arya Samaj." Only one thing can be said by way of apology. First of all the task is so big. Secondly we have all along been doing something in this line. We wish we could have done more.

There is not a jot of disagreement between Dr. Syed and Arya Samajists "On the point that a spiritually enlightened man is infinitely better than a man who knows all the Vedas by heart, but the eye of whose soul is still blinded." Not only Shri Krishna, but also the Vedas say the same thing. "Of what avail are the Vedas to him who does not realize Brahma." (यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति). Dr. Syed being only a casual visiter or a distant on looker of the Arya Samaj, does not perhaps know that the theme of all our best sermonists is the same. We do believe "that none of the ancient sacred scriptures of the Aryans can be thoroughly understood unless *atmagyan* is acquired," and it will not be fair to us to say that we "attach more

importance to outer knowledge than to inner enlightenment." One thing must, however, be made clear. Our vital difference with some of the religious systems is that while they ignore the outer aspects of the things, we do not. Our religiosity does not consist of mere telling the *beads* or reciting a Bhajan. The outer evils of the world have to be fought against successfully, before any true 'Atmagayan' is possible. Social dissipation or gross superstition is a great stumbling block in the path of true enlightenment and it is one of the duties of a religious movement to try to remove it. One of the weakest points of all Bhakti movements was to neglect this side and to allow rank growth multiplying further. If our social activities appear a guilt to some friends, we plead guilty of the charge and boastfully too.

I could not much understand Dr. Syed when he says, "*Bachak Gyan* is *different* from true wisdom." *Bachak Gyan* is no doubt the first step and remains incomplete without "true wisdom." But why should it be different I fail to admit. For emphasizing "true wisdom" is it necessary or fair to underrate "Bachak Gyan?" Have not the old Rishies left their ideas in the form of books or words and is it not essential that we read them? We must begin. there, though surely that should not be our end.

Another point that Dr. Syed has referred to, is of the Puranas. I think people grossly misunderstand us on that point. No doubt "most of the Purans are generally comdemned or not considered worth study by members," but this condemnation is not meant for researchists like Dr. Bhagwan Dass or other scholars, who can sift the grain from the chaff. If Swamiji condemned the Puranas it was on account of that rubbish which they abound in and which is responsible for so many social and religious evils current in the present Hindu Society. If our Sanskrit scholars take up the work of literary 'winnowing and bring out Puranas in a refined and purified form, the Arya Samajists are ready to extend not only their welcome, but also

co-operation. Let our Sanatanist learned men be also consulted on the point and their collaboration solicited. I do admit that 'symbols and parables' often "mean deep and mysterious truth of higher life," but they as often or perhaps oftener mislead" an average-minded reader" who is unable to extricate the essence from the meshes of metaphors. Dr. Syed's next point is "the separate existence of Jiva and Ishwar." It is not a proper place to enter into metaphysical intricacies, nor do we mind' purely metaphysical speculations' of any member. But no body can deny that their is an inter action between philosophy and religion and 'metaphysical speculations' more often than not, lead to problems of everyday practical life. In order to keep a church in tact, we have to define the creed. We mean no ill-will to those who differ from us. But will it be safe to allow any body to disturb our inner working? Vagueness is a virtue that does not appeal to the Arya Samajist, at least at present. "It is" surely "irrational to suppose that this, that, or the other book is the last word in Divine wisdom," but it does not seem wise to be in perpetual doubt. Does not Shri Krishna say" संशयात्मा विनश्यति (He perishes who is in doubt)?

The So-Called Clash of Cultures

Agree-culture, Heart-culture, Man-facture

Associate peacefully, discuss freely, know-fully and study profoundly, so as to arrive at a unanimous just decision; then discharge nobly your sacred duty, calmly, wisely and unitedly···One and the same be your resolve and be your minds of one accord; united by the thoughts of all, so that all may live happily together in full agreement and complete harmony.—(Rig-Veda, x. 191).

(By G. Dhareshwar, B.A., Retired Professor of Sanskrit, Nizam College and Osmania University College.)

Although I do not possess a good memory, yet it was certainly not due to its tricks, but rather to my wanton playfulness, that in my school-day essays I mis-spelt certain well-known English words, to the vast amusement of my teachers. I wrote, for instance, Agree-culture. Hearty-culture, Man-facture for Agriculture, Horticulture, Manufacture, etc. I hold that my school days are not past, nor my playfulness is a thing of the past, for, I hold the world to be a vast school and myself a schoolboy still learning and studying (but not cramming and burdening my memory) in it, in harmony, with Vedic teachings.

Agree-Culture

In India our age is known as *Kali-Yuga* or the age of conflict. The times we live in amply prove the truth of this name given by our sages to our age It is pre-eminently an Age of Conflicts. Everywhere we see nothing but clash and conflict.

But now wise people are thinking of ushering in an Age of Harmony or Satya-Yuga, as it is called in India. For this as we have playfully called it, Agree-Culture is even more needed than Agriculture. Our wise men and leaders must come forward and form themselves into a League of Harmony whose one aim will be to remove clash and conflict from our social, political and religious groups. This is the first thing mankind want all over the world. No holier task awaits humanity than this one of ushering in Satya-Yuga by trying to put an end to our present Kali-Yuga. Above all, a systematic war against sectarianism and organised fanaticism must be launched in to establish peace and harmony among all. There is a remarkable Veda Mantra which prays for universal peace and harmony thus : Om ! Dyaus Shantih Antariksham Shantih Prithivee Shantih. etc., which means :—"O, Lord, may there be peace and harmony in the heavens, in mid-space, on the earth, in the waters, througout the plant-world and animal kingdom—throughought entire Nature and Universe—and may this same peace and harmony come to me." (Yajur-Veda 32, 18). (In this noble prayer-mantra we see also the *order* and *process* of Evolution).

What a sublime prayer here is for all humanity ! when will mankind try and join in this Vedic Prayer for Universal Peace and Harmony ? At least our wise men ought to make up their minds to join in this noble prayer.

Man knows of no higher prayer than this. It must sink into our heart to bear fruit. Parsis, Jews, Buddhists, Christians, Moslems, Sikhs, all can join in this universal prayer for world-Peace-Harmony along with Hindus.

At the same time the people will, we hope, try their best to establish harmony throughout the land by promoting a healthy spirit of sympathy, fairplay, co-operation, mutual goodwill and brotherliness along the lines indicated in our previous

articles. We have to prevent folly and fanaticism from running amock, then we shall have saved our land from the poverty and starvation of body, mind, and soul. The *mantra* that we have given above tells us how to proceed and what we have to aim at :—

(i) Peaceful association and meetings are the first things we want, and; (ii) Free discussions of all knotty points we should have next among us; (iii) Full and profound study of facts and conditions we must have in this way; (iv) Unanimous just resolve and decision we can hope to arrive at thus; (v) Devotion to duty with a singleness of purpose we can have in these ways; (vi) Unity of minds, aims and hearts we can thus hope to establish among ourselves. (vii) Full harmony and happiness can thus be secured for all of us. The Veda is meant for all; it was born before the birth of sects, and hence it is above all sects and isms; it teaches universal principles. The *mantras* heading this article are the closing commandments of the Rig-Veda; and we see how noble they are befiting the conclusion in that ancient most revelation to humanity. If we want to establish harmony, peace and security among and around us we can not do better than carry out into practice these last Vedic injunctions. In these its last words the Veda sums up as it were its entire teachings, and places before mankind the grand ideal of concord and harmony.

Heart-Culture.

Heart-Culture is thus needed as much as or even more than horticulture. The purification of the heart is the most urgent need of our times, as it is, indeed of all times. In the concluding portion of our last article, we pointed out this fact of facts. Wealth in abundance awaits us on all sides; weal also awaits for our efforts everywhere. Nature overflows with weal and wealth if we but train our head and heart to get at them. Heart is the central point in our system. From it flow all the issues on which our fate depends. From it spring all our aspira-

tions, tastes, ambitions, passions, feelings and activities. From it radiate all our likes and dislikes, loves and hatreds, attractions and detractions and repulsions, good and evil, morality and immorality. Hence the aim of all sound education and rule must be the training of the heart. Other kinds of training, such as of the mind and body must centre round this heart-culture, without which they will lead, as they are now leading us, into the abyss of misery. The Veda draws our attention to heart-culture by means of a striking simile: *Sukarmanas Surucho Devayanto Ayo na Devaa Janimaa Dhamantah :* "Ever engaged in noble works, *refulgent,* well-enlightened, yearning for, devoted to and loving God, themselves godly and *smelting their lives like impure ore into pure gold,* Rishis live, (Rigveda, iv, 2, 17). This remarkable mantra, by using a charming simile, tells us how our hearts are to be purified, chastened and trained so as to attain to Rishihood. All the elements of heart-culture we find in this mantra: To be a real Rishi, man must enlighten himself, ever engaged in doing good deeds, devoted to God, heart and soul, longing and yearning to reach Him, shining in spiritual splendour, thus purifying himself from all defects, as one smelts impure ore into pure shining gold. In this way the Vedic Rishis attained to Rishihood. "I from my Father (God) received deep knowledge of holy Law and have thus become glorious like the sun in splendour," (Rig Veda, viii, 6, 10) says a Vedic Rishi.

Man-Facture, Man-Making

It is a well-known, or rather a notorious fact, that man to day is engaged in manufactures, but scarcely in man-facture, in making various things, but hardly in making men of the right type. He is engaged in improving other things more than himself. We are not at all against improving other things and man's attempt at improving other things is most laudable, but what we want to point out is that man-making must receive his attention more and more, far more than at present it receives.

Or, at any rate, Nature inside himself must share his attention and care equally with Nature ontside himself, if not more. Wise men all over the world are drawing his distracted attention to this fact; and we join our humble voice to theirs, with all humility. Let him not give up his attempts at improving his external environments, let him not stop in this his holy task, for that would be suicidal. All that we ask him is not to forget his internal environment which is crying for improvement with a loud voice which he drowns often, very often, and most often, in the din and rush of his lower pursuits. Let him awake to the splendours of the world that lies within himself, let his internal environment share equal care with his external environment. When he does this as fully as he can, then will dawn upon him a day of splendid achievements, far more resplendent than he can dream today. The splendours of the world within us are not less but actually greater than those outside us ; why should we then halt outside, not trying to inter in, so that we can attain to Manhood in its entireness ? Let us be whole men, and not half man and half-beast. In Sanskrit, a beast is given the name *pashu*, because it can see only the things that are outside it. it has no power to see within itself. Let us rise higher than the *pashu*, a beast, by exploring and exploiting the wealth and splendours within us. Yes, let us rise higher.

Plato and India, Aristotle and the West

It is said that Plato pointed to the heavens, whilst Aristotle pointed to the earth. A splendid picture in Rome paints this idea. Similarly it is said that India looked at the glory of the heavens; while the West looks, at the glory on the earth. But the truth is that both Plato and India aimed at perfecting man in his wholeness and entirety, by holding forth before man the heavenly Divine ideal of perfection, and not the earthly, beastly ideal of half-man, half-beast. We are sure that neither Plato nor India told us to neglect external Nature, but they both laid more stress on the wealth within than on the wealth

without. And who can say that they were not right ? But the Veda tells us that we must rise step by step from Nature to Nature's God and thus it may be said to reconcile all the seemingly different views, as it tells man neither to neglet the wealth within nor that which is without.

In the last article we remarked that we are sick of counsels of perfection, that we know them already and that we want to know how they are to be reduced to practice; then we set about showing how that could be done by means of attending more to the improvement of our inner selfs and to the development of our moral and spiritual resources that lie hidden yet unexplored within our personality. We quoted many a mantra from the Rig Veda just to show how the Vedic Rishis had done it thousands of years ago, how they had laboured hard to develop themselves harmoniously by "smelting their lives like impure ore into pure shining gold." One thing very remarkable about the Vedic Rishis is that they place their experience at our disposal; proving that they first practised and then recorded their direct experience and experiments, so to say into the realm of the unknown or the little known. They do not tell us to do this thing and that, but instead, they say :—" I myself, from my Father God received deep knowledge of the Holy Law (Ritam, and have thus become like unto the Sun in splendour "..."We, studying first the subtle physical plane, next the subtler psychic phenomena have at last attained to the subtlest supreme spiritual Light of Lights", &c. They do not preach; their deeds and words preach. This is a most unique thing about the Veda. The Vedic Rishis approached God directly and not through the mediumship of any one else; their Guru was God whom they love to call their Father, Dearest Mother, Brother, Kith, and Kin, Friend Teacher, Guide, Physician, Rescuer, Saviour, Master, Ruler, King, Armour, Shield, Shetler, Comforter, Champion, Companion, Comrade, Path-finder, Director, Support, Spring of Life, Goal of Life, Light of Lights, in fact as their

All-in-All. In the Upanishada which came later, however, we find the sages wandering in search of Gurus to learn about God; these Upanishadic sages no where say that they have received the divine knowledge direct from God. But the Vedic Rishis say and assert emphatically and clearly that they have got the knowledge directly from God. Nay, they, go so far as to say that they have *seen* God:—*Darsham nu Vishva Darshatam*; Lo, now I see Him, the most beautiful of all, Who is the Seer of all (Rig Veda, i, 25, 18) This is only one example out of many.

From all this we see that the Vedic Rishis place before us just what they have done, seen and felt, from their direct experience and not from hearsay, about spiritual matters and God. Hence in India the Veda is called not *Paratha Pramaana* but *savatah parmaana*; self-luminous like the sun, and not dependent on others for its light, like the moon. Any one able to follow in their foot-steps will be able to attain perfection and see God. Swami Dayananda and Shri Rama Krishna Paramahamsa, in very recent times have asserted that God can be seen by man, corroborating the assertion of the Vedic Rishis. Harmonious developement is required for that and not one sided efforts.

When the Vedic Rishis say that they held communion with God and learned from Him directly, and that they saw Him, our modern highly enlightened men of culture might be disposed to laugh at what they call the child-like simplicity of the Vedic Rishis and exclaim in some such lofty strains as:— To babies and infants, the heaven appears to be very near—so near at hand indeed that the little ones in their innocence will put forth their wee little hands touch and grasp heaven itself. Just in the same way, in the infancy of the human race which has bequeathed the Vedas to us, to the simple-minded infant-like Vedic Rishis, Heaven and God appeared to be very very near—so near indeed that you will find him talking

to God just as we talk to our father, mother, friend or teacher. But to our enlightened minds these infant-like Vedic Rishis talking to God and seeing Him in rivers, mountains, and fountains appear in their true colours; babies and infants stretching forth their innocent imaginations to grasp at heaven and God. And just as, when the baby grows into a boy, the heavens recede farther and farther until they vanish into vacant space, so also when man advances from babyhood towards boyhood, God and all talk about spirituality, begin to recede farther and farther into pure vacuity, nothingness and non-sense, leaving in some uncivilised nook and corner, such as India, a few baby-men like Ramana, Ramakrishna, and Dayananda still engaged in talking of spirituality, divinity and Godhood. Our times have advanced even beyond the dreams of man".

This is how we enlightened men of the twentieth century look at the Vedic Rishis. We have found in Coal the Goal of our life, not in God, Poor babymen were the Vedic Rishis who found in God their life-goal, and we have advanced so much and so far that goal is the sole goal of our soul, if we have a soul at all to think of or care for. Indeed we have advanced so much that we know of only our body and mind, (and that too so very precious little as to make us vain) and beyond that all we claim to know is a big round zero. We have not risen even above the physical plane into the Phsychic, what to say of the spiritual plane still beyond; whereas the Veda clearly distinguishes between the Physical, Psychic, and Spiritual. we are still groping about the first of these planes, and yet we have the audacity to call the Vedic Rishis mere baby-men. Let the reader judge for himself whether we are babies or the Rishis. For our part we point out the simple fact that a purely Materialistic view of the world in whatsoever an age it may be found and even at the present time, does but betray the baby-hood of the human mind and intellect, as it cannot grasp higher and subtler and grander

human interests and values, possibilities and powers, faculties and phenomena. Only when we shall ascend the higher rungs of culture, can we grasp the real value of Deva and Veda (God and His Word.)

In the Upanishads it is said that one must be a child (innocent) to reach Brahman (God). The same beautiful idea is re-echoed by Jesus when he said : Unless ye be born again as children ye cannot gain the kingdom of heaven. And we find the origin of these beautiful concepts in the Rig Veda in many a mantra. We give here only one for the present:—" O Lord of Bliss, Supreme head, Heart, Navel, Centre and Soul of all; Thou lovest these who are Thy progeny, O Immortal One so that they may really become Thy blessed children, and adorn Thy vast creation at the highest Abode of Holy Law "—(Rig Veda, i,43,9). Thus we see that unless man grows out of his degenerate brute-nature into *divine-babyhood* and unless man is re-born as the *sweet fresh Child of God, to adorn this fair creation of God,* unless man casts off, like the snake its skin, his pride and folly, his vanity and arrogance, his bluff and bluster, his faithlessness and fanaticism, and unless man becomes pure and wise and faithfull like Vedic Rishis, he cannot grasp the grandeur of Deva and Veda, Science and Knowledge, like faith and religion, in their degenerate forms, are, most dangerous things in the world as they fall an easy prey to folly and fanaticism of the worst type, and this, our times are proving with a vengeance. Science in the West, and Religion in India have both fallen on evil days, have degenerated, and are both playing into the hands of devilish folly and satanic fanaticism, by whom, they have both been enslaved and perverted. Both Science and Religion have sold their fair souls to these agents of the devil, and have let loose their, bounds of cruelty and rapine roaming from China to Chile, round and round and round our globe. Under the false cry of " my creed, my country, my culture," both science and religion are engaged in devastating the globe,

and we have to reform both, to purify both, to elevate both if at all we want to live in peace and plenty.

Deva and Veda,

How can we reform and refine both science and religion? By going back surely to their very source, Deva and Veda, God and His Word. The Holy Ganges gives us an example. At its source we have the purest water issuing from crystle ice of the Himalayas. As it flows through cities and towns and villages and hamlets and forests, giving them their life and sustanance, thrown in their night-soil corpses and every sort of dirt, and render its waters more and more dirty, until the holy stream becomes almost unholy and, dividing itself into a thousand currents falls into the sea, whence refined and raised, it goes back to its origin and source, the Himalayas ready to enliven, invigorate and sustain all life in the forests, hamlets, villages towns and cities. The pure crystalline stream of Vedic Dharma like the holy Ganges, sustaining humanity, is seen sullied and shattered into a thousand sects—and these are to be refined and raised to be sent back to their source and origin, Deva and Veda in order to re-vivify and regenerate entire humanity again.

(The Deccan Chronicle)

Parbhani Hindu's Memorial

DEMAND OF RELIGIOUS EQUALITY

The Hindu public of Parbhani have sent the following Memorial to the Hon'ble Nawab Mirza Yar Jung Bahadur, Member, Ecclesiastical Department on the re-organisation of that Department :

We, the majority of loyal subjects, are really fortunate to see you a real rational and impartial officer as the Head of the Religious Department and have strong hope that in the light of justice, you will be kindly pleased to redress our wrongs and to move the Government to kindly sanction our legitimate demands contained herein.

You are well aware of the historical fact that our State is a Hindu State with a Muslim Ruler who never interfered in the religious matters of his dear subjects, according to the traditions of his forefathers. Really speaking, the king has no religion and sees his dear subjects with an equal eye.

The population of our States is vast and Hindu—Muslim respective percentage is 85 to 10. The majority of tax-payers fill the government treasury and it is strange to note that the minority is allowed to empty it.

The establishment of a Separate High Ecclesiastical Department proved a tremendous blow to the Hindu religion (the soul of Hindus), Hindu philosophy, and Hindu culture. The said department theoretically professes to be common for Hindus and Muslims alike, but practically it looks special for Muslim interests and intentionally overlooks and sometimes destroys the very interest of Hindus. Before the establishment of the

said department Hindu—Muslim respective population per cent was 95 to 5, public services were equally divided, without caste and creed, there reigned complete Hindu-Muslim unity, brotherly thought, no-conversion, a limited number of mosques, respect for Hindu religion, philosophy and culture, education in mother-tongue, aided Vedic Pathashalas, Daserah Festival processions worship just like to-day's Idd's procession and what not.

Since the establishment of the said department the majority of Subjects expected great support and protection of their religion, philosophy, culture and temples, Vedic schools, religious examinations of Shastris and Pandits but, to their utter despair, we are unfortunate to see our temples in a dilapidated condition not to speak of new ones, at our or government cost, frequent mishaps of idol-breaking, open encouragement for kidnapping minor and major women for forcible conversion, reception of Islamic missionaries such as Nawab Bahadur Yar Jung, Moulana Khaja Hasan Nizami and Late Moulana Shoukat Ali thus throwing our religion, philosophy and culture in a great peril.

We, the majority of the States loyal Subjects, after long experience, and patience, have been convinced that the present Ecclesiastical Department is insufficient and incompetent, the officers concerned being quite ignorant of Hindu culture, to look to religious interests with a sympathetic view, and we are under pain of circumstance, obliged to put up our minimum demands as follow:—

(1) An independent Ecclesiastical Department having as its Head a learned Pandit designated as Controller-General well-versed in Hindu religion, culture and usages with full staff competent enough to surpervise the Hindu temples, Hindu religion and Hindu culture.

(2) State temples be maintained by Government in big cities Jushas Shahi mosques are done with necessary employees.

(3) Geeta-Jayanti celebrations, to be celebrated as State religious ceremony with the same pomp and glory as that of Melladun-Nabi Festival observed by Government officers and at Government offices, Shri Bhagwadgita being the whole and sole religious Book of all Hindus.

(4) Murlidhar's temple to be erected in all jails for Hindu prisoners' worship and prayer.

(5) Appointment of Shastris or Priests for imparting religious teachings to Hindu prisoners in all jails.

(6) Examinations of Shastris and Pandits and Priests of several grades in Sanskrit.

(7) Religious schools and Vedic Pathashalas to be run at Government expenses and guided by Shri Shankaracharya of our Domain.

(8) Conversion of foreign faiths, to the fold of Hinduism allowed, and illegal restraint on mind of such persons, removed. religious tolerance observed, or conversion to be prohibited by an Act with the object of sinking all religious troubles.

(9) A regular register for New Hindus maintained in every Tahsil with his new and old name.

(10) Moulana Khaja Hasan Nizami, Nawab Bahadur Yar Jung and others, the great missionaries of Islam and great opponents of Hinduism who are freely allowed to enter—nay to receive state hospitality, some of them fed lakhs of rupees to attack the Hindu-fold, should be permanently banned. Nawab Bahadur Yar Jung's recent tour in districts was one of the main causes of Hindu-Muslim clash in Hyderabad, discrediting the Government. Through his secret religious sermons in mosques, watched by Police and attended by all Muslim local officers who welcomed him at every big station, he spread seeds of poison

resulting in an affray in Hyderabad and conversion of so many untouchables, the property of Hindu fold.

(11) Dasrah and Gita Jayanti being the Hindu national religious ceremonies, to be observed as State Festivals with the same pomp and glory as that of Khutbas by Government officers.

(12) Dr. Kurtakoti (Shri Shankaracharya) to be appointed as the Head of the religious department for Hindus with full powers to act as Controller-General.

(13) The flow of generosity to be turned to well deserving institutions of Maharastra and holy places of Hindus in India too.

(14) In short, we must have measures to foster our Vedic religion, philosophy and culture.

Your tenure of office will be long remembered by the loyal subjects for these extraordinary changes in the Ecclesiastical Department and wish you a happy, long and prosperous life.

We beg to remain
Sir,
Your most obedient servants,
Hindu Public of Parbhani

19th Ardibehist 1348 F.
(23rd March 1939.)

DARKEST HYDERABAD

His Exalted Highness the Nizam has been at long last stirred, not indeed by the terrorism practised by the Executive. These are words used by one speaker in that burlesque of a Legislative Council they keep in the Dominions for show-purposes. His Exalted Highness had been stirred by witnessing "the poisonous influences from outside which, causing all sorts of confusion, are disturbing the peace and prosperity of this land." Hence he issued a fortnight ago a Firman-e Mubarak.

Following him his President of the Executive Council, the Right Honourable Sir Akbar Hydari, has expatiated in a letter to Mr. M. S. Aney, on how in that land of democracy and freedom they are forging ahead with measurce of reform and civil and religious liberties.

The Night of Liberties.

It pains us to say it; but *Machiavellianism* in high places can go no further. The record of Hyderabad has been one long and dreary night where civil liberties and religious freedom are concerned; and this blight had descended even on education. If Sir Akbar does not refer to these, it is because he either does not care to acquaint himself with the overladen statute book of the Dominions or to understand the administrative practice in the Dominions.

Public Safety Bill.

But the occasion for these two deliverances is remarkable. At the moment the Hyderabad State Legislative Council, a body composed of an equal number of johookums and officials, is considering a public safety bill, on the model of the one recently promulgated in Travancore and of which we said something at the time. The principle on which the Hyderabad bill has been

based has stated with engaging frankness by a member of the council to be this: "subversive activities must be crushed to the full."

As one commentator in the Hyderabad Press puts it, such is the measure of freedom that is allowed in the Dominions, "circumstanced as the Press is, it dare not indulge in comment, unless it be to endorse official action, right or wrong." The President of the Nizam's Executive Council went far away to Dacca to preach a homily on all the virtues; but at home in the governance of the Dominions, he prizes freedom and toleration so highly that he thinks it better to economise them.

The local newspaper, which we have quoted above, truthfully adds that 'those people of British India who are blissfully ignorant of the Constitution of the State Legislative Council shall be induced to believe that the bill is based on public opinion, an anxiety that the subsidised Press and News Agencies will readily satisfy."

बहुत देर के पश्चात् निज़ाम महोदय जागे हैं। अपनी सरकारि द्वारा उत्पन्न किए हुए आतंक से नहीं। ये शब्द उस लैजिस्लेटिव कौंसिल में एक वक्ता ने प्रयुक्त किये हैं, जो उन्होंने नुमायश (प्रदर्शन) के लिये राज्य में स्थापित की हुई है। श्रीमान् निज़ाम महोदय 'बाहर के जहरीले प्रचार और प्रभाव को देख कर उद्विग्न हुए हैं जो हर प्रकार की गड़ बड़ उत्पन्न करके राज्य की शान्ति और सुख को नष्ट कर रहे हैं' अतः उन्हें एक फ़रमाने मुबारक़ जारी करना पड़ा था।

उनका (निज़ाम महोदय) अनुसरण करते हुए कौंसिल के अध्यक्ष श्रीयुत सर अकबर हैदरी ने श्रीयुत अणे के पत्र में विस्तार पूर्वक यह बतलाया कि स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की उस भूमि में वे राजनैतिक सुधारों तथा नागरिक और धार्मिक आज़ादी के उपायों की शीघ्र घोषणा करने वाले हैं।

स्वतन्त्रता की रात्रि—

यह कहते हुए मुझे दुख होता है परन्तु ऊँचे वर्गों में कूट नीति बहुत देर तक सफल नहीं होती है। जहाँ तक नागरिक और धार्मिक स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है हैदराबाद का रिकार्ड बहुत डरावना और काला है और यह तुषार शिखा पर भी पड़ गया है। यदि

सर अकबर इनका जिक्र नहीं करते हैं तो इसका यही कारण हो सकता है कि या तो वे राज्य की नियमों से भरी हुई पुस्तक से अपने को परिचित रखने अथवा राज्य की शासन व्यवस्था को समझने की पर्वा नहीं करते हैं।

पब्लिक सेफ्टी बिल—

परन्तु इन दोनों वक्तृताओं का अवसर उल्लेखनीय है। जिस वक्त हैदराबाद की स्टेट कौंसिल जिसमें जीहजूरों और अफसरों का बोलबाला है ट्रावनकोर जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल पर विचार कर रही थी उसी समय ये वक्तृताएँ दी गई थीं। हैदराबाद का बिल जिस असूल पर आश्रित है उसको कौंसिल के एक सदस्य ने बड़ी स्पष्टता के साथ निम्न शब्दों में प्रकट किया था। "विनाशक प्रगतियों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए"

हैदराबाद के एक पत्र के शब्दों में 'यह स्वतन्त्रता है जो राज्य में मिली हुई है, अखबार जिस अवस्था में है, उन्हें सरकार के कार्य्य का समर्थन करना ही पड़ता है चाहे वह ठीक हो या न हो। निज़ाम की कौंसिल के प्रधान धर्मोपदेश के लिए डाका गये थे परन्तु अपने घर में, राज्य के शासन में आज़ादी और सहिष्णुता का वे इतना अधिक सम्मान करते हैं कि वे उनमें कंजूसी से काम लेना उत्तम समझते हैं।

स्थानीय पत्र ने जिसका ऊपर जिक्र किया है, यह बात ठीक कहीं है कि "ब्रिटिश भारत के लोग जो सौभाग्य से स्टेट लैजिस्लेटिव कौंसिल के संगठन से अनभिज्ञ हैं वह विश्वास कर लेंगे कि बिल लोक मत पर आश्रित है और इस चिन्ता को वे अखबार और समाचारों की एजेन्सियाँ सहज ही दूर कर देंगी, जिन्हें सरकार से पैसे मिलते हैं।

सत्याग्रह शिविर शोलापुर की सूचनाएँ

सत्याग्रह नियमावली

१ प्रत्येक सत्याग्रही को चाहिए कि वह किसी आर्यसमाज के जत्थे में सम्मिलित होकर आए। ऐसा न कर सकने की अवस्था में अपने यहां की समाज अथवा अपने यहां से निकटतम समाज के प्रधान अथवा मन्त्री का प्रमाण प्राप्त करके ही सत्याग्रह के लिए रवाना होना चाहिए।

२ प्रत्येक जत्थे का जत्थेदार अवश्य होना चाहिए। सत्याग्रहियों का कर्तव्य है कि जत्थेदार की आज्ञाओं का पालन करें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए सत्याग्रहियों को एक एक अथवा दो २ की पंक्ति में जाना चाहिए।

३ सत्याग्रहियों को केवल निम्न लिखित जयघोष लगाने चाहिए इनके अतिरिक्त अन्य कोई नारा नहीं लगाना चाहिए।

१ जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय।

२ बोलो महर्षि दयानन्द की जय।

३ हैदराबाद सत्याग्रह—विजय हो।

४ आर्य समाज अमर हो।

५ धर्म प्रकाश अमर हो।

६ हैदराबाद के शहीद अमर हों।

७ वेद प्रकाश अमर हो।

८ महादेव अमर हो।

९ पँ, श्याम लाल अमर हो।

१० हैदराबाद सत्याग्रह के सर्वाधिकारियों की जय हो।

११ महात्मा नारायण स्वामी की जय हो।

१२ कुँवर चांदकरण शारदा की जय हो।

१३ लाला सुखहाल चन्द की जय हो।

१४ पं० सुरेन्द्र शास्त्री की जय हो।

४—इस समय सत्याग्रह के निम्न शिविर स्थापित हैं :—

१ शोलापुर, २ बार्शी, ३ अहमद नगर (बम्बई) ४ पुसद (सी. पी.) ५ बेजवाड़ा (मद्रास)

प्रत्येक समाज अथवा सत्याग्रही जत्थेको चाहिए कि वे अपने स्थानसे चलने से पूर्व आर्य सत्याग्रह समिति शोलापुर से पूछ लें कि उन्हें किस शिविर में कब पहुँचना चाहिए और किस मार्ग से।

साधारणतया पंजाब यू० पी० राजस्थान और बिहार के लिए सबसे निकट पुसद का शिविर है। परन्तु पंजाब यू० पी० के जत्थे अहमदनगर और शोलापुर में भी मँगाने आवश्यक हैं। बँगाल, आसाम और मद्रास के लिए बेजवाड़ा का शिविर निकट तम है।

जो जत्थे बम्बई के रास्ते आना चाहें उन्हें बम्बई तक का ही टिकट खरीदना चाहिए और आर्य समाज गिरगांव बम्बई को अपने पहुँचने के पूर्व सूचना देनी चाहिए। अपने बम्बई पहुँचने की सूचना आर्य सत्याग्रह समिति शोलापुर को देनी चाहिए। शोलापुर से प्रस्थान की आज्ञा आने तक बम्बई समाज में ठहरना चाहिए।

पंजाब यू० पी० बिहार और राजस्थान से सीधे शोलापुर को आने वाले जत्थों को मनमाड से गाड़ी बदलनी चाहिए।

शिविर से गिरफ्तारी की यात्रा के नियम

१ जत्थेदार जो भी आज्ञा दें उसका पालन करना आवश्यक होगा।

२ अपने जत्थे के सत्याग्रहियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति से अपने जत्थेदार की आज्ञा के बिना बात नहीं करनी चाहिए।

३ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए सदा जत्थेदार की आज्ञानुसार एक २ अथवा दो दो की पंक्ति में खड़ा रहना चाहिए।

४ जब जत्थेदार जय घोष लगाने अथवा गीत गाने की आज्ञा दें तभी जय घोष लगाने चाहियें तथा गीत गाने चाहियें।

५ किसी भी प्रकार का साहित्य पुस्तक पत्रादि साथ नहीं लेजाना चाहिए। एक आदमी के पास एक अथवा दो पुस्तकें हों अधिक न होनी चाहियें।

पोलिस से भेट

गाड़ी में अथवा गाड़ी से स्टेशन पर उतरने पर जब पुलिस से भेट हो तो पुलिस के पूछने पर कि आप किस लिए आए हैं तो उत्तर दिया जाय कि हम धर्म प्रचार करने के लिए आए हैं। इस पर पुलिस गिरफ्तार करले तो ठीक और यदि न करे तो चुपके से शहर में

चले जायें। यदि शहर में समाज मन्दिर हो तो वहीं हवन यज्ञ करें और समयानुकूल जलूस निकाला जाए। जय घोष लगाए जायें और गीत गाए जायें। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर तथा हवालात में लेजाते समय जयघोष आदि द्वारा प्रचार किया जाए।

अदालत में

अदालत में पेश किए जाने पर नाम तथा पता बता दें। पश्चात् कोई भी प्रश्न किया जाय उसका उत्तर यही दिया जाय कि मुझे न्याय की आशा नहीं है अतः मैं बयान नहीं देना चाहता। डिक्टेटर अपनी इच्छानुसार बयान दे सकते हैं। कैद आदि की सजा सुनाई जाने पर जय घोष लगाए जायें।

जेल में

१ जेल में जाने पर जेल के सब नियमों का यथाशक्ति पालन करने का यत्न करना चाहिए। धार्मिक कर्तव्यों पर कोई बाधा स्वीकार नहीं करनी चाहिए।

२ कैद होने पर एक सप्ताह में बन्दी को एक अथवा दो पत्र लिखने का अधिकार है। इसलिए प्रत्येक सत्याग्रही को चाहिए कि जेल वालों से कार्ड मांगकर सत्याग्रह समिति शोलापुर को सूचना दें कि उसे कितनी कैद हुई है और किस जेल में रखा गया है। यदि एक जेल से बदल कर दूसरे जेल में भेजा जाय तो नये जेल वालों से कार्ड मांगकर सत्याग्रह समिति को तबदीली की सूचना देनी चाहिए।

३ जेल वालों अथवा पुलिस वालों के किसी प्रकार के बहकाने में नहीं आना चाहिए। यदि वे किसी काग़ज़ पर हस्ताक्षर करवाना चाहें तो उत्तर दें कि मैं अपने नेताओं से सलाह किए बिना ऐसा नहीं कर सकता।

यदि जेल अथवा पुलिस वाले सत्याग्रहियों को अपने साथी सत्याग्रहियों अथवा नेताओं के विषय में कोई बात कहें तो उस पर ध्यान न दें।

मिश्रित

सत्याग्रही को कोई बात अथवा क्रिया ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को चिढ़ने का अवसर हो।

समाजों से निवेदन

समस्त आर्य समाजों के मन्त्री महाशयों से निवेदन है कि वे हैदराबाद सत्याग्रह के लिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो सत्याग्रही वीर सत्याग्रह के लिए यहां आवें, वे विश्वस्त और आर्य समाज के सदस्य हों। चलते-फिरते किसी भी व्यक्ति को, जो यहां के नाम पर आना चाहे न भेजें। इससे बड़ी अड़चन और असुविधा पैदा हो सकती है।

आशा है, आर्य सत्याग्रह-समितियाँ और आर्य समाज इस विषय में विशेष सावधानी से काम लेंगे।

धुरेन्द्र शास्त्री
चतुर्थ डिक्टेटर

सत्याग्रही वीर नोट कर लें

वक्त और किराए में किफ़ायत

आर्य सत्याग्रह समिति का मुख्य केन्द्र शोलापुर है, परन्तु सत्याग्रही जत्थों की के लिए नीचे लिखे स्थानों में भी केन्द्र कायम किए गए हैं जिससे समय और किराए में किफ़ायत हो।

(१) वारसी और अहमद नगर

इन दोनों केन्द्रों के अध्यक्ष क्रमशः श्री. डी. आर. दास और अहमद नगर आर्य समाज के प्रधान जी हैं। इस केन्द्र को आने वाले मनमाड धौंड लाइन पर आवें, बीच में अहमदनगर है। वारसी के लिए धौंड पर गाड़ी बदलें। वारसी केन्द्र को जाने वाले मनमाड, धौंड और कुरडूवाड़ी स्टेशन से बदलें।

(२) बेजवाड़ा

अध्यक्ष श्री चिरंजी लाल जी। मदरास, बङ्गाल और आसाम से आने वाले सत्याग्रहियों को यहां आना चाहिए।

(३) पुसद केन्द्र

अध्यक्ष श्री. आर. सी. मसानियाँ। यह केन्द्र सी. पी. पंजाब और यू.पी. वालों के लिए सुविधाजनक है। आनेवाले इटारसी उतरें। वहां से लौरी द्वारा बैतुल और अमरावती होकर पुसद पहुँचना चहिए। इटारसी और अमरावती में आर्य समाज है।

इलाहाबाद से आने वालों को जबलपुर उतर कर लौरी द्वारा नागपुर, अमरावती होते हुए पुसद पहुँचना चाहिए। जबलपुर, खंडवा, इटारसी में उतर कर लौरी में बैठने से पूर्व वहां के आर्य समाजों के अधिकारियों से मिल लेना चाहिए, जिस से लोरी वाले अधिक किराया चार्ज न कर सकें। अपने पहुँचने के ठीक समय की सूचना भी समाजों को दे देनी चाहिए। मालवा और राजपूताने से आने वाले जत्थे खँडवा उतरें। वहां से लोरी द्वारा एलिचपुर, मुरतजापुर होकर पुसद पहुँचें। आशा है सत्याग्रह संग्राम में आने

वाले भाई उपर्युक्त सूचनाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। विस्तरा नहीं लाना चाहिए, एक आध चादर दुपट्टा काफ़ी है।

धुरेन्द्र शास्त्री डिक्टेटर

सूचना

कुछ आर्य समाजों तथा आर्यसमाज के शुभ चिन्तकों की ओर से शिकायत की गई है कि कई महानुभाव सत्याग्रह से उत्पन्न परिस्थिति से अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए समस्त आर्यसमाजों को सूचित किया जाता है कि—

१—किसी ऐसे पुरुष या स्त्री को सत्याग्रह सम्बन्धी धन न दिया जाय, जिसके पास सत्याग्रह समिति, सार्वदेशिक सभा या प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा का प्रमाण पत्र न हो।

२—किसी ऐसे जत्थे या जत्थेदार को थैली भेंट न की जाय जिसके पास उपरोक्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र न हो।

३—कुछ लोग अनियमित रूप से स्थान २ पर घूम-घूमकर मन माने मार्ग से आते और रास्ते के समाजों से रुपया लेकर स्वयं ही उसे व्यय कर रहे हैं। इस अनियमता को रोकने के लिए आवश्यक है कि जत्था अपने चलने के स्थान से ही पूरा खर्च लेकर चलें। रास्ते का कोई समाज मार्ग व्यय आदि के लिए किसी को धन न दे।

४—जिन जत्थों के पास समिति की ओर से प्रमाणित प्रोग्राम हो उन्हीं को आना चाहिए। जो जत्थे रास्ते में इधर उधर प्रचार करना चाहें उनके लिए आवश्यक है कि पहिले प्रोग्राम यहां भेजकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

५—जिस समाज ने किसी जत्थे या जत्थेदार को रुपया 'चिक' हुंडी या और कुछ धन दिया हो, वह इसकी सूचना इस दफ़्तरको भेज दें, जिससे हिसाब नियमानुसार लिया और रक्खा जा सके।

मन्त्री, आर्य सत्याग्रह-समिति, शोलापुर

आर्य समाज दीवान हाल देहली में आर्य सत्याग्रहियों को प्रो० सुधाकर जी एम० ए० मंत्री सार्वदेशिक सभा का उपदेश

आर्य समाज दीवान हाल देहली आजकल शोलापुर से उतर कर सबसे बड़ा युद्ध केन्द्र बना हुआ है। पिछले दिनों अकलाना मण्डी, हिसार, अंबाला, लायलपुर, लाहौर स्वराज्य सभा, लाहौर गुरुदत्त भवन, मेरठ और रोहतक के जत्थे एक वक्त में दीवान हाल में इकट्ठे हो गये थे। लगभग २०० आर्य्य वीरों को विदाई के समय निम्न उपदेश दिया गया।

उपदेश

"आर्य वीरो! तुम अपने मित्रों, भाई बहिनों और सम्बन्धियों को छोड़कर, वहाँ से सैकड़ों मीलों की दूरी पर हैदराबाद में अपने आपको धर्म की बलिवेदी पर बलिदान करने के लिए जा रहे हो। मैं तुम्हारे चेहरों पर आत्म-विश्वास की आभा और शोभा देखता हूँ। तुमसे पहिले बहुत से वीर रण क्षेत्र में जा चुके हैं। तुम्हारे पीछे भी बहुत से जायंगे। तुम्हारे जैसे आर्य वीरों ने, सच जानिये, आर्य्य समाज के जर्जर शरीर में नया जीवन फूंक दिया है।

आपको मालूम है कि जिस धर्म युद्ध के सैनिक बन कर तुम हैदराबाद जा रहे हो वह युद्ध सार्वदेशिक सभा की अध्यक्षता में लड़ा जारहा है। इस सभा के मन्त्री के अधिकार से मैं चन्द शब्द आपको कहना चाहता हूँ। इन शब्दों को आपको अपने हृदय में स्थान देना होगा और जब तक आप हैदराबाद की जेलों में रहें इन शब्दों को न भूलें।

आर्य्य वीरो! सत्याग्रह के संग्राम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हमें अपने मन, वचन और कर्म से किसी प्रकार भी अपने शत्रुओं को हानि पहुँचाने की कोशिश नहीं करनी होगी। सत्याग्रही योद्धा अपने शत्रुओं के हाथ मरने जाता है, मारने के लिए नहीं। उसकी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि वह अपने विरोधियों को जीत लेवे।

आर्य्य वीरो! दुनियाँ को इस बात का संदेह था कि आर्य्य भाई जो हमेशा वाक युद्ध के सैनिक बने रहे हैं, वह सत्याग्रह जैसी कठिन लड़ाई कैसे लड़ेंगे? परन्तु तुलना-

पुर की घटना के बाद लोगों का यह संदेह भी दूर हो चुका है। तुलजापुर में आर्य्य सत्याग्रहियों ने नंगी तलवारों, बर्छियों, छुरों और लाठियों के वारों को सहन किया और उनके सामने उफ़ तक नहीं की! मैंने स्वयं तुलजापुर में जाकर वहाँ के हिन्दू भाइयों से आर्य वीरों की प्रशंसा सुनी। ६१ वर्ष की आयु का बूढ़ा ला० सन्तराम अपने जत्थे के सामने खड़ा होकर प्रहारों से लहू लुहान हो गया, मगर उसने अपनी ज़बान से 'वैदिक धर्म की जय' के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा।

आर्य्य वीरो! तुलजापुर की घटनाएँ तुम्हारे सामने भी आएँगी। यदि तुम उन घटनाओं का सामना करने को तैयार नहीं हो तो आगे मत बढ़ो। जान को हथेली पर रख कर जाना हो तो आओ। तुम हैदराबाद में आर्य्य समाज, वैदिक धर्म और ऋषि दयानन्द की शान को बनाए रखने के लिए जा रहे हो। तुमको मौत का डर दिखाया जायगा। अलहदा २ काल कोठरियों में रख कर तुम्हारे सामने प्रलोभन पेश किए जायेंगे। उस वक्त यदि तुम मौत के डर और प्रलोभनों को जीत लोगे तो सच्चे सत्याग्रही कहलाने के अधिकारी बनोगे।

आर्य वीरो! मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूँ। तुम्हें अभिमान और घमंड को छोड़ कर नम्रता को ग्रहण करना होगा। सचमुच नम्रता ही सत्याग्रही का सबसे बड़ा आभूषण है। सत्याग्रह की लड़ाई में नम्रता का सिर हमेशा ऊँचा रहता है। तुम हैदराबाद की जेलों में जाकर नम्रता की शक्ति से अपने विरोधियों को जीतने की कोशिश करो। अब भी तुम्हारे बहुत से भाई हैदराबाद की जेलों में अपनी इस शक्ति को दिखा रहे हैं। सर्व साधारण, उच्च शिक्षा प्राप्त, वृद्ध, नवयुवक सभी प्रकार के आर्य्य भाई इस 'धर्म युद्ध' में शामिल होकर आर्य्य समाज की कीर्ति को फैला रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब भाई भी उन्हीं के समान उच्च भावों को लेकर इस धर्म युद्ध में आ रहे हैं और अपने किसी व्यवहार से अपने धर्म को कलंकित न होने देंगे।

'Times of India' and Arya Satyagrah Movement

Professor Sudhakar, M. A., General Secretary of the International Aryan League issued the following statement to the Press :—

My attention has been drawn to a leading article in the recent issue of "The Times of India", under the caption—"Hyderabad Agitation." The article is full of misstatements and misrepresentations and there is a studied effort on the part of the writer to belittle the Arya Satyagraha movement. It is not the first time when disparaging views regarding our movement have appeared in the columns of that paper. Our misfortune is that whenever refutation of such views was sent to the Editor, he did not extend to us the courtesy of the use of the columns of his paper, Such one-sided advocacy on the part of the "Times of India" was not only deplorable but against the high traditions of Journalism. We had supplied the Editor with the relevant literature dealing with the Arya Samaj grievances but it seems that Anglo-Indian journalists would not take the trouble of studying a case disinterestedly.

The colossal ignorance of the writer of the article in the "Times of India" is revealed by the fact that he calls Mahatma Narayan Swami—the leader of the Arya Satyagrah movement and its first Dictator as Pandit Narayan Swami—a Hyderabad Congressman.

The writer of the article is again wrong and woefully misled on various points. He is wrong when he says that the agitation is external and artificial. He is wrong when he says that very few subjects of Hyderabad State have taken part in Satyagrah. Again he is wrong when he says that the movement is purely a communal one and has not the approval of the Indian

Nationalists. The latest figures published by the Arya Satyagraha Committee at Sholapur unmistakably show that over 75 percent of those who have courted arrest in the movement are the subjects of the Hyderabad State and that the entire Arya Community in the State, whose number runs upto thousands is involved in this agitation. It should also be noted that the Hindus of the Hyderabad State, in general, are in sympathy with the movement and are extending their moral support to it. Of course, it is true that certain sections of Hindus are being engineered by threats and bribery to display their dissent of the agitation but their number and importance in public life is insignificant. Under these circumstances, the movement of Arya Satyagrah is neither external nor artificial.

As to the charge of commumalism, it has bee repeated *ad nauseam* and at present the less said about it the better. The Aryasamaj is fighting for the freedom of religious worship which is the elementary right of every civilized community. It is no wonder that in course of time, other communities, when they realize the Truth of the cause espoused by the Aryasamaj shall join the fight. As regards the approval of the Indian Nationalists, the world now knows that every National leader in India who is of any worth has pronounced the fight of the Aryasamaj to be purely religious and as such deserving of sympathy and support.

It is a pity that Maharaja Sir Kishan Pershad, a lifelong servant of the Hyderabad State is again dragged in this controversy. It is true that the poor Maharaja signed his statement but the public knows full well that at this stage of his life and in the condition in which he is placed, he could not do otherwise. However, the Maharaja has been sufficiently refuted even by the Hindus of Hyderabad State.

टाइम्ज़ आफ इण्डिया तथा आर्य सत्याग्रह

श्री प्रोफेसर सुधाकर एम. ए., मन्त्री सार्वदेशिक सभा ने प्रेस को निम्न वक्तव्य दिया है :—

टाइम्ज़ आव् इण्डिया के एक ताज़े सम्पादकीय लेख की ओर मेरा ध्यान खींचा गया है। 'हैदराबाद आन्दोलन' उस लेख का शीर्षक है। वह लेख झूठी बातों से भरा हुआ है और लेखक ने आर्य सत्याग्रह आन्दोलन को बदनाम करने का जान बूझ कर यत्न किया है। यह पहला अवसर नहीं है जब इस पत्र के स्तम्भों में हमारे आन्दोलन के सम्बन्ध में निंदात्मक बातें निकली हों। हमारा दुर्भाग्य यह है कि जब इन बातों का खण्डन सम्पादक को भेजा जाता है तब वे अपने पत्र के स्तम्भों के प्रयोग का सौजन्य नहीं दिखलाते हैं।

टाइम्ज़ आव् इण्डिया का यह एकतरफ़ा प्रचार न केवल खेद जनक है वरन् सम्पादन कला की उच्च मर्यादाओं के विपरीत भी है। आर्य समाज की शिकायत के सम्बन्ध में हमने सम्पादक महोदय को आवश्यक साहित्य भेजा था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ऐंग्लो इण्डियन पत्रकार किसी मामले का अध्ययन करने का कष्ट नहीं उठाते जिसमें उनका अपना कोई मतलब नहीं होता है।

लेखक की भयंकर अनभिज्ञता इस बात से स्पष्ट है कि वह महात्मा नारायण स्वामीजी को जो आर्य सत्याग्रह आन्दोलन के नेता हैं 'हैदराबाद का कांग्रेस मैन' बतलाता है।

इसी प्रकार कई बातों में लेखक को भयङ्कर रीति से भ्रम में रक्खा गया है। आन्दोलन को बाहरी और बनावटी बतलाने में वह एक बड़ी भूल करता है। हैदराबाद राज्य के बहुत थोड़े से लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया है और आन्दोलन नितान्त साम्प्रदायिक है और राष्ट्रीय विचारों के लोग उसे पसन्द नहीं कर रहे हैं, लेखक का यह कथन भी सरासर ग़लत है। आर्य सत्याग्रह समिति शोलापुर ने जो अंक हाल में प्रकाशित किए हैं उनसे स्पष्टतया ज़ाहिर है कि जेल जाने वालों में ७५ प्रति शतक से अधिक हैदराबाद राज्य की प्रजा हैं और राज्य के समस्त आर्य समाजी जिनकी संख्या हज़ारों में है आन्दोलन में व्यस्त हैं। यह भी नोट करने योग्य बात है कि हैदराबाद के आम हिन्दुओं की आन्दोलन के साथ सहानुभूति है और वे अपनी नैतिक सहायता दे रहे हैं। निस्संदेह कुछ हिन्दुओं को धमकियाँ और रिश्वत देकर उनसे कहलाया जा रहा है कि आन्दोलन

के साथ उनका सम्बन्ध नहीं है परन्तु उनकी संख्या तथा जनता में उनका स्थान न गण्य है। इन हालतों में आर्य सत्याग्रह आन्दोलन न बाहरी है और न बनावटी है।

साम्प्रदायिकता के आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि लोग इसे सुनते २ थक गए हैं और उन्हें यह सुनना अच्छा नहीं लगता है। इस समय इस सम्बन्ध में जितना कम कहा जाय उतना ही अच्छा है।

आर्यसमाज धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहा है और यह स्वतन्त्रता प्रत्येक सभ्य जाति का मौलिक अधिकार है। ताज्जुब नहीं कि कुछ समय बाद दूसरी जातियाँ भी आर्य समाज के कार्य की सच्चाई को अनुभव करके इस युद्ध में शामिल होजायँ। राष्ट्रवादियों की स्वीकृति, या पसन्दगी के सम्बन्ध में दुनिया जानती है कि भारत के प्रत्येक बड़े राष्ट्रीय नेता ने आर्य समाज के युद्ध को विशुद्ध धार्मिक और सहानुभूति तथा सहायता का पात्र बतलाया है।

यह दुख की बात है कि हैदराबादराज्य के आजीवन सेवक महाराजा सर कृष्णप्रसाद फिर इस विवाद में घसीटे गये हैं। यह सत्य है कि ग़रीब महाराजा ने उनके नाम से प्रकाशित हुए वक्तव्य पर हस्ताक्षर मात्र किए थे परन्तु जनता अच्छी तरह से जानती है कि अपने जीवन के इस स्टेज पर और उन अवस्थाओं में जिन में इस समय हैं, वे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। तौभी हैदराबाद के हिन्दुओं तक ने महाराजा साहिब का पर्याप्त खण्डन कर दिया है।

No Question Of Congress Support
TO
Hyderabad Autocracy

Pandit Nehru's Letter To Principal Devichand M.A, Hoshiarpur.

Genuine Grievances Of The Arya Samajists

"I think that if you examine the resolution passed by the Ludhiana Conference, you will find there is no condemnation of the Satyagrha movement started by the Arya Samajists, nor is it called communal. In fact, it is definitely stated that the Arya Samajists have genuine grievances and their desire to get rid of them is not communal. But it is further stated that Satyagraha of this type is inopportune as it gives a pretext to the Hyderabad Government to treat it and the whole national movement as communal. There is no question of the Congress supporting, directly or indirectly, the autocracy of the Hyderabad Government."—A.P.I.

पं० जवाहर लाल नेहरू का प्रिंसिपल देवीचन्दजी एम. ए. को पत्र

"मैं समझता हूँ कि यदि आप लुधियाना काग्रेस के प्रस्ताव की जाँच-पड़ताल करेंगे तो आप को विदित होगा कि उस में आर्य समाज के सत्याग्रह का खण्डन नहीं किया गया है और न यह आन्दोलन साम्प्रदायिक बतलाया गया है वस्तुतः स्पष्ट रूप में यह बतलाया गया है कि आर्य समाज की शिकायतें यथार्थ हैं और उन शिकायतों के निराकरण की उनकी इच्छा साम्प्रदायिक नहीं है। परन्तु आगे यह भी बतलाया गया है कि इसप्रकार का सत्याग्रह असामयिक है क्योंकि इस आन्दोलन से हैदराबाद सरकार को इस आन्दोलन तथा समस्त राष्ट्रीय आन्दोलन को साम्प्रदायिक बतलाने का बहाना मिल जाता है।

काँग्रेस के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हैदराबाद सरकार की स्वेच्छाचारिता का समर्थन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।"

Hyderabad Compaign

Bombay Govt.'s Policy.

"The Government of Bombay would interfere in cases where newspapers, published in the Bombay Presidency, carried on a campaign for the overthrow of H.E.H. the Nizam or his dynasty, or where newspapers sought to create intercommunal discord likely to result in violence between communities in the province of Bombay," declared Mr. K. M. Munshi, Home Minister, in the course of a reply to a question in the Bombay Lagislative Assembly today, defining the Bombay Government's attitude towards the agitation against the Hyderabad State.

The Home Minister added that in the course of his interviews with Sir Akbar Hydari, the Prime Minister of Hyderabad he had also made it clear to him that the Government of Bombay would allow the Press in the Presidency the same liberty of criticizing the administration of the Hyderabad State which the Press eujoyed regarding the Bombay Govt. administration, that incitement to or preparation for violence would be dealt with, and that the Government of Bombay, if required would give the Nizam's Government such information as a friendly State was bound to give, but would not stop persons proceeding to Hyderabad territory with the intention which, if carried out there, might amount to a breach of the Hyderabad State laws

हैदराबाद का सत्याग्रह और बम्बई सरकार की नीति

बम्बई सरकार के गृह सचिव श्री के० एम० मुंशी ने बम्बई असेम्बली में एक प्रश्न के उत्तर में हैदराबाद सम्बन्धी आन्दोलन के सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करते हुए बताया—

यदि बम्बई प्रान्त से प्रकाशित होने वाले पत्रों में निजाम महोदय तथा उनके परिवार के विनाश के लिए प्रचार किया जायगा और बम्बई प्रान्त में साम्प्रदायिक विद्वेष

धर्म्म वीर स्वर्गीय पं० श्यामलाल जी का अन्तिम पत्र

यह वही प्रसिद्ध पत्र है जो श्री श्यामलाल जी ने बीदर जेल से अपने भाई श्री वंशीलाल जी को भेजा था और जिसमें अपनी कष्ट कहानी वर्णन की थी। इस पत्र का फोटो मार्च १९३९ के 'सार्वदेशिक' में प्रकाशित हो चुका है।—

नये दारोग़ा साहब हमारे लिए भेजे गये हैं। उन्होंने आते ही कह दिया कि श्यामलाल को दरवाज़े के सामने जहाँ खूब हवा मारती है, सारी रात सुलाएँ। यहीं मैं अकड़ता पड़ा रहा। एक गार्ड नियत किया गया कि कोई कैदी इनसे इशारे से बात तो नहीं करता। ता० १४ को "इसकी खूराक जो दूध दिया जाता था वो एक दम बन्द कर दिया जाए"। उसके बाद दो दिन भूखा पड़ा रहा। दूसरे दिन ता० १५ को मुझे ऐसी जगह रखा गया कि दूसरे कैदियों की सूरत तक दिखाई न दे। और शाम को दारोग़ा साहब पहुँचे और कहा "आम कैदियों का खाना क्यों नहीं खाते"। मैंने कहा जनाब आज १४ माह से दूध पर हूँ। दवा ले रहा हूँ, दवा पर परहेज़ है—जिससे मुझको बहुत फायदा हो चुका है। अभी चार छः महीने लेना बाकी है। उसे कैसे छोड़ूँ। "तुमको यह खुराक खानी पड़ेगी।" ता० २१ को पेशी है, उस समय तक दूध दीजिये।

फैलाया जायगा जिससे भिन्न २ जातियों में झगड़ा फिसाद होने की आशंका हुई तो ऐसे मामलों में बम्बई सरकार हस्ताक्षेप करेगी।

गृह सचिव ने बताया 'जब हैदराबाद के प्रधान मन्त्री सर अकबर हैदरी ने उनसे भेंट की थी तब भी मैंने यह बात स्पष्ट करदी थी कि सरकार इस प्रान्त के समाचार पत्रों को हैदराबाद सरकार की आलोचना की आजादी वहीं तक देगी जहां तक उन्हें बम्बई सरकार की आलोचना करने की स्वतन्त्रता है। हिंसा के लिए प्रोत्साहन देने अथवा हिंसा के लिए तय्यारी करने पर उचित कार्यवाही की जायगी, और बम्बई सरकार एक मित्र की भांति निज़ाम सरकार को आवश्यक सूचनाएं भी देगी परन्तु हैदराबाद में एक खास इरादे से जिसका हैदराबाद की सीमा में पूरा होना हैदराबाद का कानून भंग माना जासकता हो जाने वाले व्यक्तियों को रोक नहीं सकती।"

तारीख पर मेरे रिश्तेदार आवें तो उनसे दूध के पैसे दिलाऊँगा और आइन्दा मैं अपना इन्तजाम कर लूँगा। मेरी दवा न छुड़ाइये। अच्छा अब तक तुम्हारी इज़्ज़त रही है सो ग़नीमत समझो। अब कैसी रहती है देखता हूँ अगर न लोगे तो बेंत से पीटे जावोगे। डाक्टर ने भूल की है जो तुमको यह दवा खाने की इजाज़त दी है" यह चलदिया। थोड़ी देर में दो ज्वार की रोटी और खट्टा मिर्च की दाल भोजन बनाने वाले को साथ ले दफ़ेदार हाथ में बेंत लिए पहुँचे। "लो" खुराक नहीं ले सकता। "लेना पड़ेगा" दारोग़ा को बुलाइये। दरोगा आए। जनाब इतने दिन से दूध पर हूँ। एक दम रोटी मिर्च वगैरे की दाल खा लूं तो क्या हाल होगा? "कुछ नहीं" तुम महकमे के कानून की खिलाफ वर्ज़ी करते हो, नतीजा बुरा होगा, कुछ ले लो।" जनाब मुंह में दाँत नहीं कैसे खाऊं? आज ले लो कल से चावल देवेंगे। आज अब से देखने को कानून मांग रहा हूँ नहीं मिलता। यह रोटी ले कर ऐसी ही रखदूं तो भी खिलाफ वर्जी होगी। इस को हम माफ कर देते हैं चला गया। मैं भूका सोरहा। ता० १६को दफ़ेदार छड़ी लेकर चावल खट्टी दाल लिए आया खट्टा मिर्च डाली हुई दाल है, मैं नहीं खासकता। "मत खावो लेकिन ले लो। पहले हुक्म की तामील करो। कल से इन्तजाम करेंगे। वरना गत बनेगी।" अच्छा रख दीजिए, उस दिन भी भूखा रहा। ता० १७ को चावल फीकी दाल आई। एक छटाक खाकर पानी पिया होगा पेट खराब होगया। डकारें आने लगीं। शाम का खाना लौटा दिया। अब तक छटाक चनाज मुश्किल से जाता है। डाक्टर नहीं है कम्पाउन्डर दवा देरहा है। बहुत कमजोरी है। ता १९ को आफिस में बुलवाया। क्यों कैसी है मिजाज? अभी वैसी है? तुम्हारे पैर में जूता क्यों? डाक्टर सा० ने मेरे मिज़ाज को देखकर इज़ाजत दी है। दूसरे भी तो साहूकारोंके बच्चे है। गरीब अमीर की कोई बात नहीं। मुझे अलग क्यों रखा गया? "मर्ज़ की वजह" इसी लिए मोहतमीम सा...इजाजत दी है। "मैं ऐसे खिलाफ आम्ता हुक्म को नहीं मानता। छोड़ दो।" जूते लिए। ता० १९ से हवन करने से भी मना करदिया है। जिस दिन से दूध बन्द है उस दिन से दवा भी बन्द है। अब तक जब मैं भूखा था तो रामचन्द्र, लक्ष्मण, श्रीनिवास, वामन, प्रकाश, भूषण रामदास दिगम्बर, अमृतराव और महारुद्र भी भूखे रहे तो बेत मारने की तैयारी की गई और कहा तुम सरकारी खाने को इन्कार करते हो नहीं, भाई को भूखे देख खाया नहीं जाता क्या करें। अच्छा शरारत करते हो कह कर पैर में डण्डे डाल कर छोड़े हैं दोनों पैर में

इसको शोलापुर पहुँचाना, पैसों की सूरत नहीं देखना, कोई फ़िकर नहीं करना।

हैदराबाद आर्य्य सत्याग्रह में अपूर्व उत्साह और त्याग का प्रदर्शन

युवक, युवतियों, बालवृद्धों के धर्म प्रेम के ज्वलन्त उदाहरण

—*—

आर्य्य समाज के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने योग्य बातें

---

(१)

एक लखपती का त्याग

खड़ियाँ के लखपती साहूकार लाला रामचन्द ने आर्य समाज खड़ियाँ से वायदा किया है कि दस सत्याग्रहियों का किराया देंगे। एक जत्था शोलापुर गया है जिसमें एक मुसलमान सज्जन सम्मिलित हैं।

(२)

आचार्य गुरुकुल की घोषणा

एक गुरुकुल के आचार्य घोषणा करते हैं कि मेरे गुरुकुल के बच्चों में हैदराबाद के लिये बड़ा उत्साह पाया जाता है। गुरुकुल के बच्चों ने हैदराबाद के युद्ध में सहायता देने के लिये दूध पीना छोड़ दिया है, जो पैसे बचेंगे वह हैदराबाद फण्ड में भेजे जांयगे।

(३)

आर्य देवियों का उत्साह

धरौंदा (करनाल) के वार्षिकोत्सव में प्रत्येक आर्य्य देवी ने प्रण किया कि वह हैदराबाद के लिए हर एक घर से एक २ रुपया देंगी।

(४)

आर्य्य देवियों का त्याग

आर्य्य स्त्री समाज लोहगढ़ की ओर से घोषणा की गई कि जब तक हमारे आर्य वीर इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करके नहीं आते तब तक हम रेशमी कपड़ा नहीं पहनेंगी।

(५)

बेटा मेरी कोख की लाज रखना विजय पाकर ही वापस आना।

आर्य युवकों का जत्था हैदराबाद सत्याग्रह के लिए तय्यार किया गया। हवन यज्ञ के बाद एक पब्लिक जलसा हुआ, जिसमें तमाम नौजवानों को सत्य और अहिंसा पर दृढ़ रहने का उपदेश दिया गया। कुछ आर्य वीरों की माताओं ने अपने बच्चों को यह कह कर विदा किया कि बच्चा पीठ न दिखाना मेरी कोख की लाज रखना और विजय पाकर ही वापस आना। एक नवयुवक के पिताने कहा कि बेटा, तुम धर्म युद्ध में जाओ, मैं इस बुढ़ापे में भी घर का प्रबन्ध करूंगा। एक नवयुवक जो म्यूनिस्पल कमैटी का कर्मचारी है दो माह की छुट्टी लेकर जत्थे में शामिल हुआ है। वह दृश्य भी देखने योग्य था, जब माताओं और बहिनों ने तिलक लगाकर जत्थे को विदा किया।

(६)

खून से लिखा हुआ पत्र

एक बारह वर्ष का बालक कृष्ण लाल सुपुत्र महाशय रल्ला राम ने अपने खून से एक पत्र महाशय पूर्ण लाल को लिखा कि मैं सत्याग्रह जाने के लिए अधीर हूँ और अधिक धैर्य्य नहीं रख सकता अतः कृपा करके मुझे दूसरे जत्थे के साथ भेज देवें। खून से पत्र लिख कर अपने भावों को अङ्कित कर रहा हूँ।

(७)

फीरोजपुर (पञ्जाब) का एक जत्था

शादी नहीं की

एक जत्था पं० सोमदेव जी के नेतृत्व में लायलपुर से फीरोजपुर पहुँचा। उस जत्थे के एक आर्य वीर की शादी बैसाख १३ को होनी निश्चित हुई थी, लेकिन वह शादी की परवा न करते हुए सत्याग्रह में शामिल होगया और इसके अतिरिक्त आठ सत्याग्रही अपनी नौकरियां छोड़ २ कर जत्थे में सम्मिलित हुए थे।

(८)

घर बार का मोह छोड़ दिया

महाशय लाल चन्द जी अपने पत्र में जालन्धर से लिखते है :—

पिछले एक माह से मेरा दिल हैदराबाद को जाने के लिए तड़प रहा था। बेचैनी इस क़दर बढ़ गई थी कि दिन को चैन और रात को नींद नहीं आती थी। एक तरफ

अपनी स्त्री और बच्चों का ध्यान और दूसरी ओर धर्म की पुकार थी आखिर सांसारिक मोह पर धर्म प्रेम ने विजय पाई और अपने बच्चों को ईश्वर के हवाले करके धर्म युद्ध में कूद पड़ा हूँ। परमात्मा सहायता करेंगे।

(९)

बूढ़े पिता का धर्म प्रेम

श्री सत्यार्थी जी के वृद्ध पिता श्री भगत राम जी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा "मैं अपने पुत्र को धर्म युद्ध में भेज रहा हूँ ताकि वह विजय प्राप्त करके वापस आए इसके बाद उन्होंने सत्यार्थी जी की माता तथा बहिन की ओर से भेजे हुए फूलों के हार पहिनाए। हार पहिनाते हुए वे रो पड़े और कहा " जिस फूल (पुत्र) को मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था आज धर्म के लिए उस फूल (पुत्र) को कुरबान कर रहा हूँ।

(१०)

बूढ़ी माता की श्रद्धा

एक सत्याग्रही श्री चुन्नीलाल जी की बूढ़ी माता मृत्यु शय्या पर पड़ी थी। जब उस से चुन्नी लाल ने जत्थे में शामिल होने का जिक्र किया तो बूढ़ी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा तुम धर्म युद्ध में जाओ। यदि मुझे मरना है तो तुम्हारे यहां होते हुए भी मरूंगी परन्तु तुम यदि विजयी होकर आओगे तो मैं मरी हुई भी जिन्दा हो जाऊंगी।

(११)

एक आर्य माता का उत्साह

रोहतक मण्डी के आठ सत्याग्रहियों का जत्था हिसार पहुँचा। उसमें हिसार के श्री ब्रजचन्द जी का भाई वेदप्रकाश भी था। वहां उस जत्थे का खूब स्वागत किया गया। जलूस निकाला गया। जब जलूस वेदप्रकाश जी के मकान के सामने पहुँचा तो उसकी माता ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो मैं दूसरे पुत्र को भी धर्म युद्ध में भेज दूंगी!"

(१२)

छोटी बालिकाओं का प्रेम

कन्या महाविद्यालय जालंधर शहर की आंच की छोटी लड़कियों ने पैसा २ इकट्ठा करके सत्याग्रह में सहायता दी, जो वे आधी छुट्टी (तफरीह) में खाने पीने के लिए

अपने घर से लाया करती थीं। एक बहुतही छोटी बालिका भागी भागी आई और एक धेला जो उसे खर्च करने के लिए मिला था, देकर कहा कि इसे भी सत्याग्रह के लिए देदो क्योंकि हैद्राबाद में हिन्दुओं को 'नमस्ते' नहीं कहने दिया जाता, लौटाने पर लड़की रोपड़ी और धेला देकर हटी।

(१३)

एक १४ वर्षीय लड़के का धर्म्म प्रेम

१४ वर्ष का एक लड़का अजीतसिंह भी जत्थे में शामिल होने के लिए स्वयं आ गया था और जत्थे के साथ जा रहा था। बड़ी कठिनाई से आर्य नेताओं ने उसे समझा बुझाकर सत्याग्रह में जाने से रोका। लड़का जाने के लिए दृढ़ था, मगर नेताओं ने उसे जाने के लिए आज्ञा न दी। इसलिए निराश हो कर रोता हुआ वापस लौटा।

(१४)

एक निर्धन बच्चे का प्रेमोपहार

मौजा डोलवाया के एक गरीब लड़के ने सत्याग्रही जत्थे को कुछ शहद एक छोटी सी शीशी में लाकर दिया और कहने लगा कि मेरे घरमें एक पैसा भी नहीं है परन्तु मैं सत्याग्रह की सहायता करना चाहता हूँ। इसलिए जंगल से शहद लाया हूं, इसे स्वीकार करें। बच्चे का यह शहद १११॥=) को बिका और यह रुपया सत्याग्रह फंड में दे दिया गया।

(१५)

देवियां भी सत्याग्रह में जाने के लिए तय्यार

जालंधर की समाज की तरफ से समाज के प्रधान को चिट्ठी भेजी गई कि वह भी हैदराबाद के धर्म युद्ध में भाग लेने को तय्यार हैं, आज्ञा देदी जाय, प्रधान जी ने कहा कि जब तक आपके बाप, भाई, और लड़के जिंदा हैं, वह आपको युद्धमें भेजने को तय्यार नही हैं।

(१६)

आत्म हत्या की धमकी

एक जत्थे में एक १४ वर्षीय लड़का ओमप्रकाश है जिसने अपने बाप को धमकी दी थी कि अगर उसको सत्याग्रह में शामिल होने की आज्ञा न दी गई तो वह आत्म हत्या कर लेगा। अतः उसके पिता ने जत्थेदार को पत्र लिखा कि हमारा पुत्र इस धर्म युद्ध में सब से आगे है। एक और विद्यार्थी मंगतराम है, जिसको उसके पिता ने मकान में बन्द कर दिया और अच्छी तरह धमकाया एवं डरपाया और सत्याग्रह में जाने से रोका, तीन दिन तक घर

से नहीं निकलने दिया। ततपश्चात वह छुटकारा पाने पर घर से निकल भागा और जत्थे में शरीक होकर सत्याग्रह करने को चला गया। कई एक सत्याग्रही ऐसे हैं जो कि प्रोफेसर साहब को छोड़ने आये और घर वालों से विना कहे गाड़ी में बैठकर जत्थे के साथ होलिये। अमृतसर के तीन नवयुवक ऐसे थे जो प्रो० साहब का लैक्चर सुनते ही शामिल होगये।

(१७)

अपने खून से प्रार्थना पत्र

दो आर्य कुमारों का धर्म उत्साह

जहानियान से सत्याग्रहियों का जो जत्था रवाना हुआ उसमें सम्मिलित होने के लिए दो आर्य बालकों ने जिनकी अवस्था ११ और १२ वर्ष की थी, अपने खून से लिखकर जत्थेदार को पत्र भेजा कि हमें भी सत्याग्रह में शामिल किया जाए। लेकिन उनकी कम आयु होने के कारण से जत्थे में शामिल होने की आज्ञा नहीं दी गई और उनके बजाय दो और आर्य वीरों को शामिल कर लिया गया। इस पर दोनों बच्चों ने जत्थे में ही ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और दुबारा अपने खून से अर्जी लिखनी शरू कर दी, इन्हें यह कह कर शान्ति दी गई कि उन्हें तीसरे जत्थे के साथ भेजा जायगा।

(१८)

लायलपुरी जत्थे के जत्थेदार की प्रतिज्ञा

आर्य वीरों का एक जत्था जो हैदराबाद रवाना हुआ उसके जत्थेदार ओम्प्रकाश की शादी थोड़े ही दिन में होने वाली थी लेकिन उन्हों ने घोषणा की कि जब तक धर्म युद्ध में विजय नहीं होगी तब तक शादी नहीं करूँगा और उसके बड़े भाई ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि मुझे शोक है मि मैं बड़ा भाई पीछे हूँ और छोटा भाई जङ्ग में जारहा है। भाई को आदेश करते हुए आपने कहा कि "हर प्रकार का कष्ट उठाना मगर कदम पीछे न हटाना।"

(१९)

जनता से सत्याग्रहियों का परिचय

अपने भाषण के बाद प्रौफेसर ज्ञानचन्द एम० ए० वाइस प्रिन्सपिल डी० ए० वी० कालिज ने तमाम सत्याग्रहियों का जनता से परिचय कराया और कहा कि एक सत्याग्रही बिल्कुल अन्धा था, सत्याग्रहियों में से एक छोटा सा बच्चा ७, ८ साल का था जिसने स्वयं अपना नाम पेश किया था प्रोफेसर साहब ने बताया कि इस छोटे से बच्चे के

पास इसके पिता की एक चिट्ठी है कि यदि किसी भी शख्स ने इस छोटे बच्चे को सत्याग्रह में जाने से रोका तो यह आत्म हत्या कर लेगा।

एक सत्याग्रही की स्त्री लुधियाना में पहुँच गई थी ताकि अपने पति को धर्म युद्ध में जाने से रोके। स्त्री और पुरुष की काफी देर बहस होती रही। आखिर इस स्त्री ने भी अपने पति को खुशी से विदा करना मन्जूर कर लिया। एक सत्याग्रही को उसके माता, पिता ने रोका, कि वह जत्थे में शामिल न हो मगर वह सत्याग्रही दौड़ कर सत्याग्रह में शामिल होने के लिए सत्याग्रहियों को रास्ते में मिला। एक सत्याग्रही अपने बूढ़े माता पिता का सहारा था और ३०) माहवार वेतन लेकर अपना पेट पालता था। आखिरकार वह भी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर जत्थे में शामिल होगया। कई सत्याग्रही अपनी स्थायी हिकमत व दूसरे प्रकार की दुकाने बन्द करके जत्थे में शामिल होगए।

(२०)

एक साधु का त्याग

एक साधु ने अपने कपड़े सत्याग्रह फण्ड में दान दिए जो कि एक जल्से में नीलाम किए गए, वह १००) में नीलाम हुए और रुपए सत्याग्रह फण्ड में दे दिए गए।

(२१)

गुजरात के सत्याग्रहियों की प्रतिज्ञा

हैद्राबाद सत्याग्रह आन्दोलन चलाने के लिए धर्म युवक सभा कायम की गई। उसके प्रधान मि० हरबंससिंह जनरल सेक्रेटरी मि० हंसराज और खजांची मि० कुन्दनलाल चुने गए। रात को एक जलसा आर्य्य समाज मंदिर में हुआ। जिसमें मि० हंसराज ने एक ज़ोरदार भाषण दिया। आपने कहा कि सत्याग्रहियों को यह ख्याल छोड़ देना चाहिए कि हमको ज्वार की रोटी मिलेगी। आपको भूखा भी रहना पड़ेगा और ज़मीन बिस्तरा, और आस्मान चादर होगी और घोषणा की गई कि आठ युवक बतौर सत्याग्रही भर्ती हो गए हैं। उनमें एक छटी श्रेणी (class) का एक लड़का भी है पहिले उसके भेजने से उसके पिता ने इन्कार किया, लेकिन उसने भूख हड़ताल की धमकी दी। तब पिता ने अपने पुत्र का धर्म प्रेम देखकर आज्ञा देदी। मि० हंसराज ने घोषणा की कि हम सब सत्याग्रहियों ने प्रण किया है कि वह विजय प्राप्त करके आयेंगे वरना नहीं।

(२२)

तेरह २ वर्ष के तीन बच्चों का त्याग

तेरह-तेरह साल के तीन बच्चों, सत्यप्रकाश, कृष्णचन्द्र, किशोरचन्द्र ने अपनी जेब

खर्च से पैसे बचाकर एक रुपया महावीर धर्म युद्ध में देना स्वीकार कर लिया है और एक १४ साल का बच्चा भी धर्मयुद्ध में जाने को तैयार है ।

(२३)

महात्मा गांधी को खून से लिखी चिट्ठी

कानपुर के विद्यार्थी ने महात्मा गांधी जी को खून से लिखा हुआ एक पत्र भेजा है। जिसमें इस इच्छा को प्रकट किया है कि सत्याग्रह हैदराबाद का नेतृत्व आपको करना चाहिए ताकि रियासत के हिन्दुओं के धार्मिक अधिकारों की रक्षा हो सके ।

(२४)

तीन विद्यार्थी सत्याग्रह के लिए भाग गए

गुरुकुल पोटोहार के तीन छोटे विद्यार्थियों को छोटी उम्र होने के कारण पं०मुक्तिराम आचार्य गुरुकुल के जत्थे में शामिल होने से रोका गया। जत्था तो चला गया मगर इन ब्रह्मचारियों के दिल में बराबर आग जलती रही। अगले रोज़ मौका पाकर जत्थे में शामिल होने के लिए गुरुकुल से बगैर पता दिए हुए चले गये। मगर संचालकों ने गुजरानवाला रेलवे स्टेशन पर जा पकड़ा और बड़ी खुशामद के बाद वापस लाया गया।

(२५)

जर्मनी से फौरन वापिस आओ मैं हैदराबाद जा रहा हूँ ।

सेठ खेमचन्द जी रईस आज़म जालंधर की अपने बेटे के नाम चिट्ठी—

सेठ खैमचन्द जी रईस आज़म मालिक फर्म सेठ खैमचन्द राजकुमार कारखाना बाल्टी टब जालंधर शहर जो एक विख्यात कारखानेदार हैं, हैदराबाद सत्याग्रह के विषय में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। हैदराबाद में जो सख्तियां हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपने निश्चय किया है कि वह सत्याग्रह में भाग लेने के लिए हैदराबाद आजायँ। अतः आपने अपने लड़के सेठ राजकुमार को जो जर्मनी में काम सीखने गए हुए हैं, खत लिखा है कि जिस कदर काम सीख लिया है उसी पर संतोष करते हुए फौरन चले आओ। मैं आर्य समाजी हूँ और मेरा खान्दान आर्यसमाजी है, इसलिए जब हमारे नेता महात्मा नारायण स्वामी जी और पंजाब केसरी ला० खुशहालचन्द जी जेलों में बन्द हैं, मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं जालंधर में बैठा रहूँ, तुम फौरन जर्मनी से वापिस आजाओ ताकि अपना कारोबार तुम्हें सम्हाल कर मैं सत्याग्रह के लिए चला जाऊँ। अगर सेठ खेमचन्द जी के लड़के का जवाब जल्दी आगया तो सेठ साहब १०० आदमियों का एक

श्रद्धा लेकर हैदराबाद सत्याग्रह के लिए चले जायेंगे और इनके साथ ही इनका भतीजा ला० रामसरन दास अग्रवाल भी सत्याग्रह के लिए जायगा। सेठ जी का इस वक्त जालंधर में बड़ा भारी कार्य्य है इनकी दो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं।

(२६)

सच्ची नुमाइश देखने जा रहा हूँ

श्री म० माखनलाल जी नुमायश देखने कराची गये थे। वहीं से वे कराची के एक जत्थे के साथ सत्याग्रह करने शोलापुर चले गये। वहाँ से उन्होंने एक चाबी और एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखकर भेजी है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं सच्ची नुमायश देखने जा रहा हूँ, आप चिन्ता न करना।

(२०)

भाई का भाई को प्रेम पूर्ण पत्र

प्रिय भाई, राजेन्द्र !

प्रसन्न रहो ! तुम्हारे दोनों पत्र प्राप्त हुए। आर्य सत्याग्रह में भाग लेने के लिए हैदराबाद जाने के समाचार को पढ़ कर मुझे हर्ष हुआ। मैं तुम्हारे इस नवयुवकोचित उत्साह की सराहना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा यह धर्म प्रेम आजीवन अक्षुण्ण बना रहे।

सुदूर अतीत से आर्य जाति ने देश और धर्म पर सर्वस्व अर्पण करना ही नहीं अपितु आत्म-समर्पण करना सीखा है। आज आर्य-जाति के सामने ऐसे अनुकरणीय आदर्शों की कमी नहीं। आर्य जाति ने अतीत से लेकर आज तक जो बलिदान किए हैं उनसे इतिहास के असंख्य पृष्ठ रंजित होरहे हैं। क्रूरतापूर्ण मलिन मनोवृत्ति का दमन करने के लिए इसी शताब्दी में आर्य रक्त अजस्र धारा में बहा है। धर्म रक्षा का प्रश्न आर्य जाति के अस्तित्व का प्रश्न है। हक़ीक़त राय और गुरु गोविन्दसिंह के बच्चों ने अपने कोमल प्राणों का उत्सर्ग करके आर्य-तरु को पुष्पित और पल्लवित किया है। दयानन्द, लेखराम, श्रद्धानन्द आदि के बलिदान से आर्य जाति का गौरव चिरस्थायी हो गया है। फिर उसे निर्मूल करने की शक्ति किस में है।

प्यारे भाई ! तुम्हारी आयु कम है। अनुभव और विवेक की मात्रा भी तुममें कम है इसलिए सत्याग्रह का मर्म समझ लेना तुम्हारे लिए नितान्त आवश्यक है। सत्याग्रह-निःशस्त्र प्रतिकार बड़ी कठिन कसौटी है। इस कसौटी पर खरा उतरना सरल नहीं। आसुरी भावनाओं पर शान्ति-प्रयोग से विजय पाना दैवी भावनाओं का ही रूपान्तर है।

प्रति पक्षी के कठोरतम एवं दुर्द्धर्ष आक्रमणों को सत्य और अहिंसा की ढाल पर हंसते २ झेलना ही यथार्थ सत्याग्रह है। कठोर से कठोर दण्ड भी अहिंसा का उपदेश देने वाला होना चाहिए। ज़रा सोचो तो भाई, अमानुषिक अत्याचारों के बीच अहिंसा मय मंजु मुसकान तुम कैसे स्थिर रख सकोगे। कदाचित् उस समय तुम्हें शत्रु पर क्रोध आयगा। तुम्हारे अन्तस्तल में एक विचित्र प्रकार का अन्तर्द्वन्द्व होगा। तुम भयभीत होगे– घबराओगे भी– शायद सहम भी जाओ। लेकिन नहीं; यह तो परीक्षा का अवसर है। यदि इस मौके पर तिल मात्र भी हिचके और तुम्हारे हृदय में लेशमात्र भी निर्बलता उत्पन्न हुई तो, तुम उद्देश्य से बहुत दूर पहुँच जाओगे। सावधान! उस समय धैर्य और विवेक से काम लेना। आर्य जाति के स्फूर्तिमय उज्ज्वल आदर्शों की ओर ध्यान देना और संकट के बीच मुसकराते हुए धर्म पर अपनी बलि देने को उद्यत रहना! उस समय धर्म की वेदी पर बलि हुई आत्माएं स्वर्ग में बैठी हुई तुम्हारे अदम्य उत्साह पर तुम्हें साधुवाद देंगी। निःशस्त्र प्रतिकार के मूल में उद्देश्य की पवित्रता, सचाई और उच्चता छिपी रहती है। कोई सत्याग्रह कभी सफल नहीं होसकता यदि उसके मूल में छल, द्वेष, दम्भ, असत्य छिपा हुआ है।

मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ वह तुम्हें कर्तव्य-पालन के लिए सुबुद्धि दें, और तुम अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए बढ़े चलो। मेरी मंगल कामनाएँ और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं।

सदैव प्रसन्न रहो। परमात्मा तुम्हें चिरायु करें।

शुभाकांक्षी, भाई

विजयेन्द्र

महाराजा सर किशन प्रसाद जी के वक्तव्य का उत्तर

—❀—

अभी हाल में महाराजा सर कृष्ण प्रसाद भूतपूर्व प्रधान मन्त्री हैद्राबाद स्टेट ने रहबरे दकन (हैद्राबाद) में सत्याग्रह के विरुद्ध एक लेख लिखा है। उस लेख के खण्डन में हमें जो बहुत से लेख मिले हैं उनमें से कतिपय यहाँ दिए जाते हैं:—

इस बार निजाम सरकार की रक्षा के लिए महाराज सर किशन प्रसाद जी की बारी आई है। इसमें हमें आश्चर्य नहीं हुआ। हैद्राबाद राज्य के साथ उनके जो सम्बन्ध हैं उन्हें जनता अच्छी तरह से जानती है, अतः जिस कार्य के किए जाने की उनसे आशा की जा सकती थी, उन्होंने वही कार्य किया है; और उन्हें इस बात का सन्तोष हो सकता है कि जिसका उन्होंने नमक खाया है, उसके प्रति वे सच्चे सिद्ध हुए हैं भले ही अपने लोगों के प्रति सच्चे सिद्ध न हुए हों।

उनका वक्तव्य न केवल एक तरफा ही है, वरन् उसमें बहुत सी बातें अधूरी और झूँठी हैं। उसमें गोल-मोल बातें भी लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए महाराजा साहब से उनके इस कथन का उत्तर पूछा जा सकता है कि "हिन्दुओं के पास जो कुछ होना चाहिए अथवा जो कुछ उन्हें मिलना चाहिए, वह सब कुछ उनके पास है।"

सर किशन प्रसाद जी ने दावा किया है कि राज्य में समानता का व्यवहार किया जाता है। परन्तु क्या वे अथवा उन जैसा विचार रखने वाले अन्य कोई सज्जन निम्न बातों के सम्बन्ध में जनता का मार्ग प्रदर्शन करेंगे:—

१ सरकारी नौकरियों में हिन्दुओं का कितना प्रतिनिधित्व है जो राज्य की आबादी में सबसे अधिक संख्या में हैं?

ऐक्जूक्यूटिव कौंसिल में हिन्दू सदस्यों की कितनी संख्या है? क्या सात सदस्यों में से केवल एक हिन्दू सदस्य नहीं है?

राज्य की नौकरियों में हिन्दू कर्मचारियों की प्रतिशतक संख्या क्या है? क्या यह २० प्रतिशतक से कम नहीं है जबकि उनकी आबादी पचासी प्रति शतक से अधिक है?

हम स्वयं नौकरियों में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के विरुध हैं परन्तु बहुमत वाली

जाति के प्रति इस प्रकार के सरासर अन्याय को कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है विशेषतया उस अवस्था में जबकि योग्यता की नितान्त अवहेलना की जाय।

हैदराबाद में धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता के लिए जो आन्दोलन होरहा है उसे महाराजा बहादुर ने फिरकेदाराना रंग देने और इसी आधार पर उसका खण्डन करने का यत्न किया है। क्या हम महाराजा साहिब से पूछ सकते हैं कि यदि राजा अपनी प्रजा के एक भाग के प्रति उचित व्यवहार न करे, और राज्य की हकूमत भिन्न भिन्न जातियों में भेद भाव समझे और एक का दूसरे के मूल्य पर पक्ष करे—तो वे लोग क्या करें? वर्तमान आन्दोलन का उद्देश्य किसी जाति की स्वतन्त्रता का अपहरण करना नहीं है इसका उद्देश्य सब के लिए समान अधिकार और सहूलियतें प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि जाति या धर्म का भेद भाव किए बग़ैर सब पर न्याय पूर्वक कानून लागू किया जाय। यह आन्दोलन साम्प्रदायिक नहीं है, क्योंकि यह किसी जाति के खिलाफ नहीं किया गया है। यह तो राज्य की उस चुप चाप और व्यवस्थित कोशिश का उत्तर है जो वह हिन्दू धर्म और संस्कृति को नष्ट करने के लिए कर रहा है। इसे साम्प्रदायिक बतलाना अस्ल बात से दूर चला जाना है।

महाराजा बहादुर ने अपील की है कि शिकायतों का निबटारा शांति पूर्वक कर लिया जाय और इसके लिए उन्होंने अपनी सेवाएँ देने की भी उदारता दिखलाई है। वे मध्यस्थ बनने को तैयार हैं। परन्तु जिन दिनों वे हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर थे क्या उन्हें कई बार यह अवसर प्रदान नहीं किया गया था? क्या वे इस बात को भूल गए हैं कि सन् १९३६ में देहली में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से उनसे एक डेपूटेशन ने भेट की थी! क्या वे अथवा अन्य कोई इस बात का खण्डन कर सकते हैं कि सार्वदेशिक सभा ने निरन्तर ६ वर्ष तक शांति पूर्वक मामले को हल करने की पूरी पूरी कोशिश की थी। परन्तु यह सब अरण्य रोदन सिद्ध हुआ।

अपने वक्तव्य के अन्त में महाराजा बहादुर ने कहा है कि साहूकारा इत्यादि सब हिन्दुओं के आधीन हैं। परन्तु तस्वीर के दूसरे पहलू को देखना आसानी से भूल जाते हैं। शिकायत का कारण यह है कि यद्यपि हिन्दुओं की आबादी ज्यादा है और वे ही लगान और राज्य की आमदनी में सबसे बड़ा हिस्सा देते है तथापि राज्य की आमदनी अधिकांश रूप में दूसरी जाति के लाभ के लिए खर्च की जाती है। यदि धार्मिक सहायता विद्यार्थियों के वजीफे और स्कूलों की सरकारी सहायता इत्यादि पर विचार करें तो सिद्ध होगा कि ९० प्रतिशत से अधिक यह चीज़ें एक विशेष जाति को मिलती हैं।

अन्त में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि दूसरों को धोका देना आसान है' परन्तु अपनी आत्मा को धोका देना बहुत कठिन है।

(प्रो०) महेन्द्र प्रताप
शास्त्री एम० ए०
देहरादून

(२)

हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के सम्बन्ध में मैं जान-बूझकर खामोश रहा। इसका अभिप्राय यह नहीं कि मैं धार्मिक या नागरिक-स्वतन्त्रता के लिये चलाये जानेवाले किसी आन्दोलन का विरोधी हूँ; बल्कि इसका कारण यह है कि, मेरी राय में अगर आर्यसमाजी भाई हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की ओर से चलाये गये आन्दोलन में सम्मिलित होकर उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिये सत्याग्रह करने में सहायता देते तो आज हम विजयश्री के अति-निकट होते। उत्तरदायी शासन में वे प्रतिबन्ध हमारे सामने नहीं रह सकते, जिन्हें दूर करने के लिये आज आर्य समाज की सम्पूर्ण शक्ति काम कर रही है। मेरी राय में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किन्तु वायुमण्डल इतना दूषित हो चुका है, कि मेरी सम्मति असामयिक हुई है। मुझे आर्यसमाजी भाइयों की शक्ति और साहस पर पूर्ण विश्वास है, और मैं यह समझता हूँ कि आर्यसमाज की ओर से उठाये गये पग को बड़ी से बड़ी रुकावट भी पीछे नहीं हटा सकती।

आज मैंने 'रहबर-दक्कन' में रियासत हैदराबाद के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री महाराजा सर किशन-प्रसाद का एक वक्तव्य रियासत हैदराबाद के सम्बन्ध में पढ़ा है। इस वक्तव्य में जहां तक निजाम हैदराबाद की प्रशंसा का सम्बन्ध है, मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि निजाम दक्कन के साबिक़ नमकख़्वार सर किशन प्रसाद इसके सिवा और कुछ भी नहीं कह सकते थे।

सम्भव है राजा किशन प्रसाद की तरह सभी बिरादरियों के अमीर लोग रियासत में आनन्दमय जीवन व्यतीत करते हों। किन्तु अगर वे अपनी बूढ़ी आंखों से रियासत हैदराबाद की जनता को देखें जो वहां की निरंकुश राजसत्ता से तंग आकर एक पल भर के लिए भी सुख की नींद नहीं सोने पाती, तो उन्हें हैदराबाद की प्रशंसा के गीत गाने का साहस ही न होता। क्या ही अच्छा होता, कि सर किशन प्रसाद अपने पैतृक प्रभाव को हैदराबाद की बहरी तथा गूंगी प्रजा को उत्तरदायी शासन दिलाने के काम में लाते। किन्तु मुझे शोक है कि उन्होंने सच्चाई को अपने बूढ़े आंचल में छिपाने का प्रयत्न किया है; और नौकर शाही की नीति का आश्रय लेते हुये, आर्यसमाजियों और सनातन-धर्मियों

को आपस में लड़ाने की कोशिश की। किन्तु मेरा विचार है कि यह प्रयत्न सफल न होगा।

कदाचित् सर किशन प्रसाद को इस बात का पता नहीं कि देहली के शिवमन्दिर सत्याग्रह में कितने ही प्रसिद्ध आर्यसमाजी कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्मियों से भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और महाराजा सर किशनप्रसाद बहादुर उसी आर्यसमाज को सनातन-धर्मियों का शत्रु बतला रहे हैं।

मुझे शोक है कि इस समय जबकि भारत-भर में साम्प्रदायिक झगड़े समाप्त किये जा रहे हैं, और तमाम लोग आपस के भेद-भाव मिटा रहे हैं, उस समय एक बड़ी रियासत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने हिन्दुओं में फूट डालने का प्रयत्न किया है, और सबसे बड़ा दुःख इस बात का है कि फूट पैदा करने की यह कोशिश सनातन-धर्म के नाम पर की जा रही है।

अगर महाराजा सर किशनप्रसाद अपने वक्तव्य की सच्चाई को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण दे सकें, तो मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूँ कि क्या वह कोई ऐसी तहक़ीकाती कमेटी नियुक्त करने के लिये तैयार हैं, जिसमें देश के प्रसिद्ध सनातन-धर्मी नेता हों। यह कमेटी जांच के बाद जिन सिफारिशों को पेश करे, क्या सर किशन प्रसाद उसे अपने मालिक से मनवाने को तैयार हैं। अगर हां तो सूचना मिलने पर इसका प्रबन्ध किया जा सकता है। और अगर इसका उत्तर नकार में है तो यह समझा जायगा कि सर-किशन प्रसाद का वक्तव्य एक पैतृक नमकख्वार के वक्तव्य से अधिक विशेषता नहीं रखता।

नेकीराम शर्मा, (सनातनधर्म के प्रसिद्ध नेता)

श्री पं० विनायकराव बार एटला हैदराबाद का उत्तर

१३ अप्रैल को आर्य समाज सुलतान बाजार हैदराबाद में निम्न आशय का प्रस्ताव पास किया गया।

"हिज़ एक्सीलैन्सी महाराजा सर किशन प्रसाद बहादुर के १० अप्रैल के वक्तव्य में किए गए आक्षेपों का यह सभा प्रतिवाद करती है और आशा करती है कि महाराजा सर किशन प्रसाद बहादुर इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके आर्यों तथा हिन्दुओं को अनुगृहीत करेंगे।"

इस प्रस्ताव को रखते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा निज़ाम राज्य के प्रधान देशरत्न श्री पं० विनायक राव जी विद्यालङ्कार बार एटला ने कहा—हैदराबाद के इतने बड़े व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कहते हुए मुझे बड़ा खेद होता है। आर्य समाज केवल यह चाहता

है कि किसी भी धर्म का प्रचार बिना किसी प्रकार के प्रतिबन्ध के करने दिया जाय। धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए ही आर्य समाज ने सत्याग्रह प्रारम्भ किया है। महाराजा बहादुर ने कहा कि आर्य समाजी कृष्ण की निन्दा करते हैं; और साथ ही उन्होंने आर्य समाज पर बम और विष-काण्ड सम्बन्धी लांछन भी लगाए हैं। इस विषय में केवल इतना कहा जासकता है कि हमें कृष्ण के प्रति कितना आदर है, यह उन हिन्दुओं से पूछ लिया जाय जो आर्य समाज में आया जाया करते हैं। सर्व श्री गोविंदराव जी गंगा-खेडकर पं० अम्बादास राव जी और अन्य सनातनी हमारी इस बात की गवाही दे सकते हैं। बम-काण्ड और विष-काण्ड से तो हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। स्थानीय समाचार पत्रों में जो बात प्रकाशित न होनी चाहिए, उनको प्रकाशित किया जाता है, और कदाचित इसी प्रकार के समाचारों के आधार पर महाराजा बहादुर ने अपना ऐसा विचार बना लिया है।

महाराजा बहादुर का स्वभाव किसी को दुख देने का नहीं है। उनके सरल स्वभाव तथा लेखन शैली के आधार पर अनेक लोगों का यह विचार है वह वक्तव्य स्वयं महाराजा बहादुर का नहीं है। कदाचित महाराजा बहादुर ने अपने कोमल स्वभाव के कारण इस वक्तव्य को अपने नाम से प्रकाशित हो जाने देने की अनुमति प्रदान कर दी है।

(३)

प्रधानमन्त्री के पद से रिटायर होने के बाद महाराजा सर किशनप्रसाद अब निज़ाम के पेशकार हैं। आपको रियासत के ख़ज़ाने से ६०००) मासिक मिलते हैं।

महाराजा साहबकी यह युक्ति कितनी हास्यास्पद है कि हिन्दुओंको निज़ाम सरकार के विरुद्ध कोई उचित शिकायत नहीं है, अगर किसी व्यक्ति या वर्ग को कोई शिकायत है तो वह पहिले मुझे संतोष दिलाए। ऐसा मालूम होता है कि महाराजा साहब हिन्दुओं की शिकायत से बिलकुल अनभिज्ञ हैं और इन्हें इस बात का बिलकुल पता नहीं कि रियासत हैदराबाद के हिन्दू किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

डेपुटेशन

यदि महाराजा साहिब की स्मरण शक्ति कमज़ोर नहीं होगई तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि जब वे देहली में निज़ाम साहब के साथ आए थे तो मार्च सन् ३६ को सार्वदेशिक सभाकी ओरसे एक डेपुटेशन जिसमें गण्यमान्य हिन्दू नेता भी शामिल थे उनसे भेंट

की थी। डेपुटेशन ने रियासत हैदराबाद के हिन्दुओं और आर्य समाजियों का केस जुबानी तथा लिखित रूप में इनके सामने रक्खा था।

निज़ाम सरकार की उपेक्षा

रियासत हैदराबाद में आर्य समाजियों की जो शिकायतें हैं और वहां जो पाबन्दियां लगी हुई है उनकी चर्चा प्रेस और प्लेट फार्म से काफी से अधिक हो चुकी है अतः यहां उनके दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं।

रियासत में आर्य समाजियों पर जब कोई सख्ती या अत्याचार हुआ, हमने उसी वक्त निज़ाम सरकार को प्रार्थना पत्र इत्यादि के द्वारा सूचना दी। जब महाराजा किशन प्रसाद प्रधान मन्त्री थे तो उस समय भी ऐसा ही किया जाता था। इसके अतिरिक्त इन प्रार्थनापत्रों की नकलें Resident और भारत सरकार के पोलिटीकल डिपार्टमेण्ट के पास भी भेजी जाती रहीं, ताकि वे इस बात से अभिज्ञ रहें कि रियासत हैदराबाद में क्या हो रहा है। हमें दुख है कि निज़ाम सरकार ने हमारे प्रार्थना पत्रों की तरफ़ कभी ध्यान नहीं दिया और यह सिलसिला पिछले ६ साल से जारी है।

खण्डन करने का साहस नहीं हुआ

ये समस्त प्रार्थना पत्र और मैमोरियल इत्यादि "The case of Arya Samaj in Hyderabad State" नामक पुस्तक में दिए गए है। इस पुस्तक में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है या जो आरोप लगाए गए हैं, निज़ाम सरकार को उनके खण्डन करने का साहस नहीं हुआ है। सरकार के इस मौन ने हमें निराश करदिया था। यही कारण था कि हमें सत्याग्रह का आश्रय लेना पड़ा।

हिन्दुओं के प्रति व्यवहार

हम कई बार निज़ाम सरकार की साम्प्रदायिक नीति का पर्दा फाश करचुके हैं, और अंकों के आधार पर यह सिद्ध कर चुके हैं कि किस प्रकार निज़ाम सरकार ९० प्रतिशत हिन्दुओं के अधिकारों की जो बहु संख्या में हैं, उपेक्षा कर रही है, और नौकरियों में हिन्दुओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, जिस प्रकार कि साधारण अल्प संख्यक लोगों के साथ किया जाता है।

धर्म विभाग

धर्म विभाग का प्रबन्ध बिल्कुल मुसलमानों के हाथ में है और यह निज़ाम सरकार की साम्प्रदायिक नीति का ज्वलंत प्रमाण है। हम कई बार इस बात को बतला चुके हैं कि हमारा आन्दोलन विशुद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक है, जिसका पता इस बात से लगता

है कि हम इस समय राज्य में निम्न लिखित केवल दो बातों के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं:-

(१) अन्य मतावलम्बियों के भावों का उचित सम्मान करते हुए वैदिक धर्म और संस्कृति के प्रचार एवं अनुष्ठान की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।

(२) नए आर्य्य समाजों की स्थापना, नए आर्य्य मन्दिरों व हवन कुण्डों के निर्माण या पुराने मन्दिरों की मरम्मत करने के लिए धर्म विभाग (सीगए-अमूर ए-मजहबी) अथवा किसी अन्य विभाग की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए।

हमारी मांगें बिल्कुल उचित हैं:—

कोई आदमी जो जरा सी समझ रखता है क्या वह यह कह सकता है कि हमारी उपर्युक्त माँगें उचित नहीं हैं और संसार के किसी भी सभ्य भाग में इनको उचित स्वीकार करने से निषेध किया जा सकता है। मैं महाराजा साहिब से पूछता हूँ कि जहां तक इन मांगों का सम्बन्ध है क्या राज्य में इनके सम्बन्ध में स्वतंत्रता में दीगई है। यदि उत्तर हां में है तो इस दशा में मैं पूछना चाहता हूँ कि निजाम सरकार हमारे सत्याग्रहियों को गिरफ़्तार क्यों करती है? यदि इसका उत्तर 'नहीं' में है, तो उस अवस्था में महाराजा साहब और उनकी सरकार साम्प्रदायिकता की उत्तरदायिता अपने कन्धों से उतार कर आर्य्य समाजियों पर क्यों थोपना चाहती है जो अत्याचारों का शिकार हैं।

प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति यह देखकर आश्चर्य करेगा कि निज़ाम सरकार इन साधारण और मौलिक मांगों को स्वीकार करने के लिये तय्यार नहीं है। निजाम सरकार की इस नीति ने लोगों को इस बात पर विश्वास करने के लिये बाध्य कर दिया है कि सरकार हिन्दू बहुमत को अल्पमत में और मुस्लिम अल्पमत को बहुमत में परिवर्तित कर देना चाहती है परन्तु वह आर्य्य समाज की वजह से इस मिशन में सफल नहीं हो सकी है।

आर्य्य समाज के विरुद्ध आरोप

बम्ब फटने और जहर की घटनाओं का जिक्र करते हुए महाराजा साहिब ने आर्य्य-समाज को दोषी ठहराया है। ये दोष बिलकुल ग़लत और निराधार हैं और हमारे आन्दोलन को बदनाम करने के लिए हम पर मिथ्या दोषारोपण किया गया है। आर्य्य समाज स्वभावतः इस प्रकार के कृत्यों से घृणा करता है।

महाराजा साहिब ने अपने आपको सनातन धर्मी बतलाया है जो लोग इन्हें

जानते हैं इस बात से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं कि महाराजा साहिब किस प्रकार के सनातनी हैं।

आपने लिखा है कि आर्य्य समाजी और हिन्दू सनातन धर्मियों के शत्रु हैं, क्योंकि यह लोग भगवान् कृष्ण का आदर नहीं करते।" इसे हम मिथ्या प्रलाप कह सकते हैं। महाराजा साहिब को मालूम होना चाहिए कि आर्य्य समाजी भगवान् कृष्ण को योगीराज और अपने समय की एक महान् आत्मा और आदर्श चरित्र मानते हैं।

हम इससे पहले यद्यपि अपने केस के सम्बन्ध में महाराजा साहिब की सेवा में पर्य्याप्त साहित्य भेज चुके हैं, तथापि पुनः साहित्य भेज रहे हैं। हम आशा करते हैं कि महाराजा साहिब यदि इसे निष्पक्ष भाव से पढ़ेंगे, तो निश्चय ही वे हमारी शिकायतों को पायंगे।

अन्त में मैं महाराजा साहिब और महाराजा साहिब जैसे विचार रखने वाले सज्जनों को यह बता देना चाहता हूँ कि आर्य्य समाज किसी मनुष्य जाति वा सरकार का शत्रु नहीं है, बल्कि बुराइयों का शत्रु है और इनके विरुद्ध तब तक लड़ता रहेगा जब तक ये बिल्कुल दूर न होजायगी। आर्य्य समाज का मिशन तो बुराइयों को दूर करना और सच्चाई को प्रकाशित करना है।

मंत्री आर्य्य रक्षा समिति, देहली।

हमारे धर्म्म युद्ध की प्रगति

किसी आन्दोलन के ३ स्टेज हुआ करते हैं। एक स्टेज वह होता है जिसमें जन-साधारण की उसके प्रति उपेक्षा होती है। दूसरा स्टेज वह होता है जिसमें जनता उस आन्दोलन का मज़ाक उड़ाया करती है। तीसरा स्टेज वह होता है जब वह लोगों के गंभीर विचार का विषय बन जाया करता है और विचार के बाद या तो वे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं अथवा निन्दा।

आर्य्य समाज का वर्तमान सत्याग्रह इस समय तीसरे स्टेज पर पहुँच चुका है।

पहले दोनों स्टेजों में जनता ने इसकी उपेक्षा की और मज़ाक भी बनाया। लोगों की यह धारणा थी कि आर्य्य समाज के पास कोई कार्य्य करने को नहीं था और चूँकि वह झगड़ा खड़ा करने की अपनी आदत से मजबूर था इस लिए उसने हैद्राबाद सरकार के विरुद्ध युद्ध खड़ा कर दिया है। हवन, ओ३म् के झंडे तथा धार्मिक प्रचार की स्वतन्त्रता इस २० वीं शताब्दी में किसी शासन में लोगों को प्राप्त नहीं है यह बात उनकी समझ में नहीं आती थी।

कुछ लोग कहते थे कि आर्य्य समाजी वाक् वीर हैं कर्मशूर नहीं हैं। युद्ध और सत्याग्रह की चर्चा केवल शेख़चिल्ली की बातें और गीदड़ भभकियाँ हैं। सत्याग्रह के कठोर चने आर्य्य समाजियों के बल बूते की बात नहीं है।

उधर निज़ाम सरकार तथा उसके पिट्ठुओं का कहना था कि आर्य्य समाज का आन्दोलन साम्प्रदायिक है। यह मुसलमानों के विरुद्ध चलाया गया है। वे लोग इसे 'राजनैतिक' तक बतलाने लग गए थे। आर्य्य समाज के केस को भली भाँति पढ़े और समझे बग़ैर कुछ अन्य सज्जन भी इस प्रवाह में बह गए थे न मालूम किसी नीति के वश अथवा धार्मिक और साम्प्रदायिक में तमीज़ न कर सकने के कारण।

अब ये दोनों स्टेज समाप्त हो गए हैं। आर्य्य समाज के केस का औचित्य दुनिया पर अंकित हो गया है! लोग समझ गए हैं कि आर्य्य समाज की शिकायतें तथा उसका सत्याग्रह नितान्त जायज़ है। महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री अब्दुलकलाम आज़ाद प्रभृति राष्ट्र वादियों तकने आर्य्य समाज की माँगों को उचित प्रगट किया है। इस युद्ध में आर्यसमाजी भाई जिस वीरता, धर्म्मप्रेम, कर्मशीलता और त्याग को दर्शा रहे हैं उस पर लोग मुग्ध हैं। हैदराबाद जैसे देशी राज्य में जहां साम्प्रदायिकता अपने नंगे रूप में नाच रही है, और दमन चक्र अमानुषिकता की सीमा तक पहुँच चुका है आर्य्य समाज जिस दृढ़ता और संयम से सत्याग्रह के अस्त्र की शर्तों और विशेषताओं की रक्षा कर रहा है उसपर जनता तथा सत्याग्रह के पोषक और प्रेमी अवाक् हैं। हैदराबाद की जेलों में नाना प्रकार के कष्टों और यातनाओं के बावजूद भी हमारे सत्याग्रही जितने दृढ़ और पवित्र हैं उसे देख कर हृदय गद्गद् हो जाता है। तुलजापुर की घटनाने जहां आर्य्य वीरों ने छुरों और डंडों के प्रहार हँसते २ सहन किए थे दुनिया के सामने अपनी अहिंसावृत्ति को प्रमाणित कर दिया है और यह दर्शा दिया है कि आर्य्यवीरों को भयभीत करने का यह बड़ा ओछा हथियार काम में लाया गया है।

निज़ाम सरकार ने समाज के आन्दोलन को बदनाम और नष्ट करने में शायद ही कोई प्रयत्न उठा रखा हो। शोलापुर की कांग्रेस को न होने देने के लिए उसने हर प्रकार का यत्न किया। आर्य्य समाज का आन्दोलन मुसलमानों और निज़ाम साहब के खिलाफ है, हमारे विरुद्ध यह आन्दोलन किया गया। हैदराबाद सरकार से वज़ीफे पाने वाले तथा भोले मुसलमान इस आन्दोलन में शरीक हुए निष्पक्ष और समझदार मुसलमान भाई इससे उचित रीति से अलिप्त रहे। इस प्रकार के झूठे आन्दोलन की जो गति होनी थी वही हुई। हैदराबाद की बम और खाद्य पदार्थों में ज़हर वाली की घटनाओं का आर्य्य समाजियों के साथ सम्बन्ध जोड़ने के यत्न द्वारा हमारे आन्दोलन को हिंसात्मक बतलाकर बदनाम करने की भी चेष्टा की गई परन्तु आर्य्य समाज ने दृढ़ता पूर्वक उद्घोषित कर दिया कि इस प्रकार के उपायों से उसे नितान्त घृणा है। इस तीसरे स्टेज में हमारे आन्दोलन को शिथिल करने के लिए कई और हथकंडे वर्ते जा रहे हैं। अब एक हथकंडा यह वर्ता जाना शुरू हुआ है कि सनातनी हिन्दुओं और आर्यों में फूट डलवाई जाय। इसके लिए सबसे आगे महाराजा सर किशन प्रसादजी को जो आजीवन निज़ाम सरकार की सेवा में रहे हैं और इस समय भी हैं, मैदान में खड़ा किया गया है तथा एक

दो और सज्जन जिनका जनता में कोई स्थान नहीं है इस कार्य में लगे हैं जिनके नाम से पैम्फलेट प्रकाशित करा के वितरण किए जा रहे हैं। उनमें दिखलाया जारहा है कि हैदराबाद में राम-राज्य है। वहां हिन्दुओं को कोई कष्ट नहीं तथा धार्मिक और नागरिक स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं। उन्हें यह आजादी मिली हुई है। इत्यादि २। इस सम्बन्ध में हम निवेदन करेंगे कि आर्य समाज ने यह युद्ध अपने बल बूते पर छेड़ा है और जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी अपने बल पर लड़ेगा। अब सनातन धर्मी भोले नहीं रहे है। वे अपने मित्र और शत्रु में पहचान करने लग गए हैं। वे आर्यसमाज को अपना शुभ चिन्तक समझते हैं और इसीलिए उसकी उन्नति को अपनी उन्नति और उसकी विपत्ति को अपनी विपत्ति समझते हैं। इसी आधार पर वे आर्य समाज की सहायता करते हैं। यदि टकों के खरीदे हुए अथवा व्यवसायी सनातन धर्मी उन्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे भी तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी।

लोगों को हिन्दुओं और आर्यों का केस भली भांति स्पष्ट होगया है। अब वह उस के औचित्य से संतुष्ट हैं। वहां अपनी मातृ भाषा, धर्म और संस्कृति ख़तरे में है। थोंही एक दो आदमियों को मोटरों में बिठा कर उन्हें सब्ज़ बाग़ दिखाकर और स्वागत सत्कार करके यह छपवा देने से उनका भाव बदला नहीं जासकता। हमें आश्चर्य है अब भी लोगों को इस प्रकार के हथकण्डों की सफलता में विश्वास है।

लोगों को आश्चर्य है कि निज़ाम की सरकार आर्य समाज की मामूली मांगों के लिए आर्य समाजियों की क्यों कठिन परीक्षा ले रही है। वे चाहते हैं कि यह आन्दोलन शीघ्र से शीघ्र समाप्तहो जाना चाहिए। निज़ाम सरकार आर्यों की काफ़ी परीक्षा ले चुकी है। उनकी सम्मति है कि अब निज़ाम सरकार को या तो निष्पक्ष रूप से आर्य समाज की शिकायतों की जाँच पड़ताल करानी चाहिए अथवा यदि वह ऐसा नहीं चाहती है अथवा अनावश्यक समझती है तो आर्य समाज की मांगे स्वीकार करलेनी चाहिए। येही दो मार्ग श्रेयस्कर है। कूट नीति, धमकियों और दमन से समस्या और भी पेचीदा हो जायगी। यह तो सचाई और उदारता से ही हल होगी क्योंकि आर्य समाज का यह आन्दोलन सचाई और ईमानदारी पर आश्रित है।

ऋग्वेद

ओ३म्

यजुर्वेद

सार्वदेशिक

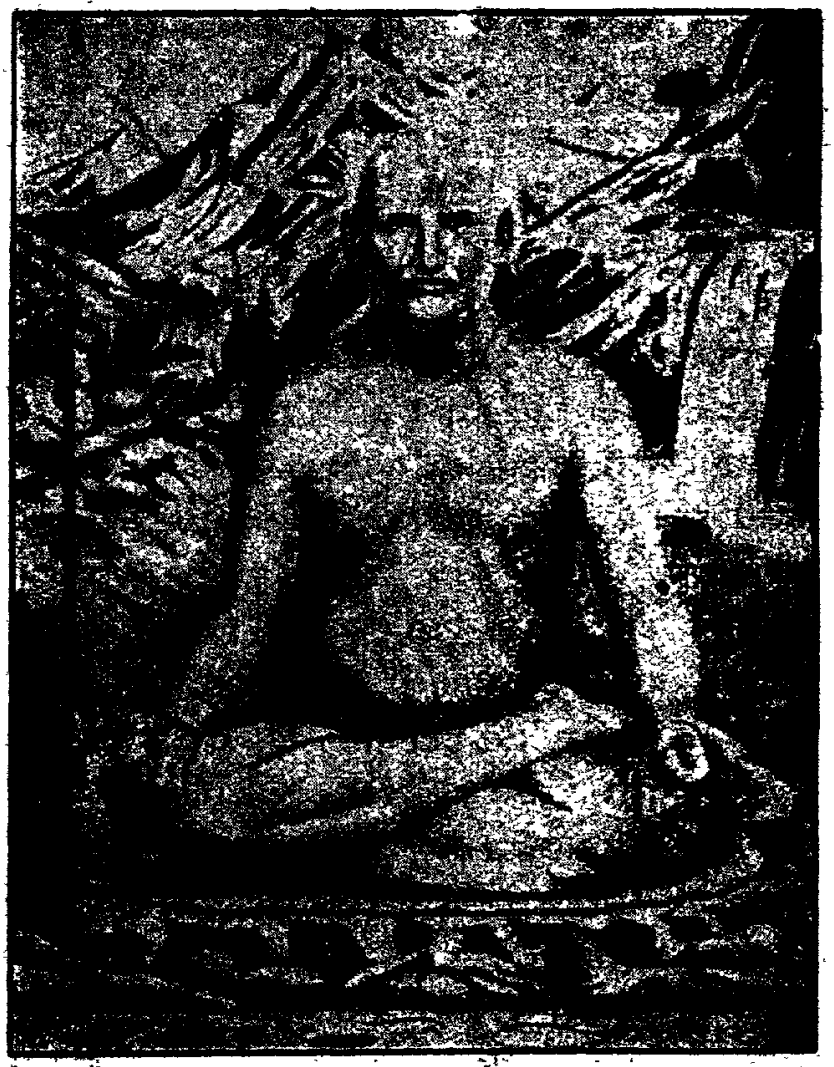

सम्पादक— प्रो० सुधाकर, एम०ए०,

स० सम्पादक—श्री रघुनाथप्रसाद पाठक

वार्षिक मू० स्वदेश २), एक प्रतिका ≈) विदेश से ५ शि० वार्षिक

अथर्ववेद

सामवेद

॥ ओ३म् ॥

सार्वदेशिक

* सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र *

वर्ष १३ | ज्येष्ठ १९९६ | जून १९३९ ई०] [दयानन्दाब्द ११४ | अङ्क ४

* वेद की शिक्षाएँ *

आ त एतु मनः पुनः। (ऋग्वेद १०—५७—४)

तेरा मन फिर से चेतन हो।

Let thy heart be filled with new Life and Vigour.

सत्यमूचुर्नर एवा हि चक्रुः। (ऋग्वेद ४—३३—६)

नरों (मर्दों) ने सत्य का ही प्रतिपादन किया है और वैसा ही आचरण किया है।

The high-souled persons uphold Truth and lead a truthful life.

Who is to Blame ?

Professor Sudhaker, M.A., General Secretary International Aryan League has released for publication the manifesto which was submitted to Mahatma Gandhi on behalf of the Aryan League through Messrs, Ghanshyam Singh Gupta and Deshbandhu Gupta on April 10 at Rajkot.

The manifesto throws light on the causes that led to the the break down of negotiations between H. E. H. the Nizam's Government and the Arya Samajist leaders, in regard to the Hyderabad Satyagraha.

In view of the Press 'communique' dated April 4, issued by H. E. H. the Nizam's Government, stating that the news published in certain sections of the Press that H. E. H. the Nizam's Government were negotiating with the International Aryan League with a view to arriving at some settlement or compromise was totally incorrect,it has become necessary to state that the 'communique' is calculated to mislead the public, that there were definite conversations with the responsible high officials of H.E. H. the Nizam's Government initiatad by them with a view to explore avenues for amicable and honourable settlement and that the news published in a section of the Press far from being totally incorrect was substantially true.

Before proceeding to state the circumstances in which the conversations took place, it is necessary to summarize the facts that compelled the inauguration of Arya Satyagraha Movement in Hyderabad State.

For some years past, H.E.H. the Nizam's Government adopted and pursued the policy of putting several restrictions

upon the freedom of faith and worship calculated to paralyse all honest and innocent religious and spiritual activities of the Hindu subjects in general and the Aryas in particular.

Patient Petitioning

The Arya Samajists kept on patiently petitioning for years H.E.H. the Nizam's Government to remove these disabilities, but the petitions fell upon deaf ears and no relief could be obtained.

The hardships became unsufferable and in utter despair, the Aryan Congress which met at Sholapur on December 25, 26 and 27, 1938, after declaring that full freedom of faith and religious worship was the inalienable birth right of the citizens and recounting the disabilites under which the Aryans and their co-religionists were suffering, resolved to initiate the Satyagraha Movement with the following minimum and immediate objectives :—

(a) Absolute freedom for the practice and preaching of the Vedic Religion and Culture with due regard to the feelings of the followers of other faiths.

(b) Full freedom for organising new Arya Samajes, building of new Arya Samaj Mandirs, Yagya Shalas, Havan-kundas, repairing of old ones without obtaining permission from the Eccelesiastical or any other department of the State.

Moderate Demands.

It will be seen that these are the most moderate demands for recognition of the elementary right of freedom of faith and worship and no Government claiming to be civilized can take the least objection to them. H. E. H. the Nizam's Government, however, persisted in their refusal to grant the demands and Satyagraha had to be started as the last resort of a despairing people.

By this time, about 3,000 persons have courted imprisonment and numerous volunteers are pouring in from all directions ;

of these more than 75 per cent are the subject of H. E. H. the Nizam. (The number has now reached to over 9,000.)

Conversations for Compromise.

About the last week of February, the Divisional Commissioner and the Collector of Gulbarga interviewed Mahatma Narain Swami Maharaj, the leader of the movement in jail, with a view to ascertain the grievances of the Aryas, and to move the higher authorities to explore the possibilities for an amicable settlement.

On March 27, 1939, Mr. S. T. Hollins, the Director-General of Police and Jails, Hyderabad State, Nawab Ghos Yarjang Bahadur, Comissioner, Gulbarga Division, Mr. Rizvi, the Collector, Gulbrrga District, and the Superintendent, Gulbarga Jail, interviewed Mahatma Narain Swamiji Maharaj, Kunwar Chand Karanji Sharada, Lala Khushal Chandji and Swami Vivekanandji in the Gulbarga Jail and Mr. S. T. Hollins made certain proposals, the substance of which was that H. E. H. the Nizam's Government would take no objection whatever to the hoisting of the Om flags, that no permission would be required for building Yagya-shalas and Havan-kundas and all Arya Samajes and Mandirs at present existing without any permission having been obtained would be recognised, and in the matter of building new temples, machinery would be provided to secure the granting of sanction within 15 days of the application, sanction not to be with-held on any ground other than the ground of its location being such as to give rise to communal disturbances, and full liberty of preaching religious doctrines (Dharma Prachar) with due regard to the feelings of the followers of other faiths would be secured.

Proposals.

Mahatma Narain Swamiji and his colleagues expressed their willingness to recommend the above proposals as the basis

for negotiating the settlement provided the settlement conformed to the spirit of the Sholapur Resolutions. Swamiji made it clear to Mr. Hollins that the authority to call off the Satyagraha Movement rested with the Sarvadeshik Sabha.

Mr. Hollins thereupon undertook to arrange a meeting of the representatives of the Sarvadeshik Sabha and the Government Officers concerned at Hyderabad and also to arrange for the transfer of Swamiji Maharaj and his three colleagues to Hyderabad for participating in the discussions. On the request of the Swamiji, Mr. Hollins and the Commissioner, Nawab Ghos Yarjang Bahadur promised that the representatives of the Sarvadeshik Sabha would not be molested and their records would not be seized or otherwise interfered with.

Swamiji Maharaj having been thus assured, called Swami Swatantranandji, Secretary, Satyagraha Committee, Sholapur by telegram and also forwarded the notes recording the substance of the above conversations to the President, Secretary and some other members of the Sarvadeshik Sabha.

On the 7th instant when Messrs. G. S. Gupta and Deshbandhu Gupta and Prof. Sudhakar saw Narayan Swamiji in Gulbarga Jail, the Jail Superintendent told us that before putting his own signature he had shown the notes of the conversation contained in Swamiji's letters to the Taluqadar, Gulbarga and had got his approval.

Swamiji Interviewed

Swami Swatantranandji went to Gulbarga and interviewed Narain Swamiji Maharaj, who asked the former that an emergent meeting of the Working Committee of the Sarvadeshik Sabha should be immediately convened at Sholapur before April 10, 1939.

Swami Swatantranandji convened the meeting at Sholapur and wrote to Sir Akbar Hydri sending him a copy of the gist

of the conversations, Narain Swamiji Maharaj had with Mr. Hollins and his colleagues and informing him that the representatives of the Sarvadeshik Sabha would be reaching Hyderabad to meet the State representatives on April 9 to discuss the question and requestioning him to communicate the time and place of the meeting. In a letter dated April 1, 1939, Swami Swatantrahandji also wrote to the Superintendent, Gulbarga Jail informing him that in addition to the members of the Executive body of the International Aryan League, the gentlemen named in the letter, would represent the Sarvadeshik Sabha at the Hyderabad meeting.

Letter Published

Swami Swatantranandji received a letter No. 2697, dated April 3, 1939, from the Superintendent, Central Jail, Gulbarga which is very important, as it throws considerable light on the present controversy; it reads as follows:—

"With reference to your letter No. 37060, dated March 31, 1939, received to-day, I write to inform you that it has been decided to hold the meeting of your representatives with Mahatma Narain Swami, Mr. Khusal Chand and others at Gulbarga, but not at Hyderabad. Please get all your representatives to Sholapur and send them to Gulbarga by the morning mail of April 7, 1939, so that they may see Mahatma Narain Swami and others before hand and be ready for the 8th instant to talk with the State Officers.

I assure you that your representatives would never be harassed by police, nor would your papers be seized here provided there would be no demonstration on your part. Kindly let me know the date and time of their arrival at Gulbarga by telegram so that necessary arrangements may be made here. I am writing this to you with the approval of the first Talukdar Gulbarga."

The letter speaks for itself and shows that the Jail Superintendent wrote with full authority because he distinctly states that the deputation was to meet the State officers on April 8, 1939.

While the leaders of the Arya Samaj were on their way

to Hyderabad, the Hyderabad government issued the surprising communique that the news published in certain sections of press that H.E.H. Nizam's Government, were negotiating with the International Aryan League with a view to arrive at some settlement or compromise was totally incorrect.

A Wire

Swami Swatantranandji sent a wire to Superintendent, Gulbarga Jail intimating to him that the representatives would be reaching Gulbarga on the 7th, in reply to which, he wired saying only two representatives *viz*, the President, the Secretary would be permitted to interview ; the President, the Secretary and Mr, Deshbandhu Gupta went to Gulbarga on the 7th and had an interview with Mr. Hollins, the Commissioner and the Collector. They found that for reasons best known to the Government, they had changed their mind.

We leave to public to judge whether the statement of H.E.H. the Nizam's Government contained in their communique is correct or otherwise.

We maintain that the negotiations were initiated with the full authority of H.E.H. the Nizam's Government and while the Sarvadeshik Sabha (International Aryan League) were fully prepared to be reasonable in their demands. H.E.H. the Nizam's Government persisted in their attitude which is utterly indefensible and if the League is constrained to continue the Satyagraha Movement, the responsibility rests on the shoulders of H.E.H. the Nizam's Government.

निजाम सरकार से समझौते की बात चीत कैसे भंग हुई ?

सार्वदेशिक आर्य्य-प्रतिनिधि-सभा का वक्तव्य (मैनी फ़ैस्टो)

यह वक्तव्य सार्वदेशिक सभा की ओर से श्री माननीय घनश्यामसिंह गुप्त तथा श्री ला० देशबन्धुजी के द्वारा १० । ४ । ३९ को राजकोट में श्री महात्मा गांधी जी की सेवा में पेश किया गया था । —सम्पादक

प्रो० सुधाकर एम० ए० मन्त्री, सार्वदेशिक आर्य्य-प्रतिनिधि सभा (देहली) ने निम्न वक्तव्य प्रेस को दिया है:—

(१) निज़ाम सरकार ने ४ । ४ ३९ को एक प्रेस वक्तव्य निकाला था जिसमें कतिपय अखबारों में प्रकाशित इस खबर का खण्डन किया गया था कि निजाम सरकार समझौते के लिए सार्वदेशिक-आर्य्य-प्रतिनिधि सभा से बातचीत कर रही है । इस वक्तव्य के निकलने से यह प्रेस वक्तव्य आवश्यक हो गया है जिससे यह दिखलाया जा सके कि निज़ाम सरकार का वक्तव्य लोगों को भ्रम में डालने वाला है । सम्मान पूर्ण सन्तोषजनक समझौते के लिए निज़ाम सरकार के जिम्मेवार उच्च अधिकारियों के साथ उन्हीं की प्रेरणा पर सुनिश्चित बातचीत हुई थी और कतिपय अखबारों में प्रकाशित हुई खबर बिलकुल गलत होने के बिलकुल सच्ची थी ।

(२) यह बातचीत किन परिस्थितियों में हुई ? यह बात बतलाने से पूर्व उन बातों को संक्षेप में बतला देना आवश्यक है, जिनके कारण हैद्राबाद राज्य में आर्य्य सत्याग्रह करने के लिए मजबूर होना पड़ा है ।

(३) पिछले कई वर्षों से निज़ाम की सरकार ने धार्मिक स्वतन्त्रता पर अनेक प्रतिबन्ध लगाने की नीति बनाई हुई है और वह इस नीति का अनुसरण कर भी रही है । यह नीति साधारणतया हिन्दुओं और मुख्यतया आर्य्यों की निर्दोष और सात्विक धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रगतियों पर कुठाराघात करने वाली है ।

(४) इन कठिनाइयों के निराकरण के लिए निरन्तर कई वर्षों तक आर्य्य समाजी धैर्य्य पूर्वक निज़ाम सरकार से अनुनय, विनय और प्रार्थना करते रहे, परन्तु उनकी प्रार्थनाएं बहरे कानों पर पड़ीं और कठिनाइयाँ दूर न हुई।

(५) जब कठिनाइयाँ असह्य होगईं तो बिलकुल निराश होकर आर्य्य कांग्रेस ने जो २५, २६, और २७ दिसम्बर को शोलापुर में हुई थी। निम्न छोटी से छोटी तात्कालिक मांगों के लिए सत्याग्रह करने का फैसला किया। कांग्रेस ने इस निश्चय से पूर्व यह उद घोषित कर दिया था कि धार्मिक स्वतन्त्रता नागरिकों का अपरिहार्य्य ,जन्म-सिद्ध अधिकार हैं, साथ ही आर्य्य समाजियों तथा अन्य धर्मावलम्बी भाइयों की कठिनाइयों का भी वर्णन कर दिया था।

(१) अन्य मतावलम्बियों के भावों का उचित सम्मान करते हुए वैदिक धर्म और संस्कृति के प्रचार एवँ अनुष्ठान की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

(२) नये आर्य्य समाजों की स्थापना, नए आर्य्य मन्दिरों व हवन कुण्डों के निर्माण या पुराने मन्दिरों की मरम्मत करने के लिए धर्म्म विभाग (सीगए—अमूर—ए—मज़हबी) वा किसी अन्य विभाग की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए।

(६) यह स्पष्ट है कि धार्मिक स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए ये बहुत मामूली मांगें हैं और अपने को सभ्य कहने वाली किसी भी सरकार को इन पर ज़रा भी आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु निज़ाम सरकार इन मांगों को स्वीकार करने से इन्कार करती रही और निराश हुए व्यक्तियों को अन्तिम उपाय के रूप में सत्याग्रह का आश्रय लेना पड़ा।

(७) इस समय तक लगभग ३००० व्यक्तियों को सजा हुई है (इस समय यह संख्या ६००० से ऊपर पहुँच गई है—सम्पादक) और अब अन्य प्रान्तों से बहुत से स्वयं सेवक चले आ रहे हैं। इनमें से ७५ से अधिक निज़ाम साहब की प्रजा हैं।

समझौते के लिए बातचीत

(८) फरवरी के अन्तिम सप्ताह के आस पास गुलबर्गा के डिवीजनल कमिश्नर और कलक्टर ने सत्याग्रह आन्दोलन के नेता, श्री महात्मा नारायण स्वामी जी से जेल में भेंट की। इस उद्देश से कि आर्य्यों की शिकायतें ज्ञात करके शान्त समझौते के लिए अन्य अधिकारियों को प्रेरणा की जाय।

(९) २७ मार्च १९३९ को हैद्राबाद राज्य के पुलिस और जेलों के डाइरेक्टर जनरल श्रीयुत एस. डी, हाकिन्स गुलबर्गा डिवीजन के कमिश्नर नवाब घोस यार जंग बहादुर, गुलबर्गा जिले के कलक्टर श्रीयुत रबबी और गुलबर्गा जेलके सुपरिन्टेन्डेन्टने महात्मा नारायण स्वामी जी, कुँवर चांदकरण जी शारदा, लाला खुशहाल चन्द जी तथा स्वामी विवेका नन्द जी से जेल में भेंट की। इस भेंट का सार यह था कि 'ओ३म्' का झन्डा लगाने पर निजाम सरकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति न होगी। हवन कुँडों और यज्ञ शालाओं के निर्माण के लिए किसी आज्ञा की आवश्यकता न होगी, और इस समय जो आर्य्य समाजें और मन्दिर हैं तथा जो बिना स्वीकृति प्राप्त किए स्थापित किए गए हैं, वे स्वीकार कर लिए जायंगे। नए मन्दिरों के निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र के देने के १५ दिन के भीतर २ स्वीकृति की व्यवस्था कर दी जायगी, और सिवाय इस आधार पर कि मन्दिर के स्थान से साम्प्रदायिक गड़बड़ फैलने की आशंका हो, अन्य किसी आधार पर स्वीकृति रोकी नहीं जायगी और अन्य धर्म्म वालों के भावों का उचित ध्यान रखते हुए प्रचार की पूरी २ स्वतंत्रता रहेगी।

(१०) महात्मा नारायण स्वामी जी तथा उनके साथियों ने समझौते की चर्चा के आधार के रूप में इन प्रस्तावों की सिफारिश करने की रजामन्दी प्रगट कर दी, इस शर्त के साथ कि समझौता शोलापुर के प्रस्ताव के भाव के अनुसार होना चाहिये। स्वामी जी महाराज ने श्रीयुत हाकिन्स को स्पष्ट कह दिया था कि सत्याग्रह को बन्द करने का अधिकार सार्वदेशिक सभा को है।

(११) इस पर श्रीयुत होकिन्स ने सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधियों और सम्बन्धित सरकारी अफसरों की मीटिंग हैद्राबाद में कराने का कार्य्य अपने ज़िम्मे लिया और यह भी कार्य्य अपने ऊपर लिया कि स्वामी जी महाराज तथा उन के तीनों साथियों को बात चीत में भाग लेने के लिए हैद्राबाद लेजायंगे। श्री स्वामी जी की प्रेरणा पर श्रीयुत हौकिन्स और कमिश्नर नवाब घोस यार जंग बहादुर ने वायदा किया कि सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधियों को सताया या तंग नहीं किया जायगा न उनका रिकार्ड छीना जायगा और न उसमें कोई हस्ताक्षेप किया जायगा।

(१२) इस प्रकार का आश्वासन मिल जाने पर श्री नारायण स्वामी जी ने सत्याग्रह समिति के मन्त्री जी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी को तार द्वारा बुलाया और उपर्युक्त बात चीत का सार लिख कर सार्वदेशिक सभा के प्रधान मन्त्री तथा अन्य सदस्यों को भेजा।

(१३) ७ अप्रैल को जब मैंने श्री प्रधान जी (श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त) तथा श्री ला० देशबन्धु जी ने गुलबर्गा जेल में महात्मा नारायण स्वामी जी से भेंट की, जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने हमें यह बतलाया कि स्वामी जी के पत्रों में बात चीत के सारांश का जो नोट था वह हस्ताक्षर करने से पूर्व उन्होंने गुलबर्गा के ताल्लुकेदार को दिखलाकर उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी।

(१४) स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी गुलबर्गा गए और श्री नारायण स्वामी जी को मिले। श्री नारायण स्वामी जी ने स्वामी स्वतंत्रानन्द जी को कहा कि १० अप्रैल से पूर्व सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा शोलापुर में बुलाई जाय।

(१५) स्वामी स्वतंत्रानन्द जी ने शोलापुर में सभा बुलाई और श्रीयुत अकबर हैदरी को पत्र लिखा जिसमें श्रीयुत हाकिन्स के साथ महात्मा नारायण स्वामी जी और उनके साथियों की जो बात चीत हुई थी, उसके सार के नोट की कापी भेजी और उन्हें सूचना दी कि हैद्राबाद राज्य के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि ६ अप्रैल को हैद्राबाद पहुँचेंगे और प्रार्थना की कि वे मीटिंग के समय और स्थान की सूचना देदें। १ अप्रैल ३६ के पत्र में स्वामी स्वतंत्रानन्द जी ने गुलबर्गा जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट को भी सूचित किया कि सार्वदेशिक सभा के अन्तरंग सदस्यों के अतिरिक्त पत्र में वर्णित सज्जन भी हैद्राबाद की मीटिंग में सार्वदेशिक सभा का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(१६) स्वामी स्वतंत्रानन्द जी को गुलबर्गा जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट का ४-४-३६ का पत्र संख्या २६६७ मिला जो बड़ा महत्व पूर्ण है क्योंकि वर्तमान विवाद पर यह बहुत ज्यादा प्रकाश डालता है। पत्र निम्न प्रकार है:—

"आपके ३१।३।३६ के पत्र सं० ३७०६० के हवाले से जो आज प्राप्त हुआ है, मैं आपको यह सूचित करने के लिए लिख रहा हूँ कि यह निश्चय किया गया है कि आपके प्रतिनिधियों की श्री महात्मा नारायण स्वामी श्री खुशहालचन्द और अन्यों के साथ हैद्राबाद के बजाय गुलबर्गा में भेंट कराई जाय। कृपया अपने सब प्रतिनिधियों को शोलापुर बुला लें और ७ अप्रैल १६३६ को सुबह की डाकगाड़ी से गुलबर्गा भेज दें जिससे वे पहिले से महात्मा नारायण स्वामी तथा अन्यों को मिलकर ८।४।३६ को हैद्राबाद में रियासत के अफ़सरों से बातचीत करने के लिए तय्यार होजायँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पुलिस आपके प्रतिनिधियों को कदापि तंग नहीं करेगी और न आपके रिकार्ड को छीनेगी बशर्ते आपकी ओर से कोई प्रदर्शन न किया जाय। कृपया तार द्वारा गुलबर्गा

पहुँचने की तिथि और समय की सूचना दें। जिससे यहां जरूरी प्रबन्ध कर दिया जाय। गुलबर्गा के फस्ट तालुकेदार की स्वीकृति से यह पत्र आपको लिख रहा हूँ।

(१७) पत्र स्वयं अपने में सुस्पष्ट है और इस बात को स्पष्ट कर देता है कि जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने पूर्ण अधिकार से लिखा था क्योंकि वह साफ तौर पर लिखता है, कि डेपुटेशन् ८। ४। ३९ को राज्य के अफसरों से मिलने वाला था।

(१८) जब कि आर्य्य समाज के नेता हैद्राबाद की यात्रा में थे, तब ही हैद्राबाद की सरकार ने आश्चर्य जनक वक्तव्य निकाल दिया कि कुछ अखबारों में जो यह खबर छपी है कि निज़ाम सरकार समझौते के लिए सार्वदेशिक सभा से बातचीत कर रही है, बिल्कुल गलत है।

(१९) स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने गुलबर्गा जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट को तार द्वारा सूचित किया कि प्रतिनिधि ७। ४। ३९ को गुलबर्गा पहुँचेंगे, जिसके उत्तर में उसने तार दिया कि केवल २ प्रतिनिधियों अर्थात् सार्वदेशिक सभा के मन्त्री और प्रधान को भेंट करने की आज्ञा दी जायगी। प्रधान मन्त्री तथा श्रीयुत देशबन्धु गुप्त ७। ४। ३९ को गुलबर्गा गए और श्रीयुत होलिन्स कमिश्नर और कलक्टर से भेंट की और मालूम हुआ कि उन कारणों से जो सरकार को ही भली भांति मालूम है' उन्होंने इरादा बदल दिया है।

(२०) निजाम सरकार की घोषणा जो उनके वक्तव्य में दर्ज है ठीक है या गलत, इसका निर्णय जनता पर छोड़ा जाता है।

(२१) मैं यह मानता हूँ कि निजाम सरकार की पूरी स्वीकृति पर बात चीत शुरू हुई थी और जब कि सार्वदेशिक-आर्य्य-प्रतिनिधि-सभा (इन्टर नेशनल आर्य्यन लीग) अपनी मांगों में औचित्य का पूरा २ ध्यान रखने के लिए तय्यार थी निजाम सरकार ने जो रुख धारण किया था, वह उस पर अड़ गई जो नितान्त अनुचित था और यदि सार्वदेशिक सभा सत्याग्रह आन्दोलन को जारी रखने के लिए बाध्य होगई है तो इसकी जिम्मेदारी निजाम सरकार के कंधों पर है।

हैद्राबाद सत्याग्रह
के
सर्वाधिकारी

—०—

१—राजगुरु श्री पं० धुरेन्द्रजी शास्त्री का संक्षिप्त परिचय

राजगुरु श्रीधुरेन्द्रजी शास्त्री, वीतराग पूज्य श्री स्वा० सर्वदानन्दजी महाराज के प्रधान शिष्य हैं। आपने पंजाब-विश्वविद्यालय में शास्त्री-परीक्षा पास कर, काशी और महाराजा-कालिज जयपुर में, न्याय और दर्शन-शास्त्र का विशेष रूप से अध्ययन किया। शिक्षा समाप्त करते ही, आप अपने गुरु श्रीस्वामीजी महाराज के आदेशानुसार, आर्यसमाज और वैदिक-धर्म की सेवामें लग गये। अपने पवित्र धर्म की सेवा करते हुए, आपने आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। सबसे प्रथम पं० धुरेन्द्र शास्त्री सन् १९२३ ई० में मलकाना-शुद्धि-आन्दोलन में सार्वजनिक कार्य-कर्त्ता के रूप में जनता के सामने आये। यहाँ आपको अमरशहीद श्री स्वा० श्रद्धानन्द जी महाराज और त्यागमूर्ति स्वर्गीय श्रीमहात्मा हंसराजजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।

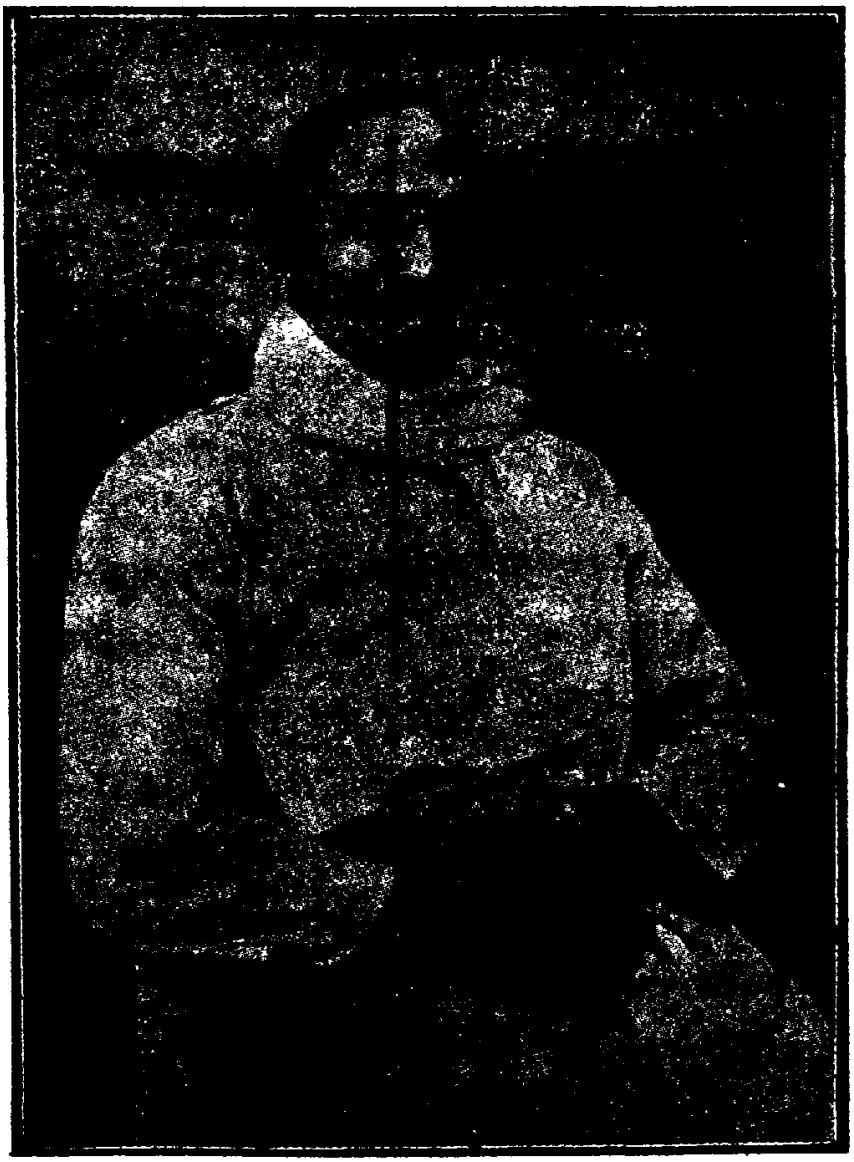

आर्य्य सत्याग्रह के चतुर्थ अधिनायक
श्री पं० धुरेन्द्रजी शास्त्री

शास्त्री जी ने शुद्धि आन्दोलन में जिस तत्परता से भाग लिया वह अत्यन्त सराहनीय

है। आपकी निःस्वार्थ सेवा से शुद्धि-आन्दोलन और आर्यसमाज के नेताओं का ध्यान आपकी ओर सहसा आकृष्ट होगया। संयुक्तप्रान्त से आप बिहार में वैदिकधर्म प्रचार करने पहुँचे, वहाँ भी आपके सेवा-भाव की खूब प्रतिष्ठा हुई। काँग्रेस का स्वतन्त्रता-संग्राम छिड़ने पर, देश की पुकार पर, शास्त्रीजी ने हजारीबाग (बिहार) जेल में, एक वीर सत्याग्रही की भाँति बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कैद काटी।

शास्त्री जी की जन्म-भूमि मथुरा जिले का एक छोटा सा गाँव और कर्म-भूमि सारा देश है। संयुक्तप्रान्त, बिहार और राजपूताना में तो आपका बहुत ही प्रभाव है। काल्याकांकर के प्रगतिशील नरेश स्व० श्री राजा अवधेशसिंहजी को आप ही ने आर्य समाज में दीक्षित किया था। और भी कई राजाओं के आप धर्मगुरु हैं। राजाधिराज श्रीमान् शाहपुराधीश ने तो १९३७ ई० में आपको नियमानुसार राजगुरु की उपाधि प्रदान की। आप शाहपुरा के युवराज महोदय को कई वर्षों से धर्म-शिक्षा दे रहे हैं।

राजगुरु पं० धुरेन्द्र शास्त्री त्यागी और तपस्वी विद्वान् हैं। कितने ही राजाओं के धर्मगुरु होते हुए भी आप सदा त्याग का ही जीवन व्यतीत करते हैं। किसी से आप कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखते। आप जो कुछ कहते हैं, निर्भयता किन्तु शिष्टता पूर्वक कहते हैं। मुंह देखी कहना आप से नहीं आता। आपको राजा रईसों से जो कुछ कहना होता है, बेरोक टोक किन्तु बड़ी शुभ भावना से कहते हैं यही कारण है कि आपका प्रभाव और आदर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

शास्त्रीजी की व्याख्यान-प्रणाली और लेखन-शैली दोनों बड़ी सुन्दर हैं, गम्भीर से गम्भीर विषयों को बड़ी सरलता से समझाते हैं। आपके व्याख्यानों में जनता अन्त तक बैठी रहती है, और बड़ी रुचि से उन्हें सुनती है। शास्त्रीजी को किसी का दम्भ या नियमविरुद्ध व्यापार एक आँख भी नहीं भाता। वे सचाई और सद्भावना के सच्चे उपासक हैं।

पं० धुरेन्द्र शास्त्री पहले बिहार आर्य प्रतिनिधि सभा के सभासद् थे, अब वर्षों से संयुक्त प्रान्तीय सभा के सदस्य है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के भी मेम्बर हैं।

आपको लोगों ने कई बार आर्य प्रतिनिधि सभाके प्रधान और मन्त्री पद पर प्रतिष्ठित करना चाहा, परन्तु आपने यह कह कर इन्कार कर दिया कि मैं तो एक 'उपदेशक' के रूप में ही वैदिक धर्म की सेवा करना चाहता हूँ। परन्तु इस वर्ष जबकि शास्त्री जी शोलापुर में डिक्टेटर का कार्य कर रहे हैं, गत ८ अप्रैल को आर्य प्रतिनिधि सभा के बृहदधिवेशन द्वारा वे सर्व सम्मति से सभा के प्रधान चुने गए हैं और अबकी बार सत्याग्रह-संग्राम छिड़ा होने के कारण, उन्होंने यह सेवा स्वीकार भी करली है।

शास्त्रीजी ने सोचा कि साधारण जनता में तो सब प्रचार करते हैं, मुझे राजा रईसों तक आर्यसमाज का सन्देश पहुँचाने का उद्योग करना चाहिए इसी लक्ष्य को सामने रखकर आप इधर संलग्न हुए हैं। जो विद्वान वक्ता धनियों से कुछ लेने की इच्छा न कर, उल्टा उन्हें वैदिक सन्देश देना चाहता है, उसकी वाणी में प्रभाव होना स्वाभाविक ही है।

शास्त्री जी सदैव प्रचार-यात्रा में रहते हैं, आज पटना हैं तो कल आगरा, परसों बम्बई। कभी अजमेर और कभी इलाहाबाद। जहाँ से निमन्त्रण आया, वहीं धर्म-प्रचार के लिए प्रस्थान कर दिया। चाहिए ही क्या, मार्ग व्यय और रूखा सूखा भोजन। नियम के इतने पक्के कि जब तक आप सन्ध्या-हवन नहीं कर लेते, अन्न ग्रहण नहीं करते। आप अपने सारे काम प्रायः स्वयं ही करना पसन्द करते हैं।

सचमुच शास्त्रीजी एक पक्के मिशनरी हैं, जिन्हें अपने धर्मप्रचार की धुन में रात को चैन है न दिन को। दीन-दुखियों की दशा देखकर तो आपका हृदय पानी-पानी हो जाता है, और उनके कष्ट-मोचन के लिए आपसे जो बनता है, बराबर करते रहते हैं।

जिस समय हैदराबाद-सत्याग्रह के लिए आर्य-कांग्रेस की चर्चा चली, उस समय आपने सारे प्रोग्राम रद्द कर शोलापुर का रास्ता लिया। आपके हृदय में वैदिकधर्म की प्रेम गंगा और भी उग्रता से उमड़ने लगी. और अन्ततः डिक्टेटर के रूप में आप जनता के सामने आए।

श्री शास्त्री जी जब से डिक्टेटर नियत हुए तबसे तो आपने संयुक्तप्रान्त में प्रचार की धूम मचा दी। आठ-दस दिन के भीतर आपने वह तूफानी दौरा किया कि सारा प्रान्त जाग पड़ा। स्टेशनों पर स्वागत की आंधी उठ खड़ी हुई और इतने थोड़े समय में आपने चौदह सहस्र रुपया सत्याग्रह के लिए ला पटका। अगर शास्त्री जी को अपने प्रान्त में घूमने के लिए पूरा एक मास भी मिलता तो निश्चय ही वे तीस हजार रुपये एकत्र कर लेते। परन्तु तृतीय डिक्टेटर आर्य्य वीर लाला खुशहालचन्द खुर्सन्द के गिरफ्तार हो जाने के कारण आपके लिए तुरन्त शोलापुर पहुंचना अनिवार्य हो गया। शोलापुर आकर भी आप प्रचार यात्रा करते रहे और पाँच हजार रुपये के लगभग वहाँ भी एकत्र किया।

मुस्कराता हुआ चहरा, छरहरा बदन, शरीर पर खद्दर, गले में दुपट्टा और माथे पर चन्दन बिंदु देख कर कोई भी व्यक्ति शास्त्री जी को आसानी से पहचान सकता है। आप बड़े ही विनोद-प्रिय, मिलनसार और निराभिमानी विद्वान हैं। आपका जीवन अपने लिये नहीं, वैदिक धर्म और आर्यसमाज के लिये हैं। शास्त्रीजी का कहना है कि आर्यसमाज जीवित है, तो सब जीवित हैं आर्यसमाज नष्ट हो गया तो हमारा जीवन मृत्यु से भी गया बीता हो जायगा।

शास्त्री जी बड़ी आशा और दृढ़ता से सत्याग्रह-संग्राम में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी प्रतीज्ञा है कि जब तक शरीर में रक्त की एक बूँद भी शेष है; तब तक मैं बराबर लड़ाई लड़ता रहूँगा और प्राणोत्सर्ग करते समय भी परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा—

हे प्रभो! मुझे फिर आर्यावर्त्त ही में जन्म देकर, आर्य समाज में ही जन्म देकर आर्य समाज का सच्चा सेवक बनाना, जिससे मैं अपने आचार्य महर्षि दयानन्द के आदेश और उद्देश का यथोचित पालन कर वैदिक धर्म की सेवा कर सकूं।

२—श्री पं० वेदव्रतजी वानप्रस्थ का संक्षिप्त परिचय

श्री पं० वेदव्रतजी की जन्मभूमि संयुक्त प्रान्त के बस्ती ज़िले का धोवखड़ा नामक एक ग्राम है। आप का जन्म सन् १८९२ में इसी ग्राम के विद्वान् ब्राह्मण पं० इन्द्रदत्तजी पाण्डेय के यहां हुआ। आपके पिता ज़मींदार थे।

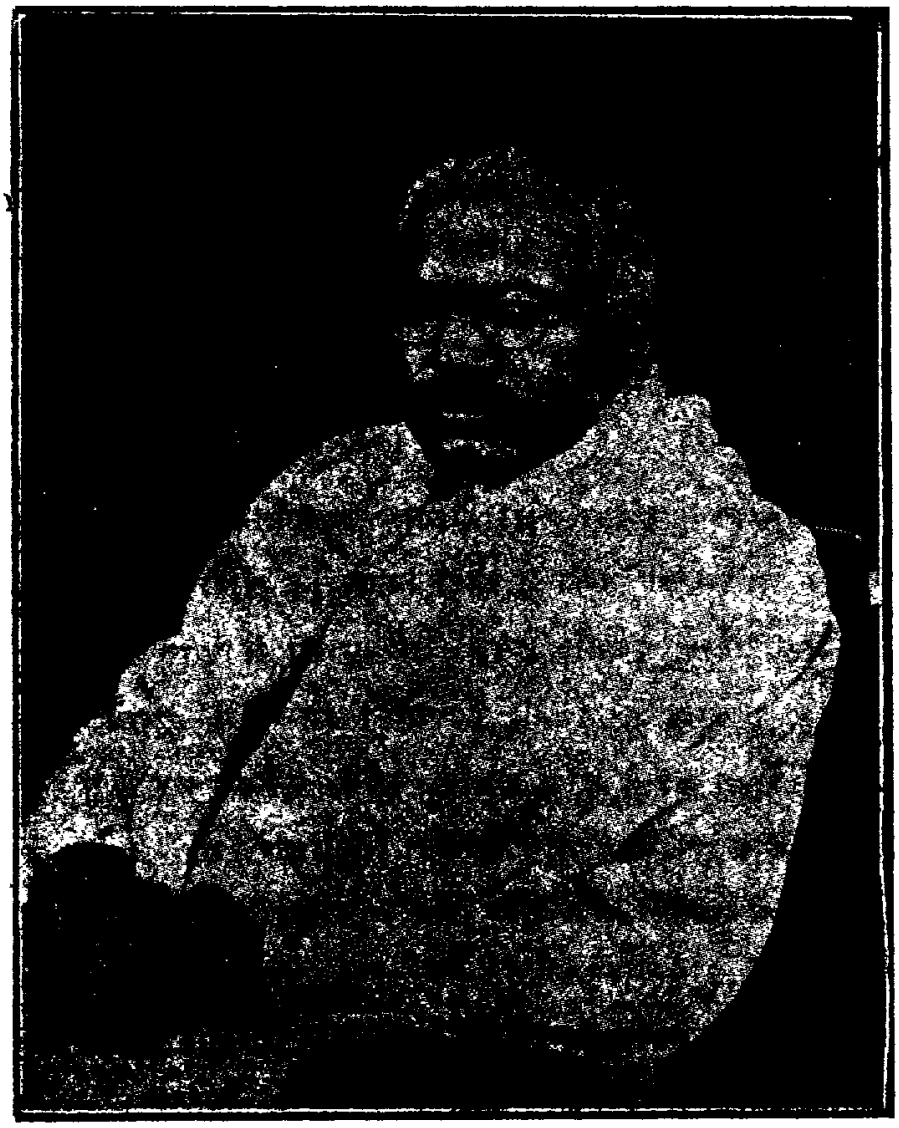

आर्य्य सत्याग्रह के पांचवें अधिनायक
श्री पं० वेदव्रत जी वानप्रस्थ

बाल्यकाल में पं० वेदव्रत जी की शिक्षा-दीक्षा की उचित व्यवस्था की गयी। अंग्रेज़ी पढ़ने के पश्चात् आप की प्रवृत्ति संस्कृत की ओर विशेष रूप से हुई। अतएव आपने देववाणी के अध्ययन में ही अपनी सारी शक्तियाँ लगाईं। प्रारम्भ में पं० वेदव्रतजी पौराणिक सनातन धर्म के अविचल अनुयायी थे परन्तु जब आप को विविध धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का अवसर मिला तो आपके विचार आर्यसमाज की ओर झुके और सन् १९१३ई० में आप नियमानुसार आर्य समाज के सदस्य बन गये।

सब से प्रथम आपने अपने ज़िले के बस्ती आर्य-समाजसे ही प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया और तभी से आपको कुछ वैराग्य-सा होने लगा। फिर क्या था, एक विरागी के लिए

आर्य-सेवा से बढ़कर और काम ही क्या हो सकता है पं० वेदव्रतजी सर्वात्मना वैदिक धर्म्म प्रचार में लग गये और १९१५ ई० में आपने बिहार को अपना कार्य क्षेत्र निश्चित किया। आप जितने अच्छे लेखक हैं, उतने ही अच्छे व्याख्याता भी हैं। आप की वाणी और लेखनी का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया, और जनता आपकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट होने लगी। ऐसे समय में पण्डितजी ने बिहार में हरपुरजान गुरुकुल की स्थापना की, जो इस समय बड़ी सफलता पूर्वक चल रहा है। यह संस्था पण्डित वेदव्रतजी की कीर्ति-धारा को अक्षुण्य रखने के लिए बहुत पर्याप्त है। इस विद्यालय द्वारा बिहार में देववाणी संस्कृत और वैदिक सिद्धान्तों का खूब प्रचार हो रहा है।

श्री पं० वेदव्रतजी जहाँ आर्य समाज और वैदिकधर्म की अमूल्य सेवा करते रहे, वहां आप राजनैतिक आन्दोलन में भी पूर्ण रूप से अग्रसर हुए। असहयोग आन्दोलन के अवसर पर, देश सेवा के लिए आपने दिन-रात एक कर दिये। उस समय दो वर्ष तक आपने कृष्ण मन्दिर में बन्दी रह, अपने ज्वलंत देश-प्रेम और अनुकरणीय स्वाभिमान का प्रशस्त परिचय दिया। पण्डितजी के तप और त्याग ने आपको देश सेवकों की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त कराया, और आप लगातर कई वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधान और मन्त्री पदों पर प्रतिष्ठित रह कर सार्वजनिक सेवा में संलग्न रहे। इतना ही नहीं आप अखिल भारतीय और बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदाय भी कई बार चुने गये। इलाहाबाद से आपने पुनः डेढ़ साल के लिए कारागारयात्रा की, और जेल से मुक्त होते ही फिर आप अपनी कर्म-भूमि बिहार में पहुँचे। अब की बार आपने बिहार आर्य प्रतिनिधि सभा के गुरुकुल वैद्य नाथ धाम के आचार्य और सहायक मुख्याधिष्ठाता के पदों पर प्रतिष्ठित रह कर बड़ी तत्परता पूर्वक वैदिक-धर्म और आर्य समाज की सेवा की।

१९३४ के भयंकर भूचाल ने बिहार को तबाह कर दिया था, उसकी भयंकरता का स्मरण अब भी हृदय को हिला देता और शरीर में रोमांच पैदा कर देता है, उस समय भी पं० वेदव्रतजी ने भूकम्प पीडितों के सहायतार्थ जो सेवाएँ कीं वह स्वर्णाक्षरों में अङ्कित हो कर आनेवाली जनता को सदैव सच्ची और निःस्वार्थ सेवा का सन्देश देती रहेंगी। पं० वेदव्रतजी उस समय बिहार प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री थे। तत्कालीन परिस्थिति की भयङ्करता देखकर भारत-भर के आर्यसमाजों की ओर से "आलइण्डिया आर्य समाज रिलीफ़ सोसायटी" की स्थापना की गयी, इसके प्रधान-मन्त्री पद के लिए पं० वेदव्रतजी से बढ़ कर भला कौन हो सकता था। आपने उस समय पीड़ितों के कष्टमोचन के लिये जो

प्रयत्न और पुरुषार्थ किया उस पर बिहार ही नहीं सारे देश के आर्यसमाज उचित गर्व कर सकते हैं।

१९३५ और ३६ ई० में पंडितजी बिहार प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान चुने गये। आपके समय में प्रतिनिधि सभा का काम बहुत ही शानदार रहा। जनता में जीवन और जागृति के चिन्ह स्पष्ट दिखलायी देने लगे। आपने अपने उद्योग द्वारा अनेक नवीन आर्य समाजों की स्थापना की और सैकड़ों-सहस्र, नर-नारियों तक पवित्र वैदिक धर्म की विशुद्ध ध्वनि पहुँचायी।

१९३० ई० में जब देश में बड़े जोर से स्वातन्त्र्य-संग्राम प्रारम्भ हुआ, उस समय भला पण्डित वेदव्रतजी कब चुप बैठ सकते थे। वे बड़े श्रद्धाभाव से जननी-जन्म भूमि की सेवा के लिए समुद्यत हुए और बिहार प्रान्तीय 'डिक्टेटर' की हैसियत से एक वर्ष ९ मास के लिए कारागारवासी बने। देश-रत्न श्री बा० राजेन्द्रप्रसादजी से पं० जी का घनिष्ठ सम्बन्ध है। आप उनके मित्र और सहयोगी के रूप में देश-सेवा के मार्ग में सदैव अग्रसर रहे। श्री पं० वेदव्रतजी आर्यसमाज और कांग्रेस के निर्भय और वीर सैनिक हैं। आप किसी पद पर हों या न हों, दोनों की सेवा बड़ी तत्परता और श्रद्धा से करते रहते हैं। आप उन कांग्रेस सेवकों में नहीं हैं, जो धर्म को एक प्रकार से तिलाञ्जलि दे बैठते हैं। आपके यहां देश सेवा और धर्म सेवा दोनों अनिवार्य और अवश्यम्भावी हैं। देश-सेवा और धर्म-सेवा दोनों की पुकार पर प्राणों की बाजी लगाने के लिए पण्डितजी हर वक्त तैयार रहते हैं, यही कारण है कि जनता पर आपका इतना अधिक प्रभाव है, कि वह आपके संकेत मात्र पर कर्त्तव्य-पालन में जुट पड़ने के लिए तैयार रहती है।

श्री पं० वेदव्रतजी सौम्य प्रकृति के विद्वान् हैं। आप अपनी पैतृक सम्पत्ति से सारे अधिकार हटाकर गत २२ वर्षों से वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। आप बड़े ही मनस्वी और ओजस्वी वक्ता हैं। हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेज़ी भाषाओं पर आपका अच्छा अधिकार है। आपकी वाणी और लेखनी दोनों प्रभावपूर्ण हैं। सबसे अधिक आप में जो विशेषता है वह है शान्ति पूर्वक ठोस और गम्भीर कार्य करने की शक्ति और स्वाभिमान, सदाचार तथा जनता को अपने साथ ले चलने की अद्भुत क्षमता।

कांग्रेस और आर्यसमाज दोनों के प्रसिद्ध कार्यकर्ता होने के कारण आपने साधारण जनता की मनोवृत्ति का खूब अध्ययन किया है, और आप उसे अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि आपकी प्रचार-शैली का जनता पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है।

श्री पं० वेदव्रत जी जैसे नेताओं से आर्यसमाज का गौरव है। सत्याग्रह युद्ध-समिति ने, पण्डितजी जैसे परखे और कसौटी पर कसे हुए वीर को हैदराबाद सत्याग्रह का सर्वाधिकारी नियुक्त कर, वास्तव में बड़ा सराहनीय काम किया है। ऐसे त्यागी, तपस्वी और विद्वान् व्यक्ति को सेनानायक के रूप में देख कर, निःसन्देह हमें अपने को परम भाग्यशाली समझना चाहिए।

आश्चर्य जनक आविष्कार

सैकड़ों मुंह एक ही बात

सर्प विष पर राम-वाण महौषधि

१ शीशी दवा में सैकड़ों मनुष्यों को बचाईये!

यह दवा जड़ी बूटी के संयोग से बनाई गई है और अब तक इस दवा से सैकड़ों मनुष्यों को जीवन दान मिल चुका है। जनता के साथ साथ आस पास के 'डाक्टर,' 'हकीम' और 'वैद्य' महानुभाव इस दवा की काफी प्रशंसा कर चुके हैं। जनता के अलावा 'डाक्टर', 'हकीम' और 'वैद्य महानुभाव' एकबार इस दवा की अवश्य परीक्षा कर देखें।

नोट—खैराती दवाखाना, दातव्य औषधालयों तथा धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक सभा के मन्त्री महोदयों को चौथाई मूल्य माफ़ कर दिया जावेगा।

मूल्य १।) प्रति शीशी, डाकखर्च अलग

पता—रामगोपाल आर्य्य,
भु० पू० मन्त्री आर्य्य समाज,
बारसलीगंज (गया)
(विभाग) नं० १ ग—Behar.

बीज

सस्ता, ताजा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का
बीज और गाछ हमसे मँगाइये।

पता—मेहता डा० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना)

आर्य्य सत्याग्रहियों के लिये आदेश

(१) आर्य्य वीरों को, धर्म्म युद्ध में जाने से पूर्व्व अपने माता पिता तथा सम्बन्धियों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।

(२) आर्य वीरों को यथा संभव प्रमाणित आर्य जत्थों में सम्मिलित हो कर ही धर्म युद्ध में जाना चाहिए,

(३) अपने जत्थे के नायक की सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए,

(४) आर्य्य वीरों को केवल वही नारे लगाने चाहिए जो सत्याग्रह समिति ने निश्चित किए हैं, हमारा कोई 'नारा' किसी को चिढ़ाने की भावना से नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बात को न भूलना चाहिए कि जो गौरव गंभीरता और खामोशी में है वह ऊंची आवाज में नहीं।

(५) प्रत्येक आर्य वीर को, सदा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आर्य्य समाज के गौरव की रक्षा की उस पर बड़ी भारी जिम्मेवारी है।

(६) आर्य्य वीरों को अपना व्यवहार इतना मृदु (मीठा) और विशुद्ध बनाना चाहिए कि जिससे वे अपने विरोधियों के हृदयों को जीत सकें।

(७) जेल के भीतर आर्य्य वीरों को पूरे अनुशासन (Discipline) में रहना चाहिए। कठिन से कठिन कार्य्य को भी जो उन्हें करने को दिया जाय हंसते हंसते करना चाहिए।

(८) जेल के भीतर छोटे बड़े सरकारी कर्मचारियों अथवा पुलिस वालों से व्यर्थ का वार्त्तालाप न करना चाहिये।

(९) जेल के दूसरे कैदियों के साथ यथायोग्य प्रेम का वर्त्ताव करें किन्तु उनसे सचेत रहें। ऐसा न हो कि उन के द्वारा किसी कुचक्र में फँस जांय।

(१०) पुलिस और सरकारी कर्मचारियों की धमकी से न डरें, उनकी मीठी बातों में न आ जावें।

(११) कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किसी भी अवस्था में न करें मजबूर करने पर हर प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहें।

(१२) एक जेल में सभी आर्य सत्याग्रहियों को परस्पर प्रेम, एकता और भ्रातृ-भाव से रहना चाहिए आपस में लड़ना और झगड़ना सत्याग्रह के गौरव को घटाना है।

(१३) सत्याग्रही वीर को अपने व्यवहार से आर्य्य समाज के नाम को कलंकित न होने देना चाहिए।

(१४) यदि किसी सत्याग्रही को उसकी सजा की अवधि से पूर्व ही छोड़ दिया जाय तो उसे अपने निकटवर्ती सत्याग्रह केम्प में जाकर आप बीती सुनानी चाहिए और केम्प के अध्यक्ष की आज्ञानुसार कार्य करना चाहिए।

मंत्री

सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा, देहली।

दे. श्रीमान् कुंवर चांदकरणजी शारदा

५ मार्च को आर्य सत्याग्रह के द्वितीय सर्वाधिकारी हैदराबाद को ओर सत्याग्रह करने के लिए गये हैं। उनका संक्षिप्त परिचय पढ़िए।

भारत वर्ष की आर्य समाजों एवं हिन्दू सभाओं के क्षेत्र में विरला ही ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने श्रीमान् कुँवर चाँदकरण जी शारदा का नाम न सुना होगा। आपका घराना राजस्थान में विख्यात है और आपके कुटुम्ब में जितने भी व्यक्ति हैं सब के सब सुशिक्षित हैं। परमात्मा का कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। अजमेर में आपकी गणना लखपतियों में होती हैं। आपके पूज्य पिता स्वर्गीय बा० रामविलास जी शारदा हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक थे। आप उच्च कोटि के मासिक पत्रों में लेख लिखा करते थे। आपने प्रातः स्मरणीय महर्षि दयानन्द का जीवन चरित्र 'आर्य धर्मेन्द्र जीवन' नाम की पुस्तक लिखी है। आप बड़े धर्मिष्ट, परोपकारी और दृढ़ आर्य थे। आप आजन्म परोपकारिणी सभा के सदस्य एवं वैदिक प्रेस की कमेटी के प्रधान थे। अजमेर में डी. ए. वी. हाईस्कूल दयानन्द भवन, अनाथालय आदि के संस्थापकों में से थे। श्री दीवानबहादुर हरविलास जी शारदा जिन्होंने शारदा ऐक्ट बनाया, आप के चाचा हैं। आप परोपकारिणी सभा के मन्त्री हैं। १० वर्ष तक आप धारा सभा के सदस्य रहे हैं। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आप प्रसिद्ध ऐतिहासिक हैं। शारदा ऐक्ट से आपका नाम अमर हो गया है। आप बड़े विद्वान हैं और ७० वर्ष की अवस्था होने पर भी लिखने पढ़ने में अत्यधिक रुचि रखते हैं।

श्री शारदाजी की शिक्षा दीक्षा वैदिक ढंग से हुई है। आप जन्म से ही आर्य समाजी हैं। बचपन से ही आपको पढ़ने लिखने का बहुत शौक रहा है जब आप बी. ए. में पढ़ते थे, तब आपने 'कालेज होस्टल' नाम की सुन्दर पुस्तक लिखी थी। कालेज से नकलते ही आप देश के कार्य में कूद पड़े और आप होम रूल लीग के सेक्रेटरी बन गये। उस समय होम लीग का सदस्य बनना भी बड़ा साहस का कार्य समझा जाता था। इसके बाद आप आर्य स्वराज्य सभा लाहौर के प्रधान बने। शुद्धि आंदोलन का कार्य चला तब आप उसमें भरतपुर, आगरा आदि जिलों में भ्रमण कर हजारों नव मुसलिमों को आर्य बनाया धौलपुर में जब आर्य सत्याग्रह चला, तब सर्व प्रथम आप उसमें कूद पड़े और धौलपुर पहुँचे। धौलपुर महाराज को आप की बातें स्वीकार करनी पड़ीं। जयपुर खेतड़ी राज्य में अत्याचार हुआ और मारवाड़ी युवकों को पकड़ कर जेलखाने ले गये यह समाचार सुन कर आप खेतड़ी पहुँचे और जेल के फाटक पर धरना दे दिया और कहा कि या तो

तमाम भाइयों को कैद से मुक्त कीजिए या हमें जेल में भेज दीजिए। इस पर अधिकारियों ने मारवाड़ी नवयुवकों को कैद से मुक्त कर दिया। इस प्रकार आपकी विजय हुई।

सन् १९१९में कांग्रेस के विश्व व्यापारी आन्दोलन में आपने भाग लिया और आप प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान एवं आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य कई वर्षों तक रहे तथा प्रान्त में घूम-घूम कर क्रांति उत्पन्न की। जब कार्यकर्त्ताओं के सामने जेल जाने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो सर्व प्रथम आप जेल खाने के अतिथि ६ मास के लिए बने। आप सरगंगाराम विधवाश्रम की शाखा सभा अजमेर के ३ वर्ष तक प्रधान रहे। इस समय आप राजस्थान वनिताश्रम के प्रधान हैं। आप दलितोद्धार और संगठन के कार्य में बड़े प्रेम से भाग लेते हैं और दलितोद्धार नाम की पुस्तक लिख कर आपने बड़ा उपकार किया है। अजमेर मेरवाड़ा में आपके उद्योग से 'मेरात रावत, और चीतों में बड़ा काम हो रहा है। और स्कूलों द्वारा उनमें हिन्दुत्व के प्रति प्रेम उत्पन्न कराया जाता है। आपने शुद्धि चन्द्रोदय कालेज, होस्टल; असहयोग, 'मार्डरेटों की पोल, आदि पुस्तकें लिखी है और सब समाचार पत्रों में लेख लिखते रहते हैं। आप राजस्थान प्रान्त की हिन्दू सभा के प्रधान और अखिल भारतवर्षीय हिन्दू महासभाके उपप्रधान, राजपूताना मध्य भारत देशी-राज्य प्रजा परिषद् के प्रधान हैं। आपने प्रान्तीय हिन्दू सभा अहमदाबाद और पटनाके वार्षिक अधिवेशनों के सभापति पद को सुशोभित किया है। आपकी वकालत की धाक है और ५ एडवोकेट जरनल कलकत्ते तक से मुकदमें में विजय प्राप्त की है। अजमेर में जब जल विप्लव हुआ तब आपने अपने जीवन को जोखम में डालकर ४ आदमियों की जान बचाई।

अजमेर में जब प्लेग हुआ था तब आपने सेवा समिति कायम की और घर पर जा जा कर प्लेग पीड़ित भाई बहनों की सेवा सुश्रूषा की और दवाइयां की तथा मर जाने पर उनकी लाशों को अपने कन्धो पर उठाकर अन्त्येष्टि की। वह समय ऐसा विकट था जब भाई मां बाप बहन स्त्री तक छोड़ कर चले जाते थे। उस समय में आपने ऐसी सेवा की।

आर्य समाज के आप विख्यात नेता हैं। अजमेर में अर्ध शताब्दी उत्सव मनाया गया, जिसमें १ लाख आर्य नरनारी एकत्रित हुए थे, उस उत्सव के आप प्रचार मन्त्री थे। हाल ही में आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव हुआ। उस में आपने प्रचार मन्त्री एवं धन संग्रह करने का कार्य किया।

आप परोपकारिणी सभा के आजन्म सभासद हैं। मारवाड़ी समाज, हिन्दू समाज एवं आर्य समाज में आप का बड़ा सम्मान हैं। आप बड़े दयालु, धर्मनिष्ट, और कर्मनिष्ट हैं! अतिरिक्त आप बड़े साहसी और त्यागी भी हैं। हिन्दू जाति वैदिक धर्म पर जब कभी कोई संकट आता है तो आप उसमें कूद पड़ते हैं और घर बार एवं रोजगार की कोई परवाह नहीं करते आप के दिल में देश की लाज है और धर्म का प्रेम है।

स्वर्गीय ला० रामकृष्ण जी

स्वर्गीय लाला रामकृष्ण जी लग भग २४ वर्ष पर्य्यन्त आर्य्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान रहे थे और उन्होंने लगभग ५० वर्ष तक आर्य्य समाज की सक्रिय और उल्लेखनीय सेवा की थी। वे पंजाब के प्रसिद्ध और पुराने आर्य्य समाजियों और स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी के सहकर्मियों में से थे। वे कन्या महाविद्यालय जलंधर और गुरुकुल कांगड़ी के जन्म दाताओं में से थे।

जालंधर जिले के नवाशहर नामक कस्बे में १४ सितम्बर सन् १८५६ को उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा पहले राहन के गवर्नमेन्ट स्कूल में और बाद में होशियार पुर के गवर्नमेन्ट स्कूल में हुई थी जहां से उन्होंने पंजाब और कलकत्ता यूनिवर्सिटियों की एन्ट्रेंस परीक्षाएँ पास की थीं। इसके बाद १८७४-७५ में वे गवर्नमेन्ट कालेज लाहौर में भरती हुए और 'ला स्कूल' कानून की शिक्षा भी प्राप्त की जहां से उन्होंने वकालत का डिप्लोमा प्राप्त किया।

गवर्नमेन्ट कालेज के शिक्षाकाल में थे. आर्य्य समाज के प्रवर्त्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती जी के प्रभाव में आए थे और उनके उपदेशों और व्यक्तित्व ने लाला रामकृष्ण को पक्का आर्य्य समाजी बना दिया था। और आर्य्य समाज में दीक्षित होने के कुछ काल बाद वे महात्मा मुन्शीराम (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द) जी, महात्मा हंसराज जी लाला लाजपतराय जी, लाला देवराजजी ला० सांईदास जी तथा आर्य्य समाज के अन्य उत्साही कार्य्य कर्त्ताओं के सहकर्मी बन गए थे। पंजाब में दो पृथक् पार्टियों के बनने पर लाला रामकृष्ण जी ने उस पार्टी का साथ दिया जो बाद में 'गुरुकुल पार्टी' के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने महात्मा मुंशीराम जी के साथ मिलकर कार्य्य किया और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना में उनका हाथ बटाया महात्मा मुंशीराम जी के बीमार होने पर १९०८ में उन्होंने गुरुकुल के अधिष्ठाता पद पर कार्य्य किया और उन दोनों तथा स्व० ला० देशराज जी ने कन्या महाविद्यालय जालंधर तथा दोआबा (अब लम्बूराम) हाई स्कूल जालंधर की भी स्थापना की।

कई वर्षों अर्थात् १९१२ तक ला० रामकृष्णजी ने दोआबा हाई स्कूल और कुछ समय तक कन्या महा विद्यालय जालंधर के अवैतनिक प्रबन्धकर्ता के रूप में भी कार्य्य किया था।

लग भग २५ वर्ष पर्यन्त वे आर्य्य समाज जालन्धर के प्रधान और बहुत दिनों तक जालन्धर छावनी के विक्टर हाईस्कूल की प्रबंध समिति के अध्यक्ष रहे।

कानून की डिग्री हासिल करने पर पहले उन्होंने कुछ समय तक झेलम में वकालत का कार्य्य किया। जब वे झेलम में थे तो वे घटना चक्र से दूसरे अफ़ग़ान युद्ध में युद्ध विभाग में सेवा करने के लिए राजी होगये थे, और युद्ध-क्षेत्र में भी गए थे। युद्ध की समाप्ति पर उन्होंने फिर जालन्धर में वकालत शुरू करदी और वह खूब चमकी। १९०८ के बाद धीरे२ उन्होंने वकालत छोड़ दी, यद्यपि बाद में वे हाईकोर्ट के वकील मनोनीत होगए थे तथापि मृत्यु से बहुत वर्ष पूर्व से ही वे वकालत के कार्य्य से उपराम हो गए थे।

१९२६ में लाला जी पहली बार बहुत बीमार हुए थे परन्तु शीघ्र ही उन्होंने बीमारी पर विजय प्राप्त करली थी। तब से ही उन्होंने विविध कार्य्यों में सक्रिय भाग लेना बन्द कर रक्खा था। १९२६ में स्वामी श्रद्धानन्द जी की मृत्यु से उन्हे बहुत धक्का लगा था। इसके बाद १९२९ में १०० वर्ष की अवस्था में उनके पिता की तथा गत अक्तूबर में उनकी धर्म पत्नी की मृत्यु हुई। वे प्रति दिन नियम से २-३ फर्लांग घूमा करते थे। मृत्यु से पहले दिन की शाम को भी घूमने गये थे और अपने नियम के अनुसार १० बजे रात को सो गए थे। वे सदैव ४ बजे सुबह को उठते थे, २३ मई की सुबह को ठीक ४ बजे उठे नैत्तिक कृत्योंके करते ही उन्हे ऐसा मालूम हुआ कि उनका हृदय बैठा जारहा है। वे लोहे के जंगले के सहारे खडे होगए और तत्काल मर गए। मृत्यु के समय उनकी अवस्था ८३ वर्ष की थी।

स्व० लाला जी अपने पीछे एक भाई (लाला परमेश्वरी दास) एक पुत्री, ३ पुत्र तथा मित्रों का एक बड़ा परिवार छोड़ गए हैं। उनके एक पुत्र देवदत्त मेकेनिकल इंजीनियर हैं। दूसरे पुत्र ला० विष्णुदत्त हाईकोर्ट के वकील हैं तथा तीसरे पुत्र ला० वीरसेन लाहौर की मार्किटिंग औरफाइनैन्स कम्पनी के सेक्रटरी हैं।

उनके शव के साथ बहुत से प्रसिद्ध आर्य्य समाजी तथा गन्य मान्य व्यक्ति गए थे। जब अर्थी गुरदत्त भवन के सामने पहुँची तो आर्य्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से स्व० लालाजी के सम्मान में फूलों की मालाएँ और ओ३म् की पताका उस पर चढ़ाई गई।

सचमुच लालाजी की मृत्यु में पंजाब प्रान्त अपने एक प्रसिद्ध और पुराने कार्य-कर्त्ता से वंचित हो गया है।

स्व० लालाजी आर्य्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के निर्माताओं तथा पंजाब में आर्य्य समाज को शक्ति शाली बनाने वाले कतिपय आर्य्य भाइयों में से एक थे। मृत्यु शय्या पर भी उन्हें आर्य्य समाज की फिक्र थी। हैद्राबाद के क'-युद्ध की सफलता के लिए वे बड़े चिन्तित थे। रात-दिन हर समय यह युद्ध उनके दिमाग में रहता था। लाला जी जैसे आर्य्य समाज के पौधे को सींचने और पल्लवित करने वाले कार्यकर्त्ता को कितनी चिन्ता और ध्यान होगा इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। सचमुच लाला जी आर्य्य समाज के लिए जिए और उसी का ध्यान रखते हुए मरे। आर्य्य समाज जिस वीरता से युद्ध को लड़ रहा है उससे निश्चय ही सन्तोष का श्वास लेते हुए वे गए होंगे। परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

---

city, but things fortunately did not take a serious turn. The authorities were fully apprised of the situation.

Twenty first of May was notified as the Hyderabad Martyrs Day to be celebrated throughout India. On May 20th nearly 100 volunteers arrived by 6-30 p.m. passenger train and were brought in a procession to the volunteers camp. A number of townsmen accompanied the volunteers who, as usual, raising prescribed slogans marched through main bazar where the Khatik Masjid lies. This is the usual route prescribed by the police for the satyagrahis and this they had used ever since they had their headquarters in Sholapur without any objection from the Muslims.

On May 21st, a small jatha of only five volunteers arrived by the same train as on the previous day and was received by two local volunteers who led them towards the camp by fhe prescribed route and within the prescribed time. While they were passing by the Ashurkhana near Khatik masjid, raising usual slogans, the volunteers were encountered by some Mohomedans who followed them abusing, till they reached the chowk in front of the mosque where a few more Muslims from the adjoining lane joined them. The satyagrahis were then assaulted. The volunteers did not retaliate. They how-ever proceeded to the police station on their way and got their statements recorded. It is noteworthy that no prayers were going on at the time and no question of provocation could arise.

The news spread like wild fire in the city and shops began to be closed down immediately. Local Hindus were very much incensed when they heard that five volunteers newly arrived in the town were beaten by Mohomedans. When the news of the assault reached the volunteers' camp, only a few volunteers were present there, a large majority of them together with their leaders having gone to canal in connection with the photo of different jathas and not having all yet returned. About a dozen of those who had already come ran towards the side where the

newly arrived volunteers were beaten with the object of bringing them safe to the camp. But they were stopped by the police at the police station on their way where the newly arrived Satyagrahis were getting their reports recorded, and sent back. By this time stray assaults had already started and some of the satyagrahis, who, had already gone to the city were also assaulted. That the satyaghis had no connection whatsoever in the assaults is further evident from the fact that the two deceased had stab wounds. No satyagrahi ever had any stab knife with him. The satyagrahis when they are sent for satyagraha deposit their belongings in the committee and not one out of about 7,000 was ever found with a stab knife.

When the Arya leaders returned from the canal side and were apprised of the full situation, they immediately issued instructions that no volunteer should go out of the camp and posted guard on them. An ambulance car was requisitioned and the injured were sent to the hospital.

Calm prevailed for some time but after an hour or so there were reports of trouble in another part of the city and stray assaults occurred. By midnight about twenty cases were reported as taken to the hospital. By morning of May 22nd the number reached two dead and 27 injured. All shops remained closed but stray assaults continued.

At about 3-p-m on 22nd the District Magistrate with D.S.P. visited the Arya Satyagraha office and intimated to the leaders his decision and asked them to clear the camp within twelve hours. He informed them that the order was final and that they should all leave by the latest 2-a-m- night train. The banks had closed and business was at stand still. Leaders met the District Magistrate requesting an extension of time but they were refused. Considerable inconvenience was experienced in complying with District Magistrate's order but the organisers having no intention of defying the order carried it out anyhow. The whole camp was cleared during the night.

Sholapur being the chief centre of the Hyderabad satyagraha movement was an eye-sore to the Hyderabad Government and state officials had all along been anxious to get it closed. All other efforts having failed, they apparently succeeded in achieving their objective by prevailing upon a few of their mis-guided co-religionists to provoke a Hindu Muslim conflict.

Our relations with the local Muslims had been cordial all these months. There was however a sudden change in the attitude of the Muslims after the Muslim League Conference. The virus of communalism with which the outside leaders had injected our Muslim brethren of Sholapur by their highly provocative speeches and otherwise began to show signs and the trouble started since then, ending with the unfortunate happenings of the 21st and there after,

The War Council immediately issued a statement on 22nd deploring the out-break of violence, sympathising with the sufferers and appealing to the general public to keep quiet and restore public peace.

These are the facts of the case and we leave the public to judge for themselves.

शोलापुर की दुर्घटना

आर्य्य सत्याग्रह समिति ने निम्न वक्तव्य सार्वदेशिक-आर्य्य-प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा के सामने प्रस्तुत किया है:—

गत दिसम्बर में शोलापुर में देश और विदेश के आर्य्यों की कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें उन्होंने सत्याग्रह करने का निश्चय किया था और सत्याग्रह करने से पूर्व महात्मा नारायण स्वामी जी ने जो सत्याग्रह आन्दोलन के नेता और प्रथम डिक्टेटर हैं, हैद्राबाद की सरकार को शोलापुर के निश्चय में वर्णित तात्कालिक मांगों को नियत अवधि के भीतर भीतर स्वीकार करने की प्रेरणा की थी। उस अवधि के समाप्त हो जाने पर ३०-१-३९ को स्वामी जी महाराज ने सत्याग्रह किया था।

निज़ाम राज्य की सीमाएँ शोलापुर के बिल्कुल निकट हैं इसीलिए आन्दोलन के संचालन के लिए यह स्थान चुना गया था। तब से यह आन्दोलन शान्ति और पूर्ण अहिंसात्मक रीति से चलता आ रहा था और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। यह अवस्था एप्रिल के अन्त तक अर्थात् उस समय तक रही थी जब तक शोलापुर की मुस्लिम लीग कांफ्रेन्स के पक्ष में आन्दोलन प्रारम्भ नहीं हुआ था। यह कांग्रेस ६ से ८ मई तक हुई थी। यह स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग कान्फ्रेन्स सत्याग्रह के विरोध में की गई थी जो इस समय तक समस्त भारत वर्ष में लोक प्रिय हो गया था। पंजाब के प्रधान मन्त्री सरसिकन्दर हयात खां इस कांफ्रेन्स के सभापति थे। आर्य्य समाजियों के खिलाफ मुख्यतया शोलापुर और साधारणतया तमाम हिन्दुस्तान के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से कान्फ्रेन्स में बहुत उत्तेजक भाषण हुए थे। स्वयं प्रधान का भाषण भी इस से खाली न था। यह खुला रहस्य है कि शोलापुर की कान्फ्रेन्स को हैद्राबाद के अधिकारियों ने मदद दी थी जैसा कि बहुत से सरकारी अफ़सरों और नवाब बहादुर यारजंग इत्यादि प्रजा के लोगों के कांफ्रेन्स में उपस्थित होने से जाहिर हुआ था। राज्य की खाकसार पार्टी के स्वयं सेवक और इत्तिहादे-मुस्लिम अंजुमन के बहुत से कट्टर पन्थी भी कांफ्रेंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। यद्यपि वह कांफ्रेंस बम्बई प्रान्तीय मुस्लिम लीग कांफ्रेन्स उद्घोषित हुई थी तथापि हैदराबाद सत्याग्रह पर उसमें बहुत ध्यान दिया गया था।

हर प्रकारके संघर्ष से बचने के लिए आर्य्य नेताओंने उन दिनों अपनी मर्जी से शोलापुर के बजाय पुसद को अपनी प्रगतियों का केन्द्र रक्खा, और इसकी घोषणा करदी जिसे स्थानीय और प्रान्तिक अधिकारियों ने पसन्द किया था।

इस कान्फ्रेंस का परिणाम यह हुआ कि आर्य्य समाजियों के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काने में मुसलमान लीडर कामयाब हो गए। कान्फ्रेंस खत्म भी न होने पाई थी कि शोलापुर के आर्य्यों और प्रमुख २ हिन्दुओं को धमकियाँ दी जाने लगी। ६ मई को 'दैनिक दिग्विजय' के मालिक को एक मुसलमान का पोस्टकार्ड मिला जिसमें अखबार बेचने वाले को धमकी दी गई थी कि यदि वह बीजापुर चौंक में जायगा तो मार डाला जायगा। यह पोस्ट कार्ड उसी दिन पुलीस को देदिया गया था। जब वह अगले दिन सुबह को घूमता हुआ बीजापुर चौक में पहुँचा तो एक मुसलमान ने उस पर हमला किया जिसका नाम पुलीस को भेजदिया गया था। लड़के को एक पुलीस कान्सटिबल इलाज के लिए हस्पताल लेगया था। स्थानीय हिन्दू-सभा के प्रधान को भी ऐसा ही धमकी का पत्र मिला था।

इसी प्रकार के धमकी के पत्रों और हिंसात्मक कृत्यों से झगड़ा खड़ा करने का इरादा था। यह अवस्था १६ मई तक जारी रही जबकि बाबू बोगोड़ नामक एक नवयुवक हिन्दू को जो एक प्रसिद्ध स्थानीय पंच का लड़का है बाबा कादेरी मस्जिद के पास से गुजरते हुए एक मुसलमान ने पीटा था। इससे शहर में गड़बड़ हुई परन्तु सौभाग्य से स्थिति गम्भीर नहीं हुई। पुलीस के अधिकारियों को स्थिति से पूर्णतया परिचित करा दिया गया था।

२१ मई को समस्त भारत में 'शहीद दिवस' मनाए जाने की घोषणा की गई थी। २० मई को लगभग १०० वालंटीयर शाम के ६॥ बजे की पैसेंजर ट्रेन से आए थे और शिविर में जलूस के साथ लाए गए थे। बहुत से शहर वाले भी स्वयं सेवकों के साथ थे। और स्वयं सेवक मुख्य बाजार में जहाँ लटीफ मस्जिद है निश्चित नारे लगाते हुए जा रहे थे। यह वह मार्ग है जो पुलीस ने सत्याग्रहियों के लिए नियत किया है और जब से शोलापुर हैडक्वार्टर्स बनाया गया है तब से ही वे उसका प्रयोग करते रहे थे और मुसलमानों ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया था।

२१ मई को उसी गाड़ी से ५ सत्याग्रहियों का एक जत्था आया और २ स्थानीय स्वयं सेवकों ने उसका स्टेशन पर स्वागत किया तथा नियत मार्ग तथा नियत समय पर वे उसे कैम्प की ओर ले चले। जब वे अपने रोजाना के नारे लगाते हुए अशुर

वाने से गुजर रहे थे जो सटीक मस्जिद के पास है, कुछ मुसलमानों से उनकी मुठभेड़ हो गई, जिन्होंने गाली देते हुए उनका पीछा किया और मस्जिद के सामने चौक में पहुँचे जहाँ पास की गली से आकर और मुसलमान उनके साथ मिल गए और तब उन्होंने सत्याग्रहियों को पीटा। स्वयं सेवकों ने किसी भी प्रकार का मुकाबला नहीं किया। वे पुलीस स्टेशन पर गए और अपने बयान दर्ज कराए। यह नोट करने योग्य बात है कि उस समय नमाज़ नहीं हो रही थी अतः रोष दिखाने का प्रश्न उपस्थित नहीं हो सकता है।

यह खबर आग की तरह शहर में फैल गई और फ़ौरन दूकाने बन्द होनीं शुरू हो गईं। जब स्थानीय हिन्दुओं ने यह सुना कि आए हुए ५ सत्याग्रहियों को मुसलमानों ने पीटा है तो वे आग-बबूला हो गए। जब हमले की खबर आर्य्य-शिविर में पहुँची तब थोड़े से स्वयं सेवक वहाँ उपस्थित थे और बहुत से स्वयं सेवक अपने नेताओं के साथ भिन्न २ जत्थों के फ़ोटोज़ के सिलसिले में नहर पर गए हुए थे और उस समय तक नहीं लौटे थे। उनमें से १२ के लग भग स्वयं सेवक जो पहले आ गए थे उधर को भाग कर गए जिधर नए आए हुए स्वयं सेवक पीटे गए थे इस उद्देश्य से कि उन्हें सुरक्षित रूप में कैम्प में लाया जा सके।

परन्तु रास्ते में पुलीस स्टेशन पर जहाँ नए सत्याग्रही अपना बयान लिखा रहे थे, पुलीस ने उन्हें रोक दिया और वापस भेज दिया। इस समय तक पहले से ही इक्के दुक्के हमले शुरू हो गये थे और जो सत्याग्रही पहले से शहर गए हुए थे उनमें से कुछ पर हमला भी हुआ, हमलों से सत्याग्रहियों का कोई सम्बन्ध न था यह बात इससे भी स्पष्ट है कि दो आदमी जो मरे थे उनके छुरों के घाव थे। किसी सत्याग्रही के पास कभी छुरा न था। जब सत्याग्रही सत्याग्रह के लिए भेजे जाते हैं तो वे समिति में अपनी चीजें जमा करा देते हैं और लग भग ७००० में किसी एक के पास भी छुरा न था।

जब आर्य्य नेता नहर से लौटे और पूर्ण स्थिति बतलाई गई, तो उन्हों ने तत्काल आदेश दिया कि कोई स्वयं सेवक शिविर से बाहिर न जाय और उन पर कड़ी निगरानी रक्खी। एक अम्बुलैन्सकार मंगाई गई और जख्मियों को हस्पताल भिजवाया।

कुछ समय के लिए शान्ति होगई परन्तु १—२ घंटे के बाद शहर के एक दूसरे भाग से दंगे के समाचार आए और इक्के दुक्के हमले हुए। आधीरात तक २० व्यक्तियों के हस्पताल भेजे जाने की रिपोर्ट मिली। २२ मई के प्रातः तक २ के मरने और २७ के जख्मी होने का समाचार मिला। तमाम दूकाने बन्द रहीं परन्तु इक्के दुक्के हमले जारी रहे।

२२ ता० को लग-भग ३ बजे शाम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिपुटी सुपरिन्टेन्डेन्ट के साथ आर्य्य-सत्याग्रह समिति के दफ़्तर में आए और नेताओं को अपना निर्णय बतला कर कहा कि १२ घंटे के भीतर २ कैम्प ख़ाली करा दें। उन्होंने यह भी बतलाया कि उनका आर्डर अन्तिम है और सबको रात के २ बजे की गाड़ी से चला जाना चाहिए। बैङ्क बंद हो चुके थे और कार-बार सब बंद थे। नेताओं ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलकर कहा कि कैम्प छोड़ने के समय की अवधि बढ़ादी जाय परन्तु उसने इन्कार कर दिया। डि० मजिस्ट्रेट के हुक्म को पूरा करने में बहुत तकलीफें हुईं। चूंकि प्रबन्ध कर्ताओं का आज्ञा उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए जैसे भी बना उन्होंने उसका पालन किया। रात में तमाम शिविर खाली कर दिया गया।

हैद्राबाद-सत्याग्रह का मुख्य केन्द्र होने से शोलापुर हैद्राबाद सरकार की आंखों में खटकता था और राज्य के अफसर शुरू से ही उसको बन्द कराने की फिक्र में थे। उनके अन्य सब यत्न विफल हो चुके थे परन्तु अपने भोले भाईओं से हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष करा के अपना उद्देश्य पूरा करने में प्रत्यक्षतः वे सफल हो गए।

इन सब महीनों में स्थानीय मुसलमानों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे थे परन्तु मुस्लिम-लीग कान्फ्रेंस के बाद उनके रुख में एक दम परिवर्तन आ गया था। बाहर के नेताओं ने अपनी अपनी उत्तेजक स्पीचों से शोलापुर के मुसलमान भाईयों में साम्प्रदायिकता का जो जहर भरा था और जो अपना रङ्ग लाने लग गया था तथा तब से जो गड़बड़ मची थी उसका २१ मई तथा उसके बाद की दुखजनक घटनाओं में अन्त हुआ।

युद्ध समिति ने २२ मई को फ़ौरन एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें मार-काट पर खेद तथा पीड़ितों के साथ सहानुभूति प्रगट करते हुए जन-साधारण को शान्त रहने और सार्वजनिक शान्ति स्थापित करने के लिए अपील की।

इस दुर्घटना का यह वास्तविक विवरण है। हम निर्णय जनता के हाथों में छोड़ते हैं।

शहीदों की कहानी

भीमराव —

कई वर्ष हुए निजाम स्टेट के जिला बीदर के अन्तर्गत हुपल्ला ग्राम में श्री भीमराव जी पटेल के घर पर मुसलमानों ने आक्रमण किया, क्योंकि उसने अपने मित्र मानिकराव की बहिन को शुद्ध कर लिया था जिसको मुसलमानों ने मुसलमान बनाया था, उसके घर को आग लगा दी, भीमराव जी को पकड़ कर गोली से उड़ा दिया गया। हाथ और पाँव काट कर भस्म कर दिया। उसकी चाची को भी गोली का निशाना बनाया।

वेदप्रकाश—

निजाम स्टेट में गुल्लोटी नाम के शहर में शिवप्पा महादेव के घर में फाल्गुन शुक्ल ५ सा. सं० १८३७ को वेदप्रकाश ने जन्म लिया। आरम्भ से ही उन्हें शिक्षा से प्रेम था। बड़े होते ही धर्म कार्यों में रुचि बढ़ गई। आर्य्यसमाज के सत्संगों में जाने लगे और ऋषि के भक्त बन गए। उनके उत्साह से गुल्लोटी में आर्य्यसमाज की स्थापना भी हो गई। वेदप्रकाश लाठी तलवार आदि चलाने में बड़े चतुर थे। छोटूखां नाम के पठान को एक दिन उन्होंने कहा कि पराई स्त्रियों को बुरी दृष्टि से मत देखा करो। इसी कारण से छोटूखां और अन्य मुसलमान वेदप्रकाश तथा दूसरे आर्य्य-हिन्दुओं के शत्रु बन गये। हिन्दुओं को सौदा देना बन्द कर दिया। वेदप्रकाश ने पान की दुकान लगा कर हिन्दुओं की मांग को पूरा किया। चांद नाम का पानफरोश उससे बहुत जलने लगा और उसका जानी दुश्मन बन गया। वेदप्रकाश को कई बार मारने की कोशिश की गई परन्तु अपनी बहादुरी से वह सब हमलों से बचता रहा। ४ मार्गशीर्ष १९९४ वि० को पुलिस के अफसरों ने प्रतिष्ठित २ हिन्दुओं को बुलाकर थाने पर बिठा लिया और मुसलमानों ने पीछे से हिन्दुओं पर आक्रमण कर दिया। मन्त्री आर्य्यसमाज के घर पर भी आक्रमण हुआ। जब वेदप्रकाश ने यह समाचार सुना तो आव देखा न ताव निहत्था ही दौड़ पड़ा। मन्त्री जी के घर के पास जाते ही दो तीन सौ मुसलमानों ने उसे पकड़ लिया और मुसलमान होने की दावत दी, इन्कार करने पर तलवार से बकरे के समान गला काट कर उस पुरुषसिंह की जीवन लीला समाप्त करदी। मुकदमा चला परन्तु सब बरी होगये।

धर्मप्रकाश—

हमारे तीसरे शहीद कल्याणी के वह उत्साही युवक हैं जिन्हें निजाम स्टेट के हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचार एक आंख न भाते थे और जो अत्याचारियों को डांटते भी रहते थे। आर्य्यसमाज मन्दिर में आर्य्ययुवकों को लाठी तलवार चलाना भी सिखाते थे। यही कारण था कि स्थानीय मुसलमान और विशेषतः खाकसार पार्टी उनके पीछे लगी हुई थी। कई बार मारने की कोशिशें कीं परन्तु शहीद प्रतिबार बचता रहा। आखिरकार २७ जून १९३८ ई० को रात के ८ बजे जब धर्मप्रकाश आर्य्यसमाज के सत्संग से वापिस आ रहे थे, खाकसार पार्टी ने उन्हें पकड़ लिया और बर्छियों, भालों, तलवारों और लाठियों से मार-मार कर समाप्त कर दिया। क़ातिलों को अदालत से छोड़ दिया गया।

महादेव—

निजामस्टेट में अकोलगां सय्यदां नाम की एक छोटी सी जागीर है जहां इस नवरत्न के जीवन नाटक का आरम्भ होता है। साकोल आर्य्यसमाज के सत्संगों में जाने से महादेव वैदिक-धर्म का अनुयायी बन गया और लोगों में भी इसका प्रचार करने लगा। जागीर के सारे मुसलमान अधिकारी उसके शत्रु होगये। कई बार उस पर हमले हुये पर वह अपने पराक्रम से बचता रहा। १७ जुलाई १९३८ को मिहरअली ने पीछे से आकर महादेव को छुरा घोंपकर उसे शहीद कर दिया। उसकी आयु २५ वर्ष की थी। चढ़ती जवानी थी, चेहरे से तेज टपकता था। क़ातिलों को अभी तक किसी प्रकार की सजा नहीं दी गई है।

रामा—

तावली ग्राम में हिन्दुओं द्वारा अछूत कहे जाने वाले परिवार में इसका जन्म हुआ। एक दिन पठानों ने ग्राम में घोषणा की कि हम मन्दिर तोड़ते हैं। जो सूरमा हैं बाहर आकर मन्दिर को बचा लें। सब हिन्दू भयभीत हो गये और घरों में बैठे रहे। रामा का खून खौला और हिन्दू-मन्दिर के रक्षण के लिए कूद कर बाहर निकल आया। निहत्था था, बेचारे पर गोलियों के कई वार हुये परन्तु जख्मी होते हुये भी पठानों को भगा दिया और मन्दिर को बचा लिया। उस्मानाबाद के हस्पताल में जाकर तीन चार दिन के पश्चात् उसकी मृत्यु होगई। मृत्यु से लगभग दो सप्ताह पूर्व यज्ञोपवीत धारण करके आर्य्यसमाज में प्रवेश किया था।

सत्यनारायण—

अम्बोलगा जिला बीदर के रहने वाले थे। आर्यसमाज के कामों में भाग लिया करते

थे। यहां के मुसलमान इनसे चिढ़ने लगे। मोहरम में जब वह बाजार आने लगे तो एक मुसलमान ने, जो तलवार का खेल खेल रहा था एक वार कर दिया। हस्पताल जाकर उनका देहान्त हो गया।

धर्ममूर्ति श्यामलाल—

हा! जिस धर्ममूर्ति के सम्बन्ध में कुछ लिखने के लिये लेखनी उठाई है उनके देहावसान की याद आते ही आत्मा अचेत हो उठता है, हाथ कांपता है। इन थोड़ी सी पंक्तियों में उनके लिये क्या लिख सकता हूँ उनके लिये तो बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जायेंगी परन्तु फिर भी थोड़े शब्दों में धर्म वीर का परिचय दे दूं। निजाम स्टेट के आर्यसमाज के प्राण दक्षिण केशरी श्री पं० बंशीलाल जी वकील के आप सगे भाई थे। आपका सारा परिवार आर्यसमाज- जननी के चरणों में अर्पित है। दिनरात, उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते-जागते यदि धुन है तो वैदिकधर्म प्रचार की, यदि मुंह पर चर्चा है तो समाज की, और यदि विचार है तो ऋषि के सिद्धान्तो के विस्तार का। श्री पं० श्यामलाल जी का जीवन भी धर्म प्रचार में ही गुजरा। कई आपत्तियें झेलीं परन्तु मुंह से उफ तक न की। बड़ी निर्भीकता के साथ अत्याचारियों का भी प्रतिवाद करते रहे। यही कारण था कि निजाम स्टेट के बड़े बड़े अधिकारी भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गये, और उन्हें समाप्त करने के लिये अनेक षड्यन्त्र रचे गये। गत वर्ष दसहरे के दिन उदगीर में दंगा हुआ, दुर्भाग्यवश पण्डित श्यामलालजी भी उस दिन वहाँ ही थे। पुलिस अधिकारी तो मौके की ताक में थे। पण्डित जी को तथा अन्य कई आर्यों को गिरफ्तार कर लिया और बीदर जेल में डाल कर उन पर कतल के इलजाम में मुकदमा चलाया। जेल में उन्हें विविध अमानुषिक कष्ट दिये गये, और जेलअधिकारियों की तीव्र यातनाओं से ही उनकी पवित्र आत्मा अपने नश्वर शरीर से जुदा हुई। श्री पण्डित श्यामलाल जी के पवित्र रक्त की एक एक बूंद से निजाम स्टेट में आज हजारों शहीद पैदा हो रहे हैं, यही कारण है कि एक के बाद दूसरा बड़ी प्रसन्नता से धर्म की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति चढ़ा रहा है।

व्यङ्कटराव —

स्टेट कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह किया। निजामाबाद जेल में मृत्यु हुई और वहां ही अन्तिम संस्कार हुआ।

परमानन्द—

हिन्दू सभा की ओर से सत्याग्रह किया। चञ्चलगुड़ा जेल हैदराबाद में जेल अधिकारियों की मार पीट से देहान्त हुआ।

सत्यानन्द—

बंगलौर के रहने वाले थे आर्य-सत्याग्रह-समिति शोलापुर के अधीन गुलबर्गा में सत्याग्रह कर गिरफ़्तार हुए। सेन्ट्रल जेल हैदराबाद में कष्टों की भट्टीमें अपने को भस्मसात कर दिया।

विष्णुभगवन्त—

ताण्डूर निजाम के रहने वाले थे। गुलबर्गा में सत्याग्रह किया। वहाँ से औरङ्गाबाद ले जाए गये। औरंगाबाद से हैदराबाद बदल दिया। हैदराबाद जेल में सत्याग्रहियों को कष्ट दे दे कर तंग किया जा रहा है। आपको भी इतना मारा गया जिससे आपका परलोक गमन हुआ।

छोटेलाल—

अलालपुर जिला मैनपुरी (यू० पी०) के रहने वाले थे। माता के इकलौते बेटे थे। खान दान में भी आपके सिवाय उत्तराधिकारी कोई न था। राजगुरु श्री पं० धुरेन्द्रजी शास्त्री के साथ गुलबर्गा में सत्याग्रह किया और वहीं अपना जीवन-नाटक समाप्त कर दिया।

इन शहीदों के सिवाय अन्य कई जीवित शहीद हैं जो कारागार की कोठरियों में पड़े अनेक यातनाएँ सह रहे हैं। सब शहीदों के चरणों में श्रद्धा के चन्द पुष्पों के उपहार के अनन्तर इस कहानी का एक पैराग्राफ समाप्त होता है।

Resolutions adopted at the meeting of the Working Committee of the International Aryan League, Delhi.

Held on 30th, and 31st May, 1939.

Resolution No. 1

In view of the very special circumstances requiring immediate action and decision, this Sabha vests in its President all its powers including those mentioned in the Proviso to resolution No. 5 of the All India Aryan Congress held at Sholapur in December, 1938.

Resolution No. 2

(1) This Sabha very much regrets the most unfortunate incident at Sholapur leading to the loss of some valuable lives.

(2) The Statement of the Satyagrah Committee, of which the following are the salient points, is read :—

1. The small batch of satyagrahis was coming by the route and within the time prescribed by the Police raising usual slogans.
2. They gave no provocation whatsoever.
3. They had no lathies or any weapon.
4. That no prayers were going on at the time in the mosque.
5. They did not retaliate when assaulted by some Muslims who were bent npon creating trouble.
6. That on the previous day a big jatha of about hundred persons had passed by the same route at the same time without any untoward incident.
7. That the few volunteers who left the volunteer camp on the receipt of the news of the assault did so with the sole object of rescuing their comrades which was but natural.
8. That they did not reach the place of disturbance being stopped by the Police and their taking part in the disturbance is out of question.
9. That both the persons who died on 21st had stab-wounds.

From this and the attendant circumstances this Sabha although satisfied that no responsibility attaches to the Sholapur Arya Satyagraha Samiti for that incident yet it wishes to place on record that these volunteers. who ran from the camp in a state of excitement departed from the high ideals of satyagraha suffering and sacrifice which the Arya Samaj has definitely set for itself in this struggle.

(3) This Sabha records with regret that the order of the District Magistrate ordering all Arya Satyagrahis to quit Sholapur within 12 hours was drastic and unjust. The Sabha hopes that the Government will now revise that order.

(4) This Sabha appreciates the action of the Arya Satyagrah Commitee in promptly obeying even at great inconvenience the District Magistrate's order.

(5) This sabha congratulates the Moradabad volunteers who though wantonly assaulted did not at all retaliate.

Resolution No. 3

In view of the fact that certain misunderstanding still persista in certain quarters, it seems necessary to reiterate the nature and scope of Arya Samaj Movement in Hyderabad, which have already in clear and elaborate terms been embodied in resolutions passed by the All Indian Aryan Congress at Sholapur in Christmas last. Far from being directed against the personal or dynastic sovereignty of H.E.H. the Nizam or against our Muslim brethren it aims at securing religious and cultural liberty such as freedom of preaching (consistently with the feelings of the followers of other faiths), of starting and conducting Arya Samajes in private or rented houses, or building temples without interference from the Ecclesiastical Department of the state, of starting and conducting private schools (unaided and unrecognised) in Hindi or local vernaculars without any hinderance of previous permission.

Resolution No. 4

The Working Committee of the International Aryan League appeals to His Excellency the Viceroy as representative of the Paramount power for his intervention in securing the very elementary religious and cultural rights in the Dominions of the H.E.H. the Nizam, which are allowed by all civilized Governments and for which 8000 Arya Samajists (including a majority of state people) have already offered satyagraha and eight have met death in Nizam Jails.

Resolution No. 5

This Sabha congratulates the brave Satyagrahis who in the cause of Vedic Dharam have gladly borne the hardships and maltrestment of Hyderabad Jails where no less than eight Satyagrahis laid down their precious lives and news are constantly coming of further deaths.

These sacrifices are sure to contribute a great deal towards the formation of the history of the *Arya Samaj*.

Resolution No. 6

In view of the fact that Satyagraha movement is likely to be prolonged this meeting appeals to all Aryas to impose a voluntary tax on their monthly incomes at the rate of one anna per rupee for the Sayagrahai movement and directs all the Provincial Organisations to fix a definite quota of men and money, for the Arya Samajes affiliated to them and to take steps to realise the same.

Resolution No. 7

While appreciating the persistent demand of the Arya ladies for permission to offer themselves for Satyagraha, the working committee with apologies to them feels reluctant at the present stage to give them this permission. All that the Working Committee can at present permit is that ladies may organise themselves and get enlisted as volunteers.

Resolution No. 8

In the opinion of the Sabha the warning, recently issued by the Punjab Government to the Punjab Press regarding the publication of news and comment of Hyderabad Satyagraha indicates a policy calculated to muzzle particularly the Arya Samaj press. The working committee, therefore, views it with suspicion and records its protest against it.

सार्वदेशिक-आर्य्य-प्रतिनिधि-सभा की अन्तरंग-सभा

३० तथा ३१ मई १९३९

अत्यन्त महत्त्व पूर्ण निश्चय

(१)

अत्यन्त असाधारण परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए जिन में तात्कालिक कार्य्य वाही और निर्णय की आवश्यकता पड़ती है, यह सभा अपने समस्त अधिकार उस व्यवस्था को मिला कर जो सार्वदेशिक-आर्य्य-सम्मेलन शोलापुर के नि० सं० ५ में की गई है, प्रधान सभा को देती है।

(२)

(अ) यह सभा शोलापुर की अत्यन्त दुख जनक घटना पर दुख प्रगट करती है जिसके कारण कतिपय बहुमूल्य जानों की हानि हुई है।

(ब) आर्य्य सत्याग्रह समिति का वक्तव्य पढ़ा गया जिसके निम्न मुख्य अंश हैं:—

(१) सत्याग्रहियों का छोटा जत्था पुलीस द्वारा निर्धारित मार्ग और समय पर प्रतिदिन के नारे लगाते हुए आ रहा था।

(२) उन्होंने किसी प्रकार का रोष नहीं दिखाया।

(३) उनके पास न लाठी थी और न कोई हथियार था।

(४) उस समय मस्जिद में नमाज़ नहीं हो रही थी।

(५) कुछ मुसलमानों द्वारा पीटे जाने पर जो झगड़ा करने पर तुले हुए थे, सत्याग्रहियों ने उनका मुकाबला नहीं किया।

(६) उससे पहले दिन लग भग १०० व्यक्तियों का जत्था उसी मार्ग से और उसी समय पर आया था। परन्तु कोई दुर्घटना नहीं हुई थी।

(७) जो थोड़े से स्वयं सेवक आक्रमण का समाचार मिलने पर शिविर से निकले थे वे अपने साथियोंकी रक्षा के एकमात्र उद्देश्य से निकले थे और यह स्वाभाविक था।

(८) पुलीस द्वारा रोके जाने पर वे झगड़े के स्थान पर नहीं पहुँचे और झगड़े में उनके हिस्सा लेने का कोई सवाल ही नहीं है।

(९) २१ मई को जो २ व्यक्ति मरे थे वे छुरों के घाव से मरे थे।

इस तथा इसके साथ की घटनाओं से यद्यपि इस सभा को संतोष है कि इस दुर्घटना की जिम्मेवारी आर्य्य सत्याग्रह समिति की नहीं है तथापि यह प्रगट कर देना चाहती है कि वे स्वयं सेवक जो उत्तेजना की अवस्था में शिविर से निकल कर भागे थे, सत्याग्रह के कष्ट सहिष्णुता और बलिदान के ऊँचे आदर्श से गिर गए थे जिसे आर्य्य समाज ने इस युद्ध में सुनिश्चित रूप में अपने लिए निर्धारित किया हुआ है।

(स) इस सभा को इस बात का दुख है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आर्डर कठोर और अन्याय युक्त था जिसके द्वारा समस्त आर्य्य सत्याग्रहियों को १२ घंटे के भीतर शोलापुर छोड़ने की आज्ञा दी गई थी। सभा को आशा है कि अब सरकार उसे वापस ले लेगी।

(द) आर्य्य-सत्याग्रह-समिति ने अत्यन्त असुविधा को बर्दाश्त करते हुए भी जिस तत्परता से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आर्डर का पालन किया है उस पर यह सभा हर्ष प्रगट करती है।

यह सभा मुरादाबाद के सत्याग्रहियों को बधाई देती है जिन्होंने इरादतन पीटे जाने पर भी मुक़ाबला नहीं किया।

(३)

इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि कहीं २ अब भी भ्रम फैला हुआ है, यह आवश्यक जान पड़ता है कि हैद्राबाद में आर्य्य सत्याग्रह के उद्देश्य और उसकी सीमा को दुहरा दिया जाय, यद्यपि शोलापुर के प्रस्तावों में स्पष्ट और सुनिश्चित रूप में पहले से ही इनका उल्लेख किया जा चुका है। यह आन्दोलन निज़ाम साहब अथवा उनके घराने के विरुद्ध नहीं है और न हमारे मुसलमान भाइयों के विरुद्ध है। इसका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना है जैसे (दूसरे धर्म वालों के भावों का उचित ध्यान रखते हुए) प्रचार करने; प्राइवेट अथवा किराये के मकानों में समाजें स्थापित करने और चलाने, राज्य के धर्म्म-विभाग के हस्ताक्षेप के बग़ैर मन्दिरों के बनाने पहले से स्वीकृति लेने की रुकावट के बिना हिन्दी अथवा लोक भाषाओं के प्राइवेट स्कूलों (जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती अथवा जो रिकजनाइज नहीं हैं) के खोलने और चलाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

(४)

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा की यह बैठक श्री वायसराय महोदय से सार्व भौम सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में अपील करती है कि वे हस्ताक्षेप करके

निज़ाम राज्य में प्रारंभिक धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को दिलाने की कृपा करें जो समस्त सभ्य शासनों में प्राप्त होते हैं और जिनके लिए ८००० आर्य समाजी (जिनमें राज्य की प्रजा की संख्या अधिक है) अबतक सत्याग्रह कर चुके हैं और निज़ाम की जेलों में ८ की मृत्यु हो चुकी हैं।

(५)

यह सभा उनवीर सत्याग्रहियों को बधाई देती है जिन्होंने वैदिक धर्म्म के लिए हैद्राबाद की जेलों के दुर्व्यवहार और सख्तियों को प्रसन्नता पूर्वक सहन किया है जहां आठ वीरों ने अपने बहुमूल्य जीवनों की आहुति दे दी है और अन्य आहुतियों की निरंतर ख़बरें आ रही हैं।

निश्चय ही ये बलिदान आर्य्य समाज के इतिहास के निर्माण में बहुत ज्यादा योग देंगे।

(६)

इस बात को देखते हुए कि सत्याग्रह आन्दोलन के लंबा होने की संभावना है यह सभा समस्त आर्यों से अपील करती है कि वे अपनी मासिक आय में से स्वेच्छा पूर्वक -) प्रति रुपया सत्याग्रह आन्दोलन के अर्पण करें। यह सभा समस्त प्रान्तिक सभाओं को आदेश देती है कि वे अपने आर्य्य समाजों के जिम्में धन और जन की नियत राशि और संख्या लगायें और उन्हें वसूल करने का यत्न करें।

(७)

आर्य्य देवियों की इस निरन्तर मांग का आदर करते हुए कि उन्हें सत्याग्रह करने की आज्ञा दी जाय, वर्तमान में इस आज्ञा को देने की सभा की इच्छा नहीं है और इसके लिए देवियों से क्षमा प्रार्थी है। इस समय यह सभा उन्हें केवल यह आज्ञा दे सकती है कि वे अपने को संगठित करें और स्वयं सेविकाओं के रूप में अपने नाम भरती कराएँ।

(८)

पंजाब गवर्नमेन्ट ने हैद्राबाद-सत्याग्रह सम्बन्धी खबरों और आलोचनाओंके प्रकाशन के सम्बन्ध में अखबारों को जो चेतावनी दी है वह सभा की सम्मति में मुख्यतया आर्य्य समाज के अखबारों का गला घोटने की नीति की द्योतक है। अतः यह सभा इस चेतावनी को आशंका की दृष्टि से देखती और इसका विरोध करती है।

(९)

यह सभा उन आर्य्य सत्याग्रहियों की सच्ची वीरता की प्रशंसा तथा उनके आचरण की सराहना करती है जो सत्याग्रही तुलजापुर और पलंदा आदि स्थानों पर हैद्राबाद की रियासती पुलीस के षड्यन्त्र और प्रेरणा से कुछ धर्मान्ध मुसल्मानों के हाथों छुरी लाठी आदि द्वारा आक्रमण किए जाने पर भी लगातार शान्त बने रहे तथा जिन्होंने प्रहार पर प्रहार होते जाने पर भी सिवाय परमेश्वर का नाम उच्चारण करने तथा वैदिक धर्म के जय पुकारने के कुछ भी मौखिक प्रतीकार नहीं करना चाहा। इस सभा की सम्मति में ऐसे ही धार्मिक वीरता के कृत्य इस सत्याग्रही युद्ध में हमें शीघ्र से शीघ्र सफलता प्रदान करने वाले होंगे।

(१०)

यह सभा सन्तोष प्रकट करती है कि हैद्राबाद का धार्मिक युद्ध छिड़ने पर सभी प्रान्तों की तरफ से जो उत्साह प्रकट किया जा रहा है तथा धन जन आदि की लगातार सहायता प्रदान की जा रही है, यह प्रशंसनीय है, कई अंशों में आशातीत है तथा आर्य्य समाज के गौरव को बढ़ाने वाली है।

———

आर्य समाज का अंग्रेज़ी साहित्य

(श्री गङ्गा प्रसाद जी उपाध्याय एम० ए०)

यह तो सभी पर विदित है कि आज कल अंग्रेजी भाषा का कितना प्रचार है। भारतवर्ष में भी कई प्रान्तों में अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। भारत के बाहर तो बिना अंग्रेजी के काम ही नहीं चलता। आर्य समाज का साहित्य अंग्रेजी में 'नहीं' के बराबर है। हमारे प्रचारक अन्य देशों में जाते हैं और अपने व्याख्यानों से प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं परन्तु उस प्रभाव को स्थिर रखने के लिए उनके पास ऐसा साहित्य नहीं कि वह उसे अपने पीछे छोड़ सकें। बहुधा अंग्रेजी पढ़े लिखे आर्य समाज के विषय में जानना चाहते हैं उनको हिन्दी का इतना अभ्यास नहीं कि महर्षि दयानन्द की मूल पुस्तकें पढ़ सकें। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में नित्य नये नये ढंग से नये नये विचार छपते रहते हैं जिनके प्रचार से आर्य समाज के सिद्धान्तों को सर्व प्रिय बनाने में बाधा पड़ती है।

इस कमी को पूरा करने के लिए आर्य समाज चौक इलाहाबाद (यू० पी०) के ट्रैक्ट-विभाग की ओर से एक सर्वथा नई योजना बनाई गई है जिसके अनुकूल शीघ्र ही उपयोगी पुस्तकें निकाली जाएंगी। इस कार्य के लिए एक सम्पादक-पटल (Editorial Board) बनाया गया है जिसके सदस्य ये हैं :—

(१) डाक्टर बाबू राम सक्सेना डी लिट प्रोफेसर संस्कृत इलाहाबाद यूनीवर्सिटी
(२) डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा डी लिट (पेरिस) प्रो० इलाहाबाद (यूनीवर्सिटी)
(३) डाक्टर सत्य प्रकाश डी. ए. सी.
(४) रायसाहिब मदन मोहन सेठ एम. ए. एम. आर. एस.
(५) पं गङ्गा प्रसाद उपाध्याय एम. ए. (Editor-in-Chief)

इस वर्तमान माला का नाम है Religions Renaissance Series. अब तक इसकी दो पुस्तकें निकल चुकी हैं :—

(१) Reason and Religion
(२) Swami Dayanand's Contribution to Hindu Solidarity

तीसरी किताब तैयार होरही है इसका नाम होगा "I and my God"

सम्पादक मण्डल का इरादा है कि इस माला में शीघ्र ही आर्यसमाज के भिन्न २ सिद्धान्तों पर पचास पुस्तकें तैयार होजाएं जिनको पढ़कर लोगों का आर्यसमाजके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो सके। कोशिश की जारही है कि पुस्तकें सर्वथा नूतनढंग की हों और उनमें नूतन विचारोंका समावेश हो। पुस्तकोंका साइज लगभग १५०पृ० है और उन की रूप रेखा, क़ाग़ज तथा छपाई सब अंग्रेजी ढङ्ग की है, इसका मूल्य १) रक्खा गया है।

आर्य समाज चौक प्रयाग के ट्रैक्टों से जनता भली भाँति परिचित है। अब तक बीस लाख के लगभग ट्रेक्ट छप चुके हैं। आशा है कि आर्य जनता ने जिस प्रकार ट्रैक्टों के निर्माणमें हमारा हाथ बटाया है उसी प्रकार इस नई योजना में भी भरसक सहयोग देगी।

एक बात याद रखनी चाहिए। हैदराबाद के सत्याग्रह ने आर्य समाज के नाम को अधिक प्रसिद्ध कर दिया है इससे लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि आप अपने विचार जनता को पहुँचाते रहें। अन्यथा सत्याग्रह से जो लाभ हुआ है वह क्षणिक सिद्ध होगा इस समय लोहा गरम है चोट लगाते जाइए। यही तो समय है जब पढ़ीलिखी जनता में आपके साहित्य के लिये भूख होने लगी है। भोजन पहुँचाना आपका काम है।

शोलापुर की दुर्घटना से शिक्षा

शोलापुर की दुर्घटना ने आर्यसत्याग्रह को जो क्षति पहुँचाई है उसका अन्दाज़ आसानी से नहीं लगाया जा सकता। इस सम्बन्ध में आगे कुछ लिखने के पूर्व सत्याग्रह की लड़ाई के सम्बन्ध में मैं कुछ लिखना आवश्यक समझता हूँ। सत्याग्रह की लड़ाई की कुछ विशेषताएं हैं। हिंसात्मक लड़ाई और अहिंसात्मक लड़ाई दोनों बिलकुल विभिन्न वस्तु हैं। एक का दूसरे से ज़रा भी मिश्रण नहीं हो सकता। खास कर अहिंसात्मक युद्ध में तो हिंसा की थोड़ी भी मात्रा आने से वह दूषित हो जाता है और अपना फल बिलकुल नहीं दिखा सकता। शुद्ध दूध में फटने वाली कोई चीज़ थोड़ी भी पड़ जावे तो सारा दूध फटकर बेकाम हो जाता है; त्याज्य हो जाता है। न केवल कायिक वरन् वाचिक और मानसिक पवित्रता इस के लिये अत्यावश्यक चीज़ है। हिंसात्मक लड़ाई के सिपाही को व्यायाम करके बलिष्ट होना होता है तब वह फ़ौज के काम आता है। लड़ाई के मोर्चे में भेजा जा सकता है! कोई बलहीन मनुष्य कमान्डर से यह कहे कि मुझे लड़ाई में भेजो मैं मौके पर अपना बल दिखाऊँगा अभी तो बल दिखाने की आवश्यकता नहीं तो उसे समझदार कमान्डर भरती न करेगा। सत्याग्रह की लड़ाई में यह नियम और भी आवश्यक है। हमारा हृदय यदि हिंसा से भरा हो, हमारी ज़बान हमारे काबू में न हों और हम यदि यह कहें कि सत्याग्रह के मैदान में तो हम सब कुछ कर दिखावेंगे तो यह बिलकुल ग़लत है। हिंसा का अनभ्यस्त सिपाही तो एक बार चाहे निशाने में गोली मार सकता है परन्तु अहिंसा का अनभ्यस्त सिपाही कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक समय में वह अवश्य चूक जावेगा। जो हमारे मन में है वह हमारी ज़बान में और करनी में प्रकट होकर रहता है। मन सम्पूर्ण शरीर का प्रेरक है। इसी लिये महात्मा गांधी जी जो सत्याग्रह लड़ाई के वर्तमान समय के प्रवर्तक हैं अहिंसा के अभ्यास पर ज़ोर देते हैं। इस अभ्यास की एक और खूबी है। शारीरिक-व्यायाम तो हम निश्चित थोड़े समय तक ही प्रतिदिन कर सकते हैं परन्तु मनःशुद्धि का अहिंसात्मक व्यायाम हर समय कर सकते हैं। परन्तु इसके लिये इरादा सच्चा चाहिये। झूठा इरादा रहते हुए सिपाही शारीरिक ड्रिल तो कर सकता है या कराया जा सकता है, परन्तु अहिंसा का मानसिक ड्रिल झूठे इरादे से कभी भी नहीं हो

सकता। अपने को या दूसरे को धोखा देकर हम सत्याग्रही नहीं बन सकते। उस ओर कदम नहीं रख सकते।

हैद्राबाद में अपने धार्मिक अधिकार प्राप्त करने के लिये आर्यसमाज ने, जानबूझ कर इस सत्याग्रहशस्त्र को ही ग्रहण किया है। आर्यसमाज फ़ैशन का पुजारी नहीं रहा है और सत्याग्रह शस्त्र को इस लिये नहीं स्वीकार किया कि वह इस ज़माने का फ़ैशन है। उसने तो इसकी पवित्रता और स्थिर उपयोगिता को समझकर ही, इसे अपनाया है। इस लिये इस स्वयं निर्धारित-मार्ग से हम किसी प्रकार च्युत नहीं हो सकते। अगर यह भी माना जावे कि आर्यसमाज ने इसे फैशन जानकर स्वीकार किया है तो भी तो यह ज़रूरी है कि उस फ़ैशन को हम पूर्णतया निभावें तभी गुज़ारा हो सकता है। फ़ैशन के अनुसार पोशाक पहिनने वाले भी तो फ़ैशन के सारे नियमों को मानते हैं नहीं तो हंसी में पड़ते हैं।

एक और बात स्पष्ट तो है फिर भी उल्लेखनीय है। सिपाही की संख्या की अपेक्षा उसकी योग्यता (Quality) पर बहुत कुछ निर्भर है। यह बात सत्याग्रह की लड़ाई में और भी विशेष है।

नारायण स्वामी जी महाराज के सदृश आर्यसमाज के सर्वश्रेष्ठ और पवित्र बलिदान इस वेदी पर निछावर किये गये हैं। हर एक आर्य का यह कर्तव्य है कि उस पवित्रता को (Dilute) घुलने न दे।

अब दूसरी बात जो सदा स्मरण रखना चाहिए वह यह है कि आर्यसमाज किस लिये लड़ रहा है। भाषणों में प्रायः यह देखा गया है कि इस को भूल जाते हैं और फिर इधर उधर की बातें बोलने लगते हैं। कहीं कहीं तो यह भी सुना गया है कि हम ठीक उन्हीं बातों को बोल जाते हैं जिनको कि आर्यसमाज की इस लड़ाई का उद्देश होना हम जोरों से इंकार करते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारे उद्देश्य के बारे में जनता को ठीक ठीक ज्ञान नहीं मिल पाता।

आ'समाज ने अपनी मांगों का आर्य कांग्रेस के अपने प्रस्ताव नं० ४ में स्पष्ट उल्लेख कर दिया है। इससे किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिये। उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के सिवाय और दूसरा कुछ भी नहीं है। वह मांग राजनैतिक वा साम्प्रदायिक हकों के लिये बिलकुल नहीं है और न पूरे नागरिक हक के लिये है। यह किसी दूसरे धर्म वाले के विरुद्ध भी बिलकुल नहीं है। इस लिये बोलते समय इस का ध्यान रखना चाहिये कि अपने उद्देश्य के बाहर की बातें न कही जावें।

घनश्यामसिंह गुप्त

जौलाई १९३९

ऋग्वेद

यजुर्वेद

सार्वदेशिक

सम्पादक— प्रो० सुधाकर, एम्०ए०,

स० सम्पादक— श्री रघुनाथप्रसाद पाठक

वार्षिक मू० स्वदेश २), एक प्रतिका ≡) विदेश से ५ शि० वार्षिक

अथर्ववेद

सामवेद

॥ ओ३म् ॥

सार्वदेशिक

* सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र *

वर्ष १३ } आषाढ़ १९९६ जुलाई १९३९ ई०] [दयानन्दाब्द ११७ { अङ्क ५

* वेद की शिक्षाएँ *

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। यजु० ४०—१७

सत्य का स्वरूप सुनहरे चमकीले ढक्कने से ढका हुआ है।

But the Truth is always shrouded by glow and glitter.

अमागो हत्वा वै भीमा। अथर्व १०—[illegible]—२९

देखना! निरपराध की हिंसा करना बड़ा भयंकर है।

Mark! It is a dreadful thing to harm or injure innocent people.

Hyderabad Agitation

(*By*—**Dr. Sir Gokul Chand Narang M.A. Ph.D. Bar-at-law Lahore**)

This article was published in the Statesman in reply to its Leading article written on the Hyderabad Agitation, appearing in its issue of June 8, 1939.

Sir,—I have read with much interest your leading article on the Hyderabad agitation and appreciate the tone in which, without going into the merits of the movement, you have tendered your advice to the leaders of the Arya Satyagraha movement. I particularly appreciate the last sentence in your article in which you frankly recognise that "The Hyderabad Government's responsibility for removing misapprehensions and grievances is obviously great" and it is this sentence which has encouraged me to say a few words about this movement of the Arya Samaj. I have no doubt in my mind that if you were fully aware of the nature, extent and depth of the movement you would have addressed your advice to the government of H.E.H. the Nizam in a more direct manner and would have put it in a much more vigorous form than the suggestion conveyed in the sentence quoted by me.

I would like to clear the doubt which you say some people seem to entertain about the sincerity of the movement on account of alleged "immaturity and other characteristics" of volunteers. I have seen a good many of the volunteers and many of them are personally known to me and I can assure you that the allegation is entirely unfounded. A glance at the photographs of volunteers which the Arya newspapers have been publishing from day to day, and particularly the group of five hundred volunteers who

followed one of the dictators, would convince anyone that the impression sought to be created by certain interested persons, that the movement is manned by juvenile volunteers is absolutely false. As regards "other characteristics" I do not know what you exactly mean by this; but, if the suggestion is intended to convey the impression that the Satyagrahis are men of no social status or influence, it does them a great wrong. Any one who knows anything about the Satyagraha movement would agree that the Satyagrahis come from all classes of Hindus and include among them men of the highest character, education and social status. Lawyers, merchants, professors, leading journalists, a retired Sessions Judge, highly revered Sanyasis and preachers have been in the fore-front of the Satyagraha movement. To entertain any doubt as to the sincerity of earnestness of the movement is to betray one's ignorance and if the authorities of Hyderabad have been given this impression they have. I regret to say, been kept in a fool's paradise. They should know that the Aryas are in dead earnest. The two sections of the Arya Samaj, which separated about 45 years ago, have laid aside their differences and have united to make the movement a success. Thousands of Aryas have gone to jail and are cheerfully facing all the insults and hardships which arrests, trials and jail life in a semi-civilised State like Hyderabad entail. Seven or eight of them have already lost their lives in the various jails of Hyderabad. With a full knowledge of all these facts hundreds are daily volunteering themselves and Jathas of men and purses of money are pouring into Lahore and other places from all parts of the country. In one sense this Satyagraha has beaten the Congress Satyagraha as, while the Congress Satyagraha was offered by Congress men locally, the Aryas outside Hyderabad, have to travel in this grilling weather a distance of more than a thousand miles to court arrest.

If further evidence of the earnestness and intensity of the movement were needed it would be furnished by the recent tour of Mahasha Krishna, the proprietor of the daily *Pratap* of Lahore, who was appointed sixth dictator to lead the movement. Wherever he went he was given a right royal reception, was presented with hundreds of addresses and hundreds of purses. In less than a month he has been supplied with funds amounting to about Rs 75,000 and a contingent of volunteers numbering about one thousand strong. It is, therefore, idle to throw any doubts on the sincerity or earnestness of the movement.

You have said in your article "A number of Hindu leaders both inside and outside the State, have shown a marked lack of enthusiasm for the Aryan operations" and you have particularly referred to the criticirm made by Maharaja Sir Krishan Parshad. It is true that Congress leaders as such have kept aloof from the movement but the reason is not far to seek. Even in normal circumstances they could not associate themselves with a purely religious movement particularly when it is directed against a Government presided over by Muslim ruler. Outside Congress circles I am not aware of any Hindu worthy of the name who is not heart and soul in sympathy with the movement. You are probably not aware of the fact that, apart from the Hindu Maha Sabha which is actively participating in Satyagraha, the movement has secured the sympathy and active support of the Sanatanist section of the Hindus and, what is still more note-worthy, the support of the Sikhs. Master Tara Slngh, the famous Akali leader and president of the Statutory Central Sikh Board, has openly allied himself with the movement. A Sikh Jatha of volunteers, under the command of the well known Baba Madan Singh, has already left for the front and more are expected to follow. Even fairminded and sensible Muslims, includ-

ing the well-known Kashmir leader S. M. Abdulah, have publicly supported the demands of the Aryas.

As regards Maharaja Sir Krishna Prashad, your reference to him was most unfortunate. You are apparently unaware of the chorus of condemnation which was raised by the Hindu Press over the statement issued by this gentleman. You are apparently not aware of the antecedents of Maharaja Sir Krishna Prashad, otherwise, I am sure, you would not have referred to his criticism as showing lack of enthusiasm on the part of "Hindu" leaders. Apart from other reasons, which are more or less of a private character the views of a person whose ancestors, as well as he himself, have been employees and Jagirdars of the Hyderabad State could not have influenced any Hindu not owing direct allegiance to H. E. H. the Nizam.

The next point made by you is that the movement has caused a rise in communal temper and you have also referred to the happenings at Sholapur in connection with this point. As regards the Sholapur affair it would be sufficient to say that the case is likely to go to Court, and there being two versions, one issued by the Government and the other by Mr. Karandikar, on behalf of the Hindus, no final opinion can be expressed as to which party has been to blame for a recourse to violence. As regards the resentment which the Moslems, whether inside or outside the State of Hyderabad, may feel against the movement, I expect you would agree that the main question is whether the Aryas are in the right or in the wrong. If they are in the right, it would be entirely wrong on the part of any Moslem to show resentment against the Aryas for claiming what have been universally admitted to be elomentary rights. To ask the Arya to drop the movement because ignorant and fanatical Moslems are likely to take offence

at it, is to put a premium on injustice, intolerance, ignorance and fanaticism. It will be unfortunate if the movement which has so far been conducted in a most peaceful manner is sought to be put down by violence by Muslim mobs whether with the active support or connivance of Muslim authorities. The episode at Sholapur is considered to be the direct result of the Muslim League session at that place. The feeling among the Aryas is that Sholapur was chosen as the venue of the session in order to intimidate and overawe the Aryas and it is unfortunate that in spite of a warning to that effect the Premier of the Punjab accepted the chairmanship of the session.

The Aryas, in their anxiety to avoid any unpleasantness, had kept away from Sholapur for some days before and after the Muslim League session and they would even now do their utmost to avoid any clash. If in spite of their precaution any violence is used by the Muslems to thwart or discourage this movement, the blame will lie with them, their leaders and the government which may instigate, permit or tolerate such violence.

Whether the demands made by the Aryas are just and fair one has only to look at the resolution passed by the Arya Congress held at Sholapur in December last. These demands are simple and of an elementary character. So far as the Satyagraha movement is concerned it has been declared by their latest dictator that they will be prepared to stop Satyagraha if for the present their demands with respect to the practice and preachings of their religion and culture, the building and repairs of Arya Samaj temples, Yajanshalas and Havan Kundas without the necessity of obtaining permission of the Ecclesiastical Department (which by the way is entirely a Muslim body), are conceded by the Government of Hyderabed leaving the

other points for settlement by negotiations. No sane man or Government which is not drunk with power or too much obsessed with the idea of prestige, can deny the reasonableness of these demands or condemn the Aryas for making them.

You have referred to the possibility of an early announcement of certain reforms by the Hyderabad government and have advised the Aryas to suspend the Satyagraha movement in view of the coming announcement. I am afraid that unless the Aryas have definite information that their demands will be conceded they will not be able to suspend the Satyagraha-movement as it is obvious that a movement like this, once suspended cannot be so easily revived. The only course, therefore, is the one suggested by you in the last sentence of your article *i.e.*, that H. E. H. The Nizam should take immediate steps to remove the grievances of the Aryas and grant them full freedom so far as the practice and preaching of their religion and culture and building and repairing of their places of worship is concerned

It is unfortunate that H. E. H. The Nizam's Government should have delayed the announcement of reforms. They should have lost no time in making the announcement and I hope that when the announcement is made it will contain full recognition of the rights and demands the denial of which led to the Satyagraha movement.

Amrita Bazar Patrika on Hyderabad Satyagraha

The Satyagraha agitation in Hyderabad is fast taking on a serious complexion. It is reported that after Mahashe Krishna other"Dictators" followed by more and more Satyagrahis will be coming forward to court arrest aud in this way the process will go on till it becomes practically impossible for the Nizam's Government to successfully grapple with the situation. Thousands, it is said, are now in the jails of Hyderabad and suffering the privations of prison-life. Seven have already lost their lives. Still, the volunteers, who fully know the fate that awaits them in Hyderabad, are coming forward in their hundreds to fight for a just righteous cause. In some reactionary quarters the Hyderabad Satyagraha has been charactrised as an " agitation". To call it an ,' agitation " is to tarnish the sanctity attached to Satyagraha and to lower it in the eyes of the world. It is a movement, call it a political or a religious movement as you like. The nature and far-reaching importance has been ably dealt with by Sir Gokul Chand Narang, an ex-Minister of the Punjab, in a long letter published in the columns of a Calcutta Anglo Indian Newspaper, The letter is not only a convincing reply to the observations made by the opponents but contains many facts which are worth knowing.

In reply to our contemporary's veiled insinuation about the sincerity of the movement on account of alleged "immaturity and other characteristics" of volunteers, Sir Gokul Chand Says: "Any one who knows anything about the Satyagraha movement would agree that the Satyagrahis came from all classes of Hindus and include among them men of the highest character

education and social status. Lawyers, merchants, professors, leading journalists, a retired Sessions Judge, highly revered Sanyasis and preachers have been in the forefront of the Satyagraha movement. Sir G.C. Narang thus corrects the erroneous impression that the movement is a purely Aryan or a Hindu movement. The Hyderabad Satyagraha, he points out, has healed the breach which divided the Arya Samaj 45 years ago. The Sanatanists who do not see eye to eye with the Aryas have sunk their differences and joined the movement along with the Hindu Mahasabha. What is more, the movement has the support of the Sikhs. "Master Tara Singh, the famous Akali Leader and president of the Statutory Central Sikh Board has openly allied himself with the movement. And most encouraging of all is the sincere and unqualified support given by sensible and fair minded Muslims. The well-known Kashmir leader S.M. Abdullah has publicly supported the demands of the Aryas. He has openly condemned the attitude of those Moslems particularly the Moslem Leaguers, who have for obvious reasons given a communal colouring to the Hyderabad Satyagraha movement. This is not all. Mr. Abdullah has also promised active support to the movement with the help of his followers.

Not only men in their hundreds and thousands have been coming forward to join the movement but also spontaneous monetary contributions in aid of the movement are forthcoming in a generous measure.

The Hyderabad Satyagraha movement is on the very face of it a very simple issue. If the Nizam's Government look upon it as an Aryan or a Hindu movement it must be said they have totally failed to understand the *raison detre* of the movement. It is neither communal nor religious in character. It must be judged from a purely humanitarian standpoint. It has been stated times without number that the Hindus of Hyderabad, who constitute more than 80 percent of the total

population of the State, are denied some of the elementary rights of citizenship. The denial of these rights has necessarily meant a set-back to the religious, cultural and political freedom of the Hindus. Anybody who reads the resolutions adopted at the All India Aryan Congress held in December last at Sholapur will find how simple, albeit essential, demands of the Hindus are.

They do not want any special favour from the Hyderabad Government. They only want that their legitimate rights and liberties as ordinary human beings should not be withheld from them. But the pity is that the Nizam's Government have not yet been able to appreciate the reasonableness of the Satyagrahis' demands nor have they gauged the momentous nature of the movement. If they think that the movement will collapse before long they are profoundly mistaken. They have been following a totally wrong and reactionary policy and turned a deaf ear to all counsels of reason.

But if the Nizam's Government are so amazingly indifferent to what is happening at their very door, on what grounds can one defend the apathy of the Government of India towards the just demands of the Hyderabad Hindus? The paramount power is pledged to the policy of preventing any injustice being done to people living in the States. Even apart from that, His Excellency Lord Linlithgow gave only the other day a clear warning to the Indian rulers to remove the legitimate grievances of their subjects.

What should the Crown Representative do when this warning is being disregarded? The Hindus of Hyderabad assert that they have been labouring under so many grievances. The Nizam's Government say that they have hardly any. In the circumstances, is it not imperative that a thorough independent and impartial Commission should be appointed without delay to enquire into the grievances alleged by the Hindus of Hyderabad and both the Government and the people of Hyderabad be made to abide by the findings of the Commission?

Arya Satyagraha in Hyderabad

WHAT THE ARYA SAMAJ DEMANDS ?

(By Lala Deshbandhu Gupta, M. L. A.)

(Reprint from Hindustan Times)

The Arya Samaj Satyagraha in Hyderabad has by this time sufficiently attracted public attention. But correct understanding of the position even in high quarters is wanting and people seem to think that it is a brand of agitation commonly resorted to in bravado and without sufficient reasons.

It would be desirable, therefore, to give some salient features of the movement which is likely to assume more and more serious proportions as days go by. The Arya Samajists have been feeling for about the last six years that they are labouring under various restrictions in the State of the Nizam. The Arya Pratinidhi Sabha of the Nizam Rajya (The Representative Body of the Arya Samajes in the Nizam's State) and the Sarvadeshik Sabha (the International Aryan League) adopted the usual policy of prayers and petitions in order to get redress for their grievances.

On March 20, 1936, a deputation of prominent persons including Messrs. M. S. Aney and G. S. Gupta waited on the then Prime Minister, Maharaja Sir Kishan Prasad and laid before him their grievances. But all this evidently bore no results. The matter was vital to the Sarvadeshik Sabha and it decided to summon an All-India Aryan Congress to discuss this question, and find out a remedy for it. Accordingly the All-India Aryan Congress was held in Sholapur during the Christmas in 1938, where the matter was discussd threadbare. It is thus evident that the Arya Samaj has not lightly launched the movement. Although the grievances of the Hindus, in general, and Arya Samajists, in particular, cover a very wide field, the Aryan Congress confined its demands to purely religious and cultural

matters. Other matters were scrupulously ruled out as beyond the scope of the Arya Samaj—a Religious Church. Out of the total the following are the more important demands formulated:—

Demands

(1) There should be full freedom for due performance of religious rites and ceremonies.

(2) There should be full freedom for religious preaching, reciting of 'Kathas', delivering of sermons and lectures, taking out Nagar Kirtans and processions, building of Arya Samaj Mandirs, 'Yagyashalas' and 'Havankundas', hoisting of Om flags, opening of new Arya Samajes and publishing of literature bearing on Vedic Religion and Culture.

(3) The State should neither take part nor encourage, and the State servants should be forbidden from taking part in Tablig (proselytising) movement. No conversion to Islam of Hindu prisoners inside the jails and Hindu children in schools should be allowed. Hindu orphans should not be handed over to the Muslims.

(4) The Ecclesiastical Department should be abolished or at least it should have no control over the temples and affairs concerning the Hindus and Aryas.

(5) There should be no ban imposed on the entry of Arya missionaries and the existing bans should be removed.

(6) The education of Hindu and Arya boys and girls in Primary and Secondary standard at least, should be in their Mother Tongue and not necessarily in Urdu.

(7) There should be no restriction imposed on the starting by the Hindus and Aryas, of private gymnasiums (Akharas) and private educational institutions, such as schools for boys and girls, libararies and reading rooms.

It would be seen from this that the demand of the Arya Samaj is neither for political nor communal rights and privileges nor even for full Civil Liberty. It is purely religious and cultural. Those who continue to brand these demands as either communal or political or as directed against the Nizam or against Muslims, betray either ignorance or perversion. The Arya Samaj is not claiming a percentage in services, weightage or any other type of political or communal rights. The demands are clear in themselves and need no explanation. The Arya samaj has from time to time issued pamphlets and books explaining their case and justifying these demands. They give specific instances of irksome interference of various sorts.

Nauseative interference.

In one case an explanation was demanded why a marriage that took place in the month of Muharram was not stopped ?

In another a house-owner was asked either to erect a pakka wall so as to hide certain portraits or to obliterate them on the ground that they were visible from a mosque.

The following notice No. 150/55 dated 26 Aban 1344, Fasli, issued by a Naib Qazi may be read with interest :—

"You, Bakaiya are hereby Informed, that your wife Gaindi, embraced Islam on Aban 14, Fasli 44, and she has been given the Islamic name "Rahima Bi". You have also been several times invited to embrace Islam, but you are keeping silent. Therefore, let it be known to you that if you present yourself in my office within a week and willingly embrace Islam, your connection as husband with your new Muslim wife may be maintained. Failing this your relationship with her will cease and she will be married to some Mahomedan and no objection from your side will be entertained."

But illustrations from the Arya Samaj pamphlets may be left alone.

3,000 Schools Closed

The following is taken from the White Paper issued by the Government of the Nizam in the form of a book entitled " The Arya Samaj in Hyderabad " annexure XII page 60 (1st edition) and annexure XI page 48 (2nd edition):—

1. Educational institutions having fifteen or more pupils on their registers, which are neither in receipt of any grant-in.aid from the Government nor are recognised in any way by the educational department will be considered as private institutions.

2. In future no private institution will be started by any person or persons unless the sanction of the officer mentioned below is obtanied for the purpose.

(a) In the case of Primary School for boys, the sanction of the Divisional Inspector concerned.

(b) In the case of Middle and High school for boys and girls, the sanction of the Director of Public Instruction.

(c) In the case of Primary school for girls the sanction of the Inspectress of Girls' School or the Divisional Inspector of the Subah.

If any private institution is opened after the promulgation of these rules without previously obtaining the permission required by these rules, or if any existing private institution fails to submit the annual returns required by rule 8, or violates these rules in any way the Director of Public Instruction or the Divisional Inspector of Schools will take the necessary steps either through the first Taluqdar of the district concerned or the Police Commissioner or the Hyderabad city to have such school closed.

As a result of this 2,971 private schools had to be closed out of a total of 4,053 thus leaving only 1,082 private schools.

Annexure IX para 9 page 50 (1st edition).

Annexure VIII para 9 page 40 (2nd edition).

Restrictions On Hindus

The following rules apply whenever Hindu festivals coincide with Muslim festivals:—

(1) All Hindus in city and district should perform their religious ceremonies inside their own houses.

(2) Those who desire to go to gardens to perform the Simoolagan ceremony may do so without the accompaniment of music or other *reclat*.

(3) Bhatakamma should not be taken out and Hindus should not play music even in the small *devals* within their own houses.

(4) Within large and special *devals* which have a compound wall around, Hindus can perform their worship with ordinary music but on no account should they come out of the *deval*, Muslims are not to interfere with the performance of worship within the *devals*. Any person—Hindu or Muslim—guilty of the breach of this order will be liable to criminal prosecution.

Under one of the existing rules regarding permission for religious buildings and their repairs no Arya Samaj can be started or can hold its weekly (satsangas) meetings even in a private house without previous permission from the Ecclesiastical Department. This has rendered the normal functioning and expansion of the Arya Samaj difficult.

Now coming to the immediate fight of the Arya Samaj it would be seen that by resolution No 5 of the Sholapur Aryan Congress, it is concentrated to the following two items only. This has been emphasised by Mahashya Krishna also in his speeches:-

(1) Absolute freedom for the practice and preaching of the Vedic Religion and Culture, with due regard to the feelings of the followers of other faiths.

(2) Full freedom for starting new Arya Samajes and building of new Arya Samaj mandirs, yagyashalas, havankundas and the repairing of the old ones without obtaining any permission from the ecclesiastical or any other department of the State.

Outside Help

It is easy to see that there is clear distinction between the Arya Samaj Movement and the State Congress or the Hindu Mahasabha movements. The Hindu Mahasabha demands as formulated in their Nagpur resolution covers a very wide field. So is the case with the State Congress Movement (now suspended). To indentify the Arya Samaj Movement with the State Congress movement or the Hindu Mahasabha movement is clearly a mistake. The Arya Samaj Movement is confined only to secure religious and cultural liberty which, of course, if secured will ensure for the benefit of all religions.

One more question is often asked Why should outsiders interfere in the internal affairs of native states. The Congress policy in this respect is sometimes quoted. They say the movement should be conducted by the people of the State and outside help should be only advisory.

This may be true in the case of political rights which primarily concern the inhabitants of a particular State but the right of Parchar (religious preaching) is one in which outsiders are as much interested as insiders.

In fact, if any State without any Arya Samaj, were to forbid preachers from outside, it would surely justify purely outside interference. This aspect of the case is forgotten by such questioners.

But the fact is that majority of the Satyagrahis are from Hyderabad. On examination of the records in the 1st week of April it was found that 79 per cent, were from Hyderabad and only 21 per cent were from outside.

Eight Thousand (now 12,000) Persons in Jail.

It would be seen that the rights claimed are so elementary that no sacrifice should have been necessary to get them. But the Arya Samaj has to stake its all for it and so far more than 8,000 (now 12,000) persons have gone to jails and there have been no less than nine deaths in jails. These deaths would show the nature of treatment meted out to the satyagrahis in jails. In the Congress movement involving about a lac of people for many months there were not so many instances of deaths inside jail.

The Arya Samaj has in the past made valuable sacrifices at the altar of Vedic Dharam and from the enthusiasm of the Aryas it is evident that there will be no dearth of men and money to carry on this struggle.

Religion even now, is the vital most factor for an Indian. Agitations based on religious grievances (very petty and small in the beginning) have brought about quite unexpected results of no mean significance in Indian History. It would, therefore, be in the interest of all thinking persons of position to try to find a just and early solution of the problem.

Fundamental Rights

Hindustan Times' Leading Article, Dated 10th June, 1939.

Yesterday we published on this page an article specially contributed to our columns by an esteemed correspondent on the Arya Samaj Satyagraha in Hyderabad. The miasma of communalism with which it has been sought to cloud the issue in Hyderabad by the interested propaganda has, to a large extent, succeeded in its object, with the result that the wider public are ignorant of the real issue for which the Arya Samaj is fighting in Hyderabad. Though the vast majority of the population of the State consists of Hindus, the Muslims forming only 10 percent of the population, it is not for political rights, communal privileges, nor even for civil liberty that the Arya Samaj is striving. In spite of the Hindu being a majority, it is the Muslims who predominate in all offices of importance in the State. Civil liberty is notoriously absent in Hyderabad as Mr. Bhulabhai Desai found when he visited the State, as the Government insisted on previous permission being obtained to enable him to address the Bar Association. But it is not political reforms nor communal ratio in the services that the Arya Samaj wants in Hyderabad. As the Sholapur resolution has stated, it is fighting merely for cultural and religious liberty.

Attack on Culture

In this connection, we would ask Muslim League leaders, especially those who get excited over the Arya Samaj campaign and pretend that it is an attack on His Exalted Highness the Nizam, to contrast their own demands with the scandalous

state of affairs in the State. The protection of religion, language and culture is one of the basic demands of the Muslims and though no one has sought to deny them these in British India, far-fetched attempts continue to be made to misrepresent genuine reforms as attacks on their language and culture. In Hyderabad, the medium of instruction in all State schools and schools receiving grant-in-aid is Urdu in all except the first two classes of the Primary standard. Since 90 percent of the population of the State are Hindus who speak Telugu, Canarese or Marathi, the infliction of Urdu on them from the primary stage is a scandal which the people are bound to resent. Since recognised schools must teach through the medium of Urdu, private institutions were started which taught their students through their own mother tongues. But recently, new rules were promulgated making it obligatory for those schools to observe certain rigorous conditions, including the obtaining of previous permission, with the result, we are told, that 2,000 out of 4.000 schools have been forced to close down. Could there be a more preposterous invasion. not of the rights of a minority, but the cultural rights of the vast majorty of the population, by a Government which had theleast claim to calling itself an enlightened one ?

Intolerable State of Affairs

As regards the religious rights of the vast majority of the people of the State, the Government of H.E.H. the Nizam have been equally guilty of invasions unworthy of a decent Government. It is bad enough that permission should be obtained for he construction of temples, Havan Kunds, etc., but that these should be obtained from the Ecclesiastical Department, which is a predominantly Muslim organisation makes the opposition worse. As regards religious festivals, the Nizam's Government have kindly laid down that where Hindu and Muslim Festivals coincide, the Hindus can perform their ceremonies only within their houses. How for example, the Ganapathi Festival, Holi or even Dussehra can be performed within their own houses by Hindus.

is no concern of His Exalted Highness' Government. That a majority should thus be deprived of an essential religious right, in the interest of a small minority, simply because the ruler is of the same religious persuasion, appears to be an intolerable state of affairs. To understand Hindu feelings in the matter, let Muslims imagine the hypothetical case of Kashmir where the majority of the population are Muslims and the ruler is a Hindu, issuing an ukase that where Hindu and Muslim festivals coincide, Muslims must celebrate Mohurram within their own houses. That will give them an idea of the measure of Hindu resentment against the Nizam's medieval methods of Government. We feel that the time has come when if the Nizam's Government are not able to see reason, they must be made to do so by the Paramount Power.

Disabilities of Hindus in Hyderabad State and Statement of Dr. Antrolikar & his Colleagues

Interviewed about his impression about the disabilities of Hindus of Hyderabad State, Dr. Antrolikar, M. L. A., who had made a tour of the State along with Shri Shankaracharya and others gave the following statement on behalf of himself and his colleagues :—

Since our return from a tour in the Nizam State queries as to our experience there, are pouring in numbers. It is, we think, inadvisable as well as impossible to reply them individually. It was also found not possible to publish immediately a detailed report of the evidence and experience we got there as visitors and this has been rendered more so by the recent unfortunate happenings at Sholapur. However to satisfy the curiosity of some and for the timely information of all concerned we give below a statement which may later on be supported by the detailed facts and figures.

In the beginning it is our duty on behalf of our party to thank the Nizam's Government and the officials who co-operated with us in our tour through the dominions. But for this help it would not have been possible either to finish the tour so soon or to get at facts at so close quarter as was made possible throughout our tour. This confidence, by the officials, did, in a way really encourage us to state so openly and frankly the impressions of our tour through the State.

We have come to a definite conclusion that the Hindus in the Hyderabad state do labour under many religious disabilities, the suppression of individuality and initiation under these disabilities has brought about such a condition in the State that if

allowed to continue any longer it will gradually bring not only the Hindu community but also the State as a whole to utter ruin.

Restrictive legislation in the State not only creates obstacles in erecting new temples but also puts great impediments even in the repairs and improvements of the same. If a few cases are fortunate enough to pass through the hurdles of the inequitable and unjustifiable orders and *Farmans* so common in the dominions, they are smoothered by the lower officials who are, we must painfully record, not broad-minded enough as to rise above religious bias. We have recorded an incident in our detailed report that after attempting even for a continuous period of 18 years, a man could not get permission to repair a temple.

This restriction is carried to such a ridiculous extent that the temporary installation of a diety near the threshing floor which every farmer does at the threshing time was interferred with. We know of a classical instance where the golden (Kalas) upper end of the dome of a temple was not allowed to be fixed because it dared possibly to rise higher than a similar structure on a neighbouring Mosque.

We have seen an official orders of date, 19-0-1308, and 24-10-1308 published in the Government Gazette page 616 Vol–1 making the granting of permission for repairs dependent on the existing local Mohamedan population. Thus we are convinced, positive efforts are made to lessen the number of temples by withholding permission to repairs and thus bringing them to an automatic decadence. Long-standing religious usages are put a stop to without reason or rhyme. Rights of processions even though ancient ones are infringed arbitrarily first and then under the guise of law stating that there was no procession the year before, the only reason that we could trace was the whim of the local officials who happened very usually to

be Mohammedans and the attempt at offensive domination of one community by the other. It is, we believe, common knowledge that agricultural cattle are taken out in procession on one day in a year by farmers in villages. We could not understand the mentality of the officers who could prohibit even these innocent healthy exhibition of bullocks giving an opportunity to a farmer to show his competitive ability in breeding and bringing up his agricultural cattle. Even Satyanarayan puja and Gondhal which many of the Hindus know in Maharastra can not be performed without permission. In the days of Moharrum, Hindus are prohibited from the celebration of marriages and even ringing bells in their own homes.

Apart from such cases as can directly be traced to Government and the petty officials as above, there is abundant evidence to show that some of the vulgar elements in the Mohammedan community, conscious of being part and parcel of the ruling community and being infatuated by the practical immunity from the clutches of law, they enjoy under the shortsighted policy of the lower officials render the ordinary social and religious life of the Hindus intolerable. For instances cases are known where Mohammedans have been apprehended in the very attempt of breaking an idol or throwing it in a river. We were told that in Paitha, one Mohammedan was proceeded against for throwing an idol into a river. Even evidence which could not possibly be impinged was led but some how the case was unfortunately withdrawn for reasons best known to the authorities themselves. The question of conversion is beset with extraordinary difficulties to be dealt with in this short report. We however entertain no doubt that conversion is a live dang through the direct support of the lower officials if not of Government. Though our observations are restricted to the religious disabilities of the Hindus we cannot help referring to the political back-ground of the existence and continuance of the deplorable state of Hindus in the State.

As in this short summary we can not do justice fully to this important subject we would request our friends to wait for our detailed report.

We conclude this short statement by making a few important suggestions for immediate application:—

(1) Cancellation of orders, circulars, Farmans, or Gustis restricting the exercise of religious liberties by the Hindus *eg.*

(a) Gusti of 1-8-1338 F. regarding classification of religious ceremonies into new and old.

(b) Order of I.G.P. to D.S.P. No. 5002, 14-11-1341

(c) No. 304 of 18-3-1345.

(d) Regarding music before mosque published in 1344, 11-4-1344 dated 23-3-1344.

(e) Circulars dated 13-12-1326, read with No. 4 of 12-12-1328 and 13 of 31-5-1331 and 1347 of 13-6-1345 and No. 4 of 1329, No. 5228 of 15-10-1309, No. 8 of 18-2-1312.

(f) Home Secretariat No. 2 of 14-6-1323.

(g) Gusti of 24-10-1308 prohibiting repairs etc., of temples.

(i) Press note dated 23-7-1342 prohibiting outside preachers including kirtankars etc.

(2) Complete seperation of the Ecclesiastical Department into two. The Hindu department to be conducted under the complete control of a special statutory body composed of Hindus to look after all the religious institutions, and religious education, to see all the religious ceremonies and festivals are properly carried out, to see that adequate grant is made for the construction and preservation of Hindu places of worship.

(3) Appointment of a commission of an inquiry into the religious condition of the Hindus. The members of this commission should be such as to inspire complete confidence in the minds of the Hindu subjects of the State.

शोलापुर का दंगा

शोलापुर की गत दुर्घटना के लिए शोलापुर के कलक्टर तथा बम्बई गवर्नमेण्ट ने आर्य्य सत्याग्रहियों को जिम्मेवार ठहराया था। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी ने इस घटना की विस्तृत जाँच कराई है। जांच का संक्षिप्त विवरण पृथक् दिया गया है। इस जांच के परिणाम स्वरूप आर्य्य सत्याग्रही इस जिम्मेवारी से बिल्कुल मुक्त हो गये हैं। जांच करने वालों में कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी के सदस्य श्री शंकररावदेव जी तथा दूसरे प्रसिद्ध कांग्रेसी सज्जन श्री पटवर्धन जी हैं।

इस मुक्ति पर देश के अंग्रेज़ी और हिन्दी के प्रायः सभी मुख्य २ पत्रों ने हर्ष प्रगट किया है।

यहां हम 'वीर अर्जुन' का मत उद्धृत करते हैं:—

महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त उपसमिति शोलापुर दंगे के सम्बन्ध में जिस परिणाम पर पहुँची है, वह आर्य समाज के लिए विशेषकर आर्य-सत्याग्रह के लिए अत्यन्त अभिमान की वस्तु है। आर्य सार्वदेशिक सभा भी इसी परिणाम पर पहुंची थी। कांग्रेस उपसमिति का कहना है कि "आर्य नेताओं और स्वयंसेवकों का व्यवहार निर्दोष रहा है। वे शुरू से अन्त तक सभी मौकों पर शान्त रहे और सभा, जलूस व प्रकाशन के सम्बन्ध में वे सदा जिला अधिकारियों की मर्जी पर चलते रहे हैं"। यह प्रमाणपत्र उन लोगों की ओर से दिया गया है, जिनकी निष्पक्षता और प्रामाणिकता पर सन्देह करने की गुञ्जायश नहीं है। श्री शंकरराव देव कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी के सदस्य हैं और महात्मा गांधी के विश्वासनीय साथी हैं। जहाँ आर्य समाज के लिए ऐसे व्यक्ति का प्रमाणपत्र गर्व की वस्तु है, वहाँ कांग्रेसी सरकार की भी आंखें खोलने वाला है। इससे जिला अधिकारियों के वक्तव्य की प्रामाणिकता की पोल भी खुल जाती है। वस्तुतः दर्शकों को यह देख कर आश्चर्य होता है कि आर्यसत्याग्रही बराबर भड़काये जाने पर भी जिस शांति व अहिंसा से काम ले रहे हैं, वह राजनीतिक सत्याग्रह के दिनों में भी देखने में कम आती थी।

तब शोलापुर के दंगे का कारण क्या था, इस पर भी उक्त समिति ने प्रकाश डाला है। कुछ मुस्लिम गुण्डे इसके लिए जिम्मेवार थे, जिनकी ओर जिला अधिकारियों

आर्य्य सत्याग्रही और नेता सर्वथा निर्दोष थे।

जांच-कमेटी का निर्णय

महाराष्ट्र-कांग्रेस-कमेटी के प्रधान द्वारा मनोनीत शोलापुर-दंगा जांच कमेटी नेप्रधान केसम्मुख अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उस रिपोर्ट के अनुसार आर्य्य-सत्याग्रही इस आरोप से सर्वथा मुक्त हो गए हैं कि उनका व्यवहार रोष दिलाने वाला था। कमेटी के सदस्य श्री शंकररावदेव 'तथा श्रीयुत पट वर्द्धन ने आर्य्य सत्याग्रह कैम्प शोलापुर की प्रगतियों 'तथा उसके इतिहास को भली भांति निरीक्षण किया है तथा आर्य्य सत्याग्रहियों और आर्य्य नेताओं का व्यवहार' शान्ति पूर्ण तथा निर्दोष पाया है। उन्होंने प्रगट किया है कि उन लोगों ने जलूसों और प्रकाशनों के सम्बन्ध में सदैव जिला अधिकारियों की इच्छाओं को पूरा किया है।

विपरीत इसके कमेटी को शिकायत है कि ऐसी घटनाएँ हैं जिनमें गैर जिम्मेवार मुसल्मानों की रोष दिलाने वाली कार्य्यवाहियों का जिला अधिकारियों ने कोई नोटिस नहीं लिया है।

दंगे के वास्तविक कारणों के सम्बन्ध में कमेटी का विश्वास है कि कुछ मुसल्मान गुण्डे इस दंगे के लिए जिम्मेवार हैं यदि जिला अधिकारी कांग्रेस के कार्य्य कर्त्ताओं से सलाह करतेतो स्थिति खराब न होती।

ने ध्यान नहीं दिया। आर्य-सत्याग्रहियों ने नमाज़ के समय से बहुत पहले नारे लगाये थे और मुसलमानों ने ही आक्रमण किया। कमेटी पुलिस अधिकारियों के बन्दोबस्त को भी सन्तोषजनक नहीं बताती। उसका कहना है कि मुस्लिम लीग कान्फ्रेन्स व मुस्लिम नेताओं के गैरजिम्मेवार भाषणों से उत्पन्न साम्प्रदायिक तनातनी को देखते हुए पुलिस को जो इन्तजाम करना चाहिए था, वह उसने नहीं किया।

इस रिपोर्ट पर टीका-टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल बम्बई सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं। वह यह देखे कि जिला-अधिकारियों का वक्तव्य क्या इससे अधिक अहमियत रखता है? यदि नहीं, तो उसे आर्य सत्याग्रह के लिये पहली सी सुविधाएँ देनी चाहिए और जिला अधिकारियों के व्यवहार पर उचित कार्यवाही करनी चाहिए। शेष कांग्रेसी सरकारें भी आर्यसत्याग्रहियों की अहिंसात्मक नीति

पर विश्वास कर सकती हैं। इसके साथ ही हमें आशा है कि यह रिपोर्ट उन आर्य समाजियों का भी सन्देह दूर कर देगी, जो कांग्रेस को अपने मार्ग में बाधक समझते हैं।

आर्य्य सत्याग्रहियों के द्वारा नमाज़ के समय आपत्ति जनक नारे लगाए जाने के सम्बन्ध में कमेटी का निर्णय है कि दुर्घटना नमाज के वक्त से बहुत पहले हुई थी और कोई आपत्तिजनक नारा नहीं लगाया गया था और मुसल्मानों ने ही दंगा शुरू किया था। यह भी पता लगा है कि कमेटी ने यह लिखा है कि अधिकारी इस बात को जानते थे कि मुस्लिम लीग कांफ्रेन्स तथा कुछ मुसल्मान नेताओं द्वारा गैर जिम्मेवार भाषणों के होने से वातावरण क्षुब्ध था फिर भी पुलीस ने पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किया।

कमेटी ने जांच के दौरान में आर्य्य समाजियों जिम्मेवार हिन्दू नेताओं तथा कई राष्ट्रीय मुसलमानों की गवाही ली थी।

बीज

सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्ज़ी व फूल-फल का
बीज और गाछ हमसे मँगाइये।
पता—मेहता डा० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना)

शहीदों की कहानी

(२)

श्री पाण्डुरङ्गजी

पाण्डुरङ्गजी को देहान्त से दो दिन पूर्व सिविल अस्पताल लाया गया था। ता० २७ मई सन् १९३९ ई० को प्रातःकाल ८ बजे गुलबर्गा जेल में आपका देहान्त हो गया। दुःखद समाचार मिलते ही नगर की आर्य-हिन्दू जनता शव लेने के लिये अस्पताल पहुंची, परन्तु अधिकारियों ने शव देने से इनकार कर दिया। उनके शव का फोटो भी नहीं लेने दिया गया। इस प्रकार जेल के अत्याचारों की जलती हुई चिता में जलकर अमर-पद प्राप्त किया।

श्री माधवरावजी

आप गुलबर्गा जेल में अपनी धार्मिक-स्वतन्त्रता के लिये यमयातनाएं भोग रहे थे। ता० २६ मई सन् १९३९ की प्रातःकाल तक आप प्रसन्न-चित्त थे। कड़ी धूप में नंगे पैरों काम करने के कारण आपको लू लग गई, परन्तु जेल-अधिकारियों ने आपके उपचार का कोई प्रबन्ध नहीं किया। परिणामस्वरूप ता० २७ मई को प्रातःकाल अचेत हो गये। फिर भी पौने ग्यारह बजे आपको सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां २८ मई को प्रातःकाल ५ बजकर ५० मिनट पर निज़ामशाही की बर्बरतापूर्ण नीति के कारण अपना नश्वर शरीर त्याग कर अमर शहीदों में जा मिले। मृत्यु का शोक-समाचार नगर में विद्युत की भांति फैल गया। नगर के सहस्रों नर-नारी आपके दर्शनों के लिये सिविल अस्पताल पहुँचे, जहाँ पर पुलिस ने अपनी तानाशाही का फ़तवा देकर यह सिद्ध कर दिया कि हम तुम्हारे मरे हुओं को भी नहीं जलाने देते और शव देने से साफ़ इनकार कर दिया। लगभग तीन हज़ार नर-नारी शव-यात्रा में सम्मिलित हुए। शव के साथ भी पुलिस के अत्याचार का बोलबाला था, परन्तु जनता ने वीर के वियोग के साथ उनके दुर्व्यवहार की ओर ध्यान ही नहीं दिया। देवियां शहीद की अर्थी के सामने शिर झुकाती थीं और पुष्प-मुमुंरों की वर्षा करके वीर-गान गा रही थीं—"भारत-माता के सपूत! अपने जन्म-सिद्ध धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिये तुम्हारा बलिदान धन्य है। तुम्हारी एक-एक रक्त-बूंद से लाखों वीर उत्पन्न होंगे। तुम्हारा नाम संसार में अजर-अमर है और शहीदों के इतिहास में स्वर्ण-अक्षरों में लिखा जायगा।"

श्री नानूमलजी

हैदराबाद जेल में १ जून १९३९ को एक आर्य-वीर का देहान्त हुआ, जिसका नाम श्रीनानूमलजी था। निज़ाम-सरकार के हत-हृदय अधिकारियों के संकेत से हुतात्मा जीव-रहित शरीर की कैसी मिट्टी पलीत की गई और राज-कर्मचारियों की वृत्ति किस चरम-सीमा का उल्लंघन कर गई, इसके ज्ञान के लिये पाठक शहीद के अन्त्येष्टि-कर्म के समाचार को पढ़ें। कठोर-हृदय राजपुरुषों के हाथों से मृत्यु के पश्चात् हुतात्मा के शरीर का दाह संस्कार श्मशान-भूमि में न किया गया। एक दूसरे ही स्थान में उसका शव जलाया गया। इसी प्रकार की धार्मिक-विधि अमल में लाई गई। शव आधा जला कर आधा वैसा ही पड़ा रहने दिया। सत्याग्रह-समिति की ओर से श्री हरिश्चन्द्र जी विद्यार्थी ने अपनी आंखों से उनका आधा जला हुआ धड़ और खोपड़ी को अलग-अलग पड़े देखा, जिसका चित्र भी लिया गया था।

हुतात्मा की मृत्यु का रहस्य

एक जेल-मुक्त सत्याग्रही ने बताया है कि हुतात्मा नानूमलजी नल पर स्नान कर रहे थे। नहाते-नहाते किसी जेल-कर्मचारी ने नल बन्द कर दिया। जब खोलने को कहा गया तो उनके एक ज़ोर से लाठी मारी, जिससे वह अचेत हो गये और उठा कर अस्पताल में पटक दिया। वहीं पर आपका देहान्त हो गया। मृत्यु के पश्चात् उनके शव को टाट और कपड़ों से लपेट दिया और एक अंधेरे स्थान में डाल दिया।

निज़ाम की जेलों में दुर्व्यवहार

वायसराय व ब्रिटिश सरकार से अपील

आर्य सत्याग्रहियों के साथ औरङ्गाबाद जेल में दुर्व्यवहार का रोमांचकारी वर्णन

श्रीयुत अणे का महत्वपूर्ण वक्तव्य

आर्य कांग्रेस, सोलापुर के प्रधान श्रीयुत अणे पिछले दिनों में श्री एल. बी. भोपटकर आदि से मिलने औरंगाबाद जेल गये थे। वहां से लौटकर आपने एक वक्तव्य प्रकाशित किया है, जिसमें बताया गया है कि आर्य सत्याग्रहियों के साथ जेल में कैसा व्यवहार किया जा रहा है। वक्तव्य के अन्त में कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार का यह फर्ज है कि वह अपनी प्रजा के साथ रियासतों में बर्बरतापूर्ण व्यवहार न होने दे; फिर चाहे वह प्रजा जेल में भी बन्द क्यों न हो? मैं वायसराय से अपील करूंगा कि वह हैदराबाद के अधिकारियों पर दबाव डालें कि वे अपने मामले को किसी निष्पक्ष ट्रिब्यूनल के सामने पेश करें।

विस्तृत वक्तव्य और लाठी प्रहार

"गत ११ जून को, यह जान कर कि श्री एल. बी. भोपटकर की निजाम सरकार की सेण्ट्रल जेल में शोचनीय अवस्था है, मैंने वहां जाने का निश्चय किया। मेरी इच्छा जेल में अन्य सत्याग्रही कैदियों से मिलने की भी थी।

मैं 'केसरी' के श्री डी० वी० गोखले के साथ उसी दिन औरंगाबाद चल पड़ा। अनाथ विद्यार्थी गृह के श्री केलकर, श्री भोपटकर तथा उनके पुत्र भी हमारे साथ थे। हम लोग १२ जून को ६॥ बजे प्रातः औरंगाबाद पहुँच गये।

लाठी प्रहार का समाचार

वहां पहुँच कर मैं औरंगाबाद के कुछ वकील मित्रों तथा प्रतिष्ठित नागरिक मित्रों से मिला। वहां यह जान कर मैं निश्चिन्त हुआ कि श्री भोपटकर की हालत शोचनीय नहीं है। वहीं पर मुझे यह समाचार मिला कि ७-८ जून को अनेक सत्याग्रही बन्दियों पर लाठी प्रहार किया गया था। इसके फल स्वरूप बहुत से बन्दी आहत हुए हैं। आक्रमण

जेल के अधिकारियों की आज्ञा से हुआ था। आहतों में श्री धोंधूमामा साठे का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्हें इतनी सख्त चोटें आई थीं कि वे बिना दूसरे की मदद के उठ बैठ भी न सकते थे। यह भी बताया गया कि उन्हें जेल की कोठरी से अस्पताल में पहुँचाया गया है।

अभियुक्त हथकड़ी-बेड़ी में

१२ जून को अदालत में कुछ सत्याग्रहियों के मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट के सामने थी। हम सब भी अदालत पहुँचे। हमने अदालत के बरामदे में लगभग २० अभियुक्तों को बैठे देखा। हमें यह देखकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि उनमें से कितने ही हथकड़ी-बेड़ी पहने थे। इनमें से श्री शङ्करराव दाते बी. ए. तथा श्री बापत एल. एल. बी. को मैंने तथा श्री गोखले ने चटपट पहचान लिया। दोनों ही अभियुक्त अत्यन्त सभ्य, सुशिक्षित और सज्जन हैं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि उन्होंने कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया हो जिससे उन्हें हथकड़ी-बेड़ी डालने की आवश्यकता होती। यह दण्ड उन २५ महाराष्ट्रवादियों को ही दिया गया था जिनका स्वास्थ्य अन्य सत्याग्रहियों से उत्तम था। यहां पर मैंने लाठी प्रहार की खबरें ज्यादा रफ़्तार से प्राप्त कीं।

५ जून को महाशय कृष्ण के साथ ७०० सत्याग्रही गिरफ़्तार किये गये थे। इतने व्यक्तियों के आ पहुँचने से जेल के अधिकारी घबरा उठे और उनके रहने-सहने और भोजन की व्यवस्था न कर सके। इन्हें सराय में ठहराने का बन्दोबस्त किया गया। सराय को जेल बनाकर जैसे-तैसे ठहरने का प्रबन्ध तो कर दिया गया। मगर इतने कैदियों की भोजन व्यवस्था वे लोग बिलकुल नहीं कर सके। कहा गया है कि गिरफ़्तार हो जाने के ३० घंटे बाद उन कैदियों को ज्वार की सिर्फ आधी-आधी रोटी ही खाने को दी गई। इस कठिनाई के विरुद्ध असन्तोष होना स्वाभाविक था। फलतः असन्तोष फैला जेलर ने मुँह बन्द करना चाहा मगर उसे सफलता नहीं मिली। इस पर वह झल्ला उठा। उसने पुलिस को लाठी प्रहार की आज्ञा दी। पुलिस ने हाथ खोल कर लाठियें चलाईं और बाद में घायलों को घसीट-घसीट कर कोठरियों में बन्द कर दिया गया। यहां यह कह देना आवश्यक है कि यह नया जेलर अनुभवहीन और कुशलता से शून्य है। यह कुछ दिन पहले ही यहाँ बदल कर भेजा गया है।

यह घटना ८ जून की है। ७ जून को श्री धोंधूमामा साठे आदि कई बन्दियों ने जेल अधिकारियों से यह शिकायत की कि उन्हें पानी यथेष्ठ नहीं मिलता और पाखाने कई

दिन से साफ नहीं किये गये हैं। जेल अधिकारी पहले ही घबराये हुए थे। यह नई शिकायत सुनकर और बौखला उठे और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन लोगों का मुँह लाठी से बन्द कर दिया जावे। उधर क्या देरी थी। खूब लाठियां बरसीं। श्री साठे बुरी तरह घायल हुए। अगले दिन उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। यह भी ज्ञात हुआ है कि इस घटना के कारण कैदियों को दी गई रिआयतें भी छीन ली गई हैं।

म० कृष्ण से भेंट

इसके बाद तालुकेदार से आज्ञा पाकर मैं महाशय कृष्ण तथा श्री भोपटकर से मिलने के लिये गया। तालुकेदार सभ्य व्यक्ति हैं। जब हमने उसे यह बताया कि कितने ही अभियुक्तों को भी हथकड़ी-बेड़ी डाल दी गई हैं तो वह अचम्भे में पड़ गया। उसने कहा कि मैं फौरन हथकड़ी-बेड़ी उतारने का हुक्म भेजता हूं। आशा है उसने हुक्म भेज दिया होगा।

तदनन्तर हम लोग श्री भोपटकर व महा० कृष्ण से मिले। जब महाशय जी ने हमें यह कहना शुरू किया कि उन्हें दिन भर भोजन नहीं मिला है तो पास खड़े जेल कर्मचारी घबरा उठे और उन्होंने हमारी मुलाकात वहीं रोक दी। इसलिए हम लोग उनसे सिर्फ ५ मिनट ही मिल सके।

अभियुक्तों के मामले देर से निपटाये जाते हैं। जान बूझकर देर लगाई जाती है। सब हालात को देखते हुए मैं हैदराबाद सरकार को कुछ सलाहें देना आवश्यक समझता हूँ—

(१) सत्याग्रही कैदियों के रहन-सहन की व्यवस्था असन्तोषजनक है।

(२) जेलों में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। इसलिये लाठी प्रहार आदि की शिकायतें हो जाती हैं।

(३) औरंगाबाद जेल का नया जेलर उस पद के लिए अयोग्य है। यदि यह कुछ भी समझदारी से काम लेता तो ७-८ जून का लाठी काण्ड न होता।

(४) यद्यपि जेल के अधिकारी लाठी काण्ड से कतई इन्कार करते हैं। तब श्री साठे को इतने जख्म कैसे आये?

(५) एक जेल अधिकारी इस मामले का कारण कुछ दूसरा ही बताता है। उसका कथन है कि इस लाठी प्रहार का मूल कारण भोजन आदि की शिकायत नहीं बल्कि सत्याग्रही कैदियों की जान बूझ कर की हुई शरारत है।

(६) मेरी राय में सिविल सर्जन द्वारा उन सत्याग्रहियों की जाँच कराई जावे जिन्हें लाठी प्रहार के द्वारा जख्मी बताया जाता है।

(७) श्री सोनहरा की मृत्यु बड़ी संदिग्ध अवस्थाओं में हुई है। कहा जाता है कि नके शव पर प्रहारों के चिन्ह थे। अब तक जो दस मौतें जेल में हो चुकी हैं ये सब रहस्य पूर्ण हैं। कहा जाता है कि सभी के जिस्म पर प्रहारों के निशानात थे।

(८) ब्रिटिश सरकार का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा का प्रबन्ध करे। चाहे कैदी ही क्यों न हों मगर उन्हें एक आधीनस्थ रियासत में इस तरह जलील न होने दें। मैं वायसराय महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले में हस्ताक्षेप करें और हैदराबाद पर जोर दें कि वह इस मामले को एक निष्पक्ष कमेटी के हाथ सौंप दे।

वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट आदि अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे कैदियों से मिल सकने की आज्ञा प्रदान की।"

हमारे सर्वाधिकारी

(२)

श्री खुशहालचन्द जी खुरसंद

तीसरे अधिनायक

हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के तीसरे डिक्टेटर श्री ला० खुशहालचन्द जी खुरसंद न केवल आर्यसमाज आन्दोलन के धार्मिक नेता हैं, अपितु आप उत्तरी भारत के लोकप्रिय पत्रकार भी हैं। आपने आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के मुख पत्र 'आर्य गजट-के सम्पादक रूप में सन १९०७ में आर्य समाज की सेवा आरम्भ की। २५ वर्ष तक उसके सम्पादक रहने के अलावा आप १० वर्ष तक सभा के जनरल सेक्रेटरी रहे तथा गत तीन साल से प्रधान हैं।

सन् १९२२ में आप अपनी रोगी धर्मपत्नी को छोड़, मालाबार के हिन्दुओं की रक्षा के निमित्त रवाना हुये तथा वहाँ तीन वर्ष तक कठिन परिश्रम करके सहस्रों हिन्दुओं को भूख और विनाश से बचाया। सन् १९२५ में, आप जम्मू और काशमीर रियासत के अकाल पीड़ितों की रक्षा करने के लिये वहाँ गये तथा वहाँ के असाधारण अस्वस्थ वातावरण में बहुत तेज बुखार से पीड़ित रहते हुये भी दूरस्थ ग्रामों में भोजन तथा वस्त्र वितरण का कार्य करते रहे। कोहाट के दंगे, बन्नू के आक्रमण-कांगड़ा के भूचाल, राजपूताने के अकाल तथा डेराइस्माइल खाँ के दंगों के अवसर पर लाला जी सहृदयता के साथ पीड़ितों की सहायता करने तथा उन्हें सान्त्वना देने के लिये हर समय तत्पर रहे काशमीर, सिन्ध, पंजाब, सीमाप्रान्त, और राजपूताना के हिन्दू आपका बड़ा आदर करते हैं। सन १९०७ के बाद आप आर्यसमाज का कुछ न-कुछ कार्य अवश्य ही करते रहे हैं।

सन् १९२९ में अपने पत्र 'दैनिक मिलाप' में एक लेख लिखने के कारण आपको ९ मास की सख्त सजा की आज्ञा मिली, परन्तु बाद में यह आज्ञा केवल ९ दिन की करदी गई। सन् १९३० में आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री रणवीर बी.ए. को गवर्नर गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में सेशन जज द्वारा मृत्यु दण्ड की आज्ञा सुना दी गई मगर बाद में अपील में छोड़ दिये गये। उसी समय आपके दूसरे पुत्र श्री.यश को भी कांग्रेस असहयोग आन्दोलन में तीन बार गिरफ्तार किया गया। उन्हीं दिनों जोगिन्द्रनगर की प्रचार यात्रा में आपको रीढ़ की हड्डी टूट जानेके कारण तीन मास तक बिस्तरे पर रहना पड़ा। परन्तु इस विपत्ति काल में भी लाला जी सदा प्रसन्न तथा हंसमुख दिखाई दिये।

सन् १९३७ में आपने लाहौर के समीप बनने वाले बूचड़खाने के विरुद्ध आन्दोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उसी वर्ष आपने पंजाब में युनियनिस्ट सरकार के काले कानूनों के विरुद्ध आन्दोलन का नेतृत्व किया जो कि अब तक भी चल रहा है। आप पंजाब तथा बाहर के अनेक डी. ए. वी. स्कूलों के संस्थापक हैं।

नवम्बर १९३८ में मृत्युशय्या पर पड़े हुये भारत के आर्यसमाज के आदरणीय नेता श्री महात्मा हंसराज जी ने कहा था कि जब तक आर्यसमाज की बागडोर लाला जी के हाथों में है, तब तक मुझे विश्वास है कि मेरा कार्य तथा स्वामी दयानन्द का जीवन-उद्देश्य सफलता पूर्वक पनपता रहेगा।

लाला जी की आत्मा हैदराबाद रियासत में अपने धर्म पर लगाई हुई पाबन्दियों को सहन न कर सकी और आप सत्याग्रह आरम्भ करने तथा उसके लिये कष्ट सहने को विवश होगये। आपको विदा करने के अवसर पर श्रीयुत अणे की अध्यक्षता में हुई सार्वजनिक सभा में आपने घोषणा की थी कि उनका आन्दोलन न साम्प्रदायिक है, न राजनैतिक और न मुसलमानों या निजाम हैदराबाद के विरुद्ध। यह केवल आर्यसमाज के कुछ धार्मिक कार्यों पर लगाई हुई पाबन्दियों के विरुद्ध है और जब तक ये पाबन्दियां नहीं हटतीं, शान्ति स्थापित होनी असम्भव है।

दो सौ सत्याग्रहियों के साथ स्पेशल ट्रेन से आपने शोलापुर से २२ मार्च को सत्याग्रह करने के लिये हैदराबाद कूच किया।

श्री पं० ज्ञानेन्द्र जी 'सिद्धान्त भूषण'

(७ वें सर्वाधिकारी)

हमारे ७ वें डिक्टेटर पं० ज्ञानेन्द्र जी का जन्म गुजरात प्रान्त के बड़ादो ग्राम में सन् १९१० में हुआ था। बाल्यावस्था में माता पिता के देहान्त हो जाने से आप अनाथ हो गये। आप को बड़ादो के फतेसिंहराव आर्य अनाथालय में प्रविष्ट कराया गया। वहाँ आपकी प्रारम्भिक शिक्षा होने के बाद हाईस्कूल में आपका माध्यमिक शिक्षण शुरू हुआ।

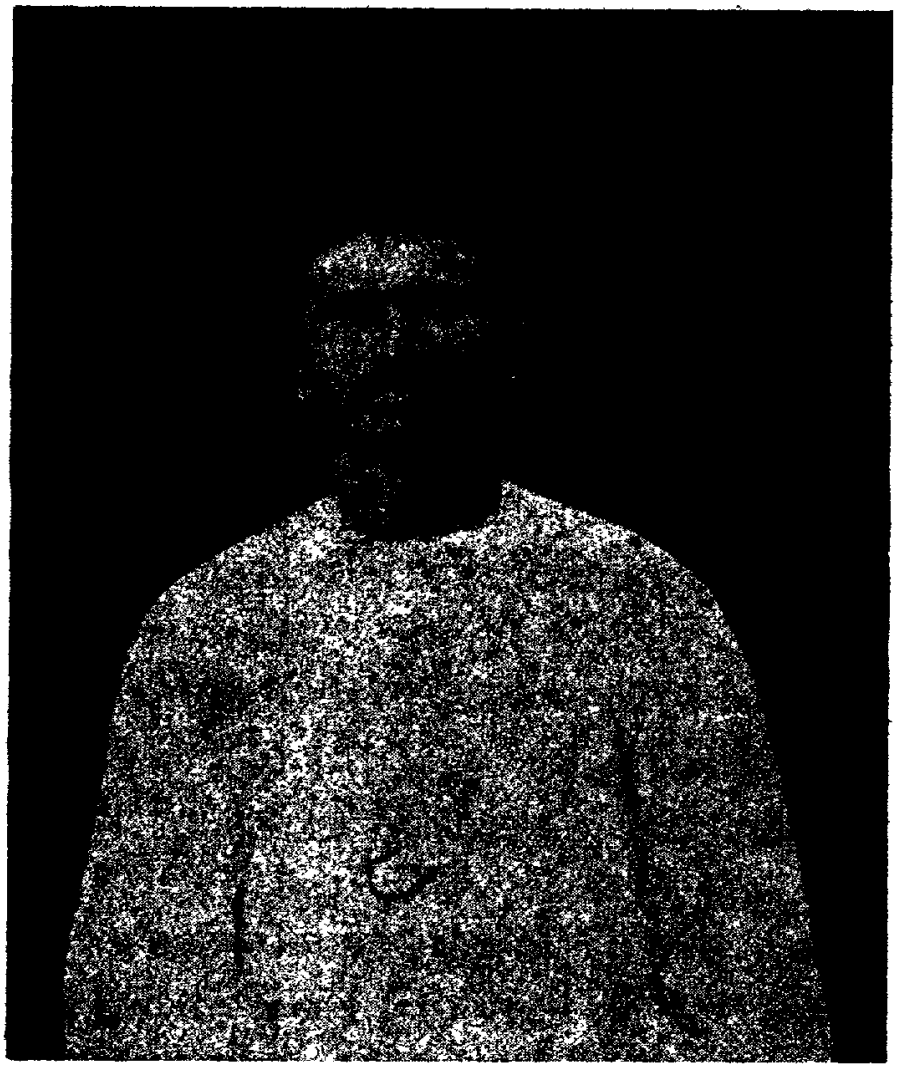

श्री पं० ज्ञानेन्द्र जी (७ वें सर्वाधिकारी)

एक दिन स्कूल में आपको ईसाई शिक्षक से धर्म विषय में मतभेद हो गया, और तभी से आपकी मनोवृत्ति धर्म की ओर सदा के लिए झुक गई। आप पढ़ने में बड़े तेज़ रहे। अतः आपको उच्चतर अभ्यास के लिए विलायत भेजने की व्यवस्था आपके एकमात्र मामा ने की, मगर ये तो धर्म के दीवाने थे! इनके आत्मा की धार्मिक प्यास, विलायत के नमकीन वातावरण में कैसे बुझ सकती थी अतः आपने लाहौर का रास्ता लिया और वहाँ ३ साल तक दयानन्द उपदेशक विद्यालय में पू० स्वा० श्री० स्वतन्त्रानन्द जी की छत्रछाया में रह कर धार्मिक ज्ञान और शास्त्रों का अध्ययन किया। आपको सिद्धान्त भूषण की उपाधि दी गई। एक साल तक पंजाब में उपदेशक के नाते आपने खूब भ्रमण किया, मगर मातृभूमि की पुकार एक दिन उन्हें सुनाई दी, और आपने निश्चय कर लिया कि आपका आर्यसमाज की सेवा का क्षेत्र गुजरात प्रान्त ही होगा। हमारे गुजरात प्रान्त में स्व० स्वामी नित्यानन्द

जी तथा स्व० पं० बालकृष्ण जी के बाद आर्यसमाज का प्रचार कुछ शिथिल हुआ है। इसी कमी को पूरा करने की हमारे पं० ज्ञानेन्द्र जी ने ठानी है। कुछ काल तक सूपा गुरुकुल में सेवा देकर अब स्वतन्त्र रूप से प्रचार कार्य करते हैं। अगर आप हमेशा मुम्बई प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के आधीन रहकर अपनी प्रवृत्ति चलाते हैं। अभी पिछले साल हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन पर प्रांतीय प्रतिनिधि सभा की ओर से जो प्रचार पुरोगम बनाया गया था उसकी अधिकांश सफलता का श्रेय आपका है। आप नवयुवक, ब्रह्मचारी, सदाचारी और धर्मप्रवीण हैं। गुजरात काठियावाड़ में प्रचार के लिये आपने मरोली (जिला सूरत) में एक 'ज्ञान मन्दिर' खोल रखा है। वहाँ से प्रचार की प्रवृत्ति चलाते हैं। एक ओर जहां आप अच्छे व्याख्याता हैं, वहाँ दूसरी ओर आप अच्छे लेखक भी हैं। हिन्दी और गुजराती भाषाओं का आपको प्रौढ़ ज्ञान है गुजराती भाषा के आर्यसमाज विषयक साहित्य में आपने धर्म संस्कृति शिक्षा आदि अनेक विषयों पर कई छोटी बड़ी पुस्तकें लिखकर अच्छी वृद्धि की है। अपने नैतिक जीवन में पण्डित जी बड़े सीधे सादे और निर्व्यसनी हैं। व्यसन है तो प्रचार का सादगी और मितव्ययता आपकी सहचरियाँ हैं।

ईश्वर-विश्वास आपकी दौलत है। स्वाध्याय आपका इष्ट मित्र है। आपने शाला और स्कूलों के बालकों का सदाचार बढ़ाने के लिए खासा प्रयत्न किया है। आपके वास्तव्य से गुजरात और काठियावाड़ को एक अच्छे प्रचारक मिल गये हैं। माता गुजरात को आप से धर्मप्रचार में बहुत आशाएं हैं। परमात्मा इन्हें दीर्घायु करें और गुजराती जनता की भी आशा सफल हो। आप बम्बई प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा की प्रेरणा से सरमुखतयार= सर्वाधिकारी बन कर गये हैं। अतः बम्बई प्रान्त को इसका गौरव है। गुजरात काठियावाड़ की ओर से आपका उचित सम्मान किया गया। आपने २२ जून को अपने सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह कर धार्मिक यज्ञ में अपनी आहुति दी है।

आर्य्य समाज की प्रसुप्त शक्ति का जागरण

हैद्राबाद में आर्य्य सत्याग्रह

(वीर 'अर्जुन' का आदेश)

हैदराबाद का आर्यसत्याग्रह जारी हुए ५ मास समाप्त होने लगे हैं। इस अरसे में १०५५६ सत्याग्रही जेल जा चुके हैं और बहुत से सत्याग्रही मनमाड़ आदि के मार्ग में हैं तथा सैंकड़ों आर्यसत्याग्रही शीघ्र ही हैदराबाद जाने का निश्चय किये हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि करीब १५ हजार आर्यस्वयंसेवक इस समय तक संग्राम में कूद पड़े हैं या तैयार हैं। आर्य समाज की जनसंख्या देखते हुए यह तादाद बहुत बड़ी है, आश्चर्य जनक है। आर्य-देवियों में भी सत्याग्रह के लिए उत्साह पैदा हो गया है, लेकिन अभी उन्हें आज्ञा नहीं मिली, अन्यथा सत्याग्रहियों की संख्या और भी अधिक होती।

इस संख्या का महत्व और भी बढ़ जाता है, जब हम देखते हैं कि अख़बारों और सभाओं द्वारा निजाम हैद्राबाद की जेलों में होने वाले भीषण, अमानुषिक और रोमांचकारी यातनाओं का हाल जान कर भी सत्याग्रहियों के उत्साह में कोई कमी नहीं हुई है। वहां के जेल आज भी प्राचीन बर्बर युग की याद दिलाते हैं। ब्रिटिश भारत में चलने वाले सत्याग्रह के दिनों में समस्त भारत से ७०-८० हजार स्वयंसेवक जेल गये थे। वह आन्दोलन समस्त भारत का आन्दोलन था उसमें मुसलमान भी गये थे और स्त्रियां भी जेल गई थीं। फिर जेलों की दशा हैदराबाद के जेलों से हजार गुना अच्छी थी। जेलों के अधिकांश अधिकारी भले ही नियमों में बन्धे होते थे, लेकिन कैदियों की वीरता और देश भक्ति का आदर करते थे। उनके व्यवहार में कुछ उदाहरणों को छोड़ कर भीषणता नहीं थी। इसके विपरीत आर्य सत्याग्रह का क्षेत्र बहुत सीमित है। ज्यादातर आर्य समाजी जनता ही इसका संचालन कर रही है। कहीं-कहीं हिन्दुओं और सिखों का भी सहयोग इसे प्राप्त हुआ है। भारत का बहुत कम भाग ऐसा है, जहां आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ है, भले ही उसकी ज्योति सब प्रांतों में जगमगाने लगी है। इस लिए उसके संचालन का सब उत्तरदायित्व भी उन्हीं प्रान्तों के सीमित समाज पर है। ऐसी स्थिति में १०५५६ या १५००० की संख्या अत्यन्त चमत्कारपूर्ण और आश्चर्यकारक है।

धर्म के नाम पर संसार में हजारों युद्ध हुए हैं और लाखों जीवन नष्ट हुए हैं। लेकिन आर्य सत्याग्रह जैसे सात्विक युद्ध का उदाहरण विरला ही मिलेगा, जिसमें सैकड़ों हजारों मील दूर जाकर अपने भाइयों की धार्मिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये बिना विरोध के एक अंगुली उठाये स्वयंसेवक सब प्रकार के बलिदान के लिए उत्सुक रहते हैं।

आर्यसमाज के अन्दर आज उत्साह, त्याग और बलिदान की जो भावना दृष्टिगोचर हो रही है, वह अद्भुत है, चमत्कार-पूर्ण है। समाज के नेताओं और राष्ट्र के नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे इस अद्भुत शक्ति के महत्व को पहचानें, उसका आदर करें और यह सोचें कि समस्त शक्ति का राष्ट्र के उत्थान के लिए किस तरह प्रयोग किया जा सकता है। इस शक्ति को आदर और सहानुभूति से अपनाने की कोशिश करनी चाहिये। लेकिन हमें दुःख है कि राष्ट्र के सब नेताओं ने अभी तक इस शक्ति के महत्व को नहीं समझा। वे इसे अपनाने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग इसका आदर करते हैं, लेकिन खुल्लमखुल्ला उनसे तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करते हुए संकोच करते हैं। हम राष्ट्र के नेताओं से इन पंक्तियों द्वारा प्रार्थना करना चाहते हैं कि वे इस शक्ति को अनुभव करें और उसके मार्ग में बाधाएँ न डालें, जैसा कि मदरास सरकार ने किया है। इसके साथ ही हम आर्य नेताओं से अनुरोध करना चाहते हैं। कि सरहैदरी, यारजंग बहादुर आदि के कारण आर्य समाज की जो प्रसुप्त शक्ति जागउठी है, उसे व्यवस्था और नियन्त्रण में रखें, क्योंकि व्यवस्थित शक्ति जहां सफलता की कुंजी है, वहां अव्यवस्थित शक्ति समाज को गहरे गढ़े में पटक देगी। यह शक्ति निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी और संसार की कोई शक्ति उसे दबा नहीं सकती।

बलिदान

लेखक—विद्यानिधि सिद्धान्तालंकार

(हैदराबाद सत्याग्रह के सम्बन्ध में घटने वाली स्मरणीय घटनायें)

(१)

खून से लिखा पत्र

विद्यार्थी जीवन निश्चिन्तता का जीवन होता है। मगर कृष्ण और उसके दो साथी विष्णु और धुरेन्द्र आज बड़े चिन्तित प्रतीत होते हैं। जब से हैदराबाद का धर्म युद्ध चला है उनके युवक हृदयों में भी कुछ कर दिखाने की इच्छा है। हैदराबाद की जेलों के कष्ट, वहां आये दिन होने वाले लाठी प्रहार और रहस्य पूर्ण भीषण मौतों के समाचार पढ़ कर उनके हृदयों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। मगर मुश्किल यह है कि तीनों विद्यार्थी नाबालिग और कम उम्र हैं। उन्हें सत्याग्रही सेना में भरती होने का अधिकार नहीं है। अपनी इसी बेबसी ने उन्हें चिन्ता में डाला हुआ है।

एकाएक उनके हृदय में एक विचार उठता है और उनके चेहरे चमक उठते हैं। सोचते हैं यदि उनके रक्त से लिखा हुआ एक प्रार्थना पत्र अध्यक्ष की सेवा में भेजा जाय तो क्या उन पर इसका प्रभाव न पड़ेगा? क्या वे उनके 'केस' को 'स्पेशल' समझ कर उन्हें सत्याग्रही सेना में भरती होने की आज्ञा न दे देंगे?

विचार तत्काल कार्य में परिणत किया गया। तेज़ चाकू निकाल कर तीनों शरीरों में से खून निकाला जाता है और उससे निम्न लिखित पत्र तय्यार किया जाता है।

"मान्यवर अध्यक्षजी,

नमस्ते।

हमें यह देख कर बड़ी लज्जा आती है कि कई सत्याग्रही दो दो बार जेल जा चुके हैं मगर हमें अब तक जेल जाने की आज्ञा नहीं दी जाती। इस हालत को अब हम और ज्यादः बर्दाश्त नहीं कर सकते। अतः हमें सत्याग्रही सेना में भरती कर धर्म सेवा का पुण्य अवसर प्रदान किया जावे। हमारी आत्मा जेल में जाने के लिये व्याकुल हो रही है। अपने

धर्मबन्धुओं का कष्ट हमसे अब और अधिक नहीं देखा जाता। आशा है हमारे खून से लिखी यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार की जायगी।

विनीत—

कृष्णदत्त

विष्णुचन्द्र

धुरेन्द्र

बड़े यत्न से लपेट कर पत्र सत्याग्रह कैम्प में भेज दिया जाता है। मगर कहने की आवश्यकता नहीं प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई।

× × × ×

(२)

धर्म बनाम पत्नी

पति-पत्नी का विशुद्ध प्रेम संसार-प्रसिद्ध है। संसार का कोमल साहित्य प्रेम की अद्भुत कथाओं से भरा पड़ा है। मगर संसार में ऐसी घटनाओं की भी कमी नहीं है जहां पत्नि-प्रेम धर्म प्रेम के आगे पराभूत हुआ है। रामचन्द्र शारदा के साथ यही हुआ। निज़ाम स्टेट निवासी यह युवक सत्याग्रही सेना में भरती होकर जेल में बन्दी हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में उसका घर उजड़ गया। उसके वियोग दुःख को न सहकर उसकी पत्नी तड़प २ कर मर गई। बच्चे अनाथ हो गये। सहारे को सिर्फ़ बूढ़ा बाप रह गया। एक दिन लकड़ी टेकता हुआ वृद्ध इस शोक समाचार को लेकर जेल में पहुँचा और जैसे तैसे शारदा को यह समाचार सुनाया। अपनी निर्दोष पत्नी की मृत्यु से बेचारे शारदा का हृदय बेचैन हो गया। अपने अल्पकालीन दाम्पत्य जीवन की कितनी ही अतीत स्मृतियां उसे रह रह कर याद आने लगीं। आँखों से बरबस आँसू निकल पड़े।

अच्छा मौका समझ कर पिता बोले "बेटा, अब मांफी माँग कर घर चल। वहाँ छोटे २ बच्चों की सुध ले। माँ के बिना उनका जीवन भी संकट में है।"

सुनते ही शारदा के आँसू सूख गये। मस्तक ऊँचा हो गया। बोला "पिता जी यदि सारा परिवार भी मर जाय तब भी मैं माफी मांग कर जेल से बाहर न जाऊँगा।"

वार्डरों ने देखा बूढ़ा बाप आँसू पोंछता हुआ जेल से बाहर निकल गया।

× × × ×

(३)

चार सौ पैसे

उस दिन दांगला हिल की एकान्त वासिनी अधित्यकाओं ने भी हैदराबाद सत्याग्रह के लोम-हर्षक समाचार सुने। घाटियों में उनकी गूँज प्रतिध्वनित हुई। जनता जागी। मास्टर लोकनाथ के छोटे भाई रामलाल का छोटा सा हृदय भी उनमें से एक था।

उसने सोचा—चलो, हम भी हैदराबाद चलें। मगर पीछे पता चला कि यह तो हो न सकेगा। चूँकि १२-१३ साल के लड़के भरती नहीं किये जा सकते। तब फिर ?··· चलो, कुछ तो करेंगे ही। तन से न सही तो धन से सही। धन ही इकट्ठा करेंगे। मगर उस बेचारे उत्तरदायित्वशून्य अकिंचन बालक को पैसा भी कौन देता। धन इकट्ठा करना भी 'बिग गन्ज़' का काम है। ··· ··· तो क्या हुआ ? ··· ··· यदि 'बिग गन्ज़' बड़े २ आदमियों से बड़ी २ रकमें वसूल करती हैं तो हम 'स्माल गन' सही। हम छोटों से छोटी २ रकमें वसूल करेंगे।

हो गया फैसला। बच्चे की मेहनत व्यर्थ न गई। दर २ झोली फैला कर उसने अपने सरीखी नन्हीं श्रेणी से ४०० पैसे जुटा ही लिए।

जब उस छोटी सी मगर भारी रकम को अपनी छोटी सी मगर मज़बूत झोली में भर कर वह सत्याग्रह कैम्प की तरफ़ चला, उसके हृदय मन्दिर में बैठे देवता ने उसे नीरव आशीर्वाद दिया। उसका सिर ऊँचा उठा हुआ था। जब उसने कैम्प के अधिकारी के सामने अपने पैसे उलट दिये, अदृश्य देवताओं ने देखा, एक एक पैसा सोने की गिन्नी था।

× × × ×

(४)

सुनहरा

नाम वालों का हर काम नामी होजाता है। इसीलिए महाशय कृष्ण का जत्था भी नामी था। सैंकड़ों युवक उसमें भरती हुए थे। पंजाब का नवयुवक सुनहरा भी उसीमें था। गौरवर्ण, प्रसन्नमुख, सुगठित शरीर, प्रिय भाषण—उसका सभी कुछ आकर्षक था। अभी एक महीना पहले उसका विवाह हुआ था। वधू के चकित नेत्रों में आशा का उन्माद और जीवन की अतृप्त अभिलाषा ! सोचती—पति सेवा का दुर्लभ अवसर देकर भगवान ने उसे धन्य कर दिया है। मगर सुनहरा कुछ और सोच रहा था। हैदराबाद की

रोमांचकारी खबरें उसके हृदय को व्यथित किया करतीं। निज़ाम की भयानक जेलों से आनेवाली हथकड़ियों की झंकार उसे दिन रात सुनाई दिया करती। सोचता—उन लोगों के भी तो घर-बार है। इष्ट परिजनें हैं। बच्चे हैं। सब कुछ है। जब वे सब सुखों को तिलांजलि दे श्रेय मार्ग का अवलम्बन लिये बैठे हैं तो क्या एक मैं ही कायरों की भांति घर के बन्धनों में बंधा रहूँगा? धर्म सेवा का पुनीत अवसर क्या बार २ मिला करता है?

ऐसे ही समय महाशय कृष्ण का आह्वान उसे सुनाई दिया। वह सब बन्धन तुड़ा तय्यार होगया। बधू ने पूछा—कब लौटोगे?

"जब भगवान लौटा दें"—सुनहरा बोला।

"ज़रा जल्दी लौटना। मैं यहां बैठी तुम्हारी राह देखूंगी।" कातर स्वर से बधू बोली।

सुनहरा ने अन्तिम बार बधू के निर्दोष मुख की तरफ देखा। दो आँसू मोती बन कर कपोलों पर ढुलक रहे थे। वह और न ठहर सका चट पट घर से बाहर निकल गया। जब तक वह ओझल न हो गया किवाड़ों में से पत्नी एकटक उसे देखती रही।

× × × ×

जत्था हैदराबाद-राज्य में घुसा और गिरफ़्तार होगया। मदान्ध हाथोंसे लाठियों का प्रथम पुरस्कार हाथों हाथ प्राप्त हुआ। सब के साथ सुनहरा भी जेल में बन्द कर दिया गया मगर अपने साथियों के साथ वह देर तक जेल में न ठहर सका! जेल के नर-पशुओं ने उसे जल्दी ही जेल और शरीर के बन्धन से सदा के लिये मुक्त कर दिया। जेल की काल कोठरी में उसे किन असह्य यातनाओं और कठोर यन्त्रणाओं को सहना पड़ा, आते हुए इन भयानक रहस्यों को भी वह अपने साथ ही ले गया। उसके मृत शरीर पर जिन संगीन चोटों के निशान पाये गये थे वे किन क्रूर हाथों के पुरस्कार थे, उसके निष्प्राण शरीर ने यह भेद भी किसी को नहीं दिया। जब सहस्रों श्मशान यात्रियों के सन्मुख उसका निर्दोष शरीर चिता पर रख कर भस्म कर दिया गया तब उसकी अकेली आत्मा निर्बन्ध हो गई। सिर्फ धर्म की एक मात्र वह ज्योति उसके साथ शेष रह गई जिसके लिये उसने अपने अमूल्य प्राणों का होम किया था।

तो जाओ, सुनहरा, स्वर्ग लोक में जाओ। उस दिव्य धाम में जाओ जिसे तुमने अपने पुण्य से जीता है। वहां·····उस पार·····जहां टंकारा के योगी तुम्हारी

प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहाँ भगवान् का दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे स्वागत के लिये हाथ फैलाये खड़ा है! नवयुवक आओ।

× × × ×

(५)

पिता या पुत्र

पंजाब में अलीपुर एक कस्बा है। ठाकुर दौलत राम वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनका एक युवक पुत्र भी है। 'प्रताप' 'मिलाप' के दैनिक अध्ययन ने उनके हृदय में सत्याग्रह का बीज आरोपित कर दिया था। हैदराबाद सम्बन्धी नित्य नए समाचारों के साथ २ उनकी हृदय-भूमि नित्य सिंचित होती। दोनों सत्याग्रही सेना में भरती होने को लालायित थे। मगर मजा यह कि अपने इन विचारों को एक दूसरे को बताने की हिम्मत दोनों में न थी। दोनों अपने दिल में ही सोचते और दिल को ही सुनाते थे।

एक दिन ठाकुर दौलत राम को उनके पुत्र ने कह ही तो दिया।

"पिता जी, मानो तो एक बात कहूँ"

'कह'—पिता ने कहा।

"मानो तो कहूँ"

"अच्छा कह तो सही"

"अब आपतो यहां हो ही। मैं जरा हैदराबाद हो आता। जत्था जारहा है।"

ठाकुर को जैसे किसी ने गोली मारदी हो। ठीक यही तो वे भी सोच रहे थे। कई दिन से यही तो उनकी चिंता का विषय था। घर भर में वे एक मात्र अपने को ही सत्याग्रही समझ रहे थे। मगर आज अपने पुत्र को भी सत्याग्रही बनते देख वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें पुत्र की इस धर्म लिप्सा पर आनन्द तो अवश्य हुआ मगर अपने से पहिले उसका हैदराबाद जाना किसी तरह सह्य न हुआ। पहिला अधिकार तो उनका है। बोले—तू अभी से जाकर क्या करेगा? जब तेरी वारी आवे तूने भी हो आना। पहली वारी तो मेरी है न।

अब पुत्र के बोलने की वारी थी। अपने पिता की तरह वह भी घर-भर में एकमात्र अपने को ही सत्याग्रही समझे बैठा था। उसे स्वप्न में भी ख्याल न था कि उसकी तरह उसके पिता भी उसी कल्याण मार्ग के पथिक हैं। उसे अपने पिता की इस धर्म-निष्ठा पर

प्रसन्नता तो अत्यन्त हुई मगर अपने से पहिले उनका हैदराबाद जाना उसे भी सह्य न हुआ। बोला—

"यदि बारी और अधिकार का ही प्रश्न है तो शास्त्र का निर्णय मानिये। शास्त्र में लिखा है जिस पुत्र के सामने पिता कष्टों को झेलता है वह पुत्र नरकगामी होता है। तब अपने रहते मैं आपको हैदराबाद के कष्ट क्योंकर झेलने दूं।

मगर ठाकुर भी पुराने तार्किक थे। और फिर पुराने आर्य समाजी। करेला और नीम चढ़ा। तर्क बढ़ गया। संस्कार विधि, आर्याभिविनय और सत्यार्थ प्रकाश से लेकर वेद की ऋचाओं तक कोई ऐसा ग्रन्थ न बचा जिसके प्रमाण न पेश किए गए हों सिर्फ दर्शन रह गए। बेचारे दर्शनकारों को क्या पता कि एक दिन हैदराबाद के प्रश्न को लेकर उसके प्रमाणों की भी आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो लगते हाथ वे इस बारे में भी एक आध सूत्र लिख जाते। मतलब यह है कि अधिकार के प्रश्न को लेकर तर्क इतना बढ़ा कि मकान की छतें भी हिल उठीं। अड़ौसी पड़ौसी घबरा उठे। अन्त में लोगों ने दौड़ कर आर्य समाज की शरण ली। हाथ जोड़ कर बोले —महाराज, किसी तरह बाप बेटे के इस बखेड़े को निमटाओ। इस तरह का झगड़ा तो यहां पहिले कभी सुनने में नहीं आया था नाक में दम होगया है।

निदान अभियोग आर्य समाज की अदालत में पहुँचा। विषय वही था—हैदराबाद पिता पुत्र वादी प्रतिवादी थे। वादी कहता था हैदराबाद सत्याग्रह में जाने का प्रथम अधिकार उसका है। प्रतिवादी कहता था उसका है। बेचारे न्यायाधीश का दिमाग़ भी चकरा गया। उसे एकतर्फा डिग्री देने की हिम्मत ही न हुई। बीच का रास्ता निकाला गया। फैसला हुआ अभियुक्त घर पर ही रहें। समय आने पर आर्य समाज जिसे प्रथम अधिकारी समझेगा भेज देगा।

सुनते हैं पिता पुत्र दोनों बड़े चाव से समय' की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(६)

गृह त्यागी

लुधियाना में मैसर्स ऊधोमल श्यामलाल के नाम से एक मशहूर फर्म है। इसके मालिक हैं ला० बनारसी दास। आप सहृदय और कर्म निष्ठ सज्जन हैं। इन दिनों जब लुधियाना में हैदराबाद सत्याग्रह का आन्दोलन पूरे यौवन पर है और नगर वासी असीम

उत्साह से उसकी सहायता कर रहे हैं—बनारसी दास की उदासीनता को देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा था। किसी भी धार्मिक या राजनैतिक आन्दोलन में वे आज तक चुप न रहे थे। मगर इस बार उन्हें इस तरह मौन देखकर लोग समझ गये कि इन बादलों में पानी नहीं है। घरवाले निश्चिन्त थे ही।

कृष्णपक्ष की काली रात थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इक्के दुक्के लोगों के सिवाय सड़कों पर कोई मनुष्य नहीं दीख रहा था। इस समय सड़क वाली बत्तियों के प्रकाश से बचता हुआ एक व्यक्ति शहर के बाहर जा रहा था। 'सोने वालो, जागते रहो, कहने वाले चौकीदार ने एक गली में से निकल कर जाने वाले से पूछा "कौन है ?" जाने वाले ने सिर्फ इतना ही कहा "मुसाफ़िर" और आगे बढ़ गया।

× × ×

चौथे दिन ला० बनारसी दास के व्याकुल घर वालों को एक पत्र मिलता है। लिखा था "मैं हैदराबाद सत्याग्रह के धर्म युद्ध में जा रहा हूं। पैसा पास न होने के कारण पैदल ही यात्रा कर रहा हूँ। यदि किसी ने मेरा पीछा किया तो उसे निराश होना पड़ेगा।" पत्र पढ़कर घर वाले निराश और नगर वासी स्तम्भित रह गये। जिस बादल को वे जलहीन समझते थे उसे यों बरसते देख श्रद्धा से उनके सिर झुक गये।

कुछ दिनों बाद पता लगा बनारसीदास हैदराबाद में गिरफ़्तार होगये। उसे एक साल की कड़ी क़ैद का दण्ड मिला है। मोहनभोग और मक्खन खाने वाले युवक ने बाजरे की सूखी रोटी पाकर अपने को धन्य माना।

(७)

मि० खुराना

पंजाब ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक मामूली सा क़स्बा है—करोड़ पक्का। कस्बे में खत्रियों के घर बहुत हैं। पंजाबी रमणियां एक तो वैसे ही आमोद प्रिय होती हैं मगर आज उनके मोहल्ले में विशेष चहल पहल थी। जसवन्तराय खुराना के विवाह की तय्यारियां हो रही हैं। बिरादरी को दावत देने का आयोजन हो रहा है। तरह तरह के रंगीन वस्त्र पहने युवतियां मोहल्ले में घूम रही हैं।

खुराना के चहरे पर चाव था। मामूली बात थी। मोहल्ले वाले कहते 'शादी का चाव सभी को होता है'। मगर उस युवक के चाव का रहस्य कौन जानता था? जब

दुनियां वाले उसके विवाह के मनसूबे बांध रहे थे, स्त्रियां गीत गा रही थीं और कुल-पुरोहित तथा बिरादरी वाले ख़स्ता कचौरियों की कल्पना में मग्न थे। खुराना का कल्पना-पखेरू उस जरा से क़स्बे से उड़कर हैदराबाद जेल में पड़े उन त्यागियों के दर्शन करता फिर रहा था जो दोपहर की कड़ी धूप में जलती हुई जमीन पर नंगे पांव ईंटें ढो रहे थे। जो प्रचंड गरमी की रातों में मच्छरों और सांपों से भरी बन्द कोठरियों में पसीने का स्नान कर रहे थे। निर्दय लाठियों और बन्दूक के कुन्दों की मार से जिनके निर्दोष शरीर जख्मी कर दिये गये थे। खुराना सोचता यह है जिन्दगी। सांसारिक दुखों को तो पशु भी भोगते हैं। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। विवाह की तय्यारियों से वह उकता गया था। अन्त में १ जून का वह दिन भी आया जब अपने विवाह की तय्यारियों और भावी पत्नी के आशा कुसुमों को रौंद कर खुराना ने हैदराबाद की कठोर राह पकड़ ली। अपने जत्थे के साथ वह निजाम की हद में घुसते ही गिरफ़्तार कर लिया गया। शाम होते होते वह जेल के सीखचों में बन्द था। मगर जैसे गरम लू खाकर आमों में रस भर आता है हैदराबाद की निर्दय यातनाओं से खुराना की अन्तरात्मा हरी भरी हो रही थी।

हैदराबाद में आर्यसमाज का शानदार इतिहास तय्यार हो रहा है

श्री स्वामी भवानीदयाल संन्यासी का वक्तव्य

"प्राय: लोगों का यह विश्वास है कि 'सत्याग्रह' विश्ववंद्य गांधी जी की कृति है। परन्तु यथार्थ में, यदि यह श्रेय किसी को मिल सकता है तो वे आर्य्य-समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती हैं, जिन्होंने वर्तमान भारत का निर्माण किया है।

सत्य की रक्षा के लिये आज बलिदान तक दे देने का नाम ही सत्याग्रह है। इस सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द का समग्र जीवन ऐसी अनूठी और अमूल्य घटनाओं से भरा पड़ा है। वे सत्य की वेदी पर अपना बलिदान करने के लिये सदा उद्यत रहे।"

भवानीदयाल जी संन्यासी

आर्यसमाज भवन कलकत्ता मे विगत रविवार को "हैदराबाद में हिन्दुओं और आर्योंके प्रश्न" यह भाषण देते हुए नेटाल इण्डियन कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका के प्रधान स्वामी भवानीदयाल सन्यासी ने जनता के सामने उपर्युक्त शब्द कहे।

उन्होंने कहा—

"मैं चाहता तो न था कि हैदराबाद सत्याग्रह के बारे में कुछ कहता, मगर पिछले रविवार को जब आर्य समाज मन्दिर में हैदराबाद सम्बन्धी प्रश्न पर चर्चा हो रही थी तो मुझे किसी आवश्यक कार्यवश उठकर चला जाना पड़ा था। मेरी इस हरकत का लोगों ने यह अर्थ लगाया कि मुझ सरीखे कांग्रेसी को हैदराबाद सम्बन्धी प्रश्नों से कोई सरोकार नहीं है। इस भ्रम को दूर कर देने के लिये मैं हैदराबाद के प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करना आवश्यक समझता हूँ।

बात यह है कि जब मैं हैदराबाद के आन्दोलन में भाग नहीं ले सकता तो नियमानुसार मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना भी न चाहिये और फिर मैं भारत में अफ्रीका के जटिल प्रश्न को लेकर आया हूँ तब भी हैदराबाद में होनेवाली घटनायें आर्यों के लिये नई नहीं हैं।

प्रायः लोगों का यह विश्वास है कि 'सत्याग्रह' विश्ववन्द्य गांधी जी की कृति है परन्तु यथार्थ में यदि यह श्रेय किसी को मिल सकता है तो वह आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती हैं जिन्होंने वर्तमान भारत का अभिनव निर्माण किया है।

सत्य के लिए आत्मबलिदान तक दे देने का नाम ही तो सत्याग्रह है। स्वामी दयानन्द का समस्त जीवन इस सत्याग्रह का अनूठा और ज्वलन्त उदाहरण है। वे सत्य की वेदी पर आत्मबलिदान करने के लिए सदा उद्यत रहे। महर्षि दयानन्द ने अपने 'सत्यार्थ प्रकाश' में लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य को सत्याग्रही होना चाहिए। उन्हें, चाहे वह चक्रवर्ती राजा ही क्यों न हो, उसकी बुराइयों अनधिकार चेष्टाओं, दमनकारी प्रवृत्तियों और अन्याय कार्यों का मुकाबिला करने में कभी न पीछे हटना चाहिए, चाहे प्राण ही क्यों न चले जावें। इसके साथ ही उन उत्साही और धर्मात्मा पुरुषों का सदा सम्मान करना चाहिए जो संसार का कल्याण करने में प्रवृत्त हों फिर चाहे वे निर्धन और अशक्त ही क्यों न हों।

उस अन्धकार पूर्ण युग में लोगों ने, सत्य के मार्ग पर आना तो दूर की बात है ऋषि दयानन्द के सच्चे उपदेशों के विरुद्ध उन पर पत्थर और ईंटें बरसाईं और उन्हें तरह २ की गालियां दीं, परन्तु महर्षि जो एक महान सत्याग्रही थे अपने मार्ग और कर्तव्य से एक इंच भी पीछे न हटे और सत्य के लिए अन्त में अपना जीवन बलिदान कर दिया।

आर्य समाज का इतिहास सत्याग्रह का इतिहास है। सत्याग्रह का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि जेलों में बन्द होजाएं या धार्मिक अथवा राजनैतिक शक्ति प्राप्त करली जाय। सत्याग्रह तो घर घर में जारी हो सकता है। इतिहास हमें बतलाता है कि पुत्रों ने पिताओं के विरुद्ध पुत्रियों ने माताओं के विरुद्ध और पत्नियों ने पतियों के विरुद्ध सत्याग्रह किया है।

आर्य समाज की मांगें 'मांगें' ही नहीं हैं

मैं जब बम्बई में उतरा तो मुझे पता चला कि आर्य समाज ने हैदराबाद में

सत्याग्रह किया है। मैंने कारण पूछा तो सुनकर मुझे देर तक हंसी आती रही। यथार्थ में आर्यसमाज की मांगें 'मांगें' ही नही है। उनकी मांगों को पूरा कर देने से हैदराबाद रियास्त के प्रबन्ध में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हो जायगा और नाहीं सरकार बदल जायगी। मांगें कितनी मामूली हैं !! उन्हें हवन कुण्ड बनाने, मन्दिरों की मरम्मत करने, नये मन्दिर बनाने और वैदिक धर्म का प्रचार करने की स्वतन्त्रता दी जाय। यदि कोई प्रचारक अवांछनीय भाषण करे तो नियमानुसार अदालत में उस पर अभियोग चलाना चाहिए और यदि उसका अपराध सिद्ध होजाय तो उसे दण्ड मिलना चहिए। भला यह भी कोई मांगे हैं। भूतकाल में इन मामूली बातों पर कभी भी कोई आन्दोलन नहीं उठा है। मैं तो समझता हूं कि हैदराबाद के अधिकारियों में मामूली सी व्यावहारिक बुद्धि भी नहीं है और उन्ही की अदूरदर्शिता के कारण यह विशाल सत्याग्रह चल रहा है। ऐसी स्वतन्त्रता तो प्रत्येक देश में हर समय मिलनी ही चाहिए चूंकि यह नागरिकोंका जन्म सिद्ध अधिकार है। इन अधिकारों से वंचित करने का काम इतना पतित है कि इस की निन्दा के लिए सारी डिक्शनरी में ढूंढने से एक भी शब्द नहीं मिल सकेगा।

तब भी यह सच है

मगर तब भी हो यहीं रहा है और इन मामूली से अधिकारों को प्राप्त करने मे आन्दोलन में १०००० आर्य हैदराबाद जेल में जा बसे हैं।

मांग न्यायोचित हैं और आर्यों की विजय निश्चित है। परन्तु सत्याग्रह में अहिंसा और सत्य का सदा ध्यान देने की आवश्यकता है। महात्मा नारायण स्वामी ने भी अपनी घोषणा में सत्य और अहिंसा पर बल दिया है। यह तो निश्चित ही है कि आर्यों को विजय मिलेगी मगर उससे पहिले उन्हें कठिन अग्नि परीक्षा में से गुज़रना पड़ेगा।

सत्याग्रह जल्दी का काम नहीं हैं। इसमें धैर्य की आवश्यकता है। हम जितना बलिदान करेंगे उतना ही संसार हमारे सामने झुकेगा।

मेरे मित्र कहते हैं कि महात्मा गान्धी ने अब तक सत्याग्रह के पक्ष में एक भी शब्द नहीं कहा। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना आशीर्वाद देकर वापिस ले लिया। मद्रास सरकार ने सत्याग्रह सभाओं पर पाबन्दी लगादी है। बम्बई सरकार ने शोलापुर कैम्प उठालेने की आज्ञा देदी है।" इत्यादि इत्यादि

मगर मैं कहता हूँ कि यदि हमारा उद्देश्य पवित्र है और कार्य सच्चा है तो महात्मा गांधी और श्री टागोर तो क्या सारा संसार हमारे सामने कांपेगा। दस हज़ार क्यों सिर्फ

एक सच्चा सत्याग्रही संसार को हिला सकता है। मगर वह सत्याग्रह नाम कमाने के लिए नहीं होना चाहिए।

अत्याचारों की शिकायतें

लोग प्राय: शिकायतें करते हैं कि जेल में सत्याग्रहियों को बहुत सताया जा रहा है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि सत्याग्रह का मार्ग काँटों का मार्ग है। वहाँ सत्याग्रहियों के आराम के लिए आनन्दप्रद बँगले नहीं बने हैं। १० तो क्या यदि १०००० सत्याग्रही भी मर जावें तब भी हमें घबराकर पीछे न हटना चाहिए। सत्याग्रही इन सब सच्चाइयों को जानता हुआ ही मैदान में कूदता है।

यदि इन अत्याचारों से हम न घबराये तो विजय हमारी है। मगर सफलता भी हमें जल्दी न मिलेगी।

आर्य समाज का इतिहास

मैं कहता हूँ कि जो इस तरह का सत्याग्रह कर रहे हैं वे आर्य समाज का उज्ज्वल इतिहास तय्यार कर रहे हैं। यदि श्रीराम अयोध्या की गद्दी पर बैठे रहते तो रामायण नहीं लिखी जाती। संसार का इतिहास परीक्षा की आंच का इतिहास है।

यदि हैदराबाद में सत्याग्रहियों को सब आराम मिलने लगें तो आर्य समाज का इतिहास क्या बनेगा? आर्य समाज के भावी इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ जलते हुए और उत्साह पूर्ण शब्दों से भरा हो ताकि आने वाली सन्तानें अभिमान से सिर उठाकर अपने पूर्वजों के चरित्रों का निर्देश करें। यदि हमें इतना आत्म-विश्वास हो जावे तो हमें महात्मा गांधी और कवीन्द्र के आशीर्वादों की कोई आवश्यकता न रहे।

हैदराबाद सत्याग्रह बड़े सन्तोष जनक रूप में चल रहा है। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। हैदराबाद सत्याग्रह का इतिहास बहुत विशाल होगा। मैं चाहता हूँ कि यह सत्याग्रह बहुत लम्बा चले। सत्याग्रहियों को आवश्यकता से अधिक उत्साह भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। उन्हें मर्यादा में चलने का अभ्यासी होना चाहिए।

मेरे जेलवासी मित्र

मेरे कितने ही मित्र जेल में बन्द हैं। मुझे बड़ा ही दुख होता है जब मैं सोचता हूँ कि कितने ही अनिवार्य कारणों से मैं इस सत्याग्रह में भाग न ले सकूँगा मेरा हृदय अन्दर से दुखी हो उठता है। मगर तब भी मैं चाहता हूं कि आर्य समाज के यशस्वी नेता जेलों में बन्द हो जावें। साधारण सत्याग्रहियों को जेल में भरती कराने पर ज्यादः बल न

दिया जावे। आमोद पूर्ण घरों को नष्ट हो जाने दो। प्यारे परिवारों को छोड़कर आर्यों को जेल में जाने दो। सत्याग्रह महान बलिदान मांग रहा है। यह हमारा अहोभाग्य है कि हम ऐसे दिनों में पैदा हुए हैं जब वैदिक धर्म हमारा बलिदान मांग रहा है। उपदेशकों को चाहिए वे अपने मौखिक भाषण बन्द कर दें।

जीवन मरण का प्रश्न

मैं पहिला व्यक्ति हूँ जो ऐसी सरकार के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा कर दूँ जो भाषण की स्वाधीनता देने में बाधा डाले।

आर्यों को इस सत्याग्रह में तन मन से जुट जाना चाहिए। इस सत्याग्रह पर आर्य समाज के जीवन-मरण का प्रश्न अवलम्बित है। मेरा यही अन्तिम सन्देश है।

श्री पं० बुद्धदेव जी का महत्वपूर्ण भाषण

हैदराबाद धर्म-युद्ध की यात्रा के अवसर पर आर्य्यसमाज दीवान हाल देहली में २७ जून को श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार ने उस विराट् सभा में जो उनके अभिनन्दन के लिए हुई थी, निम्न महत्वपूर्ण भाषण दिया:—

"मुझ पर गुरु का ऋण है और इसी ऋण को चुकाने के लिए मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। हैदराबाद संग्राम मेरे लिए एक सुंदर वाटिका है परन्तु उसकी ओर जाते हुए हमारा कपड़ा कांटों में उलझ गया है। उसके कांटे छुड़ाने में कुछ समय भले ही लग जाय परन्तु उलझे हुए कपड़े को छुड़ाना ध्येय नहीं है। यद्यपि आज यह झाड़ी बहुत जोर से उलझ गई है लेकिन मेरा हृदय गवाही देता है कि झाड़ी की उलझन शीघ्र ही समाप्त होने वाली है और यह उलझन जो पड़ी है इससे हमको चेतावनी मिली है। मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, यदि वहां से मैं जीवित लौट आया तो सबसे पहला काम मैं यह करूँगा, वरना आप सब लोगों को करना होगा और वह यह काम है कि हमने अब तक स्त्री शिक्षा का काम किया, गुरुकुल संस्थापित किए, कालिज और स्कूल खोले, अनाथालय खोले, अछूतोद्धार का कार्य्य किया, और भी कितने ही लाभप्रद कार्य्य किए परन्तु ऋषि दयानन्द के बतलाये हुए सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास को जिसमें राजनीति है उसकी हमने अवहेलना की। अर्थात् हम लोग राजनैतिक क्षेत्र से पृथक रहे और यह इसी का परिणाम है कि जो आज हम भोग रहे हैं। हमें कांग्रेस से लड़ाई नहीं लड़नी है। बल्कि कांग्रेस में रहकर लड़ाई लड़नी है। इस समय कांग्रेस की जो नीति है, मैं इसको पसन्द नहीं करता हूँ, परन्तु जब हम राजनैतिक कार्य्यों में लगेंगे तो संसार देखेगा कि हम किस खूबसूरती और सफलता से काम करते हैं। हैदराबाद के सम्बन्ध में मुझे तीन बातें बतलानी हैं। अर्थात् हमारा संग्राम किस से है, यह हमारा संग्राम किस प्रकार आरम्भ हुआ तथा यह संग्राम किस के बल पर लड़ा जा रहा है।

हमारी लड़ाई किस से है:—

साधारणतया यह समझा जा रहा है कि हमारा संग्राम निज़ाम और इस्लाम से है, यह बिल्कुल गलत है। इसके विपरीत मैं यह कहता हूँ कि हमारा संग्राम निज़ाम और इस्लाम के शत्रुओं से है। लोग कहते हैं कि संसार में इस्लाम तलवार की शक्ति से फैला

लेकिन मैं इसको नहीं मानता। यह बात मैं मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह मेरा विश्वास है कि कोई जाति तलवार के बल पर नहीं फैल सकती। यदि मुसलमान तलवार लेकर निकले थे तो उनके विरोधियों के पास भी तो तलवार थी, फिर मुसलमानों की विजय क्योंकर हुई? जब कि वह संख्या में भी कम थे। कुरान मजीद में लिखा है कि मजहब के दर्म्यान में ज़बरदस्ती नहीं है।

हजरत मुहम्मद साहब जिस मुहल्ले से प्रतिदिन जाया करते थे, वहां एक मनुष्य रहता था जो उन पर कूड़ा डाल दिया करता था। एक दिन वह मनुष्य बीमार होगया और हजरत मुहम्मद साहब पर कूड़ा नहीं डाल सका तब हजरत मुहम्मद साहब ने लोगों से पूछा कि आज वह हमारा मित्र कहां है. जो हम पर कूड़ा डाला करता था। लोगों ने बताया कि आज वह बीमार है, इस पर हजरत मुहम्मद साहब उसके मकान पर पहुँचे और कहा कि "मित्र कैसे हो, आज तुमने हम पर कूड़ा नहीं डाला, कूड़े के कारण आपके दर्शन तो हो जाया करते थे। यह कह कर उसकी टहल में लग गए।" यह देखकर वह मनुष्य हजरत मुहम्मद साहब के चरणों पर गिर पड़ा। बतलाइए क्या हजरत मुहम्मद साहब का यह सत्याग्रह नहीं है। इसी प्रकार एक उदाहरण खलीफा हजरत उमर के सत्याग्रह का बतलाकर पंडित जी ने कहा असल चीज़ यह है जिसकी वजह से इस्लाम फैला है और इसके विपरीत जब से मुसलमान अत्याचार करने लगे तभी वह तबाह होने लगे। जिस प्रकार औरङ्गजेब ने अत्याचार करके मुगलीया राज्य का नाश कर दिया, इसी प्रकार इस समय कुछ स्वार्थी तथा बहकाने वालों ने निजाम साहब को बहकाने का कार्य्य करके इस्लाम के साथ शत्रुता की है। इसी लिए तो मैं यह कहता हूं कि हमारी लड़ाई इस्लाम या निजाम से नहीं बल्कि निजाम और इस्लाम के शत्रुओं से है। अब मैं बतला देना चाहता हूँ कि हैदराबाद का सत्याग्रह कैसे छिड़ा।

हमारी लड़ाई कैसे छिड़ी

यह बात मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर बतलाना चाहता हूँ। कई साल हुए कि निजाम सरकार ने सोचा कि कुछ दिनों बाद रियासतों में सुधार होने वाले हैं, और ताकत हमारे हाथों से निकल कर प्रजा के हाथों में जाने वाली है और हमारे यहां हिन्दुओं की संख्या ९० प्रति शत है इसका अर्थ यह हुआ कि रियासत का प्रबन्ध हिन्दुओं के हाथों में चला जायगा इसी लिए पूर्व्व इसके कि सुधार जारी हों, हिन्दुओं की संख्या कम कर दी जाय। हैदराबाद में हिन्दुओंका बहुमत घटाने के लिए एक ढंग तो यह निकाला गया कि वहांके जेलों के कैदियों को उनकी सजा कम करके तथा अन्य प्रलोभन देकर हिन्दूसे

मुसलमान बनाने की चेष्टा की जाने लगी। लेकिन यह सोच कर कि इस प्रकार अधिक से अधिक दस पांच हज़ार हिन्दू जो जेलों में साधारण बन्दी हैं, उनमें से ही कुछ लोग मुसलमान बनाये जा सकेंगे इसलिए दूसरा ढंग अछूतों को मुसलमान बनाने का रचा गया। और इसमें भी निजाम सरकार को सफलता नहीं हुई। तब दूसरे ढंग सोचे जाने लगे। हैदराबाद में हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय (वर्ग) लिंगायतों का है, जिसकी संख्या २० लाख के लगभग है, और वे लोग शिवजी के उपासक हैं इनकी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि कल्कि अवतार के अतिरिक्त शिवजी का भी अवतार होगा और इसका नाम होगा चन विशेश्वर, इसके बदन में ५२ निशानियाँ होंगी और देश का उद्धार करेगा। एक मनुष्य दीनदार सदीक़ नामी ने गुदना गोदने वालों से अपने शरीर में बावन निशानियाँ बनवाई और रुपया आदि बांट कर कुछ लिंगायतों को अपने पक्ष में करके यह प्रसिद्ध कर दिया कि चनविशेश्वर का जिसका वर्णन धार्मिक पुस्तकों में है, अवतार हो गया है। इसके उपरांत दीनदार सदीकी ने एक पुस्तक "सरवरे-आलम" के नाम से लिखा, जिसमें भारतवर्ष का नकशा भी दिया है और और बहुत से चित्र भी दिए हैं। इसमें लिखा है कि सतयुग से हिन्दू लोग सदैव गौ मांस इस्तेमाल करते रहे हैं, परन्तु अज्ञान वश कुछ दिनों से उन्होंने इसको छोड़ दिया था और इसी कारण से हिन्दू मुसलमानों में लड़ाई रहता है। इसी लिए हिन्दू मुसलमानों में एकता के लिए यह आवश्यक है कि हिंदू गौ मांस फिरसे खाने लगें, तभी देश स्वतन्त्र होसकता है। इस पुस्तक में इसने प्राचीन हिन्दू राजाओं के ऐसे ऐसे चित्र दिए हैं कि राजा हाथ में तलवार लिए हैं और गाय सामने खड़ा है यहां तक कि इसने भगवान कृष्ण की तस्वीर भी ऐसी ही बनाई है। इस तस्वीर को देखकर हैदराबाद आर्य समाज के मन्त्री जी से न रहा गया और उन्होंने पंडित रामचन्द्र देहलवी और मुझे हैदराबाद बुलाया। मैं हैदराबाद पहुँचा और मन्त्रीजी ने वह पुस्तक मेरे सामने फेंकदी। हम लोगों ने लिङ्गायतों की पुस्तकों को भली प्रकार देखा और एक मास तक प्रतिदिन मैं और पंडित जी व्याख्यान देते और लिंगायत लोगों को समझाते रहे। लिंगायत लोगों को व्याख्यान सुनने का बड़ा शौक है और २०, २५ हज़ार की संख्या में व्याख्यान सुनने के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। इनका पहरावा मुसलमानी है। हमारे प्रचार का यह फल हुआ कि यह लोग दीनदार सदीकी के चुंगुल से निकल गए।

यहाँ तक कि उन्होंने अपना पहरावा भी बदल लिया। उस समय निजाम राज्य से यह भी न सहन हो सका। वे तो ९० प्रतिशत को मुसलमान बनाने की फिक्र में थे, यहाँ

तो पहरावे भी बदलने लगे। उन्होंने आर्य समाज के प्रचार को रोकने की चेष्टा की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वास्तव में यह संग्राम सनातन धर्मियों का है। हमने तो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिये इसको आरम्भ कर दिया है।

इसके पश्चात् आर्य्य समाज पर वहाँ सख्तियाँ आरम्भ हुईं। व्याख्यानों पर प्रतिबन्ध, स्कूल बन्द, पाठशाला बन्द, अखाड़ा बन्द, मन्दिर बन्द, मन्दिरों की मरम्मत बन्द, हवन कुण्ड बन्द, ओम् का झण्डा लहराना बन्द और बाकी रह गया है सांस लेना बन्द। रियासत की ओर से कहा जाता है कि इन चीज़ों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं, सिर्फ आज्ञाएँ लेनी पड़ती हैं, लेकिन यदि मस्जिद बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाये तो दूसरे दिन से मस्जिद बनना भी शुरू हो जायेगा और किसी मन्दिर को बनाने का प्रार्थनापत्र दिया जाय तो वह एक दम गायब हो जाता है। और यदि कभी कोई उत्तर भी है तो वह साल साल बाद। हैदराबाद रियासत में १० साल के अन्दर ३२०० स्कूल बन्द हो चुके हैं। सर सिकन्दर हयात ने शोलापुर की मुस्लिम लीग कांन्फ्रेन्स में कहा था कि यदि किसी वर्ग की उचित मांगें हों और उचित तरीके से पेश की जाएँ तो निज़ाम राज्य अवश्य उस पर ध्यान देगी। क्या आर्य्य समाज की यह माँग कि दूसरी जातियों की तरह हिन्दुओं को भी धार्मिक स्वतन्त्रता दी जाए, उचित नहीं है? और क्या आर्य्य समाज आज तकरीबन् ६ साल से प्रार्थना, प्रार्थना पत्रों और डेपूटेशनों के द्वारा उचित ढंग पर आन्दोलन नहीं कर रहा है फिर क्यों गौर नहीं किया जाता। हमें जब हैदराबाद के लोगों ने मजबूर कर दिया, बल्कि हमारी सहायता के बिना सत्याग्रह शुरू कर दिया, तो हमने शोलापुर में आर्य्य-सम्मेलन किया और फिर भी एक दम सत्याग्रह करने का निश्चय नहीं किया, बल्कि महात्मा नारायण स्वामी जी ने निज़ाम राज्य को काफी समय ध्यान करने को दिया। जब निज़ाम राज्य के कानों में जूँ तक न रेंगी, तो विवश होकर हमें सत्याग्रह संग्राम करना पड़ा। परन्तु अब हमारा यह कहना है "पहिले छेड़ना नहीं और पीछे छोड़ना नहीं" इस समय निज़ाम को जो लोग दमन की सलाह दे रहे हैं वह वास्तव में निज़ाम के मित्र नहीं शत्रु हैं। इस सत्याग्रह में हमारी विजय होगी और अवश्य होगी।

वायसराय की सेवा में हिन्दुओं की ओर से मैमोरेंडम

आर्यों के आरोपों की जांच करवाई जाय या सरकार उन्हें धार्मिक स्वतन्त्रता दिलावे

निजाम नागरिक-अधिकारों की गारण्टी की घोषणा करें

धार्मिक-स्वतन्त्रता अन्य नागरिक-अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है

देश के विभिन्न प्रान्तों के लगभग १०० प्रतिष्ठित आर्य और हिन्दू नागरिकों के हस्ताक्षरों सहित हैदराबाद के सम्बन्ध में जो मैमोरेण्डम वायसराय की सेवा में भेजा गया है, नीचे हम उसे पूरा (परिशिष्ट छोड़कर) प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें हैदराबाद में धार्मिक स्वतन्त्रता पर लगाई गई पाबन्दियों का उल्लेख करते हुए वायसराय से आर्यों के आरोपों की जाँच करवाने का मांग की गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कारणवश वायसराय ऐसा करना अवांछनीय समझें, तो वे हिन्दुओं और आर्यों को धार्मिक स्वतन्त्रता ही दिलवा दें और हैदराबाद नरेश उन नागरिक अधिकारों की गारण्टी की घोषणा कर दें जो कि ब्रिटिश भारत में लोगों को प्राप्त हैं। भूतपूर्व वायसराय लार्ड रीडिंग के पत्र का हवाला देकर यह सिद्ध किया गया है कि जहाँ तक सार्वभौम सत्ता की आधीनता का सम्बन्ध है, हैदराबाद और अन्य रियासतों में कोई भेद नहीं, अतः वायसराय हैदराबाद के इस मामले में बिना किसी कानूनी अड़चन के हस्तक्षेप कर सकते हैं। स्व० महारानी विक्टोरिया के १८५८ के ऐतिहासिक ऐलान का उदाहरण देकर बताया गया है कि उनकी हिदायत के मुताबिक उनके किसी भी नागरिक की धार्मिक स्वतन्त्रता में दखल नहीं दिया जा सकता। धार्मिक स्वतन्त्रता ही नागरिक-स्वतन्त्रता का मूल आधार है।

"निजाम-हैदराबाद और आर्य-समाज के अनुयाइयों में पैदा हुए मतभेद के कारण वहाँ के और बाहर के हिन्दुओं ने जो सत्याग्रह शुरू किया है, जिसमें कि ६४२६ (११ मई १९३९ तक) आदमी दंडित हो चुके हैं और अधिकांश वहीं के हैं। उसके परिणाम

स्वरूप वहां पिछले कुछ समय से होने वाली दुर्भाग्य पूर्ण घटनाओं की ओर आपका ध्यान अवश्य आकर्षित हुआ होगा। आर्य-समाज सुधार-प्रिय हिन्दुओं की धार्मिक-संस्था है, जिसको लगभग सभी जातियोंके हिन्दुओं की सहानुभूति प्राप्त है। इसकी सदस्य-संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जाता है और यह अपने से बाहर की बड़ी २ संस्थाओं पर भी काफी प्रभाव रखती है। हैदराबाद के अधिकारियों के खिलाफ़ हिन्दुओं और आर्य-समाज की जो उचित शिकायतें हैं, वे शोलापुर-कान्फ्रेंस में पास हुए चौथे प्रस्ताव में बतलाई गई हैं जिसकी प्रतिलिपि हम आपकी सेवा में भेज रहे हैं। जिस ढंग से निज़ाम के अधिकारी स्थिति का सामना कर रहे हैं, उसने समूचे हिन्दू जगत में क्षोभ और असंतोष पैदा कर दिया है।

"हैदराबाद में आर्य-समाज कई वर्षों से काम कर रहा है। पर मालूम होता है कि राज्य को उसका काम करना अच्छा नहीं लगा और उसने १९३२ में आर्योपदेशकों पर पाबन्दियाँ लगाईं और १९३३ में एक आर्य-समाज का वार्षिकोत्सव मनाया जाना तक रोक दिया। कई कारणों से—जिनका यहाँ उल्लेख करना अनावश्यक होगा—यह गड़बड़ी उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। कई बार आर्य सार्वदेशिक सभा ने इसके विरुद्ध फरियादें कीं और डेपूटेशन भेजे, पर शिकायतें दूर नहीं की गईं। दिसम्बर १९३८ में शोलापुर में श्रीयुत एम० एस० अणे एम० एल० ए० (केन्द्रीय)—जो आर्य-समाज के प्रति सहानुभूति रखते हैं, पर खुद आर्य-समाजी नहीं हैं—की अध्यक्षता में अखिल भारतीय आर्य कान्फ्रेन्स हुई, जिसमें इस सम्बन्ध में कई प्रस्ताव पास किये गये। इनकी नकल आपको यथासमय भेज दी गई थी—जिसकी पहुंच की रसीद आपके असिस्टेण्ट प्राइवेट सेक्रेटरी के हस्ताक्षर की तारीख २४ जनवरी १९३९ की मौजूद है।

"१९३८ में दोनों ओर से पेम्फ़्लेट छापा हुए। आर्य-सार्वदेशिक सभा ने आर्य-समाज का केस जनता के सामने रक्खा। इस पर निज़ाम-सरकार ने एक वक्तव्य निकाला, जिसका फिर आर्य-सार्वदेशिक-सभा ने उत्तर दिया। इन पैम्फ़्लेटों की बातों को दोहराकर हम आपका समय व्यर्थ नहीं खोना चाहते।

"आर्य-समाजियों की शिकायत यह है कि हैदराबाद में धार्मिक कार्यों व सभा समारोहों पर पाबन्दी, हिन्दुओं को मन्दिर, और आर्य्यसमाजियों को समाज-मन्दिर तथा यज्ञशाला बनाने, नये आर्य-समाजों की स्थापना करने और ओ३म् का तथा अन्य हिन्दू झण्डों को फहराने तक की इजाजत नहीं है। सारी नीति निज़ाम के उस धार्मिक-विभाग की चलती है, जो आर्य-समाजियों के दलितोद्धार और हिन्दुओं के शुद्धि-आन्दोलन का विरोधी है। कई बार आर्योपदेशकों के हैदराबाद-प्रवेश पर पाबन्दी लग चुकी है। पुलिस

प्रबन्ध और न्याय-विभागों में अधिकांश मुसलमान है, जिसकी वजह से आर्योपदेशकों के मुस्लिम हत्यारों को चालान होने पर भी पुलिस द्वारा लापरवाही से जांच होने के कारण दंडित नहीं किया जाता। इन सब से सभी आर्य समाजियों और हिन्दुओं को—जो कि राज्य की आबादी का ८८ प्रतिशत से अधिक भाग है—अपनी जान माल की रक्षा की की चिन्ता हो रही है। यह सर्वविदित है कि राज्य के हिन्दू तामिल, तेलगू और कनाड़ी हैं, लेकिन माध्यमिक और उच्चशिक्षा उर्दू के माध्यम से ही दी जाती है। इस दिक्कत से बचने के लिये हिन्दुओं की ओरसे प्राइवेट स्कूल खोले गये, पर अधिकांश इन्स्पेक्टरों के मुसलमान होने की वजह से उनको रिकग्नाइज़ करने की सिफारिश ही नहीं की जाती और इसलिये सरकार भी उन्हें स्वीकार नहीं करती। अगर प्राइवेट स्कूलों के संचालक राज्य की स्वीकृति के बिना स्कूल जारी रक्खें, तो उन्हें दण्डित किया जाताहै। इस नीति के परिणाम स्वरूप पिछले ९-१० वर्षों में २२७४ स्कूल बन्द किये जाचुके हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि जो हिन्दू शेष भारत में शिक्षा में सबसे आगे बढ़े हैं, वे हैदराबाद में एक दम पिछड़े हुये हैं। जब कथित शिकायतों के दूर किये जाने की सारी आशाएं नष्ट होगईं, तो हिन्दुओं ने सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें भाग लेने वालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जारही है।

हम आपकी सेवा में शोलापुर-कांफ्रेंस में पास हुए १३ वें प्रस्ताव के अनुसार उपस्थित हो रहे हैं। हमने निजाम-राज्य के अधिकारियों से भी आपस में समझौता कर लेने की प्रार्थना की थी, पर हमारी सब कोशिशें बेकार साबित हुईं।

"भारतीय-रियासतों के इतिहास पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि धीरे २ उन्होंने ब्रिटिश-भारत के शासन की—जिसे कि वे अपने लिये आदर्श भाव से लेते रहे हैं—प्रगतिशील भावना को ग्रहण कर लिया है। अभी १३ मार्च को नरेन्द्रमण्डल की बैठक में आपने कहा था।

"……अक्सर इस तरह के हमले होते रहे हैं, इनके लिये माकूल गुञ्जायश छोड़ते हुये भी मेरा विश्वास है कि मेरी तरह राजाओं को भी यह साफ़२ मालूम होगया होगा कि परिवर्त्तन के इस युग में इस बात की पहले से कहीं अधिक जरूरत है कि रियासती अधिकारी बिना किसी अपवाद के शासन-सम्बन्धी उचित शिकायतों की ओर पूरा २ ध्यान दें और उन्हें दूर करें।

"धार्मिक-स्वतन्त्रता नागरिक-स्वतन्त्रता का मूल आधार है। सभ्य राज्य में धर्माचरण की स्वतन्त्रता नागरिक का प्राथमिक अधिकार है। स्व० महारानी विक्टोरिया ने अपने १८५८ की ऐतिहासिक घोषणा में इस सम्बन्ध में कहा है—

'हम घोषणा करते हैं कि धार्मिक विश्वास और आचरण के मामले में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा और किसी को तंग नहीं किया जायगा, बल्कि सबको कानून का समान और निष्पक्ष संरक्षण प्राप्त होगा। हम अपने अधिकारियों को सख्त ताकीद करते हैं कि वे हमारे किसी भी नागरिक के धार्मिक विश्वास या पूजा करने के ढंग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से बाज आये—अन्यथा वे हमारी अधिकतम अप्रसन्नता के पात्र होंगे।

'जब भी भारत के किसी देशी राज्य में प्रजा के किसी भाग की शिकायतों के कारण अशान्ति पैदा होती है, सार्वभौम सत्ता दखल देती है। काश्मीर के लिये १९३१ में ग्लैंसी कमीशन का और अलवर में १९३३ में एडमिनिस्ट्रेटर का नियुक्त करना इसके ताज़े उदाहरण हैं। कश्मीर में मुसलमान कुछ धर्म स्थानों को वापस माँगते थे कमीशन ने न सिर्फ यह स्थान ही मुसलमानों को दिलवाये बल्कि कुछ राजनीतिक रियायतें दी जाने की भी सिफारिश की। अलवर के मेवों की यह शिकायत थी कि पड़ोस के ब्रिटिश इलाके के मुकाबले में उनसे बहुत अधिक लगान लिया जाता है।

'धार्मिक-स्वतन्त्रता का अधिकार राजनीतिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सार्वभौम-सत्ता का प्रजा के लिए धार्मिक-स्वतन्त्रता दिलाने में क्या कर्तव्य है, इसका सर विलियम ली-वार्नर ने अपनी पुस्तक 'नेटिव स्टेट्स आफ इण्डिया' (१९१० की आवृत्ति) में ११८ वें पैरे में लिखा है—

"प्रजा में धार्मिक-सहिष्णुता पैदा करना सरकार का कर्तव्य केवल इसीलिये नहीं स्वीकार किया जाता कि साम्राज्य भर में धार्मिक भावनाओं का ठोस आधार है बल्कि वह उसके अपने हितों के लिये भी जरूरी है। जब हम यह मानते हैं कि विदेशियों से अपने नागरिकों के लिये धार्मिक-स्वतन्त्रता प्राप्त करना ब्रिटिश सरकार का कर्तव्य है, तो भारत में उसका उसके अधीन रियासतों के संबन्धों के कारण यह कर्तव्य और भी बढ़ जाता है।"

"यह सवाल, जहां तक ब्रिटिश सरकार की सार्वभौमिकता का सम्बन्ध है, हैदराबाद भी दूसरे राज्यों के समान उसके अधीन माना जाय या नहीं तो बरार के मामले में लार्ड रीडिङ्ग और निजाम में हुए पत्र व्यवहार में ही हल किया जा चुका है। लार्ड रीडिंग के २७ मार्च १९२६ के निजाम को भेजे गये पत्र के महत्वपूर्ण उदाहरण हम इसी के साथ दे रहे हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वभौम-सत्ता को हैदराबाद के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का भी उतना ही अधिकार है, जितना कि और रियासतों में।

इसलिए हम आप से प्रार्थना करते हैं कि आप हैदराबाद के आर्यसमाजियों और हिंदुओं की असंदिग्ध शिकायतों के लिए एक जाँच कमीशन नियुक्त करें। यह प्रार्थना महज इसलिए की जा रही है कि निजाम ने शोलापुर-कांफ्रेंस के प्रस्तावों में उस पर लगाये गये कई आरोपों की यथार्थता को मानने से इन्कार कर दिया है या अपने कारनामों के औचित्य की दुहाई दी है। पर यदि किसी वजह से आप हमारे आरोपों की जांच करवाना अवांछनीय समझें, तो आप अन्य उपायों से हैदराबाद के आर्यसमाजियों और हिंदुओं को निम्न मूल अधिकार दिलाने की कृपा करें:—

(१) वैदिक धर्म और संस्कृति के प्रचार एवं अनुसरण की स्वतन्त्रता। यदि कोई उपदेशक राजद्रोहात्मक भाषण करे या दूसरे धर्मावलम्बियों को नाराज करे तो नियमानुसार उस पर मुकदमा चलाया जाय—लेकिन सिर्फ कानून तोड़े जाने के डर के बहाने से वैदिक धर्म का प्रचार नहीं रोका जाना चाहिये।

(२) राज्य के धर्म या अन्य किसी विभाग द्वारा इजाजत लिये बिना आर्य-समाज की नई शाखायें खोलने, हिन्दुओं के तथा आर्यसमाजों के मन्दिर, यज्ञ-शालायें, हवनकुण्ड, सिख गुरुद्वारे आदि बनवाने और उनकी मरम्मत करवाने की स्वतन्त्रता।

(३) हिन्दू लड़कों और लड़कियों की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये स्कूल खोलने की स्वतन्त्रता। अगर निजाम का शिक्षा विभाग उनकी स्वीकृति की सिफारिश न करे तो भले ही उन्हें स्वीकार न किया जाय, पर उनके बन्द किये जाने की मांग करने का कोई कारण नहीं है।

(४) हिन्दुओं, आर्यसमाजियों, सिखों; जैनियों या दलित जातियों को उनके रस्मो-रिवाज के मुताबिक नगर कीर्तन आदि धार्मिक सामाजिक जलूसों के निकालने की स्वतन्त्रता।

"हमें यहां यह भी बतला देना चाहिए कि निजाम सरकार शीघ्र ही वैधानिक सुधार जारी करने का विचार कर रही है। हम नहीं जानते कि इन सुधारों का रूप क्या होगा और धारा सभा—यदि कोई बनी तो—कैसे बनेगी और उसका शासन प्रबन्ध पर कितना नियन्त्रण रहेगा, किन्तु आम तौर से जन-सत्तात्मक संस्थायें बहुमत द्वारा पार्टी सिस्टम पर चलती हैं। ऊपर के जिन मूल अधिकारों की मांग हम कर रहे हैं, वे प्रतिनिधि असेम्बली के राजनीतिक नियन्त्रण से सर्वथा भिन्न हैं। समय समय पर भारत के शासन

के लिए पार्लमेण्ट द्वारा जो कानून पास किये गये हैं उनमें कहीं भी धार्मिक स्वतन्त्रता या धर्मप्रचार की स्वतन्त्रता का जिक्र नहीं है। यह वे अधिकार हैं, जो ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय जनता को दिये गये समझे जाते हैं। अतः हम चाहते हैं कि सार्वभौम-सत्ता द्वारा गारण्टी किये हुए इन नागरिक अधिकारों की हिंदुओं और आर्यसमाजियों के लिए निजाम नरेश भी घोषणा कर दें।"

इस मैमोरेण्डम पर १०० के लगभग भारत के विभिन्न भागों के प्रतिष्ठित आर्य और हिंदू नागरिकों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें से ये उल्लेखनीय हैं—राजा नरेन्द्रनाथ, सर गोकुलचन्द नारंग, लोकनायक बापू जी अणे, सर पी० सी० रे, दी० बा० रामशरणदास, सर सी० वाई० चिन्तामणि (सम्पादक 'लीडर') आन० प्रकाशनारायण सप्रू, डा० नीलरत्न सरकार, दानवीर जुगलकिशोर जी बिड़ला, सर सीताराम, सेठ पद्मपतसिंहानिया, राजा ज्वालाप्रसाद, सर ज्वालाप्रसाद, महाराजा मैमनसिंह, मुंगेर के राजा, तिर्वा के राजा रामानन्द चटर्जी (सम्पादक 'माडर्नरिव्यू') रा० ब० बद्रीदास जी एडवोकेट, श्री मेहरचन्द जी महाजन एडवोकेट, गुसांई गणेशदत्त जी, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, राजमाता रामनगर, दीवान कृष्णकिशोर, मुकुन्दलाल पुरी, बैरिस्टर नानकचन्द पंडित, मुंशी ईश्वरशरण, रा० बा० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा, सरदार संतसिंह, बैरिस्टर विनायकराव विद्यालङ्कार, सेठ रामेश्वरप्रसाद बागला आदि।

श्री लाला देवीचन्दजी एम० ए० का सर अकबर हैदरी को पत्र

पत्र का सारांश

मैं आदरपूर्वक सेवा में कुछ एक घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूँ। आपकी स्टेट में आर्य-सत्याग्रह युद्ध का छठा मास आरम्भ होता है। यह तब ही आरम्भ हुवा है जब कि छः वर्ष का पत्र व्यवहार, प्रार्थना पत्र और प्रतिनिधि मंडल आदि स्टेट के अधिकारियों में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने में असमर्थ हुये। यह सत्याग्रह अहिंसात्मक मार्ग को ले कर निहायत ही शान्ति के साथ चल रहा है तब भी तुलजापुर, परेंडा आदि स्थानों पर सशस्त्र मुसलमानों के समूह बड़े क्रोध के साथ सत्याग्रहियों पर टूट पड़ते रहे। औरंगाबाद में पुलिस लाठी चार्ज करती है और जेल में भी क़ैदियों के साथ बड़ा ही कठोर और निर्दयतापूर्ण व्यवहार होता है। जहां राजनैतिक कैदियों के साथ इस प्रकार कमीनापन का व्यवहार न होना चाहिये, वहां उनके साथ मामूली हत्यारे, चोरों और डाकुओं का सा व्यवहार किया जाता है।

अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्टेट की जेलों में कैदियों के लिये ए० बी० सी० आदि विभाग नहीं है जैसा कि ब्रिटिश भारत में किया गया है। जेल की शासन-पद्धति में आप की स्टेट बहुत ही पीछे है। कैदियों को जो भोजन दिया जाता है वह बहुत ही खराब है। मैं ने मार्च १९३६ में जब गुलबर्गा जेल का निरीक्षण किया तो कैदियों का दारुण दुःख मेरी आंखों के सामने आया। आप के वार्डर्स अशिक्षित हैं और मनुष्य मात्र से सहानुभूति रखना नहीं जानते। वे गंदी गालियों का प्रयोग करते हैं और खुले तौर पर डिक्टेटरों का भी अपमान करते हैं। गुलबर्गा में उन्होंने श्री चांदकरण जी शारदा द्वितीय सर्वाधिकारी तथा उनके साथियों के लिये जंगली, वहशी आदि असभ्य जनोचित शब्दों का प्रयोग कर उनका अपमान किया है।

आपकी जेलों में बड़ी भारी सुधारना करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बारे में विशेष ध्यान देंगे और उनकी सुधारना की समस्या को योग्य परिणाम तक पहुंचाएँगे।

हमारा आन्दोलन न रियासत के विरुद्ध है न सरकार के निरुद्ध और न ही यह सरकार की मुस्लिम प्रजा के निरुद्ध है। हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हमारी मांगें न साम्प्रदायिक हैं और न ही राजनैतिक। हम निज़ाम सरकार की राजगद्दी को उलटाना नहीं चाहते।

इन मांगों को स्वीकार करने से और अपनी ग़लती के सुधार से स्टेट की कुछ हानि नहीं होती। ऐसा करने से स्टेट का गौरव बढ़ेगा, सारी अशान्ति दूर होगी, और प्रजा के मन का रोष भी दूर होजायेगा।

यदि स्टेट वाले उत्तरदायित्व—पूर्ण शासन के लिये लड़ते होते और हम बाहर वाले उन्हें सहायता करते तो शायद हम दोषी ठहरते, पर आपका यह धार्मिक प्रतिबंध हमारे लिये उतना ही दुखदाई है जितना कि स्टेट वालों के लिये है। यह बड़े शोक के साथ लिखना पड़ता है कि २० वीं शताब्दी में जब कि संसार इतनी उन्नति कर चुका है, आपकी स्टेट अभी अन्धेर में ही निवास कर रही है।

हम हर समय सन्धि करने के लिए तैयार हैं। सन्धिकर्ता में असफलता होने पर अन्त तक यह युद्ध जारी रखेंगे।

हैद्राबाद धर्म्म-युद्ध के हुतात्माओं के प्रति श्रद्धाञ्जलि !

पुण्य स्मृति के धर्म्मवीरो ! आप लोगों का जितना सम्मान और गुण गान किया जाय उतना ही कम है आप लोगों ने धर्म्म की पवित्र वेदि पर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है । हैद्राबाद में आपकी धार्मिक स्वतन्त्रता का निर्दयता पूर्वक अपहरण किया जा रहा था । आप धर्म्म-युद्ध के सैनिक बनकर उस स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए गए थे । सत्य और अहिंसा आपका अस्त्र था । आप पर घोर अमानुषिक अत्याचार किए गए इस लिए कि आप अपने व्रत से च्युत हो जायँ । आपने अपने व्रत तथा सत्य और अहिंसा की रक्षा के लिए उन अत्याचारों को धैर्य्य पूर्वक सहन करके हँसते २ मृत्यु का आलिंगन किया । आप उन पुण्यात्मा वीरों के मार्ग के पथिक हुए हैं जिन्होंने ऊँचे उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की बलि दी है । आपने अपने उत्सर्ग से आर्य्य-जाति तथा धर्म्म-युद्ध को अमित गौरव प्रदान किया और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है । आने वाली सन्तति जब इस धर्म्म-युद्ध के इतिहास को पढ़ेगी तो निश्चय ही आर्य्यवीरों के त्याग और बलिदान पर जो वे इस युद्ध में दर्शा रहे हैं आनन्द विभोर होगी और गद् गद् हृदय से आप लोगों के चरणों में श्रद्धा और प्रेम से उनका मस्तक नत हो जायगा । जिन लोगों ने आपको अमानुषिक यातनाएँ दे कर आपके रक्त से अपने हाथ रंगे हैं उनकी अज्ञानता पर संसार दुःखी होगा और उनकी आत्माएँ उन्हें क्षमा नहीं करेंगी ।

जो लोग सत्य और न्याय के पक्ष पाती हैं अथवा पक्ष पाता होने का दावा करते हैं, वे मौन हैं । कदाचित वे हमारी परीक्षा लेना चाहते प्रतीत होते हैं कि कष्ट सहिष्णुता का जो मार्ग हमने स्वयं चुना है उसमें हम कितने दृढ़ और धीर सिद्ध होते हैं । इस परीक्षा की हमारी सफलता के सम्बन्ध में यदि उनके हृदय में कोई सन्देह रहा होगा तो आप लोगों के उत्सर्ग ने उसे दूर कर दिया होगा । उन लोगों के मौन और मानवता के प्रति उनकी दंडनीय उपेक्षा के लिए इतिहास में क्या स्थान होगा उसे इतिहास स्वयं बतला देगा ।

सांसारिक कमजोर लोग आपके बलिदानों पर दुःख अनुभव करते हैं । दिव्यात्माएं उन पर हर्ष प्रगट करती हैं । हम आपको मरा हुआ समझते हैं परन्तु वे आपको मरा हुआ नहीं वरन् जीवित समझते हैं । वस्तुतः यह बात ठीक है । आप लोग अपना नाम अमर और दूसरों के लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर गए हैं ।

वे माता-पिता धन्य हैं जिन्हें आप जैसी सन्तानों का माता-पिता बनने का सौभाग्य मिला है । वह देश और जाति धन्य है जिसमें आप जैसे वीर जन्म लेते हैं ।

आप अन्धे जोश में शहीद नहीं हुए हैं वरन् सत्य और न्याय के लिए शहीद हुए हैं । यही आपके बलिदान का गौरव है । —रघुनाथप्रसाद पाठक

सम्पादकीय

हमारा धर्म-युद्ध

व्यापक स्वरूप

अब आर्य्य-सत्याग्रह अखिल-भारतीय आन्दोलन बन गया है। जैसा विशाल और गंभीर रूप इसने धारण किया है उसकी कल्पना शायद निज़ाम-सरकार और इसके संचालकों को भी न थी। इसका मुख्य कारण धार्मिक स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आर्य्यों और हिन्दुओं का उत्साह और दृढ़ता ही है। निरन्तर ६ वर्ष पर्यन्त हमारी प्रार्थनाओं और अनुनय विनय के ठुकराए जाने के कारण आर्य्यों और हिन्दुओं में जो बेचैनी फैल गई थी वह भी इस आन्दोलन की व्यापकता का एक महत्व पूर्ण कारण है और सबसे बढ़कर कारण आन्दोलन का सुव्यवस्थित और नियन्त्रित रूप में संचालन और हमारे केस का अपील करने वाला स्वरूप है।

दूसरों का आशीर्वाद

न्याय और सत्य-प्रिय जनता ने जिसमें मुसलमान, ईसाई और पारसी भी सम्मलित हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारे इस आन्दोलन को आशीर्वाद और नैतिक सहायता प्रदान की है। विरोधी और भ्रमपूर्ण आन्दोलन के बावजूद भी-देश के छोटे से लेकर बड़े तबक़े तक की सहानुभूति को हमारे आन्दोलन ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यह बड़े सन्तोष की बात है। हमारे युद्ध के औचित्य का सब ओर से स्वीकार किया जाना इस युद्ध में हमारी सब से बड़ी जीत है।

हमारे शस्त्र और हमारे शत्रु

हम सत्य और अहिंसा के शस्त्र को लेकर युद्ध-क्षेत्र में अवतीर्ण हुए हैं। इस मार्ग से विचलित करने के लिए हमारे मार्ग में अनेक बाधाएँ और रोध के कारण उपस्थित किए जा रहे हैं। कहीं ज़हर और बम बाज़ी की दुर्घटनाएँ उपस्थित कर कराके उन्हें हमारे मत्थे

मढ़ने के विफल यत्न किए गए। कहीं हमारे शान्त और निर्दोष आर्य्य वीरों पर हिंसात्मक आक्रमण करके उन्हें उनके व्रत से च्युत करने और आन्दोलन को बदनाम करने की कुटिल चाल चली गई।

हमारे आर्य्य वीर पिटकर, अपमान सहन करके और सबसे बढ़कर अपने प्राण देकर शान्त बने हुये हैं और अपनी अहिंसा वृत्ति का परिचय दे रहे हैं। जहां तक अपने शस्त्र की पवित्रता की रक्षा का प्रश्न है इस में हम आशा से अधिक मात्रा में सफल हो रहे हैं और इस युद्ध की जो सबसे बड़ी पवित्रता समझी जाती है उसको स्थिर रख रहे हैं। यदि हम इस पवित्रता को बनाये रख सकें, जिसमें कोई सन्देह नहीं है, तो युद्ध का सफल अन्त दूर नहीं है।

हमारा आन्दोलन और प्रान्तिक सरकारें

भारत की प्रान्तिक सरकारें हमारे आन्दोलन को बड़ी सूक्ष्मता से देखती रही हैं। उनका रवैया हमारे आन्दोलन के प्रति निरपेक्ष वृत्ति का रहा है परन्तु अब उन सरकारों ने जिनमें पंजाब की सरकार सर्वोपरि है तुच्छ और काल्पनिक आधारों पर हमारे मार्ग में रोड़े अटकाने शुरू कर दिये हैं। पंजाब की सरकार ने १ व ' तक पंजाब में नरेन्द्र-रक्षा कानून लागू करके हमारे कार्य्य को कुछ जटिल कर दियाहै। शोलापुर के दंगे के लिये हमें जिम्मेवार ठहराकर बम्बई सरकार ने हमारी पोज़ीशन खराब करदी थी और कठनाइयाँ बढ़ा दी थी। मदरास सरकार ने हमारी सभाओं को १४४ धारा के आधीन रोक कर असन्तोष का कारण उपस्थित किया। ग्वालियर, भूपाल और पटियाला इत्यादि देशी राज्यों ने अपनी सीमाओं के भीतर रोक लगा कर निजाम सरकार की सहायता की। उनके रवैए के सम्बन्ध में कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है। हमारे सत्यव्यवहार और न्याय युक्त पक्ष ने बम्बई और मदरास सरकारों से हमारी कठनाइयों का निराकरण करा दिया है और जो कुछ थोड़ी बहुत कठिनाई रह गई हैं वह भी शीघ्र दूर होजायेंगी। आशा है पंजाब की सरकार भी अपनी भूल को अनुभव करके उसका शीघ्र ही परिमार्जन करदेगी और वहाँ आर्य्य समाजियों को किसी परीक्षा में नहीं डालेगी।

सार्व भौमसत्ता से माँग

भारत सरकार का इस आन्दोलन के प्रति रुख अब कटु आलोचना का विषय बन गया है। देश के बड़े २ गण्य मान्य लोगों ने एक मेमोरियल के द्वारा तथा प्रसिद्ध पत्रों ने उसे प्रेरणा की है कि वह निरपेक्ष वृत्ति का परित्याग करके निजाम सरकार से आर्य्यों और हिन्दुओं को न्याय प्राप्त करावे अथवा यह कुल मामला एक निष्पक्ष जाँच कमीशन के सुपुर्द किया जाय ताकि दुनिया को पता लगे कि कौन पक्ष ठीक है और कौन ग़लत।

साथ ही मानवी कष्ट और हैदराबाद की जेलों में मानवता का जो जो घोर अपमान हो रहा है वह तत्काल बन्द हो जाय। देखें भारत सरकार उस मेमोरियल का क्या उत्तर देती है।

ध्येय पर दृष्टि रखो

विभिन्न सरकारें क्या करती हैं और क्या नहीं करती हैं इन बातों में हमारा ध्यान और शक्ति नहीं बँटनी चाहिए। हमें तो पूरे २ संयम, अनुशासन, सत्य और अहिंसा के आचरण में प्रवृत्त रह कर अपना ध्येय सामने रखना और उसकी सिद्धि में संलग्न रहना चाहिए, जैसा कि हम आज कल संलग्न हैं। फिर कोई भी शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी वरन् हमें न्याय प्राप्ति में बाधक नहीं अपितु सहायक ही होगी। यदि इस परिस्थिति में जिसमें हम आज अपने को पा रहे हैं, हम जरा भी अपने मार्ग से विचलित हुए तो न मालूम किस गहरी खाई में जा पड़ेंगे, इस बात पर प्रत्येक आर्य्य और आर्य्यवीर को विचार करना तथा सावधान रहना चाहिए।

संयम और अनुशासन

इस समय सबसे ज्यादा जरूरत संयम और अनुशासन मे पालन करने की है। सार्वदेशिक सभा और वार कौंसिल के कड़े नियन्त्रण में रहने की जरूरत है। उनके आदेशों और आज्ञाओं का पूरे २ तौर पर पालन होना नितान्त आवश्यक है। यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आर्य्यसमाज ने इस अवसर पर जितना जोश और उत्साह दिखलाया है उससे कहीं ज्यादा अनुशासन और नियन्त्रण की भावना दिखलाई है। यदि अनुशासन में जरा भी ढिलाई होती तो सच मुच हम जो सफलता प्राप्त कर सके हैं वह कदापि प्राप्त न कर पाते और आर्य्य समाज ने अपनी संगठन और अनुशासन प्रियता का जो आश्चर्य्य जनक परिचय दिया है वह न दे पाते।

मुसलमान भाई

हमारे बहुत से मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। हमारे आन्दोलन और मांगों का खुले तौर पर समर्थन करते हैं। हम उनके कृतज्ञ हैं। सचमुच वे जहाँ हमारी सहायता करते हैं वहाँ अपनी जाति और निजाम सरकार की सेवा करते हैं। हमारे कुछ मुसलमान भाई अपने अदूरदर्शी सहधर्मियों के भुलावे में आकर गलत रास्ते पर पड़कर हमारे आन्दोलन का विरोध कर बैठते हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। हम तो उनसे केवल यही कहना चाहते हैं कि वे सत्य पर पहुँचने की कोशिश करें। हमारे आर्य भाइयों को भी उन्हें प्रेम से सत्य दर्शाने का यत्न करना चाहिये। जो मुसलमान भाई हमारे पक्ष का समर्थन करते हैं उनसे भी हमारा विनम्र निवेदन है कि वे अपने सहधर्मियों को ठीक रास्ता

दिखलाएँ। जो भाई हमें डराने, धमकाने और हिंसात्मक उपायों से निरुत्साहित करने की सोचते या यत्न करते हैं हमें उनकी बुद्धि पर तरस आता है। जो धर्मवीर सिर से कफन बाँधकर मैदान में निकले हुए हैं, जो मौत का हँसते २ आलिंगन कर रहे हैं उस पर इस प्रकार की धमकियों और हिंसा का क्या असर हो सकता है।

हमारे मुसलमान भाइयों को यह कह कर भड़काया जाता है कि आर्य और हिंदू लोग निज़ाम राज्य को जो भारत में सबसे बड़ी एकमात्र मुसलमानी रियासत है तबाह कर देना चाहते हैं।

असल बात तो यह है कि आर्य-समाजियों को मुसलमानों के विरुद्ध समझा और बतलाया जाता है। इस गलत किम्वदन्ती का इस अवसर पर स्वार्थी लोग लाभ उठाकर असल सच्चाई को छिपाने की कोशिश करके देश, इस्लाम और निज़ाम सरकार की अक्षम्य असेवा कर रहे हैं। यदि किसी हिन्दू राज्य में हमारी धार्मिक स्वतन्त्रता का ऐसा अपहरण होता जैसा निज़ाम राज्य में है तो हम उसकी प्राप्ति के लिए वैसा ही करते जैसा निज़ाम राज्य में आज कर रहे हैं। इस बात को हम कई बार दुहरा चुके हैं और आज भी दुहरा देते हैं।

हम समझदार मुसलमान भाइयों को निमन्त्रण देते हैं कि वे हमारे केस को अच्छी तरह पढ़ें और तब ही कोई सम्मति बनाएँ या जाहिर करें। यों ही स्वार्थी लोगों की चालों में आकर गलतियां न करें।

निज़ाम सरकार

निज़ाम सरकार से तो केवल इतना ही कहेंगे कि उसने अपनी अदूरदर्शिता और संकुचित वृत्ति से धार्मिक और नागरिक स्वतन्त्रता पर असह्य प्रतिबन्ध लगाने की जो भूल की थी उसका उसे काफी खमयाजा उठाना पड़ा है। इस आन्दोलन में वह जिस धुन्धले रूप में संसार के सामने आई है यदि उसने उदारता से काम लेकर धार्मिक और नागरिक स्वतन्त्रता से अपनी प्रजा को वंचित न रक्खा होता तो वह हर्गिज इस रूप में न आती। आवेश के इस अवसर पर शायद वह इस कटु सच्चाई की सत्यता को अनुभव न करे। परन्तु समय शीघ्र आ रहा है जब वह हृदय से अनुभव करके पश्चाताप करेगी। रहा आर्यसमाज! वह तो इस आन्दोलन में एक प्रकार से विजयी हो गया है उसने नैतिक विजय प्राप्त कर ली है। उसके न्याय संगत आन्दोलन ने उसे बहुत ऊँचे पर बिठा दिया है और उसका सन्देश ऐसे कोनों में पहुँच गया है जिसकी हमें कल्पना भी न थी। इसके लिए हम सबसे ज्यादा निज़ाम सरकार और उसके परामर्शदाताओं के आभारी हैं।

मेमोरियल

पाठक अन्यत्र मेमोरियल को पढ़ेंगे जो प्रतिष्ठित हिन्दुओं की ओर से वायसराय महोदय की सेवा में भेजा गया है। इस मेमोरियल का भारत के प्रसिद्ध २ पत्रों ने समर्थन किया है और आर्य्य समाज के प्रति न्याय करने की मांग प्रस्तुत की है। देहली का 'हिन्दुस्तान टाइम्स' निम्न प्रकार प्रकाश डालता है।

Call For Intervention

A memorial signed by one hundred Hindus, who have distinguished themselves in various walks of life, has been submitted to his Excellency the Viceroy, requesting him to appoint a Commission of Enquiry to go into the question of grievances of the Hindus, and especially the Arya Samajists in Hyderabad or, in the alternative, to take other steps to secure to the Hindu and Arya Samajists in the State their fundamental religious rights. For more reasons than those stated by the signatories to the memorial, we feel that the time has come, if it has not already passed when the Paramount Power must intervene to put an end to a situation which is becoming more and more intolerable day by day. The Satyagraha movement in Hyderabad may any day provoke the authorities into acts of repression which, in its turn, will force the Paramount Power to go into the whole question. Though the Arya Samajists have been trying their best to prevent the movement from assuming a communal colour, there is the danger of excitable individuals allowing enthusiasm to get the better of discretion while there are not communalist Muslims wanting who irrespective of the merits of the dispute, swear by His Exalted Highness and are ready to condone the worst acts of high-handedness and tyranny. But most unhappy of all, the Punjab Government themselves **appear to be taking a hand in the matter**, though it is none of their business to pull the chestnuts out of the fire for His Exalted Highness.

For all these reasons, it seems desirable that His Excellency the Viceroy should take cognizance of the dispute and bring about a settelement instead of allowing the situation to deteriorate, and interfering later in a more active form. Some of the restrictions placed by the Government of His Exalted Highness on Hindu religious observances can be the result only of fanatical folly of an extreme kind, not the acts of a civilized administration. The Muslim League has represented attempts in British India to make Hindustani popular as an assault on their language, but can they quote a parallel to the Nizam's action in forcing 88 percent of Hindus of the State to acquire knowledge in all schools and colleges in the State through the medium of what is to them a foreign language, namely Urdu, except in the first two primary classes? Not only this, private schools in which boys and girls may be taught through the medium of the mother-tongue are not allowed to function without permission and in fact more than 2,000 of them have been closed. If rulers of the States can thus violate the cultural and religious liberties of the majority of their subjects conditons in the State will soon border on the anarchical. And the prevention of anarchy in the States is, we presume, one of the objects of Paramountcy.

अर्थात्—१०० गण्यमान्य हिन्दुओं के हस्ताक्षरों से युक्त एक मेमोरियल वायसराय महोदय की सेवा में प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थना की गई है कि वे हैद्राबाद के हिन्दुओं मुख्यतया आर्य्यों की शिकायतों की जांच के लिए एक जांच कमीशन नियत करें। इसके अभाव में राज्य में हिन्दुओं और आर्य्य समाजियों को मौलिक धार्मिक अधिकार दिलाने के उपायों को काम में लाएँ। मेमोरियल पर हस्ताक्षर करने वाले सज्जनों ने जो कारण पेश किए हैं उनसे भी अधिक कारण हैं जिन की वजह से हम अनुभव करते हैं कि अब समय आगया है यदि वह अभी हाथ से नहीं निकला है कि भारत सरकार को हस्ताक्षेप करके उस स्थिति का अन्त कर देना चाहिए जो दिन प्रति दिन असह्य होती जारही है। यह सत्याग्रह हैद्राबाद अधिकारियों को किसी भी दिन दमन के लिए प्रेरित कर सकता है और बाद में वे ही कृत्य भारत सरकार को तमाम मामले की जांच के लिए

बाधित कर देंगे। यद्यपि आर्य्य समाजी इस बात का पूरा २ यत्न कररहे हैं कि यह आन्दोलन साम्प्रदायिक रूप धारण न करे तथापि भड़क जाने वाले लोगों का भय है जो जोश में होश का ध्यान नहीं रखते। ऐसे साम्प्रदायिक मुसलमानों का भी कमी नहीं है जो मामले को जाने और समझे बिना, निज़ाम महोदय का दम भरते और अन्याय और जुल्म की उपेक्षा करने को तय्यार हैं।

परन्तु सबसे दुर्भाग्यकी बात यह है कि स्वयं पंजाब गवर्नमेन्ट का हाथ इस मामलेमें देख पड़ रहा है यद्यपि निज़ाम सरकार की रक्षा के लिए अपने को खतरे में डाल देना उसका काम नहीं है।

इन सब कारणों से यह वांछनीय प्रतीत होता है कि वायसराय महोदय इस झगड़े को अपने हाथ में लेकर इसका अन्त कर दें बजाय इसके कि वे स्थिति को बिगड़ने दें और बाद में उसके सुधार के लिए उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़े। निज़ाम महोदय की सरकार ने हिन्दुओं के धार्मिक अनुष्ठानों पर जो प्रतिबन्ध लगा रखे हैं उनमें से कई हद दर्जे की मूर्खता का फल हो सकते हैं। सभ्य सरकारों के तो वे कृत्य हो ही नहीं सकते। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश भारत में शोर मचाया है कि हिन्दुस्तानी को लोक प्रिय बनाने का यत्न उनकी भाषा पर आक्रमण है परन्तु हैद्राबाद में राज्य के ८८ प्रति शत हिन्दुओं को राज्य के स्कूलों और कालेजों में, पहली दो प्राइमरी श्रेणियों को छोड़ कर, उर्दू भाषा में पढ़ने के लिए बाधित किया जाता है जो उनके लिए विदेशी भाषा है।

क्या मुस्लिम लीग ऐसी कोई मिसाल प्रस्तुत कर सकती है? इतना ही नहीं बल्कि बिना आज्ञा के प्राइवेट स्कूल भी नहीं चलने दिए जाते जिनमें मातृ भाषा के माध्यम के द्वारा लड़के और लड़कियाँ पढ़ सकें। और वस्तुतः २००० से अधिक प्राइमरी स्कूल बन्द हो चुके हैं। यदि रियासतें और राजा लोग अपनी बहुसंख्यक प्रजा की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतन्त्रताकी इस प्रकार अवहेलना करती है तो राज्यमें अवस्थाएँ शीघ्र अराजकतामें परिणत होजाती है और हम समझते हैं रियासतों में अराजकता को रोकना सार्वभौम-सत्ता का एक मुख्य उद्देश्य है

ऋग्वेद अगस्त १९३९ Reg. No.L. 2121 यजुर्वेद

सार्वदेशिक

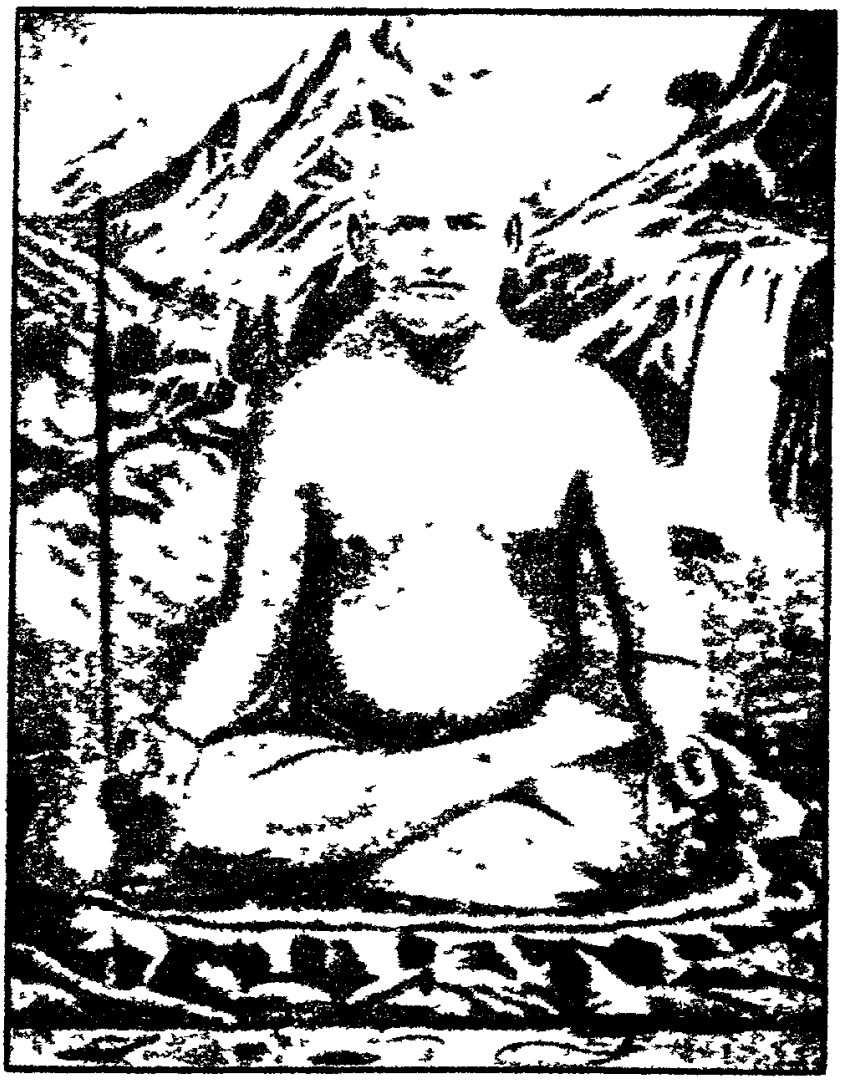

सम्पादक— प्रो० सुधाकर, एम०ए०,

स० सम्पादक— श्री रघुनाथप्रसाद पाठक

वार्षिक मू० स्वदेश २), एक प्रतिका ≡) विदेश से ५ शि० वार्षिक

अथर्ववेद सामवेद

॥ ओ३म् ॥

सार्वदेशिक

* सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र *

वर्ष १३ | श्रावण १९९६ | अगस्त १९३९ ई०] [दयानन्दाब्द ११४ | अङ्क ६

* वेद की शिक्षाएँ *

नेह भद्रं रक्षस्विने । ऋग० ८—४७—१

इस संसार में दुष्ट की खैर नहीं ।

The wicked are not safe in the world.

उपसर्प मातरं भूमिम् । ऋग० १०—१८—१

मातृभूमि की सेवा करो ।

Dedicate thyself to thy Motherland.

बलिदान

(२)

[हैदराबाद सत्याग्रह की सच्ची कहानियाँ]

लेखक—विद्यानिधि सिद्धान्तालंकार

(गतांक से आगे)

—×—

सस्ते में छूटे

हैदराबाद निवासी नारायण को बहुत से हुनर याद थे और उसके पिता को उससे भी बढ़कर। दोनों में बहुधा होड़ हुआ करती कि कौन बड़ा उस्ताद है।

हैदराबाद सत्याग्रह की धूम थी। नारायण के दिल में भी उसमें कूदने की उमंग थी मगर इस बारे में वह अब कभी कहता उसका पिता उसे किसी न किसी ढंग से दबा देता। इकलौता बेटा था। अलग करते दिल कांपता था।

नारायण ने हुनर से काम लिया। पिता पुत्र दोनों बड़े सवेरे बावड़ी पर स्नान के लिये जाया करते। उनका दैनिक नियम था। आज भी पहुंचे। बावड़ी थी गंभीर और भयानक। यह भी प्रसिद्ध था—प्रतिवर्ष दो युवकों की बलि लेती है।

नारायण कूद कर बावड़ी के ऊँचे कंगूरे पर चढ़ गया। नीचे, किनारे पर बैठा उसका पिता लोटे भर २ नहा रहा था। देखते ही चिल्लाया—

"अरे, गिरेगा क्या? उतर। बेवकूफ कहीं का।"

"हां, गिरूंगा। यदि हैदराबाद न जाने दोगे तो आज बावड़ी में कूद कर जान दे दूँगा।"

पिता था तो हुनरमन्द मगर इस समय सब चौकड़ियाँ भूल गया था। उसके हाथ से लोटा छूट पड़ा। जल-भीगे कपड़ों से सीढ़ियाँ निगोता हुआ नारायण की ओर दौड़ा।

"अच्छा बाबा, अच्छा। जा खुशी से हैदराबाद जा। मगर भगवान के नाम पर नीचे तो उतर आ।"

पुत्र के हाथों पिता को पूरी पराजय मिली।

× ×

सायंकाल का समय था। अपने अनिन्द्य भाल पर रक्त-सूर्य का कुंकुम लगाये सन्ध्या कुमारी संसार से विदा हो रही थी। उसके वियोग में दिवस म्लान और धूसर हो उठा था। एक उदास झोपड़ी में नारायण भी घर से विदाई ले रहा था। पिता ने कांपते हाथों उसे माला पहराई और माता ने मस्तक पर सिन्दूर का तिलक। वृद्धा के ओंठों पर हंसी, हृदय में हाहाकार, मचा हुआ था। नारायण को बाहर आते देख सैकड़ों कण्ठों ने जयध्वनि की। जत्था विदा होगया।

अब जाकर मां को रोने का अवसर मिला। बेचारी पुत्र के अमंगल भय से अब तक चुपचाप खड़ी थी। फुक्का फाड़कर रोने लगी।

मगर बाप ने बाधा दी। भर्राये गले से बोला—'दुर पगली, रोने का समय है कि हंसने का? अगर बावड़ी में कूद पड़ता तो क्या करती? कुछ समझती भी है? सस्ते में छूट गये हम तो!!'

आनन्द के आंसू

नगर नोटसा में, जहां ग़रीबों की झोपड़ियाँ बनी हैं, ऊदा हरिजन रहता है। उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठित सज्जन उस कबाड़ख़ाने में भूलकर भी नहीं फटकते। हां—एक आध हरिजन कार्यकर्ता कभी कभी उधर फेरी अवश्य लगा जाता है।

ऊदा का पेशा था मज़दूरी और आमदनी थी सोलह पैसे दैनिक। कभी कभी पत्नी भी मदद करती। मगर ऐसा सुयोग बिरला ही आता। बेचारी का बीमारी से ही पीछा न छूटता। ऊदा जब शाम को वापस लौटता, रास्ते में बनिये की दूकान से सौदा लेता आता। वही सोलह पैसे का तीन सेर आटा। स्त्री मोटी मोटी रोटियाँ सेंक देती। पहले दोनों बच्चे फिर पति पत्नी उस भोजन से अपनी भूख मिटा लिया करते।

× × ×

सत्याग्रह की दुन्दुभि बज रही थी। पचासों सत्याग्रही सैनिक-दल, ग्राम ग्राम में विचरण करते घूम रहे थे। नगरनोटसा में एक दल भी पहुंचा।

सायंकाल का समय था। ऊदा नित्य नियम की तरह बनिये की दूकान से आटा खरीद कर डग बढ़ाये घर की ओर चला आ रहा था। देखा, रास्ते के मैदान में एक सभा जुड़ रही है। सैकड़ों नर नारी बैठे दलपति का व्याख्यान सुन रहे हैं। उसकी उत्सुकता बढ़ी। ठहर गया। व्याख्याता कह रहे थे—

"आर्य समाज की न निज़ाम से शत्रुता है न मुसलमानों से। मगर वह कहीं भी वैदिकधर्म का अपमान नहीं सह सकता। हैदराबाद का गत १५ साल का इतिहास सिद्ध कर रहा है कि वह वहाँ से वैदिक धर्म को नष्ट करने पर तुला है। हम उसी धर्म की रक्षा के निमित्त वहां जारहे हैं। हमारी विजय निश्चित है। निकट भविष्य में सिर्फ हैदराबाद से ही नहीं बल्कि भारत भर में से हिन्दुओं की धार्मिक असुविधायें स्वप्न साम्राज्य की तरह अदृश्य होजायंगी। आपको चाहिये आप इस सत्याग्रह में तन-मन-धन से सहायता करें।"

श्रोताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। जिसके पास जो कुछ था देने लगा। ऊदा खड़ा सोच रहा था। यह तीन सेर आटे की पोटली—उसका भूत, भविष्य और वर्तमान थी। सर्वस्व थी। भूखे बाल बच्चों का एक मात्र सहारा। इसे दे देने के बाद पीछे एक दाना भी नहीं।

मगर ग़रीबों के हृदय होता है। वह चिन्ता उसे देर तक न बांध सकी। अगले ही क्षण में वह मंच के पास खड़ा था।

"महाराज, दास की तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिये।"

दलपति ने देखा एक दीन, हीन, दुर्बल, फटे चीथड़े पहने सामने खड़ा है। उसे पोटली की रहस्य कथा समझने में देर न लगी।

"धन्यवाद। तुम्हारी भेंट स्वीकार है। अब हम इसे अपनी ओर से तुम्हें भेंट करते हैं। तुम्हारे बाल-बच्चे भूखे होंगे। उनके नाम पर इसे लेजाओ।"—दलपति ने कहा।

"कभी दिया हुआ दान भी वापिस लिया जाता है; महाराज? मेरा परलोक तो न बिगाड़िये, अन्नदाता।"

भेंट स्वीकार करनी पड़ी। जनता के आग्रह से नीलाम पर चढ़ाई गई। देखते ही देखते पोटली भारी होगई। १ चवन्नी ग्यारह चवन्नियाँ बन गई।

ऊदा को रसीद मिली—

"श्री ऊदा हरिजन नगर नोटसा से हैदराबाद सत्याग्रह-निधि मध्ये दो रुपया बारह आना धन्यवाद पूर्वक प्राप्त। हस्ताक्षर—प्राप्त कर्ता"

* * *

उसे खाली हाथ घर में घुसते देख पत्नी की त्योरियाँ चढ़ गईं। भूखे बच्चे निराश होकर बिलबिलाने, छटपटाने लगे। मगर उस थके मांदे, भूख से व्याकुल ऊदा की आखों से आनन्द के जो आँसू उस समय बरस रहे थे, उस करुणानिधि के सिवाय उसका मर्म और कौन जान सकता था।

कीचड़ से कमल

मौजा दोखवाया के छज्जू की आमदनी सात रुपया मासिक थी। उसने सत्याग्रह फण्ड में दो रुपये दिये थे। बुद्धू ने दिये थे ढाई रुपये। परन्तु उनका पड़ौसी मंगतू बेरोज़गार था घरमें खाने तक को न था। कहां से देता? छज्जू और बुद्धू को मंगतू का इस तरह बच निकलना बहुत अखर रहा था। जब गांवभर ने कुछ न कुछ दिया तो यह न देने वाला कौन होता है? उनका कुपित हृदय इसी तरह के तर्क किया करता। आते जाते ताने मेहने बिना बात न करते :—

"कैसा ज़माना आगया है। एक तरफ लोग धर्म के लिये स्वाहा हो रहे हैं, इधर लाला जी लम्बी ताने पड़े हैं। जैसे इनके बाप का कोई वास्ता ही नहीं है। लाज शरम सब ताक पर रखदी है।"

मंगतू सुनता और घूंट पी कर रह जाता।

* * *

रामू मंगतू का लड़का था। आयु १० साल, रंग काला। शरीर सूखा बिस्तेज; बदसूरत। मगर निर्धन बाप का बेटा था तो क्या, दुनियां को कुछ न कुछ समझता था। मंगतू का तो पता नहीं, मगर उसका शिशु हृदय, हैदराबाद निधि में अब तक कुछ न दे सकने के कारण भीतर ही भीतर शरमा रहा था।

बस्ती के पास घना जंगल लगता था। रामू एक दिन चुपचाप उसमें घुस गया एक हाथ में तूंबा एक में दरांती। मध्यान्ह का समय था। आकाश आग बरसा रहा था। ज़मीन गर्म लोहे की तरह तप रही थी। जंगल कंटीला और भयानक था। पखेरू डालियों सन्नाटा खेंचे बैठे थे। एक दम नीरव। कहीं कहीं वृक्षों के नीचे तनों के सहारे बैठे बन्दर ऊँघ रहे थे।

एक पीपल के पास पहुँच रामू रुक गया। ऊँची डाल पर शहद का छत्ता लगा था। वह कूदता हुआ पेड़ पर चढ़ गया। मगर ज्यों ही उसने छत्ते को दरांती छुआई सैकड़ों मक्खियां उस पर टूट पड़ी। छेड़ा हुआ छत्ता था, यह उसे पता न था। जल्दी २ नीचे उतरा। मगर भाग न सका। वहीं बेहोश हो कर ज़मीन पर गिर पड़ा। मक्खियों के विष ने उसे अधमरा बना दिया था।

जब सायंकाल की ठण्डी हवायें वन में बहने लगीं उसकी मूर्छा टूटी। मक्खियें उड़ चुकी थीं। पास ही सूखे पत्तों पर अमृत की तरह शहद बिखरा पड़ा था। देखते ही

उसका मुख खिल उठा। उसकी मेहनत बिलकुल व्यर्थ न गई थी। जल्दी २ तूंबे में शहद बटोर वह बस्ती की ओर भाग निकला। विलम्ब करने का समय न था। हिंसक पशुओं का भय समस्त वन में धीरे २ फैल रहा था।

* * *

भाग्य की बात। एक सत्याग्रही दल उसी दिन पैदल यात्रा करता हुआ बस्ती में पहुंचा था! मैदान में उसके स्वागत का प्रबन्ध किया गया था। झुण्ड के झुण्ड नर-नारी इकट्ठे होरहे थे।

मगर मंगतू को इस सबसे क्या, वह तो रामू की खोजमें बस्ती छानता फिर रहा था अन्त में घबराया हुआ वह वहां पहुँचा जहां सभा हो रही थी। व्याख्यान समाप्त हो चुका था। एक ओर पुष्पमालायें पहने सत्याग्रही बैठे थे। अपील के बाद धन संग्रह होरहा था। धड़ा धड़ पैसे बरस रहे थे। जब मंगतू पहुँचा, आश्चर्य में डूब गया। जिस रामू के लिये वह इतना व्याकुल था, वह सभाध्यक्ष के पास मंच पर खड़ा था। गले में माला लहरा रही थी। उसका वही शहद बिक रहा था। द्रौपदी की साड़ी की तरह उसके दाम बढ़ते जा रहे थे। होड़ लगी हुई थी। बीस, तीस, चालीस और पचास को पार करती हुई, कीमत नब्बे रुपये तक जा पहुँची थी। मंगतू आंखें फाड़ कर उस दृश्य को देख रहा था।

जब अन्त में १११।।=) में शहद बिक गया और मैदान तालियों से गूँज उठा, वह झपट कर रामू के पास जा पहुँचा।

"यह सब क्या है, बेटा?"

"अच्छा, यह तुम्हारा पुत्र है?"—सभाध्यक्ष ने पूछा।

"हां। सरकार"

"तुम्हारे पुत्र ने सत्याग्रह निधि में एक सौ ग्यारह रुपये दस आने दान दिये हैं। यह लो उनकी रसीद।"

मैदान तालियों से एक बार फिर गूंज उठा। उसी समय भीड़ में से निकल कर छज्जू और बुद्धू ने मंगतू से हाथ मिलाये।

"रामू ने गांव का नाम चमका दिया" छज्जू ने कहा।

"कीचड़ से कमल भी तो पैदा होता है।" मंगतू बोला।

एक धेला

भगवान भावना को देखते हैं दान की मात्रा को नहीं। वे निष्ठा से प्रेम करते हैं प्रतिष्ठा से नहीं।

× × ×

स्कूल जाते समय बालक बालिकाओं को जितनी चिन्ता अपने पैसे की रहती है उतनी पाठ्य पुस्तकों की नहीं। इसे वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। न मिलने पर रूठते और मचलते हैं। मिल जाने पर इतने प्रसन्न होते हैं जैसे अक्षय निधि मिल गई हो।

ये पैसे देवपूजा के काम आते हैं। खोमचे के मन्दिर में चट पटे छोले, दही भल्ले खट्टी पकौड़ियाँ, मसाले की दाल और नमकीन इमली आदि नाना देवताओं पर इनकी बलि चढ़ाई जाती है। खोमचे वाला 'पुजारी' उस उपहार को हंस २ कर स्वीकार करता जाता है और बदले में चाट का चरणामृत भक्तों को देता जाता है। सचमुच, ये छोटे छोटे भक्त जब उस देव-प्रसाद को चाटते हुए, तन्मय हो कर नाचते हुए, आनन्द प्रकट कर रहे होते हैं, तो एक बार स्वर्ग के देवता भी उनसे डाह कर उठते हैं।

× × ×

मगर उस दिन कन्या महाविद्यालय जालन्धर शहर की पांच पाठशाला में यह 'देवार्चन' नहीं हुआ। खोमचे वालों का 'प्रसाद' किसी भक्त ने ग्रहण नहीं किया।

आधी छुट्टी होते ही छोटी २ बालिकायें मुख्याध्यापिका के बड़े कमरे की तरफ भागी जा रही हैं। भीड़ लग रही है।

खोमचे वालों ने समझा अब 'बड़ी बहिन जी' भी खोमचा लगाने लगी हैं। उनके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई।

कमरा बालिकाओं से भरा था। शोर मच रहा था।

"मेरा भी एक पैसा लिखलो, बहिन जी। यह लो।" एक कन्या कह रही थी।

"सब्र करो। शोर न मचाओ। सब से ले लूँगी"—बहिन जी कहती जातीं और पैसे लेती जातीं। टेबिल पर पैसों का ढेर लग गया। बालिकाओं के नाम और उनके पैसों की संख्या लिखते लिखते छोटी अध्यापिका का हाथ थक गया, मगर पैसा देने वाली बालिकाओं के हाथ न थके। उत्साह से पागल होरही थीं।

उसी समय एक बहुत छोटी कन्या नंगे सिर, नंगे पाँव, धुम्मी जमीन पर घसीटती हुई उस भीड़ में आघुसी।

"मेरा धेला भी लिखलो, बहिनजी। यह लो।" कन्या ने एड़ियाँ उठाकर ऊँचे से कहा।

"चल पीछे हट। धेला देने चली है" एक सजी-धजी बालिका ने झिड़क दिया।

बेचारी झिझक गई। निर्धन माता पिता की सन्तान थी। प्रति दिन पैसा पाने का उसका सौभाग्य कहां था! रोज खाली जेब स्कूल आती। आधी छुट्टी में जब सब बालिकायें अपने पैसों के बदले में चाट का प्रसाद पातीं, वह दूर खड़ी मुँह ताका करती। मगर आज का धेला वह मां से लड़ झगड़ कर बड़ी मेहनत से लाई थी। झिड़की पाते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे।

तत्काल 'बहिन जी' का प्रेम भरा हाथ उसके सिर पर पहुँचा।

"शाबाश। ला, कहां है तेरा धेला? लिखो जी इसका नाम। बड़ी रानी बेटी है।"

झिड़कने वाली कन्या शरमा गई। "मगर जानती भी है ये पैसे क्यों इकट्ठे किये जा रहे हैं?" उत्साह बढ़ाने के अभिप्राय से बहिन जी ने पूछा।

"हां। हैदराबाद में हिन्दुओं को 'नमस्ते' नहीं कहने दी जाती" तपाक से कन्या ने उत्तर दिया।

सब अध्यापिकायें खिल खिला कर हंस पड़ीं।

बहिनें

"तुम अभी विद्यार्थी हो, पढ़ाई समाप्त होने तक तुम्हें किसी सत्याग्रह में शामिल न होना चाहिये।" पिता ने कहा।

"यदि आग लग जाने पर किसी अधभरे हौज से पानी माँगा जाय तो क्या वह इन्कार कर देगा?" पुत्र बोला।

चौधरी होशियारसिंह निरुत्तर होगये। पुत्र का तर्क उन्हें उचित जान पड़ा। वे उसकी ज़िद को टाल न सके। प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी

शीतल अगले ही दिन हैदराबाद चला गया।

* * *

माता पिता ने निश्चय किया कि जब तक जेल से पुत्र नहीं लौटता वे खाट पर न सोयेंगे और दिन में एक बार ही भोजन करेंगे। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि हैदराबाद की जेल में यदि कहीं उनका पुत्र धर्म की वेदी पर न्योछावर होगया तो वे गेरुये वस्त्र धारण कर संन्यासी होजायेंगे।

शीतल को जेल गये कितने ही दिन होगये । चौधरी होशियारसिंह और उनकी पत्नी ने अपना व्रत जारी करदिया है ।

गर्मियों की गरम रातें थी । आकाश में धूल चढ़ी हुई थी । हवा बन्द थी । दम घुट रहा था । अमीर लोग बिजली के पंखों की हवा में पड़े निश्चिन्त सो रहे थे । मगर ऐसी रात में ग़रीबों को नींद कहां !

चौधरी की भी नींद खुल गई । उनकी दोनों कन्याओं की खाटें पास ही बिछी थी । उन्हें ख़ाली देख वे घबरा उठे ।

"अरे, कहाँ गईं ये दोनों " उनकी आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज उठी ।

देखा—उधर, मैली ज़मीन पर, दोनों बहनें अनाथों की भांति पड़ी सो रही हैं । चौधरी की आत्मा सिहर उठी ।

दोनों को तत्काल जगाया और भर्त्सना करते हुये उन्हें खाट पर सोने का का आदेश दिया ।

"खाट पर सोया नहीं जाता, पिता जी " एक कन्या ने कहा ।

"खटमल हो गये हैं क्या ? प्रेमपूर्वक पिता ने पूछा ।

"जब शीतल जेल में ज़मीन पर सोता है तो हम खाट पर कैसे सोयें । "

चौधरी चुपचाप अपने बिस्तर पर आ कर लेट गये । उनका गला भर आया उत्तर देते न बना ।

* * *

उस रात फिर किसी को नींद नहीं आई । उन्हें रह २ कर शीतल की याद आने लगी ।

देखा—हैदराबाद की सुदूर वर्ती जेल में वह टाट के बिस्तर पर तसले का तकिया लगाये सो रहा है । उसका चेहरा मुरझाया हुआ है । तपी हुई जमीन पर ईंटें ढोने का काम करने से उसके कोमल पांवों में छाले उठ आये हैं । वह बीच २ में नींद में बड़बड़ा उठता है—मानों कह रहा है—

"मैं अच्छा हूँ, पिता जी । मेरी चिन्ता मत करना ।"

हमारे सर्वाधिकारी

(गतांक से आगे)

प्रथम सर्वाधिकारी श्रीयुत महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज

आर्य जगत् क्या इस समय समस्त भारतवासी श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के शुभ नाम तथा तेजस्वी काम से भली भांति परिचित हो चुके हैं। सत्तर वर्ष की इस वृद्धावस्था में आप में कार्य्यशक्ति नौजवानों से भी अधिक है। आपकी कार्य्यतत्परता, कार्य्य को नियम से करना आदि गुण प्रसिद्ध हैं। सत्याग्रह सम्मेलन, (शोलापुर) की सफलता का श्रेय बहुत कुछ स्वामी जी तथा स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज को है।

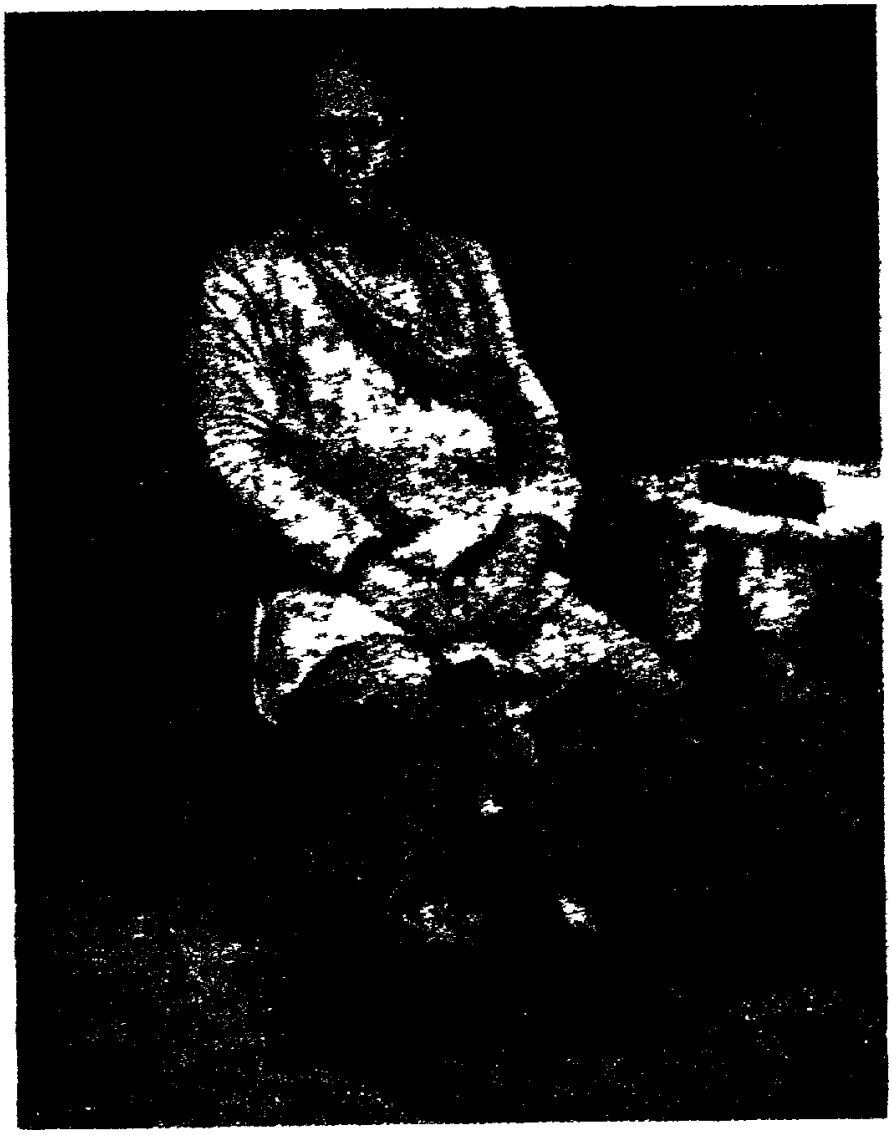

श्री स्वामीजी का जन्म १८६९ ई० में हुआ। संन्यास-आश्रम में प्रवेश से पूर्व श्री महात्मा जी का कार्य्य-क्षेत्र संयुक्त-प्रान्त ही रहा। युवावस्था से ही आप समाज-सेवा कर रहे हैं। लगभग ४७ वर्ष से आप देश, जाति तथा धर्म्म की सेवा कर रहे हैं। ऋषि दयानन्दजी के बाद जिन महान् आत्मा ऋषि भक्तों ने वैदिक धर्म्म-प्रचार तथा प्रसार का काम अपने हाथमें लिया, स्वामी जी उनमें से एक थे। आप संयुक्तप्रान्त की आर्य्यप्रतिनिधि सभा के अन्तरङ्ग-सदस्य, उपमन्त्री, मन्त्री आदि अनेक उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते रहे हैं।

संयुक्तप्रान्त में गुरुकुल स्थापन करने का जब प्रश्न आया, तो आपने इसको अपने हाथ में लिया। आप ही ने सब से पहले प्रान्त की प्रतिनिधि सभा के सम्मुख गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव पेश किया। उस समय संयुक्तप्रान्त के आर्य्य-सामाजिक भाई गुरुकुल खोलने में अपने आपको असमर्थ समझते थे, इस वास्ते वह इस कार्य्य से संकोच करते थे, किन्तु जब सभा के वृहदधिवेशन में आपने ओजःपूर्ण व्याख्यान दिया, तो सभी का संकोच जाता रहा, सभी उत्साह से भर गए और गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। गुरुकुल के लिए जब धन का प्रश्न आया, तो आपने सारे प्रान्त में घूम कर पुष्कल धन इकट्ठा कर दिया। संयुक्त प्रान्त का गुरुकुल पहले सिकन्दराबाद में था (अब भी वहां एक गुरुकुल है), १९०६ ई० में वह फ़रुख़ाबाद में लाया गया। १९११ ई० में देशभक्त दान वीर राजा महेन्द्रप्रताप ने वृन्दावन में गुरुकुल के लिए पर्य्याप्त भूमि दान की, तब गुरुकुल फ़रुख़ाबाद से वहां लाया गया। सभा ने निश्चय किया कि अक्तूबर मास में गुरुकुल वृन्दावन ले जाया जाय, और दिसम्बर मास में उसका वार्षिक उत्सव भी यथापूर्व अवश्य किया जाए, और वह उत्सव किया जाए नई भूमि में। उस समय इस कार्य्य को करने को कोई भी आगे नहीं आता था, तब महात्मा नारायणप्रसाद जी (पूर्वाश्रम में स्वामी जी का यही शुभ नाम था) ने तीन मास का अवकाश ले लिया. और वृन्दावन जा पहुँचे और रात दिन एक करके आपने सब आवश्यक मकान आदि तय्यार करा दिये।

उन दिनों गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता-पद पर श्री पं० भगवान्दीन जी अधिष्ठित थे। वे रुग्ण हो गए, और इस कारण गुरुकुल से चले गए। उनके स्थान पर सभा ने आप ही को मुख्याधिष्ठाता नियत किया। उस समय आपकी नौकरी की अवधि समाप्त होने को एक वर्ष शेष था, उसके बाद आप को पेन्शन मिल जाती। कई शुभचिन्तकों ने आपको यह आग्रहपूर्वक सम्मति दी कि आप अभी नौकरी न छोड़ें, और डाक्टरी सार्टिफिकेट देकर Invalid pension (दुर्बलावस्था के कारण पेन्शन) ले लें। आप को यह सम्मति पसन्द न आई। आपके आत्मा ने धर्म्म के लिए अधर्म्म का सहारा लेना उचित न जाना। आपने गुरुकुल की सेवा के लिए सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। इसे कहते हैं धर्म्मनिष्ठा।

आपके गुरुकुल में आने के बाद गुरुकुल की बहुत उन्नति हुई। गुरुकुल से स्नातक भी आपके समय में निकलने लगे, धन आदि की दृष्टि से भी गुरुकुल खूब बढ़ा।

१९१९ ई० में आपका वयः-क्रम पचास वर्ष का हो गया। तब आपने चतुर्थ आश्रम—संन्यास—की तय्यारी के लिए गुरुकुल के कार्य-भार से अवकाश ग्रहण कर लिया। संयुक्त प्रान्त के आर्य्य भाइयों ने उनकी सेवाओं की भरपूर सराहना की और और उनकी सेवा में एक अभिनन्दन-पत्र समर्पित किया।

गुरुकुल से विदा होकर आप ने नैनीताल के समीप रामगढ़ में एकान्त और सुरम्य स्थान में अपनी कुटिया बनाई, उसका नाम नारायणाश्रम रखा। तीन वर्ष वहाँ एकान्त में रह कर आपने तप और स्वाध्याय किया। उसके बाद प्राजापत्य इष्टि के द्वारा सर्वस्वमेध-याग करके संन्यासाश्रम में प्रवेश किया।

दीक्षा लेने से पूर्व कुटिया समेत जो कुछ आपके पास था, वह सब संयुक्तप्रान्त की आर्य्य प्रतिनिधि सभा को दे डाला

अब महात्मा नारायणप्रसाद, श्री नारायण स्वामी जी नाम धारण कर जनता की सेवा में तत्पर हुए।

संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने के पीछे कई महत्वपूर्ण कार्य्य आपने किए हैं. मथुरा में श्री मद्दयानन्द-शताब्दी-महोत्सव की सफलता का संपूर्ण श्रेय आपको है। महोत्सव की समाप्ति पर आर्य्य-जनता ने आपको मानपत्र देकर मुक्त कण्ठ से, महोत्सव-संम्बन्धी सफलता के लिए, धन्यवाद दिया।

महाधन स्वामी श्रद्धानन्द जी के पश्चात् सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा की बागडोर आपने सँभाल ली। तब से आप ही उस सभा के प्रधान चले आ रहे थे। गतवर्ष आपके इन्कार करने पर बा० घनश्यामसिंह जी गुप्त को प्रधान बनाया गया।

आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आप उर्दू, हिन्दी के प्रौढ़ लेखक हैं। अंग्रेजी भाषा पर भी आपका पर्याप्त अधिकार है।

सुदीर्घ छः वर्षों तक आप ने निजाम राज्य से आर्य्यों के कष्टनिवारणार्थ पत्रव्यवहार किया, संपूर्ण उपायों को वर्ता। किन्तु निजाम सरकार टस से मस न हुई। तब आपने विवश होकर सभा को सत्याग्रह करने का परामर्श दिया। उसके लिए भी एक वर्ष का और अवसर दिया। जब शोलापुर-सत्याग्रह-सम्मेलन में सत्याग्रह का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, तब आप ही प्रथम सर्वाधिकारी (डिक्टेटर) नियत हुए। सत्याग्रह चलाने, अपने उत्तराधिकारी नियत करने आदि के सम्पूर्ण अधिकार आपको दिए गए।

सत्याग्रह करने के बाद की घटनाएँ अभी ताज़ा ही हैं। उनकी चर्चा यहाँ अनपेक्षित है।

स्वामी जी महाराज के सत्याग्रह करने से सत्याग्रह का महत्व बढ़ गया है।

षष्ठ सर्वाधिकारी म० कृष्ण जी

आर्य सत्याग्रह (हैदराबाद) के सम्बन्ध में इस समय पंजाब में जो जोश के भाव हैं, उसका श्रेय श्रीयुत स्वामी सत्यानन्द जी महाराज तथा म० कृष्ण जी को है। पूज्य स्वामी जी महाराज यद्यपि कई वर्षों से विश्राम-सा ले रहे थे, किन्तु सत्याग्रह-संग्राम उन्हें भी बाहर खींच लाया। स्वामी जी महाराज के वीर भाव भरे ओजस्वी भाषणों से पंजाब का रंग रूप ही मानो बदल गया है। सुस्त मनुष्यों और समाजों को स्वामी जी ने चुस्त कर दिया है। उधर महाशय कृष्ण ने दैनिक 'प्रताप' (उर्दू) और और साप्ताहिक 'प्रकाश' (उर्दू) में लेख लिख कर अभूत पूर्व जागृति उत्पन्न कर दी है।

महाशय जी आर्य समाज के पुराने महारथी हैं। चौंतीस वर्ष से ऊपर होते हैं जब पहले पहल महाशय जी ने लाहौर से साप्ताहिक 'प्रकाश' का प्रकाशन आरम्भ किया था। आर्य समाज तथा देश की परिस्थिति में कई उतार चढ़ाव आये, किन्तु महाशय जी ने एक भी अवसर पर आर्य समाज से अपना सम्बन्ध विच्छेद करने की कल्पना तक भी नहीं की।

महाशय जी कई वर्ष तक आर्य प्रतिनिधि सभा के अङ्गरेजी साप्ताहिक पत्र 'आर्य पत्रिका' का बहुत योग्यता से सम्पादन करते रहे हैं। महाशय जी श्री महात्मा मुन्शीराम जी के दाहिने हाथ माने जाते रहे हैं।

महाशय जी में कार्य शक्ति तथा प्रबन्ध शक्ति अद्भुत है। महाशय जी वर्षों सभा के उपमन्त्री और वर्षों ही मन्त्री रहे हैं। इस समय आप सभा के उप प्रधान हैं।

जब पहले पहल महाशय जी सभा के मन्त्री बने थे, उस समय सभा के वेद प्रचार विभाग का वार्षिक बजट केवल २०००) रु० था। महाशय जी के पुरुषार्थ से वह चालीस हजार तक जा पहुँचा। आपके पुरुषार्थ से वेद प्रचार की स्थिर निधि में भी एक लाख रुपया होगया था। महाशय जी चन्दा-चयन में विशेष चतुर हैं।

आपके मन्त्रित्व काल में गुरुकुल कांगड़ी ने भी प्रभूत उन्नति की। प्रति वर्ष गुरुकुल के उत्सव से पूर्व 'प्रकाश' में 'चलो गुरुकुल' शीर्षक लेख लिख कर जनता में गुरुकुल-उत्सव में सम्मिलित होने के भाव भरदिया करते रहे हैं। गुरुकुलोत्सव को वर्त्तमान शान तक पहुँचाने में महाशय जी का बहुत अधिक भाग है।

मार्शल-ला के उग्र दिनों में महाशय जी ने 'प्रताप' उर्दू निकाला। उसका एक ही अङ्क निकलने पाया था, कि वह जब्त कर लिया गया। महाशयजी भी धर लिए गए।

महाशय जी ने स्वनामधन्य महात्मा मुन्शीराम जी का अनुसरण करते हुए 'प्रकाश' की भाषा में पर्याप्त परिवर्तन किया। 'प्रकाश' की भाषा वेष (लिपि) की दृष्टि से उर्दू है किन्तु भाव-प्राण (शब्दों) की दृष्टि से हिन्दी है। 'प्रताप' में भी महाशय जी भाषा के सम्बन्ध में इस नीति का प्रयोग करते हैं।

महाशय जी सिद्धहस्त लेखक हैं; शत्रु-मित्र सभी आपकी लेखनी का लोहा मानते हैं। आपके लेखों को विशेष चाव से पढ़ा जाता है। आप जिस विषय पर लिखते हैं, उसका सजीव चित्र-सा खींच देते हैं, उस विषय के सम्बन्ध में ज्ञातव्य सभी बातों का समावेश अति सुन्दरता, स्पष्टता तथा युक्ति-पूर्णता से करते हैं। भले ही उनसे कोई भिन्न या विरुद्ध मत रखता हो किन्तु उनके लेख की प्रशंसा वह भी अवश्य करता है।

ख्वाजा हसन निजामी जैसे उर्दू-भाषा के आचार्य ने एक बार महाशय कृष्ण जी के लेखों तथा भाषा की प्रशंसा की थी।

महाशयजी व्याख्यान भी खूब करते हैं। आप समाजों के उत्सवों पर प्रायः जाते रहे हैं। मन्त्रित्व काल में प्रति शनि-रविवार आप प्रायः बाहर रहा करते थे। लोग आपके व्याख्यानों में बहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं।

महाशय जी शरीर से दुबले पतले हैं। औषधि के सहारे जीवन यात्रा चलाए जा रहे हैं। यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि आर्य-सत्याग्रह के वर्त्तमान सब सर्वाधिकारियों की अपेक्षा महाशय जी खराब स्वास्थ्य के अधिकारी हैं। इस दुर्बल देह में, आपके आत्मा और मन बहुत बलिष्ठ हैं और आप अपनी धुन के पक्के हैं। जब किसी कार्य को

हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं। महाशय जी की इष्ट-सिद्धि में उनका दुर्बल शरीर भी बाधक नहीं बन सका, सत्याग्रह के सम्बन्ध में महाशयजी का इस कठोर गरमी में दौरा करना इसका प्रबल प्रमाण है।

* * *

आठवें सर्वाधिकारी श्री बैरिस्टर विनायकराव जी

श्री पं० विनायकराव जी श्री पं० केशवरावजी वकील के बड़े सुपुत्र हैं। इनके पिता रियासत हैदराबाद के उच्च कोटि के वकील ही न थे बल्कि हाइकोर्ट के जज रहकर पेन्शन पाते रहे और रियासतके हर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनके नेता थे। पं० विनायकराव जी ने गुरुकुल काङ्गड़ी हरद्वार से स्नातक होकर विद्यालंकार की पदवी प्राप्त की

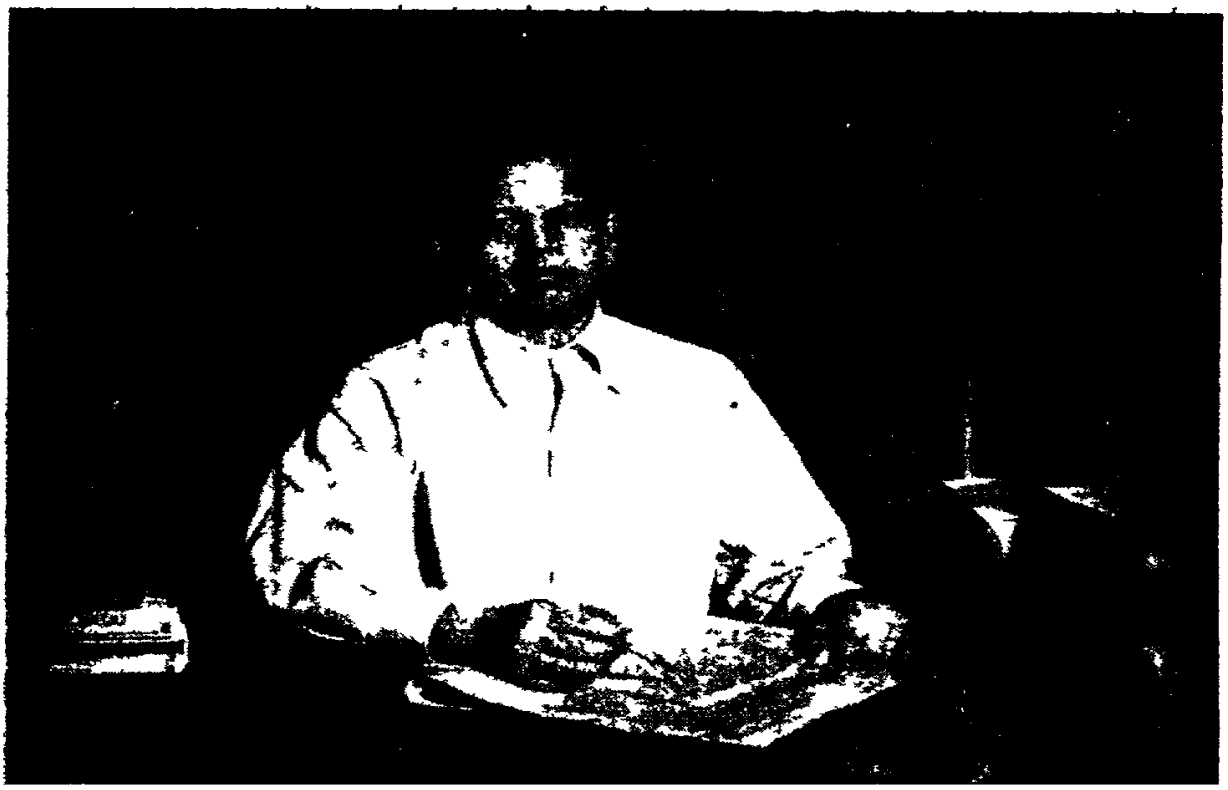

है। वहां से आप लन्दन जाकर बैरिस्टर बनकर आगये। आप आर्यसमाज सुलतान बाज़ार हैदराबाद के प्रधान और आर्य प्रतिनिधि सभा निज़ाम राज्य के भी प्रधान हैं। इस समय सारे रियासत के आर्य हिन्दुओं के यह एक मात्र नेता हैं। लाखों हिन्दुओं और समस्त आर्यों के यह हृदय सम्राट हैं। आप रियासत में हिन्दुओं के धार्मिक और राजनैतिक मामलों में बड़ी दिलचस्पी लेते रहते हैं। आर्य समाज के तो प्राण ही हैं। आप तन मन धन से वर्षों से आर्य समाज की सेवा कर रहे हैं। अपनी लाखों की सम्पति पर

लात मार कर सत्याग्रह संग्राम में आ खड़े हुये हैं। पण्डित जी के उत्साह और त्याग की सराहना करने के लिये बहुत शब्द चाहिये। गत वर्ष अप्रैल मास में सहस्रों मुसलमानों ने आपके घर पर हमला कर दिया था। आप केवल तन से ही समाज की सेवा मे तत्पर नहीं रहते, अपितु हजारों रुपये समाज सेवा में व्यय किया करते हैं। आप लगभग ४५ वर्ष के हैं।

आपके लिये धर्म की खातिर कष्ट उठाना तो एक खेलसा होगया है। निज़ाम स्टेट में जब २ आर्य हिन्दुओं पर कोई आपत्ति आई आपने अपने सुख की परवाह न करते हुये धन व्यय को न देखते हुये, अपने भाइयों की आपत्ति को तत्काल दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न किया है। आपकी योग्यता, आपकी विद्वत्ता और अद्भुत प्रतिभा का सिक्का न केवल आर्य हिन्दुओं के दिलों पर अपितु निज़ाम सरकार के अधिकारियों पर भी है। इसीलिये तो आर्य सत्याग्रह संग्राम के आप सर्वाधिकारी नियत हुये हैं।

नागरिक और धार्मिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में

निज़ाम सरकार के सुधार

गत २०-७-३९ को निज़ाम सरकार ने सुधारों की घोषणा की है। इन सुधारों में से हमारा सीधा सम्बन्ध नागरिक और धार्मिक स्वतन्त्रता से है अतः उन सुधारों का सार यहां दिया जाता है:—

नागरिक स्वतन्त्रता

सुधार कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि नागरिक स्वतन्त्रता 'उचित हद' तक दी जानी चाहिए। विरोधी भावनाओं को बराबर रखने के लिए तथा जनता के जीवन में स्थायित्व पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि भाषण देने और लिखने के पूर्व स्वतन्त्रता पर थोड़े से नियंत्रण रखे जांय। ये नियंत्रण कुछ तो दंड देने वाले क़ानूनों के रूप में होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जायगा।

उक्त सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार ने उस क़ानून को मंसूख कर दिया है जिस के द्वारा राजनीतिक या साम्प्रदायिक सार्वजनिक सभा के आयोजन के लिये आज्ञा प्राप्त कर लेना आवश्यक था। अब केवल ऐसी सभा करने की सूचना दे देना काफी है। अगर स्थानीय अधिकारियों के मतानुसार किसी सभा से उन्हें राजद्रोह, वर्ग द्वेष, भड़कने या सार्वजनिक शांति के भंग होने की आशंका हो तो उन्हें इस बात का हक है कि वे ऐसी सभा विशेष पर रोक लगा सकते हैं। अगर स्थानीय अधिकारियों की सभा पर लगाई गई रोक की सूचना समय पर नहीं पहुँचती तो कोई भी सार्वजनिक सभा की जा सकती है। लगाई गई रोक आज्ञा के विरुद्ध सभा के संयोजक को सरकार से अपील करने का हक है। सभा की सूचना देने से सम्बन्ध रखने वाले कायदे ऐसे रखे जायेंगे जो आसान हों और उनके लिए प्रत्येक स्थानीय सुविधा दी जायगी। सरकार को आशा है कि उसने सार्वजनिक सभाओं के सम्बन्धित कानूनों में कड़ाइयां कम की है उनका दुरुपयोग दोनों बड़े बड़े सम्प्रदाय आपस का द्वेष बढ़ाने के लिए न करेंगे।

सम्पर्क की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कहा गया है कि राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे संस्थाओं के स्थापित करने पर किसी प्रकार का नियंत्रण हो।

प्रस्ताव किया है कि समाचारपत्रों के सम्बन्ध में ब्रिटिश भारत के जैसा ही एक कानून अन्य कानूनों के साथ व्यवहार में लाया जायगा।

निजाम ने कहा है कि जिम्मेदार प्रेस और सार्वजनिक प्लेटफार्म एक राज्य के लिए बड़े मतलब की चीज है। आपने आशा प्रगट की है कि प्रस्तावित परिवर्तनों से जिम्मेदार प्रेस और प्लेटफार्म की स्थापना होगी।

धार्मिक स्वतन्त्रता

सुधार कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि धार्मिक शिकायतों की जांच के लिए एक कमीशन बैठाया जाय और जो शिकायतें कमीशन को अपनी जांच में ज्ञात हों उनको दूर करने के लिए वह तरकीबों का प्रस्ताव करे।

सरकार का मत है कि उक्त आशय के लिए एक अस्थायी कमीशन नियुक्त करने के स्थान पर विधान में एक स्थाई कानूनी संस्था की व्यवस्था कर दी जाय। विभिन्न सम्प्रदायों के पास-पास रहने के कारण कुछ न कुछ प्रश्न उठते ही रहे हैं और इन प्रश्नों पर सरकार इस कमेटी से सलाह लेगी। अगर कोई सम्प्रदाय या वर्ग सरकार के पास अपनी शिकायतें लायेगा या धार्मिक कार्यों के करने में रुकावट कानूनों से या उनके व्यवहार में लाने से होगी और ये शिकायतें उचित सार्वजनिक महत्व की होंगी तो कमेटी ऐसे मेमोरियलों और अर्जियों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देगी। यह कमेटी दोनों सम्प्रदायों की ऐसी प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिए जिसमें जनता को विश्वास हो जाय। कमेटी में सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की दृष्टि तथा हिन्दू और मुसलमान प्रतिनिधियों की दृष्टि से प्रतिनिधित्व बराबर का होना चाहिए।

Resolutions

Passed in the Working Committee of the International Aryan League held at Delhi on 24th and 25th July 1939.

RESOLUTION No. I

This Sabha has gone through the communique dated 17th July 1939 and the Scheme of Reforms published by the Hyderabad Government in their "Gazette Extraordinary of 12 Shahr Pur 1348F including Firman of H.E.H. the Nizam dated 17th of July1939.

In the paragraph dealing with the question of the freedom of association, speech and writing which alone has immediate bearing on the demands of the Arya Samaj, it is announced that:-

> "Unlike certain other States there is at present no law in State regulating the formation of associations or organisations. Rules exist, however, in regard to public meetings which in the interests of public tranquility is not possible entirely to dispense with. With the development of representative bodies, however, Council is anxious to give as much freedom as existing conditions permit.
>
> It, therefore, proposes that the existing rules may be repealed, provision being made whereby conveners of public meetings will be required not to obtain any permission but only to give previous intimation to the competent authority for which every local facility will be given. Power at the same time must be reserved to such authority subject to appeal and control to prohibit the holding of any particular meeting, but only if in the opinion of that authority the meeting is likely to cause

disturbance of the public tranquility or to promote sedition or enmity between classes".

This recommendation of the council has been accepted by H.E.H. the Nizam in his Firman referred to above.

This statement is intended to convey the assurance that the Arya Samajists as well as other subjects of H.E.H. the Nizam would have uninterrupted right of association and organization such as formation and functioning of Arya Samajes and that the Arya Samaj as well as other organizations will have full freedom to convene public meetings and that all rules imposing restrictions in this behalf will be repealed.

Doubts have, however, been expressed whether this announcement also implies the repeal of rules which restrict religious performances in the State. As these doubts receive some support from the rules regarding religious performances which are at present in force and have not been expressly referred to, it is, in the opinion of this Sabha, necessary to have the position clarified.

As regards the Advisory Committee, the Sabha is strongly of opinion that such fundamental and elementary religious and cultural rights for which the Arya Samaj has been fighting should not be the subject matter of any enquiry, much less an enquiry by an Advisory Committee attached to a department of State (apparently the Ecclesiastical Department) and authorised only to submit a confidential report to the department.

The Sabha therefore requests the president, the Hon'ble Mr. G.S. Gupta, who has already been invested with full powers to take immediate steps to have the position clarified and also take such action as the situation may from time to time demand. The Sabha further advises the Satyagraha Committee to see that Jathas of Satyagrahis should stay where they are encamped at present untill further instructions.

Resolution No. II

This Sabha expresses its deep satisfaction at the warm and enthusiastic response made by the Arya Samajists and other Hindu brethern all over the country to the appeal of this Sabha for men and money required for the Satyagraha campaign in Hyderabad State and tenders hearty congratulations to all of them for the spirit of service and sacrifice displayed by them. This Sabha also tenders its heartfelt thanks to the Press and Public in general for their sympathy and for their moral and material support so generously extended to the Sabha in this righteous struggle and the Sabha hopes and trusts that they as well as the Arya Samajists will continue their sympathy and support in this struggle in future also.

हैदराबाद सत्याग्रह

सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा का अत्यन्त महत्वपूर्ण निश्चय

२५-७-१९३१

(१)

इस सभा ने हैदराबाद के १७ जुलाई के वक्तव्य तथा सुधार योजना को पढ़ा है, जो उनके १२ शहरपुर १३४८ फस्ली के असाधारण गज़ट में प्रकाशित हुई हैं और जिसमें निजाम महोदय का १७-७-३१ का फरमान भी शामिल है।

सभा, भाषण और लिखने की स्वतंत्रता के प्रश्न से सम्बन्धित पैराग्राफ में जिसका आर्य्य समाज के साथ सीधा सम्बन्ध है, यह उद्घोषित हुआ है कि अन्य कई रियासतों के सदृश सभा सोसाइटियों के निर्माण को व्यवस्थित करने वाला रियासत में कोई कानून नहीं है। अवश्य सार्वजनिक जलसों के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं जिनका सार्वजनिक शान्ति के लिए पूर्णतया रद्द किया जाना सम्भव नहीं है। फिर भी प्रतिनिधि सत्तात्मक सभाओं के विकास के साथ २ कौन्सिल की प्रबल इच्छा है कि जहाँ तक वर्तमान अवस्थायें आज्ञा देवें, अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाय। अतः कौन्सिल का प्रस्ताव है कि वर्तमान नियम रद्द कर दिए जायं और ऐसी व्यवस्था कर दी जाय, जिसके अनुसार सार्वजनिक जलसों के संयोजकों को किसी आज्ञा के प्राप्त करने की जरूरत न रहे वरन् उन्हें केवल जिम्मेवार अधिकारी को पूर्व से सूचना देना रह जाय जिसके लिए स्थानीय अधिकारी हर प्रकार की सहूलियतें देंगे। परन्तु साथ ही इस अधिकारी के लिए यह अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए कि वह किसी खास मीटिंग को रोक दे, परन्तु ऐसा केवल तब ही हो सकेगा जब कि उस अधिकारी की सम्मति में उस मीटिंग से सार्वजनिक शान्ति के भंग होने की आशंका हो अथवा राजा के प्रति घृणा तथा जातियों में शत्रुता बढ़ती हो। जो मीटिंग रोकी जायगी उसके संयोजकों को अपील का अधिकार होगा।"

निजाम महोदय ने अपने फरमान में, जिसका ऊपर जिक्र किया गया है, कौंसिल की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

यह वक्तव्य यह विश्वास दिलाने के लिये दिया गया है कि आर्य्य समाजी तथा निजाम महोदय की अन्य रियाया को सभा करने तथा सोसायटी बनाने तथा

आर्य्य समाज बनाने तथा चलाने का अबाधित अधिकार होगा और आर्य्य समाज तथा दूसरी सोसाइटियों को सार्वजनिक जलसे करने की पूरी २ आज़ादी होगी, साथ ही इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाने वाले सब नियम रद्द कर दिये जायंगे। यह होते हुए भी संदेह प्रगट किए गए हैं कि क्या इस घोषणा के अनुसार वे नियम भी रद्द हो जायंगे जो राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों पर पाबंदियां लगाते हैं। चूंकि धार्मिक अनुष्ठानों से सम्बन्धित वर्तमान नियमों से, जिनका साफ तौर पर जिक्र नहीं किया गया है, इन संदेहों की कुछ पुष्टि होती है, इस लिए इस सभा की सम्मति में स्थिति का स्पष्टीकरण जरूरी है।

ऐडवाइज़री कमेटी के सम्बन्ध में सभा की यह दृढ़ सम्मति है कि जिस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक मौलिक अधिकारों के लिए आर्य्य समाज लड़ रहा है, वे तहकीकात का विषय नहीं बनाए जाने चाहिए। ऐसी एडवाइज़री कमेटी के द्वारा तो उनकी जांच होनी ही नहीं चाहिए जो रियासत के एक महकमे के साथ जुड़ी हो (प्रत्यक्षतः अमूरे मजहबी) और जिस महकमे को केवल गुप्त रिपोर्ट देने का अधिकार हो। अतः यह सभा अपने माननीय प्रधान श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त से प्रार्थना करती है, जिन्हें पहले से ही पूर्ण अधिकार दिए हुए हैं कि वे स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए तात्कालिक कार्य्यवाही करें और समय २ पर स्थिति जैसा तकाजा करे वैसा ही कार्य्य करें। यह सभा सत्याग्रह कमेटी को आदेश देती है कि वर्तमान में जत्थे इस समय जहां पड़े हुए हैं वहां ही ठहरे रहें और आज्ञाओं की प्रतीक्षा करें।

(२)

हैदराबाद सत्याग्रह के लिए आर्य्यों और हिन्दुओं ने धनजन की सभा की अपील का बड़ा उत्साह वर्द्धक उत्तर दिया है इस पर यह सभा अत्यन्त संतोष प्रगट करती है और सेवा और त्याग भाव के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देती है। समाचार पत्रों तथा आर्य जनता के प्रति उस सहानुभूति और नैतिक सहायता के लिए जो उन्होंने इस धार्मिक युद्ध में सभा के प्रति उदारता पूर्वक प्रदर्शित की है, यह सभा हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करती है और आशा करती है कि इस युद्ध में आगे भी यह सहायता और सहानुभूति मिलती रहेगी।

मुख्य २ पत्रों की राय

सार्वदेशिक सभा की २४, २५ जुलाई की अन्तरङ्ग सभा के निर्णय की देश के प्रायः सभी बड़े २ पत्रों ने प्रशंसा की है। यहां हम अपने पाठकों के लाभार्थ कतिपय पत्रों के मतों का सार देते हैं—

व्यावहारिक और दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय

हैदराबाद सत्याग्रह पर आर्य सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा के निश्चय को यदि हम एक वाक्य में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह के उच्च आदर्श को देखते हुये यह निर्णय सामयिक, राजनीतिज्ञता पूर्ण, व्यावहारिक और एकमात्र सम्भव निर्णय है। इससमय जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उन में सिवा इस निर्णय के दूसरा निर्णय ही नहीं होसकता था। इस दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व के लिये आर्य नेता समस्त आर्य जगत् के बधाई के पात्र हैं।

हैदराबाद रियासत में आर्य समाज ने जिन मांगों को सामने रखकर सत्याग्रह के महान पवित्र युद्ध का शंखनाद किया था, उन मांगों का जिक्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रियासत ने अपने सुधारों की घोषणा और वक्तव्य में किया है। इन सुधारों से आर्य जनता में—हम सिर्फ आर्य समाज सम्बन्धी सत्याग्रह की चर्चा कर रहे हैं--अत्यन्त असन्तोष छा गया है। हम स्वयं सुधारों को अत्यन्त अपूर्ण और निराशाजनक मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन सुधारों में पहले से जरूर एक कदम बढ़ गया है। डा० मुंजे के शब्दों में पहाड़ हिलने लगा है। घोषणा यद्यपि निराशा जनक और अस्पष्ट है तथापि सुधार ऐसे अवश्य हैं, जैसे कि हम पहले भी लिख चुके हैं कि रियासत चाहे तो इन्हीं शासनसुधारों की बिना पर सत्याग्रह को बहुत शीघ्र समाप्त कर सकती है और चाहे तो सुधारों पर अमल शुरू होने के बाद भी उसे जारी रहने दे सकती है।" स्वयं हिन्दू सभा के सभापति श्री सावरकर ने इन सुधारों का स्वागत किया है।

आर्य समाज हमेशा से प्रचारक संस्था रहा है। आज जो उसे युद्ध छेड़ना पड़ा है वह अनिवार्यतः विवश होकर। सत्याग्रह आरम्भ करते समय उसने घोषणा की थी कि

जब तक उसकी माँगें स्वीकृत नहीं होतीं,तब तक वह इस महान आत्मबलिदान के संग्राम से पीछे नहीं हटेगा। आज भी उसकी यह प्रतिज्ञा इसी तरह जारी है। वह शान्ति का उत्सुक है, उसे जब यह कहा जाता है कि तुम्हारी मांगें पूरी कर दी गई हैं, तब उसका क्या यह कर्तव्य नहीं है कि वह ऐसा कहने वालों की बात पर विचार तो कर ले। सत्याग्रह और दूसरे योद्धा में यही अन्तर है। सत्याग्रही हमेशा शान्ति के लिये; दूसरे की बात सुनने के लिये उद्यत रहता है। निजाम हैदराबाद, जो पिछले २० सालों से सुधारों को टालता आरहा था, सुधारों की घोषणा मुसलमानों के विरोध के बावजूद भी करने पर विवश हुआ है। दक्षिण केसरी श्री विनायकराव के शब्दों में यह निस्सन्देह आर्य समाज के युद्ध का परिणाम है। सत्याग्रही विनय की प्रतिमूर्ति होता है, वह हर समय नई परिस्थिति को देख कर चलता है। आज परिस्थिति बदली अवश्य है, भले ही वह हमारे निकट अत्यन्त निराशा जनक हो। इस परिस्थिति का स्पष्टी करण किये बिना सत्याग्रही आगे बढ़ नहीं सकता। सत्याग्रही ही क्यों, कोई भी कुशल सेनापति नई परिस्थिति अच्छी या बुरी उत्पन्न होने पर उसे समझने की कोशिश करता है और तभी नया कदम उठाता है। सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग-सभा ने भी इसी व्यावहारिक मार्ग का आश्रय लिया है। युद्ध में सफलता ही सदा लक्ष होता है न कि एक नीति। नीति और उपायों में समय समय की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना ही नेता की व्यवहार कुशलता है।

आर्य नेताओं ने सत्याग्रह वापिस लेने की भूल नहीं की। अभी हमारी माँगें पूरी नहीं हुई. इस लिये युद्ध बन्द किया ही नहीं जा सकता था, सेनाएं वापिस बुलाई ही नहीं जा सकती थीं। अब जो किया है, वह सिर्फ इतना ही कि नई स्थितिका अध्ययन कर सकने के लिये बहुत थोड़े दिनों के लिये आक्रमण स्थगित कर दिया गया है। इस अरसे में शेष युद्ध की तैयारी पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई। सेनाओं को सन्नद्ध रहने का हुक्म वैसे ही बदस्तूर जारी है। नये प्रस्ताव में सभा ने "आशा और विश्वास" प्रकट किया है कि "आर्य समाजी बन्धु भविष्य में भी इस आन्दोलन में मदद करते रहेंगे।" सभा ने अपने योग्य प्रधान को आज्ञा दी है कि वे उन साधनों का उपयोग करें, जो परिस्थितियों के अनुसार उचित प्रतीत हो। इसमें कहीं युद्ध बन्द करने का जिक्र नहीं है। आक्रमण कुछ देर के लिये रोकने का अर्थ युद्ध बन्द करना भूल है। युद्ध में सदा एक सी नीति नहीं चली जाती। योद्धा को उत्साह के साथ साथ विवेक नहीं छोड़ना चाहिये। आज हम मानते हैं कि सुधार निराशा जनक हैं, लेकिन कल यदि बातचीत से निज़ाम सरकार उनका ऐसा स्पष्टीकरण कर दे कि हमें सन्तोष होजावे, हमारी मांगें पूरी हो जावें तो

युद्ध का त्याग और बलिदान और शहादत की आवश्यकता ही न रहेगी। किसी उद्देश्य को लेकर त्याग और बलिदान के लिये तैयार रहना एक बात है और उद्देश्य के पूरा हो जाने पर भी लड़ते जाना दूसरी बात है। एक सप्ताह तक आक्रमण न करने से आर्य जनता का उत्साह भंग हो जायगा, ऐसा कहना आर्यजनता का, अपने बुद्धिमान नेताओं और आत्मशक्ति का अपमान करना है। आर्य्य समाज का उत्साह नष्ट नहीं हो सकता वह तब तक कायम रहेगा, जब तक कि उसकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।

एक बात और किसी भी युद्ध में चाहे वह सत्याग्रह हो या दूसरा भौतिक युद्ध, सब से आवश्यक गुण होता है अनुशासन और अपने नेता में अपूर्व विश्वास। सौभाग्य से आज जिन हाथों में युद्ध की बागडोर है, उन पर आर्य जनता पूर्ण विश्वास कर सकती है। हमारे हृदय में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिये कि हमारे नेता आर्यसमाज के हितैषी हैं, वे कभी अहित नहीं करना चाहेंगे। कल दिल्ली की सभा में कुछ युवकों ने युद्ध जारी रखने के लिये जो उत्साह दिखाया, उसकी प्रशंसा करते हुए भी उस दुर्व्यवहार और उच्छृंखलता की निन्दा किये बिना नहीं रह सकते जो किसी भी युद्ध की असफलता का सब से प्रधान कारण होता है। नेताओं में विश्वास और अनुशासन ही विजय का मूल मन्त्र है।

(वीर अर्जुन)

निज़ाम को मौका

आर्य सार्वदेशिक सभा ने दो दिन की लम्बी बहस और गम्भीर मन्त्रणा के बाद जो महत्वपूर्ण निर्णय किया है, उस पर कुछ चर्चा करने से पहले हमें यह उचित प्रतीत हुआ कि शासन-सुधारों के चित्र का वह 'असली' रुख पाठकों के सामने रख दिया जाय, जिसका धार्मिक स्वतन्त्रता और इसी से आर्यसमाज के साथ सीधा सम्बन्ध है। 'रुख' के साथ 'असली' विशेषण का प्रयोग इसी लिए किया गया कि चित्र का नकली रुख इतने भ्रम, सन्देह और धोखे में डालने वाला है कि हम क्या, हिन्दू महासभा के प्रधान वीर सावरकर सरीखे योद्धा और अनेकों विचारशील पत्रकार भी उसमें उलझ चुके हैं। पीछे निजाम के शासन-सुधारों की चर्चा करते हुए हमसे जो भूल हुई थी, उसका निराकरण करना हमें जरूरी प्रतीत हुआ। साथ ही हम यह भी दिखाना चाहते थे कि आर्यसमाज के नेता कितने अलौकिक साहस, अटूट धैर्य, दृढ़ विश्वास और बलवती आशा के ऐसे महा-धनी हैं, जो 'निराश' होना जानते ही नहीं और जिन्हें अपने और अपने अनुयायियों पर

जरूरत से भी अधिक भरोसा है। सर अकबर हैदरी ने यह समझा था कि उनके शब्द-सौंदर्य में वे उलझ जायेंगे और उन्हें मृगतृष्णा में फंसा कर वे अपना मतलब पूरा कर लेंगे। लेकिन, अब उन्हें पता चल गया होगा कि उन्हें कैसे लोगों से वास्ता पड़ा है? हर आदमी को दूसरे का पैसा और अपना दिमाग बहुत बड़ा दीख पड़ता है। सर अकबर हैदरी भी इसके अपवाद नहीं हो सकते थे। उन्होंने समझ लिया था कि शासन सुधारों की इस चाल में वे आर्यसमाज को मात देंगे। लेकिन, आर्य सार्वदेशिक सभा के निर्णय से उन्हें मालूम हो गया होगा कि वे अपनी ही चाल में बुरी तरह फंस गये हैं। चले थे वे सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर आर्य नेताओं को बुद्धू बनाने, लेकिन वैसा करने में वे सर्वथा असफल रहे हैं। आर्य सार्वदेशिक सभा का निर्णय निश्चय ही नहले पर दहले की चाल है, जो आर्य नेताओं की बुद्धिमत्ता, दूर-दर्शिता, राज-नीतिमत्ता और व्यवहार-कौशल की द्योतक है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

आर्य सार्वदेशिक सभा के प्रस्ताव का सम्बन्ध आर्यसमाज और निज़ाम सरकार दोनों के साथ है। आर्य नेताओं ने प्रस्ताव की व्याख्या किंवा स्पष्टीकरण करते हुए कोई वक्तव्य प्रकाशित नहीं किया है। इस लिये हम यदि उनके अभिप्राय से कुछ अधिक या कम समझ लें, तो उसका दोष हम पर नहीं होना चाहिए। उस दिन दिल्ली में हुई सभा में सार्वदेशिक सभा के प्रधान की हैसियत से माननीय श्री घनश्यामसिंह जी गुप्ता ने जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने सभा में उठाई हुई शंकाओं का ही निवारण किया था और वक्तव्य के रूप में कोई विशेष बात उन्होंने नहीं कही थी। फिर भी प्रस्ताव का जितना सम्बन्ध आर्यसमाज के साथ है, उसका उन्होंने बहुत सुन्दर और सर्वथा उपयुक्त स्पष्टीकरण कर दिया था। यह उन्होंने असन्दिग्ध रूप में स्पष्ट कर दिया था कि सत्याग्रह बिल्कुल भी स्थगित नहीं किया गया है। आर्यसमाज और उससे सहानुभूति रखने वालों को निराश होने का कोई कारण नहीं है। जत्थों को जहां को तहां रुक जाने का आदेश देने का अर्थ सत्याग्रह बन्द करना नहीं है। पहिले प्रस्ताव को दूसरे प्रस्ताव के साथ मिला कर पढ़ने से यह और भी साफ हो जाता है। दूसरे प्रस्ताव में सत्याग्रह के लिए पहिले ही के समान धन-जन का संग्रह करते हुए जोरदार तैयारी जारी रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के रहते हुए सत्याग्रह के स्थगित होने की कोई बात पैदा नहीं हो सकती। इसलिए प्रस्ताव का आर्य समाज या आर्य-समाजियों से सिर्फ इतना ही सम्बन्ध है कि वे सत्याग्रह की जोरदार तय्यारी जारी रखें। उन्हें इस प्रस्ताव द्वारा सिवा इसके कोई दूसरा आदेश नहीं दिया गया है। लड़ाई सिर्फ लड़ने के लिए ही नहीं लड़ी जाती।

इसी प्रकार सत्याग्रह भी सिर्फ जेलों को भरने के लिए नहीं किया जाता। जेलें भरना सत्याग्रह का गौण हिस्सा है। हमने इस गौण हिस्से को मुख्य मान लिया है। जब हमें जेलें भरती नजर नहीं आतीं, तब हम घबरा जाते हैं और हमें अपना आन्दोलन असफल होता दीख पड़ता है। यह घबराहट हमें विचलित और पथ भ्रष्ट करने वाली है। सत्याग्रह का मुख्य हिस्सा तो यह है कि उससे सत्याग्रही में अनुशासन, संगठन, नियन्त्रण एवं मर्यादा के पालने की और सत्य को ग्रहण करने एवँ मर्यादा के पालन करने की और सत्य को ग्रहण और असत्य को त्यागने की प्रवृत्ति पैदा हो। वीरता के साथ विनम्र, आत्मबलिदान के साथ सहिष्णुता और दृढ़ता के साथ समझौते की भावना भी उत्पन्न हो। यदि यह सद् गुण किसी सत्याग्रही में पैदा नहीं होते तो उसे सत्याग्रह से यथेष्ठ लाभ नहीं मिल सकता। आर्य समाज को यह दिखाने का अवसर मिला है कि उसने यथार्थ में अपने को सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के अपने नियम के अनुसार सत्याग्रह का अधिकारी बना लिया है। इतने महान् बलिदान से उसमें अनुशासन, नियन्त्रण और संगठन की भावना खूब प्रबल होगई है। अपने नेताओं में उसका विश्वास और भरोसा पहिले की अपेक्षा बहुत अधिक दृढ़ हो गया है। वीरता और बलिदान के इतने महान् परिचय के साथ वह विनय और समझौते की भावना का परिचय देने में भी पीछे नहीं रह सकता। सत्याग्रह में इस प्रकार कुछ खोने का भय या सन्देह उसे नहीं होना चाहिए। अपने नेताओं के प्रति प्रगट की गई संशयात्मा वृत्ति उसका सर्वनाश कर डालेगी। इसलिए सार्वदेशिक सभा के निर्णय को सन्देह आशंका भय या भ्रम की दृष्टि से देखना उसे शोभा नहीं दे सकता। यह उसकी वीर वृत्ति और बलिदान की भावना के सर्वथा विपरीत और उसको लांछित करने वाला है। स्पष्टीकरण की मांग से भी उसे घबराने का कोई कारण नहीं। यदि स्पष्टीकरण उसके अनुकूल हो जाय और यह मान लिया जाय कि 'राज-नीतिक' और 'साम्प्रदायिक' सभाओं के समान 'धार्मिक' सभाओं के लिए भी कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा और संस्थाओं के निर्माण पर पाबन्दी लगाने वाला कोई कानून राज्य में न होने की जो बात शासन-सुधारों में इतने दावे के साथ कही गई है, उससे आर्य समाज के निर्माण पर प्रतिबन्ध के रूप में लगे हुये कानून भी रद्द होजाते हैं, तो आर्य समाज को और क्या चाहिए? उसकी दो प्रधान मांगें तो प्रायः सर्वांश में पूरी होजाती हैं और बाकी मांगों की पूर्ति के लिए वैध आन्दोलन करने का मार्ग उसके लिए खुल जाता है। स्पष्टीकरण की यह मांग और भी जरूरी इस लिये है कि यह दावा किया जा रहा है कि आर्य समाज जो मांगता

था वह उसे मिल गया और जो वह चाहता था वह पूरा हो गया। इस दावे की सचाई को परख लेने में आर्य समाज की क्या हानि है? यदि जत्थों की कूच को सामयिक तौर पर पांच दस दिन के लिए रोकने से आर्य समाज और उससे सहानुभूति रखने वालों का जोश ठंडा पड़ सकता है, तो हमें यह कहने के लिए क्षमा किया जाय कि इतने बड़े आन्दोलन में अपने को डालने का दु:साहस नहीं करना चाहिए था। जोश पानी का उफान नहीं होना चाहिए। उस पर काबू रखते हुये होश से काम लेना चाहिये। इसी लिये सत्याग्रह के जारी रहने की अपेक्षा इस कुछ अनिश्चित-सी स्थिति में उसे कुछ अधिक कठोर कसौटी पर कसा जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि वह उस पर पूरा उतरेगा।

बाकी रहा प्रस्ताव का वह भाग, जिसका सम्बन्ध निजाम सरकार के साथ है। सत्याग्रह को स्थगित करने के प्रस्ताव में जो संकेत किया गया है, उससे लाभ उठाना निजाम-सरकार का काम है। आर्यसमाज के सन्देह एवं आशंका का जो आधार है उसे खोल कर इन पंक्तियों में हम कल रख चुके हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि 'वह निराधार या अकारण है। हमने इस सन्देह और आशंका की चर्चा अपने पहिले लेखों में भी की थी। निजाम को मुस्लिम-राज्य बनाये रखने और मुसलमानों के वर्चस्व को ऐति, हासिक एवं राजनीतिक परम्परा के नाम से दृढ़ करने से यह आशंका और भी प्रबल हो जाती है। हम मानते हैं कि २०-२५ हजार को जेलों में रख कर खाना खिलाना निजाम के लिये कठिन या असम्भव नहीं है। लेकिन, किसी भी राज्य का काम इस प्रकार चल नहीं सकता। बीमारी और बुढ़ापे के नाम से सत्याग्रहियों को छोड़ने का साफ अभिप्राय तो यही है कि निजाम सरकार भी इस बला से तंग आ गई है और वह उसे टालने को आतुर है। उसके एक शब्द पर उसकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। आर्य-समाज ने उसको एक मौका दे दिया है उससे लाभ उठाना या न उठाना निजाम सरकार का काम है। जत्थों की कूच के बन्द कर देने से निजाम-सरकार को वह शांति का वातावरण भी मिल गया है, जिसके अभाव की वजह से वह कोई सुधार-योजना प्रगट करने में पीछे असमर्थता बताती रही है। फिर जब इतनी अशान्त परिस्थिति में उसने सुधारों का इतना बड़ा पोथा प्रकाशित कर दिया है, तब उसे स्पष्टीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाथी निकल चुका है केवल पूंछ बाकी है।

आर्य समाज ने अपने पत्ते खोलकर टेबल पर रख दिए हैं। अब निजाम सरकार को सामने आना चाहिए। यदि कहीं निजाम सरकार ने इससे लाभ न उठाया, तो जहां आर्य समाज को इससे कहीं अधिक महान और पवित्र आहुति देने के लिए तय्यार रहना चाहिए

वहां निजाम-सरकार को इस समय से कहीं अधिक कठोर व भीषण स्थिति का सामना करने को बाध्य होना पड़ेगा। देखें निजाम सरकार क्या करती है ?

(हिन्दुस्तान)

स्पष्टीकरण की आवश्यकता

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा (इन्टर नेशनल आर्यन लीग) ने अपनी देहली की २ दिन की बैठक में एक प्रस्ताव पास करके अपने प्रधान को प्रेरणा की है कि वे प्रत्यक्षतः निजाम सरकार से स्थिति का और स्पष्टीकरण करायें, और इस बीच में जत्थों को जहां २ वे इस समय पड़े हुए हैं वहीं ठहरने की आज्ञा दी है। इस बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय पर हम सभा को बधाई देते हैं। हम यह आशा करते रहेंगे कि निजाम सरकार उन बातों को भली भाँति स्पष्ट कर देगी जिनके सम्बन्ध में आर्य समाज को अब भी सन्देह है जिससे कि सत्याग्रह आन्दोलन अन्तिम रूप से बन्द होजाय और आर्य समाज की अन्य शिकायतों की जांच पड़ताल होकर वे दूर होजाएँ। कदाचित पाठकों को स्मरण होगा आर्य समाज की मौलिक मांगों में से दो मांगें यह हैं कि उन्हें अन्य स्थानों की तरह हैदराबाद राज्य में वैदिक धर्म के प्रचार और आर्य समाजों की स्थापना की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। हैदराबाद के सुधारों से सम्बन्धित बहुत सी आलोचनाएँ जिन में हमारी आलोचना भी शामिल है इस धारणा पर आश्रित थीं कि यह दोनों मांगें स्वीकृत होगई हैं और इसी आधार पर सत्याग्रह के संयोजकों को सलाह दी गई थी कि सत्याग्रह को जारी रखने से कोई लाभ नहीं है।

व्यक्तिगत सम्पर्क

प्रश्न यह है कि क्या आर्य समाज के सन्देहों का पर्याप्त आधार है अथवा ये शक्की दिमाग की उपज है ? जो ज़रूरी बातें और कागजात हमारे सामने प्रस्तुत किए गये हैं उनके आधार पर हम अनुभव करते हैं कि ग़लतफहमियों के लिए अब भी स्पष्ट कारण मौजूद हैं निजाम गवर्नमेण्ट के लिए उचित होगा कि वह उन बातों को स्पष्ट करदे ताकि सुधारों की घोषणा से झगड़े के अन्त की जो आशा बंधी थी वह निराशा में परिणत न हो जाय। इसके लिए सर्वोत्तम मार्ग यह है जैसा हमारे सहयोगी 'स्टेटस्मैन' ने भी कहा है कि निज़ाम सरकार आर्यसमाज के नेताओं को अपने सम्पर्क में लाये जिसमें अस्पष्ट बातों पर बातचीत हो जाय और मामला सुलझ जाय।

निजाम सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण गजट में कहा गया है कि राजनैतिक और साम्प्रदायिक मीटिंगों के करने के सम्बन्ध में इस समय जो नियम हैं वे रद्द कर दिये

जायेंगे और उनके संयोजकों को मीटिंग करने की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होगी वरन् पूर्व से केवल इत्तिला दे देनी होगी। सभा सोसाइटियों के संगठन की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में, निजाम सरकार ने कहा है कि सभा सोसाइटियों के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य में कोई नियम वा कायदा नहीं है जिसका अभिप्राय यह है राज्य में यह स्वतन्त्रता मौजूद है। आर्यसमाज यह जानना चाहता है कि पब्लिक जल्से करने की स्वतन्त्रता से आर्यसमाज को वैदिक धर्म के प्रचार की स्वतन्त्रता मिलती है वा नहीं तथा सभा करने की स्वतन्त्रता से जैसा कि घोषणा से ज़ाहिर है, आर्यसमाज को बगैर आज्ञा लिए नये आर्यसमाजों के खोलने तथा चलाने की आज़ादी होगी वा नहीं ?

आर्यसमाज के सन्देहों का कानूनी आधार देख पड़ता है क्योंकि रियासत में दो प्रकार के कायदे कानून हैं। एक प्रकार के कायदे कानून पब्लिक जल्सों पर नियन्त्रण रखते हैं दूसरे धार्मिक सभाओं और धार्मिक अनुष्ठानों पर। यह कायदे क़ानून स्पष्ट तौर पर बतलाते हैं कि धार्मिक सभायें धार्मिक अनुष्ठानों के अन्तर्गत हैं इसके साथ ही बतलाया गया है कि पब्लिक जल्सों से सम्बन्धित नियमों का धार्मिक अनुष्ठानों पर जिनमें धार्मिक जल्से भी शामिल हैं किसी प्रकार का कोई असर न होगा। ऐसी अवस्था में निश्चय ही आर्य समाज यह पूछने का अधिकारी है कि पब्लिक जलसों के नियमों के रद्द हो जाने से धार्मिक अनुष्ठानों के नियम रद्द हो जाते हैं वा नहीं ? दो और बातों पर निज़ाम सरकार की घोषणा मौन है। क्या बगैर आज्ञा प्राइवेट स्कूल खुल सकेंगे और मन्दिर बनाए जा सकेंगे ? समस्त सभ्य राज्य स्वीकार करते हैं कि मौलिक अधिकारों की भी अवहेलना की जरूरत पड़ जाय तो अवहेलना कर देनी चाहिए परन्तु यदि कोई राज्य इन स्वतन्त्रताओं को बजाय इसके कि उनके दुरुपयोग के मामलों में दण्ड दे पहले से ही सीमित करदे महज़ इसलिए कि उनका दुरुपयोग होने की सम्भावना हो सकती है तो यह उस राज्यके पिछड़े पन की निशानी है।" (हिन्दुस्तान टाइम्ज)

हिन्दुओं के असन्तोष को बढ़ाना

निजाम सरकार की घोषणा में जिस अनिश्चित और बेढङ्गे रूप में धार्मिक स्वतन्त्रता की हिन्दुओं की मांग के साथ व्यवहार किया गया है, इसके तात्कालिक सुधार की आवश्यकता है। जब तक वास्तविक सन्तोष की गारण्टी नहीं की जाती है तब तक वर्तमान असन्तोष केवल बढ़ेगा ही नहीं वरन् उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे।

(नेशनल काल देहली)

२६।७।३६

उचित मांग

सार्वदेशिक सभा ने हैदराबाद दरबार से यह माँग उचित ही की है कि जहाँ तक सभा करने, भाषण देने और लिखने की स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, सुधार योजना के नागरिक स्वतन्त्रता तथा धार्मिक कमेटी के निर्माण सम्बन्धी भाग का स्पष्टीकरण होना चाहिए। इन स्वतन्त्रताओं के अपहरण से ही आर्य सत्याग्रह शुरू हुआ था और एक प्रकार से इसी ने रियासत में उथल-पुथल मचाई है। यह सत्य है कि क़ायदे-कानूनों की दस्तावेजों के विश्लेषण में जाना उचित मार्ग नहीं होना है परन्तु जो मांग की गई है उस की उपेक्षा करना भी बुद्धिमत्ता का कार्य्य न होगा, विशेषतः उस अवस्था में जब कि सुधारों की घोषणा से उन लोगों के मनों में सन्देह उत्पन्न हो गया है जिन पर उस घोषणा का सीधा असर पड़ता है। यदि घोषणा में ये अधिकतर स्वीकार किये जा चुके हैं तो कोई वजह नहीं है कि स्पष्टीकरण प्रकाशित करने में कोई झिझक होना चाहिए।

यह कहना आसान है कि चूँकि नागरिक और धार्मिक स्वतन्त्रता का शासन से बहुत ज्यादा सम्बन्ध है अतएव जब धार्मिक कमेटी कार्य्य शुरू करेगी तब ही वह इस प्रश्न पर विचार कर लेगी तथा आर्यसमाजी भी अपनी शिकायतें उस कमेटी के सामने रख सकेंगे। परन्तु यह बात नहीं चल सकती है क्योंकि यह कमेटी सुनिश्चित लाइनों पर न्यूनाधिक रूप में महकमाना कमेटी के तौर पर ही काम कर सकती है और यदि उसका निर्माण आज हो जाय और वर्तमान पेचीदा स्थिति में उसे अपने कार्य का स्वयं ज्ञान हो जाय तो यह आश्चर्य की बात होगी। क्या ही अच्छा हो निज़ाम सरकार सार्वदेशिक सभा के रुख का आदर करे।

(नेशनल हेरल्ड)
प्रयाग जुलाई २७

हैदराबाद सत्याग्रह

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की वर्किंग कमेटी लम्बे विचार के पश्चात हैदराबाद सत्याग्रह के सम्बन्ध में ठीक उसी निश्चय पर पहुँची है जिस पर मामले की वर्तमान स्थिति में पहुँचने की आशा की जा सकती थी।

(ट्रिब्यून)
जुलाई २८

हैदराबाद-आर्य-सत्याग्रह-समिति के अध्यक्ष

श्रीमान् स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी

संन्यासियों का पूर्व परिचय प्राप्त करना सर्वथा असम्भव नहीं तो लगभग असम्भव अवश्य है। इन पंक्तियों के लेखक तथा श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने मिल कर ४–५ वर्ष एक ही संस्था में कार्य किया है किन्तु फिर भी एक दूसरे का पूर्व परिचय जानने की कोई चेष्टा नहीं की। इधर सत्याग्रह-संग्राम के सर्वाधिकारियों तथा संचालकों का संक्षिप्त परिचय प्रकाशित करने का विचार जब हमारे मन में उदय हुआ, तब स्वामी जी का परिचय कैसे प्राप्त किया जाए, यह उलझन हमारे सामने उपस्थित हुई। कदाचित् हम स्वामी जी का कुछ भी परिचय पाठकों को न दे सकते। यदि अमृतसर के वैदिक औषधालय के स्वामी धनी दरिद्र सबकी समान-भाव से धर्मार्थ चिकित्सा करनेवाले पीयूषपाणि आयुर्वेद मार्तण्ड वैद्यपंचानन भिषगाचार्य्य कविराज पंडित तिलकराम ब्रह्मचारी जी कृपापूर्वक सहायता न करते। नीचे जो कुछ लिखा जा रहा है, वह सारा वैद्य जी की कृपा का फल है, अतः उसके लिए हम वैद्य जी का अनेक बार धन्यवाद करते हैं।

स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज

श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का जन्म लुधियाना ज़िला के मोही ग्राम में हुआ। आपके पिता जी बड़ौदा की तरफ़ सेना में एक उच्चपदस्थ अधिकारी थे। स्वामी जी संन्यास से पूर्व एक अच्छे ख्यातनामा पहलवान् थे। कुछ काल आप स्वयं भी फौज में रहे। आपकी ननसाल लताला में थी। वहाँ आपको प्रसिद्ध आर्य विद्वान् श्री प० बिशनदास जी का सत्संग प्राप्त हुआ। उन्हीं की कृपा से आपको वैदिक-धर्म-रूपी हीरा प्राप्त हुआ। श्री पं० बिशनदास जी तथा रायकोट के एक प्रसिद्ध मौलवी जी से आपने यूनानी चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया।

आपको भरी जवानी में वैराग्य हो गया। घर छोड़कर आप विरक्त हो संन्यासी बने। संन्यास-आश्रम की दीक्षा लेकर मालवा के फरीदकोट आदि स्थानों में वेदान्त के ग्रन्थों का अभ्यास किया। आपको भाषा के वेदान्त ग्रन्थों का अच्छा अभ्यास हो गया था। हृषीकेशादि स्थानों में आप वृत्तिप्रभाकर आदि वेदान्त के भाषा-ग्रन्थ पढ़ाते भी रहे।

आपने कई बार समस्त भारत का भ्रमण किया है। विरक्त मण्डली में आप 'बाल्टीवाला विरक्त' के नाम से प्रसिद्ध थे। विरक्तों में सबसे पहले बाल्टी आपने ही रखना आरम्भ किया था। उन दिनों आपके पास एक आसन, एक रस्सी और एक बाल्टी—बस इतना ही उपकरण होता था। भिक्षा पर निर्वाह होता था।

विरक्त लोगों का एक साधारण-सा नियम है कि वे अपने पास धन नहीं रखते। एक बार की बात है, कि इनकी मण्डली घूमते-घूमते एक ग्राम में पहुँची, वहाँ उन्हें भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। जब तीन दिन तक भिक्षा त मिली, तब मण्डलीश्वर महोदय ने कहा—'भाई! हम दुराचारी नहीं, चोर नहीं, फिर हमें भिक्षा क्यों नहीं मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि तुममें से किसी के पास कुछ रुपये हैं।' उनके आदेशानुसार सबकी तलाशी ली गई। एक निर्मले सन्त के पास २५) रु० निकले। महन्त जी ने उस निर्मले साधु से कहा—'भले पुरुष! यह धन दे डाल या हमारा संग छोड़। वह न धन छोड़ने पर तय्यार हुआ, और न संग छोड़ने पर। अन्त को किसी गृहस्थ के यहां उसका धन धरोहर रखाया गया। यह कहना नहीं होगा, कि फिर मण्डली को भिक्षा में कहीं भी कठिनता नहीं हुई।

इस घटना के उल्लेख का प्रयोजन यह है कि पाठकों को स्वामी जी के पूर्व-जीवन की तपस्या का थोड़ा-सा परिचय मिल जाए।

आपके वैदिक-धर्मी होने का उल्लेख हम पहले कर आए हैं। जब आप भारत भर में भ्रमण कर चुके, तब आपके मन में वैदिक-धर्म-प्रचार की अभिलाषा जागृत हुई। उसकी

पूर्ति के लिए आपने लुधियाया में वैदिक-धर्म-प्रचारिणी सभा स्थापित की। यह सन १९०१—२ की बात है। श्री ब्रह्मचारी तिलकराम जी भी आपके साथ थे।

वहाँ निक्कासिंह की धर्मशाला में आपने आसन जमाया, लोगों को यूनानी चिकित्सा पढ़ाने लगे और समय समय पर बाहर भी जाने लगे। वैदिक-धर्म-प्रचारिणी सभा की स्थापना में लुधियाना-नौघरा के श्री श्यामलाल तथा देवराज जी के उत्साह से आपको विशेष स्फूर्ति मिली थी। उक्त सभा के कार्यों में श्री मनसाराम जी, मेलाराम जी, शास्त्री धनीराम जी तथा मास्टर रामलाल जी विशेष भाग लिया करते थे। आज के सुविख्यात कोयला-व्यापारी बा० कर्मचन्द्र जी छात्रावस्था में ही इस सभा के कामों में लगन से भाग लिया करते थे।

लुधियाना-निवासकाल में चौधरी उमरावसिंह, मास्टर भानाराम जी, बाहरी गुरुदास जी आदि ने आपकी खूब सेवा की। मास्टर भानाराम जी ने विशेष सेवा की, स्थानादि का समस्त प्रबन्ध उन्होंने कर दिया। इस प्रसग में पं० नवरङ्गराय जी का उल्लेख न करना कृतघ्नता ही होगी। स्वामी जी उनको विशेष आदर तथा प्रेम से स्मरण किया करते हैं।

सन् १९१३--१४ में श्री डा० चिरञ्जीव भारद्वाज जी आपको प्रचार के लिए मारीशस ले गए। स्वामी जी ने समस्त द्वीप में घूम कर वैदिक धर्म की धूम मचा दी। मारीशस के रहने वालों में अधिक संख्या भारत वासियों की है। स्वामी जी ने उनमें आर्यभाषा का प्रचार किया, और लोगों को समझाया, कि तुम अपने पत्रों पर पते हिन्दी (आर्य-भाषा) में लिखा करो। स्वामी जी के इस उपदेश का अच्छा परिणाम हुआ। मारीशस में आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, और लगभग अन्धे होकर वहाँ से लौटे।

सन् १९२१ ई० में आप वैदिक-धर्म-प्रचार के लिए पूर्व अफ्रीका (British East Africa) पधारे। वहाँ से जब लौटे, तो शिरोवेदना (सिरदर्द) लेकर आए, जिससे आज तक छुटकारा नहीं हो सका। लताला में ब्रह्मचारी वैद्य तिलकराम जी ने आपकी चिकित्सा की।

आपका स्वाध्याय बहुत विस्तृत है। स्वाध्याय करते करते आपके पास पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह इकट्ठा हो गया। आपके कुछ भक्तों ने अमृतसर में एक पुस्तकालय खोलने की प्रेरणा की। आपने अपनी सब पुस्तकें उस पुस्तकालय के निमित्त दे डालीं। सन् १९२१ ई० में अमृतसर में उनके भक्तों ने अमृतसर में 'स्वतन्त्रानन्द पुस्तकालय' की स्थापना कर दी। वैद्य तिलकराम जी ने भी अपनी सारी पुस्तकें उस पुस्तकालय में दे

डालीं। रायसाहब लाला गंगाराम जी ने भी पुस्तक आदि से पुस्तकालय की प्रभूत सहायता की। अब तो हीरामण्डी में पुस्तकालय का अपना भवन है। पुस्तकालय का सञ्चालन एक ट्रस्ट के अधीन है, जो रजिस्टर्ड संस्था है। अमृतसर के लाला राधाकृष्ण जी ने पुस्तकालय की उन्नति में बहुत यत्न किया है।

१९२५ ई० में जब लाहौर में ऋषि जन्म-शताब्दी का स्मारक दयानन्दोपदेशक विद्यालय स्थापित किया गया, तो आप उसके प्रथम आचार्य नियत किए गए। आपके समय में विद्यालय ने पर्याप्त उन्नति की। दस वर्ष विद्यालय का कार्य करके एक दिन चुपचाप विद्यालय का कार्य छोड़ कर चल दिए। जाते समय किसी को बताया भी नहीं। विद्यालय के कार्य के साथ आप सभा के वेद-प्रचार विभाग के अधिष्ठाता का भी कार्य करते रहे हैं। १९२९ ई० में हमारी प्रेरणा पर आपने पंजाब केन्द्रिय अनाथालय का कार्य भी सम्भाल लिया। तब से आप लगातार वहाँ के कभी अधिष्ठाता, कभी उपप्रधान, कभी प्रधान के रूप में कार्य करते चले आ रहे हैं। आजकल आप उसके प्रधान हैं। आपके समय में अनाथालय ने बहुत उन्नति की। अनाथालय का विशाल शानदार अट्टालिकामय भवन आपके पुरुषार्थ का फल है।

कई वर्षों से आप सार्वदेशिक सभा के उपप्रधान हैं, कई वर्ष कार्यकर्त्ता प्रधान भी रहे हैं। सार्वदेशिक सभा के सञ्चालन में आप श्री महात्मा नारायण स्वामी जी के दाहिने हाथ रहे हैं। सत्याग्रह-संग्राम आरम्भ करके उसके सञ्चालन का भार महात्मा स्वामी जी पर डाल गए हैं।

स्वामी जी स्वयं जेल जाने के लिए बहुत व्यग्र हैं किन्तु पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा तथा दूसरे महानुभावों के अनुरोध से आप रुक गए हैं। सत्याग्रह का इतनी पटुता, दक्षता से संचालन उनके प्रबन्ध-कौशल का अकाट्य प्रमाण है।

आप व्याख्यानों में ऐतिहासिक वृत्तान्त तथा मनोहर कहानियाँ खूब सुनाते हैं, जिससे उनके व्याख्यान बहुत मनोरंजक हो जाते हैं। सिख मत के आप बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। कई गण्यमान्य सिख सज्जन स्वामी जी से अपने मत की बातें पूछने आया करते हैं।

खाकसार आन्दोलन

(बेलचा-फ़ौज)

[प्रायः पाठकों ने रात्रि के समय लाहौर आदि बड़े बड़े नगरों में फौजी बेश में सुसज्जित बेलचाधारी लोगों को पैरेड करते देखा होगा। यह लोग अपने को खाकसार कहते हैं और जनसाधारण इन्हें 'बेलचा फौज' के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इन सब के हाथ में बेलचा होता है। इस 'खाकसार-समुदाय' के संस्थापक 'अल्लामा मशरिकी' सरकारी विभाग में २०००) मासिक वेतन पाते थे। उस भारी वेतन को छोड़कर आपने इस्लाम की सेवा के भाव से यह आन्दोलन आरम्भ किया है। अल्लामा मशरिकी बहुत विद्वान और अत्यन्त चालाक है। उसके लेखो से प्रकट होता है कि वह हिंदुओं का कट्टर शत्रु है और वह इन से घोर घृणा करता है। इधर अँग्रेज़ी और उर्दू दैनिक पत्रों में खाकसार-आन्दोलन के सम्बन्ध में लेख निकले हैं, उनके आधार पर यह लेख लिखा गया है—सम्पादक]

आन्दोलन का जन्म

सितम्बर १९३८ ई० की गणना के अनुसार भारत और उसके बाहर खाकसारों की संख्या ३६४००० थी, वह संख्या अब चार लाख हो गई है। इतना होने पर भी भारतवर्ष की राजनैतिक या धार्मिक अथवा सामाजिक कोई ऐसी संस्था नहीं है, जिसके सम्बन्ध में जन-साधारण को इतनी कम जानकारी है, जितनी खाकसार आन्दोलन के विषय में।

२५ अगस्त १९३० को लाहौर से २३ मील दूर पंडोकी ग्राम में इस संस्था की स्थापना की गई। स्थापना से पूर्व इसके सम्बन्ध में 'इशारात' नामक एक उर्दू पुस्तक प्रकाशित की गई। यह एक धार्मिक राजनैतिक पुस्तक है। इस पुस्तक में मुसलमानों को भारत में अपना अतीत गौरव प्राप्त करने की उत्तेजना दी गई है, और उन्हें सुझाया गया है कि यदि मुसलमान भारतवर्ष में राजनैतिक शक्ति प्राप्त करना चाहें, तो उन्हें अवश्य अपना सुधार करना चाहिए। इस पुस्तक के कई संस्करण निकल चुके हैं, और इससे लेखक को पर्याप्त आय भी हुई है। पहले पहले 'बेलचा' (खाकसारों का परिचायक चिन्ह) की चर्चा हुई। १९३२ ई० तक यह आन्दोलन पण्डोकी ग्राम के आस पास ही सीमित रहा, और प्रथम डेढ़ वर्ष में केवल ९० खाकसार भरती किए जा सके।

पहले पहले सरकार ने इस आन्दोलन को सन्देह की दृष्टि से देखा, क्योंकि इसका लक्ष्य ग्रामीण लोगों में सैनिक अनुशासन तथा डिक्टेटर के प्रति अनन्य विनय का संचार करना है। गवर्नर, पोलीस के इन्सपेक्टर जनरल तथा पंजाब सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी ने संस्थापक से इसके सम्बन्ध में पूछताछ की। अल्लामा के युक्ति और नीति से युक्त उत्तरों ने इस संस्था को आरम्भ में ही दबा दिए जाने से बचा लिया। अल्लामा स्वाधीनता-सम्बन्धी प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्त की आड में प्रजातन्त्र विरोधी सिद्धान्तों का प्रचार करता रहा।

फरवरी १९३२ ई० में लाहौर में भी इसका कार्य आरम्भ किया गया और पैसा-अखबार मुहल्ले में ११ आदमी भरती हुए। यह भरती गुप्त रूप से की गई। यह रंगरूट पैरेड करते थे। जून १९३२ ई० में किला गूजरसिंह में इसकी शाखा खोली गई और थोड़े ही दिनों में ३०० नवयुवक इसमें सम्मिलित हो गये।

सीमान्त-प्रान्त में इस संस्था द्वारा काम में लाये गये चालाकी के उपायों का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन अल्लामा ने स्वयं किया है। यथा—

"मैं अक्तूबर १९३२ में एक सौ खाकसारों के साथ पेशावर गया, और हमने शहर की गलियों में अभियान किया। उस वर्ष सीमान्त-प्रान्त में भय का साम्राज्य था, उसी वर्ष लाल कमीज़ वाली संस्था तोड़ दी गई थी। पेशावर में अपने विशेष वेष में खाकसारों के अचानक आ जाने से सनसनी फैल गई। मैं तीन सप्ताह पेशावर में रहा और २०० जवान मैंने भरती किये। थोड़े ही दिनों में सरकार चौकन्नी हो गई, और मुझसे एक प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा, जो मैंने विवश होकर कर दिए। इस प्रतिज्ञा के अनुसार एक समय में हम १५ से अधिक संख्या में गली मुहल्लों में पैरेड न कर सकते थे, और २५० से अधिक भरती न कर सकते थे। और हमारी भरती भी पेशावर के म्यूनिस्पिल इलाके में ही सीमित कर दी गई थी। हमें नारा (जयघोष आदि) लगाने की अनुमति भी न थी। न ही हम पोलीस के सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर सकते थे और न ही बेलचा रख सकते थे। और हम रात के आठ बजे के बाद ही पैरेड कर सकते थे।"

अल्लामा मशरिकी कहते हैं कि उन्होंने इन सरकारी आज्ञाओं की अवहेलना की। हम २५० की भरती कर उन्हें खाकसारों का सारा काम सिखाकर फिर उनको छुट्टी दे देते थे, और नये जवान भरती कर लेते थे। इसी प्रकार एक मुहल्ले में १५ आदमियों से अधिक पैरेड नहीं करते थे, किन्तु युगपत् अनेक मुहल्लों में १५-१५ आदमियों की टोलियां पैरेड करती थी। इसी प्रकार के उपायों का अवलम्बन कर हमने उस प्रतिज्ञा को निष्फल बना दिया।

पेशावर में प्रतिबन्ध

सीमान्त-प्रान्त की सरकार ने जून १९३३ में अपनी एक आज्ञा द्वारा अल्लामा का पेशावर ज़िला में जाना निषिद्ध कर दिया। साथ ही १७ सालारों को भी इस संस्था से सम्बन्ध तोड़ने का आदेश हो गया। इस सरकारी आज्ञा का शाब्दिक पालन किया गया, किन्तु वास्तव में इसकी अवहेलना ही की गई। अल्लामा ने इन सालारों को खुल्लम खुल्ला कार्य न करने का आदेश किया, इन सालारों को इनके सहायक दे दिये गये, इन सहायकों के द्वारा वे अपना सारा कार्य चलाते थे। और वे सादे वेष में दूर रह कर अपनी अपनी टोलियों के साथ पैरेड करते थे और अपने सहायकों द्वारा अपने आदमियों तक आदेश पहुँचाते थे।

१९३४ में सीमान्त-प्रांत के अतिरिक्त, पञ्जाब, हैदराबाद और सिन्ध के ८० शहरों में यह आन्दोलन फैल गया। इसी वर्ष इस संस्था का साप्ताहिक पत्र 'अल् इस्लाह' जारी किया गया। इसमें प्रति सप्ताह अल्लामा और उसके नायक के लेख रहा करते हैं।

इस पत्र के जारी होने से आन्दोलन की गति तीव्रतर हो गई और १९३४-३५ में आन्दोलन सिन्ध और युक्त-प्रांत में सुदृढ़ हो गया। उसी समय यह आन्दोलन इराक, ईरान और अफ़गानिस्तान में भी पैर जमाने लगा। जून १९३४ में अल्लामा को पुनः पेशावर जिला में प्रवेश निषेध का आदेश मिला।

१९३५ ई० के अन्त में देहली में खाकसारों का एक केन्द्रीय कैम्प लगा, जिसमें २७० स्थानों से खाकसार सम्मिलित हुए। प्रत्येक खाकसार ने अपना किराया और कैम्प में ५ दिन रहते हुए भोजन का व्यय अपने पास से दिया।

शक्ति-वृद्धि

१९३६ में आन्दोलन ज़ोर पकड़ गया, बंगाल, मद्रास और आसाम को छोड़कर भारत में एक हजार से अधिक केन्द्र स्थापित हो गये। इस वर्ष दो सौ से अधिक स्थानों पर कैम्प लगाये गये और सैनिक शिक्षा खूब दी गई। कैम्प के समयों में नकली लड़ाइयां भी लड़ी गईं।

१९३७ ई० में एक महत्त्वपूर्ण घटना हुई। सिन्ध के भूतपूर्व राजघराने के एक सदस्य मीर नूरहुसैन ने अपनी सारी सम्पत्ति (जो नौ लाख रुपयों की थी) इस आंदोलन के निमित्त दे डाली। तब से बहुत से नवाब और धनी इसमें आ मिले हैं, नानपुरा का नवाब भी उनमें से एक है।

संख्यावृद्धि के साथ इस आंदोलन के संचालक का साहस भी बहुत बढ़ गया है।

थोड़े महीने पूर्व अल्लामा मशरिकी ने पंजाब-सरकार को चुनौती दी और अपनी तीन माँगें प्रस्तुत की थीं और कहा कि यदि उसकी वह तीन मांगें पूरी न की गईं, तो वह कठोर कार्यवाही करेगा ।

वे तीन मांगें यह थीं—

१. सरकार खाकसारों को अपना रेडियो-स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दे ।

२ जकात के लिये एक केन्द्रिय बैत-उल्-माल स्थापित करे । और

२. सरकारी नौकरों पर से इस आन्दोलन में सम्मिलित होने का प्रतिबन्ध हटा लिया जाय ।

इसके साथ कहा गया था, कि इन मांगों के स्वीकार न करने से सरकार खाकसारों से शत्रुता का बीज बोएगी और फिर खाकसार सरकार को उखाड़ने का पूरा प्रयत्न करेंगे ।

अल्लामा मशरिकी के कथनानुसार सरकार ने तीसरी मांग पूरी करदी है, और पहली के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करने का अभिवचन दिया है । और प्रधान मन्त्री ने दूसरी मांग पर विचार करने का वचन दिया है ।

'अल-इस्लाह' के ताजे अङ्क में सीमान्त-प्रान्त के प्रधान मन्त्री के नाम अल्टीमेटम अन्तिम चेतावनी है । जिसमें उसे धमकी दी गई है कि यदि उसने अपने व्यवहार में सुधार न किया, और खाकसार आन्दोलन के प्रति अपनी शत्रुता की वृत्ति न छोड़ी, तो भयङ्कर परिणाम निकलेंगे ।

अल्लामा ने एक और घोषणा भी की है कि यदि १९४० में देहली में केन्द्रिय कैम्प में ३ लाख खाकसार सम्मिलित न हुए, तो वह इस सारे संगठन को तोड़ देगा ।

जल्लाद

खाकसार आन्दोलन के पेचीदा संगठन में जल्लाद का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है । वह डिक्टेटर (अल्लामा मशरिकी) का विश्वस्त आदमी है, और संस्था की प्रत्येक शाखा में वह अवश्य रहता है ।

स्थानीय अधिकारियों के साप्ताहिक अधिवेशन के बाद उसकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ा करती है । उसके हाथ में एक लम्बा, मोटा चमड़े का चाबुक होता है । डिक्टेटर के आदेशानुसार वह उन लोगों को, जिन्होंने नियन्त्रण भंग किया हो या सदाचार के किसी नियम का उलङ्घन किया हो, नियत दण्ड देता है । कोई खाकसार सिनेमा या दूसरा तमाशा नहीं देख सकता ।

हैदराबाद सत्याग्रही जत्था

२६ जून को चांदा केन्द्र से आर्यसमाज काशी के ७ आर्यवीरों का श्री रूपनारायण जी के नेतृत्व में सिरपुर (निजाम राज्य) में गिरफ्तार होने वाला जत्था।

गिरफ्तारी के समय इन पर भारी लाठी चार्ज हुआ। जत्थे को २ वर्ष की कड़ी सजा मिली।

हैदराबाद सत्याग्रही जत्था

२५ जून को चांदा केन्द्र से आर्यसमाज बकसर (मेरठ) का जत्था श्री सहजाराम जी के नायकत्व में राजूर में सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार हुआ।

श्री महावीर जी मन्त्री, आर्यसमाज कोहिर निजाम।

आप आर्यसमाज कोहिर के प्रसिद्ध उपदेशक व कार्यकर्ता हैं—आपने तारीख २२ अप्रैल को चौथे सर्वाधिकारी श्री धुरेन्द्र जी शास्त्री के साथ गुलबर्गा में सत्याग्रह किया था।

आर्य समाज नैनीताल का दूसरा जत्था

विदाई—ता० २६ जून १९३९

सभासद—(१) म० जयराम आर्य (२) म० रणजीतराम आर्य

आयसमाज नैनीताल का पहला जत्था

विदाई—ता० २१ जून १९३९

सभासद—(१) महाशय धर्मराम आर्य

(२) महाशय नन्दराम आर्य

आर्यसमाज सोरों का जत्था

पंचम सर्वाधिकारी का नगर समाज में सम्मान तथा लिया गया चित्र
साथ में प्रतिनिधि सभा बिहार के सहायक सेक्रेटरी हैं।

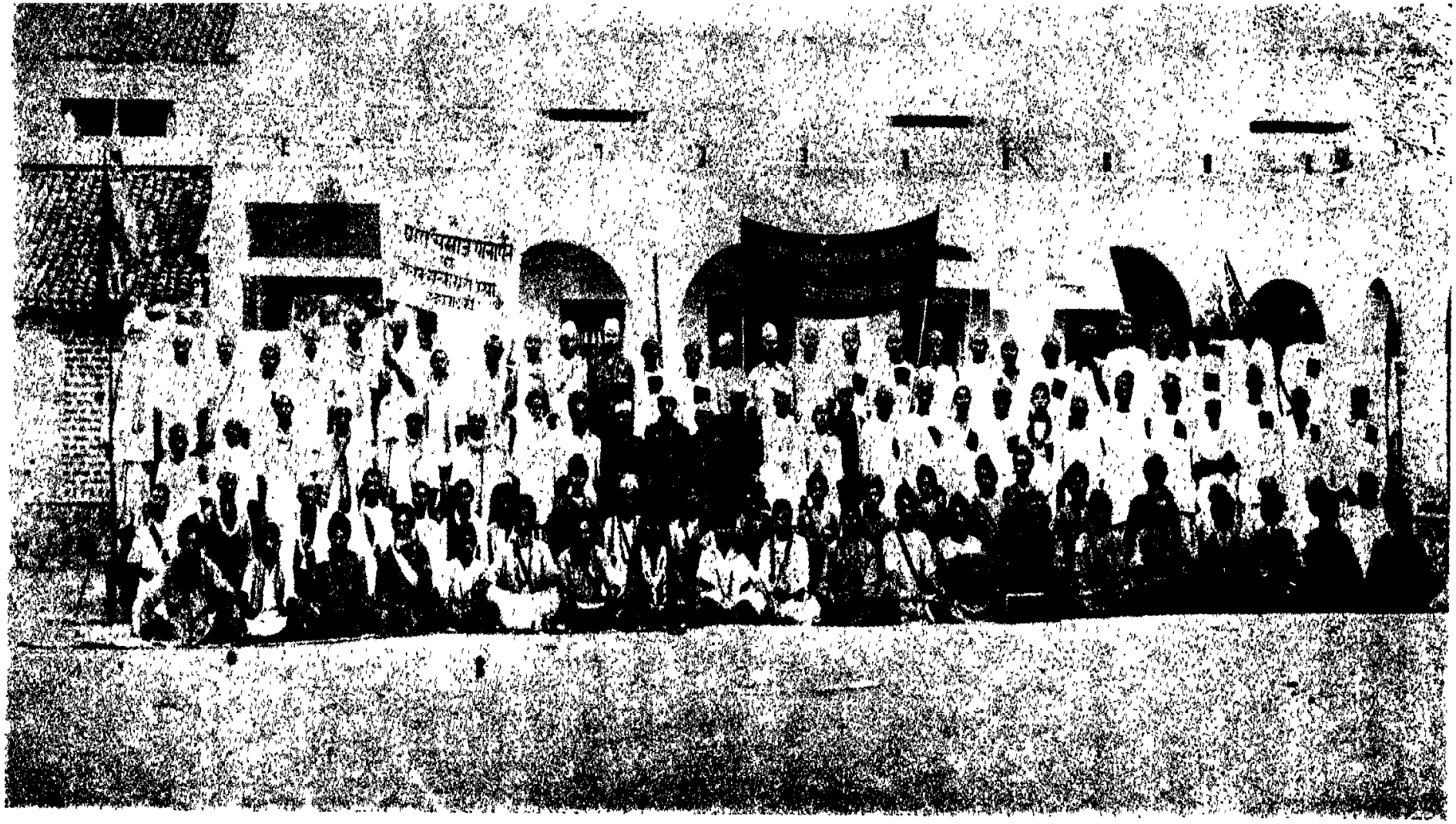

हैदराबाद सत्याग्रही जत्था

पं० बुद्धदेव विद्यालङ्कार ने २८२ सत्याग्रहियों के साथ २ जुलाई को औरङ्गाबाद में सत्याग्रह किया।

अपराधी को सबके सामने हण्टर मारे जाते हैं। एक अधिकारी की उपस्थिति में, इस दण्डविधि का, पूरी कठोरता के साथ पालन किया जाता है। कभी कभी बेंत इतनी सख्ती से मारे जाते हैं कि मार खाने वाला बेहोश हो जाता है।

'अल्-इस्लाह' में एक कालम में डिक्टेटर के वे फैसले होते हैं, जिनमें दण्डनीयों की नामावली के साथ दण्ड की मात्रा का वर्णन होता है। दण्डनीय मनुष्य के निवास-स्थान तथा उस अफसर के नाम का भी, जिसकी उपस्थिति में दण्ड दिया जाता है, उल्लेख रहता है। जितना बड़ा अधिकारी, उतना कड़ा दण्ड।

केवल बेंत लगाना ही दण्ड का प्रकार नहीं है। मुख्य मुख्य सदस्यों को दण्ड रूप में लम्बे लम्बे उपवास तथा प्रार्थनाएँ भी करनी पड़ी हैं। इनमें से एक सिन्ध-प्रान्त का मन्त्री है और दूसरा सीमान्त-प्रान्त की असेम्बली का मेम्बर है।

गुप्तचर-विभाग

प्रत्येक सदस्य के निजू जीवन की प्रत्येक क्रिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अल्लामा ने प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे पर गुप्तचर बना रखा है। जासूसी का काम किसी एक अफ़सर का काम नहीं है, तो भी अल्लामा ने बहुत से मनुष्यों को यह काम सौंप रखा है। उनका नाम है 'खुफिया साखार-इ-ज़ब्त'। वे सादा वेष में रहते हैं और तत्तत्स्थानों के ख़ाकसारों की गति-विधि पर दृष्टि रखते है। सचमुच वे बड़े भयावह हैं, और उनकी दृष्टि से कोई खाकसारसाधारण या अफ़सर नहीं बच सकता। खाकसारों का सारा बल उनका डिक्टेटर है जो किसी के सामने उत्तरदाता नहीं है, सारा संगठन और प्रत्येक सदस्य अल्लामा के सामने उत्तरदाता है और उसके आदेश को ननुनच के बिना पालना उसका परम कर्त्तव्य है।

संगठन

सब से प्रधान अधिकारी स्वयं अल्लामा है, समस्त नियुक्तियां वह स्वयं करता है। 'साखार-इ-मुहल्ला' तक को वह स्वयं नियुक्त करता है। वही नीति का निर्धारण करता है, उसके निर्णय अन्तिम होते हैं, उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। वास्तव में 'अल्लामा' ही इस संगठन का सर्वेसर्वा है, वही प्रबन्धक है और वही न्यायाधीश।

खाकसारों के चार विभाग किए जा सकते हैं—

(१) मुजाहीद, (२) मुहाफ़िज़ (३) मुआविन और (४) जांबाज़

जांबाजों की एक विशेष श्रेणी है, उसमें कुल ७०० सदस्य हैं जब कोई लड़ाई

होगी, तो उन्हें सब से पहले जाना होगा। उन्होंने एक पत्र के नोटिस पर अपनी जान देने की प्रतिज्ञा कर रखी है। जांबाज़ की प्रतिज्ञा इस प्रकार हैं—

"खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर, खुदा, उसके रसूल और इस्लाम के उत्कर्ष के नाम पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कि नेता के आदेश पर मैं अपनी जान कुरबान कर दूंगा। और मैं मानता हूँ कि यदि किसी समय मैंने अपने नेता की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो मुझे जहन्नुम (नरक) मिले।"

मुहल्ले की टुकड़ी सब से छोटी होती है, उसका नेता 'सालार-इ-मुहल्ला' कहलाता है, जो रात के पोने नौ बजे, पैरेड में बुलाने के लिए बिगुल बजाता देखा जाता है।

पैरेड के लिए यह समय इस कारण नियत किया गया है ताकि कोई सदस्य सिनेमा आदि खेल तमाशों में सम्मिलित न हो। अल्लामा इन 'सालार-इ-मुहल्ला' के खरेपन पर बहुत निर्भर करता है, और यथासम्भव इन पदों पर श्रेष्ठ मनुष्यों को नियुक्त करने का यत्न किया जाता है। 'सालार-इ-मुहल्ला' की सहायता के लिए एक 'सालार-इ-इदारा' होता है, जो प्रति दिन की उपस्थिति का रजिस्टर रखता है।

नेता-गण

'सालार-इ-मुहल्ला' के ऊपर एक 'सर-सालार' होता है, जिसके अधीन 'सालार-इ-मुहल्ला' होते हैं। सर-सालार के ऊपर एक 'सालार-इ-इलाका' होता है। लाहौर के पांच 'सालार-इ-इलाका' हैं, जिनकी सहायता के लिए 'सालार-इ-तबलीग' भी नियत हैं। उनके ऊपर 'सालार-इ-शहर या नगर-नेता' होता है, जो समूचे नगर का अध्यक्ष होता है।

खाकसारों का पूरा पूरा सैनिक-नियन्त्रण रखने के लिए प्रत्येक जिला में 'सालार-इ-जिला' नामक एक अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए एक 'सालार-इ-इदारा-इ-मरकज़ी' होता है, जो सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक विषयों में अल्लामा की नीति का पालन करता और कराता है। एक तरह से यह अधिकारी 'सालार-इ-जिला' से भी बड़ा होता है, क्योंकि यही डिक्टेटर की रीति-नीति का संरक्षक है, वह 'सालार-इ-जिला को डिक्टेटर की नीति के विरुद्ध आचरण करने के कारण तब तक के लिए पदच्युत कर सकता है, और उसके कार्यों को स्वयं अपने हाथों में ले सकता है, जब तक कि ऊपर से नयी नियुक्ति न हो। वह अस्थिर तौर से 'सालार-इ-जिला' की नियुक्ति भी कर सकता है।

'सालार-इ-जिला' के ऊपर प्रान्त का अफसर 'सालार-इ-खास' होता है। यदि किसी को दो प्रान्तों का अफ़सर बना दिया जाए तो उसे 'निज़ाम-इ-आला' कहा जाता है, यह सब से बड़ा पद है जो इस संगठन में किसी खाकसार को मिल सकता है।

प्रेस-सेंसर

इसमें सबसे विचित्र अधिकारी 'सालार-इ-अहतिसाब' होता है, किसी स्थान पर जाने पर इसे ३१ गोलों की सलामी दी जाती है। यह प्रचार-मन्त्री का काम करता है। यह 'समचारपत्रों के सेंसर-विभाग' का अध्यक्ष होता है। वह भारतवर्ष के समस्त समाचार-पत्रों को पढ़ता है ताकि उनकी धार्मिक सामाजिक, नैतिक प्रवृत्ति का ज्ञान हो सके। प्रत्येक खाकसार इस विभाग को सूचना देता है कि अमुक समाचार-पत्र खाकसार-आचार-मर्यादा पर पूरा नहीं उतरता और कि अमुक पत्र खाकसार-आन्दोलन के विरुद्ध है।

सालार-इ-अहतिसाब का यह कर्तव्य है, कि वह समाचारपत्रों के संपादकों तथा स्वामियों को अनभीष्ट लेखों के सम्बन्ध में चेतावनी देता रहे। यदि किसी समाचार पत्र का सम्पादक उन अनभीष्ट लेखों को फिर न छापने का वचन दे, तो उसका यह वचन 'अल्-इस्लाह' में छाप दिया जाता है। अन्यथा उसका नाम 'काली-सूची' में अंकित कर लिया जाता है, और फिर खाकसारों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे समाचारपत्र को वहाँ से निकलवा दें और अपने इलाके में उसकी एक भी प्रति न आने दें।

खाकसारों को यह भी आदेश है कि वह अपने इलाके के अखबार-एजण्टों के पास जाएँ और अपने यहां के निषिद्ध समाचारपत्र को न बिकने दें।

उद्देश्य

"संसार भर में अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करना, तथा एक बार फिर संसार का शासक बनना और संसार को विजित करना हमारा धर्म, हमारा ध्येय और हमारी इच्छा है।" अल्लामा मशरिकी का अपना वचन है।

इसमें एक विचारने की बात यह है, कि अल्लामा ने अपनी भारत-विषयक राज-नैतिक भावनाओं का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया। यह उसने लोगों की कल्पना के लिए छोड़ दिया है कि उसके संसार में भारत सम्मिलित है या नहीं। अल्लामा के लेखों को पढ़ने से ज्ञात होता है, कि वह अपने राजनैतिक उद्देश्यों को साम्प्रदायिक

या धार्मिक भूलभुलैयों में छिपा लेता है। राजनैतिक विषयों में उसके मौन का रहस्य निम्न लिखित सन्दर्भों से खुलता है—

"एक कांग्रेसी इस कारण गिरफ्तार होजाता है, उसे यह घमण्ड है कि वह देश का शासक है और कि वह देश का कानून नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि किस प्रकार के भाषणों से मेरी गिरफ्तारी हो सकती है।"

एक दूसरे स्थान पर वह कहता है—

" मुझ में भविष्यवाणी करने की योग्यता नहीं है। मैं अपना घर बनाने की तब तक नहीं सोच सकता जब तक कि मैं उसके लिए आवश्यक ईंटें और गारा इकट्ठा न करलूँ। समय आने पर मैं अपनी सामग्री की जांच करूँगा।"

इस प्रकार की गोलमाल, अस्पष्ट और सन्दिग्ध उक्तियों के होते हुए भी उसके लेखों में उसके हार्दिक भावों और उमंगों को बताने वाली पर्याप्त सामग्री है। अल्लामा ने यह स्पष्ट बतला दिया है कि खाकसार-आन्दोलन का उद्देश्य मुसलमानों में सैनिक प्रवृत्ति उत्पन्न करना है, क्योंकि अल्लामा के मतानुसार प्रत्येक मुसलमान को सैनिक होना चाहिये। और उसे प्रत्येक समय केवल इस्लाम की ही रक्षा के लिए ही नहीं वरन् 'शत्रु' को आधीन करने के लिए भी अपने प्राण देने को उद्यत रहना चाहिये। जन-साधारण और राज्य के विचार की बात यह है कि उसने यह कहीं नहीं बतलाया कि 'शत्रु' कौन है?

अल्लामा के लेखों में अनेक अस्पष्ट से स्थल हैं, जिन में भारत विजेता मुसलमानों के अतीत गौरव का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन पाया जाता है और उनके वर्तमान पतन की भी चर्चा है। उसके मतानुसार मुसलमानों के पतन का प्रधान कारण सैनिक आचरण का परित्याग है। उसका कथन है कि "बलिष्ठ और संगठित होकर खाकसार उस राजनैतिक लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करलेंगे, जब वे अनुभव करेंगे कि अब वे अवश्य सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तब तक वे युद्धोचित सामग्री—जन और धन—के इकट्ठा करने में लगे रहेंगे।"

उसका कहना है कि "सुन्दर सुखद स्वप्न देखने मात्र से या नारे लगाने से राजनैतिक शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। जब परमात्मा की दृष्टि में कोई जाति संगठित हो जाती है तब उसे बिन मांगे राज्य मिल जाता है। जब हम में एकता आ जायगी तब हम उद्देश्य की प्राप्ति के साधनों और उपायों का विचार करेंगे। जब हमारे पास घर बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री नहीं है, तब उसके लिए उत्तम उत्तम कल्पनाएँ करने से

क्या लाभ ?

सैनिक आचरण की आवश्यकता पर बल देता हुआ अल्लामा कहता है—

"हमारे पूर्वज जो एक हजार वर्ष तक संसार पर राज्य कर सके और भारत वर्ष को जीत सके, उसका एक मात्र कारण यह था कि वे वीर थे और अपने नेताओं के नितान्त आज्ञाकारी थे। वे खड्ग चलाने में चतुर थे। वे हजारों मील यात्रा कर सकते थे, और अनेक दिन तक भूखे प्यासे रह सकते थे। इन सैनिक गुणों के अभाव में वे भूमि का एक फुट भी न जीत सकते।"

वह कहता है—कि वह अपने राजनैतिक तथा सैनिक आदर्शों के लिए 'कुरान' का ऋणी है और वह उससे अनेक उदाहरण देता है। यदि वह भारत वर्ष या अन्यत्र इस्लाम के प्रभुत्व की कल्पना करता है, तो इसका कारण, उसके मतानुसार यह है कि, कुरान मुसलमानों को शत्रुओं से युद्ध करने का आदेश करता है। उसके सैनिक उपदेशों का आधार कुरान है। एक स्थान पर वह कहता है:—

'खाकसार आन्दोलन में; कुरान प्रोक्त धर्म का सौन्दर्य परिस्फुट होता है और खाकसारों को यह आदेश है कि निज देश के कानून का पालन करें यदि वहां की सरकार उनके धर्म में हस्तक्षेप न करे। मुसलमान के लिए उसका धर्म ही सब कुछ है। उसके धर्म में ही सर्वोत्तम राजनैतिक लक्ष्य निहित है।"

इस उपोद्घात के बाद अल्लामा लिखता है—

"सांसारिक दृष्टि से देखा जाय तो खाकसार आन्दोलन एक सैनिक आन्दोलन है, और यदि धार्मिक दृष्टि से विचारा जाय तो यह दैवी (खुदाई) संस्था है।"

आगे चलकर अल्लामा कहता है—

"खाकसार कर्म की समानता उत्पन्न करना चाहते हैं और आज्ञाकारिता, समानता और उच्च आचार का उदाहरण बनना चाहते हैं, ताकि वे अपने आत्मिक सामर्थ्य से संसार पर शासन करने में समर्थ हो सकें।"

यह बात तो स्पष्ट है कि अल्लामा खेल तमाशा नहीं कर रहा। वह उस दिन की प्रतीक्षा में है। जब उसके सैनिक आक्रमण करने के लिये कूच करेंगे। वह कहता है—

"कदाचित् वह दिन बहुत दूर है जब हम खाकसारों को अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिये कहेंगे, किन्तु उन्हें इस त्याग का—तन, धन, जन के त्याग का—अभ्यास

करना ही है ताकि परीक्षा के दिन अपने तन धन देने में उन्हें संकोच न हो।"

अल्लामा को अहिंसा पर कोई विश्वास नहीं है। वह लिखता है—

"हमने कोई धन जमा कर नष्ट नहीं किया। हमने जेल भर कर अपने जीवन भ्रष्ट नहीं किये। यदि हम पर किसी ने लाठी से प्रहार किया होता, तो हमने भी उस की पीठ पर लाठी से चोट कर दी होती। यदि हम कभी लड़े, तो हारने के लिये न लड़ेंगे। और यदि हम मरे, तो मारते हुए मरेंगे।"

अल्लामा के युद्ध सम्बन्धी विचार भी मनोरंजक है—

"मेरा विश्वास है कि युद्ध एक आवश्यक कार्य है, और शान्ति युद्ध द्वारा ही मिलती है। जो जाति सैनिक बल में निर्बल है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। संसार में शान्ति तभी हो सकती है, जब सभी जातियाँ इतनी बलिष्ठ हों, कि एक जाति को दूसरी जाति पर सफलता पूर्वक आक्रमण करने की सम्भावना न हो।"

भ्रम-निराकरण

कई हिन्दू-पत्रकारों को यह भ्रम है कि खाकसार-आन्दोलन सार्वजनिक और सर्वभूत हितकारी आन्दोलन है। उन्हें 'अल्-इस्लाह' में प्रकाशित निम्नलिखित पंक्तियाँ ध्यान से पढ़नी चाहिएँ—

"हमने संसार भर के मुसलमानों को एक प्लैटफार्म पर इकट्ठा करने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। मुसलमानों को एक अमीर के अधीन और एक संगठन में रहना सीखना चाहिए। यदि हिटलर समस्त संसार में नाजीमत का प्रसार कर सकता है, और यदि मुसोलिनी संसार भर में साम्राज्य स्थापन के स्वप्न देख सकता है और यदि स्टालिन कम्यूनिज्म को एक जीवित जागृत शक्ति बना सकता है, तो खाकसार भी संसार में इस्लाम का राज्य स्थापित कर सकते हैं।"

अपने इस उद्देश्य को मूर्त्त रूप देने के लिये हर एक खाकसार से यह आशा की जाती है कि "वह अपने दाहिने हाथ में कुरान और बाँएँ हाथ में तलवार रखे।"

इस पर विशेष कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है।

—आर्य लाहौर से उद्धृत

HYDERABAD REFORMS
AND
ARYA SAMAJ.

By—**Pt. Ganga Prasad Upadhyaya.**

It is well known that the present struggle of the Arya Samaj is centred round a few fundamental religious and cultural rights. In short they are, liberty to form religious associations like the Arya Samj, liberty of public religious meetings (Prachar), liberty to take out religious processions or Nagar kirtans, liberty of opening private schools and liberty to build temples.

These demands can be classed under two categories with reference to the announced Reforms:—

(1) Those which the reforms appear to grant but regarding which the Arya Samaj feels that clarification is essential;

(2) The others regarding which there is no claim made that the reforms have actually granted these, but they can be referred to the Committee suggested.

As regards the first, paragraph 10 of the Reforms reads as follows:—

10. **Freedom of association, speech and writing**

"Unlike certain other States there is at present no law in the State regulating the formation of associations or organisations. Rules exist, however, in regard to public meetings which in the interests of tranquility is not possible entirely to dispense with. With the development of representative bodies, however, Council is anxious to give as much freedom as existing conditions permit. It therefore

proposes that the existing rules may be repealed, provision being made whereby conveners of public meetings will be required not to obtain any permission but only to give previous intimation to the competent authority for which every local facility will be given. Power at the same time must be reserved to such authority subject to appeal and control to prohibit the holding of any particular meeting, but only if in the opinion of that authority the meeting is likely to cause disturbance of the public tranquility or to promote sedition or enmity between classes".

This obviously means to convey the impression:—

(1) That religious association or organisation like the Arya Samaj can be formed and can function in any new place without the condition of previous permission, just like political, communal or other associations. It seems to be implied that what is granted to non-religious associations or organisations, is not denied to a religious organisation like the Arya Samaj. But on close examination of the existing rules there are grave doubts if this apparent conclusion is correct. The following occurs at page 51, of the 1st Edition and page 41 of the 2nd Edition of the White Paper (The Arya Samaj in Hyderabad) published by the Government of the H. E. H. the Nizam:—

"As regard the Arya Samaj, Government is not concerned with and no permission is required for the erection of havankunds in any house, provided that the place is only used for private worship and no permission need be obtained in such cases. Where, however, it is desired by members of the Arya Samaj to open a havankund in some new locality for public and congregational prayers, the permission which has always been insisted upon must be obtained in the best interests of peace".

It may incidentally be noted that Havankund is not a building. It is either a small pot or pit (about one foot long, one foot wide and one foot deep usually) meant for burning Ghee and other scented materials. It comes to this that no branch of an Arya Samaj can be organised or can function even in a private or a rented house. It may be that the Government of H.E.H may not be intending to put any restriction of this sort particularly when they do not intend to do so in case of other associations. If that be the case the Government of H.E.H. should make it clear. And if it is not the case then the Government of H.E.H. should find an outlet from this rather absurd position of fettering purely religious organisations only, by making a fresh announcement of liberty to them also.

Next as to public religious meeting, *i.e.*, the right of prachar, the proposed reforms announce that the rules restrictive of public meetings will be repealed and thus there will be no restriction of previous permission. This apparently conveys the idea that religious meetings also will enjoy the same freedom. But here again on the examination of the existing laws the same difficulty arises. Annexure 10 of the 1st Edition and Annexure 9 of the 2nd Edition of the same White Paper lay down rules governing religious performances where a set of rules have been framed requiring previous permission in case of what they may call a new performance and seven days' notice for what they call old performance. What can be classed as "new" may be gathered from an instruction contained in the note to those rules, as follows:—

> "Per contra a performance which has been regularly observed for years may become a "new" one by the introduction into it of some features that substantially alters its character or by altered circumstances, *e.g.*, the use of music, a change of route or venue, or the

construction since it last took place of some mosque, temple, Ashurkhana or Church on the route to be followed "New", of course, means "new" to the locality in question. A Ganpati procession may have been taken out in Adilabad or Latur for the last 20 years but if it is proposed to take it out in Hyderabad for the first time, it is clearly a "new" one."

Religious performances have been defined as under:—

"The expression religious performances include **all meetings**, processions and ceremonies of a public and religious nature concerning any community or creed."

Para (J) is as follows:—

"(j) Home Secretariat Circular No. 54 of 17th Dai 1339F regarding the rules for the **public meetings** shall not, in any way, effect these Rules nor shall the Circular in question apply to the Rules for the Religious performances."

It would appear from this that a religious public meeting comes under the terms "religious performance" and the rules about **public meetings** which are going to be repealed by the proposed reforms do not apply to religious meeting. Therefore the repeal of the rules of public meetings, although it liberates all meetings even communal ones, does not liberate a purely religious meeting. Here again it may be that the real intention of the reforms may not be this. If that be the case, the position should be made clear beyond doubt but if the omission be intentional, the same absurd position faces the Hyderabad Government again. That is, while they can tolerate a communist, a communalist or political meeting they cannot tolerate a purely religious meeting, like that of the Arya Samaj. There is another difficulty. What will be

the line to divide religious meeting from say a cultural meeting. The Hyderabad Government can free itself from this position only by an immediate announcement promising to cancel these and kindred rules also. These, it is suggested, can be dealt with by the proposed Religious Affairs Committee. Relevant paragraphs of the Reforms are paragraphs 7, 10 and 12. We must clearly understand the nature and function of this Committe. There are eight Committees proposed, *e g.* (1) Agriculture Devlopment (2) Education (3) Finance and so on, (8) Religious Affairs. These Committees are "to be attached to several departments of the Government" as mentioned in the Hyderabad Communique These are mere Advisory Committees which will advise the various departments of Government on such matters as may be referred to them by Government for advice. It will be for the Department to accept or reject the recommendations of the Advisory Committee and their recommendations will be confidential. The Religious Affairs Committee will obviously be attached to that Department of the Government which deals with religious affairs, that is to say the Ecclesiastical Department (Amuri Mazhabi) which has been the real source of all troubles.

The demands of the Arya Samaj are of such elementary and fundamental nature that they do not need any enquiry, much less, an enquiry by a Committee of this kind. They are so obvious that they should have been or even now should be announced by the Government

The recommendation of the Iyanger committee on which the Government proposals are based was for a **Commission of Enquiry.** H.E.H.'s Government has in beautiful phraseology rejected this Commission in favour of a departmental committee as if the two were inconsistent. Even if the Religious Affairs' Committee was considered essential, therewas nothing to prevent the appointment

of the Commission to enquire into the immediate problems which are well known and are agitating public mind. The appointment of a Commission carries with it the implication that the Government recognises the existence of problems worth enquiry. The enquiry commission is generally open, particularly its report and recommendation which, therefore, cannot escape public examination. The Government has very adroitly avoided both of these.

It is said on behalf of the Hyderabad administration that for further elucidation or grant of rights, it is essential that the atmosphere should be calm and therefore it is necessary the Arya Samaj should call off the satyagraha. Such critics forget that this plea does not hold good. The Hyderabad Government has announced these (what they call weighty reforms) while two agitations were in full swing. One can not understand why a necessary clarification or further announcement of very elementary matters cannot now be made.

बीज

सस्ता, ताजा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का
बीज और गाछ हमसे मँगाइये।
पता—मेहता डा० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना)

आर्यसमाज के मंत्रियों की सेवा में

श्रीमान् मन्त्री जी, नमस्ते !

आपको भली भाँति विदित है कि आर्य सत्याग्रह गत ६ मास से बड़ी सुन्दरता और शान से चल रहा है। समस्त आर्य जगत् ने अपनी शक्ति से बढ़कर इस धर्मयुद्ध में धन जन से सेवा की है जिसका परिणाम यह हुआ है कि इस समय सारे भारत की सहानुभूति हमारे साथ है। परन्तु नहीं कहा जा सकता कि इस धर्मयुद्ध को कब तक जारी रखना होगा, फिर भी हमें पूर्ण आशा है कि रियासत हैदराबाद अपनी कुटिल नीति से इस धर्मयुद्ध को चाहे कितना ही लम्बा करती जाय आर्य जगत् इस परीक्षा में पूरा उतरेगा और धन जन इकट्ठा करने में कमी न आने देगा। जब तक हमारे धार्मिक अधिकारों पर से वर्तमान बन्धन दूर न होंगे तब तक आर्यसमाज लगातार उत्साहपूर्वक आहुतियाँ डालता रहेगा।

(१) हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना है। इसी के लिये यह युद्ध प्रारम्भ किया गया है। परन्तु युद्ध के साधनों को समय समय पर बदलने की आवश्यकता हुआ करती है। इसीलिये आरम्भ में दो मास तक सत्याग्रह के लिये जाने वालों की गणना साधारण रखी गई। फिर आवश्यकता अनुभव हुई कि सत्याग्रहियों की संख्या एकदम बढ़ा दी जाय। चुनाचे हरएक डिक्टेटर ने सैकड़ों की गणना में सत्याग्रही वीर साथ लेकर सत्याग्रह किया। फल यह हुआ कि निज़ाम की जेलें सत्याग्रहियों से इतनी भर गईं कि आज उन्हें विविध बहानों से छोड़ा जा रहा है, जिससे नये आने वाले जत्थों के लिये स्थान बन सके।

(२) इन हालात पर विचार करते हुए हमारी युद्ध समिति ने यह निर्णय किया है कि आगे डिक्टेटरों के साथ सत्याग्रहियों की अधिक संख्या न भेजी जाय और कोई डिक्टेटर या जत्थेदार ४०--५० के जत्थे से ज्यादा न ले जाय और नियत केन्द्र से प्रतिदिन आदमी भेजे जायँ जिससे सत्याग्रह का काम बराबर बँधा रहे और किसी दिन भी यह तांता टूटने न पावे। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि ज्यों ही किसी जगह सत्याग्रही २०-२० की संख्या में इकट्ठे हो जायँ उन्हें तुरन्त किसी डिक्टेटर की प्रतीक्षा के किये बिना भेज दिया जाय और डिक्टेटर या जत्थेदार महोदय इस बात का ध्यान ही छोड़ दें कि उनके

साथ अधिक संख्या में सत्याग्रही आने से उनका गौरव होगा अपितु कौंसिल की नीति के सानुकूल काम करने में ही वे अपना महत्व समझें।

(३) केवल श्रीमान् विनायकराव जी के लिये यह निर्णय किया गया है कि उनके साथ केवल रियासत के ही आदमी जावें और अधिक से अधिक जितने आदमी वे लेजा सकें ले जावें। परन्तु उनके पीछे किसी भी डिक्टेटर या जत्थेदार को ऐसा करने की आज्ञा न होगी।

(४) यह अत्यन्त आवश्यक है कि जब तक युद्ध समिति यथा विधि किसी महानुभाव को डिक्टेटर नियुक्त न करे उसका नाम इस हैसियत से घोषित न किया जाय। इससे बहुत भ्रम फैल जाता है। युद्ध समिति की स्वीकृति से पहले किसी जलसे या समाचार पत्र में इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं होनी चाहिए।

(५) भविष्य में जहाँ कहीं वातावरण विपरीत हो वहाँ जलूस न निकाले जायँ परन्तु डिक्टेटर या जत्थेदार का पूर्णरूप से स्वागत किया जाय। जो मार्ग निश्चित हो उसी से बिना किसी विशेष धूमधाम के उन्हें लेजा कर ठहराने के स्थान पर पहुँचा दिया जाय तथा किसी उपयुक्त स्थान पर सभा कर थैलियां भेंट की जायँ। मार्ग में, जैसा कि अब तक भी होता रहा है, कोई ऐसा नारा न लगाया जाय जो निजाम या इस्लाम के व्यक्तित्व से कोई सम्बन्ध रखता हो। बल्कि युद्ध समिति के निश्चित किये हुए नारे ही लगाये जायँ। कोई आपत्तिजनक भजन भी न गाया जाय।

(६) किसी डिक्टेटर अथवा जत्थेदार को थैलियों का रुपया साथ नहीं ले जाना चाहिए। बल्कि सब रुपया स्थानीय समाज या युद्ध समिति के हवाले कर देना चाहिए और वह समाज या समिति उसका हिसाब बना कर सारी रकम को चैक द्वारा शोलापुर या सार्वदेशिक सभा में भिजवा दे। डिक्टेटर या जत्थेदार केवल मार्ग व्यय के लिये मुनासिब रकम साथ ले जा सकते हैं। आर्यसमाज को यह गौरव प्राप्त है कि उसके हाथ में धन सुरक्षित रहता है। इस गौरव को स्थायी रखना नितान्त आवश्यक है। अतः अधिक सावधानी की आवश्यकता है।

(७) सत्याग्रही भरती करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रक्खा जाय कि १८ वर्ष से कम आयु का कोई सत्याग्रही भरती न हो और ऐसे ही साठ साल से अधिक आयु का भी कोई वृद्ध न जाय, वरन् यह भी सावधानी रहे कि कोई दुर्बल या रोगी भी न जाने पाये, एवं जेल में बीड़ी सिगरेट न मिलने के कारण बड़ा कष्ट होता है अतएव यथाशक्ति

ऐसे सत्याग्रहियों को चुना जाय जिनमें यह कमजोरी न पाई जाती हो या जो इसे छोड़ने का पक्का निश्चय कर चुके हों नहीं तो उन्हें बड़े कष्ट का सामना करना होगा और सम्भव है कि इस कारण से वह अपने व्रत से पतित हो जायँ।

(८) ऐसे विस्तृत आन्दोलन में संदिग्ध तथा लोभी आदमियों का शरीक हो जाना भी सम्भव है। अतः बिना भली भाँति जांच पड़ताल और इतमीनान किये किसी को भरती न करना चाहिए।

(९) जब कोई समाज या सोसायटी जत्था भेजे तो उसे चाहिये कि इसकी सूचना कुछ समय पहिले अपने प्रान्त की सत्याग्रह समिति को दे दे, जिससे प्रबन्ध में सुगमता रहे और किसी को किसी प्रकार की शिकायत का अवसर न मिले।

(१०) जत्थे भेजने और धन संग्रह करने के लिये प्रत्येक समाज या सोसायटी या व्यक्ति को पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए और इन प्रयत्नों में किसी भी प्रकार की सुस्ती नहीं आनी चाहिए। क्योंकि युद्ध का अन्त अभी दूर दिखाई देता है।

(११) जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि जिन समाजों या व्यक्तियों ने मासिक सहायता देना स्वीकार किया है, उनसे धन एकत्रित करके युद्ध समितियों के स्थानीय समाजों में शीघ्र भेज दें।

(१२) जिन समाजों या सभाओं या दूसरी किसी ऐजन्सी द्वारा जो २ सत्याग्रही जायँ उन्हें चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम, आयु पेशा, पूरा पता लिखकर और सूची बना कर युद्ध समिति के दफ़्तर में भिजवा दें।

(१३) समस्त आर्य समाजें साप्ताहिक सत्संग में हैदराबाद के समाचार सुनाने के लिये कुछ समय रख लिया करें और विशेष २ घटनाएँ जो सप्ताह भर में हुआ करें वह सुना दिया करें जिससे सबको विज्ञप्ति रहे।

यह निवेदन आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में आर्य भाइयों को पढ़कर सुना दिया जावे।

—सुधाकर, मन्त्री

सत्याग्रह-संग्राम का पुण्यफल

(लेखक—पं॰ जगन्नाथ जी वेदालङ्कार)

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपा वृतम् ।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥

आर्य-सत्याग्रह धार्मिक स्वत्वों की प्राप्ति के लिए है। मनुष्य में एक बार धार्मिक स्वराज्य पाने की आन्तरिक इच्छा पैदा होते ही वह उसे तत्काल प्राप्त कर लेता है। धर्म तो मुख्यतया आन्तरिक ही है। जिस पुरुष के हृदय में धर्मभाव तरङ्गित हो उठे हैं, वह अपने अनित्य शरीर के बलिदान की कीमत से भी नित्य धर्म की रक्षा करके आत्म संतोष का लाभ करेगा। इसमें सन्देह नहीं कि यह एक उच्च स्थिति है। परन्तु सत्याग्रह के धर्मयुद्ध में भाग ले रहे धर्म-प्रेमी क्षत्रिय अपनी अपनी धर्म भावना की तीव्रता के अनुसार आत्मसन्तोष अवश्य पायेंगे। फिर जो धर्मवीर इस धर्म क्षेत्र में लड़ते लड़ते शहीद हो गये हैं वे तो 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्' अर्थात् 'यदि तू धर्मयुद्ध में मर जायगा तो स्वर्ग पायेगा' गीता की इस प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मिक स्वर्ग के आनन्द को प्राप्त कर ही चुके हैं। और वैसे भी सर्वसाधारण में धार्मिक स्वत्वों की प्राप्ति के लिये इच्छा पैदा होना कोई मामूली बात नहीं है। प्रबल शुभ इच्छा या संकल्प के साथ सफलता तो जुड़ी हुई है ही। इसके साथ ही यह धार्मिक इच्छा स्वभावतः शान्तिदायिनी होती है और अपना फल अपने आप है। आर्य धर्म की यह बड़ी भारी विजय है कि उसके लाखों अनुयायियों में आज धर्म पर बलिदान होने की भावना जागृत हो उठी है। वे सब प्रकार के त्याग और तपस्या के लिए खुशी से तैयार हैं। यह तो हुई अलौकिक फल की बात।

इस युद्ध का प्रत्यक्ष फल भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। न केवल भारतवर्ष के, बल्कि संसार भर के आर्यजगत् में नवजीवन का सञ्चार हो गया है। धार्मिक एवं सामाजिक जागृति की लहर बिजली की भाँति एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ गई है। आज से कुछ वर्ष पूर्व आर्यसमाज के मञ्च (प्लेटफार्म) इस चर्चा के स्थल बन रहे थे कि आर्यसमाज की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके सामने कोई प्रोग्राम ही नहीं। परन्तु परमात्मा ने इस विवाद की निरर्थकता को सिद्ध करने के लिए और संसार के सामने आर्यसमाज के प्रसुप्त सिंह की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिये एक दैवी संग्राम भेज दिया। आज संसार भर में जहाँ भी आर्यसमाज का प्रवेश है वहाँ लोगों के सामने आर्यसमाज की प्रसुप्त शक्ति प्रकट

होगई है। कितनों को तो इस आर्यसमाज की यह शक्ति एक चमत्कार प्रतीत होती है। पर असल में यह बात नहीं। सच तो यह है कि लगभग साठ साल तक आर्य प्रचारकों के पुकार पुकार कर प्रेम, सङ्गठन, और यज्ञ का प्रचार करते रहने से विशेषत: आर्यों और साधारणतया हिन्दू मात्र में एक प्रभावशालिनी शक्ति सञ्चित होती रही है और वह आवश्यकता के समय बटन दबाने से इस प्रकार फूट निकली है जैसे कि विद्युत् सञ्चायक (Accumulator) में से बिजली वह निकलती है। विद्युत् की ही भाँति इसे नियन्त्रित भी कर लिया गया है। जिस से यह बहुत उपयोगी बन गई है। आज आर्यों के बच्चे २ के अन्दर उत्साह, साहस, त्याग, तपस्या और बलिदान की जो भावना दृष्टिगोचर हो रही हैं, वह अद्भुत है, चमत्कार पूर्ण है। न केवल नर अपितु नारियां भी अपने अदम्य उत्साह को प्रदर्शित कर अपनी धर्म परायणता तथा निर्भयता का परिचय दे रही हैं। आर्य माताएँ और बहनें दुःखित हृदय से पूछती हैं कि हमें अपने पुत्रों तथा भाइयों के साथ, इस धर्मयुद्ध में भाग लेने के लिए क्यों नहीं जाने दिया जाता ? हम पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुगमता तथा प्रसन्नता से मर सकती हैं। क्या आर्य देवियों के ये प्रश्न हमें महारानी पद्मिनी, महारानी करुणावती और झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के दिनों की याद नहीं दिला देते ? जिन देवियों को अबला कहा जाता है आज हम उन्हें आत्मरक्षा के साधन से सुपरिचित और सम्पन्न देख रहे हैं। क्या इस समय देवियों में जागी हुई वीर भावना उन्हें पचासों वर्षों तक मुसलमानी गुण्डों व विधर्मी धूर्तों के चंगुल से अपने को बचाने लिये शक्ति न देती रहेगी ?

इस संग्राम का एक और भी महान् फल हमें दिखाई दे रहा है। वह है हिन्दू मात्र में, विशेषतया आर्यों में संगठन-बल की वृद्धि। हमारा यह सङ्गठन नियन्त्रण और अनुशासन से अनुप्राणित भी है। पूर्ण अनुशासन आदर्श सङ्गठन की कुञ्जी है। यह हमारे हाथ लग गई है। हमें इसे खो नहीं देना चाहिए। अगर हमने अपने बल का, नियन्त्रण और अनुशासन के बगैर, सेनापति द्वारा निश्चित सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों के प्रतिकूल प्रयोग किया तो उससे हम अपना ही नुकसान कर बैठेंगे।

इस संगठन-बल की अगले अङ्क में हम और चर्चा करेंगे।

आर्यसमाज की सबसे बड़ी विजय

आर्य सत्याग्रह पिछले छः महीनों से जिस प्रकार सफलता पूर्वक चल रहा है, उसकी आज हमारे मित्र और हमारे दुश्मन सभी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हैं। उनकी प्रशंसा के कारण हैं। प्रथम तो आर्यसमाज से यह आशा ही नहीं करते थे कि वह सत्याग्रह की लड़ाई को सत्याग्रह के नियमों के अनुसार चला सकेगा। दूसरी उनको यह आशा भी नहीं थी कि इतनी बड़ी मुसल्मानी रियासत के साथ आर्यसमाज टक्कर ले सकेगा। इन दोनों बातों को आशातीत समझते हुए आर्य सत्याग्रह की वर्तमान प्रगति ने सभी को आश्चर्यान्वित कर रक्खा है।

इस सत्याग्रह अथवा धर्म-युद्ध में हमने लाखों रुपये व्यय किये हैं और हजारों आर्य वीरों ने अपने आपको खुशी खुशी निजाम सरकार की जेलों में पहुँचाया है। कितनी तनदेही और सरगर्मी से इस युद्ध को चलाया गया है उसका इस समय अन्दाज़ा लगाना भी कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यसमाज की प्रसुप्त शक्तियाँ जागृत हो उठी हैं। आर्यसमाज के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द ने जो Constitution (शासन पद्धति) आर्यसमाज के सुपुर्द की थी उसी को ठीक काम में लाने का यह परिणाम हुआ है।

आर्यसमाज के नेताओं ने जब इस धर्म-युद्ध को प्रारम्भ किया था तो उस समय अपनी अपूर्व बुद्धिमत्ता से आर्यसमाज की मांगों को इतना सरल और सुबोध बना दिया था कि उनको समझने के लिए साधारण से साधारण व्यक्ति को भी कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसी दशा में जब हमारी वे मांगे संसार के सामने आईं तो सभी को यह कहना पड़ा कि इन मांगों को भी यदि निजाम सरकार पूरा करने को तैयार नहीं तो उसके प्रबन्ध के सम्बन्ध में यही कहना पड़ेगा कि "दाल में कुछ काला है।" यह हमारी सबसे पहली विजय थी।

हमारी दूसरी विजय यह समझनी चाहिए कि हमने निजाम सरकार को बाधित किया कि वह अपनी सुधार स्कीम जिसके सम्बन्ध में वर्षों से चर्चा चल रही थी, घोषित करे। अब वह सुधार स्कीम घोषित हो चुकी है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें यह ठीक ही सूझा कि हम आर्यसमाज की मांगों का स्पष्टीकरण करवायें।

निज़ाम सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि आर्यसमाज की मांगों की पूर्ति सुधार स्कीम के अन्तर्गत आजाती है। परन्तु आर्य समाज के नेताओं को इसमें सन्देह था। उन्होंने २४, २५ जुलाई १९३९ की मीटिंग में सर्वसम्मति से यह तय किया कि उन मांगों का स्पष्टीकरण सुधार स्कीम को सम्मुख रखते हुए, श्री प्रधान जी शीघ्र से शीघ्र निजाम गवर्नमेंट से करवायें और तब तक अपने वीर सैनिकों को भिन्न २ सत्याग्रह केन्द्रों पर रोक दें। चुनाचे ऐसा ही किया गया। इस रोक थाम को कई जोशीले आर्यभाइयों ने बुरा समझा। परन्तु सभ्य संसार ने इसमें भी आर्यसमाज की विजय ही मानी है। आर्यसमाज के नेताओं ने अपने इस निश्चय से यह सिद्ध कर दिया है कि आर्यसमाज लड़ाई की खातिर नहीं लड़ रहा है, उसे लड़ाई से प्यार नहीं अपितु अपने ध्येय ये प्यार है। ध्येय की खतिर यदि रुकना पड़े तो वह रुकने को तैयार है। आखिर सत्याग्रह की लड़ाई की जीत किस में है? सत्याग्रह की लड़ाई में आपको पग पग पर सभ्य संसार की नैतिक सम्मति (Moral Opinion) को अपने पक्ष में करना पड़ता है। जो दल इस नैतिक सम्मति को अपने पक्ष में खेंच नहीं सकता उसी की हार होती है।

जहां तक हमें ज्ञात हुआ है अपेक्षित स्पष्टीकरण में बहुत सी बातें हमारे पक्ष में तय हुई हैं या होजाने वाली हैं। इनके सम्पूर्णतया तय होजाने पर लोग कहेंगे कि आर्य्यसमाज को इस धर्म-युद्ध में विजय प्राप्त हुई है। हैदराबाद में आर्य्य-समाज के मन्दिरों पर ओ३म् के झण्डे लहरायेंगे। हवनकुण्ड पर से पाबन्दी उठ जायगी। आर्य्य समाज के मन्दिरों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत आदि में कोई बाधा न डाली जायगी। आर्य्यसमाज के प्रचार कार्य्य को भी निर्विघ्न होने दिया जायगा। परन्तु ये सभी बातें यदि आज न होतीं तो कल होतीं। इस बीसवीं शताब्दी में इन बातों पर प्रतिबन्धों का बना रहना असम्भव था। कुछ तो समय का वेग कुछ प्रजा का प्रयत्न इन बातों को एक दिन सिद्ध कर ही देता, केवल समय और धैर्य्य की परीक्षा थी। आर्य्यसमाज के उद्योग ने इन बातों को समय से पूर्व सिद्ध कर दिखलाया। यह भी आर्य्य समाज की भारी विजय है।

परन्तु जिस विजय की ओर हम अपने पाठकों का ध्यान खींचना चाहते हैं, वह आर्य समाज की सबसे बड़ी विजय है, और वह आर्यसमाज के अनुशासन (Discipline) की विजय है। हम इस विजय को सबसे बड़ी विजय इसलिए कहते हैं कि इसके आधार पर अन्य सब प्रकार की विजय सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष, हिन्दू समाज तथा आर्य्य समाज में अनुशासन की हमेशा से कमी रही है। इसी कमी के कारण हम लोग पग पग पर ठोकरें खाते रहे हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे इस धर्म युद्ध में आर्य्य समाज के बच्चे बच्चे ने अनुशासन का पाठ पढ़ा है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि निज़ाम सरकार द्वारा घोषित सुधार स्कीम के सम्बन्ध में एक भी आर्य्य नेता ने उस समय तक अपनी ज़बान को नहीं खोला जब तक कि उन्होंने मिल कर, एक स्थान पर बैठ कर उसके सम्बन्ध में पूर्णतया विचार नहीं कर लिया। इस एक ही घटना से उनका अगाध आत्म विश्वास तथा अनुशासन-निष्ठा का परिचय मिलता है। हम इसी घटना को आर्य्य समाज को सबसे बड़ी विजय समझते हैं।

अनुशान की शक्ति से ही सभ्य संसार के राष्ट्र चल रहे हैं। अनुशासन की शक्ति से ही प्रत्येक समाज अपने गौरव की स्थापना तथा उसको स्थिर रखने के कार्य्य को सम्भव बना सकता है। यह शक्ति इस समय आर्य्य समाज को प्राप्त है। क्या हम इस शक्ति को बनाए रख सकेंगे? विजय को प्राप्त करना इतना कठिन नहीं होता जितना कि उसको पचाना और उसको कायम रख सकना। साधारण आर्य्य समाजी इस बात को अनुभव नहीं कर सकते कि उनकी वर्तमान विजय अनुशासन की शक्ति पर ही अवलम्बित है। आर्य्य समाज में इस समय भी बहुत से ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो अनुशासन में नहीं रहना चाहते। परन्तु युद्ध के वेग और घमसान के कारण वे अपनी निरंकुशता को खुले तौर पर प्रगट नहीं कर सकते। युद्ध के समाप्त होने पर ये लोग अपने खेल खेलेंगे। यदि उस समय हम उन्हें उनका निर्दिष्ट स्थान बतला सकें और उन्हें अनुशासन में रहने पर विवश कर सकें तभी हम अपनी इस वर्तमान विजय को स्थिर रख सकेंगे। हम इस समय आर्य्य नेताओं को यह चेतावनी मात्र दे रहे हैं। आशा है परमात्मा उन्हें बल देंगे कि वे अपनी सब से बड़ी विजय को स्थिर रख सकें।

ऋग्वेद ओ३म् यजुर्वेद

सार्वदेशिक

सम्पादक— प्रो० सुधाकर, एम०ए०,

स० सम्पादक— श्री रघुनाथप्रसाद पाठक

वार्षिक मू० स्वदेश २), एक प्रतिका ≡) विदेश से ५ शि० वार्षिक

अथर्ववेद सामवेद

॥ ओ३म् ॥

सार्वदेशिक

* सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र *

वर्ष १३ | भाद्रपद १९९६ | सितम्बर १९३९ ई०] [दयानन्दाब्द ११४ | अङ्क ७

* वेद की शिक्षाएँ *

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः । अथ० १२—१—१२

भूमि मेरी माता है और मैं पृथिवी माता का पुत्र हूँ ।

The World is my Motherland and I am born a son to it.

भस्मान्तꣳ शरीरम् । यजु० ४०—१५

यह शरीर एक दिन राख में मिल जाने वाला है ।

This earthly body of thine shall one day be resolved to dust.

बलिदान

[३]

(हैदराबाद सत्याग्रह की सच्ची कहानियाँ)

लेखक—विद्यानिधि सिद्धान्तालंकार

(क्रमागत)

*

तीसरी बार

प्रातः काल के दस बजे का समय था। मैं अपने बाल्य सखा सुबन्धु के साथ वार्तालाप कर रहा था। वह अभी २ दूसरी बार जेल से छूट कर आया था। यदि सच कहा जाय तो उसे धक्के देकर जेल से बाहर निकाल दिया गया था। प्रथम बार के सत्याग्रह में इसे डेढ़ साल के सपरिश्रम कारावास का दण्ड मिला था। मगर तीन ही महीने बाद उसे छोड़ दिया गया था।

मुक्त करते समय दारोग़ा ने कहा था—"तुम्हारी सेहत ख़राब है। इसलिए तुम्हें रिहा किया जाता है।"

"मगर मैं तो अच्छा ख़ासा तन्दरुस्त हूँ, दारोग़ा साहब। खूब खाता हूँ, खूब काम करता हूँ।" सुबन्धु बोला।

"ज्यादः बको मत। डाक्टर की यही राय है।" दारोग़ा ने कहा।

"मगर मैं तो जेल से छूटना नहीं चाहता, दारोगा साहब!"

"कोई जबर्दस्ती है?" दारोगा कड़क कर बोला। "हमारी जेल है। हम नहीं रखते हमारी इच्छा।"

"तब गिरफ़्तार ही क्यों किया था?"—सुबन्धु ने कह ही तो दिया।

"अरे, कोई है? धक्के देकर बाहर निकाल दो इसको।" दारोग़ा ने हुक्म दिया।

तत्काल दो हट्टे कट्टे अरब-वार्डर आन उपस्थित हुए। एक ने सुबन्धु के दोनों हाथ और दूसरे ने उसकी गरदन पकड़ली और अर्ध चन्द्र देकर बड़े सन्मान सहित उसे जेल से बाहर निकाल दिया।

दरवाजे के बाहर आकर सुबन्धु मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके दांत नाक से खून बह निकला। वह धीरे धीरे उठा और बस्ती की तरफ़ चल पड़ा।

'ख़बरदार ! अब फिर लौट कर मत आना। हमारी जेलें भर चुकी हैं। ज्यादा की गुंजाइश नहीं है।"—पुकार कर एक वार्डर बोल उठा।

मानो वह जेल नहीं 'सिनेमा हाउस' था, जिसकी सब 'सीटें' भर चुकी थीं और 'हाल' में और 'वेकेन्सी' नहीं रही थी। वार्डर शायद यही समझ रहे थे।

* * *

बीस दिन बाद सुबन्धु ने ४० सत्याग्रहियों के साथ फिर सत्याग्रह किया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने उसे और उसके साथियों को फिर वही डेढ़-डेढ़ साल की सख्त सज़ा सुनाई। वह फिर उसी जेल में पहुँचा। वही कोठरी, वही बढ़िया घुटन्ना, वही खूबसूरत कुरता। वे ही वार्डर और वही दारोगा।

"तुम फिर आ पहुंचे ?"—देखते ही दारोगा ने तमक कर कहा।

"जी हां। बन्दा हाज़िर है।"

"मगर बुलाया किसने था तुम्हें ?"

"आप लोगों का प्रेम खींच लाया है, दारोग़ा साहब।"

"यहां कोई तमाशा है जो बार बार चले आते हो ?" बत्तीसी निकाल कर दारोगा बोला।

"आपको शायद पता नहीं दारोगा साहब, यहां के तमाशे की धूम तो हिन्दुस्तान भर में फैली हुई है। सैंकड़ों तमाशबीन धड़ाधड़ चले आरहे हैं।" सुबन्धु ने कहा।

"नहीं जी, हमारे यहां अब और जगह नहीं है।"—बीच में ही एक वार्डर बोल पड़ा।

"तब तमाशा बन्द करदो। आने वाले खुद ब खुद रुक जायँगे।" सुबन्धु बोला।

"अरे, इमामदीन ! नत्थे खां !" दारोगा चिल्लाया। "निकाल दो इस बदतमीज़ को यहां से। इसे सुसराल समझ लिया है इसने।"

फिर उसी तरह अर्ध चन्द्र देकर वह दोबारा जेल से बाहर धकेल दिया गया और साथ ही उसके चालीसों साथी भी।

इस तरह अपनी दोबार की जेल यात्रा सुनाकर सुबन्धु ने मुझे बताया कि वह फिर १०० सत्याग्रहियों के साथ जल्दी ही तीसरी बार हैदराबाद जारहा है।

"तीसरी बार ?"—मैंने आश्चर्य से पूछा।

"हां।"—गर्दन उठाकर सुबन्धु बोला। "जब तक आर्य समाज की सब मांगें पूरी नहीं होजातीं सुबन्धु की हैदराबाद यात्रा बन्द नहीं होने की। हां ! अगर...."

अभी वह इतना ही कह पाया था कि श्रीमती जी सशरीर आ खड़ी हुईं। बोलीं—"चलिये, भोजन तय्यार है।"

हम लोग चुप चाप भोजन के लिए चल पड़े, सुबन्धु आगे क्या कहना चाहता था, यह मैं अन्त तक न जान सका।

* * *

क्या यह पाप था ?

भयानक वन है। सांप, शेर और डाकुओं से भरा। एक वृक्ष की सघन छाया में एक अपूर्व सुन्दरी सो रही है। पास ही एक युवक गम्भीर चिन्ता में बैठा है। वह बीच २ में सुन्दरी को देख लेता है और फिर चिन्ता मग्न होजाता है। अन्त में वह अंगड़ाई तोड़कर उठ खड़ा हुआ और सुन्दरी की आधी साड़ी फाड़कर दबे पांव कहीं निकल गया।

रानी दमयन्ती वन में अकेली रह गई। राजा नल चले गये।

* * *

विशाल महल के एक भव्य कमरे में एक बढ़िया पलंग पर एक युवती सो रही है। एक रेशमी चादर उसके सुन्दर शरीर पर पड़ी है। पास ही एक स्वस्थ्य शिशु सो रहा है। अद्भुत सुगन्ध से कमरा महक रहा है।

निस्तब्ध रात्रि है। कमरे में एक प्रदीप चुपचाप जल रहा है। हठात् द्वार पर एक युवक दीख पड़ता है। वह धीरे २ कमरे में प्रवेश करता है और अन्तिम बार उस युवती को देखकर सदा के लिये घर से निकल जाता है।

महासुन्दरी यशोधरा को सोती छोड़कर राजकुमार गोतम सदा के लिये गृहत्यागी बन गये।

* * *

धनपति कर्सन जी त्रिवेदी के पुत्र मूल जी के विवाह की तय्यारियां हो रही हैं। पाकशालाओं में तय्यार होती हुई मिठाइयों की सुगन्ध मोहल्ले भर में फैली हुई है। एक सजे हुए कमरे में बैठी हुई महिलायें गीत गा रही हैं।

शनैः २ रात होगई। बचे हुए काम को अगले दिन के लिये छोड़कर, सब लोग निद्रा में मग्न होगये। चारों ओर सन्नाटा छा गया।

अचानक उस मकान में से एक कुमार बाहर निकला। उसने एक बार चारों तरफ़ देखा और फिर धीरे २ चलता हुआ गाढ़ अन्धकार में विलीन हो गया।

विवाह-बन्धन को तोड़कर, धन धान्य पूर्ण गृह को त्यागकर, माता पिता के स्नेह पुष्प को सुखाकर, मूल जी सदा के लिये सन्यासी बन गया। बाद में सुना गया उसी का नाम जगद्गुरु दयानन्द था।

*　　*　　*

"मगर ऐसे ऐसे त्याग तुमसे न हो सकेंगे भाई।"

रामजीवन ने समझाते हुए कहा।

"तो मैंने दावा भी कब किया है?"—टेकचन्द बोला।

"बस फिर। तब आराम से अपने घर बैठो। बाल-बच्चों में रह कर गृहस्थी चलाओ। सत्याग्रह के चक्कर में फंसकर व्यर्थ ही अपनी ज़िन्दगी बर्बाद मत करो।"

कड़वी घूंट की तरह टेकचन्द ने रामजीवन के उपदेश को सुना और चुप हो रहा।

अगले दिन प्रातःकाल ही लोगों ने उसे सड़क पर साइकल भगाते हुए देखा। अपनी समस्त शक्ति लगाकर वह साइकल दौड़ा रहा था। बैलगाड़ियों और पथिकों को पीछे छोड़ती हुई उसकी साइकल वेग से दौड़ी जा रही थी।

जब सांयकाल हुआ और लोग अपने २ घर लौटे गांव में हर जगह टेकचन्द की ही चरचा थी। वह अपने बाल बच्चों को अनाश्रित छोड़ कर घर से भाग निकला था। बड़े बूढ़े उसकी निन्दा कर रहे थे। "भला, इस तरह एक ज़रा सी बात के पीछे कभी बाल-बच्चों को भी त्यागा जाता है? चोर की तरह घर से निकल भागने में कौन बड़ाई है?"

उधर दिन भर में ४७ मील का रास्ता तय करके टेकचन्द सत्याग्रही जत्थे में जा शामिल हुआ। स्थान स्थान पर जनता का सन्मान ग्रहण करता हुआ जत्था यथा समय हैदराबाद पहुंचा और गिरफ्तार हो गया।

एक दिन जेल की अँधेरी कोठरी में लेटे हुए टेकचन्द को अपने बालबच्चों का ध्यान हो आया।

"अब कौन उनसे प्यार की बातें करेगा? कौन गोद में उठा कर खिलायगा। अकेली पत्नि किस तरह घर गृहस्थी का बोझ संभालेगी? वह उसके बारे में क्या सोचती होगी? इस तरह गृह त्यागी बनकर अपने बाल-बच्चों को अनाश्रित और अनाथ बना देने का उसे क्या अधिकार है?"—ऐसे २ अनेक प्रश्न उसके हृदय को मथने लगे। वह विचलित हो उठा।

मगर थोड़ी ही देर में उसकी विचार धारा बदल गई। जलती हुई दावाग्नि पर कहीं से आकर शीतल बादल अचानक बरस पड़े। अनायास बुद्ध और दयानन्द की दिव्य

मूर्तियें उसके मानस चक्षुओं के सामने आ खड़ी हुईं। उसके मुख से निकल पड़ा—"यदि गृह त्याग कर इन महात्माओं ने पाप नहीं किया तो मुझे भी कौन पापी कह सकता है ?"

वह लम्बी तान कर आनन्द से सो गया। उसे यह भी सुध न रही वह कहां पड़ा है।

* ❀ *

विष्णु भगवन्त

दारोग़ा साहब मोछें चढ़ाये कुर्सी पर बैठे थे। वार्डर और जमादार लाठियें लिये इधर उधर घूमते फिर रहे थे।

सामने ही लगभग १०० कैदी काम में जुटे हुए थे। मैले कुरते, मैले घुटन्ने। गले में कैदी का नम्बर बताने वाला तौक़। कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा था, कोई टोकरी ढो रहा था।

ये सभी सत्याग्रही कैदी थे। इनमें कितने ही वकील, डाक्टर, उपदेशक, प्रोफेसर, विद्यार्थी और व्यापारी भी थे। कितने ही किसान और ज़मींदार। सभी सुशिक्षित, सभ्य और शुद्धाचारी।

मगर जेल कर्मचारी इन कैदियों से ज़रा भी प्रसन्न न थे। इन्हें देखते ही उनकी आँखों में खून उतर आता।

मनोवैज्ञानिकों का यह कथन एकदम सच है कि मनुष्य प्रायः अपनी परिस्थितियों का दास होता है। वह जैसी भी परिस्थिति में रहता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। उसका मन उसी तरह की बातों के देखने सुनने का अभ्यासी हो जाता है। विपरीत वायुमण्डल में जाते हुए उसे एक तरह का असह्य कष्ट सा प्रतीत होता है। ठीक वैसा ही—जैसा, कई दिन तक अन्धेरी कोठरी में पड़े हुए प्राणी को एकाएक सूर्य के प्रकाश में जाते हुए।

जेल वालों को सदा गुण्डों और बदमाशों से ही काम पड़ता है। उनके यहाँ सभ्य जनों का काम ही क्या ? इसलिये चोर डाकुओं से सलूक करना तो उन्हें खूब आता है, मगर सुशिक्षित कैदियों से बर्ताव करने का उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं होता।

इसी लिये इन सत्याग्रही कैदियों से वे चौकन्ने रहते। इनमें द्वेष की जगह प्रेम, गालियों की जगह मधुर भाषण, पशुता की जगह मनुष्यता और दासत्व की जगह अदैन्य

देखकर वे बहुधा खीज उठते। सुख-दुःख में, आपत्ति-विपत्ति में, इनमें पारस्परिक सहानुभूति और समवेदना का उज्ज्वल भाव देख उनकी छाती पर सांप लोटने लगता।

कोई यह भी कह सकता है और सम्भवतः उसका कथन कुछ सच भी हो, कि उनके इस क्रोध का बड़ा कारण उनकी कट्टर धर्मान्धता और असहिष्णुता थी—

मगर सच तो यह है कि इन सभ्य कैदियों के ये अनेक सद्गुण ही जेल वालों के आश्चर्य, घृणा और क्रोध के मूल कारण थे।

वे अपने इन भावों को समय २ पर प्रकट करने में कभी चूकते भी न थे।

जेल वार्डर जिसे चाहते फोश गालियाँ दे बैठते। जिसे चाहते ठोकरों और डण्डों से मार बैठते।

जेल की इस भयङ्कर चार दीवारी में हिंसा और अहिंसा में होड़ लगी हुई थी। पशुता और प्रेम में मुकाबिला ठना हुआ था। देखें, कौन जीतता है?

* * * *

विष्णु चुपचाप फावड़ा चला रहा था। उसका गठीला बदन पसीना २ हो रहा था। उसने जन्म भर कभी फावड़े को हाथ न लगाया था। मगर आज जिस फुर्ती से उसका हाथ चल रहा था—वार्डर भी ताज्जुब में थे। मगर खुश होने की बजाय नाखुश। जितना ही वह मेहनत से काम करता उनका दिल उतना ही बैठता जाता।

··· विष्णु ने देखा एक वार्डर उसके पास खड़ा उसे घूर रहा है। मगर वह परवाह न कर काम करता रहा।

"तेरा धरम क्या है, रे कैदी?"

—अन्त में वार्डर ने पूछ ही लिया। उसकी आँखों से हिंसा बरस रही थी।

"वैदिक धर्म" विष्णु ने धीरे से उत्तर दिया।

"मैं थूकता हूँ तेरे वेद पर" बात बढ़ाने के अभिप्राय से वार्डर बोला।

विष्णु····चुप था। अपना काम करता गया।

"हराम जादा! जवाब क्यों नहीं देता?"—कह कर दो तमाचे वार्डर ने विष्णु के मुंह पर जमा दिए।

तमाचों की आवाज सुन काम करते हुए कैदी रुक गए। उनके नेत्रों में तीव्र प्रतिवाद और विरोध भरा था। दारोगा तुरन्त घटना स्थल पर पहुँचा।

"क्या मामला है, रे?" उसने वार्डर से पूछा।

"हजूर, खड़ा खड़ा कुरान शरीफ़ को गालियां दे रहा है। काम करता नहीं।"

"इसे तनहाई कैद में डाल दो।"—रोष भरे स्वर में दारोग़ा ने आज्ञा दी।

मन ही मन साथियों से विदाई लेकर वह चलने के लिए उद्यत हो गया। अगले ही क्षण में उसके दोनों हाथ बंधे थे और वह काल कोठरी के सीकचों में बन्द था।

शनैः २ तीन दिन बीत गये। मगर विष्णु का कोई समाचार सुनाई न पड़ा। सभी साथी चिन्ता में थे। काल कोठरी की भयंकर यातनाओं का अनुमान कर सभी स्तब्ध और सशङ्कित थे।

अकस्मात् उनके एक साथी ने जो अभी अस्पताल से लौटा था, उन्हें बताया कि अस्पताल के 'प्राइवेट-वार्ड' में उसने अभी···विष्णु को देखा है। वह बेहोशी में 'ओ३म् २' चिल्ला रहा है। उसकी गर्दन, सिर, पीठ और बाहों पर खून में भीगी पट्टियें बँधी हैं। वह आज ही अस्पताल पहुँचाया गया है।

सुनते ही सबके दिल बैठ गये। "अब आगे क्या होगा?" यही प्रश्न सबकी जिह्वा पर था

अभी चार घण्टे भी न बीत पाये थे कि एक दूसरे कैदी ने आकर संवाद सुनाया "विष्णु का देहान्त होगया!"

मगर वहां रोने की आज्ञा न थी। शोक का अवसर न था। बड़ी अनुनय विनय के बाद अधिकारियों से विष्णु का शव मांगा गया। जैसे तैसे बांसों की अरथी तय्यार की गई। कफन जुटाया गया। लकड़ियों की चिता तय्यार की गई और सायंकाल के धूमिल परदे की ओट में चुपचाप विष्णु का शव दग्ध कर दिया गया। उसका नश्वर शरीर देखते ही देखते चिता की अग्नि में भस्म होगया।

हिंसा ने अहिंसा पर विजय प्राप्त की। असत्य और पशुता ने सत्य और मानवता को परास्त कर दिया।

❀ ❀ ❀

मगर नहीं—कौन कहता है सत्य की पराजय और अहिंसा का नाश हुआ?····· विष्णु की मृत्यु भी न हुई थी। उसकी काया बादल छाया की तरह नश्वर थी मगर उसका यश अनश्वर। इस अद्भुत बलिदान के कारण वह तपाये हुए कुन्दन की तरह और भी चमक उठा था। हिंसा की काली वैतरणी को पार कर वह अहिंसा के दिव्य लोक में पहुँच चुका था।

पहले वह एक ही था। मगर आज प्रत्येक मन मन्दिर में उसकी मूर्ति

विराजमान है। पिशाचों के अपवित्र हाथ अब उसे स्पर्श नहीं कर सकते। उनके अपशब्द, उनकी यातनायें, अब उस तक नहीं पहुँच सकतीं।

वह देखो—उनकी पहुंच से दूर—बहुत दूर, स्वर्ग नदी के दिव्य तट पर खड़ा हुआ वह मुसकरा रहा है। उसकी उस मुसकान के दिव्य प्रभाव से शत २ सत्याग्रही जन्म ले रहे हैं। उनके जयनाद से गिरि कानन गूंज रहे हैं। धर्म का उद्यान विकसित होरहा है।

आर्य सत्याग्रह की विजय

पं० जगन्नाथ विद्यालङ्कार

आर्य-सत्याग्रह का जैसा सुखद अन्त हुआ है उस पर कौन आर्यसमाजी हर्ष और अभिमान प्रगट नहीं करेगा। आर्यसमाज को जो शानदार सफलता प्राप्त हुई है वह उसके ही अनुरूप है। महात्मा गाँधी जी के नेतृत्व में राजनीतिक सत्याग्रह में अनेक बार सफलता मिली है। किन्तु आर्य-सत्याग्रह की आन्तरिक सफलता उससे भी कहीं बढ़ गई है। प्रारम्भ में आर्य-सत्याग्रह को महात्मा जी का समर्थन प्राप्त नहीं था। उनका यह ख्याल था कि आर्य-समाजी सत्य और अहिंसा पूर्वक सत्याग्रह-अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। हिन्दू महासभा का सत्याग्रह भी साथ ही जारी हो जाने से उन्हें यह भी खतरा था कि आर्य-सत्याग्रह साम्प्रदायिक युद्ध का रूप धारण कर लेगा तथा हिन्दुस्तान भर में, विशेषतया रियासत हैदराबाद में, साम्प्रदायिक तनातनी पैदा कर देगा। परन्तु आर्यों ने तो सत्याग्रह को अपने युद्ध का मनोनीत साधन चुना था। उसके शास्त्र को वे भली भाँति जानते थे। आर्य-सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त, जिन्हें कुछ समय बाद सत्याग्रह परिचालन के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार दे दिये गये थे, सत्याग्रहास्त्र पर पूर्ण विश्वास रखते थे और उसे चलाने में भी चतुर थे। उनके हाथों में सत्याग्रह आन्दोलन की बागडोर सुरक्षित थी। परिणामतः ज्यों ज्यों समय बीतता गया, सत्याग्रह संग्राम जोर पकड़ता गया और अपने विरोधियों की भी प्रशंसा का पात्र बनता गया। इसका कारण था—सत्याग्रह की आन्तरिक शुद्धता अर्थात् सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों के अनुकूल सत्याग्रह की प्रगति। छः महीने के लम्बे सत्याग्रह में आर्यों ने सक्रिय अहिंसा का जो आदर्श पेश किया है वह कांग्रेस के सत्याग्रहों में भी देखने में नहीं आया। जगह जगह मुसलमानों द्वारा उत्तेजना देने पर तथा घातक आक्रमण किये जाने पर भी आर्य स्वयं सेवक सदा शान्त एवं अहिंसक बने रहे। शोलापुर, रोहतक, कैथल आदि स्थानों में जहाँ जहाँ भी दंगे हुए वहाँ आर्यवीर सर्वथा निर्दोष साबित हुए। शोलापुर दंगे के सम्बन्ध में बिठाई गई निष्पक्ष जाँच कमेटी ने आर्य सत्याग्रहियों को सर्वथा निरपराध तथा अनुशासन प्रिय घोषित किया और फलस्वरूप बम्बई सरकार ने अपनी पहली आज्ञाओं को वापिस ले लिया।

आर्य सत्याग्रही जेलों में भी नियन्त्रण एवं अनुशासन में रहे हैं। हम जानते हैं कि राजनैतिक आन्दोलन के समय जेलों में कांग्रेसी या दूसरे राजनैतिक कैदी जेल के अधिकारियों पर आक्रमण कर देते थे, उन्हें नाना तरह से सताते थे जिससे कि वे कैदियों से सदा भयभीत रहते थे। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, आज भी शान्तिमय काँग्रेस-शासन में न केवल जेल अधिकारियों पर अपितु राज्य मन्त्री पर एक शिया ने हमला किया है। परन्तु हमारे आन्दोलन की अवस्था इससे बिलकुल विपरीत रही है। किसी आर्य सत्याग्रही ने किसी जेल अधिकारी पर कोई छोटा मोटा भी हमला किया हो ऐसा सुनने में नहीं आया। वे जेलों में अधिकारियों के नियन्त्रण में खुशी से सब प्रकार के कष्ट सहन करते रहे हैं।

आर्य सत्याग्रहियों की सचाई और दृढ़ता भी आर्यसमाज के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगी और स्वर्ण अक्षरों में लिखी जायगी। जहाँ अन्य आन्दोलनों में सत्याग्रही गिरफ़्तार होकर मुकदमे के समय माफी माँग कर लौट आते हैं या जेल में कुछ समय रह कर वहाँ के अत्याचारों से घबराकर माफी माँग लेते हैं—जैसे कि शहीदगंज, जयपुर, लखनऊ के आन्दोलनों में हजारों व्यक्ति माफी माँग कर छूट आये—वहाँ हमारे आन्दोलन में अवधि से पहले छोड़े गये या पूरी कैद काट चुके सत्याग्रहियों ने भी प्रायः उसी केन्द्र या दूसरे केन्द्र से पुनः सत्याग्रह किया। पूर्ण विजय प्राप्ति से पहले उन्होंने चैन का नाम नहीं लिया। यह दूसरी बात है कि सैकड़ों सत्याग्रही धोखा देकर या किसी ऐसे वैसे बहाने से जेल से पृथक् कर दिये गये।

सत्याग्रह की इस आन्तरिक शुद्धता ने महात्मा गाँधी जी को भी प्रभावित एवं आकृष्ट कर लिया। इसीलिये निजाम सरकार द्वारा सुधार-घोषणा उद्घोषित होने के बाद परामर्श माँगने पर महात्मा जी ने यही कहा कि अगर निजाम सरकार आर्य्यसमाज की धार्मिक माँगों के सम्बन्ध में घोषणा के अन्तर्गत सुधारों का स्पष्टीकरण न करे तो आर्य-समाज को अपना सत्याग्रह जारी रखना चाहिये। हाँ, तब इसको शक्तिशाली बनाने के लिये बड़े से बड़े धर्मवीर आर्य नेताओं को अपनी आहुति दे देनी चाहिये ताकि सत्याग्रह अधिक से अधिक शुद्ध होकर शीघ्र प्रभाव उत्पन्न कर सके। महात्मा जी के इस परामर्श से आर्यसमाज के सत्याग्रह की आन्तरिक सफलता का अन्दाज़ लगाया जा सकता है। महात्मा जी ने जहाँ अन्य अनेक रियासतों में सत्याग्रह के नेताओं को आन्दोलन स्थगित करने की सलाह दी, वहाँ आर्य सत्याग्रह को जारी रखने की ही सलाह दी। आर्य-सत्याग्रह

के प्रारम्भ काल के बाद आर्य नेताओं ने गाँधी जी का इस प्रकार से विचार परिवर्तन कर उनकी बहुमूल्य सहमति प्राप्त कर ली। कारण यह कि गाँधी जी ने ६ महीने के गत सत्याग्रह में यह देख लिया था कि आर्यसमाज अहिंसा का पूरा पूरा पालन करके सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति के लिये लड़ रहा है।

आर्य सत्याग्रह की आन्तरिक सफलता निज़ाम सरकार द्वारा उद्घोषित नये घोषणा-पत्र से भी स्पष्ट झलकती है। जहाँ कुछ दिन पहले के घोषणा-पत्र में तथा हिन्दुओं के आवेदन-पत्र के वायसराय द्वारा दिये उत्तर में आर्यसमाज की शिकायतों को असत्य एवं अयथार्थ बताया गया था, वहाँ इस नये घोषणा-पत्र में आर्यों की एक एक मांग का ज़िक्र कर उसे पूरा किया गया है। इससे यह साफ़ अर्थ निकलता है कि निज़ाम सरकार ने हमारी शिकायतों की सत्यता को खुले आम स्वीकार किया है। आर्य सत्याग्रह सत्य पर आश्रित था इस बात को हमारी प्रतिद्वन्द्वी निज़ाम सरकार ने भी माना है। हमारी शिकायतों को पूरी तरह से दूर कर निजाम सरकार ने अपनी सद्भावना का परिचय दिया है। सत्याग्रह द्वारा हृदय-परिवर्तन के जिस सिद्धान्त में गाँधी जी का अटल विश्वास है उसकी प्रत्यक्ष विजय का एक और उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत हुआ है। वर्तमान सम्मानपूर्ण सन्तोषजनक समझौते में निजाम सरकार की परिवर्तित मनोवृत्ति का चित्र है।

किन्तु हमें इस शानदार विजय को प्राप्त कर इसके आनन्द-उल्लास में अपने भावी कर्त्तव्य को भुला नहीं देना चाहिए। इस समय आर्यसमाज को अपनी विजय को कार्य-रूप में परिणत करने के लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिए। हमें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार की जो पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, उसका यदि हम प्रयोग नहीं करते तो इतने बड़े सङ्घर्ष का कुछ अर्थ नहीं रह जाता। यह तो ठीक है कि सत्याग्रह से पूर्व सब तरह की पाबन्दियाँ होते हुए भी कितने ही वर्षों से आर्यसमाजी अपनी जान को हथेली पर धर कर गुप्त प्रचार करते रहते थे पर अब जब कि धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान तथा धार्मिक व सांस्कृतिक प्रचार की पूरी आजादी मिल गई है, हमें अपने धर्म का जी जान से प्रचार करना चाहिये। ८८ प्रतिशत हिन्दू जनता में जो ब्रिटिश राज्य की प्रजा से भी कम शिक्षित है, शिक्षा का प्रसार करने के लिये प्रोग्राम बनाना चाहिये। हिन्दू मात्र में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति दृढ़ अनुराग तथा श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए हमें कुछ वर्ष की प्रचार-योजना तैयार कर उस पर शीघ्रातिशीघ्र अमल प्रारम्भ करना चाहिए। किन्तु सिर्फ धर्म प्रचार से ही हैदराबाद के हिन्दुओं का कल्याण नहीं होने का, आर्यसमाज को

उनके राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने लिये भी सङ्घर्ष करना होगा। राजनीति धर्म का एक आवश्यक अङ्ग है उसके बिना धर्म अपूर्ण एवं पंगु है। सत्याग्रह से हमारे धर्म में भी नवजीवन आया है। हम महर्षि दयानन्द की 'चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करने की धार्मिक आज्ञा को भूल चुके हैं। ऐसा करके हमने महर्षि द्वारा प्रतिपादित उदार एवं व्यापक धर्म को समझने में ग़लती की है तथा अनजान में वैदिकधर्म का अपमान किया है। अब हमें यह समझ लेना चाहिये कि मनुष्य समाज की सर्वाङ्गीण उन्नति के लिये सतत प्रयत्न करना ही धर्म है। सब प्रकार के कल्याणकारी, समाज, जाति व राष्ट्र का धारण करने वाले कर्तव्यों की समष्टि ही धर्म है। इन कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिये हमें अब पुनः धन-जन की आवश्यकता है। धर्म और जाति के सेवकों को अब मैदान में उतरना चाहिए और अपने धर्म की क्रियात्मक विजय का झण्डा फहरा कर ही दम लेना चाहिये।

रचनात्मक कार्यों द्वारा—प्रचार व संगठन द्वारा—भूमि तैयार होने के बाद सत्याग्रह का संघर्ष प्रारम्भ होता है। सत्याग्रह की सफलता के पश्चात् भी रचनात्मक कार्य का समय आता है। अन्यथा सत्याग्रह द्वारा प्राप्त विजय स्थिर नहीं रह सकती और क्रियात्मक रूप में लाभदायक नहीं हो सकती। रचनात्मक कार्य सत्याग्रह का प्राण है। इसी से सत्याग्रह का जीवन प्रारम्भ होता है और इससे ही कायम रहता है।

हमें बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिये कि आर्य सार्वदेशिक सभा ने अपनी अन्तरंग सभा में रियासत हैदराबाद के लिये भावी कार्य-क्रम पर विचार किया है और धार्मिक व सांस्कृतिक प्रचार के लिये दृढ़ निश्चय किया है। आशा है आर्यसमाज के विद्वान्, प्रचारक तथा अन्य लोकसेवक आर्य समाजी इस अवसर पर अपने अपने कर्तव्य को पहिचानेंगे और उसकी पूर्ति के लिये कुछ उठा नहीं रक्खेंगे।

—*—

शहीदों की कहानी

(जुलाई के अङ्क से आगे)

श्री सुनहरा

धर्म्म वीर सुनहरा रोहतक जिलान्तर्गत वाटना ग्राम के चौधरी जगराम जी के सुपुत्र थे।

इन्होंने श्री म० कृष्ण जी के नेतृत्व में रोहतक के ५७ वें जत्थे के साथ औरङ्गाबाद में ५-६-३९ को सत्याग्रह किया था। मनमाण्ड में सत्याग्रह को जाते समय उन्हें किसी प्रकार की शिकायत न थी, परन्तु जब औरङ्गाबाद में उनकी गिरफ़्तारी हुई और प्रारम्भिक जांच पड़ताल हुई तो मालूम हुआ कि उन्हें बुखार आ रहा है। पुलिस ने उनकी कोई खबर न ली और इस लापरवाही का परिणाम यह हुआ कि उनकी बीमारी ने भयंकर रूप धारण कर लिया। बुखार १०५ डिग्री तक पहुँच गया। अधिकारियों के नोटिस में उसकी दशा लाई गई और वे सिविल हस्पताल में पहुँचाए गए। इस समय तक रोग ने अपना रा कार्य्य कर लिया था। खून में जहर पहले से ही फैल चुका था। तेज बुखार से वे बेहोश हो गये थे।

चिकित्सा से रोगी को सन्देह हो गया था, परिणामतः दवाई लेने से इन्कार कर देते थे।

६-६-३९ को तमाम दिन यही हालत रही और ८ जून के प्रातः ७॥ बजे अमर-पद को प्राप्त हो गए।

इस समय उनकी उम्र २० वर्ष की थी।

म० फकीरचन्द

धर्म्म वीर फकीरचन्द करनाल जिले की तहसील कैथल के शरधा ग्राम के निवासी थे। उनकी अवस्था २५ वर्ष के लगभग थी। उन्होंने भी ५ जून को श्री म० कृष्ण जी के नेतृत्व में करनाल जिले के जत्थे के साथ औरङ्गाबाद में सत्याग्रह किया था।

जेल में खाने की घोर दुर्व्यवस्था के कारण उन्हें पेट की शिकायत हो गई थी और जेल कर्मचारियों की हृदय हीनता और दण्डनीय उपेक्षा के कारण वह Appendicitis

में परिणत हो गई थी। जेल हस्पताल में प्राय: रोगियों की हालत अच्छी होने के बजाय खराब हो जाती थी। इनकी हालत भी बहुत खराब हो जाने पर इन्हें सिविल हस्पताल ले जाया गया। ३० जून को उनका आप्रेशन किया गया। आप्रेशन सफल हुआ था और आशा हो गई थी कि वे स्वस्थ हो जायँगे। परन्तु उनकी उचित देख रेख न की गई और इसके फलस्वरूप १ जुलाई के प्रातः वे वीर गति को प्राप्त हुए।

श्रीयुत मलखानसिंह

हुतात्मा मलखानसिंह सहारनपुर जिले के रुड़की नगर के निवासी थे। उनकी अवस्था ३५ वर्ष की थी।

सत्याग्रह आन्दोलन के प्रारम्भ समय से ही वे इसमें सर्वात्मना लग गये थे। उनके प्रयत्नों का ही फल था कि सत्याग्रह आन्दोलन में उनका जिला बहुत चमक गया था।

मलखानसिंह जी रुड़की के जत्थे के साथ युद्ध-भूमि में गए और पुसद केन्द्र से सत्याग्रह किया। नादेर में उन पर मुकदमा चला। यह वही स्थान है जहाँ गुरु गोविन्द सिंह ने अमर पद प्राप्त किया था।

इस स्थान से उन्हें हैदराबाद की चञ्चल गुण्डा सेण्ट्रल जेल में परिवर्तित कर दिया। १ जुलाई को इसी जेल में उनका शरीरान्त तथा शव का दाह संस्कार हुआ।

जेल अधिकारियों ने उनकी बीमारी और मृत्यु की खबर बहुत गुप्त रखी, जिससे उनके क्रूर कृत्यों का जनता में भण्डा फोड़ न हो परन्तु अत्याचार और पाप कितना ही छिपाओ नहीं छिपते हैं।

श्री स्वामी कल्याणानन्द जी

स्वामी कल्याणानन्द जी मुजफ़्फर नगर (यू० पी०) के थे। ७५ वर्ष की अवस्था में भी वे इस पवित्र युद्ध से पृथक् न रह सके। गुलबर्गा में उन्होंने अपने को गिरफ़्तारी के लिये प्रस्तुत किया और लम्बी सजा दी गई।

जेल के दुर्व्यवहारों और अत्यन्त अस्वास्थ्यकर भोजन के कारण उनका स्वास्थ्य गिर गया और वे बीमार हो गये। बाद में उन्हें पेचिश हो गई। इस पर भी ज्वार की रोटी खाने के लिये मज़बूर किया गया और यह पेचिश उनके जीवन के साथ गई।

उनकी भी बीमारी और मृत्यु का समाचार गुप्त रखा गया था। उनकी मृत्यु ८-७-३९ को हुई प्रतीत होती है।

हैदराबाद सरकार ने उनकी मृत्यु की घोषणा १०-८-३९ को प्रेस नोट द्वारा की थी परन्तु उसमें कोई विवरण न था और इस समय भी वह विवरण प्राप्य नहीं है।

शान्ति प्रकाश

धर्मवीर शान्तिप्रकाश देहली के श्रीयुत रामरत्न शर्मा टिकिट कलक्टर के सुपुत्र थे। २७ जुलाई को उस्मानाबाद जेल में टाइफाइड की लम्बी बीमारी के बाद वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें इस शर्त के साथ जेल छोड़ने के लिए कहा गया कि माफी माँगले। परन्तु उस दृढ़व्रती धर्मवीर ने यह हेय शर्त मानने से इन्कार कर दिया। इस पर जेल अधिकारियों द्वारा उनके पिता को खबर दी गई। वे उस्मानाबाद गए। पिता ने भी माफी की शर्त के साथ जीवन-मृत्यु के बीच झूलने वाले अपने पुत्र को जेल से मुक्त कराना मंजूर न किया।

श्रीयुत खांडेराव

श्री खंडेराव दत्तात्रेय शोलापुर जिले के निवासी थे। औरङ्गाबाद जेल में बीमार हुए। जेल के पाषाण हृदय कर्मचारी उन्हें बहुत खराब हालत में रेल में निस्सहाय छोड़कर चले गए और वहीं रेल में उनका प्राणान्त हो गया। जेल के अधिकारियों को श्रीयुत खंडेराव जी को सत्याग्रह के संचालकों वा उसके सम्बन्धियों के हवाले करने का साहस नहीं हुआ। अपराधी को साहस कहां।

वदनसिंह

धर्मवीर वदनसिंह मुजफ़्फ़राबाद (मुलतान) के रहने वाले थे। १७-६-३९ को वेजवाड़ा केन्द्र से इन्होंने अपने को गिरफ़्तारी के लिये प्रस्तुत किया था। वारंगल जेल में २४-८-३९ को टाइफाइड की बीमारी से उन्हें शहादत प्राप्त हुई। ३०० सज्जन उनके शव के साथ गए और पं० धर्मवीर जी वेदालङ्कार की देख रेख में उनका विधिवत् दाह संस्कार किया गया। मृत्यु के समय उनकी अवस्था १९ वर्ष की थी।

हुतात्मा रतिराम जी

हुतात्मा रतिराम जी का २५-८-३९ को अपने घर सांपला (रोहतक) में शरीरान्त हुआ। आप २३-८-३९ को हैदराबाद जेल से बीमारी की अवस्था में मुक्त होकर आए थे।

देहली में २९ मई १९३९

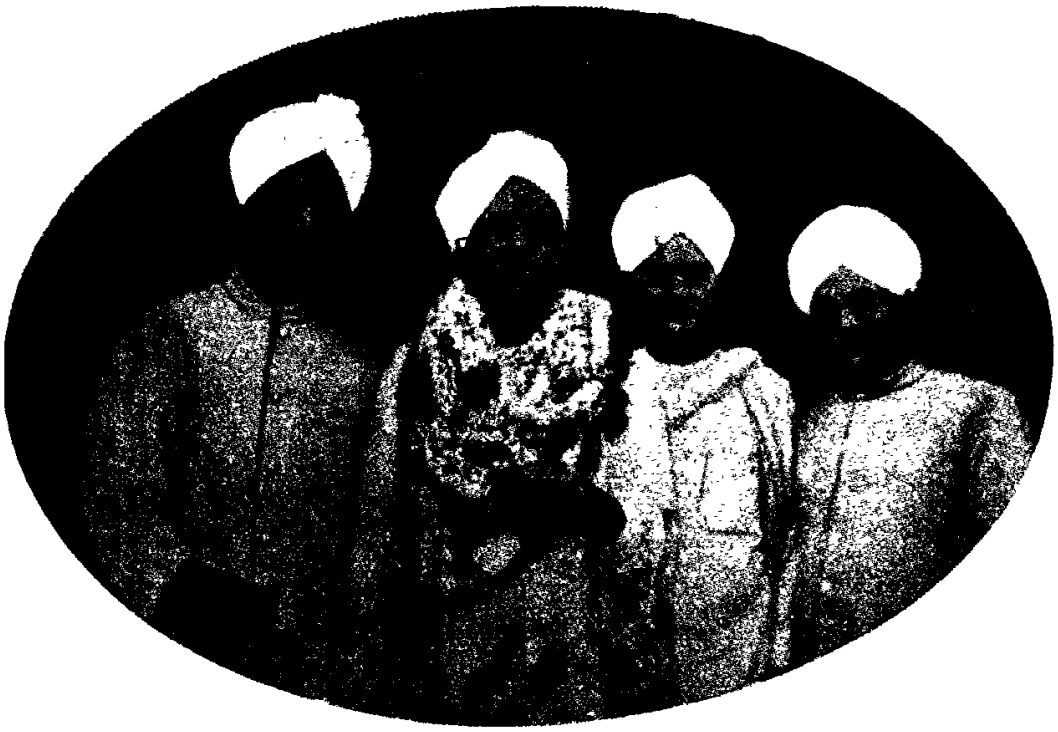

(१) श्री प्रो० सुधाकर जी मन्त्री सा० आ० प्र० सभा देहली (२) श्री ला० नारायण दासजी सदस्य युद्ध समिति (३) श्री म० कृष्ण जी छुटे सर्वाधिकारी (४) श्री पं० देवव्रत जी धर्मेन्दु मन्त्री हैदराबाद आर्य्य सत्याग्रह समिति।

१—इस चित्र का विवरण पृष्ठ ३६९ पर पढ़िये।

चित्र नं० १ का परिचय

आर्य्य नेता जिन्होंने सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा की नागपुर की ऐतिहासिक वर्किङ्ग कमेटी में सत्याग्रह स्थगित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया था।

बाईं ओर से (बैठे हुए)—

(१) श्री प्रो० सुधाकर एम. ए. मन्त्री सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा (२) श्री पं० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय प्रयाग (३) श्री राय साहब अमृतराय जी अम्बाला (४) श्री ला० नारायणदत्त जी देहली कोषाध्यक्ष सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा (५) श्री ला० रामप्रसाद जी बी. ए. शाहाबाद (करनाल) भूतपूर्व सम्पादक वन्दे मातरम् लाहौर (६) श्री ला० देशबन्धु जी एम. एल. ए. मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर तेज देहली (७) श्री माननीय घनश्यामसिंह जी गुप्त प्रधान सार्वदेशिक सभा तथा स्पीकर लेजिस्लेटिव असेम्बली सी० पी० (८) श्री स्वामी स्वतन्त्रानंद जी उपप्रधान सार्वदेशिक सभा तथा मन्त्री आर्य सत्याग्रह समिति शोलापुर (९) श्रीयुत एम. एस. अणे प्रधान आर्य सम्मेलन शोलापुर (१०) श्री दीवान बद्रीदास जी लाहौर प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब (११) श्री ला. केशोराम जी उपप्रधान आर्य-प्रादेशिक सभा पंजाब (१२) श्री प्रो० दीवानचन्द शर्मा एम. ए. मन्त्री आर्य-प्रादेशिक सभा पँजाब लाहौर (१३) श्री बा० श्रीराम जी आगरा (१४) श्री आर. सी. मसानिया नागपुर सी० पी०।

खड़े हुए (बांई ओर से)—

(१) श्री रघुनाथप्रसाद पाठक कार्यालयाध्यक्ष सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा (२) श्री पं० धर्मवीर जी वेदालङ्कार शिविराध्यक्ष चांदा केन्द्र (३) श्री पं० ज्ञानचन्द जी बी. ए. लाहौर (४) श्री बा. ब्रजलाल जी बी. ए. एल-एल. बी. लाहौर (५) श्री पं० भीमसेन जी विद्यालङ्कार मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब (६) श्री बा० उमाशङ्कर जी बी बी. ए. एल-एल. बी. वकील फतहपुर मन्त्री आर्य सत्याग्रह समिति यू० पी० (७) श्री बा० कालीचरण जी मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त (८) श्री प्रो० महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री एम. ए, डी ए वी कालेज देहरादून (९) श्री प्रिंसिपल रामलाल जी आर्य हाई स्कूल लुधियाना (१०) श्री प्रो० रामचन्द्र जी जालन्धर (११) श्री पं. भगवान स्वरूप जी मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान (१२) श्री दीवान तुलजाराम जी वानप्रस्थी सिन्ध (१३) श्री पं० बन्शीलाल जी मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य।

चित्र नं० २ का परिचय

विशाल राजस्थान केसरी जत्था जो ता० ३० अप्रैल सन् ३९ को हैदराबाद सत्याग्रह सहायक समिति (आर्य्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान व मालवा की आधीनता में) अजमेर से पुसद केन्द्र को भेजा गया। इसमें अजमेर, ब्यावर, पाली, बर, मंडावा, चांदपुर, किशनगढ़, अलवर, रतलाम, भरतपुर नारायणगढ़, नागौर, गुना, हाँसी, हिसार, सिरसा, इन्दौर, मऊ, चित्तौरगढ़, नीमच, कूवाँ (नीमाड़) के सत्याग्रही थे। यह जत्था पुसद १२० वीर सत्याग्रहियों का पहुँचा था।

विजय के पश्चात्

(ले० श्री गङ्गाप्रसादजी उपाध्याय)

गत सप्ताह मैंने "आगे की तैयारी" के विषय में कुछ विचार प्रगट किये थे। उस समय तक हैदराबाद के आर्य-सत्याग्रह के विषय में कुछ भी निश्चय न होने पाया था। आशा ही आशा थी। वह आशा भी पल में बढती और पल में ही समाप्त हो जाती थी। आर्यसमाजके लिये १७-१८ दिन विशेष असमंजस के थे। ये परीक्षाके दिन थे। तेज़ भागते हुए घोड़े की एकाएक बागडोर खैंच कर ठहराते समय जो अवस्था होती है, वही उन दो सहस्र के लगभग सत्याग्रहियों की थी, जो निज़ाम की सीमा पर पड़े हुए प्रधान जी के निश्चय की बाट जोह रहे थे। इन वीरों ने अपने को संयम में रख कर जो वीरता दिखाई वह जेल जाने से भी अधिक गौरव रखती है। जोश रूपी नदी के प्रवाह में बहना सुगम है, परन्तु उसके वेग को रोकना अत्यन्त कठिन है। इस परीक्षा में तो वीर पुरुष भी विफल हो जाते हैं। श्री वीरवर विनायकरावजी के हैदराबादी जत्थे ने तो इस विषय मे प्रशंसा के योग्य कार्य किया है। इससे संसार को पता लग जाना चाहिये कि आर्यवीर न केवल लड़ना जानते हैं, बल्कि अपने सेनानी के संकेत पर रुकने में भी किसी अन्य सैनिक से कम नहीं हैं। यह आत्म-संयम आर्य समाज की एक ऐसी पूंजी है जो न केवल वर्तमान किन्तु भविष्य के लिये भी विशेष मूल्य रखेगी।

ईश्वर की महती कृपा से सत्याग्रह-युद्ध समाप्त हो गया और ऐसी रीति से समाप्त हुआ कि आर्यसमाज की आन रह गई। यह बहुत बड़ी बात है। सत्य और आत्म-त्याग का यही परिणाम होना चाहिये था और ईश्वर ने हमारी सहायता की। यह बात आर्यसमाज और निज़ाम राज्य दोनों के लिये श्रेयस्कर है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों या सम्प्रदायों के परामर्श से हैदराबाद के शासक ने आर्य समाज की स्वतन्त्रता पर जो प्रतिबन्ध लगाये थे, उनके लिये हैदराबाद को अपयश के रूप में कुछ कम क्षति नहीं हुई है। आर्य समाज के लिये तो यश ही यश है। चूंकि आर्यसमाज ने जो कुछ किया स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं किया। स्वतन्त्रता न केवल आर्यसमाज के लिये ही अच्छी है, किन्तु मुसलमानों के लिये भी। कोई संस्था अधिक दिनों तक अन्याय के आश्रित फलीभूत नहीं हो सकती। हैदराबाद के मुसलमानों की उन्नति भी जैसी स्वतन्त्रता की अवस्था में हो सकती है वैसी बन्धनों में

नहीं। निज़ाम महोदय ने यह एक प्रशंसा का काम किया है कि आर्यसमाज की सभी मांगों को या तो स्वीकार कर लिया या उनकी स्वीकृति के लिये साधन इकट्ठे कर दिये। आर्यसमाज बनाने के लिये स्वतन्त्रता मिल गई। मकानों या अहातों के भीतर बिना आज्ञा मांगे ही प्रचार हो सकेगा। इसके लिये सूचना की भी आवश्यकता नहीं है। समाज-भवन के लिये भी 'महकमा दीनियात' अर्थात् "मजहबी विभाग" से आज्ञा नहीं मांगनी पड़ेगी। अन्य प्रतिबन्धों के हटाने के लिये साधन सोचे जारहे हैं। इस प्रकार आर्य-समाज की सार्वदेशिक सभा ने स्वीकार कर लिया है कि निज़ाम सरकार के ८ अगस्त १९३९ की घोषणा के पश्चात् सत्याग्रह को एक मिनट भी आगे बढ़ाना किसी प्रकार न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अतः सत्याग्रह बन्द कर दिया।

यह सब मिल गया और शान के साथ मिला। इसमें सन्देह नहीं, परन्तु एक प्रकार से देखा जाय तो हमारा उत्तरदायित्व बढ़ गया है अवसर मिल गया, परन्तु उसका उपयोग कैसे किया जाय कि जो इस समय मिला है वह अपनी सुस्ती या अपनी भूलों के कारण हाथ से खोया न जा सके। हम अवसर ही तो चाहते थे। हमने इतना आत्मत्याग अवसर की प्राप्ति के ही तो किया था। अब वह अवसर तो ईश्वर ने दिला दिया, अब उससे लाभ कैसे उठावें?

युद्धों के इतिहास पर दृष्टि डालिये। विजय प्राप्त होते ही नई समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं। ये समस्याएं किसी प्रकार युद्ध से कम जटिल नहीं होतीं। जब वीर योद्धा युद्ध से छूटते हैं तो उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण भी कठिन हो जाता है। विजय की लूट की बांट चूंट पर झगड़ा होता है। यश और कीर्ति में किसका कितना भाग है यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है। कौन जेल में पहले गया और कितने दिनों तक रहा? किसने कम वीरता दिखाई और यश अधिक प्राप्त कर लिया? नेतृत्व किसके हाथमें हो? ये सब प्रश्न जब भयानक रूप से खड़े होते हैं तो विजय पराजय से भी भीषण हो जाती है। हमारी वर्तमान विजय के साथ ये प्रश्न उठेंगे व नहीं और यदि उठेंगे तो किस सीमा तक, यह सब सोचने की बात है। परन्तु एक बात को देखकर कुछ चिन्ता का कारण नहीं प्रतीत होता। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें मिला क्या है? हम न तो साम्राज्य के लिये लड़ते थे न नौक-रियों के लिये। न राजकीय सभा में सीटों के लिये। हमारी मांग तो केवल एक थी अर्थात् राज्य के निवासियों में वैदिक धर्म-प्राचार करने और उनकी सेवा करने का अवसर मिले। कर्तव्य-पालन के बांट पर कभी झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा अधिकारों के बांट पर होता है। इसलिये यदि आर्य समाज के जोशीले लोग इस बात पर झगड़ने लगें कि कौन

अपना कर्तव्य पालन करेगा तो सेवा का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इस झगड़े का रूप भी अभीष्ट ही होगा। पहली बात जो हमको याद रखनी चाहिये, यह है कि विजय की शोभा विनय है। जिस विजय में विनय नहीं उसका परिणाम दूषित हो जाता है। हमको अपनी विजय की घोषणा या प्रकाशन इस प्रकार नहीं करना चाहिये कि दूसरों को बुरा प्रतीत हो। हमारी विजय दूसरों को चिढ़ाने के लिये नहीं, किन्तु उन्हें अपना बनाने के लिये है, हम शासक नहीं, किन्तु सेवक हैं और सेवक ही रहना चाहते हैं। जनता की सेवा करना ही वैदिकधर्म की सेवा करना है। जो मुसलमान भाई हमें शत्रु की दृष्टि से देखते थे उन पर हम जतला देना चाहते हैं कि उन्हें हमारी मित्रता का पूर्ण परिचय हो जाय। वे वैदिकधर्म के महत्व को समझ जायँ। वह मानलें कि वैदिकधर्म उन्हें मिटाता नहीं, बल्कि उन्हें उन्नत बनाना चाहता है। हमारा राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य है। निज़ाम सरकार को भी हमारे वर्ताव से मालूम हो जाना चाहिये कि आर्य प्रजा अधिक स्वामि-भक्त है। यह राज्य की भलाई चाहती है न कि बुराई। निज़ाम राज्य की प्रजा के लिये यह गम्भीर प्रश्न होगा, जिसे किसी प्रकार भी आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। प्रजा का वास्तविक गुण यह है कि वह स्वामि-भक्त तो हो, परन्तु उसमें दासत्व की दुर्बलता न हो। राजभक्ति और सत्यपरायणता दोनों का समुचित पुट होना चाहिये। बाहर के आर्य भाइयों ने हैदराबादी आर्यों की सहानुभूति में जो कष्ट सहे हैं—इस बात को तो हैदराबाद के सभी आर्य भाई मानेंगे, परन्तु इन भाइयों का काम समाप्त नहीं हो गया। हैदराबाद के आर्य बहुत दिनों से निरुद्यम हो गये हैं। उनके पास पैसा नहीं रहा है। जिन मन्दिरों के निर्माण के लिये आपने उन्हें आज्ञा दिलाई उस आज्ञा का वे किस प्रकार लाभ उठावेंगे, यदि आपकी सहायता न होगी तो वे कैसे स्कूल खोलेंगे? कैसे प्रचार करेंगे? कैसे आर्य-साहित्य का वितरण करेंगे? इन सब के लिये आपकी सहायता वांछनीय है। यदि यह सब कार्य सार्वदेशिक सभा ने अपने सिर लिया तो सार्वदेशिक सभा के लिये आपकी सहायता आवश्यक होगी। जिस रोगी के लिये आपने डाक्टर बुलाया और दवा मँगादी उसे भोजन बिना दिये मरने देना कौन-सी बुद्धिमत्ता है? कहते हैं कि इस युद्ध में हमने ७ लाख के लगभग रुपया व्यय कर दिया यदि यह अनुमान ठीक है तो क्या हम इतने से आधा रुपया हैदराबाद के रचनात्मक कार्य के लिये नहीं देंगे? यदि एक मन्दिर पर १०००० रु० व्यय हो तो चार लाख में ४० उच्चकोटि के मन्दिर बन सकते हैं। यदि एक प्रचारक पर ७०० रु० वार्षिक व्यय हो

तो ६ वर्ष तक १०० प्रचारक हैदराबाद में लगातार काम कर सकते हैं। यदि एक अच्छी पुस्तक पर ८०० रु० व्यय हो और वह मुफ़्त वितरण हो तो ४००००० रु० में ८०० पुस्तकें वितरण हो सकती हैं। इस रचनात्मक कार्य का आर्यसमाज के लिये जो परिणाम होगा, उसका अनुमान सहज में लगाया जा सकता है।

परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह सबकुछ होगा? क्या आर्यजनता उसके लिये तैयार होगी? कहीं वह मुँह ढक कर सो तो नहीं जायगी? अब तक तो हैदराबादी भाइयों के कराहने की आवाज़ हमें बेचैन करती रही और उस बेचैनी में हम अपना पैसा भी देते रहे और समय भी। अब उनका कराहना तो होगा नहीं और वे कराहेंगे तो उस पीड़ा से नहीं कि काश्मीर तक के आर्यों की नींद भंग हो जाय, परन्तु उन्हें स्वास्थ्य-लाभ करने में तो अभी देर लगेगी।

मेरी समझ में सर्वोत्तम उपाय यह है कि अभी हम ६ मास तक और यह समझलें कि हमें आत्म-त्याग करना है। पैसा भी देना है और ध्यान भी। सम्भव है सार्वदेशिक सभा हैदराबाद के रचनात्मक कार्य को शीघ्र ही ले। यदि ऐसा हो तो हमें पूर्ण रूप से इसका भार अपने ऊपर लेना पड़ेगा। ईश्वर हमें बल दे।

आर्य्य सत्याग्रह की समाप्ति तथा समाचार पत्र

आर्य्य सत्याग्रह समाप्त

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने नागपुर में एक आवश्यक बैठक करके हैदराबाद के आर्य सत्याग्रह आन्दोलन को बन्द कर देने का निर्णय किया है और सत्याग्रह समिति को आदेश किया है कि सब जत्थे भंग कर दिए जांय। कुछ दिन पहले हिन्दू महासभा की ओर से भी इसी आशय का निर्णय घोषित किया जा चुका है। हम इस उदार और दूरदर्शितापूर्ण निश्चय का स्वागत करते हैं। हिन्दुओं और आर्यों ने अपना आन्दोलन बन्द कर सुधारों को कार्यान्वित करने में सहयोग प्रदान करने का इरादा जाहिर कर दिया है और यह संकेत किया है कि यदि उनकी शिकायतें दूर कर दी गई और हिन्दू तथा मुसलिम प्रजा में भेद-भाव की नीति न बरती गई तो निजाम के प्रति उनकी राजभक्ति पहले ही की तरह अक्षुण्ण बनी रहेगी। इसके उत्तर में हमें आशा है कि निजाम साहब भी साम्प्रदायिकतावादी मुसलमानों के विरोध की कुछ परवाह न कर अपनी हिन्दू प्रजा के प्रति पूर्ण सद्भावना एवं सहानुभूति प्रगट करेंगे और उत्तरोत्तर अपने शासन को उदार बनाने का प्रयत्न करेंगे। जिस दिन आर्य प्रतिनिधि सभा अपना अन्तिम निर्णय करने के लिए नागपुर में बैठक करने जा रही थी उसी दिन एक विज्ञप्ति निकाल कर निजाम सरकार ने धार्मिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में अपनी नीति का स्पष्टीकरण करते हुए आर्य नेताओं की आशंकाएँ दूर कर दीं। हमारा ख्याल है कि इस विज्ञप्ति ने आर्य प्रतिनिधि सभा को निर्णय पर पहुँचने में अवश्य ही प्रभावित किया होगा। इस विज्ञप्ति में आश्वासन दिया गया है कि हिन्दुओं के धार्मिक कृत्यों पर अनावश्यक प्रतिबन्ध न लगाए जायँगे। हम आशा करते हैं कि निजाम सरकार उन लोगों को निराश न करेगी, जिन्होंने उसकी सद्भावना में विश्वास कर आन्दोलन बन्द कर दिया है। अब हैदराबाद में सत्याग्रह बन्द कर दिया गया है और शान्तिपूर्ण वातावरण स्थापित हो गया है, अतः निजाम सरकार का सबसे पहला कर्त्तव्य यह है कि वह उन सत्याग्रहियों को बिना किसी शर्त के रिहा कर दे जो अभी तक उसके जेलों में बन्द हैं। उनकी रिहाई में अब कुछ विलम्ब नहीं होना चाहिए। निजाम साहब को यह भी याद रखना चाहिए कि जमाना कितना बदल गया है। जब तक बदली हुई परिस्थिति के अनुकूल वे अपने राज्य की नीति नहीं बनायेंगे तब तक अशान्ति और असंतोष स्थायी रूप से दूर नहीं होगा।

(भारत प्रयाग)

अद्वितीय सफलता

आर्यसमाज ने अपने जीवन-इतिहास में इससे पहले शायद ही कभी अपनी आत्म-बलिदान की सामूहिक शक्तियों का हैदराबाद सत्याग्रह से अधिक महान तथा उच्च उद्देश्य के लिये प्रयोग किया होगा। यह संग्राम आठ मास तक प्रशंसनीय उत्साह और सरगर्मी के साथ जारी रखा गया और आर्यसमाज ने अधिक नहीं तो अपने बारह हजार व्यक्तियों को इस धार्मिक संग्राम में भाग लेने के लिये भेजकर भारत में धर्म-संग्राम के इतिहास में एक रिकार्ड कायम किया। हमारा ख़याल है कि गत डेढ सौ वर्षों में बल्कि उससे पहले भी किसी धर्म सम्प्रदाय की ओर से इतनी भारी संख्या में लोग धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए जेल नहीं गये और न इतनी भारी मात्रा में धन किसी धर्म-संग्राम के निमित्त व्यय किया गया है। आर्यसमाज का संग्राम-क्षेत्र बहुत विशाल था और उसमें भाग लेना हिन्दू जाति की सब श्रेणियों ने अपना कर्तव्य माना था। इस धर्म-संग्राम में भाग लेने वाले केवल भारत स्थित आर्य ही न थे बल्कि वे लोग भी थे जो भारत से कई सौ बल्कि हज़ारों मीलों की दूरी पर रहते हैं। इतने बड़े संग्राम को, जो धार्मिक जगत् में अपने प्रकार का निराला और अद्वितीय था, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने प्रशंसनीय नियन्त्रण से चलाया और संगठित संग्राम किस प्रकार के होने चाहिएँ—इसकी एक अपूर्व मिसाल दुनिया के सामने उपस्थित की, कांग्रेस के राजनैतिक संग्राम भी इतनी शुद्धता का दावा नहीं कर सकते।

आर्यसमाज इससे अधिक संतोषजनक शर्तों पर अपना वर्तमान संग्राम बन्द न कर सकती थी। निजाम सरकार ने उसकी ओर से उपस्थित की गयीं सब शर्तों को एक या दूसरे रूप में स्वीकार कर लिया है। सुधारों की घोषणा के बाद जिस स्पष्टीकरण की मांग की गई थी वह भी प्राप्त हो गया। निजाम सरकार ने उसकी एक प्रति पहले ही सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान तक पहुँचा दी, जो नागपुर वाली सभा में पढ़ कर सुनाई गई और उसके सब पहलुओं पर पूर्ण विचार हुआ। आर्य समाज की मुख्य मांगों में से एक भी ऐसी नहीं जिसका निजाम सरकार ने उत्तर न दिया हो। कई लोगों को यह बात चुभ सकती है कि निजाम सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में कहीं भी आर्यसमाज का नाम आने नहीं दिया। रियासती शासनों का, जो 'प्रेस्टीज' का अधिक ख़याल रखते हों, ऐसा आचरण आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। पर आर्य समाज की माँग पर निज़ाम सरकार का निश्चित तारीख से पहले स्पष्टीकरण जारी करना तथा उसकी एक प्रति समय पूर्व सार्वदेशिक सभा को भेजना साफ बताता है कि निजाम सरकार ने आर्य-समाज तथा सार्वदेशिक सभा को स्वीकार किया है। यह संतोषजनक है।

(हिन्दी मिलाप लाहौर)

सफलता की शुभघड़ियां

हैदराबाद दरबार एवं आर्यसमाज की दीर्घ समय की पारस्परिक तनातनी ८ अगस्त को समाप्त हुई अर्थात् दरबार और आर्यसमाज में मानपूर्वक समझौता हो गया। प्रशंसित सरकार ने अपनी प्रजा की उचित मांगें स्वीकार कर लीं और आर्यसमाज ने सत्याग्रह संग्राम को बन्द कर दिया। मनो-मुटाव मिट गया। सरकार अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिये काटिबद्ध हो गई उसने हमारी बात सुन ली, अपनी प्रजा-प्रियता और न्याय का परिचय दिया, आज हमें इसी का हर्ष है।

आर्यसमाज चाहता था कि वह स्टेट में स्वतन्त्रता पूर्वक धर्म प्रचार कर सके, आर्य-समाज की मांगे बहुत सीधी सादी और पूर्ण धार्मिक थीं जिन्हें स्वीकार कर के निजाम सरकार ने प्रजा और शासक दोनों का भला किया है। आर्य्य समाज किसी भी गवर्नमेंट के विधानों का भंग नहीं करता, निजाम स्टेट में उसने सत्याग्रह कब आरम्भ किया जब समस्त वैधानिक उपाय समाप्त हो गये, सत्याग्रह द्वारा उसने सरकार के कानूनों को नहीं तोड़ा अपितु अत्यन्त शान्ति रीति से अपने मनुष्योचित अधिकारों की प्राप्ति की याचना की। इतने पर भी यद्यपि आर्यवीरों को विविध कष्ट दिये परन्तु सत्याग्रहियों की ओर से कोई भी ऐसी बात न हुई जिस पर निजाम सरकार को आक्षेप हो।

निजाम स्टेट के आर्य वीरों ने कदापि अपने दिलों से प्रजा और शासक के भाव को न भुलाया। सरकारी अधिकारी जो आज्ञा देते रहे उसका उन्होंने पूर्णतया पालन किया। उन्हें राजद्रोही कहना किसी भी हालत में ठीक नहीं। वे भी स्टेट की वैसी ही प्रजा हैं जैसी दूसरे। सरकार के प्रति उन के दिल में न पहिले ही द्वेष था। और न अब तथा न होगा। उन के अधिकार सरकार ने दे दिये अब आसफिया वंश की छत्र छाया में वे शान्ति पूर्वक अपने धार्मिक क्रियाकलाप करते हुये सरकार की प्रबंधक शक्ति के सहायक होंगे। सरकार उन की है और वे सरकार के हैं। सरकार की ओर से स्टेट के आर्य समाजियों को पूर्ण रक्षा का आश्वासन मिलना चाहिये। आर्य भाइयों को भी सरकार की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हुये अत्यन्त शान्ति और प्रेम-भाव से अपना जीवन बिताना चाहिये।

कुछ शब्द हम अपने उन भाइयों की सेवा में कहना चाहते हैं जो हमारी मांगों की स्वीकृति का विरोध करते हैं। आर्य समाज विश्व प्रेम का पाठ पढ़ाता है वह किसी के अधिकार दबाना नहीं चाहता। यदि एक मुसलमान भाई स्वतन्त्रता से मसजिद में बैठ कर नमाज पढ़ सकता है तो एक आर्य समाजी को भी अपने धर्मिक मन्दिर में या घर

में बैठ कर हवन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। इसमें दूसरे किसी भी मत वाले की हानि नहीं। आर्य समाज यही चाहता था और उसकी मांग पूरी हो गई। हमारे भाइयों को भी हमारी इस धर्मिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति पर अत्युदार भाव से प्रसन्नता प्रगट करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर के दरबार में हम सब एक हैं। आओ आज सब मिलकर कौमी एकता का जयघोष करें ताकि हैदराबाद के हिन्दू-मुस्लिम-आर्य-ईसाई सब भाई परस्पर गले मिल कर रहें। प्रजा और शासक दोनों ही सुख के दिन देखें। इन सफलता की शुभ घड़ियों में हम निजाम सरकार के शतशत धन्यवाद एवं आर्यजगत् को बधाई देते हैं।

(दैनिक दिग्विजय)

हार्दिक बधाई

जिस शान से आर्य-सत्याग्रह शुरू हुआ था, उससे उसकी समाप्ति होने पर हम आर्यसमाज को हार्दिक बधाई देते हैं। आर्य समाज ने अपने इस सत्याग्रह को सफल बना कर न सिर्फ धार्मिक, किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में भी सत्याग्रह के बारे में एक आदर्श उपस्थित कर दिखाया है।

(हिन्दुस्तान देहली)

आर्य सत्याग्रह समाप्त

हैदराबाद का आर्य सत्याग्रह स्थगित तो पहले ही हो चुका था, अब उसे सार्वदेशिक आर्य सभा के अन्तरङ्ग-सदस्यों ने समाप्त ही करने का निश्चय कर दिया है। ऐसा उन्होंने सब हितचिन्तक मित्रों और हैदराबाद के जिम्मेवार अधिकारियों से विचार विनिमय के पश्चात ही किया है और जो समाचार इस विषय में अब तक हमारे सामने आये हैं उनको देखते हुये, अन्तरंग सभा का निश्चय हमें उचित ही जान पड़ता है।

(वीर अर्जुन देहली)

आर्य सत्याग्रह की विजय

सत्याग्रह आन्दोलन को बन्द करके सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने यह दिखला दिया है कि उसने निज़ाम महोदय को परेशानी में डालने या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप में साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने की इच्छा से यह आन्दोलन शुरू नहीं किया था, वरन् इस आन्दोलन के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की रक्षा करने का भाव था। आर्यसमाज जिन बातों का स्पष्टीकरण चाहता था उनका स्पष्टीकरण कर देने से निज़ाम सरकार भी कम धन्यवाद की पात्र नहीं हैं।

अब चूँकि समझौता हो गया है अतः अब सद्भाव से उसे क्रिया में लाना दोनों पक्षों का कार्य है।

आर्यसमाज मन्दिर खोलने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता आर्यसमाज की ये दो मुख्य मौलिक माँगें थीं। निज़ाम सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि इनके लिए पूरी २ स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

नियम, सिद्धान्त और कायदे—कानून वहाँ तक ही कुछ मतलब रखते हैं जहाँ तक वे ठीक २ भाव में व्यवहृत होते हैं चाहे वे कितने ही अच्छे और बढ़िया क्यों न हों। हमें आशा है कि निज़ाम सरकार न स्वयं ही उनका ठीक २ सद्भाव से पालन करेगी वरन् अपने दूसरे अधिकारियों को भी ऐसा करने के लिये बाधित करेगी।

जो हमने निज़ाम सरकार के सम्बन्ध में कहा है वही आर्यसमाज पर भी लागू होता है। यदि आर्य लोगों का अपने नेताओं जैसा भाव हुआ तो निश्चय ही वे समझौते को क्रिया में ले आयेंगे।

वर्तमान आन्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता जितनी धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति कर लेना है उतनी ही बड़ी 'सत्याग्रह' के अस्त्र की पवित्रता की रक्षा करना है। हम पर इस बात का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि तमाम आन्दोलन में जिसमें १०००० से ऊपर आदमी जेल गये एक भी ऐसी मिसाल नहीं है जब कि सत्याग्रह करते हुए अहिंसा के नियम का उल्लङ्घन किया गया हो। सत्याग्रह के संचालन में सार्वदेशिक सभा को अपने अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे सज्जन मिले हुए थे जो सत्याग्रह की गाँधी जी की भावना में उतने ही दृढ़ थे जितने दृढ़ वे आर्यसमाजी थे। अहिंसा व्रत की

रक्षा बहुत बड़ी सफलता है जिस पर आर्यसमाज जैसा सैनिक संगठन हार्दिक बधाई का पात्र है। हैदराबाद का आर्य सत्याग्रह गांधी जी द्वारा प्रचारित और व्यवहृत सत्याग्रह की एक और विजय समझी जा सकती है।

-- (हिन्दुस्तान टाइम्ज़) देहली

जिस भाव में निज़ाम सरकार ने आर्यसमाज की माँगों का स्पष्टीकरण किया है उसे हम स्वीकार करते हैं। हमें आशा है कि निज़ाम सरकार अपने भावी आचरण से -- कट्टर साम्प्रदायिकता को मार भगाय गी जो ८५ प्रतिशत हिन्दुओं से बसे हुए राज्य को 'मुस्लिम' राज्य के नाम से सम्बोधित करती है और जो यह माँग प्रस्तुत करती है कि १२ प्रतिशतक के अल्पसंख्यक लोगों को हैदराबाद में परम्परागत राजनैतिक प्रभुता प्राप्त रहेगी जिसका वे शताब्दियों से उपभोग करते आ रहे हैं।" इस आशा में हम निज़ाम सरकार, हिन्दू महासभा और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को युद्ध की समाप्ति पर बधाई देते हैं।

—हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड, कलकत्ता।

हैदराबाद सत्याग्रह

सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा ने हैदराबाद सत्याग्रह बन्द कर दिया है। इससे समस्त भारत वर्ष चैन की स्वांस लेगा। हम आर्य समाजियों को उनकी शानदार विजय तथा निजाम सरकार को समझौते का रुख दिखलाने की नीति-मत्ता पर बधाई देते हैं।

(ट्रिब्यून लाहौर)

आर्य सत्याग्रह बन्द हो गया

आर्य सत्याग्रह आन्दोलन को बन्द करके सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा ने बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय किया है और उसका खूब आदर किया जायगा। आठ महीने से अधिक अर्से तक आर्य समाज ने बहुत बड़े त्याग और व्यय पर अपना आन्दोलन चलाया है। चूँकि हिन्दुओं के धार्मिक अधिकारों के आधार पर आन्दोलन संगठित किया गया था, इसलिए कांग्रेस वा कांग्रेस के प्रसिद्ध नेताओं के लिए उसमें भाग लेना असम्भव था। परन्तु आर्य नेताओं ने इसका ऐसा उत्तम संचालन किया है कि जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है।

उनके आन्दोलन ने सर्वसाधारण को जो अपील की थी और उनके हाथ में जो बहुत बड़े साधन देख पड़े थे उनका हैदराबाद राज्य तथा भारत के अन्य भागों में बहुत प्रभाव पड़ा था। सत्याग्रह की प्रतिध्वनि हाउस आफ कामन्स में भी सुनाई दी थी।

इण्डिया आफिस की ओर से अस्पष्ट और अनिश्चित उत्तर दिये गए थे, उनसे जाहिर हो गया था कि स्टेट के अधिकारी अपने को कैसी परेशानी में व्यस्त पाते थे।

आर्य्यों को सार रूप में विजय प्राप्त हुई है, भले ही स्थूल रूप में प्राप्त न हुई हो।

(फ्री प्रेस जनरल बम्बई)

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने निजाम सरकार के रुख का बड़ी तत्परता और बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया है। १७-७-३९ के वक्तव्य में निजाम सरकार ने जो असमर्थनीय रुख धारण किया था उसके विपरीत अब उसने सार्वजनिक शान्ति की सुरक्षा के साथ २ अधिक से अधिक धार्मिक स्वतन्त्रता की घोषणा की है। अब यह आशा की जाती है कि इस घोषणा के अमल में आने पर धार्मिक कृत्यों के प्रचार करने तथा प्राइवेट स्कूलों व धर्म्म मन्दिरों के खोलने में किसी को शिकायत का मौका न होगा।

आर्य सत्याग्रहियों की हम प्रशंसा करते हैं। उन्होंने उस कार्य्य के लिए कष्ट सहन किए हैं, जो शताब्दियों से मनुष्य की आत्मा को प्रिय रहा है, अर्थात् अपने विश्वासों का प्रचार। उन्होंने कठिनाइयों, मुसीबतों और तंगियों के बावजूद भी अहिंसा व्रत की रक्षा की है और अपने से भिन्न धर्म्म वालों का आदर प्राप्त किया है। स्वतन्त्रता का पक्ष धर्म्म और देश की सीमा से ऊपर होता है।

(नैशनलहेरल्ड लखनऊ)

आर्य सत्याग्रह की सफलता पर देश के नेता

आर्य सत्याग्रह का मधुर अन्त

देश-विभूति महात्मा गाँधी ने आर्य सत्याग्रह की सफलता के सम्बन्ध में १९ अगस्त के 'हरिजन' में निम्नलिखित लेख लिखा है—

आर्य सत्याग्रह का अन्त मीठा हुआ। इस युद्ध के सम्बन्ध में मैंने आज तक एक अक्षर भी नहीं लिखा। मुझे यह प्रश्न ऐसा नाजुक प्रतीत हुआ कि सार्वजनिक रीति से उसकी चर्चा करना मैंने ठीक न समझा। निजी अथवा सार्वजनिक विषयों में चलने की मेरी एक विशिष्ट पद्धति है इसे सब जानते ही हैं, कोई इस पद्धति को व्यर्थ गौरव की पद्धति कहते हैं। मैंने इस आर्य सत्याग्रह के सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से मौन धारण किया हुआ था। परन्तु उसका अर्थ यह नहीं था कि इस युद्ध के सम्बन्ध में मुझे कोई ममत्व ही न था। आर्यसमाज के नेताओं तथा हैदराबाद से थोड़ा बहुत सम्बन्ध रखने वाले मुसलमान मित्रों से मेरा बराबर विचार विनिमय होता रहा है। इस सम्बन्ध में मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के सलाह मशवरे पर चल रहा था। आर्य समाज की माँगों के लिये मुझे सहानुभूति थी। वे मांगें साधारण और जन्मसिद्ध अधिकारों के स्वरूप की थीं। मैं अपने दृष्टिकोण से सत्याग्रह करने के विरुद्ध था इस दृष्टिकोण के हेतु मैंने उन्हें बता दिये थे। परन्तु उनका सत्याग्रह मेरे सत्याग्रह की अपेक्षा अधिक अच्छा भी नहीं तो अधिक बुरा भी नहीं है इस प्रकार उनके कहने पर मैं निरुत्तर होगया। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी नवीन पद्धति और नवीन शर्तों का अवलम्बन करें ऐसी आप इच्छा न करें। बुद्धिवाद के अतिरिक्त कोई दूसरा दबाव उन पर डालना ठीक नहीं यह मुझे निश्चय हुआ। जहां तक हो सके निज़ाम सरकार के लिए भी कोई अड़चन नहीं डालनी चाहिए यह मेरी कहने की इच्छा थी। आर्य सत्याग्रह स्नेह भाव से स्थगित रखा गया इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा आनन्द हो रहा है। स्नेह भाव में ही इस समस्या के हल हो जाने पर निजाम सरकार और आर्य समाज दोनों का अभिनन्दन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि श्री घनश्यामसिंह जी गुप्ता ने इस सम्बन्ध में जो उदात्त भावों से भरा हुआ वक्तव्य प्रकाशित किया है, उसीके अनुसार आर्य समाज अपना कार्यक्रम बनायेगा। इस युद्ध में दोनों पक्षों में काफी तनातनी पैदा हो गई थी तथापि गुप्त जी के वक्तव्य की भावनाओं का अनुसरण करता हुआ आर्यसमाज कार्य करेगा तथा निजाम दरबार भी अपने प्रकाशित कम्यूनिक की भावनाओं का अनुसरण करके काम करेगा तो यह तनातनी दूर हो जायगी और धार्मिक व सांस्कृतिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में पुनः झगड़ा आरम्भ करने का कोई कारण नहीं रहेगा।

"मुझे यह जान कर खुशी हुई है कि हैदराबाद में आर्य सत्याग्रह की यह लम्बी और दुःखद दास्तान खत्म हो गई है। इसमें आर्य समाज को अपनी धार्मिक मांगों की पूर्ति के लिए बहुत भारी त्याग और कष्ट झेलना पड़ा है। वे मांगें अपने आप इतनी स्पष्ट थीं कि इनके विरोध में कही गई किसी बात में भी सहज विश्वास नहीं किया जा सकता। ये मांगें धार्मिक स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखती हैं और यहाँ तक कि मेरे जैसे आदमी भी जिन्हें धार्मिक मामलों में इतनी दिलचस्पी नहीं है, प्रत्येक अन्य व्यक्ति के अपने धर्म का अनुकरण करने के मुकम्मिल अधिकार में विश्वास रखते हैं जैसाकि मेरा ख्याल है कि अन्य लोगों को भी किसी भी एक धर्म में बन्धे न रहने का समान अधिकार होना चाहिये। इसमें से बहुत से लोगों ने बड़े राजनीतिक कारणों को लेकर हैदराबाद सत्याग्रह का विरोध किया था, मगर हमने ठीक समझ यह कहा था कि धार्मिक स्वतन्त्रता का उद्देश्य जिसके लिये सत्याग्रह किया जा रहा था, बिलकुल ठीक उद्देश्य था। ऐसे दुःखद कांड के संतोष पूर्ण हल पर आर्य समाज और हैदराबाद सरकार दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं।

(पं०) जवाहरलाल नेहरू

"यदि हमारे आर्य समाजी मित्र, जिनके धार्मिक स्वतन्त्रता के दावे को अखिल भारतीय रियासत प्रजा परिषद् और कांग्रेस की आम राय की सद्भावना प्राप्त थी, यह महसूस करते हो कि उनकी मांगें मञ्जूर हो गई हैं, तो हम एक ऐसे मामले पर जो कि ऐसे अच्छे ढंग से समाप्त हो गया है केवल सन्तोष ही प्रकट कर सकते हैं।

(डा०) पट्टाभि सीतारमैया

बधाई

प्रिय श्री घनश्यामसिंह जी,

हैदराबाद में आर्य समाज को धार्मिक आज़ादी के लिए सत्याग्रह करना पड़ा, यही आश्चर्य की बात थी। पर जिस खूबी और संयम के साथ आपने उस सत्याग्रह संग्राम का संचालन किया, वह कम आश्चर्य की बात नहीं थी। लोगों को कष्ट हुआ और कुछ भाइयों को जेल के अन्दर मरना भी पड़ा। मगर त्याग के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सत्याग्रह की सफलता तभी समझी जाती है जब दोनों पक्षों को बधाई का मौका मिले। आज मुझे दोनों पक्षों को बधाई देने में हिचक नहीं है। आर्यसमाज अपने त्याग कार्य दक्षता और संयम के लिये और हैदराबाद राज्य उन मांगों की न्यायता को मानकर स्वीकार करने के लिये बधाई का हकदार हो जाता है। इसलिए यह बड़े हर्ष और संतोष

का समय है। मैं आशा करता हूँ कि जो जागृति इस समय पैदा हुई है, वह रचनात्मक काम में लगाई जायगी और उससे स्थायी कल्याणकारी फल निकाला जायेगा।

(राष्ट्रपति) राजेन्द्रप्रसाद

प्रिय श्री घनश्यामसिंह जी,

जयपुर में बन्दी रहते हुए भी मैं हैदराबाद आर्य-सत्याग्रह की ख़बरों को ध्यानपूर्वक पढ़ता रहा। मुझे तो ताज्जुब और हैरानी रहती था कि धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी के लिए भी आर्य-समाज को हैदराबाद में इतनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी। इसकी मुझे खुशी है कि आखीर आर्यसमाज की बातें स्वीकार हुई। इस युद्ध को इतने त्याग, कुशलता और सयम के साथ चलाने के लिए आपके जरिये मैं आर्यसमाज को हार्दिक बधाई देता हूँ। यदि निजाम-सरकार आर्यसमाज की उन मांगों को पहिले हा स्वीकार कर लेती तो बहुत अच्छा होता, इतनी कुर्बानी न होती और इसके कारण कहीं-कहीं जो हिन्दू-मुसलमानों के बीच वैमनस्य हुआ वह भी न होता! परन्तु रियासतों की बातें विशेष विचित्र हैं। यह भी सम्भव था कि अब भी हैदराबाद-सरकार न मानती और सत्याग्रह जारी रहता जिसका और भी कठिन परिणाम हो सकता था! हैदराबाद सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया इसमें तो उन्होंने नीतिमत्ता का परिचय दिया है जिसके लिए उन्हें भी बधाई दी जा सकती है!

मुझे आशा है कि जनता को अन्य क्षेत्रों में भी उन्नत करने वाली संस्थाओं पर भी अब तो कोई रुकावट न होगी और हैदराबाद स्टेट कांग्रेस कमेटी पर भी उनके कार्य में कोई बन्दिश न रहेगी जिससे वे रचनात्मक कार्य भली प्रकार से कर सकें।

(जमनालाल बजाज)

मैं "हिन्दी-मिलाप" द्वारा सकल आर्यजगत् को हैदराबाद-सत्याग्रह की सफलता के लिये हार्दिक बधाई देता हूँ। आर्य समाजियों और जनता ने हैदराबाद-सत्याग्रह की लड़ाई में जो वीरता तथा निर्भयता दिखाई है वह आर्य-नाम, आर्य-काम और आर्य जाति को शोभा देती है। इस लम्बी लड़ाई को लड़ते हुए सर्वसाधारण आर्य जनता ने आर्यों के पुरातन इतिहास को दोहरा दिया है, और यह दिखला दिया है कि आर्य वंश के रक्त में अभी तक वह संस्कार वर्तमान हैं जो कि बड़े से बड़े काम को करने के लिये सामर्थ्य रखते हैं।

"इस युद्ध में मानसिक, हार्दिक और शारीरिक शक्ति का जो प्रकटीकरण किया गया है और जो सहनशीलता आर्य जनता ने दिखाई है, जो तप-त्याग सर्वसाधारण हिन्दुओं ने इस सत्याग्रह की सफलता के लिये किया है, उसको देख कर यह साहस से कहा जा सकता है कि आर्य जाति का भविष्य उज्ज्वल है और निराशा के लिए कोई अवसर नहीं।"

(सत्यानन्द)

"आज हिन्दी मिलाप में आर्य सत्याग्रह की अपूर्व विजय का समाचार पढ़ कर सद्गुरु प्रतापसिंह जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दास को आज्ञा दी कि हमारी ओर से श्री रणवीर सिंह जी तथा उनके द्वारा परम सुहृदय श्रीमान् पञ्जाब केसरी लाला खुशहाल चन्द जी खुर्सन्द एवं समस्त आर्य जगत् को बधाई दी जाए। आशा है कि श्रीमान् जी महाराज जी की इस हार्दिक बधाई को श्री खुर्सन्द जी और आर्य जगत् तक पहुँचाने की कृपा कर देंगे। विजय का समाचार पढ़ कर सद्गुरु जी महाराज ने हार्दिक उत्साह तथा प्रेम सहित फरमाया—"आर्य समाज की यह ऐसी शानदार विजय है जिसका समस्त धार्मिक जगत् सदैव गर्व करता रहेगा।"

—गुरुदेव सिंह अन्तर्वासी, सद्गुरु प्रताप सिंह जी महाराज श्री भैणी साहिब, (लुधियाना)

'आर्य समाजियों और हिन्दुओं की धार्मिक मांगों को पूरा करने में निज़ाम सरकार और विशेष कर सर अकबर हैदरी ने जो समझौते की भावना प्रदर्शित की है, उस की मैं प्रशंसा किए बग़ैर नहीं रह सकता।"

"निज़ाम सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें बहुत सी ऐसी बातें स्पष्ट करदी गई हैं जिन की आर्य्य समाजी व्याख्या और स्पष्टीकरण कराना चाहते थे। यह स्पष्टतया घोषित करदिया गया है कि अब पूजा करने के अधिकारों, धार्मिक जलूसों मन्दिरों के बनाने, प्राईवेट स्कूल खोलने और धार्मिक कृत्य करने पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं होगी। स्टेच्युटरी कमेटी [कानून कमेटी] के कार्य क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या कर दी गई है और धर्म विभाग को अपील करने के बजाय गृह विभाग को अपील करने की मांग भी मन्जूर करली गई है। ये ऐसी विजय है जिन पर आर्य समाज का गर्व करना बिलकुल उचित है। विज्ञप्ति के प्रकाशित होते ही सार्वदेशिक सभा ने सत्याग्रह भंग करके निजाम सरकार को बहुत उचित जवाब दिया है। हमें उमीद करनी चाहिए कि इस विज्ञप्ति से हैदराबाद रियासत में एक नए रुख़ की शुरूआत होगी और हमें धार्मिक पाबन्दियों, साम्प्रदायिक झगड़ों जैसी अब कोई शिकायत नहीं सुनाई देगी। मैं अन्त में उन सब हिन्दू आर्य और सिक्खों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने धार्मिक अधिकारों के लिए इतने कष्ट झेले हैं और इस संघर्ष को इस तरह की शानदार सफलता और सम्मानपूर्ण समझौते में समाप्त करने की कोशिशें की हैं।

—लोक नायक अणे

हार्दिक बधाई

श्री सेठ जुगल किशोर जी बिड़ला ने श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त के तार के जवाब में निम्न तार दिया था :—

'तार मिला। धन्यवाद। हार्दिक बधाई। मुझे आशा है आपके सारे मुद्दे स्पष्ट होगए और आप पूरी तरह सन्तुष्ट होगए हैं। राजनीतिक अधिकारों की दृष्टि से काशमीर के मुसलमानों की तुलना में हिन्दुओं को कुछ भी नहीं मिला है।

RESOLUTIONS

Adopted by the International Aryan League

IN

Their special Meeting

HELD AT NAGPUR ON 8th AUGUST, 1939

ON

HYDERABAD SATYAGRAHA

1. In view of the *Communique* issued to-day by the Government of His Exalted Highness the Nizam clarifying certain points raised by the Sarvadeshik Sabha and particularly in view of the spirit of conciliation behind this clarification, and in deference to the opinions of highly placed friends and well wishers who have helped to bring about the above clarification and whose sympathy and support the Sabha greatly values; this Sabha feels itself justified to discontinue the Satyagraha movement and does hereby declare its discontinuance. The Sabha also directs the Satyagraha Committee to disband the Jathas stationed at different places.

In the opinion of the Sabha the clarification referred to above represents an earnest attempt on the part of the Government of His Exalted Highness the Nizam to meet the demands for which Satyagraha was launched. The Sabha has taken the responsibility of discontinuance of Satyagraha fully trusting the good intentions of His Exalted Highness Government and relying upon a liberal interpretation of those declarations.

This Sabha reiterates its declaration that the Arya Satyagraha was undertaken in no spirit of defiance of or hostility to His Exalted Highness the Nizam's Government, nor in any way directly or indirectly to promote communal discord. The sole motive behind the movement has been the vindication of religious and cultural freedom.

2. In order that all this valuable sacrifice may yield the best possible result, it is, in the opinion of the Sabha,

all the more necessary now for the Aryas and other Hindus, more specially those in the Dominions of His Exalted Highness the Nizam,to exercise self restraint, to conform more strictly to Truth and Non-violence, in true religious spirit.

3. The Sabha acknowledges with thanks the willing co-operation which it has received during the days of Satyagraha campaign generally from the Press in India. The Sabha feels confident that the cause of religious freedom will always continue to receive their valued support.

4. The Sabha expresses its senses of obligation to all those institutions and persons who have rendered assistance, financial or other- wise, to the movement.

5. This Sabha on behalf of all the Aryas in India and abroad offers their respectful homage to the sacred memory of martyrs who laid down their lives in the cause of Vedic Dharma.

6. The Sabha congratulates the Dictators and other Satyagrahis, who for the sake of Vedic Dharma have undergone all sufferings entailedin jail life of Hyderabad prisons.

The Sabha expresses its satisfaction at the response given by the Arya Samajists, Hindus, Sikhs and others to make this Dharmayudha a success.

7. The Delegates also express their grateful thanks to Lokanayaka M. S Aney for the valuable lead and guidance given by him to the move- ment.

8. The Arya Delegates assembled here record their grateful appreciation of the valuable services rendered by the Hon'ble Mr. G. S. Gupta and Desh Bandhu Gupta for the successful termination of the Satyagraha.

आर्य सार्वदेशिक सभा की नागपुर की अन्तरंग द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

१—निजाम सरकार द्वारा प्रकाशित आजकी विज्ञप्ति को देखते हुए, जिसमें कि सार्वदेशिक सभा द्वारा उठाए गए मुद्दों का खुलासा किया गया है और खास कर उस खुलासे में निहित समझौते की भावना को देख कर और उच्च स्थिति के सम्मानित मित्रों और शुभेच्छुकों की राय का सम्मान करते हुए, जिनकी राय और जिनके सहयोग को सभा बहुत मूल्यवान् समझती है, सभा सत्याग्रह को जारी रखना उचित नहीं समझती है और इसके द्वारा उसको बन्द करने की घोषणा करती है। सभा सत्याग्रह कमेटी को आदेश देती है कि वह विभिन्न स्थानों पर मौजूद जत्थों को भंग करदे।

कानूनों को ऐसा बनाया जाय जिससे जनता को यथा सम्भव अधिक से अधिक सुविधा रहे।'

सार्वजनिक और धार्मिक सभाएँ

सार्वजनिक और धार्मिक सभाओं के लिए नियम अधिक उदार होंगे यहां तक कि जो धार्मिक सभाएँ या कृत्य प्राइवेट या सार्वजनिक मकान के भीतर होंगे उनके लिए अन्य सार्वजनिक जलसों की तरह सूचना देने की जरूरत न होगी। किसी बिल्डिङ्ग के साथ की घिरी हुई जगह भी इस परिभाषा में आती है यद्यपि व्यवहार में कोई कठिनाई आई हुई नहीं मालूम हुई है फिर भी गांवों में इस प्रकार की जगह की दिक्कत होती है, यह स्वीकार किया जाता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुनासिब नियम बना दिए जायेंगे।

धार्मिक जलूस

किसी जाति के धार्मिक जलूसों के सम्बन्ध में, वक्तव्य का कहना है कि पहले अवसर पर ही आज्ञा लेने की ज़रूरत होगी और सबके हित में यह अच्छा है कि सुनिश्चित आर्डर होना चाहिए जिसमें रास्ते इत्यादि का निर्धारण होगा जिससे अगले वर्षों में उसी का अनुसरण हो सके। इस सम्बन्ध में सरकारी आर्डर जारी होंगे। नियमों का उद्देश्य किसी जाति के जलूसों पर केवल इसलिए पाबन्दी लगाना नहीं है कि वे 'नए' हैं।

धर्म-मन्दिर वा सार्वजनिक उपासना गृह

वर्तमान नियमों की दृष्टि में मुख्यतया स्थिर मकान थे जो पूजा के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि जातियों के रिवाज भिन्न २ होते हैं। आर्यसमाज का रिवाज इस बात में भिन्न है कि उसकी धार्मिक सभाएँ (हवन, यज्ञ और सम्मिलित प्रार्थनाएँ) किराये के प्राइवेट मकानों में लगती हैं और इन मकानों की कोई स्थिर पवित्रता नहीं होती है और इनमें किसी समय भी साप्ताहिक सत्सङ्गों का होना बन्द हो सकता है। साथ ही ये मकान कालान्तर में सार्वजनिक उपासना मन्दिरों का रूप ले सकते हैं। इस प्रकार के केसों के हल के लिए सरकार यथावसर उचित नियम बनाएगी और इन नियमों से सार्वजनिक शान्ति के हित में समाजों की 'जगह' के प्रश्न हल हो जायेंगे। यह बात वर्तमान मन्दिरों पर भी लागू होती है। जब तक कोई जाति किन्हीं मकानों को अस्थायी रूप में धार्मिक सत्सङ्गों के लिए प्रयुक्त करेगी तब तक इन सत्सङ्गों व सभाओं पर धार्मिक सभाओं और अनुष्ठानों का कोई भी नियम लागू नहीं होगा और इनके लिए आज्ञा लेने की ज़रूरत न होगी। परन्तु जो इमारतें केवल उपासना के लिए नई बनी होंगी, खरीदी

गई होंगी, अथवा इस कार्य में प्रयुक्त होने लगी होंगी उन पर सार्वजनिक उपासना मन्दिरों पर लागू होने वाले साधारण नियम लागू होंगे।

इन नियमों पर पहले से ही विचार किया जा रहा है कि इन्हें सरल बना दिया जाय। देरी को रोकने के लिए ६ सप्ताह की अवधि भी नियत कर दी गई है।

जैसा कि अन्यत्र स्पष्ट किया जा चुका है इस सम्बन्ध में खास बात सार्वजनिक शान्ति के हित में समाज की जगह नियत करना ही है। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि होम सेक्रेट्रियेट से इस सम्बन्ध में किस प्रकार अपील की जाय।

प्राइवेट स्कूलों का खोलना

प्राइवेट स्कूल खोलने के सम्बन्ध में विविध क्षेत्रों से यह सुझाव मिला है कि 'आज्ञा' लेने के स्थान में 'सूचना' देने से महकमे की आवश्यकताएँ पूरी हो जायँगी। सरकार शीघ्र ही नियमों की आम जाँच पड़ताल करेगी तब ही इस पर पूरा २ विचार किया जायगा।

सब जातियों के बाह्य प्रचारकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबन्ध

यह फिर दुहराया जाता है कि ऐसी आज्ञाएँ केवल तब तक जारी रहेंगी जब तक कि वातावरण साफ नहीं हो जाता। सरकार को पूर्ण विश्वास है कि यह सन्तोषजनक स्थिति निकट भविष्य में ही उत्पन्न हो जायगी।

———

बीज

सस्ता, ताजा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का
बीज और गाछ हमसे मँगाइये।
पताः—मेहता डा० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना)

places of public worship and, to cover such cases, Government will in due course make suitable rules to govern the question of location in the interest of public tranquillity. This applies also to existing buildings so used. So long as buildings are used by any community purely temporarily for the purpose of religious meetings, the meetings come under exception (i) of the rules governing religious meetings and ceremonies, and no permission is necessary. Where, however, a building is newly erected or purchased converted for exclusive use for worship, it would come under the ordinary rules governing places of public worship. These rules are already under review with a view to their simplification and the elimination of delay by a time-limit, say of six weeks. As has been made clear elsewhere, location in the interest of public tranquility is the governing principle. In accordance with this principle, it is under consideration in what way appeals should lie on this basis with the Home Secretariat

Opening of Private School.

It has been suggested from various quarters that the requirements of the Department would be met by intimation instead of permission. This will be fully considered by Government in connection with the general revision of the Rules shortly to be undertaken.

Temporary Ban on Entry of Outside Preachers of all Communities.

It is repeated that the orders are to be in force only "until the atmosphere clears." Government fully trusts that this satisfactory situation will come about in the near future.

निजाम सरकार का ८-८-३९ का वक्तव्य

धार्मिक सुधारों का स्पष्टीकरण

निज़ाम सरकार ने अपने १७-७-३९ के वक्तव्य में कुछ मामलों की बाबत अपनी आम स्थिति स्पष्ट की थी जिसके सम्बन्ध में भ्रम फैला हुआ था। इसके बाद १२ शहरवार १३४८ फरली (१९-७-३९) को असाधारण गजट निकला था जिसमें सुधार-योजना प्रकाशित हुई थी। इन वक्तव्यों के कुछ अंशों का कई जगहों से स्पष्टीकरण चाहा गया है इसलिए सर्व साधारण की सूचना के लिए स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाता है:—

सभाओं और संस्थाओं की स्थापना

सभाओं और सोसाइटियों के निर्माण के सम्बन्ध में वक्तव्य में कहा गया है, 'सुधार-योजना' का यह अंश कि इसकी व्यवस्था के लिए कोई कानून नहीं है समस्त सभाओं और सोसाइटियों पर लागू होता है चाहे वे धार्मिक हों वा अन्य प्रकार की हों तथा समस्त सम्प्रदायों पर भी लागू होता है।

धार्मिक मामलों के लिए परामर्श

वक्तव्य में धार्मिक मौलिक अधिकारों की पहले ही पुनर्घोषणा की जा चुकी है। धार्मिक परामर्श कमेटी का सम्बन्ध जैसा कि असाधारण गजट से जाना जा सकता है, उस रीति-नीति से होगा जिसके अनुसार कानून और व्यवस्था के हित में धार्मिक अधिकारों से सम्बन्धित कोई कायदा क़ानून बनाया तथा प्रचलित किया जायगा। रिफार्म कमेटी की सिफारिशों पर सरकार ने कोई सुनिश्चित आर्डर नहीं दिया है। परामर्श समिति की कार्यवाही गुप्त होनी चाहिए यह बात नियमों के लिए छोड़ दी गई है जो बनाए जायँगे।

'ऐसे खास मामले हो सकते हैं जिनको गुप्त रखने की जरूरत होगी साधारणतया सरकारी कार्यवाहियों में परामर्श समिति की सिफ़ारिशें भी सम्मिलित हुआ करेंगी। यह कमेटी उन तरीकों को बतलायगी जिनके द्वारा कानून और व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए, धार्मिक अधिकार सम्बन्धी किसी कानून और धार्मिक अधिकारों के उचित उपभोग में समय २ पर समन्वय होता रहे। यद्यपि कोई भी अधिकार कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है, तौ भी सरकार की नीति जैसा कि पिछले वक्तव्य में स्पष्ट किया जा चुका है, यह है कि सार्वजनिक शांति की रक्षा करते हुए अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाय और कायदे

NIZAM GOVERNMENT'S RESPONSE

The Government of H.E.H. the Nizam issued *communique* on 8th August, 1939. Clarifying our Religious Demands. It runs as follows :—

Communique

H.E.H. the Nizam's Government by *communique* dated 17th July 1930, stated its general position regarding certain matters which were the subject of prevalent misunderstandings. This was followed by the GAZETTE EXTRAORDINARY of the 12th Shahrewar 1348F. (19th July, 1939) conveying His Exalted Highness the Nizam's sanction to a Scheme of Reforms. Clarification of certain points contained in these announcements having been sought from more than one quarter, the following clarifications are published for general information :—

Formation of Associations or Organizations.

The statement in the Reforms Scheme that there is no law regulating this, applies to all Associations or Organizations, religious or otherwise, and to all creeds.

Advisory Committee on Religious Affairs.

Fundamental religious rights have already been reaffirmed in the *communique* ; the Advisory Committee's business will be, as may be seen from the Gazette Extraordinary, to deal with the manner in which any regulation of such rights in the interests of law and order is framed and administered. No specific orders have been passed by Government on the recommendations of the Reforms Committee that the proceedings of Advisory Committees should be confidential, the point having been left to the rules which will be framed While there might be particular matters which would require to be kept confidential, ordinarily the proceedings of Government would embody

also the recommendations of the Advisory Committee. The Committee provides a method by which any regulation of religious rights in the interests of law and order can from time to time be harmonised with the proper exercise of those rights. While no rights can ever be absolute, the Government's policy,as already made clear in the *communique*, is to grant the maximum amount of freedom compatible with public tranquillity and to suit the regulations to the greatest extent possible to the convenience of the public.

Public Meetings and Religious Meetings.

The rules for religious meetings, are more liberal in that, unlike public meetings, they do not require even intimation when religious meetings and ceremonies are held within a building, public or private. This definition includes any enclosed space attached to a building. Although no difficulties are known to have arisen in practice, the difficulty of finding such accommodation in villages is appreciated, and suitable rules will be framed to meet the need.

Periodical Religious Processions of any Community.

It is only on the first occasion that permission is required, and it is in the interests of all concerned that there should be a definite order laying down the route etc., which may be followed in future years. Executive instructions will be issued emphasising that the object of the rules is not to place restrictions on processions of any community merely because they are "new".

Places of Public Worship.

The existing rules had primarily in view permanent building mainly used for worship. It is recognised that the practice of communities differs. For example, Arya Samaj practice differs in their religious meetings (with havankund, ceremonies and congregational prayer) take place in private and rented buildings, to which no permanent sanctity attaches, and which at any time may cease to be used for weekly meetings. At the same time these buildings may in course of time take on the character of

आर्य्य समाज हांसी व हिसार व सिरसा के सत्याग्रही जो कि ता० ३० अप्रैल को राजस्थान केसरी जत्था में सम्मिलित होकर पुसद केन्द्र गए।

हैद्राबाद सत्याग्रह सहायक समिति अजमेर (राजस्थान व मालवा आ० प्र० सभा की आधीनता में स्थापित) का तीसरा जत्था जो ता० १ अप्रैल को श्री कस्तूर चन्द्र जी शाहपुरा वालों की अध्यक्षता में शोलापुर गया। इसमें शाहपुरा, गरोठ लाडनूँ आदि के सत्याग्रही वीर थे।

आर्य्य समाज इन्दौर व महू छावनी का जत्था जोकि अप्रैल में सत्याग्रह को गया

हैदराबाद सत्याग्रह सहायक समिति अजमेर (राजस्थान व मालवा आ० प्र० सभा की आधीनता में स्थापित) का दूसरा जत्था जो पं० मुरलीधर जी देवास निवासी की अध्यक्षता में ता० १२ मार्च सन् १९३९ को शोलापुर गया।

हैदराबाद सत्याग्रह के चौदहवें शहीद श्री स्वामी
कल्याणानन्द जी ग्राम किनौली, जिला
मुजफ्फरनगर (संयुक्तप्रान्त)

अमर शहीद मातूराम मिलखपुर हिसार

अवस्था ५० वर्ष

निमोनिया से मृत्यु मनमाडकैम्प

२८-७-३९ सायं ४ बजे

औरंगाबाद जेल से बीमार बेहोशी की अवस्था में
२६ व २७ जौलाई की रात्रि को स्टेशन
मनमांड छोड़े गए । फोटो में
ठा० कर्णसिंह जी छोंकर
सदस्य युद्ध समिति
के साथ

नारायण गढ़, शाहपुरा, मिलोर और नागौर आदि के सत्याग्रही वीर जो ता० ३० अप्रैल को राजस्थान केसरी जत्थे में सम्मिलित होकर पुसद केन्द्र गए। इसमें श्री फ़ैय्याज़ अली जी बीच में साफा व ब्रिजेस पहिने हुए हैं।

आर्य्यसमाज ग्वालियर सिटी का दूसरा जत्था जो कि श्री जानकी प्रसाद जी कोषाध्यक्ष आर्य्य समाज, व म्यूनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में १७ मार्च को गया।

सभा की राय में उपर्युक्त वर्णित खुलासे में निजाम द्वारा मांगों को; जिनकी पूर्ति के लिये सत्याग्रह छेड़ा गया था; पूरा करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया गया है। सभा ने निजाम के इरादे पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए और उन घोषणाओं की उदार व्याख्या के आधार पर, सत्या- ग्रह को जारी न रखने का आदेश देने की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है।

निजाम गवर्मेण्ट को चुनौती देने के विचार से या उसका विरोध करने के उद्देश्यसे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने के इरादे से आर्य सत्याग्रह शुरू नहीं किया गया था। आन्दोलन का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता को प्राप्त करना था।

२—मूल्यवान त्याग का सर्वोत्तम परिणाम हो, इसलिए सभा की राय मे आर्यों और इतर हिन्दुओं के लिये; विशेषकर जो लोग निजाम के राज्य में रहते हैं, अब और अधिक आवश्यक है कि वे आत्म संयम से काम लें और सच्ची धार्मिक भावना के साथ सत्य और अहिंसा का अधिक कठोरता से पालन करें।

३—सत्याग्रह युद्ध के समय भारत के समाचार पत्रों द्वारा स्वेच्छापूर्वक जो सहायता दी गई है, उसको 'सभा कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करती है। सभा को पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में धार्मिक स्वतन्त्रता के पक्ष को उनका मूल्यवान समर्थन सदा प्राप्त होगा।

सभा उन लोगों के प्रति भी अपना आभार प्रदर्शित करती है, जिन्होंने आन्दोलन की धन व अन्य प्रकार से सहायता की है। सभा भारत व विदेशों के सब आर्यों की ओर से उन शहीदों के प्रति अपनी सम्मान पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जिन्हों ने वैदिक धर्म के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए हैं।

सभी डिक्टेटरों और अन्य सत्याग्रहियों को, जिन्होंने कि वैदिक धर्म के खातिर सब प्रकार के कष्ट सहे और हैदराबाद की जेलों में कठोर जेल जीवन बिताया, बधाई देती हैं।

धर्म युद्ध को सफल बनाने के लिये आर्य समाजियों, हिन्दुओं, सिक्खों व अन्यों ने जो सहायता दी है, उसपर सभा अपना सन्तोष प्रगट करती है।

प्रतिनिधिगण लो० अणे के प्रति आन्दोलन को मूल्यवान नेतृत्व और पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं।

यहां जमा हुए आर्य प्रतिनिधि गण सत्याग्रह आन्दोलन को सफलता पूर्वक समाप्ति तक पहुंचाने के लिए श्री घनश्यामसिंह गुप्त और श्री देशबन्धु गुप्त द्वारा की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना करते हुए कृतज्ञता का प्रकाश करते हैं।

हैदराबाद आर्य्य सत्याग्रह

'बधाई दिवस' के अवसर पर आनरेबल घनश्यामसिंह गुप्त प्रधान सार्वदेशिक सभा का

सन्देश

ओ३म् संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते ॥

(ऋग्वेद)

बहनो तथा भाइयो !

हैदराबाद में धार्मिक और सांस्कृतिक मांगों के लिए जो सत्याग्रह हमने शुरू किया था वह परम-पिता परमात्मा की असीम कृपा और महर्षि के प्रताप से सफल हुआ। इस सफलता का कारण हमारे उद्देश्य की स्पष्टता, विशुद्ध धार्मिकता, हमारे बलिदान की पवित्रता और सत्य तथा अहिंसा के मार्ग का अवलम्बन ही है।

इस धर्म युद्ध में हमारे जो वीर बलि हुए हैं उन्हें आर्य्यसमाज कभी भी नहीं भूल सकता, उनके प्रति मैं समस्त आर्य्य जगत् की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ।

पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज तथा अन्य सर्वाधिकारी सज्जनों का नेतृत्व और हमारे हज़ारों वीर सत्याग्रहियों का त्याग आर्य्यसमाज के इतिहास में चिर-स्मरणीय रहेगा। सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा को सम्पूर्ण आर्य्य जगत् (हिन्दू, सिक्ख, जैन भाइयों) का जो सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।

भारतवर्ष के सब आर्य्यसमाजों ने इस समय जिस अनुशासन भावना का परिचय दिया है, वह विशेष उल्लेखनीय है। इन समस्त आर्य्यसमाजों को (अपनी २ प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा) शिरोमणि संस्था सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा के साथ अविचल भक्ति और प्रेम सूत्र में बांध सकेंगे।

बहिनों और भाइयो ! हमारे संगठन के इस प्रदर्शन से समस्त आर्य्य (हिन्दू) जगत् की जो आशाएँ हमारी ओर हो गई हैं उसे भी हम नहीं भूल सकते । उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की विशेष ज़िम्मेवारी आज हमारे सिर पर हो गई है । इसके योग्य हम तभी हो सकते हैं जब कि हमारा संगठन सुदृढ़ और सम्पूर्ण हो, एवं हम कलह, द्वेष, ईर्षा आदि दोषों से रहित होने का नित्य यत्न करते रहें ।

सत्याग्रह की सफलता पर बधाई देते हुए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपनी अटूट भक्ति (Loyalty) सार्वदेशिक सभा को आगे भी सदैव प्रदान करते रहें ताकि वह उत्तरोत्तर बलशाली बने ।

अन्त में मैं यह कहूँगा कि अन्य धर्मावलम्बियों के साथ हमारा व्यवहार प्रेम का ही होना चाहिए ।

इस बधाई का अवसर प्राप्त होने के लिए मैं परम-पिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ ।

ओ३म् शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

भवदीय—

घनश्यामसिंह गुप्त

प्रधान

हैदराबाद में रचनात्मक कार्य्य का

भावी प्रोग्राम

आनरेबल घनश्यामसिंह गुप्त स्पीकर सी० पी० असेम्बली प्रधान सार्वदेशिक सभा की अपील

श्रीमान् मन्त्री जी, सप्रेम नमस्ते !

परमपिता परमात्मा की असीम कृपा तथा आर्य्य जनता के अनथक उद्योग और परिश्रम और अनुपम त्याग और दानशीलता से हैदराबाद सत्याग्रह आन्दोलन को जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है उसके लिए मैं समस्त आर्य्य समाजों और आर्य्य भाइयों को हृदय से बधाई देता हूँ।

सत्याग्रह आन्दोलन की समाप्ति के साथ हैदराबाद में हमारा कर्त्तव्य समाप्त नहीं हो जाता है बल्कि वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारी इस सफलता ने हैदराबाद में रचनात्मक कार्य्य को बढ़ाने का हमें अवसर प्रदान किया है। यदि हम इस अवसर से पूरा २ लाभ नहीं उठाते हैं तो हमारा सब कुछ किया कराया व्यर्थ जायगा।

इसके अतिरिक्त हमारे आन्दोलन से हैदराबाद से बाहर दक्षिण प्रदेश में आर्य्यसमाज के सम्बन्ध में जनता में जो जागृति और प्रेम उत्पन्न हुआ है आर्यसमाज के प्रचार में उससे भी लाभ उठाना है इन सब बातों को दृष्टि में रख कर सभा ने निश्चय किया है कि रचनात्मक कार्य्य का त्रैवार्षिक प्रोग्राम बनाकर तत्काल कार्य्य प्रारम्भ कर दिया जाय। सम्प्रति जो प्रोग्राम संक्षेपरूप में निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार है:—

(१) हैदराबाद में जो आर्य्य सत्याग्रही वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका किसी उपयुक्त स्थान पर और किसी न किसी रूप में आर्य्य समाजों में अच्छा स्मारक बनाया जाय। इन धर्मवीरों के परिवारों को यथावश्यकता धन की सहायता दी जाय।

(२) हैदराबाद शहर में एक हाई स्कूल खोला जाय और यथा संभव अन्य स्थानों पर भी छोटे बड़े स्कूलों की स्थापना की जाय।

(३) हैदराबाद राज्य के अन्तर्गत ग्रामों तथा नगरों में वैदिक धर्म प्रचार को तेजी से बढ़ाने के लिये उच्चकोटि के कुछ उपदेशक चुन कर भेजे जायँ, तथा मराठी, कनाड़ी और तिलगू भाषा भाषी हैदराबाद निवासी कुछ प्रचारक शीघ्र तैयार किये जायँ, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यकता पड़े तो शोलापुर में एक प्रचारक विद्यालय खोला जाय।

(४) हैदराबाद राज्य में अधिकतर आर्य्य समाजों के पास अपने निजी मकान नहीं हैं। बहुधा किराये के मकानों में कार्य्य हो रहा है। सभा चाहती है कि ग्रामों के विशेष केन्द्रों में सभा की ओर से ५००) तथा कस्बों में १०००) की लागत के आर्य्य समाज मन्दिर बनाये जायँ। जो सज्जन एक मन्दिर का पूरा व्यय दान देंगे उनके नाम का पत्थर मन्दिरों पर लगाया जायगा।

(५) हैदराबाद की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए—

(१) वहाँ की भाषाओं में आर्य्य साहित्य तय्यार कराया जायगा।

(२) सभा के प्रकाशन विभाग को सुदृढ़ और उन्नत किया जायगा। सम्प्रति इस विभाग की ओर से:—

(क) आर्य सत्याग्रह आन्दोलन का सर्वाङ्गपूर्ण वृहत् इतिहास तैयार किया जायगा।

(ख) आर्य्य सत्याग्रह के शहीदों, सर्वाधिकारियों तथा अन्य मुख्य सत्याग्रहियों की जीवनियाँ पुस्तक रूप में प्रकाशित की जायँगी।

(ग) सत्याग्रह सम्बन्धी अन्य रोमांचकारी घटनाएँ लेख बद्ध कराके छपवाई जायँगी। यह कार्य श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० तथा श्री ला० रामप्रसाद जी बी० ए० के सुपुर्द किया गया है।

(६) इन सब कार्य्यों के लिये 'हैदराबाद निधि' स्थापित की गई है और उसमें २॥ लाख रुपया शीघ्र से शीघ्र जमा करा देने का निर्णय किया गया है।

आशा है आर्य्य जनता इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सभा को उसी उत्साह से सहायता देगी, जिस उत्साह से उसने सत्याग्रह आन्दोलन को सफल बनाने में सहायता दी है। इसके लिए धन-संग्रहका कार्य्य पूर्ववत् जारी रहना चाहिए और मासिक चन्दे की प्रतिज्ञाओं को कम से कम और ६ मास जारी रखना चाहिए। जिन समाजों में सत्याग्रह निधि का धन पड़ा है उन्हें वह शीघ्र इस सभा में भेज देना चाहिए। हम जानते हैं कि आर्य्य (हिन्दू) जनता ने इस आन्दोलन में आशा से अधिक धन का त्याग किया है, फिर भी धर्म्मप्रचार की जो भूमि धर्म्म वीरों के रक्त और वीर सत्याग्रहियों के अपूर्व त्याग और कष्ट सहिष्णुता से तय्यार हुई है, उसे धन के अभाव में निकम्मी छोड़ देना किसी भी आर्य्य को वांछनीय नहीं हो सकता। अतः धन की सहायता जुटाने तथा हर प्रकार से इस योजना को सफल बनाने में उत्साह से एक दम जुट जाना चाहिये। यही मेरी आर्य्य भाइयों से विनीत प्रार्थना है।

भवदीय —

घनश्यामसिंह गुप्त

प्रधान

मदह-सहाबा व तबर्रा

[ले०—प्रो० महेशप्रसाद मौलवी फ़ाज़िल, हिन्दू-यूनिवर्सिटी बनारस]

मदह-सहाबा' शब्द दो शब्दों से बना है। 'मदह' का अर्थ है 'प्रशंसा' और 'सहाबा' शब्द 'साहब' का बहुवचन है। इसके सिवा साहब के बहुवचन 'सहब' 'असहाब' 'सुहब' 'सिहाब' भी है। साहिब शब्द का अर्थ है—मित्र, मालिक और इसी का पर्याय-वाचक शब्द 'सहाबी' है।

'सुन्नतवल जमाअत' समुदायवाले लोग प्रायः 'सुन्नी' कहे जाते हैं। यही लोग मदह-सहाबा के पक्षपाती हैं। इनके विचार से सहाबा उन मुसलमानों को कहा जाता है जिन्होंने खुदा के रसूल (ईश्वरीय दूत) हज़रत मुहम्मद साहब की संगत से लाभ उठाया है। किन्तु शिया मुसलमानों के नज़दीक सहाबा का अभिप्राय उन मुसलमानों से है जो भीतरी व बाहरी दोनों दृष्टि से ठीक हों क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई सहाबी हो किन्तु उसके आचार विचार पूर्णतया अच्छे न हों। ऐसी अवस्था में शियों की दृष्टि में सहाबी तीन प्रकार के ठहरते हैं—

(१) वह लोग जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो और जिनके कार्य भी अच्छे रहे हों।

(२) वह लोग जिनका नाम सहाबा की सूची में मिलता है किन्तु उनके आचार विचार का कुछ पता नहीं लगता है। उनकी न तो प्रशंसा की जा सकती है और न उनके विरुद्ध ही कुछ कहा जा सकता है।

(३) ऐसे लोग जिनका विश्वास भी डिलमिला रहा हो और जिनके दैनिक कार्यक्रम पूर्णतया ठीक न रहे हों। ऐसे लोग शाप व फटकार के पात्र हैं।

निदान शियों की दृष्टि में केवल सहाबी होने के कारण कोई व्यक्ति प्रशंसा का पात्र नहीं बल्कि अपने विश्वास और अपने शुभ कार्यों से प्रशंसा का भागी हो सकता है।

सहाबा तो बहुत से हैं किन्तु मदह-साहबा की बात वस्तुतः हज़रत अबूबकर साहब ह० उमर साहब, ह० उस्मान साहब तथा ह० अली साहब से सम्बन्ध रखनेवाली है। यह चारों सहाबा चार खलीफ़ा हैं। इनमें से ह० अली साहब को तो शिया सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। उनका कहना है कि ह० अली साहब ही हज़रत मुहम्मद साहब के बाद खलीफा होने के अधिकारी थे। उक्त तीनों खलीफ़ों ने हज़रत अली साहब के अधिकार को ले लिया था। वह लोग खलीफा होने के अधिकारी न थे। अतः वास्तविक झगड़ा उक्त तीनों की प्रशंसा से सम्बन्धित है।

शिया लोगों का कहना है कि उक्त तीनों खलीफाओं तथा उनकी पार्टी के अनेक लोगों से हज़रत अली और उनके सारे कुटुम्ब को बड़ा कष्ट पहुँचा है । ऐसी अवस्था में वह लोग उन खलीफाओं की प्रशंसा क्योंकर सुन सकते हैं । उनका कहना है कि राम के भक्त राम के विरोधी की प्रशंसा नहीं सुन सकते हैं अथवा यह कि ईसाई लोग उन यहूदियों की प्रशंसा नहीं करेंगे जिन्होंने कि हज़रत ईसा को फाँसी पर लटकाया था । ऐसी अवस्था में शिया लोग क्योंकर मदह-सहाबा को सहन करें ।

दूसरी बात जो शिया लोग कहते हैं वह यह है कि मदह-सहाबा की प्रथा बिल्कुल एक नई चीज़ है । इस बात का दस्तूर अफगानिस्तान, तुर्की, अरब, मैसोपोटामिया और मिश्र आदि में कहीं नहीं है और न भारत में ही पहले कभी इस बात का चलन था । बात यह कही जाती है कि हज़रत अली और उनके कुटुम्बी उनसे पीड़ित हुए थे । अतः जब कि अन्यायियों की चर्चा होती है तो उससे तीन ख़लीफाओं के आचार-विचार की चर्चा छिड़ती है इसी कारण उस प्रभाव को दूर करने के लिये सुन्नियों ने मदह-सहाबा को आवश्यक समझा है ।

फारसी कविशिरोमणि मौलाना रूम का एक शेर है—

चूँ सहाबा हुब्बे दुनिया दाश्तन्द ।
मुस्तफ़ा रा बे कफ़न बगुज़ाश्तन्द ॥

तात्पर्य यह है कि सहाबा को सांसारिक वस्तु से अधिक प्रेम था इसी कारण उन्होंने हज़रत मुहम्मद साहब को उनके मरने पर बिना कफ़न छोड़ा । शिया लोगों का कहना है कि आँहज़रत की मृत्यु के पश्चात हज़रत अली साहब शोक में थे उन्होंने कफ़न देने तथा गाड़ने की चिन्ता की । अन्य लोगों को पहले यह चिन्ता हो गई थी कि कौन खलीफा होगा । निदान हज़रत अली जो कि ह० मुहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद भी थे खलीफ़ा नहीं बनाये गये थे, बल्कि हज़रत अबूबकर साहब नियुक्त किये गये थे ।

तबर्रा

तबर्रा अरबी भाषा का शब्द है । अर्थ है—रुष्ट होना, घृणा करना । यह शब्द 'बरी' धातु से निकला है । इसी से 'बराअतः' शब्द है । कुरान शरीफ़ में सूरत तौबा का नाम 'बराअत' भी है । यह शब्द सूरत के आरम्भ में है । कुरान शरीफ़ की समस्त सूरतों के आरम्भ में 'बिस्मिल्ला हिर्रहिमानिर्रहीम' है किंतु केवल उक्त सूरत के आरम्भ में नहीं है।

तबर्रा को अनेक लोग गाली या बुरी बात समझते हैं किंतु शिया लेखकों का कहना है कि यदि तबर्रा बुरी बात होती तो कुरान शरीफ़ में इसकी चर्चा इस प्रकार क्यों होती—

(१) निस्सन्देह अल्लाह मुशरिकों* से रुष्ट है और उसका रसूल (ईश्वरीय दूत) भी। (सूरत तौबा की दूसरी आयत)

(२) जब हज़रत इब्राहीम† साहब को यह पता चला कि उनके चचा वास्तव में उनके शत्रु हैं तो उन्होंने रोष प्रकट किया। (सूरत तौबा की आयत ११४)

(३) जब कि अग्रसर लोग अपने अनुगामियों से रुष्ट हो जायेंगे और आपत्ति को देखेंगे उनके परस्पर के समस्त सम्बन्ध टूट जायेंगे और अनुकरण करने वाले लोग कहेंगे कि क्या ही अच्छा होता यदि हमको संसार में लौट कर जाना होता तो जिस प्रकार हमारे अग्रसर लोग हम से रुष्ट हुए हैं उसी प्रकार हम भी उनसे रुष्ट हो जायेंगे। (सूरा बक़र की आयत १६७)

तबर्रा में शिया लोगों की ओर से लानत अर्थात् फटकार कोसना व शाप की चर्चा होती है। शियों का कहना है कि जो इसका पात्र हो उस पर लानत करना बुरा नहीं क्योंकि कुरान शरीफ़ में भी इसका उल्लेख अनेक स्थानों में है—

(१) जो कि काफ़िर हुए और काफ़िर की दशा में ही मर भी गये; उन पर अल्लाह की, उसके फ़रिश्तों की और सब लोगों की लानत है। (सूरा बक़र की आयत १६२)

(२) अल्लाह की लानत झूठों के ऊपर। (सूरा आल इमरान की आयत ५९)

निदान अब और कुछ न लिखते हुए यह कह देना है कि शिया लोगों का कहना है कि तबर्रा की प्रथा उनके यहां बहुत पहले से चली आती है। इस सम्बन्ध में किसी को कुछ और जानने की आवश्यकता हो तो उसे कम से कम निम्नलिखित ट्रैक्टों‡ को पढ़ना चाहिये—

(१) मदह और तबर्रा की इल्मी बहस (उर्दू) लेखक मौलाना नवाब साजिद हुसैनखाँ साहब।

(२) तबर्रा और मदह-सहाबा (उर्दू) लेखक मौलाना ज़फर लखनवी।

(३) तहज़ीबुल कलाम (उर्दू) लेखक मौलाना सैयद अलताफ़ अलीशाह साहब।

(४) तजवीज़ मुक़द्दमा इस्तक़रार तबर्रा—(उर्दू)।

(५) मदह सहाबा और तबर्रा को समझो और उसका फैसला करो। (हिन्दी) लेखक मौलाना मुहम्मद अतहर साहब।

(६) मदह-सहाबा ऐण्ड तबर्रा (अँगरेज़ी)।

---

* ऐसे व्यक्ति को मुशरिक कहते हैं जो खुदा के सिवा किसी अन्य की भी उपासना करता है।

† यह बड़े भारी ईश्वरीय दूत हो चुके हैं।

‡ यह सब ट्रैक्ट लखनऊ के 'सरफ़राज़ कौमी प्रैस' अथवा 'इमामियां मिशन' विक्टोरियास्ट्रीट से मिल सकते हैं। उक्त ट्रैक्टों से मुझे बहुत-सी बातों का पता चला है—लेखक

यज्ञ सफल हुआ

जिस यज्ञ को आर्यसमाज ने २६, २७ दिसम्बर १९३८ में आर्यन कॉंग्रेस शोलापुर के अधिवेशन में प्रारम्भ किया था, उसकी पूर्ति ८ अगस्त १९३९ नागपुर के अधिवेशन में हुई। इस अधिवेशन में निजाम सरकार की ओर से भेजा हुआ वक्तव्य पढ़ा गया और आर्यसमाज के प्रसिद्ध नेता जो वहाँ एकत्र हुए थे उन्होंने एक स्वर से यह निश्चय किया कि यतः आर्यसमाज की माँगें हैदराबाद सरकार ने स्वीकार कर ली हैं अतः आर्यसमाज का यज्ञ सफल हुआ है और उस सफलता के उपलक्ष में जिन जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं ने इस यज्ञ को सफल बनाने में सहायता दी थी उन सभी को धन्यवाद दिया गया।

नागपुर के इस अधिवेशन के पश्चात् भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रसिद्ध पत्रकारों ने अपने अपने 'पत्रों' में मुख्य लेख लिखकर आर्यसमाज के तप, त्याग और बलिदान की भूरि भूरि प्रशंसा की है। सार्वदेशिक सभा ने ३ सितम्बर १९३९ को अखिल भारतीय 'बधाई दिवस' नियत करके यह घोषणा की थी कि इस दिवस को सर्वत्र बड़ी शान तथा गम्भीरता से मनाया जाय। यह दिवस अब मनाया जा चुका है और चहुँ ओर से जो समाचार प्राप्त हुए हैं उनसे यही विदित होता है कि आर्यसमाज ने अपने यज्ञ की सफलता पर गम्भीरता पूर्वक प्रसन्नता प्रगट की है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आर्यसमाज को आत्मबोध प्राप्त हुआ है। आर्यसमाज ने अपने स्वत्व को पहिचान लिया है। हैदराबाद में जिन धार्मिक अधिकारों के लिए इसने 'धर्मयुद्ध' लड़ा उन अधिकारों को निजाम सरकार ने स्वीकार कर लिया।

परन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या उन अधिकारों की स्वीकृति पर जिनके लिए हमें हजारों आर्य वीरों को जेल में भेजना पड़ा तथा लगभग २२ आर्य्य वीरों को अपना 'बलिदान' देना पड़ा, हमारे ध्येय की इति श्री हो जाती है ? नहीं ! कदापि नहीं !! इसमें सन्देह नहीं कि निज़ाम सरकार ने हमारे धार्मिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया है, परन्तु उन अधिकारों की स्वीकृति पर हमारे काम का खात्मा नहीं होता। हमें उन अधिकारों को हैदराबाद में वर्तना है, उनपर आचरण करना है। उन पर आचरण करने के पश्चात् ही हमारे ध्येय की पूर्ति का प्रश्न आ सकता है।

इस बात को दृष्टि में रखते हुए सार्वदेशिक-सभा के प्रधान माननीय श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त ने हैदराबाद में रचनात्मक कार्य का भावी प्रोग्राम निश्चित करके सभी आर्यसमाजों में एक अपील भेजी है। यह अपील अन्यत्र इसी अङ्क में दी जा रही है। पाठक वृन्द इस अपील को ध्यान पूर्वक पढ़ें। श्री प्रधान जी उस अपील में यह लिखते हैं कि:—

"सत्याग्रह आन्दोलन की समाप्ति के साथ हैदराबाद में हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता है बल्कि वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारी इस सफलता ने हैदराबाद में रचनात्मक कार्य को बढ़ाने का हमें अवसर प्रदान किया है। यदि हम इस अवसर से पूरा पूरा लाभ नहीं उठाते हैं तो हमारा सब कुछ किया कराया व्यर्थ जायगा।"

हम श्री प्रधान जी के इन उपरोक्त विचारों से सहमत हैं और आर्य जगत से निवेदन करते हैं कि वह प्रधान जी की अपील का शीघ्रातिशीघ्र सन्तोष जनक उत्तर दें। हैदराबाद में इस समय एक करोड़ बाईस लाख हिन्दू जनता बसती है इस हिन्दू जनता को जिस गुलामी में रक्खा जाता रहा है उससे अब संसार पूरी तरह पर परिचित हो चुका है। आर्यसमाज ने न केवल अपने अधिकारों को प्राप्त किया है अपितु हैदराबाद के हिन्दुओं के गले से गुलामी का तौक उतार दिया है। वहां की जनता अब यह महसूस करने लगी है कि आर्यसमाज की हस्ती से उसे कितना भारी लाभ हुआ है। इस हिन्दू जनता की संरक्षता का काम अब आर्यसमाज अपने हाथों ले चुका है। उसे छोड़ नहीं सकता। यद्यपि यह कर्तव्य भारी है परन्तु इसे निभाना लाजमी है क्योंकि आर्यसमाज ने यह कर्तव्य जान बूझ कर अपने सिर पर लिया है।

प्रधान जी की अपील में जो रचनात्मक कार्य का विवरण दिया गया है उस में प्रधान स्थान शिक्षा और प्रचार को दिया गया है। हिन्दू जनता की शिक्षा के लिए प्रधान जी यह कहते हैं कि हैदराबाद नगर में एक हाई स्कूल खोला जाय और यथा सम्भव रियासत के अन्य स्थानों में भी छोटे बड़े स्कूलों की स्थापना की जाय। हम अपने पाठकों को यह हर्ष समाचार सुनाते हैं कि प्रधान जी की अपील का यह अंश लगभग पूर्ण हो चुका है। हैदराबाद आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री पं० विनायक राव जी विद्यालङ्कार बैरिस्टर ने खास हैदराबाद में अपनी ३० हज़ार रुपये की कीमत की भूमि स्कूल के लिए प्रदान की है और यह भी संकल्प किया है कि यदि सार्वदेशिक सभा उनको २५ हज़ार रुपया नक़द दे देवे तो २५ हज़ार वह हैदराबाद की जनता से इकट्ठा करके इस स्कूल की स्थापना कर देंगे। और उन्हें इस बात की पूर्ण आशा है कि एक वर्ष के भीतर भीतर इस स्कूल में लगभग एक हज़ार विद्यार्थी भरती हो जावेंगे।

प्रधान जी की अपील का दूसरा अंश यह है कि हैदराबाद राज्य के अन्तर्गत ग्रामों तथा नगरों में वैदिक धर्म प्रचार को तेजी से बढ़ाया जाय। इस कार्य्य के लिए हम उच्च कोटि के विद्वान उपदेशक चुनकर वहां भेजने होंगे। उपदेशक भी वह जो वास्तव में उपदेशक हों। जिनमें धैर्य्य, सहनशीलता, मृदु भाषण तथा उदार भावों की न्यूनता न हो। आर्य्यसमाज ने अब यह अनुभव कर लिया है कि इन गुणों को रखने वाले उपदेशक आर्य्य समाज के प्रचार कार्य्य में स्फूर्ति पैदा कर सकते हैं। अतः ऐसे ही उपदेशकों को भेजने में आर्य समाज का हित और कल्याण है।

इसके अतिरिक्त सार्वदेशिक सभा ने इस बात को भी महसूस किया है कि हैदराबाद की हिन्दू जनता में आर्य धर्म का प्रचार मराठी, कनाड़ी और तिलगू भाषाओं में करने से ही हिन्दू जनता को आर्य्य समाज के क्षेत्र में लाया जा सकता है। अतः इन तीनों भाषाओं का उपयुक्त साहित्य तैयार करने का कार्य भी शीघ्र से शीघ्र सम्पादित होना चाहिए।

प्रधान जी की अपील में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि हैदराबाद राज्य में आर्य्यसमाजों को अपने निजी धर्म मन्दिर बनवा देने के लिए हमें भारी सहायता करनी चाहिए। इस निमित्त उन्होंने यह अन्दाज़ा लगाया है कि छोटे छोटे ग्रामों में ५००), ५००) का मन्दिर तथा बड़े स्थानों में १०००), १०००) के

मन्दिर बनवा दिये जावें। जो दानी महोदय सार्वदेशिक सभा की इस अंश में सहायता करना चाहें वे अपने व्यय पर इन मन्दिरों के निर्माण का वचन देने की कृपा करें। यह सभा इन मन्दिरों पर दानी महाशयों के नाम का पत्थर लगवा देगी।

इस प्रकार यदि रचनात्मक कार्य ३ वर्ष तक लगातार होता रहेगा तो आर्य समाज के यज्ञ की सफलता होगी। हमें पूर्ण आशा है कि आर्य जनता हैदराबाद में रचनात्मक प्रोग्राम को सफल बनाने में इस सभा को उत्साह से सहायता देगी। इसके लिए धन संग्रह का कार्य पूर्ववत् जारी रहना चाहिए और मासिक चन्दों की जो प्रतिज्ञाएँ आर्य्य भाइयों ने की हुई हैं, उन्हें अभी कुछ समय के लिए स्थगित नहीं करनी चाहिए।

धन्यवाद

आर्य सत्याग्रह आन्दोलन के भविष्य पर विचार करने के लिए ८ अगस्त को नागपुर में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी की जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी जिसमें विभिन्न प्रान्तों के विशिष्ट आर्य नेताओं को भी सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित किया गया था। इसके आयोजन के सम्बन्ध में हमें यह लिखते हुए बहुत हर्ष होता है कि नागपुर में आर्य नेताओं के निवास, भोजन तथा अन्य सुविधाओं का उत्तम प्रबन्ध था। इस विषय में हम नागपुर के रायसाहिब ला० जयनारायण जी ठेकेदार को हार्दिक धन्यवाद देते हैं जो आर्य नेताओं के मेज़बान थे। साथ ही श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा सी० पी० व बरार व उसके मन्त्री श्रीयुत श्रीकृष्ण जी गुप्त, सर्वश्री आर. सी. मसानिया, आर्यसमाज सदर बाजार के प्रधान विलायतीराम जी कौशल, पं० विद्यानन्द जी बी. ए., पं० धर्मवीर जी वेदालङ्कार, तथा डी. ए. वी. हाई स्कूल के हैडमास्टर और छात्र स्वयंसेवक भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने बैठक के सुप्रबन्ध में अपना योग दिया।

—*—

अक्टोबर १९३९ Reg. No L. 2121

ऋग्वेद ओ३म् यजुर्वेद

सार्वदेशिक

सम्पादक— प्रो० सुधाकर, एम०ए०,

स० सम्पादक— श्री रघुनाथप्रसाद पाठक

वार्षिक मू० स्वदेश २), एक प्रतिका ≡) विदेश से ५ शि० वार्षिक

अथर्ववेद सामवेद

॥ ओ३म् ॥

सार्वदेशिक

* सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र *

वर्ष १३ | आश्विन १९९६ | अक्टूबर १९३९ ई०] [दयानन्दाब्द ११४ | अङ्क ८

* वेद की शिक्षाएँ *

मा वः स्तेन ईशत माघशंसः । यजु० १—१

चुप से धन लूटने वाला और पाप फैलाने वाला तुझ पर हुकूमत न करे ।

May thou not be lorded over by those who rob other peoples' riches and propagate wickedness !

यदन्तरं तद् बाह्यं यद् बाह्यं तदन्तरम् । अथर्व० २—३०—४

जो तेरे अन्दर हो वही बाहर हो और जो बाहर हो वही अन्दर हो ।

Let thy Inner self not contradict your Outer self. Let thy heart correspond to thy actions.

कर्म की गति

[ले०—बाबू पूर्णचन्द्र जी एडवोकेट, आगरा]

कर्म की गति का विषय बहुत गहन है इसको समझने के लिये निम्न लिखित नियम ध्यान में रखने योग्य हैं—

१—जिस प्रकार के नियम इस स्थूल जड़ जगत् में काम कर रहें हैं वैसेही निश्चित सिद्धान्त सूक्ष्म जगत् में काम कर रहे हैं।

२—यह सिद्धान्त अटल हैं इनकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता।

३—कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा उससे बचने का कोई उपाय नहीं है।

४—कर्म और फल को समझलेने से ईश्वर जीव और प्रकृति का परस्पर का सम्बन्ध समझ में आ जाता है।

५—कर्म और उसके फल में कारण और कार्य का सम्बन्ध है परन्तु कभी-कभी यह सम्बन्ध अदृष्ट और अप्रत्यक्ष रहता है इससे भ्रम हो जाता है और वहम की दुनियां उत्पन्न होती है।

६—हमारे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और दूसरों का हमारे ऊपर।

७—इस प्रभाव को देखकर यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि कर्म करे कोई और फल किसी को मिले।

८—दूसरों के कर्मों का प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है इसका अर्थ यह है कि हम अपने ही कर्मों का फल दूसरों के कर्मों के प्रभाव के द्वारा भोग रहे हैं।

९—मनुष्य को ईश्वरीय कर्म-व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है हम किसी दुःखी मनुष्य को दुःखी देख कर उसको अधिक दुःखी बनाने की चेष्टा नहीं कर सकते यह कह कर कि हम ईश्वर की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं।

१०—यह मानते हुए भी कि हर एक आदमी सुखी और दुःखी अपने कर्मों के आधार पर ही है फिर भी मनुष्य का कर्तव्य एक दूसरे की सहायता करना और परोपकार करना है।

११—जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है और यदि जीव को स्वतन्त्र कर्त्ता न माना जायेगा तो संसार की व्यवस्था ठीक और न्यायानुकूल न सिद्ध होगी।

१२—जीव के स्वतन्त्रकर्त्ता होने में सन्देह कर्म करने के सम्बन्ध में नहीं होता बल्कि फल भोगने के सम्बन्ध में होता है।

१३—जब जीव के किसी कर्म का फल उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं मिलता, तो जीव सम्बन्धी परतन्त्रता के विचार उत्पन्न हो जाते हैं।

१४—जीव की यह परतन्त्रता भी बाह्य कारणों से नहीं बल्कि उसके पूर्व कर्मों के अनुसार है चाहे वह कर्म इस जन्म के हों या पूर्व-जन्म के।

१५—कर्म की गति के प्रश्न के साथ जीव के पूर्वजन्म और पुनर्जन्म का प्रश्न घनिष्ट-रूप से सम्बन्धित है।

१६—मनुष्यों के कर्म स्वयं फल नहीं दे सकते, किसी फल प्रदाता के मानने की आवश्यकता है।

१७—यह फल प्रदाता वह शक्ति हो सकती है जो स्वयं जन्म-मरण के चक्कर से रहित हो और परमानन्द जिसका स्वभाविक गुण हो।

१८—कर्मों का जो फल प्राप्त होने की विधि है उसका आधार दण्ड-विधान अवश्य है परन्तु यह दण्ड विधान सुधार की दृष्टि से है दुःख पहुँचाने के लिये नहीं।

१९—कर्म और फल की व्यवस्था को समझ लेने से मनुष्य और अन्य प्राणियों का प्रेम का सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। इसी आधार पर मनुष्य, सर्व प्राणियों में अपनी सी आत्मा निवास करती हुई समझ सकता है।

२०—मनुष्य और अन्य प्राणियों में कर्म व्यवस्था का सम्बन्ध है उनके शरीर निर्माण की व्यवस्था देखकर और उस व्यवस्था में समानता देखकर विकास का परिणाम नहीं निकाला जा सकता।

२१—जैसे विकासवादी प्रतिकूल परिस्थिति समझते हैं वह प्रतिकूल परिस्थिति दुःख का ही नाम है जो कर्मों के फल स्वरूप ही प्राप्त होता है और जब उसको भोग लेता है तो उस दुःख का अन्त हो जाता है और उसको फिर ऐसी परिस्थिति से शरीर मिलता है जहां उसको उस प्रकार का दुःख नहीं होता।

२२—केवल शरीर निर्माण की व्यवस्था देखकर विकासवाद नामक भ्रम मूलक सिद्धांत प्रचलित हुआ है।

२३—यदि जीव और शरीर के सम्बन्ध को समझ लिया जावे तो जिस आधार पर विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है उसी आधार पर पुनर्जन्म का सिद्धांत

प्रतिपादित हो सकता है। केवल यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि शरीर जीवों के निवास के लिए है।

२४—यह दृश्य जगत जीवों के कर्म करने के लिये क्षेत्र है, और इसी दृश्य जगत में कर्म करते हुए जीव उपवर्ग की प्राप्ति कर सकता है।

२५—यह सृष्टि क्यों रची गई? इस प्रश्न का उत्तर केवल कर्म की गति समझलेने से ही दिया जा सकता है।

२६—यह कर्म और फलों की व्यवस्था अनादि है, व्यक्तिगत दृष्टि से जीव केवल एक सीमित अवधि के लिये मोक्ष की दशा में इसके चक्कर से बच सकता है।

२७—सामूहिक रूप से प्राणीमात्र के कर्मों की व्यवस्था प्रलय की दशा में स्थगित रहती है।

२८—इस पृथ्वी का आधार जिस "शेष" पर समझा जाता है वह जीवों के बचे हुए कर्मों का नाम है जिनका फल अभी जीवों को प्राप्त नहीं हुआ है।

२९—इस सृष्टि का व्यक्ति रूप में आने का अभिप्राय व्यक्तियों को भोग और उपवर्ग प्राप्ति का अवसर देना है।

३०—साधारणतया व्यक्तिगत रूप से ही कर्मों के फल प्राप्त होते हैं परन्तु कभी २ इकट्ठे अनेकों व्यक्तियों के कर्मों के फल एक साथ प्राप्त होते हैं जैसे प्लेग या महामारी के समय में। ऐसे समय में कोई भ्रम नहीं होना चाहिये।

३१—जैसे व्यक्तियों के कर्म होते हैं वैसे ही राष्ट्र और जातियों के भी कर्म होते हैं जिनका फल उन जातियों और राष्ट्रों को भोगना पड़ता है।

३२—मनुष्य की और अन्य प्राणियों की जाति, आयु और भोग पूर्व कर्मों के अनुसार ही निश्चित होते हैं।

३३—जाति, आयु और भोग से अभिप्राय यह है कि जीव कहां रहे, कितने दिन रहे, और किस अवस्था में रहे?

३४—कर्म की गति को समझलेने से मृत्यु का स्वरूप समझ में आजाता है और उसकी भयानकता जाती रहती है, मृत्यु, जाति, आयु और भोग की एक अवस्था के अन्त का नाम है।

३५—मृत्यु का स्वरूप समझलेने से मनुष्य के अन्दर वीरता आती है और शान्ति प्राप्त होती है।

३६–पुरुषार्थ और प्रारब्ध कोई भिन्न २ नियम नहीं है। ये जीव के स्वाभाविक गुणों के आधार पर हैं और इनमें कारण और कार्य का सम्बन्ध है।

३७–जीव के स्वाभाविक इच्छा, द्वेष और प्रयत्न से अर्थात् कर्म से, पुरुषार्थ का सम्बन्ध है।

३८–जीव के स्वभाविक गुण सुख और दुःख से प्रारब्ध या तक़दीर का संबन्ध है।

३९–जीव के एक रूप के तीन ही स्वभाविक गुण हैं अर्थात् ज्ञान, कर्म और भोग, इनमें से ज्ञान और कर्म से पुरुषार्थ और तक़दीर का सम्बन्ध है और भोग से प्रारब्ध या तकदीर का।

४०–प्रारब्ध के विचार के साथ दो विचार मिले हुए हैं एक जीव की लाचारी और बेबसी का और दूसरे कारण अदृष्ट होने का। इन दोनों के कारण तक़दीर के सम्बन्ध में सन्देह नहीं होना चाहिए। इन दोनों का कारण भी जीव के अपने ही कर्म हैं।

४१ तक़दीर के विचार के साथ आलस्य और प्रमाद का कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि यदि हम तक़दीर के वास्तविक स्वरूप को समझ लें तो हमारे अन्दर सन्तोष उत्पन्न होगा और अधिक कर्म करने के लिए उत्साह होगा।

४२ तकदीर के विचार के साथ अभिमान का कोई सम्बन्ध नहीं। मनुष्य कितना ही पुरुषार्थी क्यों न हो उसको ईश्वर की सत्ता पर विश्वास रखना चाहिए।

४३ मनुष्य के पुरुषार्थ में जो कुछ बाधा है या परतन्त्रता है वह उसके ही कर्मों के आधार पर है।

४४ कर्म की गति समझ लेने से संसार में प्रचलित विषमता अर्थात् अवस्था भेद समझ में आजाता है, जैसे गरीबी, अमीरी, छोटापन, बड़प्पन।

४५ कर्म की गति समझ लेने से परिणाम यह होगा कि हम प्रचलित विषमता या भेदों के मिटाने की चेष्टा न करेंगे बल्कि भेद भाव मिटाने की चेष्टा करेंगे।

४६ केवल मनुष्य योनि, कर्म योनि और भोग योनि है। शेष सब योनियां भोग योनियाँ हैं।

४७ भोग योनि होने का अभिप्राय यह नहीं कि वह कर्म योनि नहीं है इसका अभिप्राय यह है कि उन योनियों में जीव से कर्त्तव्य कर्म करने की आशा नहीं हो सकती।

४८ कर्म और कर्त्तव्य कर्म के भेद को समझ लेने से ही मनुष्य योनि की विशेषता समझ में आजाती है।

४९ कर्त्तव्य कर्म का सम्बन्ध केवल भूत काल और वर्त्तमान से ही नहीं बल्कि भविष्य से भी है, इसलिए पशु पीछे से हांके जाते हैं और मनुष्यों का नेतृत्व आगे से होता है।

५० ईश्वर के कर्म फल प्रदान करने की विधि यह है कि वह हमारे इस संसार के भोग पदार्थों के सम्बन्ध को मर्यादित कर देता है।

५१ कर्म और भोग का घनिष्ठसम्बन्ध है क्योंकि भोग भी कर्मों द्वारा ही प्राप्त होता है क्योंकि जब तक कर्म करने की शक्ति होती है उसी समय तक भोग का प्रश्न रहता है। मरते ही उस अवस्था में भोग प्राप्ति का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है।

५२ हर एक मनुष्य के ज्ञान, कर्म और भोग की दृष्टि से, कर्म शेष रह जावेंगे जिन का फल उसको इस जन्म में प्राप्त नहीं हो पाता इसलिए उसको ज्ञान, कर्म, और भोग कीपूर्ति के लिए दूसरा जन्म लेना आवश्यक है।

५३ मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध को ठीक बना सकता है अर्थात् मनुष्य का भाग्य निर्माण उसके हाथ में है।

५४ मनुष्य अपने पुरुषार्थ को यम, नियम पालन करने और योग के अन्य साधनों को प्रयोग में लाने से ठीक बना सकता है।

५५ मनुष्य का अन्तिम ध्येय मोक्ष प्राप्ति है या ईश्वर का साक्षात् करना है।

५६ मोक्ष प्राप्ति का साधन न अत्यन्त त्यागवाद है और न भोगवाद। बल्कि मर्यादा के जीवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है।

५७ कर्म व्यवस्था को ठीक ठीक समझने के लिए ईश्वर के स्वरूप को समझना और ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखना अनिवार्य है।

५८ कर्म व्यवस्था सम्बन्धी सारे नियम अटल और पूर्ण हैं यदि कोई बात हमारी समझ में न आवे तो इसका दोष हमको अपनी समझ को देना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि कोई नतीजा इत्तफ़ाक़ से होगया है या अकारण होगया है।

५९ पदार्थ विज्ञान का जो सम्बन्ध जड़ जगत् से है वही सम्बन्ध तत्व ज्ञान का सूक्ष्म जगत् से है।

६० हमें कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह मानना कि तोबा करने से या किसी गुरू या पैग़म्बर का सहारा लेने से पाप क्षमा होजायेंगे, भ्रम मूलक है।

६१ पाप कर्मों के फलों की क्षमा होजाने की आशा से पाप करते रहना महान् हानिकारक है और इस मनुष्य जगत् की अवस्था को अस्त व्यस्त करता है।

६२ ईश्वर सर्व शक्तिमान् भी है, दयालु और न्याय-कारी भी है, यह उसकी दया है कि उसने हमें कर्म करने के लिए शरीर प्रदान किया है और भोगने के लिए इस संसार को रचा, यह उसका न्याय है कि पूरा अवसर मिलने पर भी जैसा हमने कर्म किया उसका उसने फल प्रदान किया ईश्वर सर्व शक्तिमान् इस अभिप्राय से है कि उसके नियम अटल हैं उनको कोई मिटा नहीं सकता और संसार की कोई शक्ति उन में हस्ताक्षेप नहीं कर सकती।

ऊपर लिखे सब नियम कर्म की गति को समझने के लिए आवश्यक है। इन सबकी विस्तार पूर्वक विवेचना से कर्म व्यवस्था समझ में आ सकती है।

वैदिकयज्ञ और साम्यवाद

[श्री पं० अवधविहारीलाल एम० ए०]

आज संसार में धनी-निर्धन, पूँजीपति, मजदूर, महाजन, मुंजेरा जमींदार रैय्यत आदि के विभिन्न झगड़े देखने सुनने में आरहे हैं। गरीबों की शिकायत है धनी उनका रक्त-शोषण करके बढ़ रहे हैं। मजदूर पूँजीपतियों से असंतुष्ट हैं कि उनके परिश्रम से ही वे मालामाल हो रहे हैं और स्वयं उन्हें (मजदूरों को) न तन ढकने के वस्त्र और न खाने के लिए अन्न हैं। रैय्यत जमींदारों के अत्याचार से त्राहि त्राहि पुकार रही है तो मुंजेरे (अधमर्ण) महाजन (उत्तमर्ण) का धुँआ देखना चाह रहे हैं और हो भी क्यों न? एक ओर तो किसी की ठेक या खाद में हजारों मन गल्ला सड़ रहा है या उसे विदेश भेज कर मालामाल होने की सोचा जा रही है तो दूसरी ओर पड़ौस में ही भूखे लोग जूठे दोनों जूठे पत्तों पर दौड़ मचा रहे हैं और कुत्तों और कौवों की तरह वे एक दूसरे से छीना झपटी कर 'पापी पेट' की आग बुझाने की चेष्टा में संलग्न हैं। एक तरफ गगन चुम्बी प्रासादों में निवास करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ आश्रय विहीन लोग सड़कों पर शीत में ठिठुर कर मर रहे हैं। एक ओर शालदुशाले, चेष्टर, ओवरकोट से सुसज्जित लक्ष्मी के लाड़ले शीत में भी पसीने से सराबोर हो रहे हैं तो दूसरी ओर बहुसंख्यक नंगे वस्त्र विहीन दरिद्र कड़ाके की सर्दी न सहन कर सकने के कारण अकाल में ही काल-कवलित होते जा रहे हैं। भयंकर असमानता का साम्राज्य दृष्टिगोचर हो रहा है।

दृश्य सचमुच बहुत ही दर्दनाक है। कौन ऐसा सहृदय व्यक्ति होगा जो यह न चाहेगा कि मनुष्य को भरपेट अन्न, तन ढकने के लिए पर्य्याप्त वस्त्र और शीत घाम वर्षा आदि से बचने के लिए एक अपना आश्रय न हो। जब पशुपक्षी तक को ये साधन सहज ही में उपलब्ध हैं तो परमात्मा के अमृत पुत्र अशरफुल मखलूकात Lord of Creation मनुष्य इन मौलिक अधिकारों से वंचित रहें, यह कौन गवारा कर सकता है।

अब स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि जब गरीबी के कारण मनुष्य अन्न वस्त्र घर से रहित हो रहे हैं तो गरीबों की गरीबी दूर की जावे कैसे? इसका समाधान आज का सभ्य संसार भिन्न भिन्न तरीकों से करना सोच रहा है। बोलशेविज्म, कम्यूनिज्म, सोशलिज्म आदि इसी प्रश्न के समाधान रूप में उपस्थित किए गए हैं। इन्हीं को हमारे

देश के लोग समाजवाद, साम्यवाद आदि भी कहने लग गए हैं। इन सब वादों की तह में यह विचारधारा काम कर रही है कि धनियों के पास अधिक धन न रहने दिया जावे उनसे बल पूर्वक लेकर दरिद्रों को दे दिया जावे। पूँजीपतियों का धन मज़दूरों को दे दिया जावे। मुंजेरे से महाजन अपने धन वसूल न कर सकें। जमींदारों से जमींदारी उनकी छीन लीजावे, जमीन रैय्यतों के हवाले कर दी जावे। श्रीमानों को लूटकर गरीबों की भूख बुझाई जावे। कोठीवाले सेठ साहूकार के घर छापा मार कर उनके खजाने लूट लेने को भी बहुत से लोग अनुचित या अधर्म नहीं मानते। उनका विचार होता है सब मनुष्यों को केवल आवश्यकता भर अन्न वस्त्र और निवास स्थान चाहिए। न किसी को इससे बेशी और न किसी को कम। जिसको नहीं है उसको उससे छीन कर देना चाहिए जिसके पास आवश्यकता से अधिक है।

वैदिकधर्म भी समानता चाहता है। वह चाहता है कि गरीब भूखेको भोजन मिलना चाहिए और जिसको अधिक है उससे ही मिलना चाहिए। और आवेगा कहां से ? परन्तु उसकी रीति विधि अलग है। वेद किसी की स्वतन्त्रता पर व्याघात नहीं पहुँचाना चाहता है। संसार कर्मक्षेत्र है यहां किसीको धनादि पदार्थ उसके अपने कर्मोंके फलस्वरूप ही मिले हुए हैं। यह हो सकता है कि इस जीवन के कर्मों के कारण न हों पर हैं कर्म फलस्वरूप ही। 'वैदिकधर्म जीवों को अनादि और वार वार शरीर धारण करने वाला मानता है। नहीं तो क्या कारण है कोई पैदा ही होता है, राजा श्रीमानों के घर और कोई भिखमंगों के घर ? मनुष्य दरिद्र भी अपने कर्मफल के कारण ही हुआ करता है और कर्म करके फिर भी उत्तम अवस्था को प्राप्त हो जाने की पूरी स्वतन्त्रता भी जीव को मनुष्य जन्म में प्राप्त है ही। यदि कोई अकर्मण्य रह कर दरिद्र रहता है तो उसे दूसरों से धन छीन कर सुख करने का कोई हक नहीं है। यदि परिश्रम करता हुआ भी दरिद्र रहता है तो समझना चाहिए अपने प्रारब्ध कर्मों के बुरे फल परमात्मा की व्यवस्था में भोग रहा है। कैसे भी उसको दूसरों के धन आदि के अपहरण करनेकी चेष्टा करने का कोई अधिकार है ही नहीं। क्योंकि पराये के धन को उसके स्वामी की इच्छा या अनुमति के विरुद्ध ग्रहण करना चोरी है। हां लूट खसोट कर कोई धनी हो सकता है। तो वैसे लुटेरों को उस लूट खसोट के लिए राजदण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे वे लूट खसोट न मचा सकें। सभी धनियों के धन लूट के ही नहीं है इसलिए सभी सम्पन्न पुरुषों से कुढ़ कर उनके धन अपहरण करने का विचार करना नितान्त अन्यायपूर्ण नहीं तो क्या है ?

जिसके पास धनादि पदार्थ पुष्कल हैं उसको तो अधिकार है कि वह अपने धन में

से स्वेच्छा से दूसरों को देकर उनकी न्यूनता की पूर्ति करे । ऐसे स्वेच्छा से दूसरों की न्यूनता की पूर्ति अपने धन से करने को ही वैदिकधर्म में यज्ञ कहा गया है । वेद ने जहां एक ओर "मागृधः कस्य स्विद्धनम्' किसी दूसरे के धन पर मन ललचाने या दूसरे के धन को अन्याय से ग्रहण करने की चेष्टा न करो ऐसा कह कर दूसरे के धन को बलपूर्वक छीन कर उससे जीवन निर्वाह करने की मनाही की वहां दूसरी ओर 'विश्वायुर्धेहि यजथाय देव' परमात्मा यज्ञ करने के लिए बड़ी उम्र देवे ऐसी प्रार्थना करना सिखलाकर सारे जीवन यज्ञ करने ही का उपदेश दिया । आर्यावर्त देश के अग्रणी वेद विदाम्बर योगिराज कृष्ण ने तो अपनी अमर गीता में बड़े ही जोरदार शब्दों में कहा—

यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः ।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् ॥

अर्थात् यज्ञ करके बचा हुआ अन्न खाने वाला सारे पापों और दुःखों से छूट जाता है । जो केवल अपने लिए भोजन बनाता है अर्थात् उससे यज्ञ नहीं करता वह केवल पाप ही खाता है । कृष्ण ने तो यज्ञ न करके खाने वाले को स्तेन (चोर) तक कह डाला है । वेदों में तो यज्ञ की महिमा भरी पड़ी है ।

अब थोड़े से शब्दों में हमें विचार करना होगा कि 'यज्ञ' है क्या वस्तु । व्याकरण में यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति यज् धातु से बतलाई गई है और यज् धातु के अर्थ होते हैं 'देव पूजा संगति करण और दान' ! वेदों के शब्दों के अर्थ यौगिक ही होते हैं इसलिए यज्ञ शब्द के अर्थ भी देव पूजा, संगतिकरण, और दान ही व्युत्पन्न होते हैं । वेदों और वैदिक साहित्य में "यज्ञो वै विष्णु" "यज्ञस्य देवं ऋत्विजं" इत्यादि शब्दों से परमात्मा को यज्ञ यज्ञकर्ता आदि कहा गया है । यजुर्वेद कहता है कि यह सृष्टि ही परमात्मा का यज्ञ है । इस सृष्टि पर निगाह डालने से पता चलता है कि परमात्मा ने सृष्टि अपने लिए नहीं बनाई ! सूर्य से हमारा ही जीवन होता है हमें प्रकाश और उष्णतादि मिलती है परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकते वह स्वयं प्रकाश और सूर्यादि का प्रकाशक है । अन्न जल वायु की अपेक्षा परमात्मा को नहीं है क्योंकि वह आप्त काम है निरंजन और निर्लेप है । अतएव परमात्मा का सृष्टि रूपी यज्ञ परोपकार के लिए दूसरों की न्यूनता की पूर्ति के लिए ही है । इसलिए यज्ञ का अर्थ परोपकार या दूसरों की न्यूनता पूर्ति करना ही होता है ।

यज्ञ शब्द के व्युत्पत्ति वाले अर्थ देवपूजा संगति करण दान भी परोपकार या दूसरों की न्यूनता की पूर्ति करना यही आशय रखते हैं । 'विद्वां सो हि देवाः" ऐसा कह कर शत पथ ब्राह्मण ने देव का अर्थ विद्वान् बतलाया है । निरुक्त ने "देवो दानाद्वा दीपनाद्वा

द्योतना द्वा षु स्थानो भवतीति वा" बतला कर दानी, प्रकाशक, उपदेशक गुरु परमात्मा ये अर्थ देव शब्द के बतलाए। वेदों में के तैंतीस देवों के उल्लेख को स्पष्ट करते हुए शतपथ ब्राह्मण ने सूर्य्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी, जल, वायु, अग्नि आकाश ये आठ वसु, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म्म, कृकल, देवदत्त धनंजय ये दस प्राण और एकादश जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र ; सम्वत्सर के चैत्र आदि बारह मास, १२ आदित्य बिजली (इन्द्र) पशु वा यज्ञ या परमात्मा (प्रजापति) ये तैंतीस नाम गिनाए है। इन सब प्रमाणों से प्रकट है कि देव जड़ और चेतन दोनों प्रकार के होते हैं

पहले हम चेतन विद्वान्, गुरु, उपदेशक इत्यादि अर्थ ही देव के लेते हैं। तब 'देवपूजा' का अर्थ होगा उन विद्वान् आदि देवों का अन्न वस्त्रादि से सत्कार करना। संगतिकरण का अर्थ हुआ मित्रता दोस्ताना दावत इत्यादि। दान का अर्थ तो स्पष्ट देना ही हुआ।

इन तीनों अर्थों में हम वह भावना देखते हैं दूसरोंकी न्यूनता की पूर्ति करना अपने धनादि पदार्थों का स्वयं अपने ही लिए उपभोग न करके उनको औरों ही के लिये उत्सर्ग करना जहां न्यूनता हो। पूजा मित्रता इत्यादि शब्द हमारी उच्च कोटि की सभ्यता (शराफत) दिखलाने के लिए हैं। क्षुद्र बुद्धि, थोड़े धन में बौरा जाने वाले खल किसी बड़े या पूज्य प्रतिष्ठित पुरुष को भी कुछ देंगे तो बड़ा अभिमान करेंगे, अपनी बड़ाई की डुग्गी पीटेंगे जिसको कुछ देंगे उससे आशा करेंगे कि वह हमारा दब्बू बना रहे। परन्तु वेद की शिक्षा वैसी नहीं है। बड़ों प्रतिष्ठितों की न्यूनता की पूर्ति भी हम कुछ अपने पास से खर्च करके—उनको देकर ही—करते हैं। है तो वह भी दान ही लेकिन हम उसको दान न कहें उसको पूजा कहें यह वेद की शिक्षा है। इससे जहाँ अपने अन्दर अभिमान उत्पन्न न होगा वहाँ लेने वाले को भी कुछ आत्मग्लानि न होगी। अभी भी बोलने का मुहावरा है—गुरु पुरोहित को दान देते समय लोग कहते हैं कि हम आपकी नज़र के लिए यह तुच्छ रकम अर्पित करते हैं। पूज्य जनों को रुपये आदि कुछ देते हुए बहुधा लोग उन्हें उनके पांवों पर रख देते हैं। भाव यह है कि बड़ों को जो कुछ दिया जाय सन्मान पूर्वक नम्रता से दिया जावे। यही देव पूजा है बराबरी वालों को जो कुछ हम देते हैं वह पूजा कह कर पैर पर नहीं चढ़ाते दान कह कर भी नहीं देते हैं। उनके घर हम बाइने भेजते, उनको उपहार देते, उनकी दावत आदि करते हैं। यह भी अपने धन में से दूसरों को देना ही हुआ परन्तु इसको वैदिक भाषा में संगतिकरण कहते हैं।

* * दीन हीन जनों को पतित चाण्डाल पापी रोगी आदि लोगों को जो कुछ दिया जाता है उसको दान कहते हैं।

यज्ञ का अर्थ हवन भी अवश्य होता है और इस पर बहुत से अदूरदर्शी भौतिकवादी अज्ञानता के कारण मखौल भी करते हैं। परन्तु इसमें गहरा विज्ञान हैं, और इसकी उपयोगिता को पाश्चात्य विद्वान् भी बहुतेरे स्वीकार करने लगे हैं। ऊपर जैसा जलवायु आदि ३३ देवों के नाम गिनाए हैं उन्हीं देवों की पूजा अर्थात् उनकी अनुकूलता प्राप्ति के लिए हवन करना यह देव पूजा अतएव यज्ञ कहाता है। वैज्ञानिकों का यह सर्व सम्मत सिद्धान्त है कि जलवायु के दूषित होने से रोग उत्पन्न होते हैं। अग्नि में वह भेदक शक्ति है कि वायु को हलकी कर उसके द्वारा हवन में डाले गये सुगन्धित, रोग नाशक, मिष्ट और पुष्टिकारक पदार्थों को सूक्ष्मरूप में कर दूर दूर पहुँचा, वायु वृष्टि—उनके द्वारा पृथिवी अन्नादिकों—की भी सारी विषमताओं को दूर करने का साधन बने। इसलिए हवन-यज्ञ परमलोकीय कारक कृत्य है। इसके द्वारा अल्पव्यय से अधिक से अधिक प्राणियों का उपकार कर सकते हैं।

इस यज्ञ के द्वारा-देवपूजा संगतिकरण और दान के द्वारा हम संसार की सारी विषमताओं को दूर कर सच्चे अर्थों में साम्यवाद का बड़ी खूबी से क्रियात्मक प्रचार कर सकते हैं।

वर्तमान तथा कथित साम्यवाद में यह बड़ी भारी बुराई है कि यह किसी वर्ग विशेष के लोगों से उनके स्वत्व के जबरदस्ती अपहरण करने की शिक्षा देता है। बलात्कार किसी से कुछ छीन लेना उसके लिए नितान्त अप्रिय होगा। इस प्रकार वर्ग विशेष के साथ हम हिंसा का व्यवहार करते हैं। यज्ञ के द्वारा लोग धार्मिक भावना से स्वेच्छा से आनन्द उत्साह और उमङ्ग से अपने स्वत्व को पराये के लिए अर्पित करते हैं। साधारणतः हम प्रतिदिन देखते हैं कि जो मनुष्य हजार रुपये दान देकर अत्यन्त प्रफुल्लित होता है वही चार पैसे तक के भी जबर्दस्ती छिन जानेसे नितान्त दुःखित होजाता है। इसलिए पाश्चात्य साम्यवाद हिंसामूलक एवं निन्दनीय है। यज्ञ का साम्यवाद हिंसा रहित है। वेद ने इसी लिए 'यज्ञं अध्वरं' कहा है। ध्वर कहते हैं हिंसा कर्म को। हिंसा कर्म ध्वर जिसमें न हो वह अध्वर है।

———

निरक्षरता अब न रहेगी

लेखक—श्रीयुत ऐस. रामाचार

चीन में एक छोटी लड़की की कहानी प्रसिद्ध है। उसकी दादी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी और पढ़ने लिखने से बहुत दूर भागती थी। एक दिन उस लड़की ने अपनी दादी को कहा कि यदि तुम परमात्मा के दरबार में जाने पर दरवाजे पर रखी हुई पुस्तक में अपना नाम नहीं लिख सकोगी तो स्वर्ग में न जा पाओगी। लड़की की यह बात सुन कर उसकी दादी ने पढ़ना-लिखना शुरू कर दिया था और वह अच्छी तरह पढ़ना लिखना जान गई थी। चीन के निरक्षरता-निवारण आन्दोलन में जापान के आक्रमण ने बाधा उपस्थित करदी हैं। आज भारत वर्ष के सैकड़ों नवयुवक और नवयुवतियां बड़े बूढ़ों को, जिनकी स्कूल जाने की उम्र निकल चुकी है पढ़ानेका यत्न कर रहे हैं।

आज भारत में ९० प्रतिशतक व्यक्ति निरक्षर हैं। १९३१ की जन संख्या के अनुसार बच्चों को मिला कर भारत के २३९६२२७९ पुरुष और ४१६९०३६ स्त्रियाँ साक्षर हैं। और बाक़ी ३२½ करोड़ निरक्षर हैं। यह अनुपात कुल आबादी का ८ प्रति शतक है जब कि इङ्गलैंड में यह अनुपात ९४ अमेरिका में ९४.४, रूस में ९८ जर्मनी में ९९ और जापान में ९९.७ है। १८८१ में जब से जन संख्या का लिया जाना शुरू हुआ है साक्षरों का प्रतिशत औसत ३.५ था। १८८१ से १९३१ अर्थात् ५० वर्ष के अर्से में साक्षरों का औसत प्रति शतक ८ हुआ है। उन्नति की इस रफ़्तार से प्रत्येक भारतीय को साक्षर बनने में ९२० वर्ष लगेंगे और यह भी तब जबकि भारत की आबादी में वृद्धि नहीं होती है। उपर्युक्त ८ का औसत सामूहिक है। देश में ऐसे बहुत से भाग हैं जहाँ साक्षरता का औसत बहुत कम है। उदाहरण के लिए हैदराबाद में यह औसत केवल ४ है।

यह निर्विवाद बात है कि अंग्रेज़ी शासन से पहिले, भारत के प्रत्येक गांव में स्कूल था। अकेले बंगाल में ८०००० स्थानीय स्कूल थे। अर्थात् ४०० की आबादी के पीछे १ स्कूल था। भारत सरकार के एजुकेशनल कमिश्नर (शिक्षा अधिकारी) की १९३०-३० की रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेज़ी इलाक़े में २७६०९४६ स्वीकृत और प्राइवेट शिक्षा संस्थाएँ थीं, और इन में ११०४७२८९ लड़के तथा १४६७८३७ लड़कियां पढ़ते थे। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक १५०० की आबादी के लिए एक स्कूल है।

भारत जैसे देश में जहां साक्षरता बहुत कम है प्राइमरी और वयस्क शिक्षा के पक्ष पोषण की विशेष आवश्यकता नहीं है। इस पर भी समस्त भारत वर्ष में शिक्षा पर जो व्यय किया जाता है वह फौज़ पर व्यय होने वाली राशि का चौथाई से भी कम है। १९२९-३० में सूबों और केन्द्र की लगान की आय २२७२६४८००० थी। इस राशि में से २६ प्रतिशतक फ़ौज पर व्यय किया गया था जिसमें ५८००० अंग्रेज़ी अफ़सर और १६८००० भारतीय सिपाही थे। (किसकी रक्षा के लिए?) १० प्रति शतक पुलिस और न्याय पर व्यय किया गया था और ६ फ़ी सदी की तुच्छ राशि शिक्षा पर व्यय की गई थी। १९२९-३० में शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या १२५१६१२६, भारत वर्ष में प्रति व्यक्ति शिक्षा का वार्षिक व्यय केवल आठ आना है! यह भी नोट करने योग्य बात है कि प्राइमरी शिक्षण का प्रति व्यक्ति का वार्षिक व्यय इंगलैंड में १०९), स्काटलैंड १५०), आयरलैंड में ११२) डेनमार्क में १५८) नार्वे में १५०) और दक्षिण अफ़रीका में १८६) है। भारत में यही व्यय प्रति व्यक्ति ८) वार्षिक होता है। इन अवस्थाओं में यदि समस्त संसार के निरक्षरों में से एक तिहाई भारत में हों तो कोई अचरज की बात नहीं है।

इस अवस्था के क्या कारण हैं? यह एक कटु सचाई है कि लार्ड मेकाले जिसने भारत सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति का निर्धारण किया था, एक श्रेणी का निर्माण करना चाहता था।

"जो हमारे और उन करोड़ों व्यक्तियों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं, दुभाषिए का काम कर सकें। उन लोगों का एक वर्ग निर्मित किया जाय जो रक्त और रंग से भारतीय हों परन्तु आचार विचार और रहन-सहन में अँग्रेज़ हों।"

सरकार का उद्देश्य लोगों की उस श्रेणी को शिक्षा प्रदान करना था जो सरकार की नौकरियों में काम कर सकें। साम्राज्यवाद जानता है कि शिक्षित राष्ट्र कभी भी पराधीन राष्ट्र नहीं हो सकता। किसी देश को पराधीनता में रखने के लिए आवश्यक है कि उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाय।

स्वर्गीय गोखले भारत में सर्वतन्त्र शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे। परन्तु पराधीन देश प्रत्येक समस्या पर स्वभावतया राष्ट्रीय दृष्टि से सोचता है। इसलिये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य पूर्व से लेकर लगभग आज तक हमारे नेता राष्ट्रीय शिक्षा की चर्चा करते रहे हैं। शिक्षा के इन राष्ट्रीय आदर्शों ने ही अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस में हिन्दू यूनिवर्सिटी और लाहौर में डी० ए० वी० कालेज को जन्म

दिया और उन्नत किया है। यद्यपि इन यत्नों का फल हुआ है फिर भी जनसाधारण में यह शिक्षा का प्रसार नहीं कर सके हैं।

"भारत ने जान बूझकर राजनैतिक और नागरिक उन्नति के मार्ग के रूप में प्रजातन्त्रवाद को अपनाया है यदि हमें अपनी पसन्द को क्रिया में लाकर किसी परिणाम तक पहुँचाना और अपना राजनैतिक कल्याण करना है तो भारत में प्रजातन्त्र के भाव को जनसाधारण में कूट-कूट कर भर देना चाहिये। किसानों और जन-साधारण में राजनैतिक नागरिक और राष्ट्रीय चेतना इतनी तो हो। तभी प्रजातन्त्र अवस्था सुरक्षित रह सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रजातन्त्र शासन की पवित्रता तभी स्थिर रक्खी जा सकती है जबकि शिक्षित जन-साधारण का उसके साथ निरन्तर सम्पर्क और नियन्त्रण रहे और जो उस शासन का मार्ग दिखला सकें, उसकी आलोचना कर सकें और उसको भली भाँति समझ सकें।"

इसीलिए बिहार के सुयोग्य शिक्षा-सचिव डा० सय्यद महमूद ने २६ $\frac{४}{३}$ को साक्षरता के आन्दोलन का सूत्रपात किया था। जेलों तक के अन्दर साक्षरता की कक्षाएँ खोली गई थीं। स्वयं डाक्टर साहब के कथनानुसार साक्षरता ने कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन कर दिया है। डाक्टर महमूद की अपील के उत्तर स्वरूप बड़े बड़े व्यापारियों और व्यवसायियों ने आन्दोलन में दिलचस्पी ली है। लोहे की प्रसिद्ध फर्म टाटा कम्पनी ने जमशेदपुर में साक्षरता की श्रेणियों का जाल बिछा दिया है। शक्कर की मिलों के बहुत से संचालकों ने साक्षरता के केन्द्र खोले हैं। डाक्टर सय्यद महमूद का दावा है कि इस समय तक बिहार के कम से कम ४००० ग्रामों में निरक्षरता का अन्त हो गया है। बिहार की निरक्षरता निवारक कमेटी ठीक रीति से अपनी सफलताओं पर गर्व कर सकती है। नवम्बर ३८ मार्च १९३९ के बीच में इसने प्रान्त में ८४७९ केन्द्र चलाए। इन सब केन्द्रों में सभी वर्णों के ३१९९८३ पुरुष वयस्कों ने १५९२६ अध्यापकों से जिनमें १०५९३ अध्यापक और ५३३१ स्वयंसेवक थे शिक्षा प्राप्त की। ये स्वयंसेवक सेकेन्डरी स्कूलों के छात्र थे। जेलों में ५०७६ कैदियों को साक्षर बनाया गया। इनमें से १५० कैदियों ने जिनमें ३ स्त्रियाँ भी थीं, शिक्षा-विभाग की लोअर और प्राइमरी परीक्षाएँ भी पास कीं साक्षरों को साक्षर बनाये रखने के लिये उपर्युक्त कमेटी 'रोशनी' नामक एक पाक्षिक पत्र निकाल रही है जो नये साक्षरों को दिया जाता है।

बिहार के बाद दूसरा प्रान्त संयुक्त प्रान्त था जिसने १५-४-३९ को साक्षरता आन्दोलन शुरू किया था। इस प्रान्त में स्वयं गवर्नर सर हेरी हेग ने साक्षरता की प्रतिज्ञा

पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें उन्होंने "एक वर्ष के भीतर कम से कम १ पुरुष अथवा स्त्री को साक्षर बनाने या २) देने की प्रतिज्ञा की थी यह २) निरक्षर वयस्क को साक्षर बनाने की कम से कम क़ीमत समझी गई है।"

कहा जाता है कि ५ लाख से अधिक व्यक्तियों ने प्रतिज्ञा की थी। प्रान्त के ४८ ज़िलों में वयस्क साक्षरता कमेटियों का निर्माण हुआ है।

बम्बई में प्रति १००० में से ३१४ पुरुष और १७३ स्त्रियां साक्षर हैं। श्रीयुत बी.जी. खेर ने सार्वजनिक जलसे में, जिसके सभापति बम्बई के गवर्नर थे कहा था—

"हमारे देश के बहुत से दुखों का कारण अज्ञानता है। 'दो वर्षों में शत प्रति शत साक्षरता' यह हमारा नारा होना चाहिए। जिस से १९४१ की जन संख्या की रिपोर्ट के अङ्कों पर तमाम देश ईर्षा करें।

मई के महीने में बम्बई की समाज सेवा संघ ने बम्बई वयस्क शिक्षा समिति की प्रमाणिकता पर साक्षरता की ५७३ श्रेणियां चलाईं। श्रेणियों के वास्तविक रुपये खुलने से पहिले सभाएँ की गईं जलूस निकाले गए और लोक मत तय्यार करने के लिए पोस्टर्स इत्यादि लगाए गए। सौभाग्य से जनता को उत्तर उत्साह वर्धक रहा। और १०००० विद्यार्थी क्लास में पढ़े।

स्त्रियों के लिए कुछ क्लासें पृथक् खोली गई थीं। इन क्लासों में माताओं और पुत्रियों को एक साथ पढ़ते हुये देखना एक आम बात थी।

पूना के सेन्ट्रल को-आप्रेटिव बैंक ने उन गांवों में जहां उनकी शाखाएँ हैं २५ केन्द्र खोले हैं। सतारा जिले में प्यूपिल टीचर्स गृह क्लासों की स्कीम चलाई गई है जहां स्थानीय प्राइमरी स्कूलोंके बड़े विद्यार्थी २०० बड़े आदमियों को पढ़ाते हैं। यह प्रयोग बहुत सफल सिद्ध हुआ है। अतः पूना के सेकेन्डरी स्कूलों के लगभग ४००० विद्यार्थियों को इस कार्य के लिए संगठित करने का विचार किया गया है। प्यूपिल टीचरों ने चीन में जनता के शिक्षण के आन्दोलन को सफल बनाने में बहुत काम किया है। उदाहरण के लिए क्वेग-टांग के २०० ग्रामों में १९३४ में बच्चों के २०० स्कूल थे जो २००० ग्रामीणों को शिक्षा दिया करते थे और इनमें से १५०० स्त्रियां थीं। हम भी उनके अनुभव से लाभ उठा सकते हैं।

प्रत्येक प्रान्त अपने ढंग में निरक्षरता की समस्या का हल करने का यत्न कर रहा है। पंजाब की सरकार अंजुमन हिमायत इस्लाम, सनातन धर्म सभा, डी. ए. वी. कालेज कमेटी, खालसा दीवान, मोज़ा और अहाता व मिशन की सहायता और सहयोग से

निरक्षरता निवारण का आन्दोलन शुरू करने वाली है १२ से १८ वर्ष की उम्र के उन साक्षर लड़कों को यह काम दिया जायगा जिन के माता पिता की इच्छा स्कूल भेजने की न होगी। थोड़ी सी ट्रेनिङ्ग देने के बाद इन लड़कों को अपने ज़िलों का भ्रमण करने और साक्षरता की क्लासें लगाने को कहा जायगा ७वीं क्लास से बी. ए. क्लास तक के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जिसकी फ़ीस माफ होगी वा जिसे वजीफा मिलता होगा, प्रति वर्ष २ वयस्कों को साक्षर बनाना अनिवार्य्य किया जायगा। मुझे जिस बात से आश्चर्य होता है वह यह है कि प्रान्तीय सरकार ने इस योजना के लिए केवल १४०००० रक्खे हैं। यह राशि बहुत थोड़ी है और कोई भी छात्रवृत्ति पाने वाले लड़कों के ऊपर यह काम डालने के सरकार के अधिकार पर आपत्ति कर सकता है।

परन्तु सिर्फ साक्षरता पर्याप्त नहीं है। कोई भी देश शिक्षा, संस्कृति और राजनीति की दृष्टि से बिना शिक्षित जनता के उन्नत नहीं हो सकता और केवल साक्षर बच्चा या जवान शिक्षित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। अपना नाम लिखना और पढ़ लेना एक बात है और पुस्तकों को समझ लेना तथा प्रकाश ग्रहण करना बिल्कुल जुदी बात है। यदि वयस्क साक्षर दैनिक अख़बार पढ़ने और समझने तक की योग्यता न रखता हो तो उसको साक्षर बनाने का समस्त परिणाम व्यर्थ है।

यह सब जानते हैं कि उचित वातावरण और ज़रूरी पठनीय पुस्तकों के अभाव में वयस्क या बच्चा शीघ्र पढ़ना-लिखना भूल जाता है। हारटोग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार (पृष्ठ ४५-४६) १९२७-२८ में ३९८६९२४ बच्चों ने पहली, पांच वर्नाक्यूलर क्लासों में पढ़ा। परन्तु एक या दो वर्ष के बाद में पढ़ना-लिखना बिल्कुल भूल गये थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वयस्क को साक्षर बनाने की अपेक्षा जीवन-पर्य्यन्त उसे साक्षर बनाये रखने की समस्या बहुत बड़ी है। अतः हमें ऐसे मासिक-पत्र और पुस्तकें छपानी होंगी जिनकी भाषा सरल और जिनके विषय रोचक हों। हमें उन्हें ऐसे मूल्य पर देना होगा जिसका भार ग़रीब भारत के जन-साधारण सहन कर सकें।

यह मार्के की बात है कि प्रान्तीय स्वराज्य के अस्तित्व में आने के तत्काल बाद ही प्रान्तीय सरकारों ने यह आन्दोलन शुरू किया है। इसका अर्थ यह है कि प्रांतीय सरकारें सचेत हैं और कर्त्तव्य को पहचानती हैं। परन्तु यह भी मार्के की बात है कि प्रायः समस्त प्रान्तीय सरकारें चाहती हैं कि यह आन्दोलन भी चले। लम्बे अर्से तक पारश्रमिक दिए बिना अध्यापकों से इस कार्य्य के करने की आशा करना उनसे बहुत ज्यादा आशा

रखना है। निस्सन्देह विद्यार्थी और अध्यापक जो उत्साह दिखला रहे हैं वह प्रशंसनीय है। इस उत्साह को हमेशा ऐसा रखना क्या सम्भव है? यदि प्रान्तीय सरकारें वास्तव में निरक्षरता निवारण के लिए तुली हुई हैं तो उन्हें अपनी थैलियों की डोरी ढीली करनी होगी। यदि उनका उद्देश्य आलोचकों का मुँह बन्द करना मात्र नहीं है तो उन्हें इस कार्य्य के लिए उदारता से काम लेना होगा।

(माडर्न रिव्यू)

अन्तर्राष्ट्रीयता

[लेखक—श्री पं० रघुनाथप्रसादजी पाठक]

संसार की वर्तमान अशान्ति के निवारण के एक उपाय के रूप में संसार के विद्वान् और विचारक इन दिनों 'अन्तर्राष्ट्रीयता' (Internationalism) के व्यवस्थित प्रचार और शिक्षण पर बहुत बल दे रहे हैं। यह विचार बड़ा शुभ है। मज़हबों और जातीयता के उपद्रवों के लम्बे सिलसिले ने उन्हें इस परिणाम पर पहुँचा दिया है कि ये दोनों संसार की शान्ति के सबसे बड़े और प्रबल शत्रु हैं। उनका यह कहना ठीक है कि इन दोनों ने मनुष्य को मनुष्य से पृथक करके उसके खून और सर्वस्व का प्यासा बनाने में बहुत योग दिया है। विविध अन्ध विश्वासों और विशेष प्रकार के विश्वासों से धर्म तथा भौगोलिक दीवारों से विशाल मानव समाज के अङ्गों को घेर कर मज़हब और जातीयता ने मनुष्य को मानवता का घोर अपमान करना सिखा दिया है और लोगों के हृदयों में से इस भाव को दूर तथा कमजोर कर दिया है कि वे एक ही जाति और परिवार के सदस्य हैं।

मज़हब और जातीयता की दीवारें कृत्रिम हैं। श्रीयुत जोन हर्बर्ट के भाषण से जो उन्होंने परमहंस रामकृष्ण की जन्म शताब्दी के अवसर पर गत वर्ष कलकत्ता में दिया था, मज़हब और जातीयता की कृत्रिमता की इन शब्दों में भले प्रकार पुष्टि होती है :—

"Really substantially there is for man one natural group; mankind. And there is only one natural unit individual man. All the classifications, divisions and subdivisions between the unit and the whole, all churches, parties, nations, groups of all sorts whether newly invented, like nations or sanctified by time like religions are artificial and correspond to nothing real. A man is a man and a member of mankind and nothing else."

अर्थात् मनुष्य के लिए वास्तविक एक ही समूह है और वह मनुष्य जाति है। नैशन, धर्म्म (मज़हब) इत्यादि कृत्रिम है। मनुष्य, मनुष्य है और मानव समाज का एक सदस्य है इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं है। सृष्टि के आदि से लेकर आज पर्यन्त मनुष्य का एक ही धर्म्म रहा है और सदैव रहेगा। उसकी छाप स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में मनुष्यों में

पाई जाती है। मनुष्य चाहे ईसाई हो, हिन्दू हो, मुसल्मान हो, यहूदी हो, पारसी हो, अँग्रेज़ हो वा जर्मन हो, अफ्रीका का हब्शी हो या अमेरिका का नीग्रो हो, सत्य और न्याय के प्रति प्रेम, मनुष्यों के प्रति प्रेम दया और सहानुभूति आदि धर्म तत्व सब में पाया जाता है। यह नहीं है कि हिन्दुओं में ही धर्म तत्व पाये जाते हों और ईसाई मुसलमानों में नहीं। अभाव किसी में नहीं है परिमाण में विभिन्नता हो सकती है। वह धर्म्म 'मानवता' का धर्म है और मनुष्य के सामने जीवन का एक सुनिश्चित लक्ष्य रखता है। रीति-रिवाज़ों क्रिया-कलापों और देश काल की सीमाओं से रहित है। यह धर्म्म वही है जिसका वर्तमान युग में ऋषि दयानन्द ने प्रतिपादन किया है और जिसका आर्य्य समाज प्रचार करता है।

कुछ लोगों का मत है कि 'विश्वभावना' अन्तर्राष्ट्रीय शब्द से ठीक ठीक रीति से व्यक्त नहीं होती है इसके स्थान में 'विश्व' किया जाय।

वास्तविक विश्वबन्धुत्व किन उपायों के अवलम्बन से स्थापित हो सकता है इस सम्बन्ध में अनेक विभिन्न मत प्रकाश में आ रहे हैं। कोई महानुभाव यह कहते हैं कि इस विषय पर उत्तमोत्तम ग्रन्थ निर्माण करके यह विषय स्कूलों में पढ़ाया जाय। कोई महानुभाव यह परामर्श देते हैं कि संसार के चुने हुए विद्वानों और प्रचारकों की मंडलियां विभिन्न देशों और राष्ट्रों में घूम फिरकर इसका प्रचार करें। प्रसिद्ध विद्वान् श्री आलीवर लाज इस परामर्श का समर्थन करते हुए यह और कहते हैं कि मासिक पत्र-पत्रिकाओं के आदान-प्रदान से, बड़ी बड़ी सोसाइटियों के कार्य्य से तथा ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त हो उसके सार्वत्रिक प्रयोग से मनुष्यों को यह अनुभव करा देना चाहिए कि वे एक ही विशाल मानव-परिवार के सदस्य हैं। ऋषि दयानन्द का मत है कि तमाम प्राणी एक ही पिता की सन्तान हैं, सब एक दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझें तथा सबका सुख-दुःख, हानि-लाभ पारस्परिक हो। यह सब एक भाषा, एक राज्य और एक धर्म के प्रचार से संभव है और वह धर्म वेदोक्त धर्म है। यहां वेदोक्त धर्म की व्याख्या करना अभीष्ट नहीं है यहाँ तो संसार के विचारकों और विद्वानों को उसके अध्ययन का निमन्त्रण देना अभीष्ट है और यह देखना है कि जिस प्रकार 'मज़हब' और 'जातीयता' के सम्बन्ध में संसार की उन्नत विचार-धारा ऋषि दयानन्द की विचार-धारा के सन्निकट आरही है संसार की शान्ति-विश्व-बन्धुत्व — के प्रचार के सम्बन्ध में वह विचार-धारा कब और किस रूप में ऋषि दयानन्द की विचार-धारा के सन्निकट आती तथा विश्व में शान्ति का स्रोत बहाती है।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति

(श्रीमती सरोजनी नायडू के विचार)*

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति हमारे लिए एक बड़ा सबक है। यदि हम इस बात को अनुभव नहीं करते हैं कि हम केवल अपनी शक्ति और एकता से अपनी स्वतन्त्रता की प्राप्ति और रक्षा की आशा कर सकते हैं तो सचमुच हम असफल रहेंगे।

आज यूरोपीय संस्कृति विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। निरस्त्रीकरण, शक्ति, न्याय, सत्य, निष्पक्ष निर्णयों, जीवित रहो और जीवित रहने दो की चर्चाएँ विडम्बना मात्र हैं जातियाँ दूसरी जातियों की शत्रु बनी हुई हैं और एक दूसरे का गला काट रही हैं। यूरोप के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अविश्वास और सन्देह की नीति का बोलबाला है। युद्ध की घोषणा के बिना ही हिटलर के अत्याचारों और मुसोलिनी की महत्वाकांक्षाओं ने दो छोटे देशों को तबाह कर दिया है। अबीसीनिया हड़प किया जा चुका है और उसका राजा गरीबी और निर्वासित अवस्था में अपने दिन काट रहा है। बड़ी २ शक्तिशालिनी जातियों के वचनों और प्रतिज्ञाओं के होते हुए भी जेकोस्लेवेकिया का अङ्ग भङ्ग कर दिया गया है और अब यूरोप के मानचित्रण का अस्तित्व मिट रहा है। (पोलैंड के अस्तित्व का मिट जाना आज की बात है)।

सम्पादक सार्वदेशिक

स्पेन में एक छोटा सा स्थानिक मामला समस्त यूरोप के लिए विनाशक सिद्ध हुआ है। हिटलर और मुसोलिनी अपना काम निकालने के लिए जनरल फ्रैंको की सहायता करते रहे हैं। फिलस्तीन में ब्रिटिश नीति वर्तमान उत्पात के लिए जिम्मेवार है। अरब के लोग अङ्गरेज़ों के हस्ताक्षेप को बुरा मान रहे हैं। वे देख रहे हैं कि फिलस्तीन में यहूदियों के आयात के पीछे आर्थिक और राजनैतिक मामले हैं जो उनके अपने हितों के लिए हानिकारक हैं।

इसी कारण से उत्पात जारी है और अभागे अरबों के लिए समस्त मुस्लिम जगत् में सहानुभूति पैदा हो गई है।

* बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय में दिए हुए भाषण का सार

न केवल यूरोप में वरन् एशिया में भी साम्राज्यवाद परिपक्व अवस्था में है। जापान ने चीन को कुचल दिया है और उसकी आँखें भारतवर्ष पर लगी हुई हैं। हम भारत-वासियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति क्या पाठ उपस्थित करती है? ऐसी परिस्थिति में हम भारतवासी क्या करना चाहते हैं? क्या हम जातियों के विनाश में सहायक होंगे या मनुष्यों में शान्ति और सौहार्द स्थापित करने में योग देंगे? ये प्रश्न हैं जो भारतवासियों के सामने उत्तर के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं? अतएव यह आवश्यक है कि वे घोषणा करदें कि प्रजातन्त्र के झूठे नाम में होने वाले युद्ध में जो साम्राज्यवाद की जड़ों को हरा करने के लिए किया जायगा वे सहायक नहीं होंगे। हम और अधिक भुलावे में नहीं रखे जा सकते हैं। इन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए कि शान्ति-प्रिय जाति के देश को लूटने वा छीनने के उद्देश्य से वे किसी देश से लड़ने नहीं जायँगे। परन्तु साथ ही वे विदेशों से सम्बन्ध रखना पसन्द करेंगे और पीड़ित मानव-समाज की सहायता करेंगे जैसे चीन में मैडिकल मिशन भेजकर उन्होंने चीन की सहायता की है। यह स्मरण रखना चाहिए कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भारत के लिए एक बड़ा ख़तरा है। हमें इससे पाठ ग्रहण करना चाहिए। स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक हम इसकी पुनः प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करेंगे तब तक कोई जाति हमें वह नहीं देगी। हमें अपने पैरों पर खड़े होकर स्वतन्त्रता की प्राप्ति करनी चाहिए तथा दासता को देश निकाला देना चाहिए।

चीनियों का धर्म

[ले०—श्री पं० वीरेन्द्रकुमार वेदालङ्कार प्रचारक, सार्वदेशिक सभा सिंगापुर]

मलाया देश के नाम से यद्यपि भारतीय बहुत दिनों से परिचित थे। महाभारतादि ग्रन्थों में इसको मलयद्वीप के नाम से पुकारा गया है। मलाया में भारतीयों ने अपने धर्म का प्रचार किया था। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली की तरफ़ से पिछले ३-४ मास से मुझको एक आर्य प्रचारक की हैसियत से मलाया में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मलायी लोगों के रीति रिवाजों को बड़े ध्यान से देखने से पता लगता है कि इस देश की भाषा धर्म तथा सामाजिक संगठन पर हिन्दू संस्कृति की कभी गहरी छाप पड़ी थी जिसका कि प्रभाव हमको बहुत दिन गुज़र जाने पर भी इस समय दृष्टिगोचर होता है। परन्तु इस विषय पर सार्वदेशिक के पाठकों के सामने फिर कुछ अवश्य लिखूँगा। अब नहीं।

पाठक शायद इस लेख के शीर्षक को देखकर थोड़ा आश्चर्य करें कि मलाया के साथ चीनियों के धर्म का क्या ताल्लुक है। वस्तुतः बात यह है कि मलाया में चीनियों की आबादी इतनी है कि यदि मलाया को हम आबादी के विचार से चीन का ही एक प्रान्त समझ लें तो शायद अत्युक्ति न होगी। मलाया का सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय चीनियों के हाथ में ही है। यहां के असली निवासी जिनको कि मलायी कहते हैं प्रायः ग्रामों में ही बसे हुए हैं। सिंगापुर, कोलालपुर, इपोह, पिनांग आदि बड़े शहरों में मलायी लोग बहुत ही अल्प संख्या में रहते हैं। और इनका मुख्य पेशा मोटर ड्राइवरी है। यह बात बड़े आश्चर्य की है कि मलाया जिन लोगों का देश है उनकी ही स्थिति अपने देश में अत्यन्त शोचनीय है। न इनकी कोई दूकान है न व्यवसाय है। ये इन कार्य्यों को करना अपनी स्वतन्त्रता का अपहरण समझते हैं। सिंगापुर की पांच लाख आबादी में से लगभग चार लाख चीनी लोग हैं। ऐसा ही मलाया के अन्य शहरों में है। अतः मलाया के अन्दर रहने वाले चीनियों के धर्म के विषय में अवश्य कुछ विचार करना चाहिये।

चीनी लोगों ने बड़े कष्ट के अन्दर अपनी मातृभूमि को छोड़ा और ग़रीबी से दिन काटते हुए मलाया में रहने लगे। नवीन वैज्ञानिक युग के प्रभाव के कारण खानों से टीन,

सोना, चांदी निकाले जाने लगे और इस व्यवसाय को चीनियों ने ही सबसे पूर्व अपनाया तथा चीनी लोग करोड़पति होगये।

चीनियों ने अपनी मातृभूमि ही नहीं छोड़ी किन्तु उन्होंने अपने धर्म की भी तिलाञ्जली दे दी। मलाया में रहने वाले अधिकांश चीनी ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। आदित्यवार को सिंगापुर के गिरजाघर चीनी स्त्री पुरुषों से भरे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। मुझको अपने एक चीनी मित्र डब्ल्यू एच फेंग से यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि चीन की आबादी का भी ज्यादा हिस्सा ईसाई हो चुका है उन्होंने बताया कि डाक्टर सनयात सैन ईसाई थे तथा चीन जापान-युद्ध में चीनके नेता चांगकाई भी ईसाई हैं अतः इस समय चीन में ईसाई आबादी बढ़ चुकी है। मैं अपने मन में सोचने लगा कि जो चीन अपनी संस्कृति को सबसे पुराना बनाने का दम भरता है वह अपने धर्म तथा संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अपना रहा है। क्या इस तरह से चीन की सरकार को कोई निश्चित धर्म्म स्वीकार कर लेना चाहिये उसी धर्म को जनता को मानने के लिये वाध्य होना चाहिए परन्तु अब तक चीन के नेता यह निश्चित नहीं कर सके हैं कि चीनी लोगों का धर्म क्या होना चाहिए। क्या धर्म का गुरु वृद्ध भारत अपने पड़ौसी चीन की इस विषय में सहायता कर सकेगा ? चीन का तथा भारत का सम्बन्ध पुराना है इस बात को प्रत्येक इतिहास का पढ़ने वाला मानता है। सिंगापुर के चीनी अधिकांश में ईसाई धर्मावलम्बी हैं तथापि उनके हृदय में भारतीयों के प्रति असीम श्रद्धा तथा प्रेम का भाव वर्तमान है। इस लिए मेरे विचार मे भारतवर्ष को अपने पड़ौसी चीन के साथ सम्बन्ध पैदा करने के लिए इस समय भी प्रयत्न करना चाहिए। चीनी लोगों के हृदय में यह विचार घर कर गया मालूम देता है कि चीन का प्राचीन धर्म तथा संस्कृति मृत प्रायः हो चुकी है। अतः इसको छोड़कर कोई नया रास्ता ढूँढना चाहिए। अतः चीनी नवयुवक जीवन प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म तथा संस्कृति का अन्धा अनुकरण करने के लिए उत्सुक दीखते हैं परन्तु वास्तव में विचार तो यह करना है कि क्या वास्तव में चीनी नवयुवकों तथा नेताओं को इस प्रकार अपने ध्येय में सफलता मिल सकती है या नहीं। मेरे पास तो इसका उत्तर यही है कि कोई भी देश अन्धा अनुकरण करके उत्थान नहीं कर सकता

जिस प्रकार चीन की सभ्यता बहुत पुरानी है उसी प्रकार भारत की सभ्यता चीन से भी प्राचीन है परन्तु इसमें भेद केवल इतना है कि भारतवर्ष के इतने दिनों से ईसाई धर्मावलम्बियों के आधीन होने पर भी सिर्फ ६० ला.ख ईसाई अब तक हैं। परन्तु चीन के

राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र रहने पर भी चीन की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ईसाई होचुका है। यही कारण है कि चीन का धर्म और संस्कृति जीवन रहित दिखाई पड़ रही है। तथा चीनियों का उस पर से विश्वास उठ रहा है और जो थोड़ा बहुत जीवन दीखता भी है उसके उत्पन्न करने वाले चीन में चाँगकाई शेक जैसे ईसाई नेता हैं। परन्तु भारतवर्ष में यह विशेषता आरम्भ से है कि राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से पराधीन होने पर भी भारत ने सांस्कृतिक, धार्मिक पराधीनता कभी स्वीकार नहीं की है। भारत के धर्म में यह विशेषता अब भी वर्तमान है कि वह स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ टैगौर जैसे महापुरुषों तथा विद्वानों को अब भी जन्म दे सकता है। किसी देश के पतन की पराकाष्ठा तभी समझनी चाहिए जब उस देश में महापुरुष पैदा होने बन्द हो जावें। जो संस्कृति धर्म महापुरुषों को पैदा कर सकती है उसको प्राचीन होने पर भी मृत प्रायः कैसे कह सकते हैं। जो धार्मिक और राजनैतिक सेवा शंकराचार्य, राणाप्रताप, शिवाजी आदि नेताओं ने की है उससे अधिक बढ़कर सेवा आर्यसमाज और उसके प्रवर्तक ऋषि दयानन्द ने की है। अतः चीन की अवस्था को देखने से आर्यसमाज की आवश्यकता स्पष्ट प्रतीत होने लगती है जिसके लिये भारत के प्रत्येक नर नारी के ऊपर ऋषि का महान् ऋण है जिसे उतारने के लिए हमें हमेशा उद्यत रहना चाहिए अब प्रश्न रह जाता है कि 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' के अनुसार कार्य करना है या नहीं यदि करना है तो भारत की धार्मिक संस्थाओं को इसके लिए तैयार होजाना चाहिए। चीन की आबादी तथा भारत की आबादी मिलकर दुनिया के आधे से अधिक है। अर्द्ध संसार से अपना सम्बन्ध बनाये रखना यदि चाहते हैं तो मेरे विचार से भारत के धार्मिक विद्यालयों में चीनी भाषा का अध्ययन आवश्यक रूप से होना चाहिए। चीनी भाषा को पढ़कर आर्य प्रचारक दुनिया के एक बड़े भाग से अपना सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ हो सकेंगे और अपने पड़ौसी चीन को मार्ग प्रदर्शन कर सकेंगे।

बलिदान

[४]

(हैदराबाद सत्याग्रह की सच्ची कहानियां)

लेखक—विद्यानिधि सिद्धान्तालङ्कार

(क्रमागत)

❀

मलखान

रुड़की के पास रामपुर गाँव में सूर्यवंशी ठाकुरों की बस्ती है । मलखानसिंह वहीं रहता है । अपने पूर्वजों का उष्ण रक्त अब भी उसकी धमनियों में बहता है । स्वाधीनता के दिव्य मंत्र का कट्टर उपासक है । पिछले दिनों, जब एक महात्मा के आह्वान पर, कांग्रेस ने नौकरशाही के विरुद्ध सत्याग्रह का विपुल संग्राम छेड़ा था, मलखान, काँग्रेसी सैन्य में भरती होकर, भीषण लाठी वर्षा में हँसते २ जा घुसा था । कई मास की सख्त क़ैद भोगकर जब वह विजयी वीर की भांति अपने ग्राम में लौटा था—ग्रामवासियों ने उसका हार्दिक अभिनन्दन किया था । वह अनाथों का रक्षक, दुखियों का सहारा और शरणागत वत्सल था ।

उस दिन जब रुड़की का पहला जत्था हैदराबाद जाने लगा, मलखान उसके साथ हो लिया । लोगों ने बहुतेरा कहा "कम से कम पत्नी को तो सूचित कर दो"—मगर मलखान का जवाब तय्यार था ।

"वह अपने मायके है अब कौन खबर करता फिरे ।"

"और लड़का ?"

"वह भी अपनी माँ के पास है ।"

"तब तुम्हें इस तरह बालबच्चों से छुक छिप कर नहीं जाने दिया जायगा । दूसरा जत्था थोड़े ही दिन बाद रवाना होगा । उसमें चले जाना ।" अधिकारियों ने कहा ।

"सूर्यवंशी सदा हिरोल❀ में रहे हैं । मेरा स्थान पहले ही जत्थे में है ।"

दृढ़ स्वर में मलखान बोला ।

❀ राजपूती लड़ाइयों में सब से आगे चलने वाली सेना का नाम था ।

कोई चारा न देख अधिकारी चुप हो गये। मलखान को पहले जत्थे में जाने का गौरव प्राप्त हुआ।

× × ×

एक साल के सपरिश्रम कारावास का दण्ड पाकर वह जेल की चार दीवारी में बन्द कर दिया गया।

उसके गठीले बदन और तेजस्वी चेहरे पर वार्डरों और जेलदारोगा को भी डाह होती। तङ्ग करने के अभिप्राय से वे कभी २ उसे ३०-३० सेर ज्वार पीसने के लिए दे देते और न पिस सकने पर खूब मार लगाते। कभी कभी इतना वजन खिंचवाते, मस्त भैंसा भी जिसे मुश्किल से खेंच सकता।

इतनी मेहनत के बाद भोजन क्या मिलता? वही ज्वार की सूखी रोटी। आधी रेत मिली हुई। लालमिर्चों और तेल से भरा दाल का पानी, जिसमें डुबकी लगाने से भी एक दाना न मिले। पीने को पानी की मुश्किल। चौबीस घण्टे में सिर्फ दो छोटी छोटी लुटियायें। मलखान के ओठ भी न भीगते। उसे सोने के लिए जो कोठरी दी गई थी उसमें सूर्य की किरणें भी आने से घबरातीं।

मगर सत्याग्रही के लिए इन कष्टों की शिकायत कहां? वह तो हँस हँस कर ऐसी विपत्तियों का सामना करता है। मलखान सत्याग्रह-संग्राम का मंजा हुआ सिपाही था। गिड़गिड़ाना, घबराना उसे न आता था।

वार्डर लोग इस पर और भी खिजते। वे दारोग़ा से बिना पूछे ही उसे तरह तरह की मनमानी आज्ञाएँ दे देते।

एक दिन, कड़ी मेहनत करने के बाद भी, यह २५ सेर बाजरा न पीस सका।

वार्डरों का मौका लग गया। तुरन्त दारोगा से शिकायत की।

"वह तो अच्छा खासा तन्दुरुस्त जवान है। उससे इतना मामूली सा काम भी न हो सका?"

दारोगा ने पूछा।

"चाहे तो सब कर सकता है, हुजूर। थाली पर बैठकर कटोरे के कटोरे दाल पी जाता है। मस्त पड़ा है।"

"फिर?"

"मजहब पाक और दीनदारों की खिल्ली उड़ाने से फुरसत मिले तब न?"

"हूं!" दारोगा का चेहरा गम्भीर हो गया।

सायंकाल होते न होते मलखान डण्डा बेड़ी में पड़ा था। रातभर अकेला सूनी कोठरी में पड़ा रहा।

धीरे २ प्रभात हुआ। कौओं की आवाज सुनकर मलखान ने अनुमान लगाया सवेरा हो गया है।

इतने में ही कोठरी का दरवाजा खुला और जेल दारोगा हँसते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। जब तक मलखान कुछ पूछता वह धीरे २ बोला—

"बाहर एक वार्डर कलम दवात लिए खड़ा है। यह लो, माफ़ीनामा। मैं तब इस कोठरी से बाहर जाऊँगा, जब इस पर तुम्हारे दस्तखत देख लूँगा।"

"और यदि मैं न करूँ, तब ?" मलखान बोला।

"तो आज की रात देखने के लिए तुम दुनियां में ज़िन्दा न रह सकोगे।" कठोर स्वर में दारोगा बोला।

"बोलो, दोनों में से तुम्हें क्या पसन्द है ? रिहाई या मौत ?"

"ऐसी कायरतापूर्ण रिहाई की अपेक्षा मैं मौत को ज्यादः अच्छी समझता हूँ।" दृढ़ निश्चयात्मक स्वर में मलखान बोला।

"तो वही हो।"—कहकर दारोग़ा बाहर निकल गया। और थोड़ी ही देर में चार दीर्घ काय अरब उस कोठरी में घुस आये।

.....धीरे २ पांच बज गये। सायंकाल हो आई। जेल से बाहर डूबते सूर्य की मन्द किरणें और पौधों पर पड़ रही थीं। बहुत दूर, गांव के किसान खेतों में स्वच्छन्द गीत गा रहे थे। गांव को आनेवाली पगडंडी पर गाय भैंस के झुण्ड धीरे २ घर को चले आ रहे थे। ग्वाला गा रहा था।

अकस्मात् मलखान की कोठरी पर से एक बड़ी चिड़िया विकट रुदन करती हुई उड़ गई। यह मलखान की चेतना थी। उसका घायल शरीर शाम होते न होते जेल-अस्पताल में उपस्थित था। बेहोश। संज्ञाहीन।

सुदूर, ८०० मील के फासले पर, अपने मायके में बैठी मलखान की स्त्री को, ठीक उसी समय, मानों किसी ने भालों से बींध दिया हो। वह स्त्री सुलभ संकोच त्याग कर अपनी मां से बोली—

"मुझे रामपुर भिजवादो। मेरा जी घबड़ा रहा है। उन्हें.....उन्हें....."—उससे आगे न बोला गया। वह उच्छ्वसित स्वर में रोने लगी।

"यह तुझे एकाएक क्या होगया, बेटी ? अरे, तू रो क्यों रही है ? क्या बात है ?" उसकी मां ने पूछा।

"जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है ! मेरा दम घोट रहा है ! मां, मां ! ...वे...वे"

—वह पागलों की तरह आकाश के शून्य में ताकने लगी। जैसे उसे कोई बुला रहा हो।

उसी समय, ठीक समय, हैदराबाद जेल के भैरव-चिकित्सालय में मलखान के प्राण पखेरू उड़ गये। इधर उसकी स्त्री चीख मारकर बेहोश होगई।

.....जब वह जागी प्रभात हो चुका था। उसके मां बाप उसे होश में आये देख आनन्द से उछल पड़े। उसकी मां धीरे २ उसके मस्तक पर हाथ फेरने लगी।

नीचे से डाकिये ने पुकारा। एक तार था। कांपते हाथों खोलकर वह पढ़ने लगा—

"हैदराबाद जेल में कैदी मलखान का अस्पताल में देहान्त होगया।" तार में लिखा था।

एक बार चीख कर मलखान की स्त्री फिर बेहोश होगई।

संन्यासी

मद्रास में एक सुन्दर आश्रम है बहुत दिनों से एक वृद्ध संन्यासी इस में निवास करते हैं। नाम है, सत्यानन्द। उनका नाम बहुत प्रसिद्ध न था। परन्तु आस पास रहने वाली जनता उन पर बड़ी श्रद्धा रखती थी। मानसिक व्यथाओं से सन्तप्त नागरिक उनके समीप बैठकर शाँति प्राप्त करते थे। दुखियों के दुःख दूर करना ही उनके जीवन का चरम लक्ष्य था।

एक दिन ग्रीष्म ऋतु के अन्त में, जब वे अपने छोटे से उद्यान में टहल रहे थे, अस्ताचलगामी सूर्य की क्षीण प्रभा उनके आश्रम वृक्षों पर मन्द मन्द पड़ रही थी, किसी ने उनके कान में आकर कहा—'बलिदान चाहिए'

संन्यासी ने चौंक कर पूछा—

" कहां ?"

"भाग्य नगर में। बोलो तय्यार हो ?" आवाज़ ने पूंछा।

"हां। मेरे प्रभु देव"—कह कर संन्यासी ने सिर झुका दिया।

सहसा उन्हें एक रोमांचकारी दृश्य देख पड़ा। उन्होंने देखा भाग्यनगर के एक

संकुचित मैदान में एक अनन्य सुन्दरी मूर्छित पड़ी है। वह··· ··· ·····। यज्ञों की पवित्र आहुतियां न पाने से, अतिथियों को दी जाने वाली पौष्टिक बलियें न मिलने से, वैदिक ऋचाओं की श्रोत्र मधुर ध्वनियें न सुनने से, वह निस्तेज और मन्द होचुकी थी। उसकी आंखों में आंसू और हृदय में उच्छ्वास था।

इस दृश्य को देखकर संन्यासी का करुणा-पूर्ण हृदय विचलित हो उठा। वे तत्काल उसका कष्ट दूर करने के निमित्त भाग्य नगर को प्रस्थित होगए।

अनेक दिनों की तीर्थ यात्रा के बाद वे राज्य की सीमा में प्रविष्ट हुए। सीमा पर नियुक्त रक्षकों ने पूछा—

"कहां जाता है रे, फ़क़ीर ?"

"आर्य जाति को वैदिक धर्म का पुरातन सन्देश सुनाने" संन्यासी ने शान्त भाव से उत्तर दिया।

"गिरफ़्तार करलो"।

तत्काल हथकड़ी बेड़ी डाल दीं गईं।

संन्यासी होकर भी सत्यानन्द कर्म काण्ड के पक्के थे। यज्ञ में आहुति दान किए बिना वे अन्न न ग्रहण करते थे। मगर उस जेल में पवित्र यज्ञ का क्या काम ? वे तो उसके संहारक थे। उन्हें यज्ञ करने की आज्ञा न मिली।

कैदियों को, भोजन के लिए ज्वार की सूखी रोटियें और दुर्गन्धित तैल पूर्ण दाल नित्य परोसी जाती थी। सत्यानन्द को भी वह दी गई। मगर अग्नि को तृप्त किए बिना वे भोजन कैसे पासकते थे ? वार्डरों ने समझा संन्यासी भूख हड़ताल की धमकी दे रहा है। तुरन्त उन्हें काल कोठरी में निर्वासित कर दिया गया।

भयानक प्रहार, दारुण यातनायें दे कर, जिस दिन मूर्छा की अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया उनकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी। उनका नासिका से रुधिर बह रहा था। गर्दन के पृष्ठ भाग पर गहरी चोट के निशान थे।

सायंकाल हो गई। संसार का समस्त प्रकाश समेट कर सूर्य भगवान अस्ताचल की ओट में छुपने के लिए तय्यार हुए। उधर संन्यासी के बलिदान का समय भी निकट आपहुँचा। उनके मस्तक पर अन्तिम प्रस्वेद प्रकटहोगया अन्तिम चेतना से संन्यासी की मूर्छा भङ्ग होगई। उन्होंने लेटे ही लेटे ओंकार का स्मरण किया और दो बार दीर्घ श्वास लेकर सदा के लिए देह से मुक्त हो गए।

दो वार्डरों ने उनकी देह को टाट में लपेट कर एक सूनी कोठरी में पटक दिया ।

*　　*　　*

आश्रम पर अब भी सूर्य चमकता है । पक्षी चहचहाते हैं । फूल खिलते हैं । हवा बहती है । मगर अब वहां सत्यानन्द नहीं दीखते । आत्मज्ञान के पिपासु अब भी भूखे भटके उस आश्रम में आते हैं मगर संन्यासी का वरद हाथ अब उन्हें प्राप्त नहीं होता ।

सत्यानन्द अब संसार में नहीं है । सिर्फ उनकी बलिदान कथा सुनाने वाले पक्षी उनके आश्रम वृक्षों में बैठे आर्त-गान किया करते हैं ।

शहीदों की कहानी

(गताङ्क से आगे)

हैदराबाद सत्याग्रह आन्दोलन की एक और पवित्र आहुति

अमर हुतात्मा वीर कुं० ताराचन्द जी का संक्षिप्त जीवन वृतान्त

आपका जन्म ग्राम लूम्ब (मेरठ) के देश-भक्त और दृढ़ आर्य जाट कुल में सं० १९७७ विक्रमी में हुआ था। आपके पिता का शुभ नाम चौ० केहरसिंह जी है और माता श्रीमती भगवानी देवी जी हैं। आप तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। आपके पिता का देहान्त कई वर्ष पूर्व हो चुका था। आपके बड़े (ज्येष्ठ) भाई चौ० बलजित् सिंह जी हैं और बीच के पं० महिपालसिंह जी शास्त्री हैं जोकि आर्य महाविद्यालय किरठल के सुयोग्य स्नातक और जाट स्कूल संगरिया मण्डी में अध्यापक एवं सुपरिण्टेण्डेन्ट हैं। वीर ताराचन्द शिशु अवस्था से ही हंसमुख और उद्योगी थे। हिन्दी और उर्दू की उत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। आपके चचा श्री० चौ० रामचन्द्र जी की देश भक्ति की छाप आपके हृदय पर पूरी अङ्कित थी। उनकी कांग्रेस जेल यात्रा की घटनाएँ बड़े प्रेम से सुनते थे। वैदिक धर्म और भगवान् दयानन्द में अगाध श्रद्धा थी। जिस समय आर्य महाविद्यालय किरठल (मेरठ) के कुलपति श्री० पं० जगदेवजी शास्त्री "सिद्धान्ती" अपना दल लेकर हैदराबाद सत्याग्रह में जाने को तैयार हुए उसी समय आपने बड़े उत्साह से अपना नाम वीर सत्याग्रहियों में लिखा दिया। आपके साथ ही आपके देश-भक्त चचा के सुयोग्य सुपुत्र कुं० विरजानन्द जी और कुं० कलीराम जी भी सत्याग्रही बन गये। आपका गत वर्ष ही विवाह संस्कार हुआ था। सत्याग्रह में चलते समय आप की माता जी ने पहिले तो कहा कि तुम नादान हो वहां बहुत सख्तियां हो रही हैं तुम न सह सकोगे अतः न जाओ। परन्तु पुत्र के दृढ़ निश्चय को जानकर माता जी ने आशीर्वाद देकर धर्म युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। आपकी धर्मपत्नी ने भी आर्य वीराङ्गनाओं की भान्ति आपको तिल देकर

विदा किया। ३ अप्रैल ३३ ई० को गांव से बड़े गाजे-बाजे के साथ आप तीनों (कुं० ताराचन्द, विरजानन्द और कबीराम) आर्य महाविद्यालय किरठल के प्रथम दल पति श्री० सिद्धान्ती जी की सेवा में पहुँच गये। ४ अप्रैल को दल भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रचार करता हुआ १७ अप्रैल को शोलापुर पहुँच गया। १९ को बार्शी पहुँचा और २० अप्रै० को प्रसिद्ध मोर्चे तुलजापुर के लिये रवाना होगया। तुलजापुर से ४ मील के अन्तर पर ही आप गिरफ्तार कर लिए गये। जत्थे पर बहुत मार पड़ी। लाठी और बेतों का खुला प्रयोग पुलिस ने किया। सारे सत्याग्रही दृढ़ रहे। कोई नहीं घबड़ाया।

धर्मवीर ताराचन्द

रात्रि के समय थाने में अलग २ बन्द कर दिए। नवयुवक अलग थे। श्री० सिद्धान्ती जी के पूछने पर आपने कहा कि हम नौजवानों की आप चिन्ता न करें चाहे प्राण जावें परन्तु हम अविचल रहेंगे। २१ को नलदुर्ग भेज दिये गये। वहां ६-६ मास की सजा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। २४ अप्रैल की रात्रि मे श्री० सिद्धान्ती जी, आप और ११ सत्याग्रही नलदुर्ग मे काल कोठरी में बन्द कर दिये गये कोठरी केवल ७ फ़ीट वर्गाकार थी। उसके पश्चात् आपको क्रमशः उस्मानाबाद, औरङ्गाबाद और हैदराबाद की जेलों में भेजा गया। औरङ्गाबाद में श्री० म० कृष्ण जी सर्वाधिकारी के जत्थे के पहुँचने पर जो लाठी चार्ज हुआ तब आप वहीं थे। १० जून को आपको श्री० आचार्य

मुक्तिराम जी के साथ (१०० सत्याग्रही) हैदराबाद भेज दिया। वहां स्पेशल वार्ड नं० २ में रहते थे। आप लोगों से बहुत सख्त कार्य लिया गया। श्री० सिद्धान्ती जी भी औरङ्गाबाद से परभनी और फिर हैदराबाद भेज दिये गये। १६ अगस्त को आपसे वह मिले। उस समय आप कुछ रुग्ण थे। आप बड़ी श्रद्धा से उनसे मिले और बातें की। १८ अगस्त को आपको छोड़ा गया। वर्षा बड़े ज़ोरों पर थी। वस्त्र केवल शरीर पर ही थे। चान्दा केन्द्र पहुँचते २ आपको बहुत वेग से ज्वर होगया। निमोनिया का आक्रमण हो गया। ऐसी अवस्था में नागपुर में श्री० डा० परांजपे जी ने आपको उतार कर अपने पास रक्खा। बड़ी सावधानी से औषधोपचार किया और फिर हस्पताल में प्रवेश करा दिया। वहां भी कई योग्य डाक्टरों ने इंजेक्शन आदि आदि द्वारा आप का इलाज किया, परन्तु जो होना था वही होगया। आपके चाचा चौ० श्री रामचन्द्रजी ३० अगस्त की शाम को नागपुर पहुँच गये थे। आपने अपने चचा को देख कर नमस्ते की और कहा कि अच्छा किया आप आगये परन्तु मैं अब जीवित नहीं रह सकता। मेरी ओर से सबको नमस्ते कहना। अन्त में २ सितम्बर को प्रातः ५ बजे हमारा वीर अमर हुतात्मा कुं० ताराचन्द वैदिक धर्म की सेवा करता हुआ हैदराबाद की बलिदान भूमि की भेंट चढ़ गया। परमेश्वर आप सदृश वीरों को हमारे पवित्र आर्यावर्त्त में जन्म देता रहे ताकि यह आर्य जाति पवित्र वेद के सन्देश को सर्वदा सर्वत्र फैलाती रहे। भगवन् हमारे वीर हुतात्माओं को सद्गति प्रदान करे*। इत्योम् ॥

रघुवीरसिंह शास्त्री
मुख्याधिष्ठाता
आर्य महाविद्यालय किरठल

---

* आर्यसमाज और हिन्दू सभा नागपुर ने बड़े समारोह से आपके शव का जलूस निकाला और बहुत उत्तम रीति से शरीरान्त संस्कार किया। हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। आपकी बीमारी के समय श्री० चौ० बारूसिंह जी बुपाड़ा (मुजफ्फरनगर) निवासी साथ रहे। उन्होंने महाविद्यालय किरठल और लूम्ब स्वयं जाकर सूचना दी। उनके हम विशेष आभारी हैं।

यूरोप में युद्ध छिड़ गया

लेखक—श्री रामानन्द चटर्जी

*

हर हिटलर के डैनजिग और कौरिडर को बलात् छीन लेने के निश्चय के फलस्वरूप यूरोप में युद्ध छिड़ गया है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि किसी समय ये दोनों जर्मनी के अङ्ग थे। इन भागों का जर्मनी में पुनः मिलाया जाना उचित है, यह विवादास्पद है। पोलैण्ड के सहायक यह चाहते थे कि जर्मनी के उन भागों की मांग की एक स्वतन्त्र ट्रिब्यूनल के द्वारा जांच होनी चाहिए परन्तु हिटलर बलात् उन्हें हस्तगत करना चाहता था और उसने ऐसा कर भी लिया है।

सही तौर पर या ग़लत तौर पर आज संसार विविध राज्यों में विभाजित है। यदि न्याय के नाम में यह अनुभव किया जाय कि देशों का पुनर्विभाजन होना चाहिए तो ऐसा करने के लिये शान्त उपायों का आश्रय लिया जाना चाहिए। परन्तु इसके स्थान में यदि ताक़त को स्थान दिया जाय तो युद्ध का कहीं भी अन्त न होगा। पहले डैनजिग जर्मनी का भाग था और इसके बाद इसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व हो गया था। यह सम्भव है जर्मनी में मिलने के बजाय उसे अपना स्वतन्त्र अस्तित्व पसन्द हो तब फिर क्यों नहीं स्वतन्त्र ट्रिब्यूनल द्वारा न्याय का निर्णय कराया जाय।

वकीलों के कथनानुसार समय की अवधि किसी दावे की जांच में बाधक नहीं हो सकती है। परन्तु समय की अवधि क्या है? बहुत समय नहीं हुआ है जब जर्मनी स्वयं स्टेट नहीं थी। कोई यह भी सोच सकते हैं कि बिस्मार्क के समय से पूर्व के समय की अवधि लागू होनी चाहिए और यदि उन्हें पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो जाय तो वे इसके लिए यत्न भी कर सकते हैं। यदि महत्वाकांक्षा, ताकत और कल्पना का बोलबाला हो जाय तो तमाम देशों और महाद्वीपों में देश के बटवारे के लिए युद्ध छिड़ जाय। उदाहरण के लिए पहले हिन्दुस्तान के कुछ भाग अफगानिस्तान के भाग थे और भूतपूर्व राजा अमानुल्ला ने बलात् छीनने का यत्न किया था। पहले अफगानिस्तान के कुछ भाग हिन्दू साम्राज्य के अङ्ग थे और महाराजा रणजीतसिंह ने उस देश के कुछ हिस्से अपने सिक्ख राज्य में मिला लिए थे।

परन्तु यदि मानव सभ्यता को उन्नति करने देना है तो उन प्रदेशों का हस्तगत करना जो न्यायानुकूल दूसरों के हो चुके हैं, बन्द होना चाहिए।

हैदराबाद और वैदिक धर्म प्रचार

हैदराबाद का सत्याग्रह समाप्त हो गया और उसकी सफलता के सम्बन्ध में जो कुछ उत्सव आदि करने थे वे भी पूरे हो चुके। हमने अब तक जो बोया था उसकी फसल को काट चुके और ईश्वर को धन्यवाद भी दे चुके। अब तो नई फसल बोना है। वस्तुतः यह तो खेत की जुताई का समय था। बोना तो अब आरम्भ होना है।

हैदराबाद में क्या करना है? सभी जानते हैं "वैदिक धर्म प्रचार"। परन्तु क्यों? इसलिए कि हमारी समझ में जाति अथवा मनुष्य समूह की उन्नति के लिये वैदिक धर्म प्रचार ही सब से उत्कृष्ट साधन है।

हम को किसी से बैर नहीं। न इस्लाम से न अन्य धर्मों से। और मुसल्मानों से तो बैर का कोई कारण ही नहीं। वे हमारे भाई हैं। मनुष्य मात्र का हित करना आर्य समाज का कर्तव्य है। मुसल्मानों का हित भी हमको उतना ही अभीष्ट है जितना अन्य किसी मनुष्य-समूह का।

हैदराबाद सरकार से हमको कोई द्वेष नहीं। द्वेष तो पहले भी न था। शिकायत थी, या यों कहिये कि अपना रोना, रोना था। निजाम सरकार जैसी मुसल्मानों की सरकार है उसी प्रकार आर्यों की भी। उनके राज्य में मुसल्मान प्रजा भी है और आर्य प्रजा भी। हैदराबाद के मुसल्मान अपनी कठिनाइयों के लिए अपने राजा अर्थात् निजाम साहेब के पास जाते हैं। उसी प्रकार वहां के आर्य भी अपनी कठिनाइयों को अपने उसी राजा के सामने पेश करते हैं। प्रजा में कुछ भिन्नता होते हुए भी राजा तो एक ही है और मेरा यह विचार है कि हैदराबाद के आर्य कुछ कम राजभक्त नहीं हैं।

रहा सामान्यतः आर्य समाज का सम्बन्ध। सो आर्य समाज किसी देश या रियासत के शासक या उसके परिवार के विषय में तो कुछ करती नहीं। उसे

तो मनुष्य मात्र को वैदिकधर्मी बनाना है। यही उद्देश्य है। इसीलिये सत्याग्रह के समय में भी आर्य समाज यही घोषणा करता रहा कि हम को न तो आलाहज़रत की ज़ात से कोई शिकायत है न उनके परिवार से। हमको अपने धार्मिक कृत्यों में कुछ बाधायें हैं उनको दूर कर दिया जाय। धन्यवाद है कि निज़ाम सरकार की घोषणा तथा आश्वासन से आशा बँध गई है और शिकायतें दूर होती जा रही हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में आर्य समाज तथा निज़ाम सरकार के सम्बन्ध अत्यन्त अच्छे रहेंगे। और दोनों ओर से यह प्रयत्न रहेगा कि बांसरी में किसी प्रकार की फाँस न पड़ने पावे। अब एक प्रश्न है। वैदिक धर्म प्रचार कैसे किया जाय? हमारा उत्तर यह है कि बड़े प्रेम के साथ। धर्म प्रचार का सबसे उच्च साधन यही है कि वहाँ के लोग आर्य समाज के धर्म को ग्रहण करने में अपना कल्याण समझने लगें। हम न तो उनको कुछ देना चाहते हैं न उनसे कुछ लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनमें बुराइयां दूर हों और उनकी सुखराशि में वृद्धि हो। जब उनको मालूम हो जायगा कि हम निस्वार्थ भाव से उनके सेवक हैं और हमारी सेवायें उनके भले के लिये हैं, तो बस आगे क्या चाहिए। वे स्वयं वही काम करेंगे जो हम उनसे कराना चाहते हैं।

सार्वदेशिक सभा हैदराबाद के कार्य को जिस दृष्टि से देखती है वह सर्वसाधारण की दृष्टि से भिन्न है। हम चाहते हैं कि सब की यही दृष्टि हो जाय जिससे काम सुगम हो।

सार्वदेशिक सभा की ओर से कार्य प्रारम्भ होगया है 'दक्षिण प्रचारसमिति' बन गई है। उसका कार्यक्रम भी निश्चित हो गया है। शोलापुर में उपदेशक विद्यालय शीघ्र ही खुल जायगा, और मराठी, कनाड़ी तथा तिलगू भाषा भाषी उपदेशक दक्षिण के प्रान्तों में कार्य करने के लिये सुलभ हो सकेंगे। आर्य जनता को इस विषय में बड़ा औतुसुक्य हैं, वे बेचैन हैं। परन्तु सभा को उनसे अधिक बेचैनी है। भेद केवल इतना है कि ठोस कार्य करने के लिये ढोल बजाने की जरूरत नहीं होती। और कभी कभी तो ढोल बजाने से ध्यान दूसरी ओर आकर्षित होकर कुछ विघ्न ही पड़ता है।

सभा ने यह भी विचार किया है कि दक्षिण के उपयुक्त साहित्य तैयार किया जाय। इसका भी सूत्रपात हो गया है। जो उलझनें दक्षिणी भारत के प्रचार में पड़ रही हैं चाहे छोटी हों चाहे बड़ी, उन सब की ओर सभा गम्भीरता से विचार कर रही है।

स्वभावतः हमारे शत्रु भी हैं और मित्र भी। शत्रुओं में बुद्धिमान शत्रु भी हैं और निर्बुद्धि शत्रु भी। मित्रों में भी वही दोनों कोटियाँ हैं। फिर कुछ धैर्यवान हैं और उतावले। उतावले शत्रु सर्वदा अच्छे होते हैं और उतावले मित्र सदा हानि कारक। यदि कोई शत्रु हमारे ऊपर गोली चलानेमें उतावलापन करे तो हम अवश्य बच जाएँगे और गोली हमारे सिर पर होकर गुजर जायगी। यदि डाक्टर फोड़ा चीरने में उतावलापन कर जाय तो मृत्यु अवश्यम्भावी है। इसलिये मित्रों का उतावलापन या मित्रों की भूल या मित्रों के सन्देह शत्रुओं के इन दोषों को अपेक्षा अधिक घातक हो जाते हैं। यह बात हम पर पूर्णतया लागू होती हैं। बहुत से मित्रों की ओर से बिना समझे अथवा बहुत सी बातों को बिना जाने भ्रम फैल जाते हैं। हमारे पास उन भ्रमों को दूर करने का साधन नहीं। भ्रम दूर करने में जो कठिनाइयाँ हैं वे रोग से भी अधिक भीषण हैं। इसी प्रकार सत्याग्रह सम्बन्धी जितनी बातें हमको ज्ञात हैं वे दूसरों को नहीं। कुछ अखबारों में निकल सकता है कुछ नहीं। कभी कभी समाचार पत्रों में कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जिनमें कुछ यथार्थता भी हो जाती है। वह जान बूझ कर नहीं किन्तु बिना जाने। कुछ शत्रु दल भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये कुछ लिख देते हैं मित्र दल विश्वास कर लेता है। सत्याग्रह के बीच में ऐसा हुआ। परन्तु आर्य समाजी भाई इसमें बहुत सावधान रहे। उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा। इससे परिणाम अच्छा हुआ। आगे भी यदि यही नीति रही तो परिणाम अच्छा होगा।

आर्य सार्वदेशिक सभा ने यह घोषणा की थी कि जो सज्जन अपने नाम से आर्य समाज मन्दिर बनवाना चाहें वह सभा को लिखें। हर्ष है कि कई सज्जनों ने अपने नाम भेजे हैं। और उनके धन से उस जगह समाज मन्दिर बनाये जायँगे जहां अत्यन्त उपयोगिता समझी जायगी।

हमारा विचार है कि सत्याग्रह के मुख्य क्षेत्र शोलापुर में भी एक आर्य समाज का मन्दिर बन जावे जिससे प्रचार की नींव स्थापित हो जाय। इस प्रकार दक्षिण के समस्त प्रान्त में इस नई जागृति से लाभ उठाना है। ईश्वर करे कि आर्य जनता के भाग्य में इस महान् कार्य का यश हो। और सार्वदेशिक सभा इस महान् कार्य के करने में सफल हो वेद माता की रक्षा तो परमपिता परमेश्वर के ही हाथ में है और इसी में हम अमृत पुत्रों का कल्याण है।

सार्वदेशिक आर्य्य-प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग तथा साधारण सभा के अधिवेशन ३० सितम्बर और १ अक्टूबर को देहली में हुए। इस वर्ष सदस्यों की उपस्थिति बहुत अच्छी थी। विभिन्न प्रान्तों के लगभग ४० सदस्यों ने भाग लिया था।

सभाका वार्षिक निर्वाचन प्रतिवर्ष मार्च वा अप्रैल के महीनेमें हुआ करता है परन्तु इस वर्ष हैदराबाद सत्याग्रह के कारण यह निर्वाचन उस समय नहीं हो सका था। अब यह निर्वाचन १-१०-३९ के साधारण अधिवेशन में हो गया है। प्रधान श्री माननीय घनश्यामसिंह गुप्त तथा मन्त्री श्री प्रो० सुधाकर जी निर्वाचित हुए हैं। कोषाध्यक्ष तथा पुस्तकाध्यक्ष भी गत वर्ष के ही रहे हैं तथा उप प्रधानों और उपमन्त्री में परिवर्तन हुआ है।

कटीन के काम के अतिरिक्त सभा के सामने दक्षिण प्रचार का मुख्य विषय विचारणीय था। दक्षिण प्रचार के कार्य्य क्रम को, जिसमें हैदराबाद प्रचार मुख्य है, क्रियान्वित किए जाने के उपायों पर भली भाँति विचार हुआ। विचार के समय आर्य्य प्रतिनिधि सभा निज़ाम राज्य के मन्त्री श्री बंशीलालजी भी उपस्थित थे। सभाने इस प्रचार के कार्य्य संचालन के लिए एक उपसमिति बनाई है जिसके सदस्य (१) श्री महात्मा नारायण स्वामी जी (२) श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी (३) श्री माननीय घनश्यामसिंह जी (४) श्री लाला देशबन्धु जी (५) श्री बंशीलाल जी (६) श्री विनायकराव जी तथा (७) श्री गंगा प्रसाद जी उपाध्याय हैं। श्री उपाध्याय जी इस समिति के संयोजक नियत हुए हैं। समिति ने अपना कार्य्य आरंभ कर दिया है। देहली की प्रथम बैठक में शोलापुर में एक उपदेशक विद्यालय खोले जाने का फैसला किया गया है जिसमें इस समय २० मराठी ६ कन्नरी और १५ तिलगू भाषी होनहार विद्यार्थी लिए जायँगे और उन्हें ट्रेनिंग देकर उपदेशक के रूप में तय्यार किया जायगा। १० उपदेशक प्रचारार्थ रखे जायँगे। इन सब कामों के लिये २००००) का बजट स्वीकार किया गया है।

हैदराबाद सरकार के साथ जिन शेष मामलों के तय किये जाने का कार्य हो रहा है उनकी जांच पड़ताल तथा भुगतान के लिए सभा ने श्री ला० देशबन्धु जी को नियुक्त किया है। इस सम्बन्ध में सभा का निश्चय इस प्रकार है—

1. The Sarvadeshik Sabha (International Aryan League) endorses the decision of the Working Committee in calling off the Satyagraha in terms of the Nagpur Resolution datad 8th August 1939, in recognition of the spirit of

conciliation exhibited in the Communique (8.8.39) of the Government of H.E.H. the Nizam and of the other considerations published and unpublished.

The Sabha appreciates the disciplined restraint exhibited by the Arya Samaj throughout the movement and more particnlarly after the calling off of Satyagraha movement.

The Sabha expects that the outstanding matters will soon be satisfactorily settled.

2. The Working Committee of the Sarvadeshik Sabha appoints Lala Deshbandhu Gnpta to go into and dispose of the matters still outstanding between the Hyderabad authorities and the Sabha and hopes that they will be satisfactorily settled without delay.

भरतपुर का मामला भी सभा के सम्मुख उपस्थित हुआ था। भरतपुर के ज़िम्मेवार आर्य भाईयों ने स्वयं उपस्थित होकर सब हालात बतलाये और सभा की आज्ञा मांगी थी कि राज्य के क्रिमिनल ला एमेण्डमेन्ट के अधीन समाज को रजिस्टर्ड कराया जाय वा नहीं। सभा ने वर्तमान स्टेज में इस मामले को अपने हाथ में लेना उचित नहीं समझा है। फिर भी आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान की सहायता के लिये, जो इस मामले को अपने हाथ में लिए हुए हैं, श्रीराय साहब मदन मोहन जी सेठ रिटायर्ड सेशन जज को नियुक्त किया है। इस सम्बन्ध में सभा की स्पष्ट सम्मति रजिस्ट्रेशन के क़तई विरुद्ध है।

विषय-सूची

सं०	विषय	लेखक	पृष्ठ
१	वेद की शिक्षा		४०५
२	कर्म की गति	श्री बा० पूर्णानन्द जी आगरा	४०६
३	वैदिक यज्ञ और साम्यवाद	श्री पं० अवधबिहारीलाल जी एम० ए०	४१२
४	निरक्षरता अब न रहेगी	श्रीयुत ऐस रामाचार जी	४१७
५	अन्तर्राष्ट्रीयता	श्री पं० रघुनाथ जी पाठक	४२३
६	वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति	श्रीमती सरोजनी नायडू के विचार	४२५
७	चीनियों का धर्म	श्री पं० वीरेन्द्रकुमार जी वेदालङ्कार सिंगापुर	४२७
८	बलिदान	श्री पं० विद्यानिधि जी सिद्धान्तालङ्कार	४३०
९	शहीदों की कहानी	श्री रघुवीरसिंह जी शास्त्री	४३६
१०	यूरोप में युद्ध छिड़ गया	श्री रामानन्द जी चटर्जी	४३९
११	सम्पादकीय	हैदराबाद और वैदिक धर्म प्रचार	४४०

भारतवर्ष तथा विदेश के आर्यसमाजों की सूची

समस्त भूमण्डल में जितनी आर्य समाजें हैं उनके पूरे पतों के सहित सूची सार्वदेशिक सभा ने अभी हाल में पुस्तक रूप में प्रकाशित की है। कागज छपाई आदि उत्तम है। मूल्य ॥) प्रति

मिलने का पता—

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली।

बीज

सस्ता, ताजा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का बीज और गाछ हमसे मँगाइये।

पताः—मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना)

ऋग्वेद ओ३म् यजुर्वेद

सार्वदेशिक

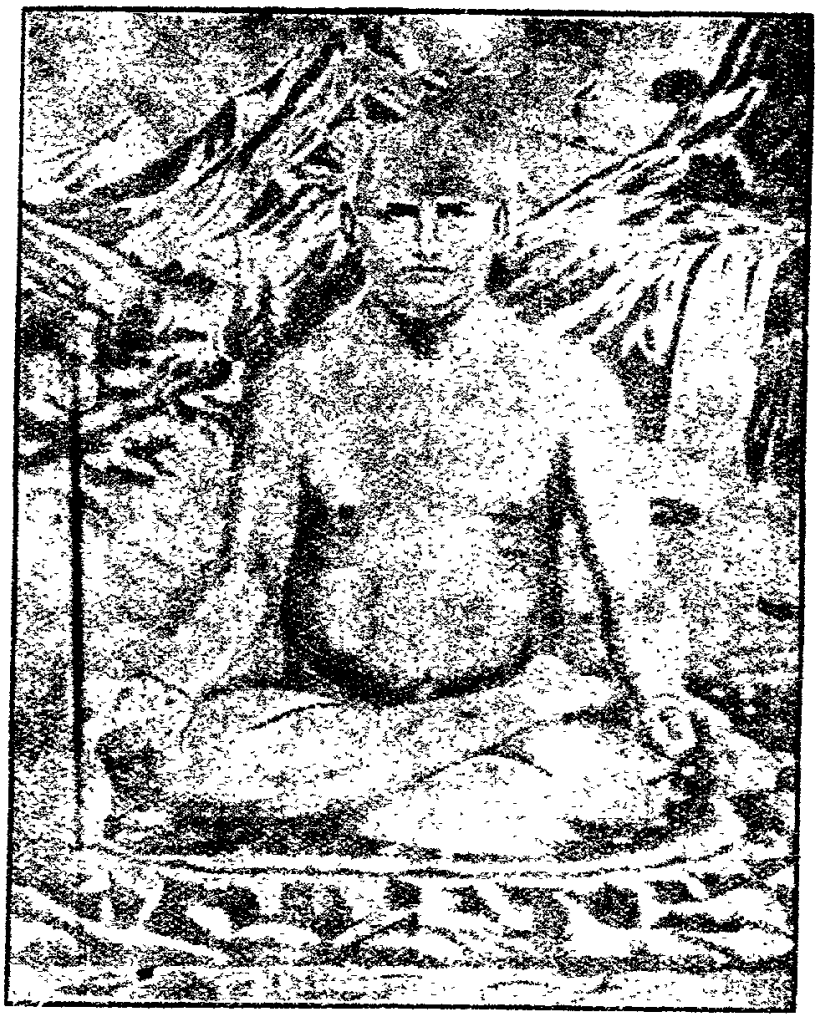

सम्पादक— प्रो० सुधाकर, एम०ए०

स० सम्पादक— श्री रघुनाथप्रसाद पाठक

वार्षिक मू० स्वदेश २), एक प्रतिका ≡) विदेश से ५ शि० वार्षिक

अथर्ववेद सामवेद

॥ ओ३म् ॥

* सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र *

वर्ष १३ | कार्तिक १९९६ | नवम्बर १९३९ ई०] [दयानन्दाब्द ११४ | अङ्क ९

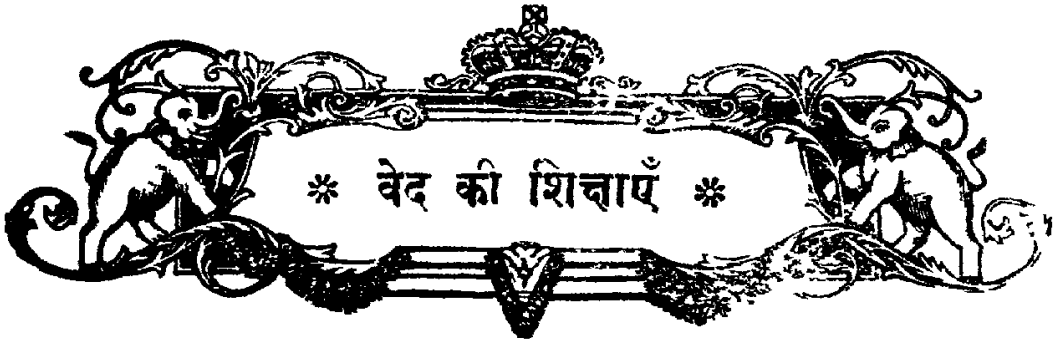

मान्तः स्थुर्नो अरातयः । ऋग्वेद १०—५७—१

हमारे अन्दर कञ्जूसी न हो ।

Let there be no miserliness or meanness within our hearts.

उतो रयिः पृणतो नोपदस्यति । ऋग्वेद १०—११७—१

दानी का धन घटता नहीं ।

Those who give freely in charity hardly find scarcity of money.

सोम की खोज

(लेखक—प्रियरत्न आर्य वैदिक रिसर्च स्कालर)

——:o:——

सेवाशरण दूसरों के संकट में कूदने का हृदय रखता था। अपने तन, मन और धन से पर सेवा करने में अपना सौभाग्य समझता था। वह पर्वतीय प्रदेशों में भूचाल से व्यथितों तथा दुर्भिक्ष से पीड़ितों की सेवा के लिए अनेक बार जा चुका था। उसके एक मित्र डा० दुखभञ्जन थे। ऐलोपैथिक के तो वे प्रकाण्ड विद्वान् थे ही, उधर आयुर्वेद में भी उन्होंने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर रखा था। एक बार सेवाशरण से डा० दुखभञ्जन ने यह विचार प्रकट किया कि भाई आयुर्वैदिक पुस्तकों में सोमवल्ली के बड़े महत्व वर्णन किये हुए हैं और वह पर्वत प्रदेशों में प्राप्त होती है, आप अनेक बार पर्वतों में गये हुए हैं आपको साथ लेकर मैं उसे खोजने के लिए पर्वत-यात्रा करूँ ऐसी मेरी इच्छा है, यदि मुझे सोम मिल जावेगा तो जहां इस प्राचीन सोम औषधि का आविष्कार करूँगा वहां उससे सैकड़ों हतभाग्य असाध्य रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकूँगा। सेवाशरण तुरन्त सर्व प्रकार से उनका साथ देने के लिए उद्यत् हो गया और निश्चय हुआ कि कश्मीर के ऊपर तिब्बत की ओर सोम का अतापता मिलता है। अतः वहाँ चलना चाहिए।

दोनों कुछ दिनों में अपने अभीष्ट पर्वत प्रदेश में पहुँच गए। किसी रम्य स्थान में डेरा लगाया, एक दिन जङ्गल में सोम की खोज के लिए चल निकले। सेवाशरण आगे आगे और डा० दुखभञ्जन पीछे पीछे हो लिए। आगे चल कर एक बहुत छोटी पत्ती वाली बूटी विचित्र सी देख झट कुछ पत्तियां तोड़ सेवाशरण ने सूँघ लीं, सूँघते हुए उसमें से तीखी और खटमल जैसी गन्ध आई। और तुरन्त सेवाशरण का सिर चकरा गया, वह अचेत हो भूमि पर गिर पड़ा। डा० दुखभञ्जन ने उसे झट सम्भाला और अपना स्थेटरकोप निकाल कर हृदय को देखा, उसके शब्दों को सुना, शब्द सुनाई पड़ते थे पर मंद अति मंद। डाक्टर सोचने लगा क्या हो गया, यह क्या हो गया। उसने कुछ सूँघते हुए नहीं देखा था, वह पीछे था, न जान सका कि क्या हो गया। एक दो मिनट पीछे सेवाशरण की नाक से खून भी आया तब डाक्टर घबड़ाया कि बात क्या है। डाक्टर मण्डूकपर्णी बूटी को पहिचानता

था वह पास में लगी हुई भी थी। उसने तुरन्त उसके कुछ पत्ते तोड़े और हाथों से मसल कर उनका रस सेवाशरण की नाक में डाला, सेवाशरण कुछ क्षणों में सचेत हो उठता है और वह स्वस्थ हो जाता है।

अब डाक्टर आगे और सेवाशरण पीछे पीछे चला। कुछ दूर पर कुछ मुड़े हुए आकार की कई रङ्ग की पत्ती वाली बूटी दिखलाई पड़ी। उस दिलचले सेवाशरण ने पत्ती तोड़ मुख में चबाली। दो तीन मिनट में चलते हुए उसे उलटी होने लगी, उसकी आवाज सुनकर डाक्टर ने पीछे देखा कि सेवाशरण उलटी कर रहा है। पर उलटी होते होते रुक गई। कुछ देर बाद एक तीव्र दस्त खून के साथ हो जाता है और व्याकुल तथा अचेत हो भूमि पर गिर पड़ता है। इस बार आकृति में बहुत अन्तर भी पड़ गया था। उसने स्थेटरकोप निकाला हृदय को देखा तो हृदय के शब्द सुनाई नहीं पड़े। वह घबराया कि क्या हुआ और अब मैं क्या करूँ परन्तु माथे पर पसीना था। डाक्टर यह देख आश्चर्य में पड़ गया कि हृदय का शब्द बन्द है और माथे पर पसीना है, यह क्या बात है। वह सहसा और उसने देखा कि समीप ही एक कोई साधु की कुटिया दिखाई देती है वह वहां गया। सन्त ध्यान मग्न बैठे हैं डाक्टर सोचता है कि मैं क्या करूँ, सन्त को आवाज़ दूँ या क्या करूँ, चुप रहूँ तो सेवाशरण का तब तक क्या होगा और आवाज दूँ तो सन्त का ध्यान टूटेगा, उसका पाप लगेगा। खैर डाक्टर के हृदय की पवित्र भावना का फल यह हुआ कि उस योगी ने आँखें खोलीं और कहा कि तुम सङ्कट में हो। तुम्हारा साथी मृतकल्प होगया, चलो मैं उसे अच्छा करता हूँ। वह योगी डाक्टर के साथ हो लिया। घटनास्थल पर पहुँच कर योगी ने सेवाशरण को देखा और कहा इसने सर्पबूटी खा ली है। देखो यह वह सर्प फण के आकार वाली बूटी खड़ी है। खैर कोई चिन्ता की बात नहीं है इस सर्पबूटी के पास देखो यह नागदमनी भी खड़ी है। योगीने उस नागदमनी को तोड़ और उसका रस निकाल सेवाशरण के मुख में नासिका द्वारा रस पहुँचाया। सेवाशरण की आँखें खुलीं और मुख भी खुल गया तथा वह उठ बैठा। पुनः योगी उन दोनों को अपने आश्रम में साथ ले आया। और कन्दमूल फलों से उनका आतिथ्य किया पुनः कुछ विश्राम के अनन्तर योगी ने पूछा।

योगी—पर्वतों में आप लोगों के आने का क्या निमित्त है?

डाक्टर—यह सेवाशरण जी मेरे परम मित्र हैं, बड़े सहृदयजन हैं। भूचालों से व्यथितों तथा दुर्भिक्ष से पीड़ितों की सेवा के लिए अनेक बार पहाड़ों में जा चुके हैं। जैसे घर के धनिक हैं वैसे दानी भी हैं। घर पर भी इनका सारा समय प्रायः सेवा कार्य में ही जाता है। बीच में ही योगी बोला—

योगी—धन्य हो यथा नाम तथा गुणः । उन माता पिता तथा नामकरण कर्त्ता को भी धन्य हो जिन्होंने ऐसा सुन्दर नाम रखा । उस आचार्य को भी धन्य हो जिसने नामानुसार गुणाधान कर योग्य बनाया ।

डाक्टर—मुझे सोम की खोज करने की इच्छा हुई और वह पर्वतों में पाया जाता है इसलिए इनको साथ लेकर मैं पर्वतों में आया हूँ ।

इतनी देर में कोई शिक्षित पुरुष आता है और साधु जी को प्रणाम करके बैठ जाता है । पूँछने पर अपना परिचय दिया कि मेरा नाम चन्द्रप्रकाश है । मैं श्रीनगर प्रताप कालिज में विज्ञान तथा खगोल विद्या का प्रोफेसर हूँ । अवकाश के दिन हैं हिमाच्छादित पर्वत शिखरों पर चन्द्रमा की ज्योत्स्ना की आभा देखने की इच्छा से आया हूँ ।

योगी—भाई चन्द्रमा भी तो सोम है, आप सब लोग ही सोम के प्रेमी हो । क्यों सेवाशरण आप भी तो सोम के प्रेमी होंगे ।

सेवाशरण—जी हाँ, मैं भी सोम से अति प्रेम करता हूँ ।

योगी—कहिये डाक्टर महोदय ! आप किस सोम की खोज में आये हैं ।

डाक्टर- महाराज, क्या सोम अनेक हैं, जो ऐसा प्रश्न किया ।

योगी—हां, देखो एक तो इन वैज्ञानिक प्रोफेसर महोदय का सोम है चन्द्रमा * । मेरा सोम और है, संभवतः सेवाशरण जी का सोम कोई अन्य ही हो ।

सेवाशरण—महाराज सोम का क्या अर्थ है ।

योगी— जो अपना सबसे प्यारा हो । जिससे अत्यानन्द प्राप्त हो ।

सेवाशरण—मुझे तो महाराज प्राण ‡ प्यारा है । किसी भी प्राणवान् को सुखी देखकर सुख और दुखी देखकर दुख होता है । क्या सचमुच प्राण भी सोम है और वह तो हृदय में रहता है । डाक्टर साहेब तो ऐसा कहते हैं कि पहाड़ों में सोम होता है ।

योगी—क्यों डाक्टर साहेब ?

डाक्टर—हाँ, महाराज मेरा सोम तो पहाड़ों में होता है हृदय में नहीं । सारी औषधियों में प्यारा और अत्यानन्द का देने वाला तो वह अवश्य है । उसके प्रयोग से मृतकल्प भी अमर हो जाता है ।

---

* चन्द्रमा वै सोमः, शत० १२-१-१-२ ।

‡ प्राणः सोमः, शत० ७-३-१-२ ।

योगी—समझ गया, सेवाशरण ! डाक्टर साहेब का सोम सोमवल्ली है जिसका पुरातन ऋषि मुनि सोम-रस बना कर पान करते थे। ठीक है जैसे आपका सोम हृदय में रहता है ऐसे ही डाक्टर साहेब का सोम भी हृदय में रहता है। और सभी सोम हृदय में रहते हैं।

डाक्टर—वह कैसे ?

योगी—चलो मेरे संग, मैं दिखलाता हूँ। ऐसा कह योगी जी उठ खड़े हुए और सब उनके साथ चल दिये। चलते चलते योगी जी बोले।

योगी—डाक्टर साहेब, सामने देखो कैसे पहाड़ हैं।

डाक्टर—ये दो पहाड़ तो वक्षः स्थल जैसे ऊपर उठे हुए सुरम्य दीखते हैं।

योगी—वह पृथिवी माता का वक्षः स्थल है इसके गह्वर (गहरे स्थान, हृदय ❀) में सोम रहता है।

डाक्टर—अच्छा तब तो आपका कथन समझ में आ गया कि सोम हृदय में रहता है।

वैज्ञानिक—महात्मन्, मेरा सोम चन्द्रमा है क्या वह भी हृदय में रहता है।

योगी—हाँ, अवश्य उसका भी आधार हृदय है।

वैज्ञानिक—वह क्या ?

योगी—सूर्य ‡ है। सूर्य ब्रह्मांड के सारे गतिमान् गोलों का हृदय है। जैसे शरीर में समस्त गतिमान् चक्रों का आधार हृदय है। हृदय नाड़ियों द्वारा उन चक्रों को अपने साथ बाँधता है। सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा सब आकाशीय गोलों को बाँधता है। चन्द्रमा सोम को सूर्य की एक विशेष रश्मि सुषुम्ना नाम की बाँधे रखती है। ऐसा वैदिक लोग कहते हैं।

सेवाशरण—तो महाराज आपका सोम क्या है। और उसका हृदय कौन है।

योगी—मेरा सोम, मेरा प्यारा, मेरा आनन्द का सागर, मेरा अमृत का गागर है। विश्वात्मा अन्तर्यामी परब्रह्म परमात्मा, वह है मेरे हृदय में, मेरे हृदयाकाश में, मेरी हृद्गुहा में, जहाँ मेरा भी आत्मा सदा उसके समागम रस का पान करता है, अस्तु, देखो डाक्टर जी अब तो हम आपके सोम के निकट आ गये। यह गह्वर (गहरा स्थान है) यहाँ देखो वह कान्तिमान् भूरे रंग के ब्राह्मी सदृश और उससे कई गुणा बड़े बड़े पत्तों वाली

❀ गुहेव हृदयम् शत० ११-२-६-५।

‡ असौवा आदित्यो हृदयम् शत० ६-१-२-४०।

लता प्यारी सी लता सोमलता है। क्या आज त्रयोदशी है। पत्ते कुछ किनारे से नीचे को मुड़े हुए त्रयोदशी के चन्द्रमा की भाँति चमचमा रहे हैं। पौर्णमासी पर तो पूरे गोल पत्ते खुले हुए झिलमिलाया करते हैं। क्या सुन्दर दृश्य पर्वत गह्वर में सोमलता क्या चन्द्रलता चमचमा रही है। अन्धेरे को हटा रही है। डाक्टर! अपने शस्त्र निकालो और बड़ी सावधानी से इस लता का पञ्चांग लेलो। देखना जड़ का छेदन न हो। इस कार्य में आपको एक घण्टा सम्भवतः लग जावे तब तक मैं भी अपने सोम को प्राप्त कर लूँ।

ऐसा कह योगी जी एकान्त में अपने प्यारे परमात्मा के समागम-रस का पान करने बैठ गये। वैज्ञानिक महोदय भी एक जगह हिमाच्छादित प्रदेश पर चन्द्र सोम की झरती हुई चन्द्रिका धाराओं का आनन्द लेने लगे। सेवाशरण ने सोचा मैं क्या करूं। इतने में एक करुणा-जनक हृदय-विदारक रोदन सेवाशरण को सुनाई पड़ा। देखा तो पास के पर्वत शिखर पर एक युवक इस प्रकार विलाप कर रहा है। "मेरी प्यारी सोमावती मुझे अकेला छोड़ चली, क्या मेरा तेरा सम्बन्ध टूटने के लिये ही था, तेरे वियोग में रोते रोते ३ दिन हो गये। आज तो मुझसे रहा नहीं जाता, जहाँ तू गई मैं भी वहीं आता हूँ, मैं अपने आपको तेरे अर्पण करता हूँ। (ऐसा कह और अधीर सा रोकर) मेरी प्यारी तू मर गई तो यह ले मैं भी मरता हूँ। बस ऐसा सुन सेवाशरण के पैरों तले से पृथिवी निकल गई। वह तेजी से उसकी तरफ संभालने को दौड़ा, उधर युवक ने ऊपर से अपने आप को खड्ड की ओर लुढ़का दिया। खड्ड में गिरने से पूर्व सेवाशरण ने उसे बीच में ही संभाल लिया। पर युवक के मर्म्मों में आघात पहुँचने से वह अचेत हो गया था। सेवाशरण के भी पर्याप्त चोटें आई थीं। किन्तु सेवा परायण वह सेवाशरण उस अपने सोम युवक का कैसे दुःख देख सकता था। आहत युवक को जैसे तैसे उस स्थान पर लाया, जहाँ डाक्टर सोमवल्ली निकाल रहा था और निकाल चुका ही था कि सेवाशरण को मृत-शरीर सा संभाले हुए देख भौंचक रह गया, यह क्या हुआ।

सेवाशरण—यह कोई पत्नी-वियोग से दुखित आत्मा है। आत्म-हत्या करते हुए इसे मैंने संभाला है। देखो तो हालत कैसी है।

डाक्टर—स्थेटस्कोप से देख कहने लगा, यह तो मरणासन्न है अन्दर की चोट गहरी लगी है। हृदय की गति विचलित है, इसलिये बेहोश भी है। अच्छा मैं सोमरस देता हूँ।

तुरन्त एक छोटी सी सोमलता का पत्थरों से रस निकाल मुख में डाला। वह

आहत युवक सचेत हो गया। आँखें खोल दीं, स्वस्थ हो गया और उठ बैठा। परन्तु घबराया हुआ था। उसका मस्तिष्क चकराया हुआ था। किसी बात का पूछने पर उत्तर नहीं दे सकता था। उधर वैज्ञानिक भी अपने प्यारे सोम चन्द्रमा की आनन्द भरी चन्द्रिका-धाराओं से अपने मस्तिष्क को विकसित करके हिम प्रदेश से लौट रहा था। सेवाशरण और डाक्टर को तीसरा व्यक्ति संभाले देख पूछ बैठा।

वैज्ञानिक—क्या माजरा है।

डाक्टर—यह एक आहत युवक है। होश में तो आगया, पर बोला नहीं। इसका मस्तिष्क गरमाया हुआ है।

वैज्ञानिक—इसको उधर हिम-प्रदेश की ओर ले चलते हैं। वहाँ मेरे सोम चन्द्रमा की चन्द्रिका-धारायें इसके मस्तिष्क पर पड़ने दो।

हिम प्रदेश पर चन्द्रमा की चन्द्रिका-धारायें मधुर ठंड लिये हुए आहत युवक पर ज्यों ज्यों बरसने लगीं त्यों त्यों उसके मस्तिष्क की गरमी शान्त होती गई। कुछ मिन्टों में सब शान्त हो गई और युवक बोल गठा।

आहत युवक—मैं तो अपनी प्यारी पत्नी के वियोग में आत्म हत्या कर चुका था। मालूम होता है आप लोगों ने मुझे बचाया, बुरा किया। मुझे आप लोगों ने इस दुख भरे जीवन-सागर में क्यों ढकेल दिया। मेरी प्यारी सोमावती को ला दो।

उधर योगी जी अपने शान्त सोम (आनन्द स्वरूप परमात्मा) का समागम तथा उसके आनन्द रस का पान कर शान्ति की मूर्ति से प्रसन्न-वदन आनन्द पूर्वक चले आ रहे थे। आहत युवक का विलाप सुन स्तम्भित हो गये और कहने लगे।

योगी—सेवाशरण जी इसे क्या हुआ?

सेवाशरण—महाराज इस युवक की पत्नी सोमावती नाम की अभी तीन दिन हुए मर गई है। उसके शोक-विलाप में यह उस पर्वत के ऊपर से गिर कर आत्म हत्या कर रहा था। रोदन सुन इस गिरते हुए को संभाला है। यह सर्वथा निःसत्वसा अचेत था। इधर डाक्टर साहेब ने अपने प्यारे सोम औषधि के रस को इसे पिलाया। मरते हुए को जिलाया।

डाक्टर—वास्तव में जिलाया तो सेवाशरण ने ही, जो इस मरते हुए को बचाया था जिलाया, वैज्ञानिक महोदय ने जिन्होंने अपने प्यारे सोम चन्द्रमा की चन्द्रिका धारायें चन्द्रकान्त यन्त्र से इस युवक के मस्तिष्क पर बरसाईं। क्योंकि मेरे सोम से तो यह सचेतना पीड़ा रहित ही हुआ, किन्तु घबराता था बोल नहीं सकता था। इसके मस्तिष्क

में गरमी थी। वह मुझ से न दूर हो सकी। उसे तो वैज्ञानिक महोदय ने ही दूर की।

वैज्ञानिक— सेवाशरण जी और डाक्टर साहेब को ही इस आहत युवक के बचाने का श्रेय है मैं कोई विशेष निमित्त नहीं हूँ।

योगी — नहीं नहीं वैज्ञानिक साहेब ! यह बात नहीं। आपको उतना ही श्रेय है जितना कि सेवाशरण जी और डाक्टर साहेब को है। वास्तव में इस आहत युवक को सेवाशरण जी ने जन्म दान, डाक्टर जी ने प्राणदान, और आपने (वैज्ञानिक महोदय ने) चेतना दान दिया है।

वैज्ञानिकादि—तो महाराज आप इसे आत्मदान देकर अमर बनावें।

योगी— मैं, मैं नहीं. नहीं, मैं क्या आत्मदान दे सकता हूँ। आत्मदान तो वह विश्वात्मा अन्तर्यामी प्रभु परमात्मा ही दे सकता है। वही आत्मदा है। "य आत्मदा-बलदा०" अब रहा अमर तो यह स्वयं ही है। शरीर मरे तो मरे यह तो अमर ही है। हां, मैं भी आप सज्जनों के समाज का साथी सदस्य बन जाऊँ इसलिये कुछ उपदेश दे सकूँगा। अच्छा अब इसे क्या है।

युवक यद्यपि अपनी प्यारी सोमावती की याद में व्याकुल है तथापि इस निरभिमान और आश्चर्य पूर्ण कथानक को सुन कुछ क्षण स्थिरसा हो गया। सोचने लगा कि ये लोग परोपकारी सज्जन जान पड़ते हैं।

वैज्ञानिक—विलाप कर रहा है अपनी प्यारी सोमावती पत्नी को याद कर कर व्याकुल हो रहा है और उससे मिलना चाहता है।

योगी—युवक ! क्या तू यह समझता है कि तेरी सोमावती स्त्री मर गई, नहीं मरी, और क्या तू यह समझता है कि आत्महत्या से तू मर जाता. न मरता "न हन्यते हन्यमाने शरीरे" जो उसको मरी हुई और अपने को मरने वाला समझता है यह केवल तेरा अज्ञान है। देख इस दीपक में छोटी सी बत्ती जल रही है। अब अरासी रह गई है। एक मिनट में यह ज्वाला न रहेगी।

इतने में बत्ती जल कर भस्म हो गई। ज्वाला व्योम में लीन होगई।

योगी—ओ युवक ! क्या तुझे पता है वह शुभ्र ज्वाला कहां गई।

युवक— नहीं।

योगी—वह नष्ट नहीं हुई किन्तु इस अनन्त व्योम में छिप गई। लो यह दूसरी बत्ती डालो और जलाओ।

तुरन्त दीपक जल गया पुनः ज्वाला आगई।

योगी—युवक ! देखा है न वही ज्वाला पर दूसरी बत्ती में। बत्ती भस्म हो गई थी ज्वाला नष्ट नहीं हुई थी। इसी भांति सोमावती नहीं मरी। वह अमर है उसका शरीर बत्ती की नाईं नष्ट हो गया पर सोमावती तो दूसरे शरीर में विराजमान हो रही है। तू भी न मरता ऐसे दूसरे शरीर में विराजमान हो जाता। यदि तेरा आत्मा अब दुःख का टोकरा उठाये हुए है तो दूसरे शरीर में उसे फिर भी उठाये रहना पड़ेगा। टोकरा उठाने से बचाव तो विद्वान् होने पर ही हो सकेगा फिर टोकरा तुझ पर न कोई रख सकेगा और न तेरी उसे उठाने की इच्छा ही होगी।

युवक इन युक्ति पूर्वक वचनों को सुन योगी की ओर आकर्षित हुआ और उत्सुकता से सुनने लगा कि आगे क्या कहते हैं।

योगी—क्या तू सोमावती को प्राप्त करना चाहता है।

युवक—जी हां।

योगी—सोमावती को प्राप्त करना चाहता है, या सोमा को।

युवक—क्या मतलब।

योगी—आनन्द को प्राप्त करना चाहता है या आनन्दवती (आनन्द वाली पोटली) को।

युवक—तो महाराज क्या आनन्द और आनन्दवती में भेद है।

योगी—हाँ बड़ा भारी भेद है। प्राप्त की हुई आनन्दवती को जब कोई उठा लेजावे या वह स्वयं चली जावे तो फिर उसका आनन्द भी उसके साथ चला जावेगा और आनन्द को प्राप्त करेगा तो स्वयं आनन्दवान हो जावेगा। वह तेरे साथ रहेगा, आनन्द भीतर की, अपने आत्मा की सम्पत्ति है। उसे कोई लेजा नहीं सकता जैसे अग्नि के साथ सदा प्रकाश रहता है ऐसे ही तेरे साथ आनन्द रहेगा।

युवक—अच्छा महाराज, उस आनन्द को आप मुझे प्राप्त करादें।

योगी—वह आनन्द तो तुझे प्राप्त है तेरे अन्दर है। उसे अन्दर देख। शब्द ढोल के अन्दर से निकलता है, डंडे से नहीं। डंडा तो केवल ढोल को उत्तेजित करता है। इसी तरह आनन्द भी अपने आत्मा के अन्दर से ही प्रकट होता है। जब ध्यान योग से आत्मा उत्तेजित हो जाता है।

युवक अवाक् सा हुआ समझने लगता है और कहता है।

युवक—महाराज कुछ कुछ समझमें तो आता है कि आप जो कहते हैं ठीक कहते हैं।

योगी—भाई, दुनियाँ की सब वस्तुयें न किसी को अपनाती हैं और न कोई उन्हें अपना सकता है। वियोग प्रत्येक का प्रत्येक से होता है। सुख सम्बन्ध रखने वाली वस्तुएं फिर दुःख भी असीम दे जाती हैं। तुला पर तोलो तो दुःख का पलड़ा भारी हो जाता है। फिर वह वस्तु सुख का कारण तो न हुई दुःख दायक ही हुई, सुख तो हवा में काफूर हो जाता है और दुःख का पहाड़ सिर पर गिर चकना चूर कर देता है। भला जिस सुख-राग का रङ्ग आत्मा पर ठहरता ही नहीं फिर उससे आत्म-पटको पुनः पुनः रङ्ग कर दूषित और दुखित क्यों करता है। चल, जो सारे दुख रङ्गों का भी निष्कलङ्क, न मिटने वाला सुख रङ्ग अप्रतिम आत्मानन्द या ब्रह्मानन्द या महान आनन्द है उसका तन्मयता से अपने आत्मा में रङ्ग चढ़ा। अपने हृदय में उसे प्राप्त कर। यही मेरा प्यारा सोम है। इसी सोम के आश्रय सोमावती सोमावती थी। वही सोम में प्राणरूप सोम में, बूटी सोम में, चन्द्रमा सोम में, सोमत्व प्रदान करता है। सोम; सोम; सोम; प्यारा सोम, अमर सोम।

अध्यात्म

(लेखक श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय)

*

श्री सम्पादक जी चाहते हैं कि अध्यात्म पर कुछ लिखूं, अध्यात्म है क्या वस्तु ? माण्डूक्य उपनिषद् में लिखा है:—

(१) ओ३मिति एतद् अक्षरम् ।

(२) सर्वं तस्य उपव्याख्यानम् ॥

अर्थात् ओ३म् या परमात्मा एक अक्षर अर्थात् नाश न होने वाली सत्ता है और यह समस्त संसार उसकी उपव्याख्या है । यदि यह सब आत्मा की ही उपव्याख्या हुई तो संसार की प्रत्येक गति और प्रगति अध्यात्म का ही रूप हुई । फिर न तो आधि-भौतिक का कुछ अर्थ रहा न आधि-दैविक का । वस्तुतः है ही ऐसी बात । मैं यदि भोजन करता हूँ तो यह शारीरिक कार्य नहीं, किन्तु आत्मिक कार्य है । यह आत्मा है, जो खाता है। आत्मा रहित मृत शरीर क्या खायगा और क्या पियेगा । एक शराबी जो शराब पी रहा है, वह भी आत्मिक कार्य कर रहा है । जड़ वस्तु न तो शराब पी सकती है न उसमें नशा आ सकता है । एक फार्सी कवि ने क्या अच्छा कहा है कि:—

बादा अज़ मा मस्त शुद् नै मा अज़ो ।

क़ालिब अज़ मा हस्त शुद् नै मा अज़ो ॥

अर्थात् शराब को शराब की मस्ती हमने दी है न कि शराब ने हमको मस्त किया है । शरीर को शरीर बनाने वाले हम हैं । हमारे बिना शरीर का क्या अर्थ ?

लोग कहा करते हैं कि इन्द्रियाँ विषयों में फँसती हैं आत्मा नहीं । यह बात कितनी ग़लत है । भला इन्द्रियों की क्या शक्ति कि हमको मजबूर कर सकें । यह तो जड़ है । इनको चेतन बनाने वाले हम हैं । क्या मेरी क़लम मेरे बिना कुछ लिख सकती है ? क्या मेरी आँख मेरे बिना कुछ देख सकती हैं ? उपनिषद् में आया है कि इन्द्रियाँ घोड़े हैं और बुद्धि सारथी है । यह एकांगी उपकार है । इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि जैसे घोड़े और सारथी चेतन हैं और वह चेतन सवार के विरुद्ध भी रथ को इधर-उधर ले जा सकते हैं । इसी प्रकार इन्द्रियाँ भी हमारे विरुद्ध हमको ले जा सकता हैं ! इन्द्रियाँ तो जड़ हैं । सर्वथा जड़ हैं । हमारे बिना उनकी कोई सत्ता है ही नहीं, वह तो क़लम के

सदृश निर्दोष और उत्तरदायित्व शून्य हैं। यदि मैं मुस्कराता हूँ तो मुस्कराना मेरी उपव्याख्या है। यदि मैं गाली देता हूँ तो गाली मेरी उपव्याख्या है। यदि मैं असत्य बोलता हूँ तो असत्य भाषण भी मेरी उपव्याख्या है। यदि मैं दुराचार करता हूँ तो यह दुराचार भी मेरी उपव्याख्या है। इस प्रकार जितने कार्य हो रहे हैं, चाहे वह आधिदैविक हों या आधिभौतिक, वह सब आध्यात्मिक ही हैं।

फिर आप पूछेंगे कि भेद क्या है? हाँ एक भेद है। ज्यों ही हमको ज्ञान हो जायगा कि यह सब क्रियायें आध्यात्मिक हैं, त्यों ही हम आध्यात्मिक हो जायेंगे। यदि शराब पीने वाले को यह ज्ञान होजाय कि शराब को मैं मस्त बनाता हूँ न कि शराब मुझ को तो इससे अधिक उच्च अध्यात्मवाद कोई है ही नहीं। यदि किसी व्यभिचारी को यह अनुभव होजाय कि व्यभिचार का क्षणिक आनन्द शरीरोत्पन्न नहीं, किन्तु आत्मोत्पन्न है तो वह अध्यात्मिक होजाता है। जिस प्रकार संसार की समस्त गतियों को हम ईश्वर से अलग देखा करते हैं और उनमें ईश्वर की सत्ता नहीं देख पाते, उसी प्रकार अपनी क्रियाओं में हम अपनी सत्ता को भूल जाते हैं। आस्तिक और नास्तिक दोनों संसार में रहते हैं और उनके जीवन में कोई ऊपरी भेद नहीं होता। परन्तु आस्तिक जानता है कि संसार की प्रत्येक क्रिया ईश्वर की उपव्याख्या है और नास्तिक को इसका ज्ञान नहीं होता। यही भेद है। मूर्ख अनध्यात्मवादी समझता है कि इन्द्रियाँ भोगती हैं। वे विषयों में लिप्त हैं। मैं शुद्ध, बुद्ध मुक्त-स्वभाव इन विषयों से अलग हूँ। परन्तु यह उसकी कितनी भूल है। अध्यात्मवादी को तो समझना चाहिये कि प्रत्येक शारीरिक क्रिया मेरी है। मुझ से उत्पन्न हुई है और मेरे गुण तथा स्वभाव की व्याख्या करती है।

शायद आप पूछने लगें कि ऐसा समझने से होगा क्या? बहुत होगा। इतना होगा कि आप सर्वथा बदल जायेंगे। यह ज्ञान आपको विषयों में फँसने न देगा। आपको संसार भिन्न ही दिखाई पड़ेगा। आप विषयों की तलाश में न दौड़ेंगे। आप अपने में आनन्द लेने लगेंगे। शराबी शराब खाने में क्यों जाता है? क्या शराब को मस्त करने के लिये या स्वयं मस्त होने के लिये? यदि उसे मालूम होजाय कि मस्ती शराब में नहीं, किन्तु उसमें है तो वह शराब की दुकान तक जाने का कष्ट क्यों करेगा? अध्यात्मवादी बिना पिये मस्त रहता है। उसको मस्ती रहती है, परन्तु उसके मुँह से शराब की दुर्गन्ध नहीं आती। क्यों? इसलिये कि वह समझता है कि संसार में जो कुछ आनन्द की झलक है, वह आत्मा के भीतर से आई है।

आज धार्मिक विकास की आवश्यकता है *

आज संसार एक भयंकर उथल-पुथल में से होकर गुजर रहा है। भारत में ठीक वैसी ही बेचैनी, भय, चिन्ता, भविष्य का भय और गली सड़ी सामाजिक प्रथाओं को नष्ट करने की कोशिश देख पड़ रही है जैसी पश्चिम में देख पड़ती है हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इस दुरवस्था काकारण क्या है और इसके निवारण का उपाय क्या हो सकता है ?

जब कोई देश, विदेशियों के आधिपत्य में होता है तब प्रत्येक बुराई के लिए उन्हें दोष दिया जाता है। परन्तु हमें अपने हृदय से यह पूछना है कि यह देश विदेशियों के आधिपत्य में कैसे आया ? लगभग प्रत्येक मामले में हमें मालूम होगा कि स्वयं जनता की फूट और वैमनस्य ने देश को कमजोर बनाया है। आज इस की जीती जागती मिसाल चीन है जहां जापान के पक्ष में यह बात रही है कि चीन संगठित देश नहीं है। यही बात स्पेन में रही है जहाँ कैटेलोनिया और अन्य दूसरे प्रान्तों के एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न स्वार्थों ने प्रतिक्रिया की शक्तियों को क्रिया में लाकर गत युद्ध का सूत्र पात कराया था।

हम भारतवर्ष के उन जातिगत गंभीर भेदभावों को नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने अर्से से भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रखा है और जो धर्मान्धता से पेचीदा बने हुए हैं। रीति-रिवाज़ों का धर्म फूट का सबसे बड़ा स्रोत होता है केवल आध्यात्मिकता ही संगठन और मेल का स्रोत हो सकती है।

ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात पर यह कहेंगे कि किसी देश को गुलामी में रखने के लिए धर्म एक बहुत बड़ा सहारा होता है। यूरोप में मुझे ऐसे भारतीय भी मिले हैं जिन्होंने गम्भीर भाव में यह कहा है कि बौद्धधर्म ने भारतवर्ष को निकम्मा बनाकर २००० वर्ष तक उसकी उन्नति को कुण्ठित किए रखा है। निस्सन्देह यह सत्य है कि इन विद्यार्थियों को बौद्धधर्म्म की वास्तविक शिक्षाओं का केवल उथला ज्ञान है। परन्तु यूरोप और अमेरिका में धर्म्म और राज्य के विरुद्ध मानसिक विद्रोह का कोई कारण अवश्य है।

---

* पेरिस की 'बौद्ध धर्म संघ' की अध्यक्षा कुमारी जी कौंसटैंट लाज़वरी बी० एस० सी० का भाषण जो उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन में दिया था।

आज की समस्याएँ बड़ी गम्भीर हैं। ईसा के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे बड़े सहनशील थे। भगवान बुद्ध ने कहा था मेरी एक ही शिक्षा है और वह यह है कि कष्टों को सहन करो और उनका नाश करो। आज फिर हमें इस शिक्षा के सुनने की आवश्यकता है। क्या युद्ध कष्टों का अन्त अथवा उनमें कमी कर सकते हैं? क्या तूफानी विप्लव मनुष्य को आजाद करके उनके रक्त से भरे हुए हाथों से कोई रचनात्मक कार्य करा सकते हैं? यही कारण है कि बहुत से नवयुवक यह सोचते देख पड़ते हैं कि हमारी समस्याओं को न राज्य हल कर सकता है और न धर्म्म। उनकी धारणा है कि व्यक्तियों को ही पूर्ण बनाया जा सकता है। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि व्यक्तियों का सुधार किया जा सकता है वे पूर्ण नहीं बनाए जा सकते। हमें यह सोचना है कि सर्व साधारण को दोष देने से पहले उनके कष्टों और अज्ञान को किस प्रकार दूर किया जाय। उनको यदि हम पूर्ण नहीं बना सकते हैं, उनका सुधार तो कर ही सकते हैं।

धार्मिक व्यक्ति अपनी ही उन्नति अथवा सुधार नहीं करना चाहता। वरन् अपने साथ दूसरों को भी उन्नत और धार्मिक बनाना चाहता है। ऐसा करने के लिए हमारा आस पास का वातावरण शान्त होना चाहिये और इसके लिये क़ानून का पंजा कठोर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि हम अपने लिए कोई स्वतन्त्रता चाहते हैं तो हमें अपनी कुछ स्वतन्त्रता दूसरों के अर्पण करनी होगी। कोई भी व्यक्ति अपने कुटुम्ब की रक्षा नहीं कर सकता यदि राज्य डाकुओं से उसकी रक्षा नहीं करता है और अपने परिश्रम का उसे उपभोग नहीं करने देता है। यह कहना कि अच्छी गवर्नमेंट अराजकता फैलाती है और किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, दुस्साहस मात्र है। केवल ऋषियों और तपस्वियों के समाज में ही हमें ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जो अपने ऊपर शासन करने और अपने पड़ोसियों का कोई अपकार न करने में समर्थ हो सकते हैं। और जब विशुद्ध धार्मिकता का साम्राज्य हो (यदि यह अवस्था संभव हो) तब ही हमें किसी गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं हो सकती।

मेरी समझ में अच्छी गवर्नमेंट वह है जो अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दे। गवर्नमेंट का स्वरूप उसके उद्देश्य के मुकाबले में गौण होता है। आज हमारी सब गवर्नमेंट क्यों असफल रही हैं? इसका कारण यह है कि उनमें धार्मिक आदर्श नहीं था उनका उद्देश्य विशेष प्रकार के वर्गों के लिए सुख और ऐश्वर्य की सामग्री जुटाने की योजनाओं तक सीमित था।

खूनी क्रान्तियों ने बहुधा राज्यों को नष्ट भ्रष्ट किया और नए अत्याचारियों को

जन्म देकर उनकी स्वेच्छाचारिता को पलने फूलने दिया है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति का यही इतिहास है जिसका अन्त बोनापार्ट की स्वेच्छाचारिता स्थापित करने में हुआ था।

यही इतिहास हिटलर, मुसोलिनी और स्टैलिन की शक्ति का है। क्रान्ति के प्रभावों के नष्ट होने और राष्ट्रों को पुनः शक्ति लाभ करने में वर्षों लग जाते हैं। यथासंभव अच्छे से अच्छे शासन की प्राप्ति के लिए क्रान्ति के बजाय विकास का प्रयोग न होने में मुझे कोई कारण नहीं देख पड़ता है। यदि विकास धार्मिक आदर्शों से सजीव बना हुआ हो तो शान्तिमय होता है।

क्रान्ति हिंसात्मक होती है और अपने उद्देश्य को खा जाती है। क्योंकि क्रांति के बाद दमन चक्र चलता है, उसके बाद नई व्यवस्था अस्तित्व में आकर एक ओर पलड़ा भारी रहता है। गवर्नमेण्ट में सामाजिक और धार्मिक मामलों में स्वतन्त्रता और धार्मिकता के बीच संतुलन होना ज़रूरी है।

धार्मिक परम्पराओं के विरुद्ध जो बवंडर उठा हुआ है, हमें उस पर भी विचार करना है। क्या हमारे पुरुषाओं ने ऐसा ज्ञान संग्रह करके हमारे लिए नहीं छोड़ा है, जो हमें ग्राह्य हो। क्या प्रत्येक बच्चे को इस बात की परीक्षा के लिये, कि आग जलती है, उसमें अपना हाथ डालना चाहिए? क्या समस्त धार्मिक अनुभव व्यक्तिगत होना चाहिए? आवश्यक रूप में परम्पराएँ अच्छी और बुरी नहीं होती हैं। यदि उनकी उपयोगिता न रही हो और वे बाधक सिद्ध हों तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। धार्मिकता दुखदाई नहीं वरन् आज़ाद करने वाली होती है। धार्मिक जीवन विकास और उन्नति होता है, जिसके रक्षण की परमावश्यकता है।

कोई महानुभाव यह कहेंगे कि 'धार्मिक' शब्द बड़ा अनिश्चित और असीमित है। क्या इसका अभिप्राय, धर्म अथवा उससे बड़ी और कोई वस्तु है? जब धर्म जीवित होता है तो वह धर्म रहता है। परन्तु यह कहा जाता है कि धर्मों ने फूट और मतभेद फैलाये हैं और यहाँ तक कि इनके कारण बड़ा रक्त-पात और अत्याचार हुआ है। फूल में सुगन्धि होती है परन्तु फूल सुगन्धि नहीं होता है। जब पत्तियाँ मुरझा जाती हैं और उसका पराग झड़ जाता है तो उसमें हम सुगन्धि नहीं पा सकते हैं, इसी भांति जब धर्म रीति रिवाजों और साम्प्रदायिकता का रूप ले लेता है, तब उसमें धार्मिकता नहीं रहती है।

धार्मिकता शब्दों की वस्तु नहीं वरन् अनुभव की वस्तु होती है। इससे मन पवित्र बनता है। पवित्र मन में भेद-भाव, ईर्ष्या और द्वेष नहीं रहते हैं और मनुष्य ऊँचा उठता है। जब किसी देश की सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था धार्मिक उद्देश्यों से सजीव

बन जाती, तब उन्नति और सुख का साम्राज्य हो जाता है। जब केवल स्वार्थ और भोगविलास के संकुचित उद्देश्यों पर दृष्टि रहती है, तब सच्ची सफलता और प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। जो वस्तु मेल और प्रेम के लिये काम करती है वह जीवन को धार्मिक बनाती है जो भेद-भाव और कष्टों के लिये काम करती है वह जीवन को पतित बनाकर कष्टों को बढ़ा देती है।

पिछली शताब्दी ने राजनैतिक और सामाजिक विविध प्रयोगों के दर्शन किये हैं। हमारे सामने फैसिज़्म का फ़ौलादी शासन आया। इस प्रकार के शासनों में मनुष्य समाज में एक तुच्छ प्राणी समझा जाता है। आठ वर्ष का बच्चा भी सैनिक माना जाता है। मनुष्य के विचार अपने विचार नहीं होते हैं। उसे बलात् लादे हुए विचारों के अनुसार सोचना और करना पड़ता है। स्त्री मशीन के अस्वाभाविक दर्जे पर पहुँचा दी गई है, जो अधिक से अधिक जितने सम्भव हो सकते हैं सिपाही पैदा करती हैं। उसका बच्चा भी उसका नहीं होता है। वह राज्य का होता है, जैसे शहद छत्ते का होता है मधुमक्खियों का नहीं। साइंस विनाशक अस्त्रों की उत्पत्ति में प्रयुक्त हो रहा है। धर्म को देश निकाला दे दिया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि कम्यूनिज़्म की समानता की ऊँची भावनाएँ अत्याचारी सिद्ध हुई हैं। हिंसा और रक्तपात से उद्भूत होने के कारण इसने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उन सब का नाश कर दिया है जो उसके विचारों से सहमत न थे। जनता के शत्रु के रूप में धर्म को धत्ता बता दिया गया है और आर्थिक तथा स्वेच्छाचार पूर्ण लाइनों पर सोचने की विचार धारा पैदा की गई है। केवल भौतिक सुख और ऐश्वर्य किसी भी समाज को सुखी और समृद्ध नहीं बना सकते हैं।

जहां कहीं हमें निस्स्वार्थ सेवा और मनुष्यों और पशु पक्षियों के दुःखों का अन्त होता देख पड़े, जहां कहीं हमें स्वतन्त्रता के लिए उच्च भावना के दर्शन हों और शान्त साधनों और सच्चे रचनात्मक नेतृत्व के द्वारा उसकी प्राप्ति का निश्चय हो वहां निश्चय ही बाह्य रूपमें धार्मिक जीवन काम करता हुआ देख पड़ेगा। जहां हमें ऐसी महान आत्माओं के दर्शन का पुण्य अवसर मिलेगा जो ढोंग और पाखण्ड से पृथक होंगे जो चुपचाप शान्ति से परमात्म दर्शन में रत होंगे, जो प्रेम और दया की मूर्ति होंगे वहां हम धार्मिकता को स्वीकार करेंगे जो बन्धनों से मुक्त करने वाली होगी।

एक जाति वा वर्ग के दूसरी जाति पर शासन व आधिपत्य के लिए समस्त प्रयत्न, समस्त लोभ, घृणा, हिंसा चाहे वह एक व्यक्ति द्वारा व्यवहृत हो वा व्यवस्थित रूप में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत हो मानव समाज को एक गढ़े में से निकाल

कर दूसरे गढ़े में फैंकते हैं। हम दूसरों के कन्धों के सहारे ऊपर नहीं चढ़ सकते। हमें अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरों को मदद देनी चाहिए। धार्मिक व्यक्ति स्वतन्त्र होता है। उसे स्वतन्त्रता पर जोर देना चाहिए और अज्ञानता तथा स्वार्थपरता से लोहा लेना चाहिए जो मनुष्य को इन्द्रियों और वासनाओं का दास बना कर उससे हिंसा कराती है। भौतिक सुख और ऐश्वर्य्य के साथ यदि आध्यात्मिकता न मिली हो तो वह हमें विनाश की ओर ले जाते हैं।

जब किसी धर्म्म से धार्मिक जीवन का लोप हो जाता है तब वह चावल की भूसी के समान हो जाता हैं। जब धर्म्म तत्व प्रबल होते हैं तब निस्स्वार्थ भावना के चमत्कार मानव समाज को पवित्र और दृढ़ बनाते हैं और वह सुखी और शान्त हो जाता है। जब आज भौतिक वाद अपने पूर्ण प्रसादों और लाभों के साथ भी हमें विनाश की ओर ले जा रहा है (यहाँ तक कि अमेरिका जैसे धनी देश में निर्धनता और बेकारी प्रतिवर्ष बढ़ रही है) तब हमें एक दम ठहर जाना चाहिए। हमें यह सोचकर कि वासना का अन्त नहीं होता है और यह देखकर कि धार्मिक जीवन व्यतीत करने से ही हम शान्ति और सुखों का उपभोग कर सकते हैं, हमें पुनः सादा और पवित्र जीवन अपनाना चाहिए। इसी में हमारा और विश्व का कल्याण है।

आर्य्य सन्ध्या मुफ़्त

"सार्वदेशिक के प्रेमियों की भेंट"

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने दयानन्द निर्वाण दिवस की याद में आर्य्य सन्ध्या उपहार देने का निश्चय किया है। सन्ध्या प्रेमी स्वयं दर्शन देकर अथवा दो पैसे का टिकट डाक व्यय के लिये भेजकर मंगा लें इस उपहार से आर्य्य जनता को अवश्य लाभ उठाना चाहिए। इसमें सन्ध्या के सभी मन्त्रों का अर्थ बड़ी सरल हिन्दी कविता में किया गया है जिसके पाठ मात्र से सन्ध्या में दिल लग जाता है।

मिलने का पता—

कविराज सरदारी लाल वैद्य

गांधी भ्वेयर लाहौर

आनुवंशिक संस्कारों की प्रबलता

(ले०—श्री नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ)

बेटे की आकृति बाप की आकृति जैसी रहती है। यह तो प्रतिदिन के अनुभव की बात है। कभी-कभी बच्चे माता की आकृति पर चले जाते हैं। कभी २ बेटे का मुख और अङ्ग-पिण्ड माता-पिता से विचित्र ही देखा जाता है। कभी २ गोरे बाप की सन्तान कोरी काली रहती है। कभी २ यशस्वी पिता की सन्तान निरी कुत्सित दिखलाई पड़ती है अच्छा, जिन लड़कों की शक्ल सूरत बिल्कुल माता-पिता जैसी होती है, उनमें उनकी पूरी नकल रहती, यह बात भी नहीं। कद्दावर बाप की सन्तान कद्दावर ही होती है, यह बात नहीं। एक बाप के चार लड़के हों तो सब एक जैसे ऊँचे कहाँ होते हैं? इसी प्रकार रङ्ग, रूप, बाल, त्वचा इनमें भी साम्य कहाँ रहता है? इस विषय में यह कह सकते हैं कि बालक जब पढ़ने लगता है, तब माता-पिता उसका जितना ध्यान रक्खेंगे उसी प्रकार का बालक होगा। स्वभाव परिस्थिति शिक्षण, ऊपर की देख भाल इनको छोड़ भी दिया जाये तो भी यह मानना पड़ेगा कि बालक में माता-पिताओं के आनुवंशिक संस्कार रहते ही हैं।

इन आनुवंशिक संस्कारों के विषय में कई विशेषज्ञों ने वर्षों अनुभव करने के पश्चात् विशेष सिद्धान्त निकाले हैं। किन्तु वर्त्तमान मानस-शास्त्र के तुल्य यह शास्त्र अर्थात् आनुवंशिक संस्कारों को जानने का शास्त्र अभी पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हुआ है। बीमा कम्पनियों, अपराधीवर्ग, पागल, रोगी इनको और इनके साथ सम्बन्ध रखने वाले लोगों को यह आनुवंशिक संस्कार का विषय अत्यन्त मनोरंजक और महत्व का है।

इस विषयकी अङ्कावली

कार्ल पियर्सन जैसे पाश्चात्य पण्डितों ने इन आनुवंशिक संस्कारों के विषय में सुदीर्घ काल तक उन उन संस्कार वालों की संख्या को सामने रख कर अभ्यास किया है। उनकी अनुभव लेने की पद्धति यह है उन-उन पाठशालाओं में जाकर बच्चों के विषय में शिक्षकों द्वारा अनुभव एकत्रित करना और शिक्षकों के बतलाये हुए अनुभवों की माता-पिता के शिक्षकों के अनुभवों से तुलना करना। जैसे विद्यार्थी किस उमर में किस श्रेणी में कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण कर सका और इसके माता-पिता ने इतनी ही उमर में कौन-सी परीक्षा

पास की थी, इत्यादि इसी प्रकार बालक के गुणों की तुलना माता-पिता के गुणों से की जाती है। इस प्रकार शरीर-रचना, मानसिक स्थिति, स्वभाव आदि को देख कर यह निश्चय किया जाता है कि माता-पिता के गुणों स्वभावों का इन पर कितना प्रभाव है। इस प्रकार गणित लगाते २ यह आनुवंशिक संस्कार शास्त्र के पण्डित विशेष विशेष सिद्धान्तों पर पहुँचे हैं। जैसे पिताकी बुद्धि गणित विषय में चलती हो तो लड़के में भी वैसी बुद्धि आनी चाहिये। यदि पिता गौरवर्ण हो तो लड़के में गौरवर्ण अवश्य आना चाहिए। अवयव आकृति और शरीर-रचना का प्रतिबिम्ब लड़के में अवश्य आना चाहिये।

शिक्षा का सम्बन्ध

लेकिन हम देखते हैं और नित्य प्रति देखते हैं कि बालक पर शिक्षा का अवश्य प्रभाव पड़ता है। क्या हम निरक्षर बाप के लड़के धड़ा-धड़ पुस्तकें पढ़ते नहीं देखते। क्या हम जिसका बाप कभी चित्रकार नहीं था, उसके लड़के को चित्र खेंचते नहीं देखते। इस बात को कभी न भूलिये कि लड़के में पिता से जो गुण आते हैं, वह गुण और संस्कार पिता में प्रसुप्त अवस्था में अवश्य रहते हैं। असली बात यह है कि ऊपरी शिक्षा से एक कृत्रिम स्थिति उत्पन्न होती है। उससे आनुवंशिक संस्कारों का परिपोष नहीं होता केवल उन संस्कारों के प्रकट होने का अवसर मिलता है। बच्चे में जो विशेष गुण होते हैं अथवा असमान्य गुण होते हैं वे आनुवंशिक ही होते हैं। किसी अलौकिक पुरुष का लड़का अलौकिक क्यों नहीं होता इसका कारण यह है कि माता से भी कुछ गुण आते हैं। और माता-पिता के गुणों का समीकरण ही प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होता है। यदि केवल पिता के गुणों या संस्कारों पर ही सब कुछ निर्भर होता तो बड़े बाप का बेटा जरूर बड़ा होता। इसी लिए राष्ट्र-हित की चिन्ता करने वाले लोग यह कहने लगे हैं कि जो माता-पिता गुणवान शूर निरोगी बुद्धिमान् हैं उन्हीं को सन्तान उत्पन्न करना चाहिये अन्य को नहीं। यह बात व्यवहार में आ सकती है या नहीं यह प्रश्न अलग है।

अन्य प्रयोग

मेंडेल आदि ने इन आनुवंशिक संस्कारों पर अन्य रीति से भी विचार किया है। मेंडेल ने 'एडीवल पी' नामक वनस्पति पर प्रयोग करके कई बातें सिद्ध की हैं। इसने कई प्रकार के मटर के दाने इकट्ठे किये और उनको मिला-मिला कर प्रयोग करता रहा। और इससे नाना प्रकार के मटर उत्पन्न किये और उनमें किस तरह से फर्क होता गया इस बात का निरीक्षण किया। उसने देखा एक प्रकार के मटर की डन्डी छः फुट ऊँची जाती

है तो दूसरे प्रकार की दो ही फुट रह जाती है। उसने देखा ऊँची डन्डी वाले मटर की छोटी डन्डी वाले मटर से संयोग करा कर कमल तैयार किया जाय वह बराबर अनेक पीढ़ी तक ऊँचा जाता है। इससे उसने यह सिद्धान्त निकाला कि ऊँचापन यह गुण कम ऊँचापन से प्रबल है और वह सदा अपनी शक्ति को कायम रखना चाहता है। उसने और एक अनुभव किया कि जामुनी रङ्ग की मटरका सफेद रङ्ग की मटरसे संयोग कराकर देखा तो यह अनुभव मिला कि अगली सन्तति में वह जामुनी रङ्ग बराबर पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है, इन दो उदाहरणों से मेंडेल ने यह सिद्धान्त निकाला कि ऊँचाई और जामुनी रङ्ग ये दो प्रभावी गुण है। उसने यह भी देखा कि मिश्र सन्तति का कलम लगाया जाय तो उस में उसी प्रचार का ऊँचाई और नीचाई का मिश्री भाव देखने में आता है। इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार गेहूँ की दो जातियों के सम्मिश्रण से गेहूँ के रोग हटाये और अच्छे गेहूँ उत्पन्न किये। इसी प्रकार मुर्गियों का भी सम्मिश्रण करके देखा अनुभव यह मिला कि मिश्र सन्तति में आधी काली, आधी नीली और आधी और रङ्ग की निकली। इन प्राणी और वनस्पतियों की आनुवंशिक संस्कार की बात को देख कर मनुष्य-समाज बहुत-कुछ अनुभव सीख सकता है। मेन्डले ने जो परीक्षण प्रारम्भ किया है, उसमें एक मजे की बात निकल आई वह यह कि आनुवंशिक संस्कार लिङ्ग भेद पर भी निर्भर रहते हैं, जैसे सींग वाले और बिना सींग वाले भेड़ों की मिश्रित सन्तति का निर्माण किया तो जितने नर वह सब सशृङ्ग और जितने मादी वे सब निःशृङ्ग जनते हैं। पीली और काली बिल्लियों की सन्तति पीले बिलाव के रूप में उत्पन्न होती हैं और कछुवे के-सी रङ्ग वाली बिल्लियाँ जनती हैं। मनुष्य में भी देखते हैं कि जिसके पिता को रतौंध रहती है, उसका प्रभाव उसकी लड़की पर ही होता है और यदि पिता में और कुछ विचित्र विकार हुआ तो उसका असर पोते तक पहुँचता है और आश्चर्य यह कि लड़के पर कोई असर नहीं, पोते पर ही असर है।

आनुवंशिक बातें

मनुष्य उत्क्रान्त प्राणी हैं, इसलिये जो सिद्धान्त अन्य प्राणियोंमें दिखलाई पड़ते हैं, वही सिद्धान्त न्यूनाधिक रूप में मनुष्यों में भी दिखलाई पड़ते हैं। संस्कार-पण्डितों ने इस विषय में कस के अभ्यास किया है। वे कहते हैं कि आँखों का रंग, शरीर की बनावट, बाहुओं की लम्बाई इत्यादि बातें लड़के में लड़के के माता-पिता से आते हैं। यह सब माता-पिता के गुणों के समीकरण पर निर्भर है। यही नहीं स्मरण शक्ति, समझने की शक्ति इत्यादि बौद्धिक गुण और शिक्षा द्वारा प्राप्त हस्ताक्षरादि का सम्बन्ध भी परम्परा से रहता

है। शरीर के रोगों की प्रतिकार शक्ति भी परम्परा से आती है। माता-पिता की रोग निवारक शक्ति जैसी होगी, वैसी ही बच्चे की भी होगी। हम यह देखते हैं कि बहुत से रोग आनुवंशिक रहते हैं। यह बात नहीं कि वे रोग जन्म से ही उसके पास आते हों अपितु उसकी शारीरिक दशा ऐसी ही रहती है कि उस प्रकार के रोग जल्द होंगे और जब एक बार रोग लग जाय तब छुटकारा मुश्किल। जहाँ एक बार रोग जन्तु चिपटे फिर पीछा छुटाना मुश्किल। माता-पिताओं में से यदि एक रोग निवारक शक्ति वाला हो और एक न हो तो उसी अनुपात से रोग निवारक शक्ति बच्चे में भी होगी। यह बात विशेष अनुभव की है कि क्षय रोग और पागलपन के संस्कार प्रायः आनुवंशिक ही देखे गये हैं और निवारक शक्ति भी आनुवंशिक ही होती है। कभी-कभी यह देखा जाता है कि—रोग का प्रादुर्भाव संसर्ग की अपेक्षा रखता है, किन्तु पागलपन की लहर आदि बातें स्पष्ट सिद्ध करती हैं कि आनुवंशिक संस्कार प्रबल होते हैं। आगे वंश चलाने वालों में यदि एक पागलपन से अलग हो और आगे जोड़ीदार अच्छा मिला तो यह पागलपन के संस्कार या क्षय रोग के संस्कार आगे जाकर निर्मूल हो सकते हैं। सारांश यह कि माता-पिता की प्रकृति, स्वभाव, बौद्धिक गुण इत्यादि का विचार करके बच्चे की शरीर-रचना, प्रकृति बौद्धिक गुण आदि बतला सकते हैं। यही नहीं चचेरा भाई, बाबा, नाना आदि के गुणों का विचार करके उस कुल के बच्चों के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है।

वर्णसंकरता इष्ट या अनिष्ट

इस आनुवंशिक शास्त्र के अभ्यास से एक और बात ध्यान में आई, वह यह कि कृत्रिम अथवा नैसर्गिक परिस्थिति का प्रभाव आनुवंशिकता पर तात्कालिक नहीं होता। खुली हवा में काम करने वाले और घर में काम करने वाले माता-पिताओं के बच्चे भी ऊँचाई शरीर संगठन इत्यादि की तुलना माता-पिता की ऊँचाई के साथ की जाय तो यह सिद्ध होता है परिस्थिति और शिक्षण की अपेक्षा आनुवंशिकता अधिक प्रबल और प्रभावशाली है। जहाँ हवा कम रहती है, वहाँ काम करने वाले की सन्तान अधिक ठिंगनी और खुली हवा में काम करने वाले की सन्तान अधिक ऊँची होती है, यह बात नहीं। इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अपराधी वर्ग की सन्तान जिनका परम्परा ही अपराध करती चली आई है, वह तत्काल सुधर सकेगी यह महत्व का प्रश्न है। इसी प्रकार निकृष्ट दशा के मनुष्य-समाज में उच्च स्थान लेने वाले बच्चों को जन्म दे सकेंगे या नहीं यह भी प्रश्न है। कई पण्डितों का यह मत है कि अपराधी वर्ग का प्रजोत्पादन समाज के लिए मारक सिद्ध

होता है। आज कल लोग वर्णसंकरता की पुष्टि करते दिखाई देते हैं किन्तु आनुवंशिकता ऊँचे स्वर से कह रही है कि यह वर्ण संकरता समाज का नाश कर देगी।

यह हुआ पाश्चात्य पण्डितों का अनुभव और विवेचन। हमारे चरक सुश्रुत तो आनुवंशिक संस्कारों की बात, आनुवंशिकता की प्रबलता की बात इससे भी अधिक उच्च स्वर से कह रहे हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात् भारतीय समाज में किस प्रकार वर्ण संकरता हुई और किस प्रकार पचासों जातियों और उपजातियों का निर्माण होकर उनमें किस प्रकार आनुवंशिकता का ह्रास और संकरताका प्रवेश होकर समाज छिन्न विछिन्न हुआ भूलने की बात नहीं। इस विषयमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है पर लेख विस्तार का भय आगे चलने नहीं देता। यह लेख कतिपय आनुवंशिक संस्कारों के विशेषज्ञ पण्डितों के लेखों के आधार पर लिखा गया है।

आर्य समाज का स्थापना दिवस

[ले०—श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज]

दयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा के पश्चात् आर्य जगत में आर्य समाज स्थापना दिवस त्यौहार रूप में मनाया जाने लगा है क्योंकि उस शताब्दी अवसर पर जो पर्वपद्धति बनाई गई थी उसमें यह पर्व माना गया था, उसी आधार पर यह त्यौहार प्रचलित हुआ है।

यह दिन चैत्र शुक्ल ५ माना गया और आर्य समाजों ने इसी दिन को स्थापना दिवस माना। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने इसका प्रचार किया। उक्त सभा ने चैत्र शुक्ला ५ की ही घोषणा की, क्योंकि पर्वपद्धति में यही तिथि मानी गई है।

पर्व पद्धति में यह तिथि ऋषि के जीवन चरित्रों के आधार पर मानी गई है, इस समय मैंने तीन जीवन चरित्र देखे हैं जो बम्बई समाज में थे उनमें पाठ इस प्रकार है।

(१) "निदान चैत्र सुदी ५ सं० १९३२ विक्रमी तदनुसार १० अप्रैल १८७५ ई० को बम्बई के मुहल्ले गिरगाम में सायंकाल के समय डाक्टर माणिकचन्द जी की वाटिका में नियम पूर्वक आर्य समाज स्थापित हुआ।"

जीवन चरित्र 'श्री रामविलास शारदा कृत' प्रथम संस्करण १९६१ पृ० १११।

(२) "चैत्र सुदी ५ सं० १९३२ विक्रम शनिवार को बम्बई नगर के गिरगाम मुहल्ले में डाक्टर माणिकचन्द जी की वाटिका में सायं समय आर्य समाज की शुभ स्थापना हुई।

दयानन्द प्रकाश (स्वामी सत्यानन्द जी कृत) पृ० २५४।

(३) अठारह सौ पछत्तर साल ईसवी अप्रैल यह,
थी तारीख दस गिरगाम जो मुकाम में।
राज्य मान्य राजेश्वरी पानाचन्द आनन्द जी,
हुए कटि बद्ध जो बनावन को शाम में॥
डाक्टर जो माणिकचन्द वाटिका में आर्य सभा.....

दयानन्द जीवन काव्य पृ० १९०। दाया भाई खुशाल भाई पटैल
मालिक सरस्वती पुस्तकालय, गिरगाम, बम्बई।

आशा है इसी प्रकार का पाठ पण्डित लेखराम जी, लाला लाजपतराय जी, श्रीदेवेन्द्र नाथ तथा पंडित घासीराम जी लिखित जीवन चरित्रों में हो यह भी सम्भव है कि प्रथम

पण्डित लेखराम जी ने यह लिखा हो, पश्चात् सबने वहां से लेकर ही रख दिया हो और उस पर स्वयं किसी ने यत्न ही न किया हो जैसे मैं स्वयं इससे पूर्व भी बम्बई कई बार आया हूँ और अनेक बार आर्य समाज में भी ठहरा हूँ परन्तु इस बार श्री नारायण स्वामी जी और मैं कार्य वश बम्बई गये और वहाँ आर्य समाज में ही ठहरे, यह वही आर्य समाज है जो महर्षि के समय में बना था, इस मन्दिर पर तीन पत्थर लिखकर लगाये गये हैं, यह भी महर्षि के समय के हैं। इन तीन में से दो दायें बायें हैं, एक हिंदी में है, दूसरा गुजराती में है, उसमें श्री स्वामी जी का नाम और मंदिर स्थापना की तिथि दी हुई है, तीसरा पत्थर सामने है, उस पर आर्य समाज की स्थापना तिथि है। ध्यान रहे यह मन्दिर भी महर्षि जी के जीवित काल में निर्माण किया गया था, उसी समय यह पत्थर लगाया गया था, उस पत्थर पर निम्न पाठ है।

आर्य समाज मुम्बई

परमेश्व राय नमः

संवत १९३२ स्थापित हुआ ई० सन् १८७५

चैत्र शुक्ल १ ता० ७ अप्रैल

बुधवार

श्री रामविलास जी ने १० अप्रैल और चैत्र शुक्ल ५ लिखा है।

श्री स्वामी सत्यानन्द जी ने चैत्र शुक्ल ५ शनिवार लिखा है।

जीवन काव्य में अप्रैल १० है।

पत्थर में साफ ७ अप्रैल है, फिर पता नहीं १० अप्रैल कैसे हो गया, इसी प्रकार चैत्र शुक्ल १ साफ है फिर चैत्र शुक्ल ५ क्योंकर बना। यह बातें चिन्तनीय हैं।

मेरी सम्मति में बम्बई समाज मन्दिर में जो पत्थर लगा हुआ है, वह इन जीवन चरित्रों से अधिक प्रमाण होना चाहिए और सभा को इस पर विचार करके यह निश्चय करके कि ठीक क्या है घोषणा कर देनी चाहिए अन्यथा भविष्य में यह बात मतभेद का कारण होकर किसी समय हानिकारक हो सकती है।

आनरेबुल घनश्यामसिंह जी गुप्त

स्पीकर सी० पी० असेम्बली

प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

का

संक्षिप्त जीवन-परिचय

(लेखक—श्री प्रो० सुधाकर जी एम० ए०)

—*❀*—

किसी व्यक्ति की जीवनी लिखना सरल होता है, परन्तु उसके व्यक्तित्व का चित्रण करना अत्यन्त कठिन होता है। आप उसके जीवन से सम्बन्धित घटनाओं और अङ्कों का वर्णन कर सकते हैं। परन्तु उन सिद्धान्तों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते, जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते और चरित्र का निर्माण करते हैं।

माननीय घनश्यामसिंह जी गुप्त के सम्बन्ध में यही कठिनाई उपस्थित होती है। जितना ही अधिक मैंने उनके जीवन का अध्ययन किया है, उतना ही अधिक उन सूक्ष्म सिद्धान्तों के समझने का कार्य कठिन हो गया है, जो उनके जीवन और कार्यों को प्रभावित करते हैं। विचारों की प्रति दिन की साधारण उड़ान में वे इतने ऊँचे उठ जाते हैं, जैसा कि उनकी प्रगतियों में देखा गया है कि उनके व्यक्तित्व का अन्दाज़ा लगाना कठिन हो जाता है।

वंश-परिचय

श्रीयुत् गुप्त जी का जन्म छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) के एक पुराने और प्रसिद्ध परिवार में हुआ है। उनके पूर्वज मोती सूबेदार नागपुर के भोंसला राजाओं के आधीन छत्तीसगढ़ के एक सूबे के सूबेदार थे। गुप्त जी मोती सूबेदार की पीढ़ी में सबसे बड़े लड़के के सबसे बड़े लड़के हैं।

शिक्षा-विचार और व्यवहार

गुप्त जी ने २० वर्ष की अवस्था में जबलपुर कालेज से (अब यह कालेज रावर्टसन कालेज के नाम से प्रख्यात है) इलाहाबाद विश्व विद्यालय की बी० ए० परीक्षा पास की और स्वर्ण-पदक प्राप्त किया। श्री प्रो० ऐम० वाय० डोल और टी० के० बक्सी के आप अत्यन्त प्रिय विद्यार्थी थे। श्रीयुत् गुप्त जी बड़े अच्छे खिलाड़ी और कालेज की हाकी टीम के कैप्टेन थे। पढ़ने-लिखने और खेलने में आप जितने अच्छे थे, उतने ही अच्छे आचरण में भी थे। इन तीनों बातों से आप अपने सहपाठियों के प्रेम-पात्र बन गये थे और वे आपका बहुत आदर करते थे। जब आप कालेज में पढ़ते थे, तब ही बंग-भंग का आन्दोलन हुआ था। आपने इस आन्दोलन में बड़ा भाग लिया। १९०७ में कालेज के प्रिन्सिपल ने इनके एक सहपाठी का अपमान किया था। इस पर कालेज में हड़ताल हो गई थी। श्रीयुत गुप्त जी उस समय इलाहाबाद में क़ानून और एम० एस० सी० का अध्ययन कर रहे थे। पढ़ाई की पर्वा न करके गुप्त जी जबलपुर आये और अपने मित्र श्री० वी० घाटे के साथ हड़ताल का नेतृत्व किया। हड़ताल जारी रही और पूर्ण सफलता के बाद समाप्त हुई। उस समय की भारतवर्ष की कदाचित् यही एक सफल हड़ताल थी। प्रिन्सिपल को क्षमा माँगनी पड़ी और इसके बाद शीघ्र ही वह रिटायर्ड हो गया। बंग-भंग के दिनों में १९०७ में गुप्त जी के विरुद्ध पहला राजनैतिक अभियोग चला था। उस समय से लेकर अब तक गुप्त जी कांग्रेस के निरन्तर उत्साही कार्य-कर्ता रहे हैं।

राजनैतिक जीवन

आपका राजनैतिक जीवन कालेज-जीवन से प्रारम्भ होता है (१९०६-१९०७) १९२१ से १९२६ तक प्रायः निरन्तर आप आल इण्डिया काँग्रेस-कमेटी के सदस्य रहे हैं। काँग्रेस के आदेश पर आपने १९२१ में अपनी अच्छी वकालत छोड़ी थी। १९२३ में आप मध्य प्रदेश और बरार की लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। १९२६ के चुनाव में उनके विपक्षी की करारी हार हुई थी।

१९०६ से १९२६ तक गुप्त जी मध्य प्रदेश की कौंसिल में विरोधी दल के नेता रहे। सत्याग्रह आन्दोलन में आपको २ बार दण्ड मिला।

केन्द्रीय धारा-सभा में उनका कार्य

श्रीयुत सेठ गोविन्ददास जी के साथ आप केन्द्रीय असेम्बली में निर्वाचित होकर आये थे। सेन्ट्रल असेम्बली मे 'आर्य विवाह एक्ट' के पास कराने का श्रेय गुप्त जी को ही है।

सेवा-भाव-जीवन का मूलमन्त्र

गुप्त जी में बचपन से ही सेवा का भाव रहा है। बी० एस० सी० और क़ानून की परीक्षाएँ पास करने के पश्चात् उन्होंने तत्काल पैक्ट्रिस शुरू नहीं की वरन् २ वर्ष गुरुकुल-कांगड़ी की सेवा के लिये अर्पण किये। वहाँ फिजिक्स और गणित के अवैतनिक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वहाँ उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और लगभग ३ मास के अर्से में वे संस्कृत बोलने लग गये थे। गुरुकुल निवासियों और स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द (उस समय के महात्मा मुंशीराम) जी के लिये यह बात बड़े आश्चर्य और अभिमान की थी। और वे इस बात की लोगों से चर्चा किया करते थे। विद्यार्थियों में वे बहुत लोक-प्रिय थे और आज भी गुरुकुल के स्नातक उनका बड़े प्रेम और आदर से स्मरण करते हैं।

ये जन्म के आर्यसमाजी हैं और आर्यसमाज के प्रति उन्होंने कई उल्लेखनीय सेवाएँ की हैं। उन्हीं के प्रयत्नों से मध्य प्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा को छत्तीसगढ़ में स्त्री-शिक्षा के लिए ४ लाख की सम्पत्ति का दान मिला। सन् १९२० से वे मध्य प्रदेश की आर्य प्रतिनिधि-सभा के प्रधान चले आ रहे हैं। उनकी कितनी अधिक लोक-प्रियता है और उनकी सेवा का कितना अधिक आदर है। इस बात का परिचय उपर्युक्त बात से चलता है, यद्यपि प्रधान का चुनाव प्रति वर्ष होता है।

सार्वदेशिक सभा के प्रधान

गुप्त जी आजकल सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि-सभा के प्रधान हैं। यद्यपि आर्य-समाज के प्रति उनकी बहुत-सी सेवाएँ हैं। परन्तु हैद्राबाद के सत्याग्रह में उनकी सेवाएँ बहुत उज्ज्वल रूप में जनता के समक्ष आई है। सभा के प्रधान होने के नाते सत्याग्रह-आन्दोलन के उत्तरदायिता उनके ऊपर थी। सत्याग्रह के नैतिक युद्ध के विशुद्ध संचालन के लिये जिसमें उन्होंने सहस्रों आर्य-सत्याग्रहियों को भेजा था, उन्होंने अपेक्षित साव-धानता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। उन्होंने इस युद्ध में आध्यात्मिकता का जो पुट दिया था, उसके लिये उनके मित्रों और शत्रुओं सबने उनकी भूरि २ प्रशंसा की थी।

हिन्दी के प्रति प्रेम

गुप्त जी हिन्दी के बड़े प्रेमी हैं, इसलिये नहीं कि यह उनकी मातृ-भाषा है, वरन् इसलिये कि यह भारतवर्ष की राष्ट्र भाषा बनने योग्य है। उनका विश्वास है कि यदि

अंग्रेज़ी के स्थान में समस्त राष्ट्र की सम्मिलित भाषा हिन्दी होजाय तो देश की बहुत ज़्यादा उन्नति होगी। हिन्दी के प्रति उनका प्रेम केवल वाचिक नहीं है, बल्कि जहाँ सम्भव हुआ है व्यवहार में उन्होंने हिन्दी को अपनाया है। दुर्ग की जहाँ के वे निवासी हैं, कोआप्रेटिव बैंक, म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक बोर्ड इत्यादि संस्थाओं का जिनके समय-समय पर वे अध्यक्ष रहे हैं, कार्य उन्होंने हिन्दी में कराया है। केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य तथा सी० पी० असेम्बली के स्पीकर की हैसियत में वे अपने हस्ताक्षर हिन्दी में ही करते रहे हैं।

महात्मा नारायण स्वामी जी के

उपनिषदों का संग्रह

उपनिषद् प्रेमियों के लाभार्थ ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक, ऐतरेय, तैतरेय उपनिषदों का संग्रह एक ही जिल्द रूप में तैयार कर दिया गया है। मूल्य १।=)

मिलने का पता:—

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली।

साहित्य-समालोचना तथा प्राप्ति स्वीकार

"A Cirtical Study of Philosophy of Dayanand" by Dr. Satya Prakash D. Sc. Published by the Rajasthan Arya Pratinidhi Sabha Ajmer Pages 454 Price Re. 1 only.

"ऋषि दयानन्द के दार्शनिक सिद्धान्तों का समालोचनात्मक अनुशीलन" इस विषयक उपर्युक्त अंग्रेजी पुस्तक प्रयाग विश्व विद्यालय के उपाध्याय डा० सत्य प्रकाश जी D. Sc. ने लिखी है। इस पुस्तक में १२ अध्यायों में (पृष्ठ संख्या ४५४) "ऋषि दयानन्द के दार्शनिक तत्वों का बड़ा उत्तम विवेचन किया गया है। प्रथम अध्याय में ऋषि दयानन्द की जीवनी पर एक सरसरी दृष्टि डालते हुए धर्म और तत्व ज्ञान (Philosphy) के परस्पर सम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया है।

द्वितीय अध्याय में वेदों के एकेश्वरवाद, जीवेश्वर प्रकृति नित्यता, जगत् की यथार्थता पुनर्जन्म तथा मुक्ति विषयक सिद्धान्त तथा वैदिक कर्तव्य शास्त्र पर प्रकाश डाला गया है।

तृतीय अध्याय में ६ दर्शन शास्त्रों के मूल सिद्धान्तों का निर्देश करते हुए स्वामी दयानन्द जी के दिखाए मार्ग से उनका समन्वय किया गया है जो विशेष मननीय है।

चतुर्थ अध्याय में ऋषि दयानन्द की प्रमाण मीमांसा पर तुलनात्मक विवेचना की गई है।

पञ्चम अध्याय में 'ईश्वर' विषय का प्रतिपादन करते हुए नास्तिक मत का खण्डन बड़ी प्रबल युक्तियों से किया गया है।

षष्ठ अध्याय में 'आत्मा' के विषय का प्रतिपादन करते हुए आत्माओं की अनेकता को सिद्ध किया गया है तथा इस विषयक अद्वैत मत का निराकरण किया गया है।

सप्तम अध्याय में कार्य-कारण सम्बन्ध आदि विषयक उत्तम विवेचन है।

अष्टम अध्याय में अद्वैतवाद की समालोचना करते हुए उपादान कारण और निमित्त कारण की भिन्नता, माया और अविद्या के स्वरूप इत्यादि विषयों पर उत्तम युक्ति युक्त रीति से प्रकाश डाला गया है।

नवम अध्याय में 'प्रकृति' विषय का सांख्य, वैशेषिक आदि शास्त्रों के आधार पर विवेचन किया गया है। और उसे जगत् का उपादान कारण सिद्ध किया गया है।

दशम अध्याय में 'मन और उससे परे' (Mind and Beyond) इस विषय का विवेचन, पञ्चकोश, ४ प्रकार के शरीर, योग शास्त्र में वर्णित मन को वश में करने के साधन योग के अष्टाँग इत्यादि का वर्णन करते हुए किया गया है।

ग्यारहवें अध्याय में परलोक और पुनर्जन्म विषयक ऋषि दयानन्द के सिद्धांत का जैन बौद्ध आदि मतों के साथ तुलनात्मक अनुशीलन किया गया है।

बारहवें अध्याय में मुक्ति के विषय का निरूपण करते हुए मुक्ति से पुनरावृति विषयक ऋषि दयानन्द के मन्तव्य पर विशेष प्रकाश डाला गया है।

तेरहवें अध्याय में जीवन विषयक दृष्टि वा "Attitude towards life" का विवेचन करते हुए निराशावाद, दुखों की उपयोगिता, त्यागवाद आदि का निरूपण ऋषि दयानन्द के मन्तव्य की दृष्टि से किया गया है।

चौदहवें अध्याय में कर्तव्य मीमांसा (Ethics) पर अनेक विचारों का दिग्दर्शन कराते हुए ऋषि दयानन्द के इस विषयक सिद्धान्तों का अच्छी प्रकार विवेचन किया गया है।

पुस्तक की इस विषय सूची से पाठकों को इस ग्रन्थ रत्न की उपयोगिता और उपादेयता का अनुमान ठीक हो सकता है इन सब विषयों का विवेचन इतने सुन्दर और प्रभावजनक तरीके से किया गया है कि योग्य लेखक की योग्यता और गम्भीर विचारकता की छाप किसी भी निष्पक्षपात पाठक के हृदय पर लगे बिना नहीं रह सकती। स्थान २ पर पाश्चात्य दार्शनिकों के मतों का भी उल्लेख और विवेचन कर दिया गया है। भूमिका सहित लगभग ४६० पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य प्रचार की दृष्टि से केवल एक रुपया रक्खा गया है। ऋषि दयानन्द के मुख्य सिद्धान्तों को दार्शनिक दृष्टि से समझने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अंग्रेजी शिक्षित सज्जन और देवी को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए जिससे उनकी अनेक शङ्काओं का जो अनीश्वर वादी नास्तिकों तथा वेदान्त के नाम से अद्वैतवाद के समर्थक लेखकों के ग्रन्थों का अध्यन करने से उत्पन्न हो जाती हैं पूर्ण समाधान होजायगा। योग्य लेखक ने बड़ी उत्तमता से इस बात को सिद्ध किया है कि साँख्य दर्शन नास्तिक वा अनीश्वरवाद समर्थक नहीं तथा वेदान्त दर्शन अद्वैतवाद का प्रति पादक नहीं जैसा कि प्रायः माना जाता है।

छापे की कुछ भूलों के संशोधन के अतिरिक्त जो पुस्तक में कहीं २ पाई जाती हैं (उदाहरणार्थ पृष्ठ ११६ पर "तदात्मानमेव वेदाहं ब्रह्मास्मीति" के स्थान पर "उदात्मानमेवो वेदहं ब्रह्मास्मीति" छपा है पृष्ठ १२१ में "सत आत्मान्तर्याम्यमृतः" के स्थान पर "सह आत्मान्तर्याम्यमृतः" छपा है) यदि 'सुयोग्य लेखक Epistemology, Eschatology आदि दार्शनिक शब्दों का अर्थ देकर स्पष्टीकरण कर देते तो अधिक अच्छा होता। आशा है द्वितीय संस्करण में पुस्तक में अनेक स्थानों पर प्रयुक्त ऐसे दार्शनिक शब्दों का स्पष्टीकरण कर दिया जाएगा ताकि पाठकों को विषय के समझने में सुगमता हो।

११वें अध्याय में पुनर्जन्म और परलोक का 'Life Beyond Death' के शीर्षक से प्रतिपादन करते हुए सुयोग्य लेखक ने लिखा है "But for one who is neither a yogin nor a new born babe, it is not possible to have a recollection of the past life. A nu nber of exceptional cases have been reported where a child of a few years gives accounts of its previous associations. But these cases have seldom received scientic attention of Psychologists. Probably, if not all, the most of them at least, are usually frauds" (P. 387)

मेरे विचार में यदि देहली की कुमारी शान्ति देवी (जिसके विषय में पूरी जांच निष्पक्ष प्रसिद्ध सज्जनों द्वारा कराई गई थी) तथा अन्य कई ऐसे पूर्व जन्म की स्मृति के उदाहरण पुस्तक में दिए जाते तो अधिक अच्छा होता।

पुस्तक के पृष्ठ २२ पर डा० सत्य प्रकाश जी ने वेद के "विद्यां चाविद्यां च यस्त द्वेदोभयंसह । अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते"॥ यजु० ४०।१४ इस सुप्रसिद्ध मन्त्र को उद्धृत करते हुए उस पर निम्न टिप्पणी की है।

"He who realises the nature of Vidya, the true knowledge and of Avidya, the good moral life and divine contemplation, simultaneously conquers death by virtue of avidya and attains immortality by virtue of Vidya, "Vidya here refers to Philosophy and avidya to Religion in the ordinary sense."

यहां अविद्या का अर्थ उत्तम नैतिक जीवन और दिव्य चिन्तनादि किया गया है इस विषय में कुछ विद्वानों का मत भेद हो सकता है किन्तु इस में सन्देह नहीं कि

सम्पूर्णतया यह ग्रन्थ अत्यन्त उत्तम है और इसके द्वारा आर्य साहित्य में एक ग्रन्थ रत्न की वृद्धि हुई है जिसकी कमी को बहुत समय से अनुभव किया जा रहा था। इस पुस्तक का शिक्षित जनता में खूब प्रचार करना चाहिए। और हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद छपवाना चाहिए जिस से सत्य के जिज्ञासु ऋषि दयानन्द के दार्शनिक तत्वों को भली भांति समझ सकें। इस अत्युत्तम ग्रन्थ के सुयोग्य लेखक और प्रकाशक दोनों आर्य जनता के विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

पुस्तक मिलने का पताः—
मन्त्री राजस्थान प्रतिनिधि सभा
अजमेर

धर्मदेव विद्यावाचस्पति
बङ्गलौर

प्राप्ति स्वीकार

हिन्दी

१	हवन यज्ञ प्रदीपिका	लेखक व प्रकाशक मा० नत्थन लाल आर्य जगाधरी (अम्बाला)	मूल्य ॥=)
२	वेद और विज्ञानवाद	लेखक—श्री प्रेमचन्द जी काव्यतीर्थ प्रकाशक साहित्य सदन, हिन्दू महासभा भवन नई देहली	।)
३	शारीरिकोपनिषद्	अनुवादक—पं० रामदत्त शुक्ल वकील लखनऊ	॥
४	वैदिक निघण्टु	मिलने का पता— आर्य पुस्तकालय निकट तहसील मेरठ	।=)
५	पैप्पलादि संहिता	,, ,,	≡)
६	आत्मोपनिषद्	,, ,,	)॥
७	गायत्री उपनिषद्	,, ,,	।)
८	सन्ध्या विज्ञान	लेखक व प्रकाशक केशव शर्मा गोपेश्वर पो० चमोली (गढ़वाल)	१।)

महिला-जगत्

दहेज की कुप्रथा और नवयुवकों का कर्तव्य

(लेखक—श्री प्रोफेसर सुधाकर एम० ए०)

दहेज प्रथा की बुराइयाँ और उपद्रव इतनी प्रसिद्ध हैं कि उनका विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। इस कुप्रथा ने बहुत से परिवारों को बर्बाद कर दिया है और बहुत सी बहुमूल्य जिन्दगियाँ नष्ट कर दी हैं। हमारी विवाह प्रथा और समाज पर, यह प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप है। विवाह के प्रति हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों में जो घृणा और उदासीनता के भाव पाये जाते हैं उनके लिये यह प्रथा भी बहुत जिम्मेवार है। स्नेह-लता सरीखी हत भागिनी बहनों के शोक पूर्ण बलिदान एवं असंख्य मूक वेदनाओं ने जिनके शिकार माता-पिता और लड़कियाँ रहते हैं, विवाह के प्रति घृणा और भय को बहुत कुछ बढ़ाया है।

यह कुप्रथा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण समस्त भारतवर्ष में फैली हुई है और मध्यम वर्ग के लोगों के लिये बहुत असह्य बनी हुई है। जितनी हिंसा इस प्रथा से होती है उतनी शायद एक दो प्राणियों के मरने से भी न होती हो। क़साई बकरे को मारता है तो छुरी गले पर रख दी और झट एक दो मिनट में साफ़ कर दिया। बकरा बेचारा दो चार मिनट तड़प कर मर जाता है परन्तु दहेज लेने वाले तो समस्त जाति की कन्याओं और उनके परिवार को जन्म भर दुख देते हैं। उन्हें तड़पा कर मारते हैं।

विवाह के बाज़ार में पशुओं की नाईं अपने लड़कों का सौदा करना दहेज की रकम ठहराना, बंगाल के कुलीन ब्राह्मणों तथा उन जैसे अन्य लोगों का दहेज के लिये २०-२० कन्याओं से शादी करना बड़ा भयंकर और घृणास्पद दृश्य उपस्थित करता है और सहसा ख्याल आता है कि समाज में दुराचार क्यों न वृद्धिगत हो और समाज का पतन क्यों न हो।

लड़के का बाप समझता है कि मैं ऊँचा हूँ। तुमने लड़की दी है इसलिए तुम नीचे हुए। विवाह के समय अपने लड़के का मोल करता है। मेरा लड़का

अंग्रेजी पढ़ता है। ५००) से कम न लूँगा। दूसरा कहता है 'अभी मेरे लड़के ने मैट्रिक पास किया है, फर्स्ट डिवीजन में आया है। दो हजार से एक पाई कम नहीं ले सकता। तीसरा कहता है 'बी० ए०' पास है। एल० एल० बी० पढ़ता है। शादी करना है तो दस हजार दे जाओ। चार २ पाँच २ हजार तो मैट्रिक वाले ले लेते हैं।' चौथा कहता है हम शादी इस शर्त पर करेंगे कि लड़के को विलायत भेज दो, पाँचवाँ कहता है 'हम तुम्हारी लड़की के लिये ही लेते हैं, इससे उसी को सुख मिलेगा। इस प्रकार मानो विवाह एक नीलामी है जिसमें अधिक से अधिक बोली पर सौदा ठहरता है।

फल यह है कि ग़रीब माता-पिताओं को अपनी लड़कियों के लिये योग्य वर मिलने कठिन हो गये हैं। इस मोल भाव के दुष्परिणाम स्पष्ट ही है। कहीं लड़की के मां बाप दर दर के भिखारी हो रहे हैं। कहीं लड़कियां क्वारी बैठी हैं। कहीं लड़कियां सास ससुर और ससुराल वालों के अत्याचारों का शिकार होकर नारकीय जीवन बिता रही हैं। कहीं इस जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर रही हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो अपनी लड़की के विवाह में दुख उठाता है, वह अपने लड़के के विवाह में दूसरों को दुख देता है। एक शिक्षित और सुधार-वादी महाशय से कहा गया कि वे अपने लड़के के विवाह में दहेज न लें तो उन्होंने उत्तर दिया 'मैंने अपनी लड़कियों के विवाह में दिया है तो मै क्यों न लूँ। बहुत से यह कह कर टाल देते हैं 'हम तो दहेज को बुरा समझते हैं, परन्तु हमारी माँ नहीं मानती' बहुत से सहृदय परन्तु गरीब व्यक्ति अपने यहां शादियों में इस प्रथा को धत्ता बताने की इच्छा और साहस करते हैं, परन्तु समाज या बिरादरी में हेठी हो जाने के निर्मूल भय से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तभी तो हम आज यह कहते सुनते हैं कि हे परमात्मा! हमारे यहाँ पुत्री का जन्म न हो। यही वजह है कि माता पिता पुत्री के जन्म समय शोक मनाते हैं और कहीं २ वे पैदा होते ही मार दी जाती हैं।

प्रसन्नता है कि इस कुप्रथा के विरुद्ध लोकमत जाग रहा है और समाज सुधारक सोसाइटियों और मुख्यतः महिला सोसाइटियों ने इस प्रथा को निर्मूल करने का कार्य अपने प्रोग्राम का अङ्ग बनाया हुआ है। कानून की भी सहायता ली जा रही है। परन्तु जो दवाई इस रोग के नाश के लिये की जा रही है, वह हल्की प्रतीत होती है। इस रोग के शमन के लिये उग्र औषधि की

आवश्यकता है। वह औषधि गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर अन्तर्जातीय आदर्श विवाहों को अधिकाधिक प्रोत्साहित करना है। साथ ही धनवान् लोगों को अपने से कम धनवान् लोगों के सामने अच्छा आदर्श उपस्थित करते रहना चाहिए।

पिछले दिनों महात्मा जी ने 'हरिजन' में इस निर्दय प्रथा का अन्त करने के सम्बन्ध में बड़े अच्छे विचार रक्खे थे। उनमें से कुछ विचार इस प्रकार हैं:—

'दहेज प्रथा का जात पांत के साथ बहुत नजदीकी सम्बन्ध है। जब तक किसी खास जात के कुछ सौ नवयुवकों और नव युवतियों तक वर या कन्या की पसन्दगी सीमित है, तब तक यह कुप्रथा जारी ही रहेगी, भले ही उसके खिलाफ दुनियाँ भर की बातें कही जायँ। इस बुराई को यदि जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देना है तो लड़कियों वा लड़कों या उनके माता-पिताओं का ये जात-पाँत के बंधन तोड़ने होंगे। यदि ठीक वर न मिले तो लड़कियों में यह हिम्मत होनी चाहिये कि वे क्वारी ही रहें। इन सबका अर्थ यह हुआ कि ऐसी शिक्षा दी जाय जो देश के युवकों और युवतियों की मनोवृत्ति में क्रांति पैदा कर दे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिस ढंग की शिक्षा हमारे देश में आज दी जाती है उसका हमारी परिस्थियों से कोई सम्बन्ध नहीं और इससे होता यह है कि राष्ट्र के मुट्ठी भर लड़के और लड़कियों को जो शिक्षा मिलती है, उससे हमारी परिस्थितियाँ अछूती ही रह जाती हैं। दहेज की बुराई को कम करने के लिये जो भी किया जा सके वह जरूर किया जाय, पर यह साफ है कि यह तथा दूसरी अनेक बुराइयाँ तभी मेरी समझ में सर की जा सकती हैं, जब कि देश की हालतों के मुताबिक जो तेजी से बदलती जा रही हैं, लड़कों और लड़कियों को तालीम दी जाय। यह कैसे हो सकता है कि तमाम लड़के और लड़कियाँ जो कालेजों तक में शिक्षा हासिल कर चुके हों, एक ऐसी बुरी प्रथा का जिसका कि उनके भविष्य पर उतना ही असर पड़ता है जितना कि शादी का, सामना न कर सकें या करना न चाहें? पढ़ी लिखी लड़कियाँ क्यों आत्म हत्या करें—इसलिये कि उन्हें योग्य वर नहीं मिलते। उनकी शिक्षा का मूल्य ही क्या, अगर वह उनके अन्दर एक ऐसे रिवाज को ठुकरा देने की हिम्मत पैदा नहीं कर सकतीं, जिसका किसी भी तरह पक्ष-समर्थन नहीं किया जा सकता और जो मनुष्य की नैतिक भावना के बिलकुल विरुद्ध है? जवाब साफ है। शिक्षा पद्धति के मूल में ही कोई गलती है जिससे कि लड़कियाँ

और लड़के सामाजिक या दूसरी बुराइयों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकते। मूल्य या महत्व तो उसी शिक्षा का है जो मानव जीवन की हर तरह का समस्याओं को ठीक ठीक हल कर सकने के लिये विद्यार्थी के मस्तिष्क को विकसित कर दें।"

हमारे सुशिक्षित नव युवकों और नव युवतियों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। उन्हें मैदान में आना चाहिये और अपने उद्योग और अपने उदाहरण से इस प्रथा को समूल नष्ट कर देना चाहिये। अवश्य उनके मार्ग में कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी, दहेज के बड़े २ प्रलोभनों का लोभ हटाना होगा, माता-पिता, रिश्तेदारों और मित्रों को नाराज करना होगा। परन्तु वे ऐसा उत्तम कार्य करेंगे जिसके लिये असंख्य परिचित और अपरिचित बहिनें और माता पिता धन्यवाद देंगे और वे इस प्रकार समाज की एक बहुत बड़ी सेवा करेंगे। तभी उनका शिक्षित होना सार्थक समझा जायगा। परन्तु इसके लिये दृढ़ता की आवश्यकता है।

आर्य कुमार सभाओं से मेरा विशेष निवेदन है कि वे नवयुवकों से प्रतिज्ञा पत्र भरवाएँ कि वे अपने विवाह में किसी रूप में भी दहेज न स्वीकार करेंगे और इस प्रकार थोड़े से समय में ही हजारों नवयुवकों को तय्यार कर दें, जो दहेज प्रथा को समूल नष्ट करके अपनी जाति को सर्वदा के लिये सुरक्षित बना देवें।

———

आर्य कुमार जगत्

—*—

हैदराबाद सत्याग्रह के कारण सार्वदेशिक में "आर्य कुमार जगत्" छपना बन्द होगया था। वह समय भी ऐसा ही था। अब फिर नियमित रूप से स्तम्भ प्रकाशित होगा। कुमार सभाओं से प्रार्थना है कि अपने समाचारादि इस स्तम्भ में छपने के लिये मन्त्री भारत वर्षीय आर्य कुमार परिषद्—चांदनी चौक दिल्ली के पते पर बराबर भेजा करें।

दहेज सप्ताह

प्रधान जी का सन्देश

दहेज कुप्रथा से होने वाली ही अनेक हानियों तथा इसके भयंकर कुपरिणामों को दृष्टि में रखते हुए बिजनौर के भारतवर्षीय आर्य कुमार सम्मेलन में, निम्न लिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था—

प्रस्ताव संख्या ६

यह सम्मेलन समस्त आर्य कुमारों को आदेश देता है कि विवाह में किसी प्रकार के दहेज का ठहराव करना अवैदिक है अतः इसे अपने तथा अपने सम्बन्धियों के विवाहों में सर्वथा त्याग दें। यदि आवश्यकता पड़े तो सत्याग्रह करने को उद्यत् रहें।

परिषद् की अन्तरंग सभा ने इस प्रस्ताव के अनुसार दहेज प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन और प्रचार करने के लिये १६ नवम्बर से २६ नवम्बर तक का सप्ताह नियत किया है—हमारे जाति और देश को इस प्रथा से जितनी हानि पहुँची या पहुँच रही है, जाति की अनेक अबोध कन्याओं की इस कुप्रथा ने भी बलि ली है, तथा हमारे गार्हस्थ्य जीवन में जो कड़वाहट और वेदना इस प्रथा ने उत्पन्न करदी है इन सबकी विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम अपनी कमजोरियों को दूर करके ही शक्तिशाली बन सकते हैं। इस प्रथा के रहते हुए शक्तिशाली बनना तो दूर हम दुबले ही होते जाते हैं—कन्या किस घर में नहीं होती? कौन पिता है जो अपनी कन्या को सुयोग्य वर के

साथ विवाह नहीं करना चाहता ? लेकिन अगर कन्या के गुण रूप शिक्षा के अतिरिक्त योग्य वर के लिए पिता को हज़ार दो हज़ार ही नहीं बल्कि दस दस हज़ार तक कीमत देनी पड़े तो वह घर वाले कैसे सुखी रह सकते हैं यही चिंता व्यक्ती और व्यक्ती के द्वारा जाति को घुन की तरह अन्दर से खोखला करती रहती है।

जाति के संगठन और शक्ति संचार के लिये इस प्रथा को निर्मूल करना परम आवश्यक है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि भारत भर की आर्य कुमार सभाएं इस सप्ताह को बड़ी धूम धाम से मनायेंगी और घर घर दहेज के विरुद्ध अपना सन्देश पहुँचा देंगी।

दहेज त्याग के प्रतिज्ञा पत्र जो परिषद् ने प्रकाशित किये हैं, वे अधिक से अधिक भरवाये जायें। इस सम्बन्ध में जो ट्रेक्ट परिषद् ने प्रकाशित किया है वह अधिक से अधिक बेचा जाये। व्याख्यानों, जलसों और जलूसों के द्वारा भरसक प्रचार किया जाय।

मैं तो इस अवसर पर केवल आर्य ही नहीं बल्कि अन्य युवकों को भी इस सप्ताह के मनाने के लिये आवाहन करता हूँ। कालिज और स्कूल के विद्यार्थियों, तथा आर्य समाजिक शिक्षणालयों के अध्यापकों तथा अध्यक्षों से मेरा विशेष अनुरोध है कि वे इस सप्ताह में पूरा भाग लें और न केवल स्वयं दहेज त्यागने की प्रतिज्ञा करें बल्कि अपने साथियों से भी इसी प्रकार की प्रतिज्ञा अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त करें।

मेरा विशेष अनुरोध तो युवकों, कुमारों तथा कुमार सभाओं से ही है, मगर जहां कुमार सभाएँ नहीं हैं वहां की आर्य सभाओं से प्रार्थना है कि वे इस सप्ताह का आन्दोलन करके जाति की एवं एक बहुत बड़ी दुर्बलता को दूर करने का प्रयत्न करें।

सुधाकर एम० ए०

दहेज सप्ताह का प्रोग्राम

१—यह सप्ताह १६ नवम्बर को शुरू होगा। उस दिन संध्या समय अपने २ स्थान पर एक जलसा करना चाहिये जिसमें उपरोक्त प्रधान जी का सन्देश सुनाया जाय। दहेज के विरोध में व्याख्यान करवाये जाएँ और तमाम सप्ताह का प्रोग्राम समाजिक सुविधाओं के अनुसार निश्चय करके सुना दिया जाये।

२—फिर सप्ताह भर निम्न लिखित कार्य अपनी २ सुविधा के अनुसार किये जायें।

(क) औरतों के एक विशेष जलसे का आयोजन किया जाय।

(ख) दहेज न लेने के प्रतिज्ञा पत्र अधिक से अधिक संख्या में भरवाये जाएँ। यह प्रतिज्ञा पत्र परिषद् कार्यालय से मुफ्त छपे हुए मिलेंगे, कुमार सभाएँ अपनी २ आवश्यकता अनुसार मंगा लें।

(ग) स्कूलों कालिजों में तथा नगर के भिन्न २ मुहल्लों में व्याख्यान तथा वाद-विवाद का प्रबन्ध किया जाये।

(घ) परिषद् की ओर से जो ट्रैक्ट, इश्तिहार आदि भेजे जाएँ उनको खूब बांटा तथा बेचा जाय।

(ङ) प्रभात फेरियां तथा जलूस आदि निकाले जायें।

(३) रविवार २६ नवम्बर को एक बहुत बड़े जलूस तथा जलसे का आयोजन किया जाय।

हैदराबाद सत्याग्रह और कुमार सभाएँ

परिषद् को इस बात का गर्व है कि कुमार सभाओं ने इस धर्म युद्ध में यथा साध्य अपनी अपनी आहुति दी है। निम्नलिखित कुमार सभाओं ने अपना सत्याग्रह कार्य का विवरण हमें भेजने का कष्ट किया है, वह नीचे दिया जाता है:—

आर्य कुमार सभा, आरा

इस कुमार सभा के अधिकारियों ने विद्यार्थियों में सत्याग्रह के लिए खूब प्रचार किया। इनके ही सहयोग से ६) भी एकत्रित करके दिल्ली भेजे।

आर्य कुमार सभा, काशी

काशी नगरी में इस कुमार सभा ने २२५) रुपये इस यज्ञ के वास्ते एकत्रित किया और यह सत्याग्रह समिति कार्यालय को भेजा।

आर्य कुमार सभा, रेल बाजार, कानपुर

कुमार सभा रेल बाजार में इस सत्याग्रह के लिए पहिले से ही बहुत बड़ा उत्साह था। इस कुमार सभा ने चन्दा करने के लिए लगभग २००) रुपये की परिषद् की रसीदें मंगवाईं। इनके सुयोग्य मन्त्री श्री कृष्ण चन्द्र जी ८ वीरों का एक जत्था लेकर सत्याग्रह करने गए और हैदराबाद जेल में बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्म की खातिर सब यातनायें सहीं।

आर्य कुमार सभा, सरायतरीन

ग्रामों में सत्याग्रह के विशेष प्रचार का श्रेय कुमार सभा, सरायतरीन के उत्साही कार्यकर्ताओं को है, जिन्हों ने ग्रामों में जा २ कर इस धर्म युद्ध के विगुल को फूंका। भिन्न २ रूप में ८६) रुपये भी सत्याग्रह के लिए दिए।

आर्य कुमार सभा, उरई

इस कुमार सभा, ने अपनी ओर से श्री स्वामी नित्यानन्द जी महाराज को ४७ सत्याग्रहियों के साथ हैदराबाद सत्याग्रह करने के लिए भेजा। वहाँ जेल में उनके साथ बड़े अत्याचार किए, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किये। कुछ धन भी भेजा।

आर्य कुमार सभा, गुदड़ी बाजार झांसी

इस कुमार सभा ने सत्याग्रह के लिए बड़े उत्साह के साथ कार्य किया। सभा के कार्यकर्ताओं ने गली २ में जाकर भोजन सामिग्री इकट्ठी की। एक एक बार में २२-२२ सेर के थैले आटे से भर कर लाए। इन्हों ने झांसी से जाने वाले सत्याग्रहियों का स्वागत् और सत्कार यथोचित रूप से किया। सत्याग्रह के लिये धन भी एकत्रित किया।

आर्य कुमार सभा, दीवान हाल, देहली

कुमार सभा दीवान हाल ने अपने नाम के अनुरूप ही कार्य किया। शहर में प्रचार तो किया ही, इसके अलावा कुमार सभा के नन्हें २ कुमारों ने राजधानी दिल्ली की गलियों में घूम २ कर सत्याग्रह के लिए १-१ पैसे की धर्म ध्वजायें और रसीदें बेच बेच कर लगभग ४००) रुपया एकत्रित किया। यह राशि भिन्न २ तिथियों में आर्य समाज के माननीय नेताओं और सर्वाधिकारियों को थैलियों के रूप में भेट की गईं। कुमार सभा ने ५०) महीना हैदराबाद आर्य सत्याग्रह समिति, दिल्ली को सत्याग्रह समाप्ति तक देना स्वीकार किया। और दो मास तक दिया, जिसके बाद सत्याग्रह सफलता पूर्वक समाप्त होगया। जिन २ महानुभवों को कुमार सभा ने थैलियाँ दीं उनके शुभ नाम यह हैं :—

१—राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री (चौथे डिक्टेटर) २—महाशय कृष्णजी (छठे डिक्टेटर)
३—बुद्धदेव जी विद्यालंकार ४—देवेन्द्र नाथ जी शास्त्री
५—विनायक राव वैरिस्टर (आठवें डिक्टेटर)

मन्त्री, भारतवर्षीय आर्य कुमार परिषद् देहली।

हैदराबाद में आर्य्यसमाज का रचनात्मक कार्य्य

हैदराबाद में आर्य्य-समाज के रचनात्मक कार्य्य क्रम की रूप रेखा, आर्य्य-जगत् के समक्ष रक्खी जा चुका है। सम्प्रति निम्न कार्य्य निर्धारित किए गए हैं।

(१) आर्य्य सत्याग्रह के शहीदों का स्मारक स्थापित करना तथा उनके परिवारों को यथावश्यकता धन की सहायता करना।

(२) हैदराबाद शहर में हाईस्कूल का खोलना तथा अन्य स्थानों पर भी छोटे बड़े स्कूलों की स्थापना करना।

(३) हैदराबाद में प्रचार के लिए कनाड़ी, मराठी और तिलगू भाषा भाषी हैदराबाद निवासी प्रचारक तय्यार करना और इसके लिए शोलापुर में एक उपदेशक विद्यालय खोलना।

(४) हैदराबाद के ग्रामों और क़स्बों इत्यादि में आर्य्य समाजोंके अपने निजी मन्दिर बनवाना।

(५) हैदराबाद सत्याग्रह का इतिहास तय्यार करना।

शहीदों का अच्छे से अच्छा क्या स्मारक हो सकता है, इस सम्बन्ध में आन्तिम निर्णय करने के लिए आर्य्य विद्वानों और नेताओं का मत संग्रह किया जा रहा है। आशा है इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय होकर वह कार्य्य में परिणत हो जाएगा। यदि कोई भाई इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति से सूचित करेगा तो उसका आभार माना जायगा।

शहीदों के परिवारों के लिये सहायता का निर्णय होकर पिछले अगस्त से वह दी जानी आरम्भ हो गई है।

हैदराबाद नगर में हाईस्कूल स्थापना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य्यवाही

हो रही है। उन कार्य्यवाहियों के हो जाने पर स्कूल के भवन निर्माण का कार्य्य प्रारम्भ हो जायगा। हमें आशा है आगामी अप्रैल में हाईस्कूल का श्री गणेश हो जायेगा।

उपदेशक विद्यालय तथा तत्सम्बन्धी कार्य्यों के सञ्चालन का भार श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के कन्धों पर डाला गया है और वे शोलापुर के लिये रवाना हो गए हैं।

ग्रामों और कस्बों में आर्य्य समाज मन्दिरों के निर्माण के सिलसिले में कार्य्यवाही आरम्भ हो गई है। इस सम्बन्ध में अधिकारियों से आवश्यक लिखा पढ़ी हो रही है। जो आर्य्य भाई, समाज, और संस्था इमारतों में अपने नाम के पत्थर लगाना चाहते हैं वे ग्रामों के लिए ५००) तथा कस्बों के लिए १०००) के हिसाब से सभा में धन भेज रहे हैं। इस अवसर से जो लाभ उठाना चाहें उन्हें शीघ्रता करनी चाहिये।

हैदराबाद सत्याग्रह का इतिहास अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में लिखाया गया है। अंग्रेजी का इतिहास तय्यार हो गया है और वह दोबारा देखा जा रहा है। हिन्दी का इतिहास अंग्रेजी के इतिहास से बड़ा होगा इस लिए उस की तय्यारी में ज्यादा समय लग रहा है। फिर भी वह शीघ्र से शीघ्र तय्यार होगा।

हैदराबाद के इतिहास के सम्बन्ध में पिछले आर्य्य पत्रों में सार्वदेशिक सभा की आवांछनीय आलोचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। सभाओं के जिम्मेवार पत्रों में ही सार्वदेशिक सभा की अनुचित आलोचना शोभाजनक प्रतीत नहीं होती है। और ये आलोचनाएँ पत्र के गौरव को कम करने वाली हैं इस जगह पर हैदराबाद का धर्म्म युद्ध जिस प्रकार हमारे संयम की परीक्षा का युद्ध रहा है, उसी प्रकार इसका इतिहास भी हमारे संयम की परीक्षा का विषय होगा। देखना यह है हम इस परीक्षा में कैसे रहते हैं। इस इतिहास का मुख्य लक्ष्य समाज हित होना चाहिये। यदि इस इतिहास के कारण हमारा संयम भंग हुआ वा आर्य्य समाज के भावी कार्य्य को धक्का लगा तो यह बड़े परिताप की बात होगी जिसे कोई आर्य्य भाई पसन्द नहीं करेगा। इस युद्ध के इतिहास को हम इसी दृष्टि में लेते हैं। अवश्य इस बात की रक्षा के साथ २ भावी सन्तान के लिए यह बहुमूल्य और अमर इतिहास होना चाहिए। अस्तु

इन सब कार्य्यों के निमित्त सभा ने २॥ लाख की अपील की है। इसका

उत्तर भी दिया जाना आरम्भ हो गया है परन्तु इसकी पूर्ति के लिए जो तत्परता होनी चाहिए वह नहीं दीख पड़ रही है । आर्य्य जनता से हम निवेदन करेंगे कि उसे शीघ्र से शीघ्र इसकी पूर्ति कर देनी चाहिए ताकि इस दिशा में कार्य्य कर्ताओं को विशेष चिन्ता न करनी पड़े ।

जन गणना १९४१

सर्व साधारण को ज्ञात ही है कि भारत वर्ष की नई जन गणना १९४१ के प्रारम्भ में होने वाली है । यह जन गणना हमें बतायेगी कि संख्या वृद्धि की दृष्टि से आर्य समाज ने उन्नति की है अथवा अवनति । यदि हमारी संख्या पर्य्याप्त मात्रा में बढ़ गई तो समस्त आर्य जनता के अन्दर प्रसन्नता की एक लहर दौड़ जायेगी और संसार को भी मालूम हो जायेगा कि आर्यसमाज एक जीवित जागृत और प्रगति शील सोसाइटी है । इसलिये आगामी १४ मास में हमें इस प्रकार का यत्न करना चाहिए कि हमारी संख्या की वृद्धि संसार भर को चकित करने वाली हो । हैदराबाद आर्य सत्याग्रह की सफलता से आर्य समाज के प्रताप में जो वृद्धि हुई है उसने आर्य समाज को आम जनता में सर्व प्रिय बना दिया है और लोग अपने आप को आर्य कहने में गौरव मानने लगे हैं । अब हमारा काम यह होना चाहिए कि हम सर्व साधारण के पास पहुँच कर उन्हें सूचित करें कि जन गणना में अपना नाम, धर्म, जाति, भाषा आदि दर्ज कराते हुए क्या क्या लिखवाना चाहिए । इसके साथ ही हमें इस सम्बन्ध में भी सचेत होना चाहिए कि सरकार की ओर से जन संख्या के सम्बन्ध में यदि कोई ऐसी आज्ञा अथवा घोषणा निकले, जिसका प्रभाव आर्यों की संख्या वृद्धि के लिये अहितकर हो तो उसके निराकरण के उपाय हमें तत्काल काम में लाने चाहिए । यदि विधर्मियों की ओर से कहीं कोई ऐसी कार्यवाही हो जो हमारी संख्या वृद्धि के रास्ते में रुकावट हो तो उसका भी हमें तत्काल निराकरण करना होगा । पिछड़ी हुई जातियों में जो लोग आर्य धर्म में प्रविष्ट हो चुके हैं, उनके सम्बन्ध में हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि वे सब अपने आप को जन गणना में आर्य लिखावें । पहाड़ी इलाकों और अन्य दूरस्थ स्थानों में जहाँ आवागमन के साधन कम हैं हमें ऐसा प्रबन्ध करना होगा कि हम देखें कि वहां के आर्य लोग अपने आपको आर्य दर्ज करा सकें । अशिक्षित लोगों में जन गणना के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भ्रम न फैल सके, जिससे वे भटक जावें और अपने आप को आर्य दर्ज न करवा सकें, इस सम्बन्ध हमें सचेत रहना होगा । इसी प्रकार की अनेक बातें हैं जिनके सम्बन्ध में हमें सावधान रहना होगा और शीघ्रता से कार्यवाही करनी होगी ।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने जन गणना के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये अपना एक पृथक विभाग बना दिया है, जिसके अध्यक्ष श्री पं० ज्ञानचन्द्र जी आर्य सेवक हैं। इस विभाग की ओर से समय २ पर जन गणना सम्बन्धी आवश्यक विषयों पर विज्ञप्तियां जारी की जायेंगी। सब प्रान्तिक सभाओं, आर्य समाजों और आर्य भाइयों का कर्तव्य है कि इन विज्ञप्तियों के अनुसार कार्यवाही करके सभा को सहयोग तथा सहायता दें। जहाँ कहीं किसी सभा, समाज, अथवा व्यक्ति को जन गणना सम्बन्धी किसी अनियम अथवा शिकायत का पता चले तो तत्काल ही इस सभा तो सूचना दें ताकि उसके दूर कराने का उपाय किया जाये।

प्रत्येक प्रान्तिक सभा को शीघ्र ही अपने अपने प्रान्त में जन गणना सम्बन्धी कार्य के लिये एक पृथक् विभाग बना कर ऐसा करने की सूचना सार्वदेशिक सभा को देनी चाहिये। अपने सभी उपदेशकों, अध्यापकों आदि सब प्रकार के कार्य कर्ताओं को ऐसा निर्देश देना चाहिए कि वे जहां कहीं भी हों अथवा पधारें जन गणना के सम्बन्ध में सर्व साधारण को उनका कर्तव्य बता दें। सब सत्याग्रही आर्य वीरों के साथ पत्र व्यवहार द्वारा अपना सम्बन्ध जोड़ कर उन्हें प्रेरणा करनी चाहिए कि वे इस सभा के निर्देशानुसार जन गणना में आर्य समाज की सेवा करें। इस प्रकार हमें कार्यकर्ताओं की एक सेना मिल जायेगी।

प्रत्येक प्रान्तिक सभा से यह भी निवेदन है कि वे अपने २ प्रान्त सरकार की ओर से नियत हुए Superintendent का नाम लिखकर इस सभा को भेज दें। अपने २ प्रान्त के सरकारी गज़ट में अथवा अन्यत्र जन गणना के सम्बन्ध में जो भी आज्ञा अथवा घोषणा सरकार की ओर से छपे उसकी प्रति भी इस कार्यालय में अवश्य Census भेजें।

हैदराबाद के सत्याग्रही कैदियों की मुक्ति

उपर्युक्त शीर्षक में लिखता हुआ सहयोगी 'माडर्न रिव्यू' लिखता है:—

'सत्याग्रही कैदियों की आम रिहाई के लिए श्रीयुत निज़ाम तथा सर अकबर हैदरी बधाई के पात्र हैं। उनका यह कार्य्य बड़ी सीमातक लोकमत को अपने अनुकूल बनावेगा परन्तु जो वीर पुंगव इस धर्म्म युद्ध में शहीद हुए हैं उनकी स्मृति से लोगों को दुख होगा कि हैदराबाद के अधिकारियों ने समय पर बुद्धिमत्ता और सहृदयता से काम नहीं लिया है।"

सहयोगी के इन विचारों का हम समर्थन करते हैं। हमें आशा है कि निज़ाम सरकार आर्य्य समाज के प्रति अपने भावी व्यवहार से लोकमत को अपने अनुकूल बनाए रखेगी और कटुता एवं संघर्ष का अवसर उपस्थित न होने देगी। आर्य्य समाज केवल यही चाहता था और चाहता है कि हिन्दुओं और आर्य्यों के धार्मिक सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी विकाशको कुण्ठित करने का प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से यत्न और आर्य्य समाज की प्रचार की स्वतन्त्रता का अपहरण न किया जाय और न होने दिया जाय। इससे अधिक आर्य्य समाज और कुछ नहीं चाहता है। दुर्भाग्य से निज़ाम सरकार और अन्य मुसलमान भाईयों में यह भ्रम फैल गया था कि आर्य्य समाज का आन्दोलन आन्तरिक रूप से राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए छेड़ा गया था। आशा है आर्य्य समाज के व्यवहार से यह भ्रम भी दूर हो गया होगा। हम तो उस दिन की बाट देखते हैं जब हैद्राबाद के हिन्दू और आर्य्य भाई जहां तक कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता के उपभोग का सम्बन्ध है यह अनुभव करने लग जायँ कि वे हैदराबाद में स्वराज्य अनुभव कर रहे हैं।

प्रचार-पद्धति

आर्य्य समाज के कुछ क्षेत्रों में यह अनुभव किया जा रहा है कि आर्य्य समाज को अपने कार्य्य को अधिक आकर्षक और ठोस बनाने के लिए अपनी प्रचार-पद्धति को बदल देना चाहिए। हमारा भी अपना यही मत है। परिवर्तित रूप क्या हो यह तो आर्य्य विद्वानों को एक जगह बैठकर निश्चय करना होगा। हैदराबाद के युद्ध के कारण आर्य्य समाज की ओर सर्व साधारण का जो आकर्षण हुआ है उस से पूरा २ लाभ उठाने के उद्देश्य से यह कार्य्य जितना शीघ्र हो जाय उतना ही अच्छा है।

इसमें सन्देह नहीं आर्य्य समाज की वर्तमान प्रचार पद्धति ने आर्य्य समाज को जन साधारण में बहुत लोकप्रिय बनाया है परन्तु उच्चशिक्षित वर्गों में उसकी लोक प्रियता उतनी नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए थी। इस समय इसे शिक्षित वर्ग में लोकप्रिय बनाने का कार्य्य बहुत आवश्यक है। इस कार्य्य के लिए सब से बड़ा कार्य्य जो हम इस समय कर सकते हैं वह अपनी वेदी की पवित्रता की रक्षा है। इस वेदी पर प्रत्येक व्यक्ति नहीं बैठाया जाना चाहिए। वरन् सुयोग्य अधिकारी ही बिठाया जाना चाहिए। दूसरे हमारे प्रचारकों का कार्य्य इस समय व्याख्यान देने मात्र से समाप्त समझा जाता है। यह प्रथा भी बदली जानी चाहिए।

उपदेशकों को श्रोताओं के निकट सम्पर्क में आकर अपने व्यवहार और उपदेश से जनता के हृदयों पर अपनी छाप बिठानी चाहिए।

हमारे साहित्य पर भी पूरा २ नियन्त्रण होना चाहिए। उच्च शिक्षित वर्ग के लिए साहित्य भी उच्च कोटि का तय्यार होना चाहिए। इसे कोई प्राईवेट व्यक्ति या संस्था करे या कोई सभा। आशय यह है कि यह कार्य होना अवश्य चाहिए। इसके लिए लेखकों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए तभी यह कार्य भली भाँति हो सकेगा। शिक्षित वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने का एक दूसरा साधन अंग्रेजी का अपना एक पत्र भी है। हैदराबाद के आन्दोलन में ऐसे अवसर आए जब यह कमी हमें बहुत अखरी। यदि यह कार्य सिद्ध हो जाय तो हमें बहुत सफलता मिलेगी और अंग्रेज़ी पत्र अनुचित आक्रमणों से आर्य समाज की रक्षा के लिए बड़ा हितकर साधन सिद्ध होगा। यह कार्य सभा सोसाइटियों के प्रबन्ध से पृथक् रखना होगा। उत्साही भाइयों को इस कार्य में अग्रसर होना चाहिए।

ये कतिपय मोटी २ बातें हैं जो हमें तत्काल कार्य में लानी चाहिए और यत्न होना चाहिए कि इस सम्बन्ध में सुनिश्चित योजना निर्धारित हो जाय।

खाकसार आन्दोलन

पाठकों के परिचय के लिये खाकसार आन्दोलन के सम्बन्ध में सार्वदेशिक के पिछले अङ्कों में हम १-२ लेख प्रकाशित कर चुके हैं। अन्य पत्रों में भी इन दिनों इस की चर्चा हो रही है। जो सूचनाएँ हमारे देखने में आई हैं उनसे हमारे ऊपर यह प्रभाव पड़ा है कि यह आन्दोलन सैनिक आन्दोलन है और इसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम प्रभुत्व को स्थापित करना प्रतीत होता है। खाकसार का अर्थ है विनम्र, परन्तु संयुक्तप्रान्त में इसका रवैया जो रहा है वह पाठकों ने दैनिक पत्रों में पढ़ा होगा खाकसारों के दुराग्रह और हिंसा के आश्रय से जैसा कि पुलिस के साथ संघर्ष में हुआ बतलाया जाता है, यह आन्दोलन सार्वजनिक शान्ति के लिए एक खतरा बना हुआ है और व्यवस्थित सरकार के अधिकार को चैलेंज दे रहा है। कोई भी सुव्यवस्थित सरकार किसी आन्दोलन के ऐसे रवैये को एक क्षण के लिये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत सरकार तथा अन्य सरकारों को इस बढ़ती हुई बीमारी से सतर्क रहना चाहिए जिससे समय रहते हुए उचित कार्य-वाही की जा सके और यह आन्दोलन सार्वजनिक शान्ति और सुरक्षा के लिए व्यापक रूप में खतरा न बनने पावे।

श्री पं० ज्ञानचन्द जी 'आर्य्य सेवक' सार्वदेशिक सभा में

हमें यह पंक्तियां लिखते हुए बड़ा हर्ष होता है कि सभा के कार्य्यालय में हैदराबाद सम्बन्धी कार्य्य संचालन के लिए आर्य्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से १-२ वर्ष के लिए पंडित ज्ञानचन्द जी बी० ए० आर्य्य सेवक की सेवाएँ प्राप्त हो गई हैं । श्री पंडित जी के व्यक्तित्व तथा उनकी कार्य्य दक्षता से पंजाब के आर्य्य भाई तो परिचित ही हैं सौभाग्य से युद्ध समिति के शोलापुर और मनमाड इत्यादि केन्द्रों में जहां पंडित जी युद्ध कार्य्य संचालन में बहुमूल्य योग दे रहे थे अन्य प्रान्तों के आर्य्य भाइयों और कार्य कर्ताओं को भी उनके निकट सम्पर्क में आने और उनकी कार्य्य कुशलता का परिचय पाने का अवसर मिल गया है । श्री पंडित जी हैदराबाद तथा सभा सम्बन्धी अन्यान्य कार्य्यों के लिए समय समय पर आर्य्य समाजों में भी भ्रमण किया करेंगे । हमें आशा है आर्य्य जनता का उनके कार्य्य में पूरा सहयोग मिलेगा ।

लेख-सूची

सं०	विषय	लेखक	पृष्ठ
१.	वेद की शिक्षाएँ	सम्पादक	४४५
२.	सोम की खोज	श्री पं० प्रियरत्नजी आर्ष रिसर्च स्कालर	४४६
३.	अध्यात्म	श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय	४५५
४.	आज धार्मिक विकास की आवश्यकता है	....	४५७
५.	आनुवंशिक संस्कारों की प्रबलता	श्री पं० नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ	४६२
६.	आर्यसमाज का स्थापना दिवस	श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज	४६७
७.	आनरेबुल धनश्याममिह जी गुप्त का जीवन परिचय	श्री प्रो० सुधाकर जी एम० ए०	४६६
८.	साहित्य समालोचना तथा प्राप्ति स्वीकार	... ...	४७३
९.	दहेज की कुप्रथा	श्री प्रो० सुधाकर जी एम० ए०	४७७
१०.	आर्य कुमार जगत्		४८१
११.	सम्पादकीय		४८५

भारतवर्ष तथा विदेश के आर्यसमाजों की सूची

समस्त भूमण्डल में जितनी आर्य समाजें हैं उनके पूरे पतों के सहित सूची सार्वदेशिक सभा ने अभी हाल में पुस्तक रूप में प्रकाशित की है। कागज छपाई आदि उत्तम है। मूल्य ॥) प्रति

मिलने का पता—

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली।

बीज

सस्ता, ताजा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का बीज और गाछ हमसे मँगाइये।

पताः—मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना)

ऋग्वेद ओ३म् यजुर्वेद

सार्वदेशिक

सम्पादक— प्रो० सुधाकर, एम०ए०

स० सम्पादक— श्री रघुनाथप्रसाद पाठक

वार्षिक मू० स्वदेश २), एक प्रतिका ≡) विदेश से २ वि० वार्षिक

अथर्ववेद सामवेद

॥ ओ३म् ॥

सार्वदेशिक

* सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र *

वर्ष १३ | मार्गशीर्ष १९९६ | दिसम्बर १९३९ ई०] [दयानन्दाब्द ११४ | अङ्क १०

* वेद की शिक्षाएँ *

पृणन्नापि रपृणन्तमभिष्यात् । ऋग्वेद १०-११७-७

कञ्जूस पीछे रह जाता है दानी आगे बढ़ जाता है ।

Miserly people lag behind, while the philanthropic go ahead in the race of life.

न स सखा यो न ददाति सख्ये । ऋग्वेद १०—११७—४

वह मित्र ही क्या जो अपने मित्र को (आवश्यकता पड़ने पर) सहायता नहीं देता ।

A friend in need is a friend indeed.

अध्यात्म-धारा

सेवा का आध्यात्मिक आदर्श

—❀❀❀—

धर्म्म शास्त्रों में कर्म-योग को अत्यन्त महत्व दिया गया है और निस्स्वार्थ कर्म भावना को सत्य पर पहुँचने का मुख्य साधन बतलाया गया है। गीता बतलाती है कि सत्यज्ञान और उस ज्ञान के अनुसार आचरण करने से मनुष्य बंधनों से मुक्त होता है और अमर पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस बात को देखता है कि ज्ञान और कर्म का मार्ग एक ही है उसे ही हम सच्चे अर्थों में आँखों वाला कह सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता की चिनगारी होती है परन्तु उस दिव्यता के उसे तब तक दर्शन नहीं होते जब तक वह अपने जीवन के कर्तव्य कर्म्मों को उत्तम रीति से निस्स्वार्थ भाव में संपादन करके अपने आत्मा और हृदय और शरीर को निर्मल नहीं बनाता। फल की इच्छा से प्रेरित हुए हमारे कर्म हमारे आत्मा को बंन्धनों में बाँध देते हैं। जो कर्म, योग भावना से शून्य होते हैं, जो परमात्मा के अर्पण नहीं होते हैं, जो क्षणिक वासनाओं और इच्छाओं से प्रेरित होकर किये जाते हैं, वे हमें ग़लत मार्ग पर डाल देते हैं और हमें जीवन के मुख्य तत्व से पृथक् करके जन्म-मरण रूप हमारी पराधीनता को जन्म देते हैं। जो कर्म बुद्धिपूर्वक वासना से रहित होकर किये जाते हैं, वे न केवल हमें ऊँचा उठाते हैं वरन् स्वतन्त्र होने में सहायक भी होते हैं।

भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा और कर्म फिलासफी का मर्म बतलाते हुए कहते हैं, "जो व्यक्ति फल की वासना से रहित होकर और परमात्मा को अर्पण करके कर्म करता है उसे पाप नहीं छू पाता जिस प्रकार कमल के फूल को जल का स्पर्श नहीं हो पाता। पार्थ! तेरा अधिकार केवल कर्म करना है। कर्म के फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। तू अपने कर्मों का फल दाता मत बन और अकर्मण्यता की ओर अपने मन की प्रवृत्तियों को मत लगा। धनञ्जय, योग में दृढ़ रहकर, फल की इच्छा छोड़कर कर्म कर और सफलता तथा विफलता की चिन्ता न कर। मस्तिष्क की यह साम्य अवस्था योग कहलाती है। मस्तिष्क की इस साम्य अवस्था के विकसित हो जाने पर मनुष्य की आत्मा अत्यन्त बलिष्ठ

हो जाती है। अतः धनञ्जय! तू अपने मस्तिष्क को इस योग में प्रेरित कर। योग कर्म की कुशलता कहलाता है। जब कर्म्म फल की इच्छा को छोड़कर मस्तिष्क के सामंजस्य पूर्वक किया जाता है तब वह कर्म आत्म-शुद्धि का श्रेष्ठ साधन बन जाता है।

वस्तुतः कर्म की इस शुभ भावना और उसके आचरण से, मस्तिष्क धीरे धीरे साफ और शुद्ध होता रहता है और उसमें से सचाई चमकने लग जाती है। हो सकता है बौद्धिक रूप से ऐसा न हो। आध्यात्मिक रूप में मनुष्य के विशुद्ध होने का तात्पर्य्य यह है कि उसका ज्ञान साफ़ और शुद्ध है। निष्काम कर्म्म के द्वारा मनुष्य की गूढ़तम आध्यात्मिक सत्ता का जो विकाश होता है वह अनुपम और उच्चतम होता है।

इस भौतिक जगत् में प्रत्येक बड़ा तत्व परमात्म देव की इच्छा की पूर्ति कर रहा है। उपनिषद् में कहा गया है "उस (परमात्मा) के भय से आग जलती है। उसी के भय से सूर्य्य चमकता है, उसी के भय से इन्द्र, वायु इत्यादि अपना २ काम करते हैं।" यही अवस्था प्राणी जगत् की है। वह (परमात्मा) प्राणों को ऊपर और नीचे फेंकता है। समस्त इन्द्रियाँ हृदयाकाश में स्थित आत्मा की उपासना करती हैं।" दूसरे शब्दों में समस्त इन्द्रियाँ और मन बाह्य जगत् से अनुभूति प्राप्त करती हैं और आभ्यन्तरिक आत्मा के अर्पण कर देती हैं। भगवान कृष्ण ने इस चमत्कार को अर्जुन को निम्न प्रकार बतलायाः — "पार्थ परमात्मा सब प्राणियों के भीतर रहता है। तुम उसी की शरण में आओ। उसी की कृपा से तुम्हें दिव्यानन्द की प्राप्ति होगी।"

अतः कर्म्म योग की साधना को सिद्ध करने का प्रथम साधन यही है कि इन्द्रियों को बाहर से हटा कर भीतर की ओर ले जाया जाय जिससे मनुष्य की आत्मा बलिष्ठ हो जाय और समस्त इन्द्रियां आत्मा की आज्ञा पर चलने लग जायँ।

जब परमात्मा के अर्पण करके कर्म किया जाता है तब मनुष्य का व्यक्तित्व बिल्कुल बदल जाता है और अन्त में इस प्रकार के कर्म मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति के छिपे हुए स्रोतों को खोल देते हैं और मनुष्य को दिव्य बना देते हैं।

इसीलिए शास्त्रों ने बतलाया है कि 'जो मनुष्य जिस काम के योग्य है उसे वह काम नहीं छोड़ना चाहिए। काम से बच कर नहीं वरन् अपने नियत कर्तव्य कर्म के सफल संपादन से मनुष्य ऊँचा उठता और अपना विकाश करता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने आदर्श पर आचरण करके ऊँचा उठना चाहिए। वस्तुतः अपने स्थान पर प्रत्येक मनुष्य महान् होता है और उसे अपने विशेष ढंग में अपना विकाश करना चाहिए। भिन्न

भिन्न प्रकार के मनुष्यों के स्वभाव और व्यक्तित्व, मनुष्य और स्त्रियों की श्रेणियाँ सृष्टि के स्वाभाविक भेद हैं। हमारा कर्तव्य यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के उसके अपने उच्चतम आदर्श की सिद्धि में सहायक बनें और उसके आदर्श को सत्य के अधिक से अधिक पास लाने की व्यवस्था करें।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक को अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों को पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। मैशीन की नाईं कर्तव्य कर्मों के सम्पादन की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि दृष्टिकोण को नया पुट दिया जाय और मानसिक अवस्था विकसित कर ली जाय ताकि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों के सफल सम्पादन में सहायक हो सके।

संक्षेप में निस्वार्थभाव से मनुष्यों की सेवा और उसके द्वारा परमात्मा की सेवा करना ही सेवा का आध्यात्मिक आदर्श है। मनुष्य का पेशा या धन्धा भले ही कोई हो उसे समझना चाहिए कि समस्त जगत परमात्मा की एक झाँकी है और उसने सब जीवों को पैदा किया है। वह सब जगत् में व्याप्त है और सब प्राणी उसमें निवास करते हैं। जब मनुष्य के मन में यह सच्चाई घर कर जाती है और जब उसे मानवता में इस दिव्यता के दर्शन हो जाते हैं तब परमात्मा के प्राणी मात्र से उसे प्रेम हो जाता है और उनके प्रति ईर्ष्या और द्वेष के भाव दूर हो जाते हैं और मनुष्य का हृदय लचकीला हो जाता है।

तभी इस बात का अनुभव होता है कि उन प्राणियों की सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। वैदिक ऋषि प्राचीन काल में अपने शिष्यों को इसी प्रकार की शिक्षा दिया करते थे, "तुम अपने माता, पिता और गुरुजनों को दिव्य समझो। निर्धनों, अशिक्षितों, चांडालों, रोगियों और असहायों को परमात्मा के पुत्र समझते हुए उनकी सेवा करो। सेवा का यह आदर्श हमें यह सिखाता है कि निरन्तर अभ्यास से हमारे मस्तिष्क श्रेष्ठों और पतितों में दिव्यता का दर्शन करने वाले बनने चाहियें और रंग, जाति और वर्ण के भेद भाव प्राणि मात्र और उसके द्वारा परमात्म देव की सेवा में जरा भी बाधक नहीं होने चाहिएँ।

इसी आदर्श को हमें जीवन के विविध वैयक्तिक कार्यों और धन्धों के द्वारा चरितार्थ करना होता है निष्काम और निस्वार्थ भाव में कार्य संलग्नता और मस्तिष्क की साम्य अवस्था के आदर्श की हमें कर्मयोग शिक्षा देता है।

यदि ऋषियों और शास्त्रों की आज्ञाओं के अनुसार इस आदर्श का पालन किया जाय तो जिज्ञासु को अत्यन्त लाभ होता है। आज भारतवर्ष में और अन्यत्र भी सेवा के इस उच्च आदर्श के आचरण की बहुत अधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है। वर्तमान में स्वार्थों में जो टक्कर देख पड़ रही है और विचारों में जो घोर वैषम्य पाया जा रहा है उसका कारण यह है कि लोगों को यह स्पष्ट रूप में विदित नहीं है कि अपने जीवन के व्यवसायों के द्वारा लौकिक जगत् में किस उद्देश्य की उन्हें पूर्ति करनी होती है।

यदि हमारे कार्यों का निरूपण उन नित्य शक्तियों के तारतम्य से न होगा, जो विश्व को बनाती और बिगाड़ती हैं तो हमारे उन कार्यों का कोई अर्थ न होगा और वे हमारे लिए असीम दुख और परतन्त्रता का कारण होंगे। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक और आत्मिक रूप में संसार के अन्य व्यक्तियों के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि उसे उससे अलग नहीं किया जा सकता है और विश्व के किसी भाग में एक व्यक्ति के विचारों और कार्यों का दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। अतः अपने को पृथक् समझना और उसी के अनुसार आचरण करना आध्यात्मिक रूप में घातक होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपरिमित शक्ति का केन्द्र है और इसी लिए उसे प्रेरणा की गई है कि वह स्वार्थपरता के बन्धनों को तोड़ कर अपने व्यक्तित्व को विस्तृत करके समस्त विश्व को अपनाये। यह तभी होता है जब यह कृत्रिम बन्धन टूटता है और नित्य भलाई का नित्य स्रोत मनुष्य की आध्यात्मिक सत्ता से प्रवाहित होता है और संसार में सामूहिक शान्ति और एकता की वृद्धि के लिये वह अपने जल को सामूहिक विचार के समुद्र में मिला देता है। अतः हमें अपने सब कामों में जीवन की इस सच्चाई को चरितार्थ करना चाहिए। अपने कार्यों से भौतिक जीवन के प्रतिबन्धों को पार करते हुए परमात्मा के दर्शन करने चाहिएँ यही जीवन का चरम लक्ष्य होता है।

अध्यात्म वा आत्मविद्या

(ले०—श्री बा० श्यामसुन्दर लाल जी वकील मैनपुरी)

—***—

अध्यात्म विषय वस्तुतः बहुत गम्भीर और गहन है उससे चारों वेद तथा विशेषतः आदर्श उपनिषत् साहित्य जो केवल ब्रह्मविद्या के लिये ही अभिप्रेत है, भरे पड़े हैं। आत्म-विद्या के रहस्य को जानने वाले ऋषियों का कथन है कि आत्मा शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण होता है। उनमें से जीवात्मा अज, अनादि, परिच्छिन्न और अल्पज्ञ है। वह कर्मानुसार उत्तम, मध्यम, निकृष्ट योनियों को धारण करता रहता है और उस समय तक इस आवागमन के चक्र से विमुक्त नहीं होता, जब तक मोक्षोपयोगी कर्मों का अनुष्ठान कर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता। तथा दूसरा परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अनादि, अनन्त, सर्वव्यापी, सर्वान्तरात्मा, जीवों के कर्म फल प्रदानार्थ विश्व को रचता, स्थिर रखता और संहार करता चला आता है।

वेद भगवान् वर्णन करते हैं कि "द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति" अर्थात् ये दोनों आत्मा और परमात्मा व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त शुभ लक्षणों वाले सखावत् विद्यमान् नित्य किन्तु अचेतन परिणामी प्रकृति रूपी वृक्ष का आश्रय किये हुए हैं। उनमें से पहला जीवात्मा अपने कर्म फल रूप अनादिकाल से इस वृक्ष के फलों का आस्वादन करता और कर्म फल भोक्ता चला आता है तथा दूसरा परमात्मा साक्षी रूप स्थिर चला आता है। जीवात्मा अनीश होने से सुख दुख दोनों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि कहा गया है कि "आत्माप्यनीशः सुख दुःख हेतोः" और परमात्मा उस प्रकृति का ईश है और इसी कारण से "जुष्टं यदा पश्य-त्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः" जब सर्वनियन्ता परमात्मा की संसार रूप महिमा को समझ लेता है तो वीतराग होकर दुःख से निवृत्त रूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।

माण्डूकोपनिषद् जो सब उपनिषदों में अति लघु है, इसी परमात्मा के निज नाम "ओ३म्" का विश्लेषण कर उसके अ, उ, म् तीन पदों का विश्व के तीन पाद स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर के साथ स्वाभाविक समन्वय तथा सामञ्जस्य अत्यन्त प्रभावोत्पादक वैज्ञानिक

भाँति में दिखला कर ब्रह्म प्राप्ति के जिज्ञासु और अभिलाषी के लिए उक्त नाम के जप और ध्यान रूप परमात्मा की पूजा और भक्ति का जीवात्मा की जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं की उपमाओं से उपमित कर अपने आरम्भ में दी हुई ओम् (ब्रह्म) के उपव्याख्यान रूपी प्रतिज्ञा को ऐसे हृदयग्राही वैज्ञानिक भाँति में पूर्ण करके सिद्ध किया है कि उसका रसास्वादन उसके स्वाध्याय के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। स्वर्गीय स्व० ध० श्री पं० गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. पंजाब के प्रख्यात प्रकाण्ड दार्शनिक तथा पदार्थ विद्या और संस्कृत के धुरन्धर पण्डित ने अंग्रेज़ी भाषा में उक्त सम्पूर्ण उपनिषद् का भाष्य और उसकी व्याख्या पाण्डित्यपूर्ण वेश में दी है। उसके प्रथम दो वाक्यों और अंग्रेज़ी भाष्य को विदित करने के लिये निम्न उद्धरण पाठकों के भेंट हैं।

ओमित्येतदक्षरमिदँ सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १ ॥

सर्वं ह्येतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥ २ ॥

अर्थात्

1 "Om" is the name of Eternal and Omnipresent Spirit. The Vedas and shastras and even the whole Universe when understood, declare the nature and attributes of the same Being. He—Om encompasses the past, the present and the future and is perfect: He encompasses even, what the past, the present and the future do not comprise.

2 "He is the Great God, perfect in all. He who pervades my soul is the supreme soul of Nature. The phases of His Existence are four in number."

They have further been styled as wakeful, contemplative stirring and essential.

ऊपर की अंग्रेज़ी पंक्तियों का अर्थ आर्य भाषा में अक्षरशः निम्न होता है:—

(१) 'ओम्' नित्य सर्वत्र विद्यमान अन्तरात्मा का नाम है। वेद शास्त्र और समस्त विश्व, यदि ठीक प्रकार से समझे जावें, उसी पुरुष के स्वभाव और गुणों का उद्घोषण करते हैं। यह ओम् (ब्रह्म) भूत, वर्तमान, भविष्यत् तीनों को परिवेष्टित किये हुए है और परिपूर्ण है। वह उस पर भी अधिष्ठित है जो भूत, वर्तमान, भविष्यत की सीमा से बाहर है

(२) "वह महान् देव है और सब में परिपूर्ण है। वह जो मेरे आत्मा में व्यापक है, इस विश्व का परम आत्मा है। उसकी सत्ता के दर्शनात्मक लक्षण संख्या में चार हैं।" (देखो सत्या० प्रकाश तृतीय संस्करण पृ० १३५ पंक्ति २६)।

आगे चलकर उन चारों के नाम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा अमात्र (तुरीय) देकर उपनिषत्कार ने स्पष्ट लिखा है कि जो उक्त प्रकार इस आत्मा के आत्मा अर्थात् परमात्मा को जान लेता है, वह अपने आत्मा द्वारा इस आत्मा के आत्मा को प्राप्त कर मोक्ष को लाभ कर लेता है। यथा—

अमात्रः चतुर्थोऽ व्यवहार्य्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवं ओङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं, य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥

अर्थात्

The fourth has no Matra for it represents the Unknowable, the Absolute and the Unconditioned work without a trace of the relative or the conditioned world about him. He who realises this, the True Atma Omkara, passes from self into the Ruler of self the universal spirit ie attains Moksha or salvation.

चौथा पाद अमात्र है। क्योंकि वह अज्ञेय, पूर्ण और अपने आस पास किसी सापेक्षिक अथवा सम्बन्धित संसार के चिन्ह से सर्वथा अविशिष्ट है। जो इस सत्य स्वरूप ओङ्कार को प्रत्यक्ष कर लेता है, वह अपने स्वात्म रूपसे परमात्मा के नियामक परम ज्योतिः स्वरूप में अवस्थित होकर मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है।

इसके पश्चात् उक्त भाष्यकार ने अत्युत्कृष्ट वैज्ञानिक आत्मोपकर्षक व्याख्या दी है जिसका विमल रस उसके स्वाध्याय से ही अवगत हो सकता है।

वास्तव में यह उपनिषद् नीचे लिखे वेद मन्त्रों की विशद व्याख्या है जो निम्न प्रकार हैं।

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पांसुरे।
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् ॥

जो विश्लिष्ट और बहुधा उद्धृत होने के कारण भाषान्तर की आवश्यकता नहीं रखते प्रतीत होते।

परन्तु उक्त विशद व्याख्या ऐसे सूक्ष्म और वैज्ञानिक विचारों से ओत प्रोत है और

उक्त आध्यात्मिक विचार के ऐसे पड़ाव पर विचारक को पहुँचा देते हैं कि या तो विचारक स्वयं ऐसा विह्वल हो जाता है या बहुत सावधान रहने पर भी जिस भाषा द्वारा वह अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है वह भाषा स्वयं इस प्रकार लड़खड़ाने लगती है कि एक ही आशय के होने पर कोई उसको अद्वैत समझ लेता है, कोई द्वैत, कोई त्रैत, कोई विशिष्टाद्वैत आदिके रूप में देखने को वाध्य हो जाता है। परन्तु जहाँ तक साधारण जनता का सम्बन्ध है जिसमें पढ़ और अपढ़ दोनों सम्मिलित हैं संसार की सभ्यता, असभ्यता, उसके आचार विचार और मनुष्य जीवन के दृष्टिकोण में आकाश पाताल का अन्तर पड़ जाता है।

पिछले नवम्बर के "सार्वदेशिक" अङ्क में एक उत्तम लेख आध्यात्म विषय पर हमारे योग्य मित्र पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय की लेखनी से निकला है। उक्त प्रशंसित लेखक ने अपने लेख की पुष्टि में एक फारसी कवि का फारसी भाषा का पद्य दिया है जो साधारण दृष्टि से बहुत अच्छा प्रतीत होता है। यदि उसको रुक कर न परखा जावे तो उक्त प्रशंसित लेखक की भाँति जो फल निकाला गया है उसके निकालने में सहसा कोई उपद्रव भी प्रतीत नहीं होता। परंतु अधिक विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि उक्त कवि का 'आशय' मैं और 'मुझ' से वह निर्जीव समाधिस्थ जीवात्मा है जो अपनी सत्ता को भूल कर केवल उपचार से परमात्मा को 'मैं और 'मेरे' शब्दों से प्रकट कर रहा है तब तो केवल यह आक्षेप शेष रहता है कि उसके कथन में इस मर्यादा से काम नहीं लिया गया है जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसे गंभीर विषय के द्योतन में सदैव ली है और जिस मर्यादा के अनाश्रय से विशेषतः आजकल की जनता छुईमुई की भाँति मुरझाने और उच्च आदर्श से पथभ्रष्ट होने के लिये पद पदपर तत्पर रहती है। अन्यथा उक्त पद्य का कमसे कम पहला पाद निरर्थक ही दृष्टि पड़ता है। मेरे विचार में उक्त कवि कोई सूफी महोदय नवीन वेदान्ती के अनुचर हैं, जिनके विचार में आत्मा और परमात्मा में कोई विशेष अन्तर नहीं है और ऐसा मानने पर उसमें हमारे योग्य लेखक की व्याख्या के लिये उक्त उपनिषद् वाक्य के आधार पर विशेष अवसर नहीं रहता परन्तु उनकी स्वतन्त्र व्याख्या की सुन्दरता के लिये जो उन्होंने दी है अन्यथा बहुत अवकाश थोड़े से हेर फेर से शायद वहां पर भी निकल सकता है। परन्तु उक्त उपनिषद् तो परमात्मा के निरूपण और उसके द्वारा जप और ध्यान का प्रकार और उसका महत्व दर्शाने के लिये ही अभिप्रेत है। उक्त पद्य इस प्रकार है—

बादा अज़ मा मस्त शुद नैमा अज़े।
क़ालिब अज़मा हस्तमुद् नैमा अज़ो॥

और उसका अक्षरशः अर्थ इस प्रकार है कि "शराब मुझ से मस्त हुई है न कि मैं उससे और शरीर मुझ से अपनी हस्ती में आया है न कि मैं उससे ।"

दूसरे पाद का अर्थ तुलनात्मक दृष्टि में दोनों प्रकार से ठीक बैठ जाता है । अर्थात् चाहे नवीन वेदान्ती की दृष्टि से जो कह सकेगा कि शरीर की हस्ती उस अतद्विशिष्ट जीवात्मा के कारण है जो वास्तव में ब्रह्म और अज्ञान से जीव बना हुआ है । किन्तु मुझ "शिवोहम्" की हस्ती उस उपाधि पर निर्भर नहीं है । अथवा द्वैतवादी की दृष्टि से भी जो कह सकेगा किन्तु अधिक सार्थकता से कह सकेगा कि शरीर जीवात्मा के कारण है क्योंकि लिंग शरीर की अनुपस्थिति में शरीर बन ही नहीं सकता और न परमात्मा उसको उपादान रूप लिंग शरीर के बिना, उस शरीर को उस जीवात्मा के कर्मानुसार जिसकी सामिग्री जीवात्मा के लिंग शरीर में उपस्थित है बना सकता है । परन्तु पहले पाद की गुत्थी किसी प्रकार सुलझ सकी ! यदि उसके कथन कर्ता को नवीन वेदान्ती न मान लें । क्यों ?

प्रथम तो मस्ती का अर्थ मख़मूर व मतवाला पन है । वह जीवात्मा की वह अवस्था है जिसमें वह बेख़ाम हो जाता है । उस मस्ती की अवस्था में जो शराब पीने से उसको प्राप्त होती कही जाती है वह अपने सम्पूर्ण रंजों को भूलकर एक अजीब मस्ती की दशा में चला जाता है । परन्तु यह बात तो किसी प्रकार भी समझ में नहीं आती कि शराब की मस्ती शराब को मुझ से प्राप्त है ! प्रथम तो शराब की मस्ती केवल निरर्थक बात है । मस्ती की सार्थकता किसी प्रकार भी शराब में जो जड़ पदार्थ है चरितार्थ नहीं होती । पुनः यह बात और भी अनर्गल प्रतीत होती है कि "किन्तु मैं उस (शराब) से मस्त नहीं हुआ हूँ ।" प्रश्न होता है कि पुनः यह कवि कौन सी शराब से मस्त है ? उत्तर में शायद (सूफी की ओर से कहा जायेगा कि उस शराब हक़ीक़ी अर्थात् मार्फत अथवा "अध्यात्म" के नशे से । और आगे चलकर हमारे योग्य लेखक ने इसी तात्पर्य की झलक दी भी है । तो उस अध्यात्म रूपी शराब को मस्ती का देना भी तो कुछ समझ में नहीं आता । निष्कर्ष यह है कि हमारे योग्य लेखक के उत्तम लेख में उक्त सूफी महोदय के भावों का पुट लग जाने से उस स्थल के विचार एक ऐसे डांवाडोल नींव के आधार पर खड़खड़ होते प्रतीत होते हैं कि यदि महर्षि दयानन्द के वचनों और उनके स्पष्ट सिद्धान्त का जो द्वैतवाद के रूप में निरूपित है आश्रय न हो तो उक्त उत्तम लेख भी पढ़ने वाले को कम से कम कुछ काल के लिये भ्रम में पड़ने से नहीं बचा सकता । हमारे योग्य लेखक क्षमा करेंगे कि मुझे यह कुछेक अन्त की पंक्तियां केवल इस कारण से लिखनी पड़ीं कि मेरी दृष्टि में कई एक इस उपनिषद् के भाष्य इस प्रकार के देखने में भी आये हैं जो

उपनिषद् के वास्तविक सार को नहीं पहुँचते और मुझे दुःख होता है कि जिन प्रकाण्ड धुरन्धर श्री पं० गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. तथा श्री पं० तुलसीराम स्वामी तथा श्री पं० शिवशङ्कर काव्यतीर्थ सदृश पण्डितों के ग्रन्थ विज्ञान और श्रद्धा से भरे हुए उपस्थित हैं उनके प्रचार से हम उदासीन होते चले जाते हैं और नवीन ग्रंथों की भूख हमको सता रही है। यदि उन ग्रंथों का भी सम्यक् प्रचार होता रहे तो नवीन ग्रन्थों की भूख भी श्लाघ्य कही जा सकती है। अन्यथा समाचार पत्रों की भाँति पढ़ना और टोकरी में डाल देना वा रख देना तो आजकल का फैशन ही हो रहा। ईश्वर रक्षा करे।

गाय का मांस बीमारी और दूध दवा है

(ले०—श्री नजीर अहद वलकी)

❀

गोरक्षा के लिये मैं सन् १९०९ से कार्य कर रहा हूँ और उसमें मुझे जो सफलता मिली है उसके लिये मुझे गर्व है। इस अर्से में मैंने अपने शिया तथा सुन्नी मुसलमान भाइयों में गोरक्षा के भाव का प्रचार करने के लिये बहुत से लेख लिखे हैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव तथा जांच-पड़ताल ने साबित कर दिया है कि शिया लोग आदतन गाय का गोश्त नहीं खाते और बकरा-ईद पर गाय की कुरबानी करने से भी नावाक़िफ हैं। सुन्नी लोगों की तादाद हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा है। वे ख्याल करते हैं कि गाय के मारने वा गाय का गोश्त खाने में ही इस्लाम धर्म है यह बाहियात ख्यालात उस फिरके के समझदार लोगों और प्रभावशाली वक्ताओं द्वारा ही दूर किये जा सकते हैं। दोनों फिरकों के उन्नति-शील विचारों के बुद्धिमान मुसलमान गाय की उपयोगिता को समझते हैं। लेकिन जनता पर काबू पाना और उसके मूर्खतापूर्ण विचारों को बदलना उनकी ताक़त के बाहर का काम है। यह दुःख की बात है कि देशी व विदेशी जरूरतों के लिये किये जाने वाले गोवध ने हमारी खेती-बाड़ी देहाती आवागमन और काफी मात्रा में शुद्ध दूध की उत्पत्ति को पंगु बना दिया है। दूसरे शब्दों में यह हमारे धन व स्वास्थ्य पर बड़ा हानिकारक प्रभाव डाल रही है। यह बात मुसलमानों व गैर मुसलमानों पर समान रूप से लागू होती है। कोई भी मुसलमान कुरान की आयतों या परम्परागत हदीस से यह साबित नहीं कर सकता कि इस्लाम धर्म में गोवध और गोमांस भक्षण लाजमी है। न वह यह जाहिर कर सकता है कि उनका (गोवध व गोमाँस) तर्क करना पाप है। वह केवल इस सिद्धांत को प्रमाण के रूप में पेश कर सकता है कि इस्लाम धर्म में गाय का गोश्त हराम नहीं है।

गाय इन्सानों के लिये ईश्वरीय देन है, जिसे हमारे अन्तिम पैगम्बर मोहम्मद साहब भी महान् समझते थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मनुष्यों को आदेश दिया है कि वे गाय का आदर करें क्योंकि यह सब चौपायों की रानी है। "गाय का गोश्त बीमारी है, उस का दूध दवा है और उसका घी इलाज है" यह कहावत इस बात को साफ जाहिर करती है कि गाय का गोश्त अस्वास्थ्यप्रद भोजन है। पैगम्बर साहब के दामाद खलीफा अली

ने भी यही बात कही है। 'गौसआजम' ने जिसका सुन्नी लोग बहुत मान तथा आदर करते हैं, कभी गाय के गोश्त को छुआ भी नहीं। सूफी लोग भी इसका उपयोग कभी नहीं करते हैं।

अब्दुल मलिक सीरिया का सब से पहला बादशाह था जिसने ईराक में गोबध को बन्द किया था, हिन्दुस्तान में बाबर, हुमायुँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरङ्गजेब, मोहम्मदशाह और शाहआलम आदि मुगल बादशाहों ने कृषि उन्नति तथा अपनी हिन्दू प्रजा के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिये गोकुशी बन्द की थी। उसके बाद काबुल के भूतपूर्व अमीर अमानुल्ला राधनपुर दुजाना व बंगनापल्ली के नवाबों ने मेरे मिशन की दाद दी और गोकशी बन्द की

मेरी ऊपर लिखी बातों से साफ जाहिर है कि इस्लाम धर्म में गाय का दर्जा बहुत ऊँचा है, और आर्थिक व अन्य दृष्टियोंसे भी भारतवर्ष के लिये गोकुशी हानिकारक है।

मुस्लिम जनता को गाय के वास्तविक महत्व और उपयोगिता से अन्धेरे में रखने की जिम्मेवारी खास तौर पर मौलवियों पर है

मैं कुछ ऐसे उपाय बतलाना चाहता हूँ जो कि बेगुनाह गो-माता की रक्षा के लिये सच्चे और सुयोग्य सबूतों द्वारा अमल में लाये जा सकते हैं। तथा--

१— मुसलिम जनता को गाय की उपयोगिता बतलाने और इस बात का ज्ञान कराने के लिये कि कुरबानी के लिये बकरी, भेड़ व ऊँट ही उचित जानवर हैं, और यह जताने के लिये कि गोकुशी जो कि हिन्दुस्तान व गैर मुल्कों में शिक्षित व सभ्य मुसलमानों में नहीं की जाती है, बन्द कर देनी चाहिए, मुसलिम प्रचारक नियत किये जावें। इस प्रकार प्रचार करने से दीर्घ-कालीन हिन्दू-मुस्लिम झगड़े का भी निबटारा हो जावेगा।

२— भावी मुस्लिम सन्तान की रहनुमाई के लिये एक मुस्लिम गोशाला कायम की जावे। महमूदाबाद के स्वर्गीय महाराज ने मुझे इस काम के लिये माली सहायता देने का इकरार किया था, दुर्भाग्य से वह मौका हाथ से निकल गया है इसलिये अब हमें दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे।

३ —गोकुशी बन्द करने के लिये भारत सरकार को प्रेरित किया जावे जैसा कि सी० पी० सरकार ने अपनी २१ मई १९२२ ई० की नं० १२३६-६५५-१३ को घोषणा द्वारा गोकशी बन्द करने का हुक्म निकाला था।

भारतवर्ष की दूध की समस्या

[लेखक—श्री दीवान बहादुर डी. आनन्दराव वी. एस. सी. कृषिविभाग के रिटायर्ड डाइरेक्टर, मद्रास]

*

भारतवर्ष का धन उसके पशु हैं। संसार के पशुओं में से ३१ प्रतिशतक भारतवर्ष में पाये जाते हैं और यह सबसे बड़ी संख्या है। जिस देश में लगभग २३ करोड़ पशु पाए जाते हों और जो पशुओं में इतना समृद्धिवान् हो उस देश के निवासियों को दूध की बहुतायत रहती होगी यह बात स्वभावतया हृदय में उठ सकती है। परन्तु इसके विपरीत भारतवर्ष के निर्धन लोगों को रूखी-सूखी रोटी पर ही निर्भर करना पड़ता है और बहुतों को तो दूध के दर्शन तक भी नहीं होते हैं। भारतवर्ष के दूध का वार्षिक मूल्य ३ अरब रुपया है। ये आंकड़े भले ही बहुत बड़े देख पड़ते हों, परन्तु ये भारतवर्ष की आवश्यकता को मुशकिल से पूरा करते हैं।

सरकारी विवरणों से विदित होता है कि दूध के परिमाण की दृष्टि से तो संसार में भारतवर्ष का नम्बर दूसरा है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग की दृष्टि से भारतवर्ष का नम्बर सबसे पिछड़ा हुआ है। अमेरिका और न्यूजीलैंड के लोग प्रतिदिन ३५, ३६ औंस दूध का उपभोग करते हैं और भारतवासियों को प्रतिदिन केवल ७ औंस से संतुष्ट होना पड़ता है। साधारण स्वास्थ्य और वृद्धि के लिये जो आवश्यकताएँ आवश्यक हैं यह मिक्दार उनसे भी कम हैं।

अभी हाल में विभिन्न ७ प्रान्तों में इस बात की खोज की गई थी कि वहाँ इस्तैमाल में आने वाले दूध का क्या औसत् है। उस खोज से यह भी मालूम हुआ है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज्यादा दूध का उपभोग करते हैं। इस बात का कारण कुछ भी हो यह तय है कि देश में दूध का परिमाण साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्य्याप्त नहीं है। जहाँ भारतवर्ष अपने पशु-धन में मालदार है वहाँ भारतवर्ष की गऊ दूध देने में बहुत पिछड़ी हुई है। भारतवर्ष की गऊ ४ औंस के लगभग रोज़ाना दूध देती हैं जब कि यूरोप की गऊ २० औंस प्रतिदिन दूध देने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें सन्देह नहीं कि देशभर में सरकारी महकमे पशुओं के सुधार की समस्या को २ प्रकार से हल करने का यत्न करते रहे हैं एक तो नस्ल को सुधारने दूसरे बढ़िया चारा पैदा करने के यत्न

द्वारा । वस्तुतः अब तक पहली बात पर विशेष बल दिया जाता रहा है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि केवल नस्ल का सुधार हमें बहुत दूर नहीं ले जायगा ।

यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि दूध की कम उत्पत्ति के लिए कुप्रबन्ध भी बहुत जिम्मेवार है । बहु संख्यक प्रान्तों में, इसमें सन्देह नहीं, कृषि विभागों ने घरेलू पशुओं की उन्नति की दिशा में उत्तम कार्य किया है फिर भी हमें यह देखकर दुःख होता है कि यह कार्य इन विभागों से हटाकर पशु-रक्षा विभागों (Veterinary) के सुपुर्द किया जा रहा है। यह भय है कि कृषि विभाग पशुओं के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करता है जिसका मुख्य काम खेती को उन्नत करना है यह भय निराधार है क्योंकि पशु और खेती एक दूसरे से जुदा नहीं किए जा सकते हैं और जो व्यक्ति खेती की उन्नति में दिलचस्पी रखता होगा तो वह यह नहीं भुला सकेगा कि पशुओं का साथ २ सुधार किये बिना उसका काम नहीं चलेगा ।

गृह पशु सुधार किसी भी विभाग के आधीन क्यों न हों जब तक यह सुधार एक तरफा रहेगा तब तक उन्नति की आशा नहीं और इस कार्य पर भी खर्च होने वाले धन और शक्ति बहुत ज्यादा व्यर्थ जायेंगे। जब तब पशुओं को काफी परिमाण में अच्छा चारा नहीं मिलेगा तब तक अच्छे पशुओं की उत्पत्ति कठिन है क्योंकि अच्छी नस्लें चारे के अभाव में वर्तमान परिस्थितियों में जल्द ही खराब हो जायँगी। इसलिए स्पष्ट है कि लोगों को सबसे पहले यह सिखाया जाय कि वह अपने पशु को अब की अपेक्षा किस प्रकार अच्छी तरह रख सकता है ? प्रश्न यह है कि क्या वह यह कार्य कर सकता है ? वस्तुतः यही समस्त समस्या का मूल है। जबकि मालिक को १ वक्त भी भरपेट भोजन न मिलता हो तो क्या उस दशा में उससे यह आशा करना दुराशा नहीं है कि वह अपनी गाय को अच्छी तरह से खिला पिला कर उससे आमदनी कर सकेगा। वस्तुतः वर्तमान में भारतीय गऊ के मालिक की निर्धनता ही अच्छी गऊ बनाने के उसके मार्ग में बाधक होती है।

हृदय-परिवर्तन

[लेखक--विद्यानिधि सिद्धान्तालङ्कार]

*

तत्त्व वेत्ताओं का कथन है कि पाप-पुण्य, सुख-दुःख, जय-पराजय, उत्थान-पतन आदि परस्पर विरोधी भावों का अन्तर्द्वन्द्व ही संसार के जीवन का स्रोत है। अन्धकार के बिना प्रकाश और अशुभ के बिना शुभ नीरस और अपूर्ण है। संसार की यह विचित्रता ही प्राणि-जगत् का सौन्दर्य है।

एक संगीत का प्रेमी दीखता है तो दूसरा शराब का। तीसरा कथा पूजन पर अनुरक्त है तो चौथा खेल-तमाशे पर। कहीं बल है कहीं निर्बलता, कहीं विलास है कहीं भक्ति। यही संसार का चक्र है।

दाऊदखां को गालियों का व्यसन था। उठते बैठते उसे सदा इन्हीं का ध्यान रहता। ऐसा जान पड़ता, उसके जीवन का यही एक लक्ष्य है।

उसका बाप स्त्रियें बेचने का 'व्यवसाय' करता था। जब दाऊद १८ वर्ष का हुआ उसने भी इसी 'बिजनेस' को सम्भाला। अलमोड़ा, शिमला, नैनीताल, मसूरी, कुल्लू और काश्मीर के हरे-भरे पर्वतों पर ही बहुधा उसके दिन व्यतीत होते। यौवन में लक्ष्मी का मिश्रण हुआ और उसके गेहुँएँ रंग पर स्वास्थ्य की आभा तथा आँखों में वासना का मद भर उठा।

पचासों मुग्धाओं को उसने 'दिसावर' में लाकर बेचा और परिवर्तन में कांचन का पुरस्कार प्राप्त किया।

एक बार किसी मनचले 'गाहक' से उसका मामूली सा झगड़ा हो गया। बात साधारण ही थी। केवल कुछ रुपयों का प्रश्न था। परन्तु दाऊद को बर्दाश्त कहाँ? उसके यौवन में तो ज्वारभाटा आ रहा था। उसने देखते ही देखते चाकू निकाल 'दुश्मन' का काम तमाम कर डाला।

गिरफ्तार होकर वह अदालत के सामने पेश किया गया और वहां से आजन्म कारावास का दण्ड पाकर बन्दीघर की चारदीवारी में बन्द कर दिया गया। फांसी से बच गया, यह कुशल हुई।

१८ साल तक वह जेल में बन्द रहा। बाद में जेल से छूटने के बाद वह उसी

बन्दीघर में 'हेड-वार्डर' बना दिया गया। चार साल पश्चात् वह 'असिस्टेण्ट जेलर' था।

यद्यपि यह पद कोई विशेष गौरवान्वित नहीं होता, तब भी उसकी पुरानी प्रवृत्तियोंको नवचेतना देने के लिए पर्याप्त था। आषाढ़ का जल पाकर जैसे सूखी घास में हरियाली दौड़ जाती है, कांचन और कामिनी के साथ साथ उसमें एक बार फिर बोतल वासिनी का अनुराग लहलहा उठा।

परन्तु इस बार मयखाने के 'पेग' उसे उतना नशा न दे सकते थे, जितने रंग-बिरंगी लच्छेदार गालियों के मुहावरेदार 'जाम'।

जेल भर में वह गालियों का 'मार्मिक विद्वान्' माना जाता था। उसने स्वयं भी कितनी ही नई गालियों का 'आविष्कार' किया था। हरजस-सराय की प्रसिद्ध अध्यक्ष भटियारन से एक बार उसका खुला शास्त्रार्थ भी हुआ था। अपनी समस्त योग्यता व्यय करके भी श्रीमती बब्बन १११ से अधिक गालियों का उच्चारण न कर सकीं थीं, परन्तु 'असिस्टेण्ट जेलर' दाऊदखां, उससे कहीं आगे, १५० तक जा पहुंचा था। इनमें कितनी ही ऐसी गालियें भी थीं, जिन्हें सुनकर स्वयं श्रीमती बब्बन को भी अपने कान मूंद लेने पड़े थे।

गालियों का चाव पूरा करने के लिये वह बहुधा कैदियोंको भी आपसमें लड़ा दिया करता था और जब वे आपस में लड़ पड़ते और तरह तरह की गालियों के 'अमोघास्त्र' एक दूसरे पर बरसाते, वह तन्मय होकर उनका आनन्द लेता उस समय ऐसा प्रतीत होता, कोई भक्तजन अपने भगवान् की कथा का रसपान कर रहा है।

जब कभी जेल में भी गालियों की अमृतवर्षा न सुन पाती, वह सीधा ताँगे वालों के अड्डों, मदिरालयों, पोलिस चौकियों, वेश्याओं के मोहल्लों, सरायों या बस्ती के बाहर ग़रीबों के मोहल्लों में पहुँचता और कहीं न कहीं से अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर अपनी प्यास बुझाता।

कामिनी-कांचन और गाली, संसार में अब ये ही तीन अमर पदार्थ उसके लिए अमृत थे। इनका परमानन्द प्राप्त करना ही उसके जीवन का परम लक्ष्य था।

* * *

इधर कुछ दिनों से वह बहुत उदास रहने लगा था। उसे कभी २ ज्वर और अजीर्ण की शिकायत भी हो जाती थी।

नव वर्ष के प्रारंभ होते ही, उसके बन्दीघर में जो एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया था संभवतः वही उसकी उदासी का कारण था।

अतएव अपरिचित नवीन बन्दी, न जाने कहां से लाकर उसकी जेल में भर दिये गये थे।

उसके वे पुराने, परिचित कैदी—जिन्हें देखने सुनने का उसे एक मोहमय अभ्यास सा हो गया था—या तो जेल से मुक्त कर दिये गये थे, या दूसरी जेलों में इधर-उधर भेजे जा चुके थे। अब वह जिधर देखता उसे नई मूर्तियें, नये स्वभाव और नई ही बातें नज़र आतीं।

चिरकाल से उसका यह स्थिर मन्तव्य था कि कैदी होकर, जिस व्यक्ति को चोरी, असत्य भाषण और चापलूसी आदि व्यावहारिक कर्तव्यों का अभ्यास न हो—इस संसार में उसका कैदी कहलाना ही व्यर्थ है।

इन नये कैदियों में उसे इन गुणों का नितान्त अभाव दीख रहा था।

शायद इन अक्षम्य न्यूनताओं को वह सह भी लेता, यदि सिर्फ गाली देने का हुनर ही इन्हें याद होता। परन्तु इधर इस मामूली सी बात का भी सफाया था।

तिस पर १०० की जगह ४०० कैदी भर देने से जेल की व्यवस्थापद्धति भी अस्त-व्यस्त हो गई थी। दाऊद खां पर काम का इतना बोझ आ पड़ा था कि उसे बस्ती में अपने सुपरिचित स्थानों में जाने का अवसर भी न प्राप्त होता था।

तब इस नीरस और शुष्क जीवन से क्या लाभ? जिस 'असिस्टेण्ट जेलरी' का उसे इतना अभिमान था अब वह भी उसे भार प्रतीत होने लगी।

क्रमैः २ इन नवागन्तुकों से उसे इतनी घृणा हो गई कि इन्हें देखकर उसके हाथ जल उठते। वह जैसे भी बने, इनसे पीछा छुड़ाने का उपाय सोचने लगा।

एक दिन वार्तालाप में उसे जेलर के मुख से यह विदित हुआ कि सरकार इन अवांछनीय कैदियों को जेल में देर तक रखना नहीं चाहती। यदि किसी तरह इन्हें जेल से बाहर निकाला जा सके तो वह बड़ी प्रसन्न होगी।

दाऊद की आँखें चमक उठीं। बोला—

"यह कौन कठिन काम है। कल ही लो।"

"परन्तु एक शर्त के साथ।"

"वह क्या?"

"बाहर निकालने से पूर्व सरकारी माफीनामों पर उनके हस्ताक्षर ले लेने आवश्यक हैं।"

दाऊद ज़रा चिन्ता में पड़ गया।

'जो कर्मचारी जितने ही अधिक माफीनामे भरवायगा, उतना ही अधिक उसे पुरस्कार भी दिया जायगा और तरक्की जो मिलेगी वह अलग।" जेलर ने आंखें मारते हुए कहा।

दाऊद को उस रात नींद न आई। पचासों नई गालियों का आविष्कार करने वाला उसका मस्तिष्क अब रातभर उन उपायों के आविष्कार में लगा रहा जिनके बल पर वह इन हठीले बन्दियों को सरकारी क्षमापत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाधित कर सकता।

प्रभात होते न होते उसकी योजनायें तय्यार थीं।"

* * *

बन्दीघर के आंगन में एक कूप था। कैदियों को उसमें से प्रतिदिन, बारी बारी से १००-१२५ डोल पानी के खेंचने होते थे। आज से छोटे ५ सेर डोल की जगह २० सेर पानी का एक नया डोल रखवा दिया गया और सूतकी रस्सी की जगह लोहेकी पतली तार ताकि एक डोल खेंचने से ही बन्दी के दोनों हाथों से रक्त बहने लगे।

जेल में एक विशाल हौज भी था। उसमें कैदियों के पीने का स्वच्छ जल भरा रहता था। आज से दाऊद खां के वार्डरों को उसमें अपने पाजामें, कमीज़ और जूते धोने की स्वतन्त्रता थी।

जेल के शौचालयों की सफाई का काम अबतक मेहतरों का था। अब यह काम भी कैदियों से लिया जाने लगा।

८-१० कैदियों को 'दण्ड-गृह' के नित्यप्रति दर्शन भी करने पड़ते। वहां उन्हें इस सीमा तक ताड़ना दी जाती कि वे मूर्छित हो जाते और फिर उसी अचेतनावस्था में सरकारी क्षमापत्रों पर उनके अँगूठे लगवा लिए जाते। अगले दिन उन्हें जेल से मुक्त कर दिया जाता।

एक ही महीने में दाऊद की योजनायें आशातीत फल लाईं। पचासों कैदी जेल से बाहर धकेल दिये गये। वे जिन्होंने क्षमा मांगना अपमान जनक कार्य समझा, वीरों की भाँति अत्याचारियों के क्रूर हाथों द्वारा वीरगति प्राप्त कर संसार से कूच कर गये।

कैदियों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटने लगी।

परन्तु अब भी कितने ही ऐसे धैर्य के धनी इन कैदियों में बच रहे थे, दाऊद की समस्त योजनायें मिलकर भी जिनकी दृढ़ता को पराजित न कर सकी थीं।

सफलता, असफलता—जय और पराजय, दोनों अवस्थाओं को धैर्य पूर्वक सहन कर सकने के लिये जिस लौह-हृदय की आवश्यकता होती है—वह दाऊद में न था। एक

मास से लगातार मिलती हुई सफलता के पश्चात् इस असफलता को वह किसी भी तरह सहन न कर सका। इन थोड़े से अवशिष्ट कैदियों के सम्मुख अपनी योजनाओं को असफल होते देख उसके धैर्य का बाँध अकस्मात् भग्न हो गया और उसका उग्र हृदय पहले से भी अधिक कठोर हो उठा।

जेल के दण्ड-गृह में अब नित्य ही उसका 'न्यायालय' जमने लगा। वह स्वयं एक ऊँची वेदी पर मसनद के सहारे बैठ जाता। आठ दस सशस्त्र वार्डर, जिनकी ऊँची मूँछें, राक्षसी नेत्र और सुगठित शरीर, क्रूरता का प्रत्यक्ष अवतार प्रतीत होते—उसके समीप ही खड़े रहते। प्रति दिन एक, के बाद एक, दस-बारह कैदी उसके सम्मुख उपस्थित किये जाते। पहले तो वह उन्हें समझाता, पुरस्कार का प्रलोभन भी देता—फिर अन्त में जब वे उसकी आज्ञा को किसी भी तरह स्वीकार न करते, वह उन्हें इन जल्लादों के हाथ सौंप देता।

उसका मुख प्रतिहिंसा के उल्लास से चमक उठता जब वह अपने सामने इनके मस्तक फटते हुए और हाथ पांव टूटते हुए देखता।

एक दिन एक कुमार-कैदी उसके सम्मुख उपस्थित किया गया।

"तुम्हारा नाम"? दाऊद ने ज़रा चौंक कर पूछा।

"शान्ति"

"उम्र?"

"१८ वर्ष"

"निवास स्थान?"

"कलानौर अकबरी। जिला गुरुदासपुर"

कैदी जितनी ही अधिक शान्ति से उत्तर देता, दाऊद की क्रोधाग्नि उतनी ही भड़कती जाती।

"अफसोस! तुम सरीखे लड़के को जेलखाने में भेजते हुए तुम्हारे माँ-बाप को कुछ भी शरम न आई।" अन्त में उसने कहा—

"मैं अपने माता-पिता से बिना पूछे, घर से भाग कर यहाँ आया हूँ।" शान्ति ने कहा।

"तब तो तुझे माफी माँग कर बहुत जल्द घर वापस लौट जाना चाहिए। तेरे बिना तेरी माँ कितना अफसोस करती होगी, तुझे यह भी ख्याल नहीं आता?"

"परन्तु जब मेरी माता यह सुनेगी कि मैं क्षमा माँग कर आया हूँ—तब वह और भी अधिक अफसोस करेगी।"

"हूँ ! तब तू माँफी माँगने को तय्यार नहीं"—दाँत पीसते हुए दाऊद ने कहा।

"मैं तो आप से पहले ही निवेदन कर चुका।"—शान्ति ने अविचलित भाव से उत्तर दिया।

"इससे १० दिन तक तार की रस्सी से ५० डोल प्रतिदिन खिंचवाये जावें और १२ से ४ बजे तक धूप में नंगे पाँव नंगे सिर खड़ा किया जावे। जाओ, ले जाओ इसको मेरे सामने से।"—दाऊद ने कठोरता से कहा।

दो वार्डरों ने आगे बढ़ कर शान्ति को पकड़ लिया और बाहर निकाल ले गये।

+ + × +

पं० रामरत्न शर्मा दिल्ली में डिकट कलक्टर हैं। जब से उनकी पत्नि को यह विदित हुआ है कि उसका खोया हुआ पुत्र शान्ति जेल में बन्द है, उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। शर्मा जी के बहुतेरा समझाने बुझाने पर भी उसका सन्तप्त हृदय किसी तरह शान्त न होता।

"तब तुम उसे क्षमा माँगने के लिये क्यों नहीं कह देतीं ?"—शर्मा जी ने एक दिन पत्नि से कहा।

"और तुम ?"

"मेरी बात छोड़ो। मैं तो उसे ऐसी कायर सम्मति देना ही पसन्द नहीं करता।"

"तो क्या तुम लोगों ने घर भर में एक मुझे ही सबसे बड़ा कायर समझ रक्खा है ? मैं भी क्यों उसे क्षमा माँगने के लिये कहने लगी ?"

"और रोना धोना फिर भी जारी ही रहेगा।"

"कितने निठुर हो तुम। क्या एक दुखी माँ को अपने दुखी पुत्र के लिये रोने का अधिकार भी नहीं है ?"

"अधीरता और दृढ़ता—दोनों बातें साथ साथ नहीं चला करतीं, शान्ति की माँ। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब था।" स्निग्ध स्वर में शर्मा जी बोले।

परन्तु पत्नि का बांध टूट चुका था। वह सिसक सिसक कर रो रही थी।

एक दिन, जब दोपहर का रूखा सूखा भोजन पाकर शर्मा जी चुपचाप अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे और उनकी पत्नी रसोई में बासन माँज रही थी, डाकिया एक बड़ा लिफाफा उनके सामने फेंक कर चला गया।

शर्मा जी का दिल धड़कने लगा। वे घबरा कर उठ बैठे। उन्होंने लिफाफा उठा तो लिया परन्तु उसे खोलते हुए उन्हें भय मालूम देने लगा। उनकी दशा ठीक उस बच्चे

सरीखी हो गई जो रात को अन्धेरी कोठरी में घुसते हुए इसलिये डरता है कि कहीं भूत न बैठा हो।

"कहाँ से आया है ?"—चिल्लाकर शान्ति की माँ ने पूछा।

'मोहर तो जेल की लगी है। शान्ति का जान पड़ता है।"

पलभर में, राख से भरे हुए हाथ लिए शान्ति की माँ उनकी खाट के पास खड़ी थी।

"पढ़ो तो क्या लिखा है ?"

कांपते हाथों पत्र खोल कर शर्मा जी ने पढ़ने का साहस किया। पत्र पर जेलर के हस्ताक्षर थे। लिखा था—

"तुम्हारा बेटा शान्ति आज ६ दिन से टायफायड में मुब्तिला है। अगर मिलना चाहो तो आ जाओ।"

शर्मा जी के हाथ से पत्र गिर पड़ा एक अज्ञात आशंका से माता का हृदय कांपने लगा और वह चीख मार कर धरती पर गिर पड़ी।

+ + + +

"कौन ? पिता जी ? आप आगये ?"

"हां बेटा, मैं आया हूँ। अब कैसी तबियत है तुम्हारी ?"

"और अम्मा को नहीं लाये ?"

"तुम जल्दी जल्दी अच्छे हो जाओ, बेटा। फिर हम सब तुम्हारी अम्मां के पास ही चलेंगे।"

शान्ति एक बार हँसकर चुप होगया। उसकी आँखों में दो बूँद आँसू झलक आये।

शर्मा जी खड़े २ उस अस्थि पञ्जर को देखने लगे। आंखें गढ़ों में धँस गई थी। चेहरा सूख कर काला पड़ गया था ! ओठों पर काली पपड़ियाँ जम गई थीं। दोनों पावों के तलवे छालों और फफलों से सूजे हुए थे, उनमें से जल रिस रहा था। हथेलियों की दुर्दशा देखकर तो रोमाञ्च हो आता था।

"अगर आप चाहें तो अब भी अपने बेटे को बचा सकते हैं, बाबू साहब"—पास आकर दाऊद खाँ ने शर्मा जी से कहा।

"अब क्या रखा है यहाँ बचाने को। सोने का महल तो मिट्टी बन ही चुका—कह कर शर्मा जी रोने लगे।

करुणा किसे कहते हैं - आज तक जिसे इसका पता तक न था, दाऊदखाँ का

वह कठोर हृदय भी आज शर्मा जी की निराशा देख द्रवित हो उठा। अपनी भारी आवाज़ को यथा सम्भव कोमल बनाते हुए उसने कहा—

"अगर आप एक बार भी कह दें तो वह माफीनामे पर दस्तख़त कर अभी छूट सकता है।"

उसकी ओर घृणा पूर्वक देखते हुए शर्मा जी बोले—"तो आप पूछ देखें व यदि मान जाय तो अच्छा ही है।"

दाऊद आगे बढ़कर शान्ति की खाटके पास जा पहुंचा। देखा, कैदी चुपचाप सोरहा है। न जाने कब तक वह उसकी मुख मुद्रा को एक टक देखता रहा। फिर जब शान्ति ने आंखें खोलीं, वह उसके सिर पर शनैः २ हाथ फेरते हुए बोला—

'अब कैसी तबियत है तुम्हारी, बेटा शान्ति?..." वह इतना ही कह सका। अपना अभिप्राय उस से कहते न बना।

बुझते हुए प्रदीप में जैसे ज्योति चमक उठती है कैदी के मलिन मुख पर हास्य की एक क्षीण रेखा दौड़ गई। दाऊद के नेत्रों में अपने विशाल नेत्र गाड़ कर उसने धीरे २ यों कहना प्रारम्भ किया।

"जान पड़ता है, प्रभु ने मेरी पुकार सुनली। आज आप को 'बेटा शान्ति' कह कर पुकारते देख मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्न हो उठा है। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। परन्तु मुझे दुःख है कि मैं अब भी आपकी वह इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। जिन आज्ञाओं को भङ्ग करने के कारण आपका मनुष्य रचित क़ानून मुझे अपराधी ठहराता है, धार्मिक दृष्टि से वह अपराध नहीं; पुण्य है। क्षमा मांगना तो अपराधियों का काम है। मैंने अपराध ही कौनसा किया है? आप लोग भले ही मुझे अपराधी बताते रहें परन्तु भगवान के दरबार में मैं सर्वथा निरपराध हूँ।....."

वह आगे न बोल सका। थक कर चुप होगया।

दाऊद को जैसे काठ मार गया हो। उस में उठने की शक्ति भी न रही। कैदी के अन्तिम वाक्यों ने आज अकस्मात् उसके कठोर हृदय पट इस तरह खोल दिए थे कि उनमें से होकर स्वर्गीय प्रकाश शनैः २ उस में प्रकाशित हो रहा था। चालीस वर्ष का गहन अन्ध तमस आंसू बन कर उसकी आंखों के मार्ग से बह रहा था। अपना सिर शान्ति की खाट पर झुका कर वह चुप चाप बैठ गया।

अन्त में जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया, देखा शान्ति के प्राण

पक्षी देह-पिंजर से मुक्त हो चुके थे। उसके नेत्र बन्द थे और कुछ खुले हुए ओठ। मानों अब भी अनन्त निद्रा में अपनी स्नेहमयी मां को पुकार रहे थे।

*　　*　　*

इस के बाद फिर किसी ने दाऊद को न देखा।

कलानौर अकबरी से गुरुदासपुर जाने वाली सड़क के एक निर्जन प्रान्त में किसी ने अभी हाल में जो एक प्याऊ बैठाई है एक संन्यासी वहां प्रायः पथिकों को पानी पिलाते हुए देखा जाता है धूप हो या बरसात, दिन हो या रात, वह हर समय नङ्गे पाँव नंगे सिर सड़क के किनारे प्याऊ के पास ही खड़ा रहता है। उसे बैठे हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। जब किसी पथिक को वह आते देखता है, दौड़कर उसके आतिथ्य का प्रबन्ध करता है। कुए पर रखे हुये डोल में, जिसे वह बहुधा खेंचते हुए देखा जाता है, पतली तार की रस्सी देख कर पथिकों को बड़ा आश्चर्य होता है। परन्तु पूछने पर वह कहा करता है, रस्सी जल्दी टूट जाती है, तार टिकाऊ है।

गालियों से उसे इतनी चिढ़ है कि प्याऊ की दीवारों पर भी लिखा दीखता है 'यहाँ गाली देना और शराब पीना सर्वथा बन्द है।"

लोगों का ख्याल है यह दाऊद है।

आर्य समाज स्थापना दिवस

(ले०—श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज)

मैंने जो पूर्व लेख लिखा था उसके आधार पर श्री चन्द्रमणि जी आर्यकुमार महासभा बड़ौदा ने अपने विचार प्रगट किये हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्थापना दिवस चैत्र शुक्ला प्रतिपदा ही है। उन्होंने मुम्बई आर्यसमाजके इतिहास से भी जो गुजराती में छपा है सिद्ध किया है कि आर्य समाज की स्थापना प्रतिपदा को हुई थी, पंचमी को नहीं, परन्तु उस लिखने के पश्चात् मैंने पं० लेखराम जी द्वारा लिखित महर्षि की जीवनी को देखा, उसमें चैत्र शुक्ला पंचमी ही है। मेरे विचार में सब लेखकों ने वहाँ से ही लिया और किसी ने मुम्बई जाकर शिला लेखों का मुम्बई समाज के अधिकारियों को देखने वा पूछने का कष्ट नहीं किया यदि कोई कर लेता तो यह विषय अब तक साफ हो गया होता। औरों को क्या कहूँ मैं अनेक बार मुम्बई गया परन्तु इस विषय पर विचार करने का कभी ध्यान भी न आया, इस बार भी श्री विजयशंकर जी तथा चौबे जी के कथन पर ध्यान गया उन्होंने कहा आप स्थापना दिवस पंचमी को मनाते हैं उन्होंने शिला लेख प्रमाण में पढ़ने को कहा, पढ़ने पर मैंने वह छोटा सा लिख कर आर्य समाज को इस पर विचार करने का अवसर दिया।

श्री चन्द्रमणि जी ने एक प्रश्न उठाया है, वह लिखते हैं श्रीकृष्ण शर्मा वैदिक मिशनरी राजकोट (काठियावाड़) ने एक लेख आर्य मित्र साप्ताहिक (आगरा) के किसी अङ्क में लिख कर दर्शाया था कि सब से पहले राजकोट में आर्यसमाज की प्रथम स्थापना हुई थी, अतः उनसे भी इस विषय में पूछ लेना चाहिए।

श्रीकृष्ण शर्मा जी ने मुझे भी जब मैं काठियावाड़ के दौरे में राजकोट गया था, ऐसा कहा था। यह बात प्रथम भी सुनी गई है परन्तु मेरी सम्मति में वह समाज संगठित रूप में न था। उस समय महर्षि जी के भाव भी ऐसे प्रतीत नहीं होते हैं कि वह आर्य समाज को संगठित रूप में बनाना चाहते थे इसमें प्रमाण यह है कि राजकोट में आर्य समाज के स्थापना अवसर पर कोई नियम, उपनियम का उल्लेख नहीं है। मुम्बई में आर्य समाज के स्थापना अवसर पर नियमोपनियम मिलाकर लिखे गये थे और पुनः लाहौर (पंजाब) आर्यसमाज के स्थापना समय नियमोपनियम पृथक २ लिखे गये। कुछ साल पूर्वतक आर्य समाज के उपनियम वही थे जो महर्षि जी ने लाहौर में बनाये थे। अब सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आर्यों की सम्मति से वह बढ़ा कर समयानुकूल बनाए गए हैं, अब भी नियम वही है जो महर्षि ने लिखे थे। इसलिये स्थापना दिवस मुम्बई आर्य समाज वाला ही मानना उचित है राजकोट वाला नहीं।

मुम्बई आर्य समाज का स्थापना दिवस चैत्र शुक्ला प्रतिपदा है, चैत्र शुक्ल पंचमी नहीं है। ऋषि जीवनी में पंचमी भ्रम वश लिखी गई है, वहाँ से पर्व पद्धति में पंचमी का प्रवेश हुआ है। अब सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरङ्ग सभा को निश्चय करना चाहिए कि कौन सी तिथि मानी जाय ताकि भविष्य में इस विषय में किसी को संदेह न हो।

हमारी चिट्ठी-पत्री

सार्वदेशिक सभा के प्रधान माननीय घनश्यामसिंह जी गुप्त की ढाई लाख की अपील की पूर्ति हुई या नहीं इसका समाचार न तो समाचार पत्रों से विदित होता है और न सार्वदेशिक सभा से ही मालूम होता है सम्भव है सार्वदेशिक सभा इस समय हैदराबाद सत्याग्रह का इतिहास तथा दक्षिण भारत की भाषाओं में आर्य साहित्य के तैयार करने में लगी हो इस कारण उसे अवकाश न हो किन्तु सब समाजें क्यों चुप्पी साधे हैं यह समझ में नहीं आता।

यह सत्य है कि इतने बड़े युद्ध के बाद कुछ आराम की भी आवश्यकता होती है किन्तु उसके लिए अभी समय नहीं आया है। जिस दिन दक्षिण भारत और विशेष कर हैदराबाद राज्य में वैदिक धर्म कायथेष्ट प्रचार हो जायगा उस दिन समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य पूरा हुआ है।

प्रधान जी की अपील भी कुछ लम्बी चौड़ी नहीं है। जिस आर्यसमाज ने ६ माहके अन्दर लाखों रुपयों को एकत्रित कर व्यय कर दिया उसके लिए २॥ लाख जैसी छोटी रकम कोई अर्थ नहीं रखती। आवश्यकता एक बार आर्यवीरों के उठकर बैठने की है। हमारा तो ख्याल है कि हजारों रुपये अभी समाजों में सत्याग्रह सम्बन्धी पड़े होंगे जिनको आर्य सभासद अपने यहीं किसी न किसी कार्य में व्यय करने का इरादा कर रहे होंगे यदि वही रकम भेज दी जाय तो काफी हो सकती है फिर थोड़े से ही प्रयत्न से उस निधि की भी पूर्ति हो सकती है। हमारा सिद्धांत तो यह है कि जो धन जिस निमित्त एकत्रित किया जाय उसी निमित्त व्यय होना चाहिये। जनता ने हमको धन इस आशा और विश्वास पर दिया था कि उसके उस धन से हैद्राबाद निवासियों के कष्ट निवारण हों। युद्ध का एक अध्याय समाप्त हो गया है किन्तु उत्तरार्ध अभी शेष है फिर क्यों न वह धन रचनात्मक कार्य जैसे पुण्य के कार्यों में व्यय किया जाय?

सुना गया है कि कुछ समाजें उस धन को अपने पुस्तकालय आदि लोकोपकारी कार्यों में व्यय करने जा रहे हैं। विचार बुरा नहीं है किन्तु ज़रा सोचिये कि जिस जनता ने जिस विश्वास पर आपको धन सुपुर्द किया क्या इस प्रकार व्यय करना उस जनता के प्रति विश्वासघात नहीं है? सारे देश से धन सार्वदेशिक सभा की अपील पर इकट्ठा किया गया है इस कारण उसी सभा को उस धन को खर्च करने का अधिकार है। बीच

की समाजों को नहीं। शायद आप से कोई पूछे नहीं, हो सकता है कि बुरा भी न कहे किन्तु क्या इस कार्य्य को आपकी आत्मा विश्वासघात नहीं समझेगी ? इस कारण हमारी सभी सभासदों से प्रार्थना है कि इस गंभीर प्रश्न पर वे ठंडे दिल से विचार करें और शीघ्र ही अपनी २ समाजों से सारे धन को सार्वदेशिक सभा में भिजवा दें।

आप कह सकते हैं कि अपनी समाजों में भी तो उस धन का सदुपयोग ही होगा ठीक है कहीं पुस्तकालय खुलेंगे, कहीं वाचनालय खुलेंगे कहीं समाज भवन बनेंगे आदि २। किन्तु विचारिये तो सही कहाँ तो एक नगर तथा कुछ व्यक्तियों का उपकार और कहाँ समस्त दक्षिण भारत में आर्य सिद्धान्तों का प्रचार !

आर्य्यसमाज आबूरोड ने इस दिशा मे सबके समक्ष आदर्श उपस्थित कर दिया है। यह समाज भी साधारण स्थिति का ही है, धन की यहाँ पर भी कमी है, कई लोकोपकारी कार्यों की योजनायें भी पेश है किन्तु उस धन से यह सब करना उचित न समझा गया और सत्याग्रह के रुकने पर सत्याग्रह सम्बन्धी एक ख़ासी रकम सार्वदेशिक सभा को भेज दी गई और इस प्रकार हैदराबाद निधि में अपनी तुच्छ भेंट सादर समर्पित कर उसका हिसाब बन्द कर दिया गया।

आशा है सभी समाजों के आर्य सभासद् शीघ्रतिशीघ्र हैदराबाद निधि की पूर्ति करने में अपनी सारी शक्ति लगा समस्त दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का डङ्का पिटवा कर पुण्य तथा यश के भागी होंगे। हमारे आर्य भाई इस छोटी सी किन्तु समुचित प्रार्थना का क्या उत्तर देते हैं यह भविष्य बतलायगा।

साथ ही हम सार्वदेशिक सभा के अधिकारियों से भी सादर प्रार्थना करते हैं कि वे भी प्रत्येक समाज के कोष की जांच करावें और धन इस प्रकार एकत्रित किया जाय उसे हैदराबाद निधि में अपने अधिकार में लेकर तत्सम्बन्धी कार्यों में व्यय करें।

बी. एन. चतुर्वेदी साहित्यरत्न, आबूरोड

(पत्र प्रेषक महोदय की सूचना के लिये निवेदन है कि सार्वदेशिक सभा आर्य्य समाजों के सत्याग्रह सम्बन्धी हिसाब की जांच पड़ताल करा रही है और प्रान्तिक सभाओं द्वारा मनोनीत आडीटर्स इस कार्य का संपादन कर रहे हैं। —सम्पादक सार्वदेशिक)।

महिला-जगत्

मातृत्व की ओर*

माता की पदवी प्राप्त करने वाली कन्याओं के जानने योग्य बातें

प्रथम पाठ

(लेखक—श्री रघुनाथप्रसाद पाठक)

गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं। दूसरे दिन से होस्टल बन्द हो रहा था। होस्टल की लड़कियां अपने अपने घर जाने की तैयारियों में लगी थीं। कोई अपना सामान पैककर रही थी, कोई बिस्तर बांध रही थी और कोई अपने मित्रों को अपना पता नोट करा रही थी। सुशीला अपनी अन्य सहेलियों के सदृश बहुत अधीर हो रही थी। उस के पिता के पोस्ट कार्ड ने कि 'जल्द से जल्द घर पहुँच जाओ, घर पर एक अजीब चीज़ तुम्हारा इन्तज़ार कर रही है' उसे और भी अधीर बना दिया था।

सुशीला ने यह कार्ड दमयन्ती को पढ़ कर सुनाया था और उन दोनों ने इस "अजीब चीज़" के सम्बन्ध में बहुत से अनुमान और अन्दाजे लगाये थे और अन्त में दोनों इस निश्चय पर पहुँचे थे कि 'श्यामा गऊ' ब्याई है। उसका बछड़ा पिता जी सुशीला को देंगे।

दमयन्ती सुशीला के ही नगर की लड़की थी। दोनों के घर भी पास पास थे। दमयन्ती के माता-पिता मर गये थे और वह अपने भाई के पास रहती थी।

लड़कियों की पार्टी तैयार होकर स्टेशन के लिए रवाना हुई। सफ़ाई और ताज़गी उनके चारों ओर खेल रही थी। गाड़ी में बैठते ही उनकी प्रसन्नता बढ़ गई और वातावरण मनोहर हो गया। इस मनोहर वातावरण में उन्होंने इस प्रकार बातचीत कीः—

'ओह' अब जरा चैन मिली है। कुछ दिनों के लिए किताबों से तो छुटकारा मिला, 'एक लड़की ने कहा'।

'ओह' कितना पीसना! कितना छानना! कितना बीनना! दूसरी ने कहा।

"मैंने जितना पढ़ा है अगर उतना भी याद रहा तो बहुत है। भूल जाने पर मुझे बहुत फटकार पड़ती है।" सुशीला ने कहा।

---

*लेखक की अप्रकाशित पुस्तक से। यह पुस्तक निकट भविष्य में शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क देहली की ओर से प्रकाशित होगी।

'सुशीला ! तुम अपनी छुट्टियाँ किस प्रकार बिताओगी ?' दमयन्ती ने पूछा। "बहन ! मैं अपनी माता जी को भोजन बनाने में सहायता दिया करूँगी। जो कुछ मैंने इस विषय पर पढ़ा है उसको काम में लाऊँगी। इस तरह वह ताजा भी रहेगा।"

"ठीक है बहन ! अगर मुझे कपड़ा मिल गया तो मैं एक जाकट सिलूँगी, मैंने क्लास में कई कपड़े सीख लिये हैं ?" दमयन्ती ने कहा।

"देख ! अपने वायदे को मत भूल जाना पढ़ने के लिये आया करना। पढ़ना ख़त्म करके और घर का काम काज कर लेने पर खेला भी करेंगे।" सुशीला ने कहा।

सुशीला के लिए यह यात्रा बहुत शीघ्र समाप्त हुई। गाड़ी से उतरते ही सब से पहले उसने अपने पिता को देखा। उसके पिता एक सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। स्टेशन पर मुसाफिरों की मदद और उनके कष्टों को दूर करना उनका एक मुख्य काम था।

सुशीला दौड़कर उनके पास गई और चुपके से कान में कहा "पिता जी ! वह अजीब चीज क्या है ? मेरी 'श्यामा' कैसी है ? उसने बछड़ा दिया है या बछड़ी ? वह चीज़ उसका बच्चा ही है न।"

सुशीला के पिता हँसे और कहा "नहीं ! वह चीज़ बछड़े से भी ज्यादा अजीब है।"

अपने पिता के पास सामान छोड़ कर सुशीला घर की ओर दौड़ी। घर की ड्योढ़ी पर अपनी माता के अलावा उसे अपनी बड़ी बहन कमला भी देख पड़ी। उसकी गोद में एक तन्दुरुस्त हँसमुख और खूबसूरत लड़का था। अपनी बड़ी २ आँखों से सुशीला को ध्यान-पूर्वक देखकर वह अपनी माँ की साड़ी का छोर पकड़कर उसे चिपट गया। वस्तुतः संसार के आश्चर्यों में यही सबसे बड़ा आश्चर्य था।

सुशीला अपनी बहन कमला को बहुत प्यार करती थी। कमला माँ से मिलने के लिये कुछ दिन के लिये घर आई थी। वह डाक्टरी का कार्य करती थी। उसके पति भी एक सुयोग्य डाक्टर थे और सरकारी सर्विस में थे। सुशीला ने इस बच्चे को पहली बार ही देखा था।

सुशीला को घर में एक नया खिलौना मिल गया। वह उसीके खेल में मस्त रहने लगी, खाना बनाना और लिखना पढ़ना भी छूट गया।

दमयन्ती और सुशीला चटाई पर बैठ कर बच्चे को लेकर बैठ जातीं और उसके हँसने, किलकारी मारने और हाथ पैर पीटने को बड़े ध्यान से देखती थीं। वे उसे गोद में लेकर इधर उधर घूमतीं। कमला इस बात को पसन्द नहीं करती थी और शायद वह यह चाहती प्रतीत होती थी कि उसका बच्चा गोद का अभ्यासी न बने। वह उसके साथ-

पान का भी बहुत ध्यान रखता थी ! ठीक तीन घण्टे के बाद वह उसे खाना देती थी और वह कितना ही रोता, चिल्लाता था इसकी परवाह न करती थी। मिठाई और भारी चीजें तो वह उसे कभी नहीं खिलाती थी। उसका पेट सुडौल था और बढ़ा हुआ न था। कमला के पास बच्चों के पालन पोषण की शिक्षा की एक छोटी पुस्तक थी। वह उसे पढ़ा करती थी ! कमला की मां को अपनी पुत्री की यह बातें पसन्द न थीं परन्तु वह उस पुस्तक की बड़ी इज़्ज़त करती थी इसलिये कमला के नये २ अजीब कार्यों में वह दखल नहीं देती थी एक दिन बच्चा अपना एक हाथ अपने सर पर रक्खे सो रहा था और सुशीला चुपचाप एकान्त में बैठी बड़े ध्यान से उसे देख रही थी, कमला कसीदा निकाल रही थी। ज्यों ही उसने सिर उठाया त्योंही उसे यह दृश्य देखकर आनन्द मिश्रित आश्चर्य हुआ। उसने मुस्कराते हुए पूछा "शील क्या कोई पहेली सोच रही है।"

नहीं बहन ! केशव मुझे बड़ा प्यारा लगता है।

झूँठ बोलती है पगली ! सच बता क्या सोच रही थी।

शादी होने पर मैं केशव जैसा पुत्र चाहती हूँ जीजी ! सुशीला ने शर्माते हुए गर्दन नीची करके कहा। उसके साथ हँसूगीं ! खेलूँगीं !! और घूमूगीं !!! और उसे अपनी आँखों पर बिठलाऊँगी।

कमला ने तत्काल अपना काम छोड़ दिया और वह सुशीला की तरफ़ ध्यान से देखने लग गई और कहा "क्यों री ? बस इतना ही काम करेगी ?" यह कहकर कमला थोड़ी देर ठहरी और बोली "उसे खिलाये पहनायेगा कौन ?" शील ! सुनो तुम्हारी जैसी उम्र की एक लड़की थी। तुम्हारे जैसा ही उसे बच्चे का बड़ा चाव था। उसकी शादी चौदहवें वर्ष में हो गई थी। उसके बच्चा पैदा हुआ, उसके लिये वह जीती जागती गुड़िया थी। उसके साथ खेला करती और उस पर बड़ा अभिमान करती थी। उसका पालन पोषण करना वह जानती न थी। वह बीमार हुआ। बीमारी से बचने का भी उपाय वह न जानती थी। उसके रिश्तेदारों और सहेलियों ने जैसा बतलाया वैसा ही उसने किया। अन्त में हस्पताल जाकर वह मर गया। यदि वह उसका पालन पोषण करना जानती होती तो अपने बच्चे से हाथ न धोती।

एक दूसरी नौ जवान माता थी। वह अपने लड़के को बहुत प्यार करती थी। जो चीज़ वह चाहता उसे वही देती और जैसे वह चलाता उसे खुश करने के लिये वैसे ही चलती थी। उसके किसी काम और व्यवहार में कोई रोक टोक न करती थी। जब वह गुस्से में 'अपनी मां' को पीटने लगता और माँ के हटाने पर भी न

हटता तो मां हँसती और कहती—"कैसा नटखट है।" उसे किसी अपराध के लिए न तो दण्ड दिया गया और न कहना मानना सिखलाया गया वरन् हर काम में उसे खुली छुट्टी दे दी गई। जब वह बड़ा हुआ तो वह मां की इच्छाओं की कोई परवाह न करता था और माँ को नौकर की तरह हुक्म देता था। वह पक्का जुआरी और शराबी बन गया। गली में आते ही बच्चे मारे डर के अपने २ घरों में घुस जाया करते थे स्वयं उसकी माँ उससे डरती थी। वह एकान्त में बैठ कर अपने लड़के की दशा पर पश्चात्ताप किया करती थी और जब वह केशव जैसा बच्चा था उसके ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की उसे याद आती तो वह रोने लग जाती थी।

शील! क्या वह माँ का प्यार था। वह प्यार नहीं मोह था जिसने माँ को अन्धा बना कर बच्चे को विनाश के रास्ते पर डाल दिया था। सुशीला ने बात काटकर कहा—"जीजी! यह तो रामदीन जैसा मालूम होता है। यह भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। माँ तो उसे गली में देखकर घर में घुस जाती है।"

हां! हां! मेरा रामदीन से ही मतलब है। यदि उसकी माँ बच्चे का पालन पोषण करना जानती होती तो सोचो! आज रामदीन की ऐसी दुर्दशा क्यों होती। कौन कह सकता है रामदीन कभी हँसता हुआ कोमल फूल रहा होगा।

सुशीला ने गम्भीर होकर कहा— "मैं पहली कहानी के बच्चे की तरह अपने लड़के का मरना पसन्द करूँगी पर यह पसन्द न करूँगी कि वह रामदीन जैसा बने। पर हम यह सब बातें कैसे जानें? मालूम पड़ता है ये सब भाग्य की बातें हैं। भाग्य में जो लिखा होता है वही होकर रहता है।

कमला ने कहा, 'सुनो!' सुशीला झुक कर ध्यान पूर्वक सुनने लगी "जब माताएँ इरादे से बच्चा पैदा करती हैं तब वे उसके प्रति हर प्रकार से जिम्मेवार होती हैं। वे अपनी पूरी कोशिश से उसे समाज का अच्छा अङ्ग बनाती है। वे भाग्य के भरोसे बैठकर अपनी जिम्मेवारियों को जल्दी नहीं भुलाती हैं और न उसके ख़तरों और मुसीबतों से ही डरती हैं। वे समझती हैं परमात्मा उन्हें बच्चे देता है और एक दिन उनके पालन पोषण और शिक्षाके लिये उन्हें परमात्माको उत्तर देना होगा। अच्छा बननेके लिये कोई बच्चे को मजबूर नहीं कर सकता और न बीमारी से उसे बचा ही सकता है, परन्तु फिर भी पूरा २ यत्न तो हमें करना ही चाहिए। और सुनो! एक और बहन थीं। वे कालेज में मेरी मित्र थीं। १६ वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हुई थी। आज उनके पाँच बच्चे हैं वह उन्हें बड़ा प्यार करतीं हैं। परन्तु वे हैं बड़ी चतुर। वे उन्हें वही खिलाती

पिलाती और वही करने देती हैं जो उनके लिये हितकर होता है। वे उन्हें बाहर और भीतर स्वच्छ बनाने की कोशिश करती हैं। बीमारीके चिन्ह देखते ही वह उचित उपचार करती हैं और उसे बढ़ने नहीं देती। बच्चों में अच्छे २ संस्कार डालने का बड़ा ध्यान रखती हैं। उनमें आपस में प्रेम बढ़ाने की कोशिश करती रहती हैं बच्चों को साथ लेकर सुबह शाम संध्या और हवन करती और उन्हें अच्छी २ बातें सिखाती हैं। बच्चे बड़े होनहार और सुशील हैं। वे अपनी माँ से जितना डरते हैं उतना ही उसे प्रेम भी करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर उसके बच्चे अच्छे क्यों न हों! उन बच्चों को देखकर तबियत बड़ी प्रसन्न होती है।"

सुशीला ने प्रसन्न होकर कहा, "जीजी! मैं भी ऐसे ही बच्चे चाहूँगी और उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। पर जीजी!! तुम मुझे बच्चों से क्यों डराती हो?"

कमला ने गम्भीर भाव से कहा "शील! जब मैं केशव और उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी को देखती और सोचती हूँ तो मैं सच जानो कांप जाती हूँ। परन्तु दूसरी दृष्टि से इस बात पर विचार करो। बच्चों का पैदा करना और उनका पालन पोषण करना स्त्री का सबसे बड़ा कार्य है। परमात्मा ने यह शक्ति उसे ही दी है। बच्चे पैदा करना दिव्य कार्य है स्त्री का हृदय माँ बनने पर ही फूलता फलता है। आज्ञाकारी और सुशील बच्चों के सामने विश्वकी समस्त विभूतियाँ माताके सामने कुछ नहीं होती और उस का पद एक बड़ी रानी से भी ऊँचा होता है। आज्ञाकारी, सभ्य, स्वस्थ और सुशील बच्चोंके परिवार की सृष्टि करना क्या कम आश्चर्य जनक कार्य है? और क्या समाज की कम महत्व पूर्ण सेवा है?"

सुशीला ने शर्माते हुए कहा "बहन! आज मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं। तुमतो बड़ी चतुर मालूम पड़ती हो। क्या हमें और बातें नहीं सिखाओगी?"

कमला ने कहा "नहीं बहन! मैंने तो अभी ये बातें सीखनी शुरू की हैं। मैं तो बहुत थोड़ा जानती हूँ। सिर्फ स्वास्थ्य रक्षा के थोड़े से नियम जानती हूँ। यदि तुम्हें मदद कर सकी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या यह अच्छा न होगा कि हम प्रति दिन जब केशव सो जाया करे, एक घण्टा बैठकर इन बातों की चर्चा किया करें। दमयन्ती को भी बुला लिया करो।'

सुशीला ने ताली बजाते हुए कहा 'हाँ, हाँ' जीजी!! जरूर हमें ये बातें सिखाया करो। बहन मैं बहुत दिनों से यह जानना चाहती हूँ कि बच्चा पैदा होने से पहले कहां रहता और कैसे बढ़ता है?

आर्य कुमार जगत्

दहेज सप्ताह

यह जानकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि कुमार सभाओं ने स्थान स्थान पर दहेज सप्ताह को बड़े उत्साह से मनाया है। कई हज़ार प्रतिज्ञा पत्र भी भरे गए हैं और जल्से, जलूसों प्रभात फेरियों तथा साहित्य द्वारा दहेज के विरोध मे आर्य्य कुमारों ने करोड़ों कानों तक अपना सन्देश पहुंचा दिया है इस सप्ताह के मनाने से कुमार सभाओं में भी एक जागृति उत्पन्न हो गई है। हमें पूर्ण आशा है कि कुमार सभायें इसका पूरा उपयोग करेंगीं और इस अवसर पर पैदा हुए उत्साह को ठण्डा न पड़ने देंगी। हमारा मुख्य उद्देश्य चरित्रवान्" युवक पैदा करना है। वैदिक धर्म, देश और जाति के सच्चे और क्रिया शील उपासक" बनने बनाने का सतत प्रयत्न जारी कर देना चाहिए कुमार सभाओं को इस ही तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने रोज के जीवन को पवित्र और आदर्श बनाने की प्रत्येक कुमार को पूर्ण कोशिश करनी चाहिऐ। हम अच्छे कुमार बनकर देश और जाति का बड़ा कल्याण कर सकते हैं।

बहुत सी कुमार सभायें इस अवसर पर सप्ताह नहीं मना सकीं वे चाहें तो अब अपनी सुविधा अनुसार कोई सप्ताह निश्चित करके मना सकती हैं।

जिन २ कुमार सभाओं ने अभी तक सप्ताह का वृतान्त नहीं भेजा है वे शीघ्र भेज दें।

सन्देश

दहेज निषेध सप्ताह के सम्बन्ध में कुछ माननीय नेताओं ने अपने सन्देश भेजे हैं, वे हम नीचे प्रकाशित करते हैं।

"हमारे समाज में कई कुरीतियां हैं जिन में दहेज की प्रथा प्रधानतया बुरी हैं। हमारे युवक विशेषकर आर्य युवक कई कुरीतियों को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। परन्तु दहेज की कुप्रथा को दूर करने में वे विशेष रूप से समर्थ हैं और इसके लिये आर्य कुमारों की विशेष जिम्मेवारी भी कही जा सकती है।

आर्य कुमार यदि इसके विरुद्ध कटिबद्ध हो जांय तो वे दूसरों के लिये अनुकरणीय हो सकते हैं।

घनश्यामसिंह गुप्त

प्रधान—सा० आ० प्रतिनिधि सभा।

"भारतवर्षीय आर्य कुमार परिषद् ने जो आन्दोलन दहेज की कुप्रथा के विरुद्ध आरम्भ किया है इसे मैं अत्यन्त आवश्यक और समयानुकूल समझता हूँ। बेशक दहेज लेना स्त्री जाति का अपमान करना है परन्तु इससे भी अधिक यह उन कुमारों के अपमान का कारण है जो दहेज लेने को सह कर विवाह कर लिया करते हैं भविष्य में ऐसे विवाह की पार्टी बनने से इन्कार कर देना चाहिये जिसमें उनके माता और पिता दहेज ले रहे हों।

नारायण स्वामी

भारतवर्षीय आर्य कुमार परिषद् ने दहेज की कुप्रथा के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए सप्ताह मनाने का निश्चय करके प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक आर्य कुमार इस बात का प्रण करके कि दहेज लेकर विवाह नहीं करेंगे और स्वयं उदाहरण बन कर इस कुप्रथा के मिटाने में सहायक होंगे।

गंगाप्रसाद एम.ए.

चीफ जस्टिस व जुडीशियल मिनिस्टर

टिहरी-गढ़वाल

आर्य कुमार सभायें और दहेज निषेध सप्ताह

आर्य कुमार सभा दीवान हाल दिल्ली

दिल्ली प्रान्त की आर्य कुमार सभाओं में ही नहीं, वरन् तमाम कुमार सभाओं में दिल्ली कुमार सभा का नाम, दहेज निषेध सप्ताह मनाने में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस कुमार सभा ने इस सप्ताह को बड़ी धूम धाम के साथ लगातार ८ दिन अर्थात् १६ नवम्बर से २६ नवम्बर तक मनाया।

सप्ताह के प्रथम दिन रविवार ता० १६ नवम्बर को संध्या ५ बजे से दीवान हाल में आर्य कुमार पार्लीमेण्ट का प्रथम अधिवेशन श्री डा० सत्यकेतु विद्यालङ्कार के सभापतित्व में हुआ। वन्देमातरम् तथा प्रश्नोत्तर के पश्चात् डा० युद्धवीरसिंह जी ने विरोधी दल की ओर से दहेज निषेध बिल उपस्थित किया इस बिल में दहेज लेने देने वालों को ५ वर्ष तक का कठोर दण्ड तथा १०००) रुपया जुर्माने का विधान था। श्री गुलाबराय जी ने इस

बिल का अनुमोदन किया। सरकार की ओर से इसका सख्त विरोध किया लेकिन सभा ने इस बिल को बहुमत से स्वीकार किया।

इसके बाद सप्ताह के दूसरे दिन ता० २० नवम्बर से २५ नवम्बर तक आर्य कुमार सभा के कार्य कर्ताओं ने विशेष परिश्रम करके तमाम शहर के भिन्न २ भागों में इस प्रथा के विरुद्ध खूब प्रचार किया इस सम्बन्ध में श्री इन्द्रनारायण जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने इस सप्ताह को सफल बनाने के लिए विशेष रूप से परिश्रम किया। दिल्ली के डी. ए. वी. हाई स्कूल, रामजस स्कूल, रामजस तथा कमर्शल कालेज तथा शहर की भिन्न २ समाजों में वहाँ की कुमार सभाओं की संरक्षता में इसी सम्बन्ध में जलसे किये गये। सप्ताह के अन्तिम दिन दीवान हाल से एक विराट जलूस निकाला गया, जिसमें नौजवानों ने विशेष रूप से भाग लिया। जलूस में रास्ते भर दहेज प्रथा के विरुद्ध, 'दहेज लेना पाप है' 'दहेज स्त्री जाति का अपमान है' आदि २ नारे लगाता रहा। जलूस की समाप्ति पर दीवान हाल में श्री ला० नारायणदत्त जी की प्रधानता में एक विराट सभा हुई, जिसमें दिल्ली की जनता ने विशेष रुचि दिखलाई। इस जलसे में मनोनीत महोपदेशक श्री पं० रामचन्द्र देहलवी, श्री प्रो सुधाकर जी एम. ए. मन्त्री सार्वदेशिक सभा, श्री पं० रामधन जी शास्त्री M.A M.O.L., श्री हैडमास्टर ईश्वरदास जी M. A. B, T. तथा श्री डा० युद्धवीर सिंह जी आदि नेताओं के इसी विषय पर भाषण हुए। तत्पश्चात् प्रधान जी ने अपने विचार प्रकट किये और इस प्रकार यह सप्ताह अपूर्व समारोह के साथ समाप्त हुआ।

इस कार्यक्रम के अतिरिक्त कुमार सभा के सदस्यों ने सप्ताह भर में, हज़ार के समीप 'खूनी दहेज' नाम की पुस्तक बेची. इसी तादाद में प्रतिज्ञा पत्र भी भरवाए।

आर्य कुमार सभा अजमेर

कुमार सभा अजमेर ने इस सप्ताह को खूब उत्साह पूर्वक मनाया। श्री प्रोफेसर रामेश्वरप्रसाद जी गवर्नमेण्ट कालेज अजमेर के सभापतित्व में धूमधाम के साथ मनाया गया। दहेज प्रथा पर एक डिबेट रक्खी गयी, जिसमें विद्यार्थियों ने बहु संख्या में भाग लिया। बोलने वालों को सभा की ओर से इनाम आदि दिये गये। सभा के अन्त में श्री महता जैमुनी जी का बहुत ही मनोहर तथा महत्वपूर्ण व्याख्यान हुआ। कुमार सभा अजमेर प्रतिज्ञा पत्र भी भरवा रही है इस सप्ताह को

सफल बनाने में श्री बाबूलाल जी सक्सेना प्रधान आर्य कुमार सभा अजमेर तथा श्री सूर्यदेव जी शर्मा एम. ए. एल. टी. विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं।

आर्य कुमार सभा इन्दौर

आर्य कुमार सभा इन्दौर का नाम विशेष रूप से प्रशंसनीय है। यद्यपि इनके प्रांत में इस प्रथा का अधिक ज़ोर नहीं है, फिर भी इन्होंने अपने उत्साह से इस सप्ताह को मनाया और तमाम शहर में इसके विरुद्ध प्रचार कार्य किया। ता० १६ नवम्बर अर्थात् सप्ताह के प्रथम दिन एक सभा की गई, जिसमें श्री प्रधान जी का संदेश पढ़कर सुनाया गया। सप्ताह के अन्तिम दिन के लिए कुमार सभा के अधिकारियों ने विशेष प्रोग्राम रक्खा था, जिसको सफल बनाने के लिये स्थायी कार्यकर्ता तीन दिन से निरन्तर परिश्रम कर रहे थे। अतएव इस दिन प्रातःकाल मोटों आदि के साथ प्रभात फेरी निकाली जिसमें 'दहेज प्रथा का नाश हो' आदि २ नारे लगाये जा रहे थे। संध्या ६ बजे से महाराजा थियेटर इन्दौर में विराट सभा की गई, जिसमें श्री पं० उदयभानु जी शर्मा, श्री महादेव विष्णु परांजपे आदि स्थानीय वक्ताओं के व्याख्यान हुए, जनता को इस प्रथा का नाश करने के लिये समझाया। इस सभा में श्री रामकृष्ण वर्मा मन्त्री आर्य कुमार सभा का निम्न लिखित प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ।

"आर्य कुमार सभा की यह आम सभा यह प्रस्ताव पास करती है कि दहेज जैसी कुप्रथा से हिन्दू समाज का जो ह्रास हो रहा है उसका समूल नाश करने के लिये होलकर सरकार और अंग्रेज़ सरकार दोनों से प्रार्थना करती है कि हिन्दू समाज की इस प्रथा से रक्षा करने के हेतु कानून बनाये, हिन्दू समाज को विनाश होने से बचाये।"

साहित्य-समालोचना

सत्यार्थ प्रकाश (हिन्दी)

प्रकाशक—श्री गोविन्दराम हासानन्द जी, आर्य साहित्य भवन, नई सड़क देहली मूल्य देहली से बाहर ॥-) प्रति, देहली में ॥) प्रति, २० प्रतियाँ एक साथ ।≡) प्रति, सजिल्द ॥=) प्रति।

प्रस्तुत संस्करण (सत्यार्थ प्रकाश) का छटा संस्करण है। सत्यार्थ प्रकाश पर जो शंकायें होती हैं उनका इसमें समाधान किया गया है। अकारादि क्रम से प्रमाण तथा विषय सूची भी दी गई है। अन्य संस्करणों से इसमें ये विशेषताएँ हैं।

हैदराबाद के शहीद

सं०	नाम हुतात्मा	जिस स्थान के रहने वाले थे	जिस जेल में मृत्यु हुई	जिस तारीख को मृत्यु हुई	सार्वदेशिक सभा उनके परिवार को जो सहायता देती है।
१	श्री पं० श्यामलालजी	उदगीर	बीदर	१६-१२-३८	
२	,, स्वामी सत्यानन्दजी	बङ्गलौर	हैदराबाद	२७-४-३९	
३	,, परमानन्द जी	हरद्वार	,,	१-४-३९	
	,, विष्णुभगवंत तांडुरकरजी	तान्दूर (हैदराबाद)	,,	१-५-३९	
५	,, छोटेलाल जी	अलालपुर (मैनपुरी)	गुलबर्गा	३-५-३९	४) मासिक स्वर्गीयकी माता को
६	,, नन्नूमल जी	अमरावती	हैदराबाद	२९-५-३९	
७	,, माधोराव जी	लातूर (हैदराबाद)	गुलबर्गा	२६-५-३९	
८	,, पांडूरंग जी	उसमानाबाद (हैदराबाद)	,,	२७-५-३९	
९	,, सुनहरा जी	बुटाना (रोहतक)	औरंगाबाद	८-६-३९	
१०	,, फकीरचन्द जी	शरधा (करनाल)	,,	१-७-३९	११) मासिक
११	,, मलखानसिंह जी	रुड़की	हैदराबाद	१-७-३९	५) मासिक पिता को
१२	,, स्वामी कल्यानानन्द जी	मुजफ्फर नगर	गुलबर्गा	८-७-३९	
१३	,, शान्तीप्रकाश जी	कलनौर अकबरी गुरदासपुर	उसमानाबाद	२७-७-३९	
१४	,, बदनसिंह जी	मुजफ्फराबाद (सहारनपुर),	बारंगल	२४-८-३९	
१५	,, सदाशिव जी पाठक	तडवाल (शोलापुर)	हैदराबाद	१३-८-३९	६) मासिक पिता को

१६ ,, लक्ष्मणराव जी	अभी तक स्थान का पता नहीं लग सका	,,	२-८-३९	
१७ ,, गोविन्दराव जी	नलगीर (हैदराबाद)	,,	अभी तक निश्चित तारीख नहीं मालूम होसकी है।	५) मासिक धर्मपत्नि को
१८ ,, ताराचन्द जी	लुम्ब (मेरठ)	नागपुरमें जेलसे बीमारी की अवस्था में वापसी पर मार्ग में	१-९-३९	
१९ ,, अशरफी प्रसाद जी	नरकटियागंज (बिहार)	बीमारी की अवस्था में घर पर लौटे।	२९-८-३९	९) मासिक
२० ,, रामनाथ जी	अहमदाबाद	,,		
२१ ,, माटूराम जी	मिलकीपुर (हिसार)	मनमाड बीमारी की अवस्था में	२८-७-३९	
२२ ,, रतिराम जी	साम्पला (रोहतक)	बीमारी की अवस्था में घर पर लौटने पर।	२५-८-३९	
२३ ,, अल्लामल जी	सरगोधा	लाहौर में बीमारी की अवस्था में लौटते हुए	अभी तक निश्चित तारीख नहीं मालूम हो सकी है	
२४ ,, पुरुषोत्तम जी ज्ञानी	बुरहानपुर (सी.पी.)	घर पर, बीमारी की अवस्थामें घरपर लौटे	,,	
२५ ,, वेंकटराव जी	हैदराबाद रियासत	निजामाबाद	८-४-३९	

NEED FOR RELIGION GREATEST TODAY

(*By*—**Susheela.**)

THE organized massacre of human lives, the pride with which valuable possessions and property are destroyed, the feverish haste with which more engines of destruction are manufactured day and night—these characteristics of the European situation of the moment suggest to me the poser "what is wrong with the World to-day." I feel sure the question is agitating the minds of many like me. In attempting to answer the same I have pondered deeply and contrasted modern tendencies with what obtained in more peaceful and contended times of the past. In the domain of science human ingenuity during the past few centuries has reached its acme of perfection. The past war (1914—18) period witnessed a series of wonderful inventions based on fresh and new theories. There were new economic, political and social adjustments satisfying the widely prevalent urge of the times. Amidst all these revolutions in the different spheres of life *one thing was neglected and that neglect unconsciously and in many respects deliberately served the seed, the fruits where of are today racking the world with its most pernicious results. The neglect was in the sphere of Religion.* In this domain there was a great fall. Men's minds were clouded by a veriety of causes. Many were puffed up with what men could achieve and many others remained indifferent. Those few who could see the sure deterioration were powerless to cry halt to the march downward. Materialism devoured the world with all plausible pretensions. In the West Christianity lost its soul and only the skeleton was preserved by Church-goers. In the East a similar revolution set in. India could not keep herself unaffected by these changes all round. The political condition of subjection made her perforce to march on the heels of the masters.

The religious appeal to the higher sense of men having thus disappeared the theory of and justifying the means captivated popular imagination. Greed was on the increase. The scientific discoveries were planned and utilised to satisfy human greed. The more the instinct was fed, the more intense became its call. Amidst plenty in the world was witnessed starvation. The rich grew richer the poor, poorer. All canons of justice were sacrificed in the flame of the fierce competition.

What is the remedy out of this suicidal vertex. Religion must be raised from the deep abyss where it lies today. Religion not of the fanatical crude type of priests and demi gods but of its prestige original purity. That is the first and fundamental step for regeneration on right lines. Religion must once again govern the conduct of human beings Then and not till then will the present ills of humanity be checked.

(The Harbinger)

महात्मा नारायण स्वामी जी के

उपनिषदों का संग्रह

उपनिषद् प्रेमियों के लाभार्थ ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य ऐतरेय, तैतरेय उपनिषदों का संग्रह एक ही जिल्द रूप में तैयार कर दिया गया है। मूल्य १।=)

मिलने का पता :—

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली।

दक्षिण प्रचार प्रश्न

उपर्युक्त शीर्षक में 'आर्यमित्र' में श्रीयुत् उपाध्याय जी ने एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने 'दक्षिण प्रचार' को सरल बनाने के लिए अंग्रेज़ी और दक्षिण की लोक भाषाओं में उत्तम साहित्य तय्यार करने पर बल दिया है। लेख का आवश्यक भाग इस प्रकार है:—

'हमने पहली नवम्बर से आर्योपदेशक विद्यालय खोल दिया। पहले २१ विद्यार्थी आये। ३ छोटे थे अतः अस्वीकृत हुए। १८ से कार्य आरम्भ हुआ। आज पांच दिन में ३ और बढ़े हैं। इनमें अधिकांश बुद्धिमान और वैदिक धर्म के धुनी मालूम होते हैं। एक दो संस्कृत अच्छी तरह बोल लेते हैं। इनकी भाषा तैलगू, कनाड़ी और मराठी है। यह हिन्दी पढ़ तथा बोल सकते हैं। कुछ को हिन्दी लिखने का भी अभ्यास है। आशा है शीघ्र ही अच्छे प्रचारक बन सकेंगे परन्तु कमी है साहित्य की।

उत्तरी भारत तथा मध्य भारत में केवल हिन्दी से काम चल जाता है। परन्तु दक्षिण में थोड़ी-थोड़ी दूर पर भाषा बदल जाती है। बंगाली, बिहारी, पंजाबी, राजस्थानी यह सब भाषाएँ हिन्दी से मिलती जुलती हैं। परन्तु दक्षिण की भाषाएँ विचित्र हैं। पंच द्राविड़ भाषाओं अर्थात् कनाड़ी, तैलगू, तामिल, मैलेआलम आदि का हिन्दी से कोई सादृश्य नहीं। मराठी लिपि देवनागरी होने से उसमें कुछ आसानी है। परन्तु अन्य भाषाओं की तो लिपियाँ भी अलग हैं। बिना साहित्य के प्रचारक कैसे कार्य कर सकेंगे इसमें सन्देह है। मेरी अपनी राय है कि दक्षिण में साहित्य का एक प्रबल केन्द्र बनना चाहिये। जब तक हम साहित्य द्वारा दक्षिण पर चढ़ाई न करेंगे कुछ अधिक लाभ नहीं। मैं दक्षिण के भिन्न-भिन्न नगरों में इसके लिए जाने वाला हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि साहित्य का मुख्य केन्द्र कहां बन सकता है। देख-भाल के पश्चात् फिर अपने विचार प्रकट करूँगा। परन्तु इसमें संशय नहीं कि आर्यसमाज की जड़ गहरी ले जाने के लिए विशाल साहित्य की आवश्यकता है। दक्षिण में एक बात यह मिलती है कि ईसाइयों ने अपने साहित्य द्वारा ही हिन्दुओं में हिन्दू-धर्म तथा हिन्दू-संस्कृति विषयक सन्देह उत्पन्न करके

उनको सर्वथा अहिंदू बना दिया है। हम आज बप्तिस्मा न लेकर भी विचारों में ईसाई हो गये हैं। यह सब ईसाई साहित्य का फल है। एक-एक वर्ष में लाखों ईसाई पुस्तिकायें छप कर बँट जाती हैं और प्रत्येक पुस्तक हिंदू संस्कृति के उड़ाने के लिए बम के गोले का काम करती है। इन प्रभावों के मिटाने के लिए आर्यसमाज के पास क्या साधन है? इस प्रश्न को प्रत्येक आर्य भाई, बहिन को अपने आप से पूछना चाहिए।"

उपाध्याय जी की अपील के औचित्य के सम्बन्ध में कुछ भी लिखा जाना व्यर्थ है।

आर्यसमाज की ओर से प्रकाशित होने वाले साहित्य के सम्बन्ध में हमारे अपने कुछ विचार हैं। हमें पुराने ढर्रे के साहित्य को उत्पन्न करने की गति को अब बदल देना चाहिए और नवीन युग के अनुरूप जिसमें से अब संसार गुजर रहा है साहित्य उत्पन्न करना चाहिए। इस कार्य के सम्पादन में पुराने साहित्य से यथेष्ट सहायता ली जासकती है। हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि पुराना साहित्य त्याज्य वा हेय है वरन हमारा अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु का स्थान और समय होता है। वर्तमान में वह साहित्य नये युग के साहित्य का स्थान लेने में असमर्थ देख पड़ता है। अब उसे नए रूप में रखने वा नए रूप में साहित्य की उत्पत्ति में उसे सहायता लेने की जरूरत है।

आर्यसमाज की शिक्षाओं पर इस ढंग से नूतन साहित्य के निर्माण की आवश्यकता है जो जनता को अधिक से अधिक अपील करने वाला हो। दफ्तरों और फार्मों के कार्य से थके हुए व्यक्तियों के लिए शुष्क दार्शनिक गुत्थियों और आध्यात्मिक पहेलियों का साहित्य अपील नहीं करेगा। उन्हें सरल और मनोरञ्जक रूप में लिखा हुआ ही यह साहित्य ग्राह्य होगा। उच्च वर्ग को वह साहित्य अपील करेगा जो उस विषय के अन्य साहित्य की तुलना में भाषा, शैली और छपाई इत्यादि हर प्रकार से कोई विशेषता लिए होगा। भाव यह है कि जिस भाँति इन दिनों हमारी प्रचार प्रणाली को नया रूप देने की परमावश्यकता है उसी भाँति साहित्य को भी नया रूप देने की आवश्यकता है।

आर्यसमाज में इस समय जो साहित्य उपलब्ध है उसे अन्य भाइयों को देते समय हमें सोचना पड़ता है। हम कठिनाई से १०-५ प्रकाशन ही उन्हें दे पाते हैं। एक तो उच्चकोटि के साहित्य की हमारे यहाँ कमी है ही दूसरे इस कोटि का जो साहित्य मौजूद है उसमें से बहुत कम वैज्ञानिक ढङ्ग से लिखा हुआ है। उनकी भाषा शैली और गैटअप इत्यादि की तो बात ही न पूछिये।

आयसमाज के पास रामकृष्ण मिशन वा थियोसौफ़ी के प्रकाशन गृहों की टक्कर का कोई साहित्य मन्दिर नहीं है। आर्यसमाज जैसे प्रगतिशील और बड़े समाज के लिए यह न्यूनता लज्जा जनक है। अनुभव बतलाता है सभाएँ इस कार्य को सफलता पूर्वक करने में असमर्थ हैं। इस कार्य के सम्यक संपादन के लिए एक अच्छी लिमिटेड Concern की आवश्यकता है जिसमें आर्यसमाज के साहित्य प्रेमियों और धनी मानी सज्जनों का सम्बन्ध और सहयोग हो और आर्यसमाज का प्रत्येक सदस्य उसको उन्नत और दृढ़ करना अपना परम कर्तव्य समझे।

इसके लिए हमें अपनी मनोवृत्ति में पूरा-पूरा परिवर्तन करना होगा। हमें सबसे पहले सस्ते साहित्य की रुचि बदलनी होगी। वर्तमान में हमारा सस्ता साहित्य हमारी रुचि को अच्छे रूप में व्यक्त नहीं करता है। ध्येय यह होना चाहिये कि साहित्य विषय और छपाई हर प्रकारसे उच्चकोटिका होना चाहिए। यदि साहित्य के सस्ते पन की गति यही रही जो इस समय देख पड़ती है तो न मालूम हमारे साहित्य को यह कहाँ ले जायगी। सस्तेपन में हमारा ध्येय यही हो सकता है कि पुस्तक अधिक से अधिक सुलभ हो। इस ध्येय की पूर्ति पुस्तक को बिना बिगाड़े भी हो सकती है और वह इस प्रकार कि धनी मानी सज्जन विशुद्ध साहित्य प्रचार के लिए अपनी सहायता से उसे सुलभ और प्राप्य बनाएँ।

हिन्दुस्तानी

वर्धा-शिक्षा-प्रणाली के अधीन 'हिन्दुस्तानी' की पाठ्य पुस्तकें अभी हाल में प्रकाशित हुई हैं। उन में से २-३ पुस्तकें हमारे सामने हैं। इनके अध्ययन से आर्य-संस्कृति के प्रेमियों को निराशा होगी। ये पुस्तकें विशुद्ध उर्दू की पुस्तकें हैं। भेद केवल इतना है कि उनकी लिपि हिन्दी है।

पुस्तकों की भाषा के १-२ नमूने नीचे दिए जाते हैं जिससे पाठकों को हमारे उपर्युक्त कथन की यथार्थता स्पष्ट होजाय।

पुराने जमाने में अखबार या किताबें नहीं थीं, इसलिए लोगों में बौद्ध धर्म की नसीहतों को फैलाने के लिए अशोक ने एक नई तरकीब निकाली। वह सारी नसीहतें पत्थर की लाटों और पहाड़ों पर खुदवा देता था। ...जगह २ कुएं खुदवाए और कई यतीमखाने खोले। 'हिन्दुस्तानी' दूसरी किताब!

...वह आदमी हालैण्ड का एक अफ़सर था। लड़के की मुल्क की मुहब्बत

और बहादुरी देखकर वह बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि 'अगर तुमने पानी न रोका होता तो मुल्क का एक बड़ा हिस्सा अब तक डूब गया होता। तुम मुल्क के सच्चे खैरख्वाह हो।'

इन पुस्तकों के निर्माण में मुसलमान भाइयों को प्रसन्न रखने की जितनी चिन्ता रक्खी गई प्रतीत होती है उतनी अर्थ भाषा और उसके प्रेमियों के प्रति न्याय को नहीं रक्खी गई प्रतीत होती है। मुसलमान भाई भी इस प्रयत्न का आदर करते प्रतीत नहीं होते हैं जैसा कि समय समय पर प्रेस में आए हुए उनके उद्गारों से प्रगट होता है। फिर इस प्रकार के विवादास्पद प्रयत्नों से क्या लाभ ?

इस में सन्देह नहीं कि देश की वर्तमान परिस्थिति में राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति विशाल हिन्दू भारत से बहुत त्याग कराएगी। उस त्याग की भी सीमा और मर्य्यादा होनी चाहिए। हिन्दी भाषा और भारतीय संस्कृति भारत वर्ष की आत्मा हैं। इनके बलिदान पर हिन्दुओं को त्याग के लिए प्रेरणा करना वा उन से बलात् त्याग कराना उन से बहुत ज़्यादा मांग करना है। और यदि इस सम्बन्ध में देश के नेताओं को निराश होना पड़े तो इस में दोष उन्हीं का होगा। हिन्दू समाज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है परन्तु अपनी संस्कृति का विनाश उसे कभी सह्य नहीं हो सकता। भारतीय आदर्शों और संस्कृति के मूल्य पर खरीदी हुई स्वतन्त्रता का भारतीयों के लिए क्या मूल्य होसकता है ?

मसजिद के सामने वाजे के प्रश्न पर हिन्दू भाई बहुत दबाए गए हैं। वन्देमातरम् जैसे निर्दोष जातीय गीत के अङ्ग भङ्ग पर उनके भावों की घोर अवहेलना की गई है। कलकत्ता विश्व विद्यालय की 'मुहर' के लेख के परिवर्तन में उनकी इच्छाओं और भावनाओं को निर्दयता पूर्वक कुचला गया है। ये तथा अन्य प्रकार की सब ज़्यादतियां मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए हिन्दूओं पर की गई हैं और इन्होंने उन लोगों को भी विचलित कर दिया है जो राष्ट्रीय विचारों और भावनाओं के हैं और जिनकी देश के नेताओं में पूरी २ आस्था है।

हिन्दू भाई स्वभावतः उदार और सहनशील हैं परन्तु उदारता और सहनशीलता का अर्थ यह नहीं है कि उनकी जातीय और राष्ट्रीय सम्पदा को उनसे छीना जाय। यदि उनकी उदारता के दुरुपयोग की गति यही रही जो इस समय है तो वह दिन दूर नहीं जब नेताओं को जहाँ एक भयङ्कर विस्फोट का सामना करना दूभर होजायगा वहां

हिन्दू-मुस्लिम एकता भूत काल की वस्तु बनजायगी। अतः देश के नेताओं से हम निवेदन करेंगे कि वे इस दिशा में वहाँ तक जायँ जहां तक देश की आत्मा पर कोई आंच न आए। अन्यथा वे देश की ऐसी असेवा करेंगे जिस के लिए आने वाली सन्तति उन्हे निरादर से स्मरण करेगी। हम चाहते हैं वे समय रहते सावधान हो जायँ और 'हिन्दुस्तानी पाठ्य पुस्तक' जैसे अनुचित प्रयत्नों से पृथक् रहें।

महात्मा जी पर घृणित आक्षेप

४ नवम्बर के 'हरिजन' में महात्मा गाँधी ने 'मेरा जीवन' शीर्षक एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने एक भयङ्कर आक्षेप का उत्तर दिया है जो उनके आचार पर पौराणिकों द्वारा लगाया गया है। वह आक्षेप यह है कि महात्मा जी सदाचार वा महात्मा के उच्च पद से गिर गये हैं। इस संबन्ध में महात्मा जी के लेख का आवश्यक भाग इस प्रकार है:—

'दो दिन हुए चार पाँच गुजराती भाइयों के हस्ताक्षरों से युक्त मुझे एक पत्र और एक हिन्दू समाचार-पत्र मिला है। जिसका एक मात्र उद्देश्य मुझे बदनाम करना प्रतीत होता है। मुझ पर जो अनेक आक्षेप किए गये हैं उनमें से विषय लोलुपता का आक्षेप गम्भीर है। मेरा ब्रह्मचर्य व्रत विषय लोलुपता को छिपाने का आवरण प्रकट किया गया है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है इन आक्षेपों का सूत्रपात मेरे 'हरिजनोद्धार' कार्य के साथ हुआ है और यह भी तब हुआ है जब मैंने हरिजनोद्धार को काँग्रेस कार्य-क्रम का अङ्ग बनाया और हरिजनों को सभाओं में और आश्रम में प्रविष्ट करने पर बल दिया है। उसी समय से कुछ सनातनी भाई जो मुझे सहायता दिया करते थे, मुझ से पृथक् हो गये और मुझे बदनाम करने लग गए हैं उसके बाद एक उच्च अंग्रेज़ कर्मचारी भी उनके दल में शरीक हो गया था। स्त्रियों के साथ जो मेरी आजादी है उसने उसकी आड़ लेकर मेरी पवित्रता को 'अपवित्रता' प्रगट करने का कार्य हाथ में लिया था। उसी के स्वर में दो प्रसिद्ध भारतीय भी राग अलापने लग गये थे। 'गोल मेज़ कान्फ्रेंस' के समय अमेरिकन पत्रकारों ने मेरे बड़े भद्दे कार्टून भी प्रकाशित किए थे। मीरा बाई जो मेरी देख भाल किया करती थीं इन आक्षेपों का निशाना बनाई गई थीं। अब तक इन आक्षेपों की मैं उपेक्षा करता रहा था। परन्तु श्रीयुत थौमसन की चर्चा और गुजराती सम्वाद दाताओं के आग्रह से इनका खण्डन करने के लिये मैं बाधित हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन की कोई बात छिपाई नहीं है मैंने अपनी कमजोरियाँ भी स्वीकार की हैं। यदि मैं विषय

लोलुप हो गया होता तो इसे स्वीकार करने का भी मुझे साहस होता। देश सेवा में और भी अच्छे रूप में अपने को अर्पण करने के लिए मैंने १९०६ में ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और यह उस समय लिया था जब अपनी धर्म पत्नी तक के साथ विषय भोग के परित्याग की भावना मुझमें विकसित हो गई थी और मैंने अपने को भली भाँति जाँच तोल लिया था।

उस दिन से मेरा वास्तव जीवन प्रारम्भ होता है। उस समय से कभी मैं अपनी धर्म पत्नी वा अन्य स्त्रियों के साथ रहा वा बन्द दरवाजों के भीतर सोया हूँ इसकी मुझे याद नहीं है। सिवाय उन अवसरों के जिनका जिक्र 'नव जीवन' या 'यङ्ग इण्डिया' के लेखों में आया है। मेरे लिये वे काली रातें थीं। जैसा कि मैंने बार २ कहा है, परमात्मा ने मेरी रक्षा की है। अपने किसी गुण पर मैं गर्व नहीं करता हूँ। मेरे लिये वह प्रभु समस्त भलाइयों का स्रोत है और अपनी सेवा के लिये उसने मेरी रक्षा की है।

जिस दिन से मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था उसी दिन से हम दोनों की स्वतन्त्रता प्रारम्भ हो गई थी। मेरी धर्मपत्नी स्वतन्त्र स्त्री हो गई थी, इस रूप में कि पति रूप में, उस पर मेरा जो अधिपत्य था उससे वह मुक्त हो गई थी। और मैं उस भूख की गुलामी से मुक्त हो गया था जिसको उसे सन्तुष्ट करना पड़ता था। जिस भाव में मेरा आकर्षण अपनी धर्मपत्नी की ओर था उसमें अन्य कोई स्त्री मुझे आकर्षित नहीं कर सकी। बतौर पति के मैं उसके प्रति बहुत सच्चा था और माता से मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी स्त्री का दास न बनूँगा। इस व्रत या प्रतिज्ञा के प्रति भी मैं सच्चा बना रहा हूँ। जिस रीति से मेरा ब्रह्मचर्य व्रत आरम्भ हुआ था उसने स्त्री को मनुष्य की माता के रूप में मेरे सामने उपस्थित किया था और उसमें पवित्रता की मूर्ति के मुझे दर्शन होने लगे थे। वासना मय प्रेम का तो ज़रा भी पुट नहीं देख पड़ता था। अतः प्रत्येक स्त्री माता और बहन के रूप में जान पड़ने लगी थी। मेरा यह विश्वास कभी नहीं रहा है कि ब्रह्मचर्य के सम्यक पालन के लिये स्त्रियों से हर प्रकार का सम्बन्ध विच्छेद कर देना चाहिए। स्त्रियों से पृथक रहने के बजाय संयम का मूल्य कुछ नहीं होता। अतः सेवा के लिये स्वाभाविक संपर्क पर कभी प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। मैंने बहुत सी बहनों के विश्वास का उपभोग करते हुए भी अपने को पाया है।

मैं आश्रम में स्त्रियों से घिरा हुआ सोता हूं। क्योंकि वे मेरे साथ अपने को हर प्रकार से सुरक्षित समझती हैं। यह याद रखना चाहिए कि सेगांव के आश्रम में कोई एकांतता नहीं है।

यदि विषय वासना के लिए मैं स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता तो इस उम्र में भी दूसरी स्त्री से विवाह करने का मुझे साहस होता। स्वतन्त्र प्रेम में चाहे वह गुप्त हो वा प्रगट, मुझे विश्वास नहीं है।

प्रगट स्वतन्त्र प्रेम को मैं कुत्तों का प्रेम समझता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त गुप्त प्रेम को मैं कायरता समझता हूँ।

सनातनी हिन्दू मेरी अहिंसा से घृणा कर सकते हैं। मैं जानता हूँ उनमें से बहुत से यह समझते हैं कि यदि वे मेरे प्रभाव में रहे तो हिन्दू नामर्द हो जायँगे। कोई आदमी मेरे प्रभाव में रह कर नामर्द बना हो इसका मुझे ज्ञान नहीं है। वे मेरी अहिंसा का जितना चाहें खण्डन कर सकते हैं परन्तु वे सिर पैर की बातों के बढ़ने से वे अपना और हिन्दू धर्म का ही अहित करते हैं।"

महात्मा जी का स्पष्टीकरण अपने में स्वयं अत्यन्त स्पष्ट है। इस पर किसी टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। दुख केवल इसी बात का है कि महात्मा जी जैसी उच्च व्यक्ति को अपने सदाचार के सम्बन्ध में उपर्युक्त पंक्तियां लिखने के लिए बाधित होना पड़ा। इस के लिए हम जितनी शर्म अनुभव करें उतनी ही कम है। सनातनी भाइयों को महात्मा जी के लेख की अन्तिम पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना और मनन करना चाहिए। उस में उनकी मानसिक व्यथा भले प्रकार प्रतिबिम्बित हो रही है। सनातनियों के प्रलाप से महात्माजी के उज्वल चरित्र पर धब्बा लग जायगा यह तो सर्वथा असम्भव बात है। संसार में महान् व्यक्ति इनसे भी भयङ्कर यातनाओं और अपवादों का शिकार बन चुके हैं परन्तु उनकी निर्मलता में कोई कमी नहीं आई।

हिन्दू-मुस्लिम एकता

हिन्दू मुस्लिम एकता किस प्रकार स्थापित की जा सकती है इस पर इन दिनों देश भर में गम्भीरता पूर्वक विचार हो रहा है। विभिन्न उपाय प्रकाश में आरहे हैं। यहां उनके गिनाने की आवश्यकता नहीं है। हिन्दू मुस्लिम एकता में जो सब से बड़ी आमूलभूत रुकावट है वह यह है कि मुसलमान भाई इस देश को अपना देश नहीं समझते हैं। जिस दिन वे यह समझने लग जायेंगे कि वे इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश के अन्न जल से पले, इसी देश में जिएँगे और मरेंगे और देश के प्रति उनका भी वही कर्तव्य है जो अन्य देशवासियों का है तथा वे अन्य जातियों के नेताओं और

धर्म तथा संस्कृति का आदर करना सीख जायँगे उसी दिन हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रश्न हल हो जाएगा। दुर्भाग्य यह है कि मुसल्मान भाई भारत वर्ष को अपना देश नहीं समझते हैं। इस समस्या को बिगाड़ने के लिए काँग्रेस की मुस्लिम पक्षपातिनी नीति भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है संतोष है कि काँग्रेस के सूत्रधार इस बात को अब अनुभव करने लग गये हैं और मिस्टर जिन्ना जैसे मुसल्मानों के उच्च नेता, मुसल्मानों को जैसा कि उनके 'ईद' के उपदेशों से ज़ाहिर है सही मार्ग प्रदर्शन करने लग गए हैं।

श्रीयुत जिन्ना का धर्मोपदेश

जब बम्बई में यह घोषणा की गई कि मुस्लिम लीग के प्रधान श्रीयुत जिन्ना बम्बई के रेडियो स्टेशन से ईद के दिन भाषण देंगे और भाषण का विषय प्रगट नहीं किया गया तो लोगों को यह ख्याल हुआ था कि रेडियो स्टेशन का अध्यक्ष नियम का भङ्ग कर रहा है और इससे विवाद उठ खड़ा होगा। लोगों की यह धारणा क़तई नहीं थी कि श्रीयुत जिन्ना ईद पर्व के महत्व पर कोई प्रकाश डालेंगे क्यों कि वे समझते थे कि धर्म के प्रति श्रीयुत जिन्ना की दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी राजनीति और अपने वकालत के पेशे के प्रति है। कोई कोई यह भी समझते थे कि धर्म के प्रति वे उदासीन हैं। परन्तु इस प्रकार के विषयों में बाह्य चीजें प्रायः भ्रम में डालने वाली होती हैं। उनका भाषण वस्तुतः इस्लाम धर्म पर अच्छा उपदेश था! इस्लाम का जो सार उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने इस्लाम की सहिष्णुता और उदारता पर जो बल दिया और उन गुणों को अपने देश और अन्य देश वासियों के प्रति मुस्लमानों को चरितार्थ करने की जो प्रेरणा की वह बहुत श्रेष्ठ और उच्च थी। लोगों का यह सही मत है कि कतिपय शाब्दिक परिवर्तनों के साथ, यह उपदेश ईसाइयों के गिर्जे और हिन्दुओं के मन्दिर से दिए जाने योग्य था।

उन्होंने मुसल्मानों को अपील की "वे अपने घरों में मेल रखें, अपनी जाति में एकता रक्खें और विविध धर्मों और मतों वाले—अपने देश में प्रेम भाव रखें।" उन्होंने अपने हिन्दू और मुसल्मान नेताओं की भी चर्चा की उन्होंने जिद् वा हठ को 'प्रेम और सहिष्णुता की उस सच्ची भावना के विपरीत बतलाया जिसका इस ईद के दिन हम सब के हृदयों में आभास होना चाहिए।'

लेख-सूची

सं०	विषय	लेखक	पृष्ठ
१.	वेद की शिक्षायें	....	४९३
२.	अध्यात्मधारा	....	४९४
३.	अध्यात्म व आत्मविद्या	श्री बाबू सुन्दरलाल जी वकील मैनपुरी	४९८
४.	गायका माँस बीमारी और दूध दवा है	श्री नजीर अहद वलकी	५०४
५.	भारतवर्ष की दूध की समस्या	श्री दीवान बहादुर दी आनन्द राव बी. एस. सी. मद्रास	५०६
६.	हृदय परिवर्तन	श्री विद्यानिधि सिद्धान्तालङ्कार	५०८
७.	आर्य समाज का स्थापना दिवस	स्वा० स्वतन्त्रानन्द जी महाराज	५१७
८.	हमारी चिट्ठी पत्री	... .	५१८
९.	महिला जगत्	श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक	५२०
१०.	आर्य कुमार जगत्	... ...	५२५
११.	साहित्य समालोचना	... ...	५२८
१२.	हैदराबाद के शहीद	... ...	५२९
१३.	Need for Religion Greatest Today	By Susheela	५३१
१४.	सम्पादकीय	दक्षिण प्रचार प्रश्न, हिन्दुस्तानी, महात्मा जी पर घृणित आक्षेपादि	५३३

भारतवर्ष तथा विदेश के आर्यसमाजों की सूची

समस्त भूमण्डल में जितनी आर्य समाजें हैं उनके पूरे पतों के सहित सूची सार्वदेशिक सभा ने अभी हाल में पुस्तक रूप में प्रकाशित की है। काग़ज़ छपाई आदि उत्तम है। मूल्य ॥) प्रति

मिलने का पता—

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली।

बीज

सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्ज़ी व फूल-फल का बीज और गाछ हमसे मँगाइये।

पताः—मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना)